त्रयोदश माला, खंड 29, अंक 14

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2002
18 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ....254........
Date ....25/4/03........

(खण्ड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 14, सोमवार, 9 दिसम्बर, 2002/18 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 263 से 266	2-65
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 262 और 267 से 281	65-102
अतारांकित प्रश्न संख्या 2857 से 3086	102-507
सभा पटल पर रखे गए पत्र	507-513
राज्य सभा से संदेश	513
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) हरियाणा, बिहार और देश के अन्य भागों में दलितों पर अत्याचार	
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	514-517
(दो) विनिवेश नीति	
श्री अरूण शौरी	557-568
राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) विधेयक—पुरःस्थापित	518-520
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) कर्नाटक के अपहृत भूतपूर्व मंत्री की कथित हत्या के बारे में	521
(दो) बेईमान ट्रेवल एजेंटों द्वारा विशेष रूप से पंजाब के युवाओं को अवैध रूप से विदेशों में भेजे जाने के बारे में	543
(तीन) उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्यान्वयन के बारे में	544
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश के बिल्हौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के उचित रखरखाव को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्याम बिहारी मिश्र	547

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कॉलम

(दो) मध्य प्रदेश में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की नयागांव इकाई के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 548

(तीन) रांची और मुम्बई के बीच हाल ही में शुरू की गई सुपर फास्ट ट्रेन को बरास्ता हटिया और राउरकेला चलाये जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 548

(चार) बंगलौर और नई दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा 549

(पांच) कर्नाटक में विशेषकर उदुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वन क्षेत्रों से जनजातीय समुदायों सहित गरीब और सीमांत किसानों के हटाए जाने को रोके जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 549

(छह) केरल में परम्परागत उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी० राजेन्द्रन 550

(सात) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री के०ई० कृष्णमूर्ति 550

(आठ) उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उन किसानों को जिनकी भूमि "बाई पास" के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई है, पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल 551

(नौ) बिहार में विकास खंड स्तर पर "खरीद केन्द्र" स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 551

कार्य मंत्रणा समिति

चौवालीसवां प्रतिवेदन 552

भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक—पारित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री के० जना कृष्णमूर्ति 552

विषय	कॉलम
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	554
डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा	568
प्रो० ए०के० प्रेमाजम	570
श्री सुन्दर लाल तिवारी	572
श्री प्रभुनाथ सिंह	574
श्री चन्द्रभूषण सिंह	576
श्री ए०सी० जोस	577
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	579
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	581
श्री अनादि साहू	582
खंड 2, 3 और 1	585
पारित करने के लिए प्रस्ताव	585
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश के किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं	
श्री राम टहल चौधरी	586
श्रीमती प्रभा राव	590
डा० रंजीत कुमार पांजा	594
श्री रनेन बर्मन	595
श्री रामजीवन सिंह	597
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	601
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	605
श्री किशन सिंह सांगवान	609
श्री प्रबोध पण्डा	612
श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा	615
डा० रामकृष्ण कुसमरिया	618
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	620
डा० सी० कृष्णन	623
श्री चन्द्रभूषण सिंह	624
श्री बीर सिंह महतो	627
श्री मणिशंकर अय्यर	628
श्री अजित सिंह	633-650

लोक सभा

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2002/18 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने एक पूर्व साथी श्री सुदर्शन दास के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सुदर्शन दास 1985 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने असम के करीमगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके पूर्व श्री सुदर्शन दास 1972 से 1978 तक असम विधान सभा के सदस्य रहे। श्री सुदर्शन दास एक सक्रिय राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह 1941 से 1947 तक जिला अनुसूचित जाति छात्र महासंघ, सिलहट और 1960 से 1974 तक करीमगंज जिला अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1960 से 1971 तक करीमगंज अनुसूचित जाति विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में और पुनः 1972 से 1974 तक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। श्री सुदर्शन दास एक वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें एक वर्ष से अधिक समय के लिए नजनबन्द रखा गया।

श्री सुदर्शन दास ने शिक्षा के संवर्धन में गहरी रुचि ली। वह बनमाली एल०पी० स्कूल और बनमाली सांस्कृतिक संघ, करीमगंज के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने करीमगंज कालेज के शासी निकाय के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुदर्शन दास धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह श्री विजय कृष्णन साधु आश्रमों से जुड़े थे और 1962 से ही दुर्गागंज आश्रम करीमगंज के सचिव थे।

श्री सुदर्शन दास का निधन 78 वर्ष की आयु में 8 नवम्बर, 2002 को करीमगंज, असम में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, बिहार के किसान बाढ़ और सुखाड़ के स्थाई निदान के लिए संसद मार्च करते हुए दिल्ली आये हैं। माननीय जल संसाधन मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वे उन किसानों की समस्याओं को सुनें और उनसे मिलें।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न जीरो-आवर में पूछ सकते हैं।

श्री रघुनाथ झा : ठीक है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पर्यटन विकास

263. **श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान आज तक प्रतिवर्ष राज्यवार पर्यटन के विकास के लिए राज्यों को प्रदान की गई सहायता/अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में चलाई गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार को इनमें कितनी सफलता मिली है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा सहित अर्जित राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, उनके परामर्श से अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। पिछले चार वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान 324.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई एवं देश में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को 162.78 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई। ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है। कुल 1308 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी जिनमें से 399 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

(ख) पर्यटन विभाग ने (i) पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास (ii) उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास (iii) भारी राजस्व सर्जक परियोजनाएं (iv) चालू वित्तीय वर्ष में सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, नई योजनाएं शुरू की हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान पर्यटन विभाग ने देश में वार्षिक आधार पर 6 पर्यटक परिपथों एवं प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन में एक गंतव्य के विकास का प्रस्ताव रखा है।

(ग) पर्यटन विभाग विदेशी मुद्रा आय का अनुमान केवल राष्ट्रीय आधार पर लगाता है। विगत चार वर्षों के दौरान पर्यटन के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा आय का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(रु० करोड़ में)

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय
1998	12150
1999	12951
2000	142385
2001	14344
2002 (जनवरी-नवम्बर)	11968 (अनुमानित)

अनुबंध

वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के दौरान मेलों एवं उत्सवों सहित पर्यटन परियोजनाओं हेतु स्वीकृत/जारी की गई राज्यवार केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	274.08	155.00	222.22	139.60	299.50	206.50	167.85	91.66
2.	असम	457.95	146.10	357.35	109.10	338.35	136.90	397.50	196.70
3.	अरुणाचल प्रदेश	208.71	98.30	233.24	120.70	49.75	17.50	321.90	202.20
4.	बिहार	263.07	122.00	89.71	29.00	324.48	99.22	1.35	1.35
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	120.28	37.25	35.00	19.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गोवा	324.98	213.30	279.82	95.36	93.30	29.90	93.73	49.85
7.	गुजरात	439.57	200.30	327.64	150.90	469.20	148.10	305.50	100.30
8.	हरियाणा	348.15	205.50	238.33	156.00	123.31	66.94	125.44	68.14
9.	हिमाचल प्रदेश	315.50	183.10	691.79	472.70	397.29	237.40	157.64	78.88
10.	जम्मू और कश्मीर	192.85	118.50	311.43	226.00	474.93	294.80	65.50	55.95
11.	झारखंड	0	0	0	0	206.49	86.56	80.00	24.00
12.	कर्नाटक	397.48	226.60	890.70	494.20	489.30	245.40	254.76	138.00
13	केरल	668.20	435.50	772.28	357.10	717.60	329.50	680.08	284.20
14.	मध्य प्रदेश	484.01	274.00	435.85	185.10	262.33	86.24	256.37	104.00
15.	महाराष्ट्र	483.77	315.60	1033.90	379.40	282.69	97.40	1128.20	306.920
16.	मणिपुर	140.49	41.40	229.00	70.10	782.77	234.90	0	0
17.	मेघालय	120.48	37.50	80.72	22.51	105.59	46.10	87.87	36.95
18.	मिजोरम	203.34	188.30	297.23	280.70	311.19	259.70	73.25	44.20
19.	नागालैंड	230.24	159.70	281.80	279.40	156.53	95.95	41.54	22.70
20.	उड़ीसा	178.60	56.30	305.43	136.60	156.94	47.07	38.05	27.12
21.	पंजाब	241.29	232.90	175.00	56.43	203.50	61.33	17.50	12.34
22.	राजस्थान	436.28	237.70	131.22	58.34	454.96	150.30	5.00	2.50
23.	सिक्किम	147.03	102.10	127.93	79.34	368.62	267.60	108.83	62.29
24.	तमिलनाडु	316.20	218.80	531.95	208.60	122.83	36.85	533.67	139.60
25.	त्रिपुरा	169.21	127.30	340.76	212.80	333.23	151.60	114.40	55.55
26.	उत्तरांचल	0	0	0	0	70.19	29.78	65.51	40.79
27.	उत्तर प्रदेश	789.65	533.70	749.57	287.10	423.99	171.20	55.74	44.67
28.	प. बंगाल	211.13	132.60	194.01	76.56	432.99	295.90	229.85	98.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान और निकोबार	162.50	62.00	32.37	16.18	1.78	0.89	0	0
30.	चण्डीगढ़	52.29	52.29	68.44	22.31	22.13	16.14	8.00	7.12
31.	दादरा एवं नागर हवेली	20.00	6.00	30.00	9.00	8.00	2.40	3.70	1.85
32.	दिल्ली	223.88	128.50	24.50	12.20	17.70	9.99	65.01	37.30
33.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	5.00	1.50
34.	लक्षद्वीप	29.00	13.80	0	0	0	0	17.00	5.10
35.	पांडिचेरी	15.00	12.00	163.89	73.73	26.18	9.09	78.61	55.98
	जोड़	8544.93	5036.69	9648.08	4817.06	8647.67	4006.40	5609.35	2418.02

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, भारत में पर्यटन की दिशा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। भारत में अन्य देशों की तुलना में जितना किया गया है वह बहुत कम है। माननीय जगमोहन जी की रुचि का यह विषय है और जब वह जम्मू-कश्मीर में थे तो वैष्णो देवी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और जिसके लिए वे जाने भी जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसी कौन-कौनसी योजनाएं हैं जिनको कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है जिससे पर्यटन के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर लाने का कार्य किया जा सके और विशेषकर मध्य प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिनको कार्यान्वित करने की उनकी योजना है।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, जहां तक दसवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध है हमने पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया है। जैसा कि मैंने एक दिन इस सम्माननीय सदन को यह स्पष्ट किया था, इस बार कई ऐसे केन्द्र हैं, सांस्कृतिक केन्द्र-सह-पर्यटन-सह-नागरिक अभिशासन केन्द्र जैसे कई केन्द्र हैं। प्रत्येक राज्य में कम से कम ऐसा एक केन्द्र प्रदान किया जा रहा है। वास्तव में, मध्य प्रदेश को स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए कि वहां तीन केन्द्र है। एक भीमबतक, भोपाल-सांची के आस-पास है, दूसरा खजुराहो के आसपास है, और तीसरा ग्वालियर के आसपास है। ये सभी ऐतिहासिक स्थल है और इसमें काफी धन का निवेश किया गया है। तत्संबंधी योजनाएं पहले से ही चल रही है।

उसके अलावा इस राज्य में खजुराहो, शिवपुरी और चंदेरी में दो-दो करोड़ रुपयों की लागत से तीन जैन संग्रहालयों की स्थापना की जा रही। इस प्रकार चंदेरी, खजुराहो और शिवपुरी में इन जैन संग्रहालयों पर 6 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसके अलावा शिवपुरी में जंगल होने के कारण बहुत काम किया जा रहा है। टाऊनहाल को सुरक्षित रखा गया है। कई स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है जिसमें किले का एक हिस्सा भी शामिल है जहां काम चल रहा है। इसलिए, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व तथा इसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए अधिकतम ध्यान दिया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2900 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन सांस्कृतिक केन्द्रों के अलावा, जैसा कि मैंने मध्य प्रदेश में उल्लेख किया है, महाराष्ट्र, अजन्ता, एलोरा और एलीफेन्टा गुफाएं तथा हरियाणा, कुरुक्षेत्र इत्यादि स्थानों में भी हम 11 तारीख को एक बड़ा समारोह करने वाले हैं।

इसके अलावा, बड़े पर्यटन सर्किटों की योजना तैयार की जा रही है और इन पर कुछ समय से वास्तव में कार्य चल रहा है। इन सभी परियोजनाओ से सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह मेरा विचार है, और हमने प्रत्येक राज्य में काम आरम्भ कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: यह देखा गया है कि जहां-जहां पर्यटन क्षेत्र विकसित करने का काम किया जा रहा है — जैसे ग्वालियर का ऐतिहासिक किला है, उसके आसपास बहुत पहले से कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग उसके अन्दर मैदान में रहते हैं लेकिन वहां भय का वातावरण है कि पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए इस किले का उपयोग किया जाएगा और इसे स्मारक के रूप में घोषित करके पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। क्या आप ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था करेंगे क्योंकि वे अनेक वर्षों से वहां बसे हैं। उनको अगर अन्यत्र ले जाने की बात कर रहे हैं तो क्या उन्हें कोई जगह देंगे या उनके सौन्दर्यकरण को व्यवस्थित करते हुए बसाने की व्यवस्था करेंगे? क्या वहां के लिए ऐसी कोई योजना है? अन्य स्थानों के लिए भी मेरा इसी आशय का प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : जी, हां। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, हमारे पर्यटन केन्द्र का मूल विचार यह है कि हमारा साफ सुथरा नागरिक प्रशासन होना चाहिए। गत 50 वर्षों के दौरान हमारे पर्यटन को बढ़ावा न मिलने का एक कारण यह है कि हमने अपने स्मारकों के आसपास इस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया कि वहां भिखारी हैं, धूल है, अस्वच्छता है, झुग्गी-झोपड़ियां हैं और टूटी फूटी दुकानें हैं। ये अवैध और अनाधिकृत हैं मैं निश्चित रूप से उन पुराने स्मारकों की सुरक्षा करूंगा तथा उन लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। वास्तव में, मैंने कहीं भी लोगों का पुनर्वास किए बिना उन्हें हटाया नहीं है। इसलिए, पुनर्वास का कार्य किया जाएगा परंतु जिन लोगों ने वहां निर्माण कार्य जारी रखा है उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा क्योंकि इसे किसी भी तरह रोकना होगा।

मैं स्वयं ग्वालियर का किला देखने गया था, वहां पर अब भी भारी संख्या में अवैध निर्माण का काम चल रहा है। रास्तों तक पर कब्जा किया जा रहा है। यहां तक कि प्राचीन स्मारकों का भी अतिक्रमण किया गया है इन सभी बातों को इस कार्यक्रम में स्पष्ट किया जाएगा जिसे पहले ही शुरू किया जा चुका है कुछ स्थानों पर यह काम पहले ही हो चुका है उस क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। हम उस धन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अगर वहां झुग्गी झोंपड़ी कायम रहती है तो वहां कौन आएगा? इसलिए, उन लोगों का पुनर्वास किया जाएगा परंतु नए अतिक्रमण करने वालों को किसी भी कीमत पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र सरकार ऐसे किसी क्षेत्र में सहायता नहीं देगी जहां वे अवैध निर्माण की अनुमति देते हैं। यदि अतिक्रमणों को नहीं हटाया जाता तो हम केन्द्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कोई सहायता नहीं देंगे।

मैंने अजंता के बारे में बताया है जहां हमने पुनर्वास किया है और कुरुक्षेत्र, थानेश्वर के किले का भी उल्लेख किया है जिसमें, वहां रहने वाले लोगों का पुनर्वास किया गया है। उन्हें सही जगहों पर बसाया गया है और वे खुश हैं। वे नए स्थानों में अपने काम धन्धों को भलीभांति कर सकेंगे।

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र से आता हूं। जैसे आप जानते हैं कि जैसलमेर, जहां एक सोनार किला करीब साढ़े आठ सौ साल पुराना है, दुनिया के कई लोग उसे आठवां वर्ल्ड वंडर कहते हैं। वहां हवेलियां हैं और वहां वुड फॉसिल्स हैं जो करीब चार हजार साल पुरानी हैं। वहां कुदरत की दी सैंड-ड्यून्स हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां मैचिंग इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने भी कुछ प्रपोजल्स भेजे थे परन्तु वे ठंडे बस्ते में पड़े हैं। मैंने इस विषय को यहां कई बार उठाया है और आपने कहा हम कुछ करेंगे। आप टूरिज्म में इंटरस्ट भी ले रहे हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। मेरी प्रार्थना है कि टूरिस्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आप कुछ करें क्योंकि हर तीसरा टूरिस्ट जो हिन्दुस्तान आता है, वह जयपुर जरूर आता है और उनमें से आधे से ज्यादा जैसलमेर आते हैं लेकिन पिछले दो-तीन साल से इसमें कमी आ रही है। कमी की वजह दूसरी सुविधाओं का न होना है। वहां अच्छे होटल नहीं हैं। वहां इंडियन एअरलाइन्स की पिछले तीन साल से लगातार फ्लाइट थी लेकिन अफसोस की बात है कि उसे इस साल बंद कर दिया। दो बार डिक्लेयर करने के बाद उसे बंद कर दिया क्योंकि उसमें कुछ लोगों का वैस्टिड इंटरस्ट था। जोधपुर में जो होटल्स हैं, वे नहीं चाहते कि वहां से सीधे फ्लाइट जैसलमेर जाए। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जिस पैकेज की मांग की है, उसे देखते हुए टूरिज्म को बढ़ावा दें। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, उनकी भी सदन में घोषणा करें।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि मैं स्वयं जैसलमेर गया था और वहां जाकर पूरी स्थिति की समीक्षा की थी। केन्द्र सरकार ने एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। राज्य सरकार से परामर्श किया गया है। जब मैं वहां गया तो वहां मेरे अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ-साथ पर्यटन राज्य मंत्री भी थे। मैं अपने साथ-साथ योजना निर्माताओं को भी ले गया था। हमने इस किले को बचाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया है। अन्यथा, जिस तरह से पिछले 30 से 40 वर्षों से हालात

चल रहे थे, मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह किला जल निकास और अन्य समस्याओं के कारण ढह जाएगा। 5 करोड़ से अधिक रुपए की लागत वाली एक बहुत महत्वपूर्ण योजना तैयार की गई है। इससे न केवल किले को बचाने में मदद मिलेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि किला कायम रहे और किले की विशेषताएं उजागर हों।

इस संबंध में एक प्रमुख समस्या — मैं आपको बताना चाहूंगा और उस क्षेत्र के संसद सदस्य के रूप में आप संभवत: इस बात से सहमत होंगे यह समस्या किले के अंदर अतिक्रमण से संबंधित है। किले के अंदर लोगों की इमारते हैं। किले के अंदर विभिन्न प्रकार की दुकानें और इमारते हैं। यदि ये चीजें वहां कायम रहती हैं तो इस किले को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इसका कारण है कि वास्तुशिल्पीय विशेषताएं तभी कायम रखी जा सकती हैं जब मूल योजना को बचाया जाए और मूल योजना को बचाने के लिए हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है जो मुझे उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देता। मैंने इस बात को पर्यटन राज्य मंत्री और अधिकारियों को भी स्पष्ट किया है। वे मेरी बात से सहमत हैं और उन्होंने कहा कि वे उन लोगों के लिए कोई अन्य स्थान देखेंगे। उस क्षेत्र के आसपास कई सुंदर जैन मंदिर हैं। वे सभी स्वीकृत योजनाएं हैं। वहां काम चल रहा है। ये सभी जैसलमेर और कई अन्य आसपास के क्षेत्रों के आकर्षण में वृद्धि करेंगे। जोधपुर से जैसलमेर और जयपुर से जैसलमेर तक के नगरों को जोड़ा जा रहा है और आनेवाले समय में जैसलमेर एक सुंदर नगर होगा। परंतु मेरा एकमात्र अनुरोध अतिक्रमण हटाने के बारे में है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : महोदय, विश्व में केवल यही किला है जिसमें बसावट है। इस किले के भीतर लगभग 5000 लोग रहते हैं। राज्य सरकार के लिए उनका पुनर्वास करना संभव नहीं है। आपको कुछ पैकेज देना चाहिए ताकि उन्हें किले से हटाकर किसी अन्य स्थान में बसाया जा सके। राज्य सरकार यह नहीं कर सकती।

श्री जगमोहन : पुनर्वास किया जाएगा।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से केरल में पर्यटन के बारे में प्रश्न पूछूंगी।

महोदय, पर्यटन के विश्व मानचित्र में, केरल का स्थान काफी ऊपर है। 'डेस्टिनेशन केरल' अंतर्राष्ट्रीय और देशी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है इसका विशेष कारण यह है कि लोगों में अपने परिवेश के प्रति अत्यंत जागरुकता है तथा राज्य में बैकवाटर पश्चजल तथा सांस्कृतिक विरासत सहित सौंदर्य विद्यमान है।

महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए एक वक्तव्य में यह कहा गया है कि पर्यटन मंत्रालय ने नई योजनाएं शुरू की हैं। मेरा विशेष प्रश्न यह है। केरल राज्य के लिए और कौन-कौन सी नई योजनाओं पर विचार किया गया है? क्या केवल केरल मे ही नहीं परंतु राष्ट्रीय स्तर पर भी 'स्टीम ट्रेन हेरीटेज' को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री जगमोहन : महोदय, सभी जानते हैं कि केरल में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं और केरल ने इस दिशा में काफी अच्छा काम किया है। मैंने केरल का चार बार दौरा किया है। फोर्ट कोचीन क्षेत्र का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जा रहा है। वहां काम चल रहा है और काफी विकास हुआ है।

पर्यटन राज्य मंत्री मेरे साथ थे। केरल में न केवल बैकवाटर विकास के लिए बल्कि स्वास्थ्य पर्यटन, योग पर्यटन इत्यादि के विकास हेतु भी कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। यह काम चल रहा है।

महोदय, 'वाष्प गाड़ी' परियोजना के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह परियोजना जारी है। कुछ दिन पहले हमने अशोक होटल में 'वाष्प इंजिन पर्यटन' पर एक प्रदर्शनी लगाई थी। हम इसे बढ़ावा दे रहे हैं और हम इसे यथासंभव शुरू करने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री जगमोहन जी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में दसवीं योजना की चर्चा की। लेकिन विगत कुछ वर्षों के दौरान देश के अंदर पर्यटन को सबसे ज्यादा महत्व देने की दृष्टि से और उसे एक बिजनेस के तौर पर देखने की आवश्यकता है। ऐसा होते हुए भी वर्ष 2000-2001 में करीब 8647 करोड़ रुपये का अनुमान बनता है और प्रत्यक्ष तौर पर 4 हजार करोड़ रुपये यानी उसमें से लगभग पचास परसेन्ट धन खर्च हुआ है। इसी प्रकार से 7609 करोड़ रुपये में से पिछले दस महीनों में 2418 करोड़ रुपये आबंटित हुए हैं। क्या अभी बाकी लगभग तीन महीनों में आप बची हुई धनराशि दे सकेंगे।

एक तरफ पूरे देश में राजस्थान का नाम पर्यटन की दृष्टि से सबसे पहले क्रमांक में लिया जाता है, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हम करते हैं और राजस्थान में 150 करोड़ रुपये जो इसके लिए आबंटित किये हैं, उसमें से सिर्फ ढाई करोड़ रुपये ही उठाये गये हैं। इसका क्या कारण है? दूसरी तरफ होटल इंडस्ट्री है। जो होटल खोल रहे हैं, उनको दस साल से सब्सिडी देने की बात करते हैं लेकिन सब्सिडी

उनको नहीं मिलती है। इस प्रकार पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा? इसके लिए आपकी क्या योजना है? क्या राज्य सरकार आपको सहयोग नहीं कर रही है जिसके कारण पैसा नहीं उठाया जा रहा है?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : यह मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सदस्य ने गत कुछ वर्षों के आंकड़े पढ़कर सुनाए हैं परन्तु इस वर्ष के नहीं। हमारी शिकायत यह है कि यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा काफी धन स्वीकृत किया गया और केन्द्र सरकार ने कई परियोजनाओं को स्वीकृत किया है, दुर्भाग्यवश राज्य सरकार उन स्वीकृतियों का उपयोग करने और उन परियाजनाओं को लागू नहीं कर सकी है।

मैं आपको उन आंकड़ों के संबंध में बताना चाहूंगा, जो मेरे पास उपलब्ध है। ये इस देश में प्रशासन की संस्कृति के बारे में बताते हैं। वर्ष 1987 से 1992 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत 345 परियोजनाओं में से 70 परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं। 1992 से 1997 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी परियोजनाओं की नियति कुछ भिन्न नहीं थी। स्वीकृत 595 योजनाओं में से लगभग 538 परियोजनाएं अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं। वर्ष 1997 से 2002 तक की नौवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा ही निराशाजनक निष्पादन देखा गया है। स्वीकृत 1365 परियोजनाओं में से लगभग 1160 परियोजनाओं को अभी कार्यान्वयित किया जाना बाकी है। राज्य सरकारों की कार्यान्वियन एजेंसियों का कार्य-निष्पादन ऐसा है।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, उन सभी परियोजनाओं को हमारे द्वारा व्यक्तिगत रूप में निपटाया जाता है। हम स्वयं इन परियोजनाओं को राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य एजेन्सियां नियुक्त करके क्षेत्र में परिणाम प्राप्त करते हुये कार्यान्वित कर रहे हैं। कम या अधिक शत-प्रतिशत व्यय किया जा चुका है अथवा करना निश्चित हो चुका है। हम वित्त मंत्रालय से इसके लिए अधिक निधियों का प्रावधान करने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि इस वर्ष हमें जो बजट आबंटन मिला वह पिछले वर्ष की तुलना से डेढ़ गुणा अधिक है और यह भी व्यय हो चुका है। हम और अधिक की मांग कर रहे हैं और वे हमारे कार्यनिष्पादन को देखते हुए इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री शिवराज वि० पाटील : भारत विविधतापूर्ण देश है यहां विशाल पर्वत हैं, यहां सुन्दर तट हैं, यहां मरूभूमि हैं, यहां किले, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हैं। यहां विभिन्न प्रकार के नृत्य और संगीत हैं। भारत में जो है वह अन्य देशों से भिन्न है। इसलिए पर्यटक वही चीजें देखने भारत नहीं आते हैं जो वे पश्चिम में देखते हैं अपितु वे कुछ अलग और नई चीज देखना चाहते हैं।

तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि इस प्रकार की सम्पदा हमारे पास है, हमारे पास पर्याप्त सड़कें नहीं हैं, हमारे पास होटल नहीं हैं, हमारे पास आवासीय सुविधाएं नहीं हैं और हमारे पास परिवहन सुविधाएं नहीं हैं। वे स्थान जहां पर्यटक जा सकते हैं को साफ-सुथरा नहीं रखा जाता है। यही कारण है कि पर्यटक भारत की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि भिखारियों के कारण पर्यटक नहीं आ रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण गलत है। यहां जो नहीं है वह पेशेवर अंदाज है, दृष्टि का अभाव है, योजना का अभाव है इस तथ्य की पहचान नहीं है कि भविष्य में भारत में और विश्व में पर्यटन अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि बनने जा रहा है।

क्या सरकार व्यापक पर्यटन योजना बनाएगी और यह देखेगी कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रयासों के माध्यम से उस योजना को कार्यान्वित कराएगी, क्या इस प्रयोजन के लिए उन्हें पर्याप्त निधियां मिलेंगी और क्या वे भारत में पर्यटन के प्रति पेशेवर दृष्टिकोण रखेंगे?

श्री जगमोहन : महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर माननीय सदस्य को देना होगा क्योंकि वही पिछले कई वर्षों से सभा में रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : यह तो मात्र उत्तर देने के उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास है।

श्री जगमोहन : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह एक अलग मुद्दा है।

मैं पहले ही इंगित कर चुका हूं कि अलग-अलग दृष्टिकोण रखे गए हैं, एक अलग विचार और अलग मानदंड स्वीकार किया गया है, और शासन की अलग संस्कृति स्थापित की गई है। अब शासन की नई शैली है और पिछले एक वर्ष के दौरान सबने इसके परिणाम देखे हैं। ये बात है।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न के संबंध में भिखारी का मैंने उल्लेख नहीं किया है, मैंने सामान्य दशा के बारे में कहा है। हम में से अधिकांश सहमत हैं कि पर्यटन सभ्यतागत मुद्दा होगा। जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, जिस तरह से व्यक्ति का स्वागत टैक्सीवालों द्वारा किया जाता है, हवाई अड्डा पर व्यक्ति का स्वागत कैसे होता है, ये सारी सभ्यता से जुड़ी बातें हैं जिन्हें मैं नजरअन्दाज नहीं कर रहा हूं।

नई परियोजनाओं में एक मुख्य मुद्दे जिसपर मैंने विचार किया है वह यह कि प्रत्येक परियोजना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यटक को जब वह इन स्थानों पर जाता है तो उसे शारीरिक रूप

से नवस्फूर्ति महसूस करना चाहिए, जब वह वहां जाता है तो उसे मानसिक रूप से नवजीवन मिलना चाहिए, उसे हमारी संस्कृति की विविधताओं से सांस्कृतिक रूप से लाभ होना चाहिए और फिर उसे आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना चाहिए क्योंकि हमारे पास विगत से सभ्यता से जुड़े मूल्य हैं। और जब वह अपने देश वापस जाएं तो अपने साथ एक भारत को संजो कर ले जाएं इससे भावनात्मक लगाव होना चाहिये। इसलिए यह नया विचार है, शासन की नई शैली है, परिणामोन्मुखी नई शैली है। परिणाम निकले हैं जिसे कोई भी देख सकता है। इन सभी राज्यों में परियोजनाएं चल रही हैं।

कुरुक्षेत्र जाइये और देखिए कि नई परियोजना गीता फोर दि मॉडर्न मैन कैसे कार्यान्वित की जा रही है। माननीय सदस्य ने कहा कि भारत को कुछ अलग करना चाहिए। वास्तविकता में ऐसा कुछ अलग हो रहा हैं मैं आपसे एक दिन वहां जाने का अनुरोध करता हूं। परसों, 11 तारीख को ही माननीय उपराष्ट्रपति इसका उद्घाटन करने वहां जा रहे हैं। वहां परियोजना है। ज्योति सरोवर वहां पर है। अतः, हमने एक नई लाइन सोची है, हमने एक नई दृष्टि रखी है, और उसके परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को कुरुक्षेत्र पधारने का नियंत्रण देता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, विश्व में कुछ ही नगर हैं जहां समुद्र हैं अथवा जिससे होकर नदियां बहती है। कोलकाता भी एक ऐसा शहर जिससे होकर गंगा बहती है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें 'पर्वतों की रानी' दार्जीलिंग स्थित है। कश्मीर से होकर श्रीनगर मार्ग इस समय आतंकवादी गतिविधियों और अन्य कारणों से अब पूरी तरह से बंद है। पर्वतों की रानी के रूप में जानी जाने वाली दार्जीलिंग अपनी बेहतरीन सुंदरता के साथ और 12000 फुट से ऊंचाई पर सन्डकफू का विश्व के पर्यटन मानचित्र में कोई स्थान नहीं है।

इसी प्रकार, गंगा नदी की दशा भी अत्यन्त खराब है। इसलिए, यदि – जैसाकि मुम्बई में किया गया है जहां मेरिन ड्राइव को क्वीन्स नेकलेस कहे जाने वाले सुन्दर गले के हार के रूप में विकसित किया गया है जो कि पूरे विश्व में पर्यटन आकर्षण बन गया है – कोलकाता सिटी में गंगा नदी के तट के सौन्दर्यीकरण और विकास का प्रस्ताव आपके सामने रखा जाता है। गंगा नदी के सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव जिस पर अभी कलकता पत्तन न्यास और नौवहन मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है, क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे अभी हमें सूचित करेंगे?

श्री जगमोहन : यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोलकाता में भी हमने कई योजनाएं शुरू की हैं। हुगली और गंगा नदियों के किनारे की दशा, विशेषकर इसलिए कि हुगली नदी विवेकानन्द मंदिर के रूप में प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर के तट को काट रहा है, माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं। हमने एक योजना बनाई है। हमने उस मंदिर को बचाने के लिए 90 लाख रुपये का बिल देने के लिए नौवहन मंत्रालय से कहा है। नौवहन मंत्रालय की अपनी तकनीकी आपत्तियां और समस्याएं हैं। इसलिए, हमने योजना को स्वीकार किया है और उस परियोजना को शुरू करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के परामर्श से धन स्वीकृत कर रहे है। यह कार्य चलता रहेगा। यदि आप कोई प्रस्ताव रखेंगे तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

विवेकानन्द यात्रा के संबंध में हमारी एक बहुत बड़ी परियोजना हैं और हम उन सभी स्थानों को देखेंगे जहां विवेकानंद जी गए थे।

महोदय, एक माननीय महिला सदस्य ने केरल के बारे में पूछा। मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल में भी हमने कलाडी से कश्मीर तक एक अत्यन्त ही बड़ी योजना तैयार की है।

इसलिए ये सभी तीनों यात्राएं – शंकराचार्य द्वारा की गई यात्राएं, विवेकानंद जी द्वारा की गई यात्राएं और पोरबंदर से राजघाट तक सभी जगह जहां गांधी जी गए – के बारे मे बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाइ जा रही है। मैं आश्वस्त हूं कि इससे भारत की छवि बदलेगी। यह महान सांस्कृतिक पुनरुत्थान की परियोजना है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : क्या आप स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान को भी देखेंगे? यहां काफी संख्या में युवक जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था।

श्री जगमोहन : जी हां, हम अपनी परियोजना में स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान पर भी विचार करेंगे। इन सभी मंदिरों का संरक्षण किया जा रहा है। हम इन सभी परियोजनाओं पर भारी राशि खर्च कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं० 264 – श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य पर्यटक स्थलों से चुनकर आते हैं, उन सदस्यों को तो कम से कम सवाल पूछने की अनुमति मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)* हमें कितनी बार सवाल पूछने का अवसर मिलता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आप दूसरे माध्यम से चर्चा करवा सकते हैं। उस समय मैं आपको प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : खुजराहो हिन्दुस्तान का प्रमुख पर्यटन स्थल है। आज उसकी स्थिति के बारे में हम कुछ सवाल यहां पूछ पाते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, आप इस प्रश्न पर पहले ही आधा घंटा ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कम से कम उन सदस्यों को जो पर्यटक स्थलों से चुनकर आते हैं, उनको एक सवाल उठाने का अवसर तो मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि इस प्रश्न को लिये हुए आधा घंटा हो गया है। इससे ज्यादा टाइम इस प्रश्न को और नहीं मिल सकता है।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं इसे मानता हूं लेकिन हम लोग वहां की ग्राउंड रियेल्टी को जानते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रश्न से आधे घंटे की चर्चा अथवा किसी अन्य माध्यम से यह प्रश्न उठाना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी अनुमति देने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इस संबंध में नोटिस दे दीजिए। मैं आपको उस समय इजाजत दे दूंगा।

आर्थिक मंदी की मार झेल रहे किसान

264. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय किसान विश्व व्यापार संगठन समझौते के बाद से आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व व्यापार संगठन के समझौते के बाद भारतीय किसानों को अपने उत्पादों का लाभकारी सरकारी मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्ष के दौरान भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) विश्व व्यापार संठन करार दिनांक 1.1.1995 से अस्तित्व में आया। वर्ष 1990-91 से कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर, कृषि उत्पादों का वार्षिक आयात, कृषि उत्पादों का निर्यात तथा कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार संतुलन और व्यापार के मानदंड निम्न प्रकार रहे हैं:

वर्ष	कृषि में घटक लागत पर सफल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर (1993-94 मूल्य पर) %	कृषि आयात (करोड़ रु०)	कृषि निर्यात (करोड़ रु०)	कृषि व्यापार संतुलन (4-3)	व्यापार के मानदंडों की सूची (आई०टी०टी०)
1	2	3	4	5	6
1990-91	4.43	1205.86	6012.76	4806.9	101.9
1991-92	-1.85	1478.27	7838.13	6359.86	105.6

1	2	3	4	5	6
1992-93	6.22	2876.25	9040.30	6164.05	103.9
1993-94	4.10	2327.33	12586.55	10259.22	103.6
1994-95	5.08	5937.21	13222.76	7285.55	106.6
1995-96	-1.13	5890.10	20397.74	14507.64	105.3
1996-97	10.10	6612.60	24161.29	17548.69	103.1
1997-98	-2.82	8784.19	24843.45	16059.26	105.6
1998-99	6.87	14566.48	25510.64	10944.16	105.2
1999-00	1.04	16066.73	25313.66	9246.93	104.2
2000-01	-042*	12086.23	28657.37	16571.14	101.2+
2001-02	5.93**	16252.23+	29485.85+	13233.62	उ०न०

* त्वरित अनुमान उ०न० - उपलब्ध नहीं

** अग्रिम अनुमान + अनन्तिम

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, विश्व व्यापार संगठन करार के पश्चात् कृषि वृद्धि प्रवृत्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। इसी प्रकार, कृषि उत्पादों में निर्यात-आयात की प्रवृत्ति में भी व्यापक-स्तर पर विश्व व्यापार संगठन करार की बाद की अवधि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया। इसके अलावा, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार के मानदंड नब्बे के दशक के दौरान कृषि के अनुकूल रहे हैं।

पिछलते तीन वर्षों में किसानों की आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। तथापि, पिछले 50 वर्षों में विभिन्न सार्वजनिक नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए तथा किसानों की समस्याओं से संबंधित अन्य उपाय करने के लिए सरकार द्वारा ''भारतीय किसानों की स्थिति — एक सहस्त्राब्दि अध्ययन'' नामक एक विशेष अध्ययन शुरू किया गया है'

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। पिछले कुछ वर्षों से भारत के किसान आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। किसी न किसी प्रदेश में रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। मैंने मंत्री जी से यह सवाल पूछा था कि क्या डब्ल्यू०टी०ओ० के समझौते के बाद भारतीय किसानों की आर्थिक हालत कमजोर हुई है और भारत सरकार ने कभी इसका सर्वेक्षण कराया है? यदि सर्वेक्षण कराया है तो वर्तमान समय में भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति क्या है? इसी के साथ मैं स्पेसीफिक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि किन-किन देशों से भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात, मात्रा, उपलब्धता पर अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं? किन-किन देशों में दूध, मक्खन वगैरह भारत से आयात किये जा रहे हैं और किन-किन देशों ने इन पर प्रतिबंध लगाया है और क्या भारत सरकार ने डब्ल्यू०टी०ओ० के तहत उन पर कार्रवाई की है?

श्री अजित सिंह : माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है कि डब्ल्यू०टी०ओ० के समझौते के कारण किसानों को समस्याएं हुई हैं। यह हम मान रहे हैं कि किसानों को समस्याएं हुई हैं। इस पर आठ घंटे चर्चा भी हुई है। आज शाम को भी इस मुद्दे पर बहस होगी तब भी यही सवाल उठाये जायेंगे। लेकिन यह सही नहीं है डब्ल्यू०टी०ओ० के समझौते से ही किसानों को समस्याएं हुई हैं, जो डेटा हमारे पास

उपलब्ध है या मैंने इनके प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उससे कभी समस्याएं बढ़ी हैं तो कभी कम हुई हैं। कभी ग्रोथ बढ़ी है और कभी कम हुई है, यह डब्ल्यू०टी०ओ० के समझौते के पहले और बाद दोनों अवधि में हुई है लेकिन किस देश से कौन सी चीजें जैसे दूध बटर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो रही हैं, उसका डेटा देने के लिए समय चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत से देश डब्ल्यू०टी०ओ० के सदस्य हैं। एग्रीमेंट के तहत कुछ देशों के कुछ सामान मंगवा सकते हैं लेकिन कोई ऐसा ब्लैंकट बैन डब्ल्यू०टी०ओ० में नहीं है कि किस देश से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करें।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जब से विश्व व्यापार संगठन का समझौता हुआ है तब से कई बार हमें अखबारों के माध्यम से या दूसरी जगहों से यह जानकारी मिली है कि भारत सरकार किसानों की सबसिडी कम कर रही है जबकि डब्ल्यू०टी०ओ० के समझौते में यह प्रावधान है कि किसान की सबसिडी को बढ़ाया जायेगा न कि कम किया जायेगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि विश्व व्यापार संगठन के समझौते के बाद क्या भारत के किसानों की सबसिडी बढ़ाने के बारे में विचार किया गया है और यदि किया गया है तो क्या सबसिडी बढ़ाई जा रही है? मंत्री महोदय ने पिछले बजट में बातें रखी थीं बीस कृषि ज़ोन्स से उनका निर्यात करेंगे। क्या कृषि ज़ोन्स से उनके निर्यात को लागू करने के बारे में भारत सारकर ने विचार किया है? वह कब तक लागू हो जाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आज चर्चा हो रही है तभी आप प्रश्न उठाइए। दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। मैं सब माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि वे बाद में प्रश्न उठा सकते हैं। जिन माननीय सदस्य का प्रश्न है, मैं केवल उनको ही इजाजत दे रहा हूं।

श्री अजित सिंह : डब्ल्यू०टी०ओ० को जो ऐग्रीमैंट 1995 में प्रभावी हुआ था, उसके अनुसार विकसित देशों को अपनी सबसिडी कम करनी थी और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग प्रावधान थे। जहां तक हिन्दुस्तान का सवाल है, जितना हमारा ऐग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसका दस प्रतिशत सबसिडी हम दे सकते हैं हम उतनी सबसिडी भी नहीं दे पा रहे हैं। डब्ल्यू०टी०ओ० के अंडर सबसिडी कम करें या ज्यादा करें, हमारे देश के सामने यह समस्या नहीं है, हमारे सामने समस्या अपने संसाधनों को देखते हुए है कि हम किसानों को किस तरह सबसिडी दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : मेरा पहला प्रश्न था कि दूध आयात किया जा रहा है या नहीं। उसका जवाब नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी प्रक्रियात्मक मुद्दे

265. **श्रीमती प्रभा राव :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में "न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी प्रक्रियात्मक मुद्दे" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में भाग लेने वाले विशेषज्ञों का ब्यौरा क्या है और संगोष्ठी में की गई चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण संबंधी मौजूदा प्रक्रिया की आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इन सिफारिशों से खाद्यान्नों की कीमतों का निर्धारण करने संबंधी दीर्घकालिक नीति को अंतिम रूप देने में कितनी मदद मिलेगी?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। "न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी प्रक्रियात्मक मुद्दे" पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी 6 एवं 7 नवम्बर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। राष्ट्रीय सेमिनार के भागीदारों में माननीय सांसद, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अधिकारी, विद्धद्जन, किसान एवं कृषक संघ शामिल थे। सहभागियों की सूची अनुबंध-I में दी गयी है। सेमिनार के विचार विमर्श में (i) न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के मापदंड; (ii) न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में वर्तमान लागत अवधारनाओं के उपयोग करने के लिए तर्काधार; (iii) खेती की लागत पर आंकड़ों की गुणवत्ता; और (iv) विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की फसल संबंधी विशिष्ट समस्याएं कवर की गई हैं।

(ग) से (ड) सेमिनार ने कृषि जिंसों हेतु मूल्य नीति के विभिन्न आयामों पर विचारों के मुक्त और स्पष्ट विनिमय हेतु एक मंच प्रदान किया है। सहभागियों ने भूमि-जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग हेतु कृषि नीति के जरिये उपयुक्त संकेत देने की आवश्यकता पर जोर दिया। खेती की लागत पर आंकड़े की गुणवत्ता में सुधार करने तथा (क) पारिवारिक श्रम, (ख) भूमि का रेन्टल मूल्य, और (ग) पूंजी पर ब्याज का मूल्य निकालने में अनुसरण की जाने वाली पद्धत्तियों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। सेमिनार का मुख्य निष्कर्ष अनुबंध-II में दिया गया है। सहभागियों द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर लिया गया। ये सुझाव नीति-निर्माण और कृषि लागत और मूल्यों से संबंधित निर्णयों में सहायक होंगे। खाद्यान्नों और अन्य कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय ये निष्कर्ष/सुझाव, जो सेमिनार के दौरान सामने आये हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के लिए काफी महत्व के होंगे।

अनुबंध-I

सेमिनार में सहभागियों की सूची

श्री अजित सिंह — अध्यक्ष
केन्द्रीय कृषि मंत्री

संसद सदस्य

कर्नल (रिटायर्ड) सोना राम, संसद सदस्य
181, अजी कालोनी, जोधपुर, राजस्थान

श्री कान्ती लाल भूरिया, संसद सदस्य
8, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली

डा० सुदर्शना ई०एम० नटचीअप्पन, संसद सदस्य
जेया मधन 4, साथियामूर्ति स्ट्रीट,
शिवगंगा-630 561, तमिलनाडु

श्रीमती रेणुका चौधरी, संसद सदस्य
मकान नं० 8-2-680, रोड नं० 12]
बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

कृषक एवं उनके संगठन

श्री युद्धवीर सिंह
महासचिव, राष्ट्रीय लोक दल
ग्राम व पो० महीपालपुर, नई दिल्ली

श्री अजमेर सिंह लखोवाल,
ग्राम व पो० लखीवाल,
जिला लुधियाना, पंजाब

श्री विजय जवांधीया,
वर्धा महाराष्ट्र

श्री धन सिंह सहरावत,
97, नरदाने, तालुका माले गांव,
जिला नासिक, महाराष्ट्र

श्री कृष्णा राम सिद्ध,
R/o श्री वीर तेजाजी जाट विश्राम गृह,
भगत सिंह कालोनी, नोखा, बीकानेर, राजस्थान

श्री हरकेश मलिक,
ग्राम व पो० खुराना,
तहसील व जिला कैथल, हरियाणा

श्री रोहतास राठी,
ग्राम व पो० - बेहलबा,
तहसील मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा

डा० सरला मलिक, प्रोफेसर,
एम०डी० विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा

श्री जतिन्दर हुडा,
रोहतक, हरियाणा

श्री राम किशन महलवाल,
ग्राम व पो० बावल,
जिला रेवाड़ी, हरियाणा

श्री सुंडा राम वर्मा "कुमावत"
ग्राम-दन्ता, जिला सीकर, राजस्थान

श्री जी०एन० राजू यादव,
गुडुप्र मंडल, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

श्री के० चन्द्रशेखर राव, पोडोरोपुल्लू
कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

श्री आर०वी०के० मनोहर, पेदामदाली,
कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

श्री रामा कृष्णा राजू यादव,
गुन्डुरू मंडल, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

सरदार दर्शन सिंह तबिबा,
ग्राम हियातपुरा, पो० मच्छीवाडा,
जिला लुधियाना, पंजाब

श्री रणधीर सिंह शियोकंद
ग्राम जजनपुर, जिला कैथल, हरियाणा

श्री हरीचरण दास,
फिश ब्रिडिंग सेन्टर,
ग्राम-विद्यासागर पाली, अगरतल्ला, त्रिपुरा

श्री उदयोनन्द दास,
त्रिपुरा पश्चिम, त्रिपुरा

श्री बहादुर सिंह वर्मा,
ग्राम कैलर (सपरूं),
तहसील-सोलन, सोलन, हिमाचल प्रदेश

डा० एम० सीतारामा स्वामी, अध्यक्ष,
फैडरेशन आफ फार्मर एसोशिएशन,
फ्लैट सं० 209, विजय टावर्स, शान्ती नगर,
हैदराबाद-500 028, आंध्र प्रदेश

श्री सरनजीत सिंह,
महासचिव,
भारतीय किसान यूनियन, लुधियाना, पंजाब

श्री मनजीत सिंह कादीयान,
महासचिव,
भारतीय किसान यूनियन, लुधियाना, पंजाब

श्री विथोबा लच्छीराम दयांडयान,
जे०डी० स्टील स्टाना नाका, मालेगांव,
जिला नासिक, पिन-423203, महाराष्ट्र

श्री उम्मेद राम चौधरी,
तहसील ओसियान, जिला जोधपुर, राजस्थान

श्री रूप किशोर,
जिला बाडमेर, बी०के०यू०, राजस्थान

श्री किशन लाल माहिया,
पटेल नगर, जिला बिकानेर, राजस्थान

श्री मुकेश कुमार शर्मा,
धौलपुर, राजस्थान

श्री पवन कुमार शर्मा,
आफिस इंचार्ज, एन०जी०ओ०-ई०आर०डी०एस०,
भरतपुर, राजस्थान

जगदीश सिंह,
ग्राम व पो० बडाना, जिला जिंद, हरियाणा

श्री ओम पाल सिंह
ग्राम व पोस्ट जजनपुर, जिला कैथल, हरियाणा

श्री प्रमोद कुमार,
ग्राम भगवानगढ़ जिला यमुना नगर, हरियाणा

डा० रमेश चन्द,
प्रधान वैज्ञानिक,
एनसीएपी, आईएएसआरआई कैम्प्स, आईसीएआर,
नई दिल्ली-110012

प्रो० एस० बैसलेह,
चैयरमैन,
कर्नाटक राज्य कृषि मूल्य आयोग,
बंगलौर-560001

डा० एम०एस० भाटिया,
फ्लैट नं० 234, नीलकंठ अपार्टमैन्ट,
प्लाट नं० 49, सैक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085

प्रो० वी०एस० व्यास,
प्रोफेसर एमीरेटस
विकास अध्ययन संस्थान,
8-बी, झालना इंस्टीट्यूशनल ऐरिया, जयपुर-302004

प्रो० जी०के० चड्डा, उप कुलपति,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110067

डा० बी०के० थपलियाल,
निदेशक (सीएएस) एनआईआरडी, राजेन्द्र नगर,
हैदराबाद-500030, (आंध्र प्रदेश)

डा० पी०सी० बन्सिल, निदेशक,
टैक्नो-इक्नोमिक अनुसंधान संस्थान,
जे-7, साकेत, नई दिल्ली-110017

डा० पी० कुमार, निदेशक,
आई०ए०आर०आई०, पूसा, नई दिल्ली-110012

विशेषज्ञः अकेडमिक/अनुसंधान संस्थाएं :

प्रो० वाई०के० अलग,
45, सुरधारा बंगला, गोयल इंटरसिटी के पास,
थालतेज, अहमदाबाद, गुजरात

डा० बन्त सिंह,
फार्म अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र विभाग,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब

डा० के०के० जैन,
वरिष्ठ अर्थशास्त्री (क्वांटिटेटिव मैथड्स)
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब

डा० बी०आर० गर्ग,
फार्म अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विभाग,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब

डा० एस०एस० आचार्य,
निदेशक, विकास अध्यन संस्थान,
8 बी, झालना इंस्टीट्यूशनल ऐरिया, जयपुर-302004

डा० मृत्युंजय,
निदेशक,
एन०सी०ए०पी०, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली

प्रो० जी०एस० भल्ला,
नेशनल मिडिया सेन्टर, 40, शंकर चौक,
गुडगांव, हरियाणा

प्रो० अभिजीत सेन,
मकान नं० 1460, पूर्वांचल,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डा० एस०बी०एल० गुप्ता
मकान नं० 802 सैक्टर-21-ए,
फरीदाबाद-121001, हरियाणा

डा० जे०पी० सिंह,
एग्रो-इक्नोमिक रिसर्च सेन्टर,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

प्रो० एस० सूर्य प्रकाश, अवैतनिक निदेशक,
कोस्ट आफ कल्टीवेशन स्कीम,
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
जीकेवीके, बंगलौर-560065

डा० एस०एस० सिरोही,
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० सरकार,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007, उ०प्र०

श्री अजय कुमार,
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० सरकार,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007, उ०प्र०

श्री सुधीर,
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० सरकार,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007, उ०प्र०

डा० प्रभात कुमार,
निजी सचिव, केन्द्रीय कृषि मंत्री,
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली

डॉ० सुधीर कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर,
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० सरकार,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007, उ०प्र०

डा० एच०वी०एल० बटाला,
मद्रास अध्ययन विकास संस्थान,
सैकेंड मैन रोड, अडियार, चेन्नई, तमिलनाडु

श्री कांती लाल,
गोपाल कालोनी, झबुआ, मध्य प्रदेश

डा० श्याम भास्कर,
राष्ट्रीय सचिव, किसान मोर्चा,
11-अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

डा० बुद्धाजीराव रघुनाथराव, सदस्य,
राज्य कृषि मूल्य आयोग, महाराष्ट्र,
2, चेतन्या अपार्टमैन्ट्स, पुणे-411037

डा० शिवाजी, पूर्व सांसद,
707, वृन्दावन गार्डन, गुन्टूर-522006, आंध्र प्रदेश

कृषि सचिव : राज्य

श्री डी०एन० भगत,
अपर कृषि निदेशक,
बिहार सरकार, पटना-800015

डा० ए०जे०वी० प्रसाद, आईएएस
कृषि सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार,
डीकेएस भवन, रायपुर-492001

श्री एस०एम० हुडा,
अपर निदेशक, हरियाणा सरकार,
नया सचिवालय, चण्डीगढ़-160001

श्री जी० प्रकाश,
कृषि निदेशक,
कर्नाटक सरकार, बंगलौर-560001

श्री हरदीप कुमार,
कृषि निदेशक, हरियाणा सरकार,
नया सचिवालय, चण्डीगढ़-160001

श्री आर०के० मेसराम,
संयुक्त निदेशक, महाराष्ट्र सरकार,
मंत्रालय, मुम्बई-400032

श्री ए०डी० मजूमदार,
संयुक्त निदेशक, कृषि सांख्यिकी, कृषि विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल-462004, म०प्र०

डा० आर०के० राम पाल,
कृषि निदेशक, कृषि विभाग,
पंजाब नागरिक सचिवालय, चण्डीगढ़-160001

श्री जोगी जगदीप सिंह,
संयुक्त निदेशक कृषि, कृषि विभाग,
पंजाब नागरिक सचिवालय, चण्डीगढ़-160001

श्री पी०आर०पी० मेरीझीअप्पन,
सुयंक्त निदेशक कृषि (मोटे अनाज), तमिलनाडु सरकार,
सचिवालय, सेंट फोर्ट, चेन्नई-600009

श्री वी०के० सिंह,
संयुक्त निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ-226001

श्री आर०के० दास,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ-226001

श्री जय कुमार जैन
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ-226001

केन्द्रीय मंत्रालय :
(कृषि और सहकारिता विभाग)

श्री जे०एन०एल० श्रीवास्तव,
सचिव (कृषि एवं सह०),
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

श्री ए०के० रस्तोगी,
विशेष सचिव,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

श्री बी०एस० मिन्हास,
अतिरिक्त सचिव,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

डा० सी०आर० हजारा,
कृषि आयुक्त,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

श्री पी०डी० सुधाकर,
संयुक्त सचिव (क्राप्स एवं टीएमओपी),
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

श्री सतीश चन्द्र,
संयुक्त सचिव (प्रशासन),
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय :

श्री एम०एम० नामपुथिरी
अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली

डा० जे०आर० राव,
सलाहकार,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली

श्री ए०के० विशनदास,
अपर सांख्यिकी सलाहकार,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली

श्री बी०के० बेहरा,
सहायक आर्थिक सलाहकार,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

डा० जे०एस० सम्रा,
डीडीजी (एनआरएम),
आईसीएआर, कृषि भवन, नई दिल्ली

उपभोक्ता मामले मंत्रालय

डा० के०एम० रायपुरिया,
आर्थिक सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग,
305, ए-विंग, शास्त्री भवन

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

डा० टी० हेक, चेयरमेन

श्री एम० रघुपति, सदस्य (अ-शासकीय)

श्री एस०के० राय, सदस्य सचिव

श्री एस०सी० गौतम, सलाहकार

श्री जे० दास, निदेशक

श्री वी०आई वेलायूदन, निदेशक

श्रीमती पी० सुधा राव, निदेशक

श्री डी०डी० अतुलकर, उप निदेशक

श्रीमती शैलजा शर्मा, उप निदेशक

श्री राम करण, उप निदेशक

श्रीमती विदिशा चौधरी, उप निदेशक

प्रैस सूचना ब्यूरो

श्री अशोक नारायण
डीपीआर (कृषि)
कृषि और सहकारिता विभाग
कमरा नं० 123, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

श्री प्रेम पाल सिंह
प्रैस सूचना ब्यूरो

श्री प्रदीप कुमार,
संवाददाता, पीआईबी

सुश्री कविता शर्मा,
वरिष्ठ रिपोर्टर ई अनाडु टीवी

श्री ए०एस० यनोत्रा,
चीफ फोटो जर्नलिस्ट, पंजाब केसरी

श्री अशोकन,
फोटोग्राफर, फोटो डिविजन

श्री प्रतीक परीजा,
संवाददाता, बलूमबर्ग न्यूज

श्री श्रवण चौधरी,
कैमरामैन, एएनजे टीवी

श्री विनोद कुमार,
कैमरामैन, एएनआई फिल्मस

श्री विकास द्विवेदी,
संवाददाता, अमर उजाला

श्री समीर मोहिन्दु,
रिपोर्टर, पीटीआई

श्री के०एस० नरेश,
रिपोर्टर, राष्ट्रीय समाचार

श्री बिजेन्द्र कुमार,
विशेष संवाददाता, यूएसआई - वरता (कृषि ग्रामीण विकास)

अनुबंध-II

न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में प्रक्रियात्मक मुद्दों पर 6-7 नवम्बर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य निष्कर्ष

(1) कृषि मंत्रालय को कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत पहलों/निर्णयों में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए।

(2) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को समग्र कृषि क्षेत्र के लिए समग्रतावादी ढंग से उपयुक्त नीति संबंधी परिवर्तन सुझाने में रणनीतिक भूमिका निभानी चाहिए न कि फसल विशिष्ट सिफारिशों तक ही सीमित रहना चाहिए।

(3) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को कृषि मंत्रालय के लिए विचार कोष (थिंक टैंक) के रूप में काम करना चाहिए। इसे टैरिफ आयोग के समान कार्य करना चाहिए तथा खासकर वैश्वीकरण की स्थिति में बाजार के अनुकूल विवधीकृत कृषि को बढ़ावा देने के लिए करों, राजसहायता, ऋण, विपणन में सुधार का सुझाव देना चाहिए।

(4) न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते समय न्यूनतम मूल्य के स्वरूप पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तथापि, न्यूनतम समर्थन मूल्य में कम से कम संक्रियात्मक व्ययों और पारिवारिक श्रम की लागत शामिल होनी चाहिए।

(5) न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए :

(i) मंडी में मूल्य के उतार चढ़ाव के कारण अनुचित कठिनाइयों से किसानों को बचाना और मूल्य स्थायित्व सुनिश्चित करना;

(ii) वृहत तथा सूक्ष्म दोनों स्तरों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(iii) व्यापार की उचित और साम्य कृषि शर्त सुनिश्चित करना; और

(iv) मंडियों और मंडी के अनुकूल कृषि विविधीकरण हेतु संकेत देना।

(6) क्षेत्र विशिष्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य अवांछनीय तथा क्रियान्वित करने में मुश्किल होगा।

(7) न्यूनतम समर्थन मूल्य को न तो उत्पादन लागत से और न ही मंडी लागत के साथ यांत्रिकी रूप से जोड़ा जा सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण करने में कृषि लागत एवं मूल्य का सम्यक्, यद्यपि समग्रतावादी आर्थिक विश्लेषण और व्यावसायिक निर्णय काफी महत्वपूर्ण होगा।

(8) न्यूनतम समर्थन मूल्य समय पर अर्थात् बुवाई मौसम के पहले घोषित किया जाना चाहिए।

(9) कृषि मूल्य नीति से भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग हेतु समुचित संकेत मिलने चाहिए।

(10) खेती की लागत पर आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किये जाने चाहिए। आंकड़े वास्तविक तथा कृषक समुदाय को ग्राह्य होने चाहिए।

(11) (क) पारिवारिक श्रम, (ख) भूमि का रेन्टल मूल्य और (ग) पूंजी पर ब्याज की गणना करने में अनुसरण की गई पद्धतियों की पुन: जांच की जानी चाहिए।

(12) कृषि लागत और मूल्य आयोग को यह जांच करनी चाहिए कि विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के दृष्टि से क्या परिवहन लागतों, विपणन लागतों और प्रसंस्करण लागतों पर विचार किया जाये।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : मंत्री महोदय को आशा नहीं थी कि यह प्रश्न सभा में उठेगा।

श्री अजित सिंह : नहीं, मैं इसका उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

श्रीमती प्रभा राव : क्या मैं अपना पहला अनुपूरक प्रश्न पूछूं? 6 और 7 नवम्बर की संगोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशों को पढ़ने के पश्चात् मैं जानना चाहूंगी क्या कृषि मंत्री उन सिफारिशों में से विशेषकर चौथे और ग्यारहवे मुद्दे पर स्वयं विचार करेंगे।

मैं उन बातों को सभा के लिए पढ़ूंगी :-

"(4) न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते समय न्यूनतम मूल्य के स्वरूप पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तथापि, न्यूनतम समर्थन मूल्य में कम से कम संक्रियात्मक व्ययों और पारिवारिक श्रम की लागत शामिल होनी चाहिए।

(11) (क) पारिवारिक श्रम, (ख) भूमि का रेन्टल मूल्य और (ग) पूंजी पर ब्याज की गणना करने में अनुसरण की गई पद्धतियों की पुन: जांच की जानी चाहिए।"

मैं जानना चाहूंगी क्या मंत्री जी स्वयं इससे सहमत हैं और यदि हां, तो वह इस वर्ष अगली नीति की घोषणा करने से पूर्व उसपर विचार करने के लिए कितने गंभीर हैं।

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाल ही मं न्यूनतम समर्थन मूल्य की अमोघता के बारे में और उस प्रकार के बारे में जिसमें इसे परिकल्पित किया जाएगा कई प्रश्न पूछे गए हैं क्या यह बाजार मूल्य उन्मुखी अथवा लागतोन्मुखी होने चाहिए। अत: हमने संगोष्ठी का आयोजन किया जहां विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों ने भाग लिया। इससे कृषक संघों के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय के अधिकारी और उपकुलपति थे। प्रोफेसर अलग और प्रोफेसर चड्डा भी वहां थे। उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये थे।

हमारा सभी सुझावों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव है। अब हमारे पास विभिन्न वर्गों के विचार हैं और हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है और हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी किस प्रकार बना सकते हैं। श्रीमती राव द्वारा उठाए गए मुद्दों को इस संगोष्ठी में कई लोगों द्वारा भी उठाया गया था। एक प्रश्न यह भी पूछा गया था क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्षेत्रीय होना चाहिए अथवा पूरे देशभर में एक जैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। संगोष्ठी करने का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रो के विचार प्राप्त करना था। हमारा विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव है जिसका कार्य यह देखना होगा कि इस सिफारिशों के बारे में क्या किया जा सकता है।

श्रीमती प्रभा राव : श्री एसीपी द्वारा सभी कारकों पर विचार करते हुए मैं जानना चाहती हूं क्या वे कृषि क्षेत्र में कारकों की तुलना भी करेंगे जैसाकि वे ओद्यौगिक क्षेत्र में उत्पाद के लिए तुलना करते हैं।

श्री अजित सिंह : न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत पर आधारित होता है और इस उत्पादन की लागत में सभी कारक सम्मिलित होते है। कृषि उत्पादन में जो भी मद उपयोग किये जाते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। यह उस पर आधारित नहीं होता कि आद्यौगिक क्षेत्र में डब्ल्यू.पी.आई. जितना बढ़ रहा है अथवा उस क्षेत्र में क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में एक सेमीनार का आयोजन किया, इसके लिए तो आपको धन्यवाद, लेकिन आपने विवरण देखा होगा, इतने बड़े सदन में से सिर्फ चार माननीय सांसद उपस्थित हुए। क्या आपने सारे लोगों को उसमें इन्वाइट नहीं किया था? अगर नहीं किया था तो भविष्य में आप ख्याल रखियेगा। मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देना चाहते हैं, इसके सम्बन्ध में कभी आपने यह विचार किया या आपके सेमीनार का जो निर्णय आया है, उसने सिफारिशें की हैं, उसने यह विचार किया कि हिन्दुस्तान का भूभाग बहुत बड़ा है, जहां खेती होती है, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या महाराष्ट्र की खेती हो, यहां के सब लोग खेती करने वाले, पैदावार बढ़ाने वाले लोग हैं, उनका लागत मूल्य घटता बढ़ता रहता है, कमी बेसी होता है। क्या आपने इसके सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है और अगर निर्णय लिया है, जैसा कहा कि विशेष समिति बनाएंगे तो उस विशेष समिति में अगर किसानों का प्रतिनिधि नहीं होगा, अगर किताब पढ़ने वाले लोगों को ही मालूम करा दीजिए तो मालूम है, जहां सिंचाई की व्यवस्था नहर प्रणाली से है, वहां लागत कम आयेगी, जहां डीजल और पैट्रोल से पम्प चलाकर खेती करता है, उसका लागत ज्यादा आयेगी। जो खाद की फैक्ट्री के नजदीक है, उसकी लागत कम आयेगी, जो दूर है, उसकी लागत ज्यादा हो जायेगी। इन सारे बिन्दुओं पर विचार करने के लिए किसानों का एक प्रतिनिधिमण्डल हो, इसमें विशेष तौर से दूसरे लोगों को भी रखिये, जो संसद सदस्य हैं और जो विशेष तौर से किसान वर्ग से आते हैं, कैसे लोगों की कमेटी बनाकर ये निर्णय कराना चाहते हैं, मैं स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूं?

श्री अजित सिंह : इस सेमीनार में हमने काफी संसद सदस्यों को बुलाया था। माननीय राजो सिंह जी का हमेशा कृषि के मामले में इण्टरैस्ट रहता है और अगर उन्हें इस बार नहीं बुलाया तो आगे हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो भी इस प्रकार के विचार विमर्श हों, उन्हें जरूर बुलाया जाये। इसके अलावा जहां तक उनका कहना है कि जो एक्सपर्ट्स कमेटी बने, उसमें किसानों के प्रतिनिधि रहें। इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि कि इस सेमीनार में किसानों के बहुत से संगठनों के प्रतिनिधि बुलाये गये थे। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : बिहार के एक संगठन को भी आपने नहीं बुलाया, आप देख लीजिए, हमने देखा है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी : हमें बुलाया था, मैं गई थी।

अध्यक्ष महोदय : बिहार के लोगों को भी बुलाइये।

श्री अजित सिंह : कृषि की एक परामर्शदाता समिति है, इसके अलावा संसद सदस्यों की कृषि के मामले में स्टेंडिंग कमेटी भी है, तो कृषि के मामले में उनसे विचार-विमर्श होता रहता है। एक्सपर्ट कमेटी में हम कोशिश करेंगे कि किसानों के प्रतिनिधि रहें और जो रिपोर्ट आये, उसे व्यापक रूप से डिस्कस करने के बाद ही संसद सदस्यों से भी, सलाहकार समिति से भी और किसानों के प्रतिनिधियों से भी विचार करने के बाद ही उस पर निर्णय लिया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे क्योंकि इस सदन में किसानों की समस्या पर चर्चा भी की जा रही है। उस समय आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : कृपया मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे कई अन्य सदस्यों को अनुमति देनी पड़ेगी।

प्रश्न संख्या 266, श्री नरेश पुगलिया। मैं समझता हूं कि नरेश पुगलिया सदन में उपस्थित नहीं हैं। मुझे माननीय मंत्री जी से यह कहते हुए अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उन्हें प्रसन्नता होगी यदि यह प्रश्न पूछा जाता है। श्री मोहन रावले आप कृपया प्रश्न संख्या की घोषणा कीजिए।

श्री मोहन रावले : प्रश्न संख्या 266।

संग्रहालयों के विकास हेतु वित्तीय सहायता

266. श्री नरेश पुगलिया :
श्री मोहन रावले :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति विभाग 'क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालय प्रोत्साहन और सुदृढ़ीकरण' योजना के अंतर्गत संग्रहालयों के व्यावसायगत विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र सहित देश में इस योजना के अंतर्गत संग्रहालयों के व्यावसायगत विकास हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में उन नियंत्रक संगठनों/संस्थानों और स्थानीय/क्षेत्रीय संग्रहालयों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं जिन्हें वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) उक्त स्कीम के तह, संग्रहालयों के व्यावसायिक विकास के लिए क्षेत्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर मौजूदा संग्रहालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता (i) वीथियों के नवीकरण/मरम्मत/आधुनिकीकरण/विस्तार; (ii) प्रकाशन, (iii) संरक्षण प्रयोगशाला/संरक्षण पवरियोजना, (iv) संग्रहालय पुस्तकालय, (v) उपस्करों, तथा (vi) प्रलेखन के प्रयोजनों के लिए दी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 80 प्रतिशत प्रदान किया जाता है और न्यूनतम 20 प्रतिशत और शेष, यदि कोई हो, अनुदान पाने वाले द्वारा वहन करना होता है। अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन को अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होने के उद्देश्य से कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए और उसे संग्रहालय का रख-रखाव करने और सभी आवर्ती लागतों को वहन करने में समर्थ होना चाहिए। केन्द्र सरकार का हिस्सा 3:1 के अनुपात में दो किस्तों में जारी किया जाता है। दूसरी किस्त तभी जारी की जाती है 'जब' अनुदानप्राप्तकर्ता ने जारी की गई प्रथम किस्त और अपना पूरा मैचिंग शेयर पूर्णत: इस्तेमाल कर लिया हो जिसके लिए संगठन को उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र तथा सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना होता है।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदनों का अग्रेषण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी सिफारिशों सहित किया जाना अपेक्षित है। ये आवेदन संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखे जाते हैं जो अनुदान स्वीकृत करने की सिफारिश करती है।

(ग) और (घ) ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

महाराष्ट्र सहित देश के ऐसे संग्रहालयों के ब्यौरे जिन्हें "क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण" स्कीम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई है

1999-2000

क्र० सं०	संगठन का नाम व पता	राज्य	जारी की गई राशि (रुपयों में)	संगठन की किस्म
1	2	3	4	5
1.	मजुली द्वीप संरक्षण एवं विकास परिषद, गुवाहाटी	असम	7,50,000/-	गैर सरकारी संगठन*
2.	भू-विज्ञान संग्रहालय परिसर, भू-विज्ञान विभाग, पटना	बिहार	6,48,000/-	विश्वविद्यालय
3.	सूत्रधार, पटना	बिहार	1,05,000/-	गैर सरकारी संगठन
4.	इन्टैक, नई दिल्ली	दिल्ली	63,590/-	गैर सरकारी संगठन
5.	श्रीनिवास मल्लियाह मैमोरियल थिएटर क्राफ्ट्स, ट्रस्ट, नई दिल्ली	दिल्ली	4,31,250/-	गैर सरकारी संगठन
6.	भोगीलाल लहरचंद भारत-विद्या संस्थान, नई दिल्ली	दिल्ली	1,12,500/-	गैर सरकारी संगठन
7.	म्यूजियम ऑफ क्रिस्चियन आर्ट पाको पैट्रिआर्कल, पणजी	गोवा	1,80,000/-	गैर सरकारी संगठन
8.	फते सिंह म्यूजियम ट्रस्ट, बड़ोदरा	गुजरात	4,77,500/-	गैर सरकारी संगठन
9.	गांधी स्मारक संग्रहालय, अहमदाबाद	गुजरात	1,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
10.	श्रेयस फॉल्क म्यूजियम, अहमदाबाद	गुजरात	25,000/-	गैर सरकारी संगठन
11.	बड़ोदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, बड़ोदा	गुजरात	5,00,000/-	राज्य सरकार
12.	ललित कला विभाग कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	हरियाणा	5,00,000/-	विश्वविद्यालय
13.	मेन-सी-खांग, धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
14.	रायरिक ट्रस्ट, कुल्लू, नगर	हिमाचल प्रदेश	2,25,000/-	गैर सरकारी संगठन
15.	अमर महल म्यूजियम, जम्मू तवी	जम्मू	1,50,000/-	गैर सरकारी संगठन
16.	बस्वेश्वर विद्या वर्धक संघ, बागलकोट	कर्नाटक	75,000/-	गैर सरकारी संगठन
17.	राजकीय संग्रहालय, बसवाकलयाण	कर्नाटक	3,06,250/-	राज्य सरकार

1	2	3	4	5
18.	राजकीय संग्रहालय, गडग	कर्नाटक	2,50,000/-	राज्य सरकार
19.	जनपद अकादमी, बेंगलूर	कर्नाटक	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
20.	केरल कला मण्डलम, त्रिसूर	केरल	9,25,000/-	गैर सरकारी संगठन
21.	द ग्रेनेडियर्स म्यूजियम, जबलपुर	मध्य प्रदेश	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
22.	बिरला म्यूजियम, भोपाल	मध्य प्रदेश	37,500/-	गैर सरकारी संगठन
23.	सेंट्रल म्यूजियम, नागपुर	महाराष्ट्र	6,75,000/-	राज्य सरकार
24.	क्षेत्रीय संग्रहालय, नासिक	महाराष्ट्र	2,25,000/-	राज्य सरकार
25.	श्री भवानी संग्रहालय एवं पुस्तकाल, औंध	महाराष्ट्र	2,56,000/-	राज्य सरकार
26.	कोल्हापुर संग्रहालय, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	1,25,000/-	राज्य सरकार
27.	भारतीय मुद्राशास्त्र अध्ययन अनुसंधान संस्थान, नासिक	महाराष्ट्र	2,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
28.	मैरीन म्यूजियम, नाहवा	महाराष्ट्र	1,50,000/-	गैर सरकारी संगठन
29.	राजा दिनकर केल्कर संग्रहालय, पुणे	महाराष्ट्र	6,75,000/-	गैर सरकारी संगठन
30.	मुतूआ संग्रहालय, इम्फाल	मणिपुर	1,25,000/-	गैर सरकारी संगठन
31.	जोगन कला एवं सांस्कृतिक विकास संघ, चूड़ाचांदपुर	मणिपुर	1,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
32.	मणिपुर राज्य संग्रहालय, इम्फाल	मणिपुर	5,00,000/-	राज्य सरकार
33.	पीपल्स म्यूजियम, ककचिंग	मणिपुर	1,25,000/-	गैर सरकारी संगठन
34.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, आइजोल	मिजोरम	2,52,500/-	गैर सरकारी संगठन
35.	राज्य संग्रहालय, कोहिमा	नागालैंड	9,25,000/-	राज्य सरकार
36.	जनजातीय कला एवं वस्त्र संग्रहालय, दीमापुर	नागालैंड	7,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
37.	जनजातीय कला एवं वस्त्र संग्रहालय सोसाइटी, दीमापुर	नागालैंड	5,52,500/-	गैर सरकारी संगठन
38.	आंचलिक कुजेश्वरी सांस्कृतिका संसद सवांचल कानस, पुरी	उड़ीसा	12,500/-	गैर सरकारी संगठन
39.	उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर	उड़ीसा	81,250/-	राज्य सरकार
40.	लोक एवं जनजातीय संग्रहालय, भुवनेश्वर	उड़ीसा	3,12,500/-	गैर सरकारी संगठन

1	2	3	4	5
41.	भारतीय ललित कला अकादमी, अमृतसर	पंजाब	3,50,000/-	राज्य सरकार
42.	पोदार संग्रहालय, झुनझुनु	राजस्थान	7,50,000/-	गैर सरकारी संगठन
43.	त्रिपुरा राजकीय संग्रहालय, अगरतला	त्रिपुरा	3,52,500/-	राज्य सरकार
44.	राज्य संग्रहालय, मथुरा	उत्तर प्रदेश	2,97,500/-	राज्य सरकार
45.	महाराजा बनारस विद्या मंदिर न्यास, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	3,37,920/-	गैर सरकारी संगठन
46.	राज्य संग्रहालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	1,00,000/-	राज्य सरकार
47.	बुन्देलखंड संग्रहालय समिति, उरई	उत्तर प्रदेश	12,500/-	गैर सरकारी संगठन
48.	लोक कला संग्रहालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	60,000/-	गैर सरकारी संगठन
49.	उत्तरांचल लोक कला एवं सौहित्य संरक्षण समिति, अल्मोड़ा	उत्तरांचल	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
50.	महाराजा बनारस विद्या मंदिर न्यास, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
51.	जिला संग्रहशाला हरिपद साहित्य अकादमी, पुरूलिया	पश्चिम बंगाल	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
52.	प्रकृति भवन कला दीर्घा, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	2,25,000/-	गैर सरकारी संगठन
53.	गांधी स्मारक संग्रहालय, बरकपौर	पश्चिम बंगाल	42,500/-	गैर सरकारी संगठन
54.	रामकृष्णन मिशन विद्यापीठ, पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	1,48,750/-	गैर सरकारी संगठन
55.	राम मोहन कॉलेज, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	50,000/-	विश्वविद्यालय
56.	राष्ट्रीय दाय संग्रहालय, हुगली	पश्चिम बंगाल	12,500/-	गैर सरकारी संगठन
57.	श्री कांची कामकोठी पीठम धमार्थ न्यास, एनातूर	तमिलनाडु	3,75,000/-	गैर सरकारी संगठन
		कुल	1,52,68,010/-	

*एन.जी.ओ. : गैर सरकारी संगठनों में भारतीय सोसाइटी अधिनियम, 1860 (xxi) के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाएं, सोसाइटी, न्यास या फिलहाल किसी कानून के तहत सार्वजनिक न्यास शामिल हैं।

2000-2001

क्रम सं०	संगठन का नाम व पता	राज्य	जारी की गई राशि (रुपयों में)	संगठन की किस्म
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश राज्य संग्रहालय, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	1,90,000/-	राज्य सरकार

1	2	3	4	5
2.	इटाफोर्ट पुरातत्व स्थल संग्रहालय, इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	80,000/-	राज्य सरकार
3.	असम राज्य संग्रहालय, गुवाहाटी	असम	6,40,000/-	राज्य सरकार
4.	पटना संग्रहालय, पटना	बिहार	2,52,500/-	राज्य सरकार
5.	हेरिटेज हॉल, ट्रायबल कल्चर सेंटर, जमशेदपुर	बिहार	44,950/-	गैर सरकारी संगठन
6.	सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर	बिहार	12,500/-	राज्य सरकार
7.	तथागत शिक्षा प्रतिष्ठान, सीवान	बिहार	25,000/-	गैर सरकारी संगठन
8.	राजकीय संग्रहालय एवं कला दीर्घा, चंडीगढ़	चंडीगढ़	1,80,000/-	राज्य सरकार
9.	संस्कृति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	दिल्ली	2,75,000/-	गैर सरकारी संगठन
10.	भारतीय पुरातत्व सोसाइटी	दिल्ली	6,25,000/-	गैर सरकारी संगठन
11.	गालिब अकादमी, नई दिल्ली	दिल्ली	7,500/-	गैर सरकारी संगठन
12.	श्री निवास मल्लियाह मैमोरियल थिएटर काफ्ट ट्रस्ट	दिल्ली	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
13.	महाराजा फतेहसिंह संग्रहालय न्यास, बडोदरा	गुजरात	2,42,500/-	गैर सरकारी संगठन
14.	श्री गिरधरभाई संग्रहालय, अमरेली	गुजरात	18,600/-	गैर सरकारी संगठन
15.	श्रेयस लोक संग्रहालय, अहमदाबाद	गुजरात	1,74,000/-	गैर सरकारी संगठन
16.	बड़ोदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, बड़ोदा, गुजरात	गुजरात	11,90,000/-	राज्य सरकार
17.	एच०पी० राज्य संग्रहालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	4,58,750/-	राज्य सरकार
18.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	हरियाणा	2,87,500/-	विश्वविद्यालय
19.	केलाडी म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल रिसर्च ब्यूरो, केलाडी, शिमोगा	कर्नाटक	25,000/-	गैर सरकारी संगठन
20.	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, मैसूर	कर्नाटक	1,90,000/-	राज्य सरकार
21.	इन्टरनेशनल स्कूल आँफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, तिरुअनंतपुरम	केरल	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
22.	जिला पुरातत्व संघ संग्रहालय, खरगौन	मध्य प्रदेश	1,80,000/-	गैर सरकारी संगठन
23.	राज्य संग्रहालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	1,90,000/-	राज्य सरकार

1	2	3	4	5
24.	भारतीय अनुसंधान एवं मुद्राशास्त्र अध्ययन संस्थान, नासिक	महाराष्ट्र	1,20,000/-	गैर सरकारी संगठन
25.	सेन्ट्रल म्यूजियम, नागपुर	महाराष्ट्र	11,90,000/-	राज्य सरकार
26.	अहमदनगर हिस्टॉरिकल म्यूजियम एंड रिसर्च ब्यूरो, अहमदनगर	महाराष्ट्र	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
27.	द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई, मुम्बई	महाराष्ट्र	80,000/-	गैर सरकारी संगठन
28.	प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मुंबई	महाराष्ट्र	8,15,000/-	राज्य सरकार
29.	मणिपुर यूनिवर्सिटी म्यूजियम, इम्फाल	मणिपुर	1,00,000/-	विश्वविद्यालय
30.	मुतुआ म्यूजियम, इम्फाल	मणिपुर	62,500/-	गैर सरकारी संगठन
31.	पीपल्स म्यूजियम, ककचिंग	मणिपुर	75,000/-	गैर सरकारी संगठन
32.	मेघालय राज्य संग्रहालय, शिलांग	मेघालय	1,90,000/-	राज्य सरकार
33.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, चनमारी	मिजोरम	72,500/-	गैर सरकारी संगठन
34.	स्थानीय संग्रहालय जनजातीय कल्याण विकास संघ, दीमापुर	नागालैंड	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
35.	गंजम लोक कला संग्रहालय, चरतारपुर, गंजम	उड़ीसा	75,000/-	गैर सरकारी संगठन
36.	उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर	उड़ीसा	1,90,000/-	राज्य सरकार
37.	महाराजा रणजीत सिंह युद्ध संग्रहालय सोसाइटी, लुधियाना	पंजाब	7,51,250/-	गैर सरकारी संगठन
38.	गवर्नमेंट सेन्ट्रल म्यूजियम (अल्बर्ट हॉल) जयपुर	राजस्थान	21,65,000/-	राज्य सरकार
39.	राजकीय शस्त्र संग्रहालय, जयपुर	राजस्थान	1,47,500/-	राज्य सरकार
40.	राजकीय संग्रहालय, सीकर	राजस्थान	1,43,750/-	राज्य सरकार
41.	राजकीय संग्रहालय, जैसलमेर	राजस्थान	3,12,500/-	राज्य सरकार
42.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (हवेली म्यूजियम), उदयपुर	राजस्थान	8,625/-	सरकार
43.	राज्य संग्रहालय, एगमोर, चेन्नई	तमिलनाडु	1,90,00/-	राज्य सरकार
44.	उत्तरांचल लोक कला एवं साहित्य संरक्षण समिति, अल्मोड़ा	उत्तरांचल	75,000/-	गैर सरकारी संगठन
45.	प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश	37,500/-	विश्वविद्यालय

1	2	3	4	5
46.	राजकीय संग्रहालय, मथुरा	उत्तर प्रदेश	4,15,000/-	राज्य सरकार
47.	बाल संग्रहालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	45,000/-	गैर सरकारी संगठन
48.	डी०एन० मजुमदार लोकजीवन एवं संस्कृत संग्रहालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	15,000/-	गैर सरकारी संगठन
49.	बुन्देलखंड संग्रहालय समिति, उरई	उत्तर प्रदेश	25,000/-	गैर सरकारी संगठन
50.	वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन	उत्तर प्रदेश	2,30,000/-	गैर सरकारी संगठन
51.	राजकीय संग्रहालय, झांसी	उत्तर प्रदेश	1,79,246/-	राज्य सरकार
52.	ज्ञान प्रवाह सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	2,50,000/-	गैर सरकारी संगठन
53.	रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, पुरूलिया	पश्चिम बंगाल	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
54.	नवद्वीप पुरातत्व परिषद, नाडिया	पश्चिम बंगाल	22,500/-	गैर सरकारी संगठन
55.	प्रकृति भवन कला दीर्घा, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1,12,500/-	गैर सरकारी संगठन
		कुल	1,36,34,171/-	

2001-2002

क्र० सं०	संगठन का नाम व पता	राज्य	जारी की गई राशि (रुपयों में)	संगठन की किस्म
1	2	3	4	5
1.	पोट्टी श्रीरामुलू तेलगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	2,40,000/-	विश्वविद्यालय
2.	आनंद बुद्ध विहार न्यास, सिकन्दराबाद	आंध्र प्रदेश	5,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
3.	ए०पी० स्टेट म्यूजियम, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	7,50,000/-	राज्य सरकार
4.	मजुली द्वीप संरक्षण एवं विकास परिषद, गुवाहाटी	असम	4,50,000/-	गैर सरकारी संगठन
5.	तथागत शिक्षा प्रतिष्ठान, सीवान	बिहार	1,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
6.	सूत्रधार, पटना	बिहार	25,000/-	गैर सरकारी संगठन
7.	पटना संग्रहालय, पटना	बिहार	5,00,000/-	राज्य सरकार
8.	दीप नारायण सिंह संग्रहालय, हाजीपुर	बिहार	6,625/-	राज्य सरकार

1	2	3	4	5
9.	गालिब अकादमी, निजामुद्दीन	दिल्ली	7,500/-	गैर सरकारी संगठन
10.	इन्टैक, नई दिल्ली	दिल्ली	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
11.	श्रीनिवास मल्लियाह मैमोरियल थिएटर, क्राफ्ट्स ट्रस्ट, नई दिल्ली	दिल्ली	3,52,500/-	गैर सरकारी संगठन
12.	इन्द्रप्रस्थ कला एवं पुरातत्व संग्रहालय, नई दिल्ली	दिल्ली	3,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
13.	संस्कृति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	दिल्ली	3,25,000/-	गैर सरकारी संगठन
14.	म्यूजियम ऑफ क्रिस्चियन आर्ट, पणजी	गोवा	20,000/-	गैर सरकारी संगठन
15.	संग्रहालय निदेशालय, ई डी सी काम्प्लेक्स, पणजी	गोवा	3,30,000/-	राज्य सरकार
16.	लक्ष्मीणनाथजी न्यास, राजपिपला	गुजरात	1,87,500/-	गैर सरकारी संगठन
17.	श्रेयस लोक संग्रहालय, अहमदाबाद	गुजरात	1,75,000/-	गैर सरकारी संगठन
18.	कच्छ संग्रहालय, भुज	गुजरात	2,50,000/-	राज्य सरकार
19.	दरबार हॉल संग्रहालय, जूनागढ़	गुजरात	7,25,0000/-	राज्य सरकार
20.	वाटसन संग्रहालय, राजकोट	गुजरात	10,37,000/-	राज्य सरकार
21.	गांधी स्मारक संग्रहालय	गुजरात	60,000/-	राज्य सरकार
22.	जूनागढ़ संग्रहालय, जूनागढ़	गुजरात	14,75,000/-	राज्य सरकार
23.	गुजरात स्टेट कल्चरल म्यूजियम द्वारा स्मृति मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट, मोर्बी	गुजरात	50,000/-	गैर सरकारी संगठन
24.	राज्य बाल कल्याण परिषद, सिरसा	हरियाणा	2,70,000/-	गैर सरकारी संगठन
25.	हिमाचल संस्कृति एवं कला संघ, मनाली	हिमाचल प्रदेश	3,20,000/-	गैर सरकारी संगठन
26.	भूरी सिंह संग्रहालय, चम्बा	हिमाचल प्रदेश	3,25,000/-	राज्य सरकार
27.	आई आर एम टी, कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	1,00,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
28.	एच०पी० स्टेट म्यूजियम, शिमला	हिमाचल प्रदेश	1,30,000/-	राज्य सरकार
29.	गुर्जर देश चेरिटेबल ट्रस्ट, जम्मू	जम्मू व कश्मीर	10,50,000/-	गैर सरकारी संगठन
30.	रांची संग्रहालय, रांची	झारखंड	6,250/-	राज्य सरकार

1	2	3	4	5
31.	श्री जयचामराजेन्द्र आर्ट गैलरी, मैसूर	कर्नाटक	5,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
32.	कर्नाटक राजकीय संग्रहालय, मैसूर	कर्नाटक	7,50,000/-	राज्य सरकार
33.	जनपद अकादमी, बेंगलूर	कर्नाटक	1,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
34.	केलाडी म्यूजियम एंड हिस्टॉरिकल रिसर्च ब्यूरो केलाडी, शिमोगा	कर्नाटक	1,50,000/-	गैर सरकारी संगठन
35.	फॉल्कलोर म्यूजियम, त्रिवेन्द्रम	केरल	81,250/-	राज्य सरकार
36.	पजासी राजा संग्रहालय, कोझीकोड	केरल	1,62,500/-	राज्य सरकार
37.	पुरातत्व संग्रहालय, त्रिसूर	केरल	1,00,000/-	राज्य सरकार
38.	कृष्णापुरम पैलेस एंड म्यूजियम, त्रिवेन्द्रम	केरल	1,37,500/-	राज्य सरकार
39.	रानी दयमन्ती म्यूजियम, दमोह	मध्य प्रदेश	3,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
40.	वकंकर पुरातत्व संग्रहालय एवं कला दीर्घा, उज्जैन	मध्य प्रदेश	81,500/-	गैर सरकारी संगठन
41.	भारतीय मुद्राशास्त्र अध्ययन अनुसंधान संस्थान, नासिक	महाराष्ट्र	5,67,500/-	गैर सरकारी संगठन
42.	मैरीन म्यूजियम, रायगढ़ जिला	महाराष्ट्र	90,000/-	गैर सरकारी संगठन
43.	मणि भवन गांधी संग्रहालय, मुंबई	महाराष्ट्र	2,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
44.	मुतूआ म्यूजियम, इम्फाल	मणिपुर	25,000/-	गैर सरकारी संगठन
45.	मेघालय स्टेट म्यूजियम	मेघालय	2,70,000/-	राज्य सरकार
46.	स्टेट म्यूजियम कोहिमा	नागालैंड	3,50,000/-	राज्य सरकार
47.	जनजातीय कल्याण विकास संघ, दीमापुर	नागालैंड	30,000/-	गैर सरकारी संगठन
48.	चखेसंग जूवा कलचरल क्लब, दीमापुर	नागालैंड	1,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
49.	आंचलिक कुन्जेश्वरी संस्कृतिका संसद (ए के एस एस) कानस, पुरी	उड़ीसा	6,250/-	गैर सरकारी संगठन
50.	गंजम लोक कला संग्रहालय, गंजम	उड़ीसा	37,500/-	गैर सरकारी संगठन
51.	महाराजा रणजीत सिंह युद्ध संग्रहालय सोसाइटी, लुधियाना	पंजाब	2,30,000/-	गैर सरकारी संगठन
52.	भारतीय ललित कला अकादमी, अमृतसर	पंजाब	2,10,000/-	राज्य सरकार

1	2	3	4	5
53.	जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अम्बेर, जयपुर	राजस्थान	87,500/-	गैर सरकारी संगठन
54.	राजस्थान कला केन्द्र, जयपुर	राजस्थान	37,500/-	गैर सरकारी संगठन
55.	एस०आर०सी० म्यूजियम ऑफ इण्डोलॉजी जयपुर	राजस्थान	2,06,250/-	गैर सरकारी संगठन
56.	राजकीय सेन्ट्रल म्यूजियम	राजस्थान	1,25,000/-	राज्य सरकार
57.	श्री संजय शर्मा म्यूजियम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर	राजस्थान	2,89,000/-	गैर सरकारी संगठन
58.	रामनूजम म्यूजियम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास	तमिलनाडु	6,90,000/-	विश्वविद्यालय
59.	आर्ट गैलरी तंजावूर	तमिलनाडु	3,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
60.	बाल संग्रहालय, लखनऊ	उ०प्र०	5,000/-	गैर सरकारी संगठन
61.	बुन्देलखंड संग्रहालय समिति, उरई	उ०प्र०	37,500/-	गैर सरकारी संगठन
62.	स्टेट म्यूजियम मथुरा	उ०प्र०	1,70,000/-	राज्य सरकार
63.	ज्ञान प्रवाह, वाराणसी	उ०प्र०	2,50,000/-	गैर सरकारी संगठन
64.	स्टेट म्यूजियम, लखनऊ	उ०प्र०	11,90,000/-	राज्य सरकार
65.	वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन	उ०प्र०	70,000/-	गैर सरकारी संगठन
66.	श्री श्रीनरहरि सेवा संस्थान, वाराणसी	उ०प्र०	2,50,000/-	गैर सरकारी संगठन
67.	इन्टैक, दार्जलिंग, दार्जलिंग	पश्चिम बंगाल	15,000/-	गैर सरकारी संगठन
68.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर	पश्चिम बंगाल	2,00,000/-	गैर सरकारी संगठन
69.	लोक एवं जनजातीय सांस्कृतिक केन्द्र, धाकूरिया, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1,65,000/-	गैर सरकारी संगठन
70.	राममोहन कॉलेज, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	25,000/-	विश्वविद्यालय
71.	मुर्शिदाबाद जिला संग्रहालय, जियागंज	पश्चिम बंगाल	2,50,000/-	राज्य सरकार
72.	म्यूजियम ऑफ नेशनल हैरिटेज, भद्रकाली, हुगली	पश्चिम बंगाल	25,000/-	गैर सरकारी संगठन
		कुल	2,88,84,125/-	

श्री ई० अहमद : महोदय, क्या इसे दृष्टांत के रूप में उद्धृत किया जा सकेगा? एक सदस्य दूसरे सदस्य को दायित्व सौंप सकता है कि वह उसका प्रश्न पूछे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या नियमों में यह है?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह नियमों में है। चूंकि यह

एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मैने सोचा कि इसे सदन में पूछा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लाकर आपने रावले जी को उनके जन्मदिन का तोहफा दिया है। संयोगवश आज श्रीमती सोनिया गांधी का भी जन्मदिन है। हम सभी उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोनिया जी को और रावले जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं।

श्री मोहन रावले : मैं विपक्ष की नेता सोनिया जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वे दीर्घायु हों और उनका पोलिटिकल कैरियर भी अच्छा रहे।

अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी शिवराज पाटिल जी ने रिएलाइजेशन के बारे में बताया कि वह होना चाहिए। महाराष्ट्र में अनेक बीचेज, फोर्ट और धार्मिक स्थल हैं। उन धार्मिक स्थलों को पर्यटन मंत्रालय विकसित करने जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से धार्मिक स्थल हैं, जिनको आप विकसित करने जा रहे हैं तथा महाराष्ट्र सरकार से भी इस सम्बन्ध में कौन-कौन से धार्मिक स्थलों को विकसित करने के सम्बन्ध में सुझाव आए हैं?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, यह प्रश्न सग्रंहालय के बारे में है। यदि आप चाहते हैं तो मुझे सग्रंहालयों के बारे में बताने दीजिए और इसके बाद मैं आपके प्रश्न पर आऊंगा। जहां तक सग्रंहालयों का सम्बन्ध है हमने विभिन्न संग्रहालयों के लिए 3 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। ये संग्रहालय केन्द्र सरकार के नहीं हैं बल्कि ये राज्य सरकार द्वारा अथवा निजी न्यासों द्वारा अथवा कुछ पंजीकृत समितियों द्वारा अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं चलाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त यह प्रश्न विशेषरूप में महाराष्ट्र के बारे में है।

महाराष्ट्र में एक अत्यन्त अनोखा सग्रंहालय है जिसका नाम राजा केलकर सग्रंहालय है। यह अकेले व्यक्ति के प्रयास हैं जिसने ऐसा सग्रंहालय बनाया है। मैं स्वयं व्यक्तियों के निमन्त्रण पर वहां गया हूं और इसे देखा है। वहां 19,000 कलाकृतियां हैं जिसे एक व्यक्ति ने संग्रहित किया है और इनमें से मात्र 2000 कलाकृतियों को ही प्रदर्शित किया गया है। शेष प्रदर्शित नहीं की गई हैं अब प्रस्ताव है कि एक नया संग्रहालय बनाया जाए जहां राजा केलकर की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाए। उस स्कीम को अन्तिम रूप दिया गया है। राज्य सरकार भूमि देने के लिए सहमत है। धन उपलब्ध नहीं है। मैं केन्द्रीय खजाने से इसके लिए 2 करोड़ रुपये देने को सहमत हो गया हूं। मैं राज्य सरकार को भी 1 करोड़ रुपये देने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, इसके अलावा उन्होंने भूमि भी दी है। एक करोड़ रुपये की राशि संग्रहालय सोसायटी द्वारा दी जाएगी और एक करोड़ रुपये संस्थागत वित्त के रूप में संग्रहित की जाएगी। इस पांच करोड़ के साथ नए संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। पुणे-मुम्बई राजमार्ग पर आबंटित की गई भूमि पर्यटक आकर्षण का केन्द्र होगा। अतः हम 2 करोड़ निवेश कर रहे हैं। मैंने सभी सम्बद्ध की बैठक 18 दिसम्बर को बुलाई है और उसी समय हम इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप देंगे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री जगमोहन : महाराष्ट्र के किलों, धार्मिक स्थलों और अन्य चीजों सम्बन्धी अन्य परियोजनाओं के बारे में हम केवल सांस्कृतिक महत्व के महत्वपूर्ण स्थानों पर ही विचार करेंगे। हमारे पास महाराष्ट्र में प्राचीन किले हैं। जैसाकि हमें मालूम है छत्रपति शिवाजी ने कम से कम 1000 किले बनाए हैं और उसमें से सिन्धुदुर्ग की योजना बनाई जा रही है। उस द्वीप के लिए मैंने एक करोड़ की राशि मंजूर की है। उस किले की मरम्मत की जा रही है। समद्रीय किले भी हैं जिसके लिए मैंने एक स्कीम तैयार की है। हम उन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। यह उस क्षेत्र में तटीय पर्यटक के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : म्यूजियम में जो चीजें रखी होती हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुम्बई में जैसे अभी राजा केलकर के बारे में बात हुई, आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको और भी पता लगेगा। इसके अलावा छत्रपति महाराज शिवाजी ने महाराष्ट्र में बहुत से फोर्ट बनाए थे, जिसके कारण उनको राजपुरुष कहा जाता है। महाराष्ट्र में बीचेज भी बहुत हैं। कोंकण के किनारे वाला बीच काफी मशहूर है। इसके अलावा गणपति फुले जी का भी फोर्ट है। इन सबको विकसित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, जिससे वहां ज्यादा से ज्यादा ट्यूरिस्ट आ सकें?

अध्यक्ष महोदय : मोहन रावले जी, मूल प्रश्न म्यूजियम के बारे में है।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : मैं इस समस्या को दोनों बातों को मिलाकर सुलाझाऊंगा। जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया है, हमने महाराष्ट्र में राजस्थान के प्रसिद्ध "पैलेस आन व्हील्स" की तरह एक अत्यंत वृहत परियोजना मंजूर की है। हमने महाराष्ट्र में केवल रेल के लिए 37 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसका संपर्क महाराष्ट्र के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थलों जैसे पुणे और केलकर संग्रहालय से होगा इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने अलग-अलग 8.5 करोड़ रुपए दिए हैं और शेष धनराशि संस्थागत वित्त और रेलवे द्वारा दी जायेगी। इस परियोजना से महाराष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ा जायेगा और इससे राजस्थान की तरह ही एक सप्ताह का भ्रमण किया जा सकेगा। यह महाराष्ट्र में पर्यटन में अत्यधिक बढ़ावा देगा। वास्तव में, महाराष्ट्र को पर्यटन परियोजनाओं का अत्यधिक हिस्सा मिला है। इस रेल परियोजना के अतिरिक्त हमने अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं और दौलताबाद के लिए कई अन्य परियोजनाएं तैयार की हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, माननीय मंत्री महोदय, नए संग्रहालयों और बुनियादी संसाधन सृजित करने के लिए धनराशि की बात कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि विद्यमान संग्रहालयों का उचित रखरखाव किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए वे क्या कर रहे हैं। मैं किसी नाम का उल्लेख नहीं करना चाहती। मैं एक राज्य की राजधानी के संग्रहालय में गयी थी और मैंने वहां स्टाफ द्वारा संग्रहालय के अंदर सिगड़ी से चाय बनाते हुए देखा। जब मैंने इस पर आपत्ति की तो मुझे कहा गया कि यह मेरा काम नहीं है और मुझे इसे अनदेखा करने की सलाह दी गई। मेरा कहने का आश्रय यह है कि संग्रहालयों में कई दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं रहती हैं। लेकिन तापमान, गर्मी इत्यादि से, जैसाकि आप भी जानते हैं, यह बर्बाद हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि पुराने संग्रहालयों के भंडारों में अत्यंत दुर्लभ सामग्रियां संग्रहालयों का विस्तार हो पाना तथा जगह की कमी के कारण कूड़े की तरह पड़ी हुई हैं। सामग्रियां इतनी मात्रा में पड़ी हैं क्या माननीय मंत्री महोदय इस अन्य संग्रहालयों अथवा अन्य स्थलों जहां संग्रहालय बनाए जा सकें, अंतरित करने पर विचार करेंगे बजाए इसके कि ये कूड़े की तरह पड़ी रहे और जमीन के नीचे आद्रता वाले बेसमेंट में बर्बाद हो जहां किसी प्रकार का संरक्षण नहीं है और इन दुर्लभ सामग्रियों को रखने का कोई स्थान नहीं है।

श्री जगमोहन : जहां तक पुराने संग्रहालयों का प्रश्न है अभी मैंने जिस योजना का उल्लेख किया है उसका संबंध केवल पुरानी योजनाओं से ही है। इस वर्ष पुरानी योजनाओं के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं जिनकी अनुशंसा राज्य सरकारों, पंजीकृत सोसायटियों इत्यादि द्वारा की गई हैं जिसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की हुई है। मैंने गत तीन वर्षों की सूची में सभी विवरण दिया है। सभी पुराने संग्रहालयों का नवीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। हम उपकरणों, भवनों के नवीकरण और इसमें सुधार इत्यादि करने हेतु धन देते हैं।

जहां तक प्रबंधन का प्रश्न है, भारत में इस प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन हम राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने हेतु निरंतर स्मरण दिलाते हैं कि संग्रहालयों का उचित रखरखाव किया जाए। जहां तक संग्रहालय बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अन्य जगह कतिपय प्राचीन और दुर्लभ वस्तुएं कूड़े की तरह पड़ी हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने इन्हीं कारणों से इन तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। मैं स्वयं शिवपुरी गया हूं और वहां उन बातों को देखा है जिसका आपने उल्लेख किया है। अत्यधिक मूल्यवान कला की वस्तुएं जमीन अथवा भंडार में पड़ी हुई हैं। मैंने शिवपुरी में परियोजना हेतु 2 करोड़ रुपए, चंदेरी परियोजना हेतु 2 करोड़ रुपए और खजुराहो परियोजना हेतु दो करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन्हें सभी पुराने खजानों को रखने हेतु बनाया जा रहा है। हम ऐसी सभी वस्तुओं की माल सूची तैयार करने जा रहे हैं। हम इसका निरंतर निर्माण करेंगे। यदि आपका किसी विशेष क्षेत्र के संबंध में कोई सुझाव है आप इसे मुझे बता सकते हैं। हम इसे अगले वर्ष के बजट में रखेंगे। इस वर्ष हमने कई परियोजनाओं को मंजूर किया है...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, 2 करोड़ रुपये से काम नहीं होगा? आपको बजट बढ़ाना होगा।

श्री जगमोहन : मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि इससे सभी समस्याएं सुलझ जायेंगी।

श्री के० येरननायडू : महोदय, नए संग्रहालयों का निर्माण करने और इनका रखरखाव करने और हमारी संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु और अधिक धन की आवश्यकता है। हमारा विद्यमान बजट अन्य विकासशील देशों की तुलना में अत्यधिक कम है। कतिपय विकसित देश और कतिपय विकासशील देश अपनी धरोहर, संस्कृति को संरक्षित रखने और संग्रहालयों को आकर्षक बनाए रखने में अत्यधिक धन उपलब्ध करा रहे हैं। वे अपने बजट में अत्यधिक धन उपलब्ध करा रहे हैं। भारत में हम इस उद्देश्य हेतु बजट में अत्यधिक कम धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आगामी वर्ष से हमें बजट

में वृद्धि करनी होगी। फिर सरकार सभी राज्यों को सहायता दे सकती है। माननीय मंत्री महोदय, आप इतने कम बजट से किसी संग्रहालय में सुधार नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे अगले वर्ष से बजट में वृद्धि करेंगे।

श्री जगमोहन : माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, कि और अधिक धन की आवश्यकता है। लेकिन हम इस दिशा में प्रयास कर रहे है। गत बजट में हमने इसकी व्यवस्था की है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 6 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया था। इस समय यह लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए है।

श्री के० येरननायडू : भारत जैसे महान देश हेतु 6 करोड़ रुपए की धनराशि अत्यधिक कम है।

श्री जगमोहन : यह केवल केंद्रीय बजट में है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह पर्याप्त है। मैं आपको अपने साथ वित्त मंत्री जी के पास ले जाना चाहूंगा।

श्री के० येरननायडू : इसे केंद्रीय बजट के माध्यम से दिए जाने की दृष्टि से भी यह अत्यधिक कम है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है।

श्री के० येरननायडू : माननीय मंत्री महोदय, हम आपका समर्थन ही कर रहे हैं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय पर्यटन मंत्री ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में वैष्णो देवी और जम्मू में सुधार करके प्रशंसनीय कार्य किया था। अब वे हरिद्वार और कुरुक्षेत्र में धार्मिक-दृष्टि वाले पर्यटन स्थलों में सुधार लाने हेतु प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन अमृतसर जो सिखों का धार्मिक केंद्र है के मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थिति जर्जर है। दिल्ली से अमृतसर की घरेलू उड़ान स्थगित कर दी गई है। यातायात, स्वच्छता और जल-मल व्यवस्था ठप्प हो चुकी है। यह विश्वख्याति प्राप्त पर्यटन केंद्र है। राष्ट्रपति बुश, श्री ब्लेयर और परम पावन श्री पोप ने कहा है कि वे स्वर्ण मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं। आपरेशन ब्लू स्टार...*...

क्या माननीय मंत्री महोदय हमें अमृतसर को एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल केंद्र बनाने तथा इस्लामिक देशों, अरब और खाड़ी के देशों और महज एशिया हेतु पर्यटन की दृष्टि से सीमा को खोलने हेतु किए जा रहे प्रयासों से हमें अवगत करायेंगे।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री जगमोहन : जहां तक अमृतसर का प्रश्न है, प्रथम प्रश्न के उत्तर में मैंने उल्लेख किया है कि हम प्रत्येक राज्य में संस्कृति, पर्यटन और स्वच्छ नगर प्रशासन संबंधी एक बड़ा केंद्र स्थापित कर रहे हैं। पंजाब में अमृतसर का चयन किया गया है और इससे संबंधित प्रयास चल रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सूचित करना चाहता हूं कि महाराजा रणजीत सिंह हेतु एक पैनोरमा, एक प्रकार का विज्ञान केंद्र मंजूर किया गया है। इस पर कार्य चल रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अमृतसर एक आकर्षक स्थल बन जाए। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक पर्यटक आएं और सांस्कृतिक पर्यटन में वृद्धि हो।

इसके अतिरिक्त दरबार साहब के आसपास तीन ओर काफी कार्य पहले ही किया जा चुका है। मैं निश्चितरूप से आपके सुझाव और विचार को ध्यान में रखूंगा जब मैं वहां जाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत सारी पुरातत्व की वस्तुएं तथा अनेक मूल्यवान मूर्तिया यहां-वहां बिखरी पड़ी हुई हैं। ऐसी वस्तुओं को सूचीबद्ध करके और उनको संग्रहालय में रखकर क्या उनका व्यावसायिक उपयोग करने की सरकार की कोई योजना है? हमारे देश में अनेक राष्ट्र पुरुष जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, सरदार भगत सिंह जी एवं मदन लाल ढींगरा जैसे राष्ट्र पुरुषों के जीवन के घटनाक्रम से जुड़ी हुई बहुत सी वस्तुएं विदेशों में रखी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी वस्तुओं को अपने देश में लाकर और उनको संग्रहालय में रखकर क्या जनता को उनके दर्शन उपलब्ध कराएंगे?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : जैसाकि मैंने कहा है, अन्य स्थलों पर पड़ी दुर्लभ सामग्रियों के लिए स्थानीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। हमारे पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की एक योजना है। जहां कहीं भी खुदाई का कार्य होता है और जो मूर्तियां मिलती हैं अथवा लावारिस पायी जाती हैं उनके लिए हम स्थानीय संग्रहालय का निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र में कई स्थानीय संग्रहालयों का निर्माण किया जा रहा है।

जहां तक उन क्षेत्रों से बाहर गई हुई दुर्लभ सामग्रियों का प्रश्न है हम यह मामला विदेश मंत्रालय के साथ उठायेंगे। मैं यह मामला उनके साथ उठाऊंगा?

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में गौतमबुद्ध की ननिहाल देवदह में स्थल चिह्नित हुए हैं। क्या माननीय मंत्री जी उन स्थलों की खुदाई करायेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चन्देरी एक प्राचीन और ऐतिहासिक जगह है। इसकी प्रगति के लिए कई योजनायें बनाकर माननीय मंत्री जी को दी हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी कीजिए अन्यथा शून्यकाल शुरू हो जायेगा।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार की क्या सोच है? जहां तक संग्रहालय की बात है, इसके बारे में आडिटिंग बॉडी बनाई जाए, जो इससे संबंधित पूरा रिकार्ड माननीय मंत्री जी को दे, जिससे मंत्री जी को मालूम रहे कि हर साल इनकी देखभाल कैसे हो रही है।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, जहां तक चंदेरी परियोजना का प्रश्न है मैंने संग्रहालय के लिए धनराशि पहले ही मंजूर कर दी है जिसका उल्लेख मैंने अपने पूर्व के उत्तर में किया है। जहां तक इस संबंध में हिसाब-किताब को रजिस्टर करने संबंधी सुझाव का प्रश्न है हम निश्चितरूप से इसपर विचार करेंगे। चंदेरी की अन्य-परियोजनाओं के संबंध में माननीय सदस्य महोदय मेरे संपर्क में निरंतर हैं। हम इस क्षेत्र का दौरा करने की भी योजना बना रहे हैं और निश्चितरूप से हम वह सभी करेंगे जो हम कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र

*262. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने दिल्ली सहित देश में अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का निर्माण करने के लिए निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे कितने संयंत्रों का निर्माण किया जाना है;

(ग) इन पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) प्रत्येक संयंत्र द्वारा कब तक काम शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट जल के शोधन के लिए देश में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के निर्माण हेतु निधियां उपलब्ध करायी गई है। ऐसे संयंत्रों का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है

क्र० सं०	राज्य	साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की संख्या	स्वीकृत की गई निधियां (लाख रु० में)	चालू किए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की संख्या	निर्माणाधीन साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	132.000	3	0
2.	दिल्ली	15	2300.000	3	12
3.	गुजरात	12	1324.590	9	3
4.	हरियाणा	1	11.890	1	0
5.	कर्नाटक	4	109.050	3	1
6.	मध्य प्रदेश	3	96.000	1	2
7.	महाराष्ट्र	9	676.935	6	3
8.	पंजाब	1	30.000	0	1

1	2	3	4	5	6
9.	राजस्थान	2	100.000	2	0
10.	तमिलनाडु	39	1842.890	32	7
11.	उत्तर प्रदेश	2	95.750	2	0
	कुल	91	6319.105	62	29

उपर्युक्त 91 साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों में से 62 संयंत्र चालू किए गए हैं, 21 संयंत्रों के एक वर्ष की अवधि में पूरे होने की संभावना है और शेष 8 संयंत्रों के दो वर्षों की अवधि के भीतर पूरा होने की आशा है।

इसके अलावा, गंगा कार्य योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत मलजल शोधन संयंत्रों की भी मंजूरी दी गई है। राज्यवार विवरण निम्नलिखित हैं:-

क्र० सं०	राज्य	मलजल शोधन संयंत्रों की संख्या	स्वीकृत की गई निधियां (लाख रु० में)	चालू किए मलजल संयंत्रों की संख्या	निर्माणाधीन मलजल शोधन संयंत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	242.72	—	5
2.	बिहार	7	1901.62	5	2
3.	दिल्ली	2	1344.40	2	—
4.	गुजरात	2	6597.24	—	2
5.	गोवा	2	1175.57	—	2
6.	हरियाणा	17	11066.93	11	6
7.	कर्नाटक	8	750.35	—	8
8.	मध्य प्रदेश	8	107.77	—	8
9.	महाराष्ट्र	6	3417.21	—	6
10.	पंजाब	5	10011.66	—	5
11.	उड़ीसा	1	350.65	—	1
12.	तमिलनाडु	7	17883.77	—	7
13.	उत्तर प्रदेश	28	20945.28	25	3
14.	उत्तरांचल	5	900.26	3	2
15.	पश्चिम बंगाल	26	12239.01	15	11
	कुल	129	88934.44	61	68

उपर्युक्त 129 मलजल शोधन संयंत्रों में से 61 मलजल शोधन संयंत्र चालू किए गए हैं और शेष 68 मलजल शोधन संयंत्र क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और इन्हें दिसंबर, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

खेती योग्य भूमि की अनुर्वरता

*267. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेती योग्य भूमि तेजी से अनुर्वर हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ग) देश में, विशेषत: मध्य प्रदेश में इस संदर्भ में कौन-कौन सी योजनाएं शुरु की हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) अधिक आदानों के साथ गहन कृषि, अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के प्रयोग तथा मृदा क्षरण और खास तौर से द्वितीयक तथा सूक्ष्म पोषक तत्व मृदा में अपनी पुन: पूर्ति की दर से अधिक मात्रा में निकल जाने के कारण खेती योग्य भूमि की मृदा उर्वरता में गिरावट आती है।

एक अनुमान के अनुसार, देश में, 1736.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा क्षरण एवं भूमि अवक्रमण की समस्या से ग्रस्त है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

मृदा उर्वरता को बहाल करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग मृदा एवं जल संरक्षण तथा पौध पोषक तत्वों के अजैविक तथा जैविक, दोनों प्रकार के स्रोतों के युक्तियुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित एवं समेकित पोषक तत्व प्रबंध पर बल दे रहा है।

सरकार 'उर्वरक के संतुलित तथा समाकलित उपयोग' की स्कीम के तहत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है जो वर्तमान में वृहद प्रबंध के अंतर्गत शामिल है। सरकार जैव उर्वरक के उपयोग तथा विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत कम्पोस्ट प्लांट्स तथा जैव उर्वरक इकाइयों की स्थापना के लिये भी सहायता प्रदान कर रही है।

भूमि अवक्रमण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग भूमि आधारित विभिन्न कार्यक्रमों — (i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, (ii) नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण एवं (iii) ऊसर मृदा का सुधार — का कार्यान्वियन कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश की खेती योग्य भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। इन स्कीमों के अंतर्गत हासिल प्रगति का ब्यौरा मध्य प्रदेश में इस प्रकार है:-

क्र० सं०	स्कीम का नाम	उपचारित क्षेत्र ('000 हेक्टेयर)	व्यय (लाख रुपये)
1.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	994	21212.87
2.	नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	1054	19454.55
3.	ऊसर मृदा का सुधार	0.09	183.53

विवरण

देश में विभिन्न प्रकार की अवक्रमित भूमि का परिमाण

(क्षेत्र - लाख हेक्टेयर)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जल क्षरण	वायु क्षरण	बीहड	लवण प्रभावित	जलमग्न	झूम खेती	अवक्रमित वन	विशेष समस्याएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	103.54	—	—	2.40	3.39	1.50	11.48	—	122.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.58	—	—	—	—	2.10	22.86	—	26.54
3.	असम	13.34	—	1.93	—	4.50	1.39	8.83	—	29.99
4.	बिहार	32.39	—	6.00	0.04	7.07	0.85	10.21	9.00	65.52
5.	गोवा	1.35	—	—	—	—	—	0.65	—	2.00
6.	गुजरात	94.62	7.04	4.00	10.42	4.84	—	4.84	0.10	125.86
7.	हरियाणा	15.35	14.00	—	5.26	6.20	—	0.56	0.25	41.62
8.	हिमाचल प्रदेश	10.75	—	—	—	—	—	8.39	—	19.14
9.	जम्मू व कश्मीर	6.73	—	—	—	0.10	—	2.10	—	8.93
10.	कर्नाटक	102.25	—	—	4.04	0.10	—	7.64	—	114.03
11.	केरल	15.77	—	—	1.17	0.61	—	1.80	—	19.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	मध्य प्रदेश	155.10	—	6.83	2.42	0.57	1.25	41.00	—	207.17
13.	महाराष्ट्र	175.89	—	0.20	534	1.11	—	15.92	—	198.46
14.	मणिपुर	2.94	—	—	—	—	3.60	0.80	—	7.34
15.	मेघालय	5.48	—	—	—	—	2.65	2.89	—	11.02
16.	मिजोरम	2.87	—	—	—	—	1.89	1.34	—	6.10
17.	नागालैंड	2.77	—	—	—	—	6.33	1.28	—	10.38
18.	उड़ीसा	27.71	—	1.13	4.04	0.60	26.48	18.07	2.95	78.03
19.	पंजाब	9.14	—	1.20	7.18	10.90	—	0.93	—	32.30
20.	राजस्थान	188.41	156.92	4.52	10.00	3.48	—	10.61	—	373.94
21.	सिक्किम	2.58	—	—	—	—	—	0.45	—	3.03
22.	तमिलनाडु	32.42	—	0.60	1.04	0.18	—	3.98	—	38.22
23.	त्रिपुरा	0.45	—	—	—	—	1.12	1.22	—	2.79
24.	उत्तर प्रदेश	58.98	—	12.30	12.95	19.80	—	12.12	15.00	131.15
25.	पश्चिम बंगाल	7.64	—	1.04	9.86	21.80	—	2.69	—	43.03
26.	संघ शासित क्षेत्र	1.21	—	—	—	0.01	—	2.258	—	3.50
	योग: (क) लाख है०	1071.26	177.96	39.75	76.16	85.26	49.16	194.94	27.30	1721.75
	(ख) मि० है०	107.2	17.8	3.97	7.6	8.5	4.92	19.5	2.73	172.18

तटीय रेल - राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं 14.65

कुल योग 1736.40 या 173.8 मि० है०

(*)- इनमें नए राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उत्तरांचल में आने वाला क्षेत्र भी शामिल है।

[अनुवाद]

पर्यटन हेतु संदर्शी योजना

268. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यटन हेतु 20 वर्ष की संदर्शी योजना के लिए प्रत्येक राज्य को 10 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई राज्यों ने उक्त योजना तैयार करने पर भारी राशि खर्च कर दी है और अधिक सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु इन राज्यों को वित्तीय सहायता बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने समुद्र तटीय पर्यटन संबंधी छोटी और बड़ी योजनाओं की परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अक्तूबर, 2000 में 20 वर्षीय संदर्शी योजनायें चालू करने के लिए अनुरेध किया था, जिसके लिए प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को 10 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय लिया गया था।

(ख) केवल पश्चिम बंगाल सरकार ने 10.00 लाख रुपये की स्वीकृति के साथ पर्यटन विभाग, भारत सरकार की योजना के तहत ऐसी योजना चालू करने की शुरूआत की थी।

(ग) सरकार का इस सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने तटवर्ती पर्यटन पर लघु एवं वृहत योजनाओं के लिए स्वयं अपनी एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई है।

[हिन्दी]

किसानों के ऋणों को माफ किया जाना

***269. श्री नवल किशोर राय :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2002-03 के दौरान किसानों को दिए गए ऋण और उसके ब्याज की वसूली को स्थगित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण वसूली कितने समय के लिए स्थगित की गई है;

(ग) उक्त ऋणों और उसके ब्याज को माफ करने के बजाय उसकी वसूली स्थगित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त ऋणों की वसूली के लिए दस वर्ष की अवधि निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अनुदेश दिये हैं कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खरीफ ऋण के मूलधन एवं ब्याज को वसूल न किया जाये। मूलधन को आवधिक ऋण में परिवर्तित किय जाना चाहिए और उसे छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में पांच वर्षों तथा अन्य किसानों के मामले में चार वर्षों की अवधि में वसूल किया जाना चाहिए।

(ग) प्राकृतिक आपदाओं और फसल न होने की स्थिति में किसानों के लिए आवश्यक तत्काल राहत वसूली स्थगित करना है, क्योंकि उनकी ऋण चुकाने की क्षमता कम हो जाती है। अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से बैंकों को स्थायी अनुदेश दिए हैं कि वे वसूली स्थगित करें तथा ऋणों को लम्बी अवधि वाले ऋणों में परिववर्तित करें/पुन: चरणबद्ध करें। साथ ही अगली फसल की बुवाई में किसानों को समर्थ बनाने के लिए नया ऋण दिया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गंगा को प्रदूषित करने वाले कारखाने

***270. श्री रामटहल चौधरी :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा और इसके आस-पास के क्षेत्र में लगी ऐसी स्थानवार औद्योगिक इकाइयां कौन-कौन सी हैं जिन्होंने अभी तक प्रदूषण प्रसंस्करण संयंत्र नहीं लगाए हैं;

(ख) क्या कतिपय कम्पनियां/कारखाने विशेषत: वैम ऑरगनिक फैक्टरी पिछले पच्चीस वर्ष से गंगा को प्रदूषित कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में लापरवाही बरतने के लिए किन-किन अधिकारियों को जिम्मेवार पाया गया है और उन्हें क्या दंड दिया गया है; और

(ङ) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) गंगा नदी के आस-पास कुल 187 यूनिटों को घोर प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। इनमें से 133 यूनिटों में बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लिए गए हैं और शेष 54 यूनिटें बंद हो गई हैं। 133 यूनिटें जहां बहिस्राव शोधन संयंत्र कार्य कर रहे हैं, में से 8 यूनिटों में शोधन संयंत्रों के डिजायन और प्रचालन में कमियों के कारण निस्तारण के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इन यूनिटों के नाम और स्थान नीचे दिए गए हैं:-

क्रम सं०	उद्योगों के नाम और स्थान
	उत्तर प्रदेश
1.	किसान को-आपरेटिव शुगर मिल्स, फारूखाबाद
2.	गवर्नमेंट ओपियम एण्ड अल्कलाइड फैक्टरी, गाजीपुर
3.	मैसर्स नूवैल कलकत्ता प्रा० लि०, रामनगर
4.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल, (डिस्टिलरी डिवीजन), फरूखाबाद
	बिहार
5.	बाटा इण्डिया लि० मोकामा
6.	मैसर्स लोकोमोटिव वर्कशाप, ईस्टर्न रेलवे, जमालपुर।
	पश्चिम बंगाल
7.	जयरी टेक्सटाइल इण्डिया, रिसरा, जिला हुगली
8.	इण्डियन आयल कारपोरेशन, जिला मिदनापुर

उक्त यूनिटों को निर्धारित निस्तारण मानकों को पूरा करने के लिए अपने बहिस्राव शोधन संयंत्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मैसर्स वाम आर्गेनिक्स ने प्राइमरी और सैकेन्ड्री बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। उद्योग शोधित बहिस्राव के कुछ हिस्से का सिंचाई के लिए प्रयोग कर रहा है। शेष बहिस्राव को लाइन्ड लागून में एकत्र किया जाता है और वर्षा ऋतु में इसे बगाद नाले में निस्तारित कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमान्त और मझोले किसानों की दशा

*271. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमान्त और मझोले किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के प्रयासों के बावजूद सीमान्त किसानों की दशा में सुधार नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि उपज के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है और वे सभी श्रेणियों के किसानों के लिए हैं। ये स्कीमें विभिन्न घटकों में सहायता देती है और कुछ घटकों में कुछ खास श्रेणी के किसानों जैसे छोटे और सीमान्त किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सरकार मूल्य और मंडी समर्थन हेतु भी स्कीमें क्रियान्वित करती है जो अन्य बातों के साथ-साथ किसानों की कृषि आय और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करती है। ये स्कीमें छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी श्रेणी के किसानों को कवर करती हैं।

विदेशी पर्यटकों के हेतु पैकेज

*272. **श्री रामदास आठवले** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पैकेज तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) टूर पैकेजों का विकास मुख्यतया टूर आपरेटरों एवं राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा किया जाता है। पर्यटन सर्जक बाजारों में, इन पैकेजों के संवर्धन द्वारा यात्रा उद्योग को सरकार समर्थन प्रदान करती है।

[अनुवाद]

केलकर समिति की सिफारिशें

*273. डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री किरीट सोमैया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि क्षेत्र और कृषि से होने वाली आय के संबंध में केलकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इन सिफारिशों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और कृषि क्षेत्र के संबंध में केलकर समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कृषि क्षेत्र तथा कृषि आय संबंधी केलकर समिति की सिफारिशें से संबंधित स्थिति इस प्रकार है :-

केलकर समिति ने अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। बहरहाल उसने 2 नवम्बर, 2002 को एक परामर्श दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसे व्यापक विचार-विमर्श तथा टिप्पणियों हेतु सार्वजनिक कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र तथा कृषि आय से संबंधित सिफारिश यह है कि यह सिफारिश की गई है कि कृषि आय पर कर लगाने के लिए एक कृषि कर निर्धारण (टैक्स रेण्टल) व्यवस्था की रूप रेखा तैयार की जाए ताकि राज्य संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन कृषि आय पर आय कर लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत करते हुए एक संकल्प पारित कर सकें। केन्द्र द्वारा एकत्रित सभी करों (एकत्रित लागत का निवल) को राज्यों को अभ्यर्पित किया जाए। कृषि आय के लिए अलग से टेक्स रिटर्न फार्म तैयार किया जाए।

सिंचित भूमि

*274. श्री प्रबोध पण्डा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सहित पानी की कमी वाले विभिन्न राज्यों में और अधिक भूमि को सिंचित भूमि बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) और (ख) सिंचाई का विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे विभिन्न राज्यों के जल की कमी वाले क्षेत्रों सहित सारे देश में वृहद, माध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों के माध्यम से चलाया जा रहा है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों की परिकल्पना, आयोजना, अन्वेषण और निष्पादन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके योजना आबंटनों से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

कुछ सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित अतिरिक्त क्षेत्रों को सिंचाई मुहैया कराने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा 49 नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से, 26 परियोजनाएं (18 वृहद और 8 मध्यम) मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और शेष 23 परियोजनाओं (20 वृहद और 3 मध्यम) को कुछ टिप्पणियों की अनुपालना के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इन परियोजना प्रस्तावों में पश्चिम बंगाल में कंगसाबती जलाशय (चरण-I) के आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव शामिल है। नई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अतिरिक्त क्षेत्रों (सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित) को सिंचाई के तहत लाने के दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार पहचान की गई निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करा रही है। इस कार्यक्रम के तहत, उड़ीसा के सूखा प्रवण कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिले विशेष श्रेणी क्षेत्रों के रूप में वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों के लिए 1:3 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

केन्द्र सरकार ''प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना'' शुरू करने पर भी विचार कर रही है। इसका उद्देश्य जल की कमी वाले क्षेत्रों में सूखा रोधी कार्य करने के साथ ही गांव स्तर पर जल संचयन, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और लघु सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

विवरण

सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली नई परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजनाओं का नाम	राज्य का नाम	लाभान्वित होने वाले जिले	लाभ (हजार हेक्टेयर में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	नेत्तामपादु लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	महबूब नगर	10.926	134.3
2.	कालवा कुथी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	महबूब नगर	20.234	380
3.	पुलिचिंताला सिंचाई परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूर, कृष्णा, प्रकाशम, पश्चिमी गोदावरी	575	506.2
4.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण-ई आर एम	आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूर, कृष्णा, प्रकाशम, पश्चिमी गोदावरी	575	659.16
5.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	आन्ध्र प्रदेश	महबूब नगर	83.78	744
6.	श्रीराम सागर चरण-II	आन्ध्र प्रदेश	वारंगल, नलगोण्डा, खम्माम, आदिलाबाद	253.4	697.7
7.	एस आर एस पी से बाढ़ प्रवाह नहर	आन्ध्र प्रदेश	करीम नगर, वारंगल, नलगोण्डा	102	1331
8.	जुराला (खिनाई बांध)	आन्ध्र प्रदेश	महबूब नगर	47.84	544.82
9.	वाल्लिगल्लु जलाशय	आन्ध्र प्रदेश	कुडप्पा	9.715	143.67
10.	कदवान जलाशय परियोजना	बिहार	पलामू और रोहतास	221.27	1111.14
11.	तिलैया धाधर	बिहार	नवादा/गया	38.99	220.11
12.	मछु-I का आधुनिकीकरण ई आर एम	गुजरात	राजकोट	2.14	8.12
13.	कनहर जलाशय परियोजना	झारखंड	पलामू	57.67 और 300 एम डब्ल्यू	1015.76
14.	उत्तरी कोयल जलाशय	झारखंड	पलामू, औरंगाबाद और गया	104.5	836.11
15.	कांडी नहर परियोजना	जे एण्ड के (कश्मीर क्षेत्र)	डोडा	3.023	37.31

1	2	3	4	5	6
16.	सिंगतलुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	गोदेज, बिल्लारी	16.188	123
17.	मार्कण्डेय	कर्नाटक	बेलगाम	19.105	209.85
18.	हिप्पारगी सिंचाई परियोजना	कर्नाटक	बीजापुर	59.69	186.7
19.	ऊपरी तुंगा परियोजना	कर्नाटक	शिमोगा, धारवाड़, चित्रदुर्ग	80.494	1052.33
20.	बासापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	धारवाड़	2.267	9.36
21.	ऊपरी नर्मदा परियोजना	मध्य प्रदेश	मांडला और शहडोल	18.61	211.92
22.	महान (चिनाई बांध)	मध्य प्रदेश	सिधी	19.84	146.51
23.	राजघाट नहर	मध्य प्रदेश	दतिया, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और टीकमगढ़	121.45	309.21
24.	गुंजावनी	महाराष्ट्र	पुणे	20.325	86.77
25.	भामा अस्खेद	महाराष्ट्र	पुणे	29.465	458.2
26.	अरमोदी नदी बेसिन	महाराष्ट्र	सतारा	43.87	212.08
27.	नीरा देवघर	महाराष्ट्र	पुणे	21.7	448.55
28.	वांग सिंचाई	महाराष्ट्र	उत्तरमंड वांग	11.00	–
29.	वार्ना सिंचाई	महाराष्ट्र	सांगली एवं कोल्हापुर	113.92	337.81
30.	पुनाद सिंचाई	महाराष्ट्र	नासिक	10.85	29.22
31.	संगोल्ला शाखा नहर	महाराष्ट्र	शोलापुर	9.22	37.01
32.	आंध्रा खोर	महाराष्ट्र	पुणे	12.461	44.37
33.	वकोद	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	2.214	34.36
34.	नार्थमैंड	महाराष्ट्र	सतारा	4.8	93
35.	मोरना गुरेघर	महाराष्ट्र	सतारा	5.32	101.5
36.	बंग	महाराष्ट्र	सतारा	6.2	134.39
37.	नागीवाडी	महाराष्ट्र	सतारा	1.56	51.47

1	2	3	4	5	6
38.	रायगवन	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	1.7	9.51
39.	ऊपरी इंद्रावती विस्तार परियोजना	उड़ीसा	कालाहांडी	41.794	136.67
40.	ओजी टाइप स्पिलवे युक्त रेत मिट्टी का बांध, तट के दोनों साइडों पर नहर प्रणाली	उड़ीसा	कालाहांडी	9.775	86.14
41.	झुंझुनू व चुरू जिलों में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	झुंझुनू और चुरू	256.57	1067
42.	इंदिरागांधी नहर चरण-I.	राजस्थान	श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर	32.6	121.92
43.	कनहर सिंचाई	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	33.12	341.45
44.	बाणसागर नहर	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद और मिर्जापुर	150.13	956.43
45.	मेजा बांध को ऊंचा करना	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद और मिर्जापुर	17.88	65
46.	मौदाहा बांध	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	17.7	125.16
47.	बुंदेलखंड में चैनल को पक्का करना	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर और वाराणसी	23.78	57.37
48.	भूपाली पंप नहर की क्षमता बढ़ाना	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	34.605	60.53
49.	कंगसाबती जलाशय का आधुनिकीकरण चरण-I	पश्चिम बंगाल	बांकुरा, मिदनापुर और हुगली	355.48	471.90

[हिन्दी]

विकसित देशों द्वारा फार्म सब्सिडी को समाप्त करना

***275. श्री बी०बी० रमैया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में जोहान्सबर्ग में हुए पृथ्वी सम्मेलन में विकसित देशों से फार्म सब्सिडी हटाने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर विकसित राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जोहांसबर्ग में आयोजित सतत् विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन में कृषि पर विचार-विमर्श के दौरान लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करने वाली व्यापार संबंधी नीतियों के प्रभाव, बहुमूल्य कृषि उत्पादों तथा गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए कृषि पर दी जाने वाली आर्थिक छूट के पुनर्निर्देश से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया था। व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों के साथ-साथ बाजार पहुंच में सुधार की प्राप्ति निर्यात संबंधी सब्सिडी समाप्त करना और कृषि उत्पादों के व्यापार में बाधा डालने वाले कार्यकलापों में कमी लाने के उद्देश्य से कोष्ठक में दिए विषय पर विचार-विमर्श किया गया। तथापि, अपनी घरेलू विवशताओं की वजी से विकसित देश कृषि पर सब्सिडी बंद

करने पर सहमत नहीं हो सके। अत: यह राजनैतिक घोषणा-पत्र में सहमति प्राप्त विषय-वस्तुओं और कार्यान्वियन संबंधी जोहांगसबर्ग योजना में स्थान नहीं पा सका।

लम्बित सिंचाई योजनाएं

*276. **श्री रामरती बिन्द :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास देश में, विशेषत: उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए लम्बित पड़ी परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार लम्बित परियोजनाओं/योजनाओं को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए कितना आबंटन किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं/योजनाएं लागू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जिनमें इन परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वियन किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (च) इस समय विभिन्न राज्यों से प्राप्त 172 सिंचाई परियोजना प्रस्तावों (89 वृहद और 83 मध्यम) में से 89 परियोजनाएं (41 वृहद और 48 मध्यम) मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और शेष 83 परियोजनाओं (48 वृहद और 35 मध्यम) को टिप्पणियों की अनुपालना के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। देश में तथा उत्तर प्रदेश में ऐसी परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II पर दिया गया है। परियोजनाओं/स्कीमों की स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि परियोजनाओं का मूल्यांकन/स्वीकृति राज्य प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्काल अनुपालना करवाने पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए परियोजनाओं के वास्ते परियोजना-वार वास्तविक व्यय और वर्ष 2002-2003 के लिए परिव्यय विवरण-III पर दिया गया है।

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के सभी जिलों में कार्यान्वियन के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत संबंधी जल प्रबन्धन" नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 35 जिलों और पश्चिम बंगाल के 9 जिलों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। इस परियोजना को केवल खरीफ और रबी/ग्रीष्मकालीन चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ही नहीं तैयार किया गया है बल्कि इससे किसानों को सब्जियां, चारा, तिलहन, दालें इत्यादि उगाने जैसी कृषि गतिविधियों को अपनाने और उनमें विविधता लाने में भी सहायता मिलेगी। यह स्कीम मुख्यत: भू/सतही जल के दोहन और पूर्वी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसके कुशल उपयोग पर केन्द्रित है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के किसानों की आय अधिक होगी और गरीबी में कमी आएगी। यह स्कीम विवरण-IV में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 10 राज्यों के प्रत्येक किसान/किसानों के समूहों के लिए है जिनमें छोटे और सीमान्त किसानों को वरीयता दी जानी है।

विवरण-I

30.11.2002 को लंबित परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य	वृहद					मध्यम					कुल				
		ए	बी	सी	डी	कुल	ए	बी	सी	डी	कुल	ए	बी	सी	डी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	3	7	—	—	10	6	9	—	1	16	9	16	—	1	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	2	2	—	—	04
5.	छत्तीसगढ़	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	01
6.	गोवा, दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	गुजरात	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	02
8.	हरियाणा	—	2	—	—	2	1	—	—	—	1	1	2	—	—	03
9.	हिमाचल प्रदेश	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	02
10.	जम्मू-कश्मीर	1	—	—	—	1	8	2	—	—	10	9	2	—	—	11
11.	झारखंड	3	4	—	—	7	—	—	—	—	—	3	4	—	—	07
12.	कर्नाटक	1	2	1	—	4	1	—	—	—	1	2	2	1	—	05
13.	केरल	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	02
14.	मध्य प्रदेश	3	3	—	1	7	—	—	—	—	—	3	3	—	1	07
15.	महाराष्ट्र	8	5	—	1	14	24	7	—	—	31	32	12	—	1	45
16.	मणिपुर	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	02
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	नागालैंड	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	02
19.	उड़ीसा	3	6	—	—	9	1	10	—	—	11	4	16	—	—	20
20.	पंजाब	4	—	—	1	5	2	1	—	—	3	6	1	—	1	08
21.	राजस्थान	3	2	—	—	5	1	2	—	—	3	4	4	—	—	08
22.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	तमिलनाडु	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	02
24.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	उत्तर प्रदेश	5	6	—	1	12	1	—	—	—	1	6	6	—	1	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26.	उत्तरांचल	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	01
27.	प. बंगाल	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	01
	कुल जोड़	39	44	2	4	89	47	33	1	2	83	86	77	3	6	172

ए—मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के अधीन परियोजना।

बी—जलसंसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुल टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

सी—जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।

डी—निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को संस्तुत।

विवरण-II

30.11.2002 को स्वीकृति के लिए लंबित उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र० सं०	परियोजनाओं के नाम	वृहद/ मध्यम	नदी/बेसिन	लाभावित जिले	प्राप्त होने की तारीख	लाभ (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागात (करोड़ रुपये में)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मौजूदा सारदा प्रणाली पर जल प्रबंध को उन्नत करना ई आर एम *	वृहद	सारदा/गंगा	बरेली, पीलीभीत, नैनीताल, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव व रायबरेली	7/2001	65.544	102.41	ए
2.	कनहर सिंचाई	वृहद	सोन/गंगा	मिर्जापुर	6/99	33.12	341.45	ए
3.	कचनोदा बांध	वृहद	जामनी/बेतवा	ललितपुर	11/2000	13.55	70.45	ए
4.	बाणसागर नहर	वृहद	गंगा	इलाहाबाद और मिर्जापुर	2/02	150.13	956.43	ए
5.	लचुरा बांध का आधुनिकीकरण- ई आर एम	वृहद	धसन/यमुना	झांसी	4/2002	14.575	98.05	ए
6.	उत्तर प्रदेश जल पुरसंरचना परियोजना*	वृहद	घागर/गोमती बेसिन	प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, बहराइच	4/2001	300.00	663.41 (अनंतिम)	डी
7.	मेजाबांध को ऊंचा करना ई आर एम	वृहद	टौंस/गंगा	इलाहाबाद और मिर्जापुर	3/92	17.88	65.0	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	मौदाहाबांध	वृहद	बेतवा/यमुना/ गंगा	हमीरपुर	3/90	17.70	125.16	बी
9.	चितौड़गढ़	वृहद	भाभरा नल्ला/ घाघरा/गंगा	गोंडा	10/93	11.88	36.70	बी
10.	बुन्देलखंड में चैनल को पक्का करना - ई आर एम	वृहद	गंगा	इलाहाबाद, बांदा, झांसी ललितपुर, मिर्जापुर व वाराणसी	5/92	23.78	57.37	बी
11.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	वृहद	यमुना	उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, हरियाणा में फरीदाबाद	8/98	50.00	74.16	बी
12.	भूपाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना-ई आर एम	वृहद	गंगा	वाराणसी	8/97	34.605	60.53	बी
13.	भौंरात व उत्तरी बांध	मध्यम	जामनी/बेतवा	ललितपुर	9/2001	7.905	52.10	ए

ए—मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के अधीन परियोजना।

बी—जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुल टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

सी—जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।

डी—निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को संस्तुत।

विवरण-III

क्रियान्वयनाधीन उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र० स०	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम/ ई आर एम	नवीनतम अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)	3/2002 तक संचयी व्यय (रुपये करोड़ में)	2002-03 के लिए परिव्यय (रुपये करोड़ में)	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7
	दसवीं योजना की निर्माणाधीन परियोजनाएं					
1.	बाणसागर नहर परियोजना (उ०प्र०)	वृहद	691.35	181.74	71.50	150.13
2.	कनहर सिंचाई	वृहद	341.45	57.57	12.50	33.12
3.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	ई आर एम	89.84	44.24	7.15	64.00

1	2	3	4	5	6	7
4.	बुंदेलखंड और बागेलखंड में चैनलों को पक्का करना	ई आर एम	97.00	7.50	2.00	24.48
5.	देवकली पम्प नहर का आधुनिकीकरण	ई आर एम	12.09	4.89	6.25	20.12
	दसवीं योजना की नई परियोजना					
6.	जल संसाधन समेकन परियोजना चरण-I	वृहद	750.23	0.00	62.50	–
7.	राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना चरण-II	वृहद	279.90	0.00	0.00	–
8.	पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों की जल विकास स्कीम	वृहद	399.70	0.00	0.00	0.00
9.	कचनोदा बांध	वृहद	70.45	0.00	0.01	13.55
10.	भरोत उत्तराई बांध	वृहद	52.10	0.00	0.01	12.80
11.	मध्य गंगा नहर चरण-II	वृहद	1645.31	0.33	उपलब्ध नहीं	150.34
12.	बदायूं सिंचाई स्कीम	वृहद	270.00	0.00	उपलब्ध नहीं	36.45
13.	भूपाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	वृहद	60.045	0.01	0.01	22.69
14.	औगासी पम्प नहर का आधुनिकीकरण	वृहद	21.04	0.01	0.01	12.69
15.	हथिनीकुंड संपर्क चैनल चरण-II	वृहद	159.00	0.00	0.01	112.00
16.	सारदा सहायक चरण-II	वृहद	75.00	0.00	0.00	0.00
17.	मौजूदा 17 नहर प्रणाली की क्षमता का आधुनिकीकरण	ई आर एम	762.06	4.90	14.06	407.95

विवरण-IV

पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंध स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए राज्य/जिले

क्र.सं.	राज्य	जिले
1	2	3
1.	असम	सभी जिले
2.	बिहार	सभी जिले
3.	झारखण्ड	सभी जिले
4.	उड़ीसा	सभी जिले
5.	छत्तीसगढ़	सभी जिले
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	35 जिले (गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, चन्दौली, वाराणसी,

1	2	3
		गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सन्त रविदासनगर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बलरामपुर, सरस्वती, गोन्डा, बहराइच, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, खीरी, फतेहपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिले)
7.	पश्चिम बंगाल	9 जिले (दार्जिलिंग, जलपाइगुड़ी, कूचबिहार, पश्चिम दिनाजपुर, मालदा, पुरूलिया, बीरभूम, पश्चिम मिदनापुर और बांकुरा जिले)
8.	अरुणाचल प्रदेश	सभी जिले
9.	मणिपुर	सभी जिले
10.	मिजोरम	सभी जिले

वन भूमि का अतिक्रमण

277. श्री बीर सिंह महतो :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें वनभूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने क्षेत्रफल भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है;

(ग) वर्तमान में राज्य-वार कितने क्षेत्रफल भूमि पर अतिक्रमण है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ वन अधिकारी/कर्मचारी भू-माफिया की मिलीभगत से अतिक्रमण कराने में लिप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 16 अगस्त, 2002 को 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भू-माफिया द्वारा वन भूमि पर किए गए अतिक्रमणों की ओर दिलाया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ज) सरकार ने वनभूमि पर होने वाले अतिक्रमणों को रोकने और अतिक्रमण की गई वनभूमि को खाली कराने के लिए क्या ठोस कार्य योजना तैयार की है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को 3.5.2002 को वन भूमि से समयबद्ध तरीके के अनुसार अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों अतिक्रमणकारियों के हटाने के परिचालन संबंधी पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं। हाल ही में असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने सूचित किया है कि उन्होंने बेदलखल करने के कार्य पहले से ही शुरू किए हुए हैं। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र अतिक्रमण के अन्तर्गत हैं। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दे दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वन अधिकारी देश में वन भूमियों के अतिक्रमण में लगे हुए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) केन्द्र सरकार को 16 अगस्त, 2002 को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। रिपोर्ट में वन भूमियों पर अतिक्रमण की समस्या दर्शाई गई है और केन्द्रीय सशक्त समिति की रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। केन्द्रीय सरकार ने अतिक्रमण समस्या से निपटने के लिए तीन स्तरीय तंत्र विकसित किया है और विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को, वन भूमियों पर अतिक्रमण की बेदखली के लगातार नियोजन और मानीटर करने के लिए संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रधान मुख्य वन संरक्षकों के कार्यालय में सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वन संरक्षक की अध्यक्षता में वन सर्कल स्तर पर समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य के रूप में होंगे जो अतिक्रमणों की बेदलखी में डिवीजनल वन अधिकारी की सहायता करेंगे। इसके अलावा, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मानीटरिंग समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए वर्ष में दो बार इसकी बैठकें होंगी और वन भूमियों पर अतिक्रमणों की मानीटरिंग करते समय ये वन भूमियों पर अतिक्रमणों को रोकने/बेदखल करने में फील्ड फार्मेशन की असफलताओं के लिए उनकी जिम्मेदारी भी तय करेंगे। संघ सरकार वन भूमि पर अतिक्रमणों को हटाने के लिए वचनबद्ध है और क्षेत्रों में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा ही कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	अतिक्रमण के अन्तर्गत क्षेत्र वर्ग कि०मी०
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3413.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.38
3.	असम	2547.11
4.	बिहार	21.77
5.	छत्तीसगढ़	1504.95
6.	दिल्ली	उपलब्ध नहीं
7.	गोवा	10.12
8.	गुजरात	54.84
9.	हरियाणा	8.52
10.	हिमाचल प्रदेश	14.93
11.	जम्मू-कश्मीर	154.06
12.	झारखंड	339.05
13.	कर्नाटक	1090.00
14.	केरल	459.70
15.	मध्य प्रदेश	728.11
16.	महाराष्ट्र	936.10
17.	मणिपुर	0.003
18.	मेघालय	154.64
19.	मिजोरम	0.13
20.	नागालैंड	0.00
21.	उड़ीसा	756.96
22.	पंजाब	44.09
23.	राजस्थान	175.84
24.	सिक्किम	120.00
25.	तमिलनाडु	182.83
26.	त्रिपुरा	419.27
27.	उत्तरांचल	104.00
28.	उत्तर प्रदेश	252.10
29.	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं
30.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	36.85
31.	चण्डीगढ़	उपलब्ध नहीं
32.	दादरा और नागर हवेली	उपलब्ध नहीं
33.	दमन और दीव	उपलब्ध नहीं
34.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं
35.	पाण्डिचेरी	उपलब्ध नहीं
	योग	13569.57

[अनुवाद]

क्षेत्रीय भाषाओं में उद्घोषणाएं

*278. **श्री पी०एच० पांडियन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी विमानपत्तन टर्मिनलों पर विमानों के आगमन और प्रस्थान के बारे में और विमान के भीतर विमान कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा उपायों के बारे में उद्घोषणाएं केवल हिन्दी और अंग्रेजी में ही की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय भाषाओं में विशेषरूप से तमिल में उद्घोषणाएं शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) जी, हां। हवाई अड्डे पर एयरलाइन स्टाफ द्वारा घोषणाएं और केबिन कर्मीदल द्वारा विमान में घोषणाएं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में की जाती हैं। तथापि, हिन्दी भाषी राज्यों के हवाई अड्डों के अलावा, एयरलाइनों द्वारा हवाई अड्डों पर घोषणाएं उसी राज्य की स्थानीय भाषा में भी की जाती है जिस राज्य में वह हवाई अड्डा है। फिर भी, व्यवहार्य दिक्कतों के मद्देनजर विमानों में केबिन कर्मीदल द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में घोषणाएं करने की व्यवस्था करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) सभी उड़ानों में ऐसी केबिन कर्मीदल की तैनाती करना व्यवहार्य नहीं है जिन्हें विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त हों।

ताजमहल का संरक्षण

279. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताज संरक्षण मिशन योजना के अंतर्गत अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) ताजमहल का समुचित संरक्षण करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किसी प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिनियम के अंतर्गत ताज के संरक्षण के लिए कितनी योजनाएं लागू की गई हैं और प्रदूषण को प्रभावी तरीके से रोकने में ये योजनाएं कितनी सफल रही हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्राधिकरण और प्रत्येक योजना पर किए गए काम का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने ताज सुरक्षा मिशन स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को अब तक 124.59 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति की है। केन्द्र सरकासर ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया है। ताजमहल की उचित सुरक्षा के लिए जल आपूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली आपूर्ति पार्किंग, बाई पास का निर्माण और मास्टर प्लान सड़कों का सुधार, पौध रोपण और परिवेशी वायु मानीटरिंग स्टेशनों की स्थापना करने के लिए स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, आगरा शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सल्फरडाईआक्साइड का वार्षिक औसत स्तर 1991 के 21 यू जी/एम 3, से घटकर 2001 में 15 यू जी/एम 3 तथा नाइट्रोजन आक्साईड का स्तर 1991 के 12 यू जी/एम 3 से घटकर 2001 में 10 यू जी/एम3 हो गया है और एस पी एम का स्तर सामान्यत: अपरिवर्तनीय रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अक्तूबर, 2002 तक विभिन्न स्कीमों पर कुल व्यय 259.20 करोड़ रुपए हुआ है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई धनराशि शामिल हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में भ्रष्टाचार

***280. श्री कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित अन्य होटलों की आय में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है जिसके कारण नौ करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या होटल प्रबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार इसका कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने होटल अशोक और अन्य भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की जांच की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारत के होटल उद्योग ने, वर्ष 2001-2002 के दौरान, 11 सितम्बर की घटना, प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य और यात्रा परामर्शी, एवं पर्यटक आगमन में कमी, के कारण घाटा उठाया है।

(ख) जी, नहीं। निष्पादन में गिरावट का मुख्य कारण प्रतिकूल पर्यटन परिदृश्य था, जिससे भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित, होटलों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

समुद्र से होने वाला भूक्षरण

***281. श्री पी० राजेन्द्रन :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने तटवर्ती राज्यों को समुद्र से होने वाले क्षरण का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल की 580 कि०मी० लम्बे तटीय क्षेत्र पर भूक्षरण का खतरा मंडरा रहा है और इसके 100 कि०मी० से अधिक लम्बे तटक्षेत्र पर मानसून के मौसम के दौरान भूक्षरण से बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है जिससे वहां का जीवन खतरे में पड़ गया है और फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (ग) संबंधित समुद्रतटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तटीय राज्य—आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, माराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को समुद्र से होने वाले भूमि कटाव का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार केरल का समुद्री तट 569.70 कि०मी० लम्बा है। केरल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध के दौरान किए गए अध्ययनों के आधार पर यह आकलन किया गया है कि केरल के समुद्र तट का लगभग 480 कि०मी० भाग समुद्री कटाव की दृष्टि से अतिसंवेदन शील है जिसमें से मार्च, 2002 तक 368 कि०मी० लम्बे समुद्र तट की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है।

बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण भूमि कटाव सहित बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और प्रचालन का दायित्व मुख्यतया संबंधित राज्यों का है। केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तकनीकी, प्रेरणात्मक एवं संवर्द्धनात्मक प्रकृति की होती है।

तथापि, समुद्री भूमि कटाव से प्रभावित होने वाले अति संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु तटवर्ती राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की दृष्टि से भारत सरकार इस समय राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना (एन सी पी पी) और केन्द्र प्रायोजित स्कीम नामक दो स्कीमों पर विचार कर रही है।

राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना में शामिल करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त 267.50 करोड़ रुपये की राशि के इस संशोधित प्रस्ताव की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी और जून, 2002 में राज्य सरकार को टिप्पणियां भेज दी गई हैं। इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है और राज्य सरकार से 3.00 करोड़ रुपये की राशि वाली एक स्कीम प्राप्त हुई थी जिसे केन्द्र प्रायोजित स्कीम में शामिल करने के लिए जांच की जा रही है।

तिहु गांधी भवन का निर्माण संबंधी कार्य

2857. श्री एम०के० सुब्बा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहु गांधी भवन (असम) के निर्माण संबंधी कार्य में भवन के निर्माण के लिए अनुदान की दूसरी किश्त का भुगतान न किये जाने के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस किश्त के कब तक जारी किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रकार की अन्य कितनी परियोजनाएं धनराशि जारी किये जाने हेतु छः महीने से अधिक समय से मंत्रालय के पास लंबित है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) निर्माण की कुल 25,24,493/- रु० की लागत में से सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान की स्कीम के तहत तिहु गांधी भवन को 12,62,466/- रु० की राशि स्वीकृत की गई है। 3,78,674/- रु० की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए, स्कीम की शर्तों के अनुसार संबंधित संगठन द्वारा निम्नलिखित तरीके से धनराशि खर्च करना :

- प्रथम किस्त के रूप में जारी समग्र राशि;
- संगठन द्वारा अपने संसाधनों से प्रथम किस्त के बराबर राशि; और
- इसके अलावा अनुदान के 40 प्रतिशत के बराबर राशि और इसके उपयोग का प्रमाण पत्र तथा किसी सनदी लेखपाल

द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। ये दस्तावेज अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें निर्धारित शर्तें पूरी कर दी गई हों और निधियां जारी करने के लिए 6 माह से अधिक समय से लंबित पड़ा हो।

आंध्र प्रदेश में गाद पट्टी की बिक्री

2858. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के विस्तृत क्षेत्र पर फैली गाद की पट्टी को व्यावसायिक लुगदी के लिए बेचा जा रहा है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण वैज्ञानिकों ने कृष्णा नदी के प्राकृतिक जल बहाव में गंभीर रुकावट आने की आशंका जतायी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये/कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (ग) राज्यों के भीतर आने वाले नदी के हिस्सों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश सिंचाई विभाग के अनुसार, उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सूखाग्रस्त राजस्व जिले

2859. **श्री अशोक अर्गल** :
श्री छत्रपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में सूखाग्रस्त घोषित किये गये कुल राजस्व जिलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) कितने जिलों में "सीमेंट उद्योग" और "फार्मेसी उद्योग" अस्तित्व में हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भू राजस्व अधिनियमों अथवा राहत संहिता, आदि के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, संबद्ध अधिनियम/संहिता में इस पक्ष में निर्धारित शर्तों के पूरा हो जाने पर सूखा घोषित किया जा सकता है।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग में उपर्युक्त विषय पर सूचना नहीं रखी जाती।

वन्यजीव और वनों को प्राथमिकता

2860. **श्री जय प्रकाश** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन्यजीव और वनों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा जनवरी, 2002 में आयोजित इसकी 21वीं बैठक में अंगीकृत वन्यजीव संरक्षण कार्य नीति 2002 में वन्यजीव और वनों को प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ग) सभी राज्य सरकारों से वन्यजीव संरक्षण कार्यनीति 2002 लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

नारियल की खेती का रोगग्रस्त होना

2861. **श्री टी० गोविन्दन** :
श्री पी० राजेन्द्रन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को रोगग्रस्त नारियल की खेती की सुरक्षा के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए केरल राज्य सरकार से हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) हाल ही में, 5 वर्षों की अवधि हेतु 576.14 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली "केरल के जड़ मुरझान रोग क्षेत्रों में नारियल जोतों की उत्पादकता वृद्धि" पर एक परियोजना केरल सरकार से प्राप्त हुई है, जिसमें वैज्ञानिक फसल प्रबंधन को अपनाना; तिरूवनन्तपुरम एवं थ्रिसुर के सीमावर्ती जिलों में रोगग्रस्त पौधों को हटाना; पुन: रोपण के लिए पौध की आपूर्ति और जागरूकता सृजन आदि शामिल हैं। इस परियोजना में भारत सरकार से 181.70 करोड़ रुपये की मांग है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग में परियोजना की जांच की गई है। नारियल विकास बोर्ड अपनी स्थापना से इसी प्रकार के कार्यक्रमों हेतु केरल में 110.94 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। जड़ मुरझान रोग 80 लाख रोगग्रस्त नारियल पेड़ों के साथ केरल के 8 जिलों में फैला हुआ है और इस हेतु निश्चित समय सीमा के अधीन इतने अधिक निवेश को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पास उपलब्ध लघु वित्तीय आबंटन से पूरा नहीं किया जा सकता है। अत: परियोजना पर विस्तृत टिप्पणी सहित केरल सरकार को सलाह दी गई है कि वह परियोजना को पुन: संरक्षित करे ताकि इसे योजना आयोग या विदेशी वित्त पोषण अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, जिसके लिए कार्यान्वियन के लिए प्रस्तावित कार्यनीतियों एवं घटकों, समय सीमा, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सहित प्रत्येक गतिविधि के लिए मील स्तंभ आदि हेतु विस्तृत तर्क देते हुए एक पूर्ण परियोजना प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। राज्य सरकार से परियोजना को तदनुसार संशोधित करने का आग्रह किया गया है।

पश्चिम बंगाल की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें

2862. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लिए फस्ट ट्रैक प्रोग्राम के अंतर्गत चालू वित्तीय सत्र में स्वीकृत बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) किस समय तक इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री श्रमिक आवास योजना

2863. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री श्रमिक आवास नामक योजना प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है;

(घ) इस योजना के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मजदूरों के लिए कितने घर बनाने का लक्ष्य है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) जो एक त्रिपक्षीय निकाय है, ने 2.10.2002 को आयोजित अपनी 158वीं बैठक में सिद्धान्त रूप में, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए एक आवास योजना शुरू किये जाने को अपना अनुमोदन दे दिया है। श्री एस० गोपालन, पूर्व श्रम सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में नियोजकों, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके एक समिति गठित की गई है। यह समिति स्कीम के क्रियान्वयन के व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन कर रही है।

[अनुवाद]

चलाने योग्य विमानों की संख्या

2864. श्री सुनील खां : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइन्स, एयर इंडिया और अन्य निजी संचालकों के पास कितने विमान हैं और उनमें से कितने प्रचालन में हैं;

(ख) क्या इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया वर्तमान में लाभ कमा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) प्रचालन में इंडियन एयरलाइंस के पास 54 विमानों का बेड़ा है, इनमें से 46 इसके अपने हैं तथा 8 प्रचालन लीज पर हैं। एयर इंडिया के पास 30 विमानों का बेड़ा है, जिनमें से 8 ड्राई लीज पर हैं। सभी विमान प्रचालन में हैं। जेट एयरवेज के पास अपने 40 विमान हैं, जिनमें से 39 प्रचालन में हैं। सहारा एयरलाइंस के पास अपने 10 विमान हैं, जिनमें से सभी प्रचालन में हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2001-02 के दौरान एयर इंडिया ने 15.44 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। तथापि, वर्तमान में इंडियने एयरलाइंस लाभ नहीं कमा रही है। इसके वित्तीय तथा प्रचालन निष्पादन में सुधार के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा उठाए गए कुछ उपचारी कदम हैं:-

(i) व्यापक बजटीय नियंत्रण प्रणाली, (ii) लागत लाभ विश्लेषण, (iii) फ्लेक्सी फेयर पॉलिसी लागू करना, (iv) किराए में वृद्धि, (v) श्रेष्ठ बेड़ा तथा दूसरे साधनों का उपयरोग, (vi) उत्पादों की गुणवत्ता/उपभोक्ता सेवाओं में सुधार, (vii) विपणन संबंधी पहल, और (viii) लागत नियंत्रण तथा आर्थिक उपाय।

सेतु समुद्रम परियोजना

2865. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण और अभियांत्रिकी शोध संस्थान (एन०ई०ई०आर०आई) द्वारा सेतु समुद्रम परियोजना के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सेतु समुद्रम परियोजना के संबंध में टुटीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट ने तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर को सौंपा है। अध्ययन कार्य चल रहा है।

कृषि मजदूर

2866. श्री ए० नरेन्द्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार विशेषकर आंध्रप्रदेश और उत्तरांचल में कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है और कुल जनसंख्या में कृषि मजदूरों का प्रतिशत इन राज्यों के संदर्भ में कितना है;

(ख) सरकार द्वारा केन्द्रीय और राज्य स्तर पर उनके कल्याण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में खेतिहर श्रमिकों की संख्या 107,628,287 (अनन्तिम) है जो कुल जनसंख्या का 10.5 प्रतिशत है। आन्ध्र प्रदेश में खेतिहर श्रमिकों की संख्या 13,818,754 (18.16 प्रतिशत) तथा उत्तरांचल में 258,752 (3.05 प्रतिशत) है।

(ख) और (ग) सरकार ने तीन वर्षों के प्रथम चरण के दौरान 10 लाख खेतिहर कामगारों को कवर करने के लिए चिन्हित 50 जिलों में भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001 चलायी है। जीवन बीमा निगम से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तरांचल में 31.10.2002 तक कवर किए गए खेतिहर कामगारों की संख्या क्रमशः 16371 तथा 398 है। गरीबी रेखा से नीचे तथा कुछ ही ऊपर वाले खेतिहर श्रमिकों सहित सभी व्यक्तियों को जीवन बीमा संरक्षण प्रदान करने के लिए 2000 से जनश्री बीमा योजना प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त, खेतिहर श्रमिक, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न गरीबी उन्मूलन/रोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की जा रही ऐसी कुछ योजनाएं हैं :- स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आदि।

कर्नाटक में ग्रामीण जलसंवर्धन योजना

2867. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा स्वाधीनता दिवस पर प्रारम्भ की गई ग्रामीण जल संवर्धन योजना पर केन्द्र सरकार का कर्नाटक में 1200 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण क्षेत्र के लिए निर्धारित कुल धनराशि कितनी है;

(ग) क्या भारत के सभी सिंचाई मंत्रियों की हाल ही में हुई बैठक में कुछ योजनाओं पर चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने त्वरित लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन-सी योजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता दिवस-2002 पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह कहा है कि "प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना" नामक एक स्कीम शीघ्र ही शुरू की जाएगी। यह स्कीम तैयार की जा रही है और इसके विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सिंचाई/जल संसाधन मंत्रियों की 24 सितम्बर, 2001 को हुई पिछली बैठक में राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे पर विचार-विमर्श हुआ और इसे अंतिम रूप दिया गया।

(घ) और (ङ) भारत सरकार अपर कृष्णा चरण-I; अपर कृष्णा चरण-II; मलप्रभा; घटप्रभा; गंडोरीनाला; हिरेहल्ला; करंजा और मस्कीनाला नामक स्कीमों के लिए कर्नाटक सरकार को त्वरित सिंचाई, लाभ कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है। तदनुसार, वर्ष 2002-2003 के दौरान अब तक कर्नाटक सरकार को 185 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई है।

उड़ीसा में स्मारक

2868. **श्री अनन्त नायक : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में स्मारकों के परिरक्षण पर वर्षवार और स्मारकवार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) इसके लिए कितना केन्द्रीय आबंटन किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उड़ीसा में 73 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं। संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के अलावा, उनके संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी विकास पर पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार एवं स्मारक-वार किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) रखरखाव एवं संरक्षण के लिए चालू वर्ष में 92.00 लाख रुपये का आबंटन है।

विवरण

क्र०सं०	स्मारक का नाम	स्थान	जिला	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	शैलकृत विष्णु	रासोल	अंगुल	38,122	4,057	—
2.	बृंगेस्वर महादेव मंदिर	बज्रकोट	अंगुल	1,72,799	1,44,947	5,29,485
3.	64 योगिनी मंदिर	रानीपुर	बोलनगिर	54,046	13,960	—
4.	नीलमदेव एवं सिद्धेस्वर मंदिर	गंध्रादी	बौद्ध	76,374	18,035	—
5.	पश्चिम सोमनाथ मंदिर	बौद्ध	बौद्ध	34,609	—	—
6.	कोदारेस्वर मंदिर	चौडवार	कटक	—	—	—
7.	बाराबटी किला	कटक	कटक	5,15,779	1,83,360	—
8.	बौद्ध स्थल	ललितगिरि	कटक	35,756	51,638	—

1	2	3	4	5	6	7
9.	पंचपांडव मंदिर	गनेस्वरपुर	कटक	34,006	52,401	—
10.	महीमनि मंदिर	रागड़ी	-वही-	5,390	1,84,708	—
11.	सिंहनाथ मंदिर	गोपीनाथुर	-वही-	32,901	33,043	—
12.	प्राचीन स्थल	बानेस्वरनस्त	-वही-	46,576	—	—
13.	मंदिर समूह	महेन्द्रगिरि	गजपति	—	4,300	—
14.	अशोक शिला-लेख	जौगढ़	गंजाम	33,729	—	—
15.	महादेव मंदिर	भवानीपुर	जगतसिंहपुर	42,449	—	—
16.	मंदिर समूह	जाजपुर	जाजपुर	1,67,993	46,541	—
17.	बौद्ध स्थल	रत्नागिरी	जाजपुर	96,793	11,01,134	2,26,000
18.	बौद्ध स्थल	उदयगिरि	जाजपुर	3,71,912	—	3,27,010
19.	असुरगढ़ किला	असुरगढ़	कालाहांडी	47,081	—	—
20.	शैलचित्र	सीताभांजी	क्योंझार	82,240	—	—
21.	खंडगिरि एवं उदयगिरि स्थित जैन गुफाएं	भुवनेस्वर	खुर्दा	2,73,416	—	—
22.	मुक्तेस्वर मंदिर	-वही-	-वही-	3,37,748	1,59,162	3,84,139
23.	दक्ष प्रजापति मंदिर	बानीपुर	-वही-	49,149	39,115	—
24.	बक्रेस्वर मंदिर	भुवनेश्वर	-वही-	—	—	3,68,865
25.	भगवान लिंगराज मंदिर	-वही-	-वही-	3,41,873	1,11,367	4,12,727
26.	जम्बेस्वर मंदिर	-वही-	-वही-	65,000	—	—
27.	रामेस्वर मंदिर	-वही-	-वही-	77,588	8,926	—
28.	राजारानी मंदिर	-वही-	-वही-	1,10,485	1,67,596	4,67,049
29.	अशोक शिला-लेख	धौली	-वही-	8,57,145	2,53,881	—
30.	पापनासिनी हौज	भुवनेस्वर	-वही-	30,000	1,34,228	—

1	2	3	4	5	6	7
31.	नवकिशोर मंदिर	भुवनेश्वर	खुर्दा	—	—	—
32.	प्राचीन स्थल	हसरीपुरगढ़	मयूरभंज	2,06,856	10,973	—
33.	भगवान जगन्नाथ मंदिर	पुरी	पुरी	8,71,967	8,67,041	20,76,521
34.	सूर्य मंदिर	कोणार्क	पुरी	9,18,171	20,68,450	12,51,025
35.	वराही मंदिर	चौरासी	पुरी	2,154	70,582	—
36.	वेताल देउल	भुवनेस्वर	पुरी	69,315	4,973	—
37.	प्राचीन स्थल	किरेपुर	खुर्दा	54,850	—	—
38.	मंदिर समूह	चौलवार	खुर्दा	1,05,430	—	—
39.	मक्रेस्वर मंदिर	भुवनेस्वर	कटक	37,649	—	2,28,000
40.	सहस्त्रलिंग हौज	-वही-	-वही-	17,348	—	—
41.	सारी देउल	-वही-	-वही-	1,02,277	—	—
42.	चित्रकर्णी मंदिर	-वही-	-वही-	—	—	5,58,563

कपास की खरीद

2869. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम (सी०सी०आई०) ने विदर्भ क्षेत्र में बड़े स्तर पर कपास की खरीद के लिए रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कपास निगम को इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय कपास निगम द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारतीय कपास निगत को कपास मौसम 2002-03 के दौरान विदर्भ क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में कपास की खरीद करने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अलावा भारतीय कपास निगम ने उक्त राज्य में दो शाखा कार्यालय अर्थात एक अकोला (विर्दभ क्षेत्र) में तथा दूसरा औरंगाबाद में खोले हैं और महाराष्ट्र में 9 नवम्बर, 2002 से कपास की एच 4 एल आर ए और वाई-1 किस्मों की खरीद शुरू भी कर दी है। उक्त निगम ने वाणिज्यिक प्रचालन के लिए अकोला एवं औरंगाबाद स्थित शाखा कार्यालयों के अंतर्गत 18 केन्द भी खोले हैं।

(ग) और (घ) भारतीय कपास निगम को इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, महाराष्ट्र में 2002-03 मौसम के दौरान कपास की खरीद के लिए कताई मिलों, निजी कपड़ा मिलों, जिनिंग तथा प्रैसिंग यूनिटों एवं भारतीय कपास निगम जैसे अभिकरणों को अनुमति प्रदान करके कपास संबंधी अपनी एकाधिकार खरीद स्कीम का आंशिक रूप से उदारीकरण किया है।

(ङ) भारतीय कपास निगम ने दिनांक 2 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार 25,059 क्विंटल कपास की खरीद की है।

प्रोम मंदिरों का पुर्नोद्धार

2870. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंबोडिया के साथ प्रोम मंदिरों के पुर्नोद्धार के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जोकि अंग्कोरवार की 1000 वर्ष पुरानी विरासत का हिस्सा है;

(ख) क्या पुर्नोद्धार कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पुर्नोद्धार परियोजना का ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) कम्बोडिया की शाही सरकार ने भारत गणराज्य के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अन्तर्गत सीम रीप कम्बोडिया स्थित टी ए प्रोम मंदिर समूह के संरक्षण एवं पुनरूद्धार का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाना है।

(ग) प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनन्तिम लागत 19.57 करोड़ रुपए है, जो प्रत्येक 6 माह के दो कार्य सत्रों के 6 चरणों की है।

दागोन में इस्पात उद्योग की स्थापना

2871. **श्री राजेन गोहेन : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की असम में गोवाहाटी के पास दागोन में भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के अधीन इस्पात उद्योग लिमिटेड स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इसके स्थापित हो जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) सरकार की असम में दागोन में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, सेल की दागोन में 42.85 करोड़ रुपऐ की अनुमानित लागत से एक हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग लाइन (एच डी जी एल) प्लाट स्थापित करने की योजना है। एच डी जी एल परियोजना पूरा करने के लिए सेल का संयुक्त उद्यम बनाने का प्रस्ताव है। परियोजना संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के एक वर्ष बाद पूरी की जाएगी।

कृषि वानिकी का प्रोत्साहन और विकास

2872. **डा० जसवंत सिंह यादव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में विशेषकर राजस्थान में कृषि वानिकी के प्रोत्साहन और विकास का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार कृषि प्रणाली के विविधीकरण के लिए विभिन्न उपायों के एक घटक के रूप में राजस्थान सहित देश के वर्षा-सिंचित, मरूस्थल तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में पनधारा विकास कार्यक्रमों के मध्यम से कृषि वानिकी को बढ़ावा दे रही है। सभी राज्यों को कवर करते हुए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य पनधारा कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

I. कृषि मंत्रालय

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।
2. झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना।
3. नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ क्षेत्रों के आवास क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण।

II. ग्रामीण विकास मंत्रालय

1. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
2. मरूस्थल विकास कार्यक्रम
3. समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम।

III. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

2. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

कृषि मंत्रायल के विभिन्न कार्यक्रमों की राज्यवार भौतिक व वित्तीय

उपलब्धियां (प्रारम्भ से IXवीं योजना तक) विवरण-I में दर्शाई गई हैं। इसके अलावा, भूसंसाधन विभाग वर्ष 1993-94 से प्रौद्योगिकी विकास विस्तार एवं प्रशिक्षण हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। राजस्थान राज्य में स्कीम के अधीन स्वीकृत कृषि-वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-II में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

शुरू से नौवीं योजना के अंत तक कृषि मंत्रालय के जलधारा विकास कार्यक्रमों की राज्यवार भौतिक व वित्तीय उपलब्धियां

भौतिक क्षेत्र 000' है० में

वित्तीय लाख रुपये में

क्र० सं०	राज्य/के०शा०प्र०	विभिन्न स्कीमों की भौतिक व वित्तीय उपलब्धि							
		वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलधारा विकास परियोजना		नदी घाटी परियोजना व बाढ़ प्रवण नदियां		झूम खेती वाले क्षेत्रों में जलधारा विकास परियोजना		कुल	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	295.000	7810.970	271.130	7241.900	0.000	0.000	566.130	15052.870
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.000	266.990	0.000	0.000	19.900	1245.605	24.900	1512.595
3.	असम	87.000	2098.180	19.190	494.120	13.900	1075.176	120.090	3667.476
4.	बिहार	34.000	863.720	163.550	4108.740	0.000	0.000	197.550	4972.460
5.	छत्तीसगढ़	40.000	1399.890	5.550	281.580	0.000	0.000	45.550	1681.470
6.	गुजरात	543.000	11519.560	127.140	4529.700	0.000	0.000	670.140	16049.260
7.	हरियाणा	43.000	1021.230	63.860	1774.030	0.000	0.000	106.860	2795.260
8.	हिमाचल प्रदेश	55.000	2129.450	295.660	11227.750	0.000	0.000	350.660	13357.200
9.	झारखण्ड	0.000	49.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	49.310
10.	जम्मू-कश्मीर	18.000	482.980	67.850	4027.560	0.000	0.000	85.850	4510.540
11.	कर्नाटक	766.000	19508.610	592.320	11166.980	0.000	0.000	1358.320	30675.590
12.	केरल	158.000	5561.620	30.700	1974.660	0.000	0.000	188.700	7536.280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मध्य प्रदेश	994.000	21212.870	1053.830	19545.550	0.000	0.000	2047.830	40667.420
14.	महाराष्ट्र	1161.000	25458.110	233.720	8212.670	0.000	0.000	1394.720	33670.780
15.	मणिपुर	25.000	1168.900	0.000	0.000	51.300	2653.380	76.300	3822.280
16.	मेघालय	18.000	948.560	0.000	0.000	25.600	1791.727	43.600	2740.287
17.	मिजोरम	62.000	3064.400	0.830	107.030	66.000	3901.490	128.830	7072.920
18.	नागालैण्ड	53.000	2891.900	0.000	0.000	60.200	4511.650	113.200	7403.550
19.	उड़ीसा	378.000	9770.160	247.560	4007.560	0.000	0.000	625.560	13777.720
20.	पंजाब	22.000	673.800	34.040	394.690	0.000	0.000	56.040	1068.490
21.	राजस्थान	1030.000	32501.050	681.220	19276.570	0.000	0.000	1711.220	51777.620
22.	सिक्किम	26.000	1258.580	24.550	1289.090	0.000	0.000	50.550	2547.670
23.	तमिलनाडु	399.000	11241.020	132.940	6824.470	0.000	0.000	531.940	18065.490
24.	त्रिपुरा	38.000	1523.850	10.190	405.290	20.800	1447.890	68.990	3377.030
25.	उत्तर प्रदेश	544.000	17814.060	626.450	17643.660	0.000	0.000	1170.450	35457.720
26.	उत्तरांचल	31.000	1196.030	172.120	8099.380	0.000	0.000	203.120	9295.410
27.	पश्चिमी बंगाल	143.000	3967.470	137.760	3344.100	0.000	0.000	280.760	7311.570
28.	दिल्ली	0.000	0.000	2.410	48.470	0.000	0.000	2.410	48.470
29.	चण्डीगढ़	0.000	0.000	1.740	95.270	0.000	0.000	1.740	95.270
30.	डी वी सी	0.000	0.000	490.000	15193.760	0.000	0.000	490.000	15193.760
31.	गोवा	6.000	136.080	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	136.080
32.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.000	231.300	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	231.300
33.	दादरा और नागर हवेली	0.000	3.170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.170
34.	दमन और दीव	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	अतिरिक्त खर्च	0.000	0.000	0.000	103.880	0.000	0.000	0.000	103.880
36.	हेड क्वार्टर	0.000	0.000	0.000	293.380	0.000	0.000	0.000	293.380
	कुल	6979.000	187773.820	5486.310	151620.840	257.700	16626.918	12723.010	356021.578

विवरण-II

राजस्थान राज्य में प्रौद्योगिकी विकास विस्तार व प्रशिक्षण स्कीम के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्षेत्र है० में

रुपये लाख में

क्रमांक	परियोजना शीर्षक	कार्यान्वयन अभिरण	क्षेत्र	कुल लागत*	निर्मुक्त निधियां
1.	शुष्क क्षेत्र में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता में सुधार करने के लिए कृषि वानिकी संबंधी परिचालनात्मक अनुसंधान परियोजना	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर	150	(21.45)	7.175
2.	शुष्क क्षेत्र में परती भूमि का सुधार	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर	150	24.30 (15.90)	5.4075
3.	सतत कृषि वानिकी मॉडल का उपयोग कर 5 लवण प्रभावित परती भूमि का प्रबंधन	हनुमानगढ़ कृषि अनुसंधान केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान	75	9.837 (6.687)	2.209

*डालर शेयर

ई०पी०एफ० की वह राशि जिस पर दावा न किया गया हो/जिसका भुगतान न किया गया हो

2783. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि योजना देश में एक सामाजिक सुरक्षोपाय के रूप में काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ई०पी०एफ० संगठन में कोई ऐसी राशि पड़ी हुई है जिस पर दावा न किया गया हो/जिसका भुगतान न किया गया हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है और यह राशि कब से बिना दावे की पड़ी हुई है/कब से इसका भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, बेदावा जमा खाते में भुगतान न की गई शेष राशियों का ब्यौरा निम्नवत् है :-

31.3.1999 तक की स्थिति के अनुसार — 108.87 करोड़ रुपये

31.3.2000 तक की स्थिति के अनुसार — 207.18 करोड़ रुपये

31.3.2001 तक की स्थिति के अनुसार — 351.62 करोड़ रुपये

बेदावा जमा खाते में भुगतान न की गई शेष राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बेदावा जमा खाते में भुगतान न की गई शेष राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नवत् है

क्षेत्र	31.03.2001 की स्थिति के अनुसार शेष राशि (करोड़ रुपये में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	145.06
असम	0.43
बिहार	0.11
दिल्ली	6.66
गुजरात	11.95
हरियाणा	6.19
हिमाचल प्रदेश	शून्य
कर्नाटक	11.48
केरल	0.18
मध्य प्रदेश	0.3
महाराष्ट्र	18.88
उड़ीसा	0.12
पंजाब	13.7
राजस्थान	1.2
तमिलनाडु	38.62
उत्तर प्रदेश	13.4
पश्चिमी बंगाल	83.34
कुल	351.62

तिलहन उत्पादन

2874. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-02 में तिलहन उत्पादम वार्षिक लक्ष्य से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या चावल और गेहूं के बफर स्टॉक के मद्देनजर सरकार तिलहन उत्पादन की ओर ध्यान केन्द्रित करके, फसल वैविध्य पर विचार कर सकती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां, मुख्य तिलहन उत्पादन राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण वर्ष 2001-02 में तिलहन का उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है।

(ख) और (ग) सरकार राष्ट्रीय नीति के एक भाग के रूप में उर्वरता समाप्त करने वाली फसलें जैसे एक के बाद दूसरी अनाज फसलें उगाने से सामना की जा रही मृदा उर्वरता संबंधी समस्याओं तथा कृषि में सततता बनाये रखते हुए एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखकर तिलहन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए फसल विविधीकरण पर जोर देती रही है।

[हिन्दी]

फर्जी आधार पर नियुक्ति

2875. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इण्डियन एयरलाइन्स और एलायंस एयर में फर्जी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां किये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ट्रैफिक सहायकों के रूप में भर्ती किये गये व्यक्तियों के नाम, उम्र और योग्यता क्या है;

(घ) क्या इन नियुक्तियों में फर्जी अनुकम्पा आधार के साथ-साथ उम्र, पद और योग्यता शर्तों में भी अनियमिततायें बरती गई हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(छ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुकम्पा आधार पर नियुक्त यातायात सहायकों की उनकी योग्यताएं एवं आयु सहित एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1999 से जून, 2002 तक अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए गए ट्रैफिक असिस्टेंट की सूची

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	उम्र	योग्यताएं	आधार
1	2	3	4	5
	1999			
1.	सुश्री० एन०पी गोल्कर	19 वर्ष	1 वर्ष बी०कॉम	पिता की मृत्यु
2.	बी०जी० सावन्त	21 वर्ष	एस०एस०सी० इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा	चिकित्सा आधार पर पिता की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति
3.	सुश्री एच०एल० बहादुर	18 वर्ष	एस एस सी	पिता की मृत्यु
4.	सुश्री एस०आर० राव	19 वर्ष	1 वर्ष बी एस सी	पिता की मृत्यु
5.	ए०के० जामरा	22 वर्ष	एच एस सी	पिता की मृत्य
6.	सुश्री विजयलक्ष्मी	35 वर्ष 11, महीने	बी०ए०	पति की मृत्य
7.	वी० वत्स	23 वर्ष	बारहवीं, डिप्लोमा इन सिस्टम	पिता की मृत्यु
8.	सुश्री अनिता थापर	32 वर्ष	बी०ए०, बी०एड०, पी.जी.डी.-विज्ञापन	पिता की मृत्यु
9.	सुश्री रेनु जैन	32 वर्ष	एम एस सी (बोटोनी), पीएचडी	पति की मृत्य

1	2	3	4	5
10.	ए०के० त्रिपाठी	18 वर्ष	बारहवीं	पिता की मृत्यु
	2000			
11.	गुरविन्दर सिंह	19 वर्ष, 9 महीने	एआईएसएससीई	पिता की मृत्यु
12.	डी०सी० विलियम	22 वर्ष, 1 महीना	एच०एस०	पिता की मृत्यु
13.	एफ०पी० गुजदार	21 वर्ष	एच एस सी	पिता की मृत्यु
14.	डी०एम० सोनवाले	21 वर्ष	एच एस सी	पिता की मृत्य
15.	सुश्री नीति सोहनपाल	35 वर्ष	एच एस सी	पिता की मृत्यु
16.	पौरव हरित	21 वर्ष	बारहवीं	चिकित्सा आधार पर पिता की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति
	2001			
17.	धन बहादूर	20 वर्ष	उच्च माध्यमिक	पिता की मृत्यु
18.	सुश्री डी०वी० गौरव	19 वर्ष	एच एस सी	पिता की मृत्यु
19.	पी०जो० बनसोडे	33 वर्ष	द्वितीय वर्ष बी०कॉम	भाई की मृत्यु
20.	जी०वी० गुथे	24 वर्ष	बी एस सी	पिता की मृत्यु
21.	सुश्री एल०ए० थॉमस	21 वर्ष	एच एस सी	पिता की मृत्यु
22.	सुश्री लवलीना कुजुर	19 वर्ष	दसवीं	पिता की मृत्यु
23.	एस०आर० विन्सेन्ट	32 वर्ष	बी०ए०(पास)	पिता की मृत्यु
24.	एच० वधावन	24 वर्ष	बी०कॉम(एच०), एल एल बी	पिता की मृत्यु
25.	श्रीमती रजनी अन्दयाल	35 वर्ष	दसवीं	पति की मृत्यु
26.	अरुण वर्मा	26 वर्ष	बारहवीं	पिता की मृत्यु
27.	एन०डी० शर्मा	25 वर्ष	बारहवीं	पिता को मृत्यु
28.	सौरव महाजन	25 वर्ष	बी०कॉम०(पास)	पिता की मृत्यु
	2002			
29.	पिनाकी चैटर्जी	29 वर्ष 1 महीना	उच्च माध्यमिक	पिता की मृत्यु
30.	पी०वी० मलाकार	22 वर्ष	बी एस सी	पिता की मृत्यु

[अनुवाद]

उत्पादन की बढ़ी कीमतें

2876. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बिक्री किसानों को महंगे और अविश्वसनीय बीजों की बिक्री से कृषि उत्पादन की लागत बढ़ रही है;

(ख) क्या उन्नत और अनुवांशिकीय रूप से तैयार किए गये बीजों को कीटनाशकों और औषधियों की आवश्यकता होती है जिसके कारण रायल्टी भुगतान और प्रौद्योगिकी शुल्क के द्वारा कृषि लागत बढ़ जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा की मांग कर रहे हैं जोकि अन्य क्षेत्रों की न्यूनतम मजदूरी के बराबर है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उत्पादन की दरें कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि जिन्सों की उत्पादन लागत बहुत से कारकों पर निर्भर करती है जैसे मानव श्रम, बीज, उर्वरक, सिंचाई लागत, कीटनाशकों, भूमि का किराया मूल्य आदि। उत्पादन लागत में वृद्धि विभिन्न आदानों के मूल्यों के संयुक्त प्रभावों के कारण होती है। किसान महंगे बीजों को केवल तभी खरीदते हैं जब उन्हें अनुरूप लाभ मिलने की आशा होती है।

(घ) से (च) सरकार द्वारा निर्धारित कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पिछले कई वर्षों से वृद्धि हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान-उत्पादन मूल्य में समता, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार संबंधों जैसे महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में खेती/उत्पादन लागत अति महत्वपूर्ण कारक होता है, जिसमें मानव श्रम की लागत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कृषि श्रम की न्यूनतम सांविधिक मजदूरी की दरों में वृद्धि पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में उपयुक्त ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार कृषि-उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम एवं स्कीमें क्रियान्वित करती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में कमी होगी।

चेन्नई में एयर इंडिया केन्द्र

2877. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया की जरूरतों को पूरा करने हेतु चेन्नई में एयर इंडिया केन्द्र बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चेन्नई में एयर इंडिया केन्द्र कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस दिशा में कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) हब का अभिप्राय सुविधाजनक कनेक्टिंग टाइमिंग्ज के अनुसार विभिन्न गंतव्य स्थलों के लिए और अधिक उड़ानों की व्यवस्था करना है। हाल ही में, एयर इंडिया के पास चेन्नई से दक्षिण-पूर्व एशिया के अवतरण-स्थलों के लिए सेवा प्रचालित करने के लिए सप्ताह में दस ए-320 विमान उपलब्ध हैं। ग्रीष्म, 2003 से, एयर इंडिया चेन्नई से सिंगापुर के लिए निर्धारित समयावधि के अनुसार दैनिक प्रचालन करने की योजना बना रही है।

[हिन्दी]

शोध छात्रों के वेतनमान की समीक्षा

2878. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइ०सी०ए०आर०) के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संस्थानों में कार्यरत शोध छात्रों के वेतनमानों को पुनरीक्षित कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) में कार्यरत शोध छात्रों के बराबर कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या (आई०सी०ए०आर०) के विभिन्न संस्थानों में शोध छात्रों के वेतनमानों को यू०जी०सी० और

सी०एस०आई०आर० के शोध छात्रों के बराबर किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन वेतनमानों को कब से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ज्यादातर डी एस टी द्वारा निर्धारित शिक्षावृत्ति की दरों का अनुसरण करती है। डी एस टी ने दिनांक 2.8.2002 के कार्यालय आदेश सं० 20020/11/97-11-0 के द्वारा दिनांक 1.4.2002 से शिक्षावृत्ति की दरों में संशोधन किया है। यह अभी भा०कृ०अ०प० के भी विचाराधीन है।

[अनुवाद]

वन भूमि का अन्य रूप में प्रयोग

2879. श्री अम्बरीश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य विकासात्मक कार्यों हेतु वन भूमि के उपयोग के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को कर्नाटक सहित कुछ राज्यों से विशेष रूप से खतरनाक अपशिष्टों के निपटान के उद्देश्य से अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव/अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, के उपबंध के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनाओं के लिए वनभूमि के अन्यत्र उपयोग हेतु केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है। गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वनभूमि के प्रत्येक प्रस्ताव पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और यदि विचलन आवश्यक और अपरिहार्य हो तो क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

वर्ष 1998 से 31.10.2002 तक की अवधि में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वानिकी मंजूरी के 4900 से भी अधिक प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए हैं। इस सूचना का संक्षिप्त सार संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें उनकी राज्यवार मौजूदा स्थिति दर्शा दी गई है।

कोलर जिला, कर्नाटक में परिसंकटमय अपशिष्टों के निपटान हेतु कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में 50.00 हैक्टेयर वनभूमि के उपयोग के प्रस्ताव को 22.10.2002 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित	अस्वीकृत	सूचना के अभाव में अस्वीकृत	राज्य सरकारों को लौटाए गए/वापिस किए गए	जिनमें मंत्रालय में कार्रवाई की जा रही है	राज्यों में अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	90	63	14	0	10	0	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	69	47	1	0	0	10	11
3.	आन्ध्र प्रदेश	128	79	25	4	7	4	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27	18	5	0	1	0	3
5.	बिहार	18	11	1	2	3	1	0
6.	चंडीगढ़	18	14	0	0	0	0	4
7.	छत्तीसगढ़	83	42	3	1	4	19	14
8.	दादरा और नागर हवेली	140	86	9	3	12	12	18
9.	दमन और दीव	1	0	0	0	0	0	1
10.	दिल्ली	6	3	2	0	1	0	0
11.	गोवा	30	10	2	0	0	2	16
12.	गुजरात	416	316	30	15	25	6	24
13.	हरियाणा	235	184	19	0	0	2	30
14.	हिमाचल प्रदेश	307	170	57	1	12	8	59
15.	झारखंड	85	46	2	27	1	3	6
16.	कर्नाटक	166	91	22	12	7	12	22
17.	केरल	43	30	2	2	2	3	4
18.	मणिपुर	5	4	0	0	1	0	0
19.	मेघालय	49	44	2	0	1	2	0
20.	मध्य प्रदेश	201	100	52	6	10	12	21
21.	मिजोरम	15	13	0	0	0	0	2
22.	महाराष्ट्र	474	296	65	10	16	45	42
23.	पंजाब	540	371	47	1	6	7	108
24.	उड़ीसा	141	87	6	12	12	12	12
25.	सिक्किम	45	43	0	0	0	0	2
26.	राजस्थान	168	102	15	20	12	5	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	तमिलनाडु	81	66	4	2	0	4	5
28.	त्रिपुरा	120	113	2	2	1	1	1
29.	पश्चिम बंगाल	14	7	3	0	2	0	2
30.	उत्तर प्रदेश	145	111	7	14	8	3	2
31.	उत्तरांचल	1064	887	51	12	49	8	57
	योग	4924	3454	448	146	203	181	492

विदेशों द्वारा पर्यटकों को यात्रा संबंधी सलाह

2880. श्री जी०एस० बसवराज : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका और ब्रिटिश यात्रा सलाहकारों ने आतंकवादी धमकियों के कारण वार्षिक पशु मेले के दौरान राजस्थान में पुश्कर का दौरा न करने की अपने नागरिकों को सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत आने वाले पर्यटाकों में विश्वास बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मलेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर में अमरिकी राजदूत चाहते हैं कि इन देशों को अमरीकी चेतावनियों से बाहर रखा जाए;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत इस बात को अमरीकी दूतावास के समक्ष रखेगा; और

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार विदेश स्थित भारतीय मिशन, डाक और भारतीय पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से नियमित रूप से यह प्रचार कर रही है कि पर्यटकों के लिए भारत यात्रा सुरक्षित है।

(ग) इस सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी सरकार के पास नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"रेड सैन्डर्स" की खेती

2881. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उपयुक्त वन क्षेत्रों में "रेड सैन्डर्स" की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "रेड सैन्डर्स" उगाने वाले किसानों को कोई राजसहायता दिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सामाजिक वानकी के अंतर्गत "रेड सैन्डर्स" की खेती की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है; और

(च) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश राज्य में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत जनता को रेड सैन्डर्स की पौद की निशुल्क आपूर्ति की जा रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा और चित्तूर जिलों के वन क्षेत्रों में 4099 हेक्टेयर क्षेत्र पर 1951-1952 से 1997-98 तक रेड सैन्डर्स के पादप उगाए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विपणन सुधार

2882. **श्रीमती रेणूका चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि विपणन सुधार संबंधी अंतरमंत्री-मंडलीय कृतक बल द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकार किया गया है और इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) सरकार ने समेकित और सहायक सुविधाओं की स्थापना और विकास हेतु आवश्यक बड़े निवेश हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के क्रम में संबंधित कृषि उत्पाद और विपणन विनियम अधिनियम में संशोधन करने हेतु राज्यों को राजी करने के लिए क्या उपाय किए हैं जिससे कृषि उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन मिलेगा;

(घ) सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों और विनियमित बाजार में गए बिना ही किसानों के उत्पादन क्षेत्रों से कृषि मदों का प्रत्यक्ष विपणन शुरू करने हेतु निजी कार्पोरेटरों और सहकारी एककों को अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि मदों के लिए विनिमय 'वेयरहाउस प्राप्ति प्रणाली' शुरू करने की सुविधा प्रारंभ करने हेतु कोई विधिक सुधार शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो उक्त प्रणाली आरम्भ करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) माननीय कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2002 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के कृषि विपणन संबंधी विषय से जुड़े मंत्रियों और केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ कृषि विपणन सुधारों से संबंधित अत: मंत्रालयी कार्य बल की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया। कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधारों को शुरू करने की आवश्यकता पर सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के बीच सहमति थी। चूंकि कृषि विपणन का विषय राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आता है अत: उन्हें उनके लिए उपयुक्त सुधार उपायों के कार्यान्वियन के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई।

सुधारों के कार्यान्वियन के लिए एक कार्य योजना विकसित करने तथा इस संबंध में कार्य बल द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए, केन्द्रीय राज्य मंत्री (कृषि) की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.2002 को राज्य मंत्रियों की एक स्थायी समिति गठित की गई है। कृषि विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का प्रतिपादन किया गया है ताकि उत्पादकों से उपभोक्ताओं/प्रसंस्करण इकाइयों/अत्यधिक मात्रा में खरीदकर्त्ताओं आदि को, कृषि जिंसों के सीधे विपणन के लिए बुनियादी ढांचे सहित मण्डी के बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी परियोजनाओं में निजी एवं सहकारी क्षेत्रों से निवेश को आकर्षित किया जा सके। योजना आयोग ने 10वीं योजना अवधि में इस योजना के कार्यान्वियन के लिए सिद्धान्त: मंजूदी दे दी है।

(ङ) और (च) कृषि विपणन सुधारों पर अत: मंत्रालयी कार्य बल ने सिफारिश की है कि माल गोदाम की प्राप्ति को पारणीय साधन (नैगोशिएबल इन्स्ट्रूमैंट) बनाया जाए। केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने माल गोदाम की प्राप्ति को पारणीय साधन (नैगोशिएबल इन्स्ट्रूमैंट) बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को संस्तुत करने हेतु, अन्य बातों के साथ-साथ इस माल गोदाम प्रणाली पर कार्य करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बीजू पटनायक विमानपत्तन पर सड़क का निर्माण

2883. **डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर वैकल्पिक सड़क के निर्माण के लिए करीब 20 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क के निर्माण में विलंब के कारण धवन पट्टी का विस्तार करने में विलंब हो रहा है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भुवनेश्वर की बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किसी वैकल्पिक सड़क के निर्माण के लिए कोई रकम मंजूर नहीं की गई है। चूंकि यह सड़क उड़ीसा राज्य सरकार की है इसलिए उन्हें इस मामले में कारवाई करनी है।

गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

2884. **श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से इन्कार करने के कारण उत्तेजित किसान अपनी खड़ी गन्ना फसलों को जलाने पर बाध्य हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी फसलों की हानि का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ग) सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन और चीनी के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में गन्ने की फसल जलाए जाने की शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गई थीं। क्षेत्रीय अधिकारियों ने जांच के बाद यह पाया कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तथापि, मेरठ जिले के दो गांवों में गन्ना सांकेतिक रूप से जलाया गया।

(ग) सरकार ने चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है :-

(i) दिनांक 01.04.2001 से सरकार ने चीनी के निर्यात से मात्रात्मक सीलिंग उठा ली है और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण से पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाण पत्र की अपेक्षा भी समाप्त कर दी है।

(ii) चीनी का निर्यात चीनी कारखानों को निर्यात की जाने वाली चीनी पर अनिवार्य लेवी से छूट दे दी गई है।

(iii) चीनी की निर्यात मात्रा का चीनी मिलों के फ्री सेल स्टॉक से समायोजन निर्यात की तारीख से 18वें महीने के अंत में किया जा रहा है।

(iv) निर्यातकों को निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य पर 4% की दर से शुल्कअर्हता पास बुक (डी०ई०पी०बी०) लाभ की अनुमति दी गई है।

(v) सरकार ने चीनी विकास निधि, 1982 एवं चीनी विकास निधि नियम, 1982 में संशोधन किया है और इसमें आन्तरिक परिवहन एवं चीनी की निर्यात खेप पर मालभाड़े की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया है। तत्संबंधी अधिसूचना 21.06.2002 को जारी कर दी गई है।

विमान किराये में अन्तर

2885. श्री डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से सिंगापुर, हांग-कांग और अन्य विदेशी गंतव्यों की विमान यात्रा करना दिल्ली से त्रिवेन्द्रम की विमान यात्रा से सस्ता है;

(ख) यदि हां, तो विमान किरायों में इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) घरेलू विमान यात्रा की लागत को घटाने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) अंतरराष्ट्रीय रूटों के प्रकाशित किराए आयटा तंत्र द्वारा निर्धारित किए गए हैं तथा तत्पश्चात अनुमोदन के लिए संबंधित सरकार के समक्ष रखे जाते हैं। तथापि, बाजार में उत्कथित वास्तविक किराए सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आयटा) किरायों से लगभग कम होते हैं। अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों के किराए, प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग-अलग हैं तथा यह किराए मौसम तथा प्रतिस्पर्धा पर निर्भर हैं। भारत से दूसरे देशों के लिए प्रचालित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में प्रयुक्त एटीएफ की तुलना में, दिल्ली-त्रिवेन्द्रम की लागत ढांचा घरेलू विमानन टरबाइन फ्यूल मूल्य की वजह से लगभग 50 प्रतिशत प्रभावित होती है।

(ग) पूरे नेटवर्क पर घरेलू किरायों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एयरलाइन प्रचालक समय-समय पर कुछ घरेलू सेक्टरों पर संवर्धक किराए आरंभ करते हैं जो कि सामान्य किराए से कम होते हैं।

सरगुजा में शिव मंदिरों के अवशेष

2886. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरगुजा, महेश्वर में कई शिव मंदिरों के अवशेषों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो अवशेषों के संरक्षण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियां विश्व की सबसे बड़े पुरातात्विक स्थानों में से एक हैं; और

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और उक्त स्थान की खुदाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। महेशपुर, जिला सरगुजा में शिव, वैष्णव तथा जैन मंदिरों के अवशेषों का पता चला है तथा पुरातत्व और संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार अवशेषों के संरक्षण के लिए कदम उठा रहे हैं।

(ग) यह सत्य नहीं है कि रामगढ़ पहाड़ी विश्व के सबसे बड़े पुरातत्वीय स्थलों में एक है। तथापि, यहां कई प्राकृतिक गुफाएं हैं जिसमें से दो नामत: सीतावांगरा तथा जोगीमारा पहाड़ियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं।

(घ) तथापि, फिलहाल, स्थल पर उत्खनन कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हम्पी उत्सव

2887. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हम्पी उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) कर्नाटक राज्य पर्यटन विभाग ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने हम्पी उत्सव को एक अन्तर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है।

(ख) कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव पर्यटन विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है।

[हिन्दी]

रोजगार हेतु बोकारो प्रशासनिक भवन के समक्ष प्रदर्शन

2888. श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रोजगार के लिए बोकारो प्रशासनिक भवन के समक्ष विस्थापित व्यक्तियों द्वारा 25 सितम्बर, 2002 से प्रदर्शन किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें वर्ष 1991 से प्रतीक्षा में रखने का क्या औचित्य है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां। विस्थापित युवा छात्र संघ (डी वाई एस यू) जो उन विस्थापित व्यक्तियों जो वर्ष 1991 में खलासी के पद के लिए भर्ती हेतु तैयार किए गए पैनल में रह गए थे, से संबंधित होने का दावा करता है, कंपनी में रोजगार देने की मांग को लेकर बोकारो प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दे रहा है।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के एक समूह ने एक रिट याचिका (1995 की सं० सी डब्ल्यू जे सी-2459 आर) के तहत माननीय पटना उच्च न्यायालय, रांची बेंच के समक्ष मामला दर्ज किया था। 1991 में तैयार किए गए पैनल को अवैध और अप्रचालनरत रखते हुए दिनांक 26.6.1996 के निर्णय के तहत याचिका को निपटा दिया गया। बाद में 1996 (आर) की एल पी ए 161 और 162 में माननीय उच्च न्यायालय ने 7.4.98 के आदेश के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र को 1991 में तैयार किए गए उपरोक्त पैनल से छूटे हुए व्यक्तियों सहित उन उम्मीदवारों, जिन्होंने मामला दायर किया है, की निदेशक परियोजना और पुनर्वास (डी पी एल आर), बोकारो के माध्यम से विस्थापित व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति की जांच करने के बाद नया साक्षात्कार आयोजित करने का निदेश दिया गया था।

(ग) बार-बार मुकदमों के कारण भर्ती नहीं हो सकी। परन्तु एल पी ए संख्या 161 और 162 का निर्णय 7.4.98 को और 1999 (आर) की एम जे संख्या 139 की निर्णय 1.8.2000 को सुनाने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार कंपनी में भर्ती की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में 51 विस्थापित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया है और जो उपयुक्त पाए गए उन्हें प्रथम चरण में भर्ती कर लिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में विशाल भंडार

2889. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) की बजाय छोटे संगठनों से करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या शंकरलाल गुरू समिति ने छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारियों के संगठनों की स्थापना हेतु सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो शंकरलाल गुरू समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय द्वारा श्री शंकरलाल गुरू की अध्यक्षता में गठित कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण एवं विकास संबंधी विशेषज्ञ समिति ने छोटे, मध्यम एवं बड़े व्यापारियों को श्रेणियों में विभक्त करने के बारे में ऐसी सिफारिश नहीं की है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना की निगरानी

2890. श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री राजो सिंह :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष अक्टूबर में आयोजित भारतीय पर्यावास केन्द्र की कार्यशाला में व्यक्त चिंता की कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद क्रियान्वित कार्यों, प्रधान मंत्री रोजगार योजना की निगरानी और उसके अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या नए प्रयास किए गए हैं कि इस योजना का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचे?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयु, शैक्षिक अर्हता, शामिल क्रियाकलापों, वार्षिक पारिवारिक आय, विवाहित महिलाओं के लिए रेजिडेंसी मानदण्ड, उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए समपार्श्विकता आदि के संबंध में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कुछ पैरामीटर उदार कर दिए गए हैं, ताकि योजना के लाभ आम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।

[अनुवाद]

बोइंग विमान की आपात जांच

2891. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 सितम्बर, 2002 के 'एशियन एज में यू०एस० चैक्स इन्टायर बोइंग फ्लीट' और 'ऑसीज एयरलाइंस ग्राउण्ड बोइंग्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चलने वाले सभी बोइंग विमानों की इसी तरह की आपात जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) जी, हां। विमानन महानिदेशालय ने इंडियन एयरलाइंस, एलाइंस एयर, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस तथा ब्ल्यू डार्ट एविएशन समेत सभी बोइंग आपरेटरों के अनिवार्य रूप से अनुपालन के लिए 13 सितम्बर, 2002 को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) द्वारा जारी उड़नयोग्यता दिशा-निर्देशों की घोषणा की थी। जेट एयरवेज ने दो बोइंग 737 विमानों की शिनाख्त की थी जिनके फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल्ज (एफसीएम) प्रभावित थे और उनकी प्रतिस्थापना 14 सितम्बर,

2002 को कर दी गई। सभी अन्य आपरेटरों ने पुष्टि की है कि उनके बोइंग 737 सेवा विमानों के एफ सी एम प्रभावित नहीं हैं।

गुजरात में एतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

2892. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में विशेषकर राज्य के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के इतिहासिक स्मारकों के संरक्षण हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में स्थित उन प्राचीन स्मारकों के नाम क्या हैं जिनके लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस स्मारकों के रखरखाव पर व्यय की गई राशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात राज्य के सौराष्ट्र - कच्छ क्षेत्र में स्थित प्राचीन स्मारकों/स्थलों पर पिछले दो वर्षों के दौरान परियोजनावार/स्मारक-वार किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात राज्य के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के स्मारकों के अनुरक्षण पर पिछले दो वर्षों अर्थात् 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान किए गए व्यय

(लाख रुपये में)

क्रमांक		स्मारक का नाम	2000-2001	2001-2002
1		2	3	4
I.	अमरेली जिला			
	1.	गोहिलवाड टिम्बो, अमरेली	—	0.01
	2.	काशी विश्वनाथ मन्दिर की दीवार पर भित्तिचित्र, पदसिंगा	—	01.23
II.	भावनगर जिला			
	3.	तलजा की गुफाएं	02.06	0.35
	4.	दरबार गढ़, सिहोर	0.95	0.36
	5.	प्राचीन स्थल, वलभीपुर	—	0.26
III.	जामनगर जिला			
	6.	द्वारकाधीश मन्दिर समूह, द्वारका	03.97	03.57
	7.	गोकेश्वर महादेव मन्दिर, लौराली	03.03	01.43
	8.	रुकमणी मन्दिर, द्वारका	0.02	0.73
	9.	कनकेश्वर महादेव मन्दिर	02.62	0.81

1	2	3	4
	10. जूनागढ़ी मन्दिर, वसई	0.04	0.95
	11. राम लक्ष्मण मन्दिर, बराड़ी	01.64	02.51
	12. मगदेरू मन्दिर, धसनवेल	03.03	0.53
	13. गुहाडिल्य मन्दिर, वरवाला	0.29	—
	14. गोप (सूर्य) मन्दिर, जीनावाली, गोप	0.01	—
	15. दुर्वासा ऋषि आश्रम, पिंडारा	01.25	0.59
	16. कालिका मातामन्दिर, ध्रवाड़	—	0.04
	17. जामी, रावेली, रहमत बीबी की मस्जिद, मंगरोल	0.02	0.14
	18. बौद्ध गुफाएं, जूनागढ़	0.74	0.38
	19. खापरा कोडिया गुफाएं, जूनागढ़	0.06	01.74
	20. बाबा प्यारे गुफाएं, जूनागढ़	0.06	0.19
	21. अशोक के शिलालेख, जूनागढ़	01.24	0.52
	22. प्राचीन माउनेट (बौद्ध) स्थल, इन्तवा	0.20	0.13
	23. रणछोड़ रायजी मन्दिर, मूल द्वारका	—	0.07
	कच्छ जिला		
	24. शिव मन्दिर, कोटई	0.97	01.39
	25. रावलखा छतरी, भुज	02.02	02.29
	26. उत्खनित स्थल, सुरकोटडा	0.12	0.33
	27. उत्खनित स्थल, धौलावीरा	05.19	04.25
	पोरबन्द जिला		
	28. महात्मा गांधी का जन्म-घर, पोरबंदर	0.57	0.62
	29. पुराना पारस्वनाथ मंदिर, मियानी	—	01.04
	राजकोट जिला		
	30. गुफाएं, ढांक	—	0.01

1	2	3	4
	सुरेन्द्र नगर जिला		
31.	नवलखा मन्दिर, सेजकपुर	01.25	01.85
32.	सूर्य मंदिर, थान भूकम्प प्रभावित स्मारक	—	0.24
	कच्छ जिला		
33.	राव लखा, छत्तरी, भुज	01.07	03.35
34.	सूर्य मंदिर, थान गढ़, जिला सुरेन्द्रनगर	0.22	0.65
	जोड़	32.58	32.56

खाद्य असुरक्षा की स्थिति संबंधी एफ०ए०ओ० की रिपोर्ट

2893. **श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन (एफ०ए०ओ०) ने खाद्य असुरक्षा की स्थिति संबंधी अपनी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है कि विकासशील देशों में करीब 799 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार हैं, और उनमें से अधिकांश भारत में रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस चुनौती का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2002 में जारी किए गए "विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति" शीर्षक वाले प्रकाशन में, एफ०ए०ओ० ने सूचित किया है कि विश्व में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या 840 मिलियन है जिनमें से 799 मिलियन लोग विकासशील देशों में रहते हैं। यह आकलन वर्ष 1998 से 2000 के आंकड़ों पर आधारित है। भारत में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या 233.3 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) स्वतन्त्रता के बाद से देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सरकार की प्रमुख चिन्ता रही है। भारत में मूल खाद्य सुरक्षा प्रणाली के मुख्य घटक हैं—घरेलू खाद्यान्न उत्पादन के संवर्धन, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों, खरीद एवं भण्डारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा बफरस्टॉक रखने, आदि से संबंधित नीतियां। गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, अन्त्योदय अन्न योजना, आदि जैसी योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन न प्राप्त करने वाले गरीबों को निशुल्क अनाज प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रमों, आदि में भी खरीदने में असमर्थ अधिक गरीब तबकों के लिए खाद्य के प्रावधान की कोशिश की गई है। यह भी जोड़ा जाए कि खाद्य उत्पादन में अपूर्व सुधार तथा खाद्यान्नों के सन्तोषजनक भण्डार के साथ, अब अधिक गरीब तबकों की इन खाद्यान्नों तक पहुंच को सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौती है।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

2894. **श्री रामशकल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने औषधीय पौधों की पौधशालाओं को प्रोत्साहन देने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी संगठन-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी. हां।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान "उत्तर प्रदेश में भूमि अपलकी, आंवला, बेल की गुणवत्ता रोपण सामग्री के लिए खेतों में रोपण एवं नर्सरी विकास" नामक एक परियोजना एक गैर-सरकारी संगठन अर्थात डाबर रिसर्च फाऊण्डेशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को स्वीकृत की गई है। उक्त परियोजना के लिए 10.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है और वर्ष 2001-02 के दौरान उक्त संगठन को 5.00 लाख रुपये निर्गत किए गए हैं।

[अनुवाद]

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी को लाइसेंस

2895. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० (के०आई०ओ०सी०एल०) ने बेल्लारी में खनन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनी ने लाइसेंस के लिए कब आवेदन किया था;

(ग) क्या बेल्लारी में लौह अयस्क का विशाल भंडार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां। कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि० (के.आई.ओ.सी.एल.) ने बेल्लारी-हॉसपेट क्षेत्र में खनन हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

(ख) के.आई.ओ.सी.एल. ने लाइसेंस की मंजूरी के लिए दिनांक 09.03.2000 को आवेदन किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) कर्नाटक सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

2896. योगी आदित्यनाथ :
श्री वाई०जी० महाजन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को होने वाली क्षति की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो रोके न जा सकने वाले जोखिम (अर्थात न रोके जा सकने वाले प्रकृति के सभी प्राकृतिक जोखिम) के कारण होने वाली उपज हानियों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है, देश में रबी 1999-2000 मौसम से चल रही है। चूंकि, जंगली जानवरों के कारण कृषि फसलों को होने वाली हानियां रोके जाने योग्य स्वरूप की हैं, अतः इन्हें विद्यमान स्कीम में कवर नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

टूर पैकेज का विकास

2897. श्री राजैया मल्याला :
डा० एस० वेणुगोपाल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विजयवाड़ा से विशाखापट्नम तथा अराकु घाटी और विजयवाड़ा से शिरडी के लिए नए टूर पैकेज विकसित करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) टूर पैकेजों का विकास मुख्यतया टूर आपरेटरों एवं राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा किया जाता है। पर्यटन सर्जक बाजारों में इन पैकेजों का संवर्धन करने के लिए, सरकार यात्रा उद्योग को सहायता मुहैया कराती है।

इन्द्रावती नदी परियोजना

2898. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में इन्द्रावती नदी परियोजना कब से शुरू हुई और इसकी आरम्भिक लागत कितनी थी;

(ख) धनराशि जुटाए जाने हेतु प्रस्तावित साधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना की सभी नहरों का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी भूमि की सिंचाई की गई; और

(ङ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) उड़ीसा में इन्द्रावती नदी परियोजना नाम की कोई परियोजना नहीं है। तथापि, उड़ीसा में अपर इन्द्रावती परियोजना नाम की एक परियोजना है जिसे योजना आयोग द्वारा वर्ष 1978 में अनुमोदित किया गया था। इसे तदनुसार 77.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वार्षिक योजना 1978-80 में प्रारंभ किया गया था।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही निधियों के अतिरिक्त यह परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त कर रही है तथा इसके 2006-07 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) परियोजना के नहर कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:-

परियोजना का नाम	नहर की लंबाई (किलोमीटर)	उपलब्धि (किलोमीटर)
1	2	3
अपर इन्द्रावती		
(क) बायीं मुख्य नहर	52	52
(ख) दायीं मुख्य नहर	84	80
(ग) लिफ्ट मुख्य नहर	45	शून्य

(घ) दिनांक 01.04.2002 तक 74.6 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

(ङ) इस परियाजना की नवीनतम अनुमानित लागत 718.70 करोड़ रुपए है और इसमें मार्च, 2002 तक 408.10 करोड़ रुपए व्यय हुआ है।

वन्य जीवों को अवैध व्यापार

2899. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेलवे हजारों अवैध वन्य पक्षियों को बेचने हेतु शहरों में ला रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा दिल्ली/मुम्बई में लाए गए वन्य पक्षियों के पकड़े जाने के कितने मामले जानकारी में आये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान मुम्बई से जब्ती के 3 मामलों की रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदमों में शामिल है:-

(i) रेल मंत्रालय से निवेदन किया जाता है कि वे इस प्रयोजन के लिए नामोदिष्ट अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वन्य जीव/पक्षी अथवा उनके उत्पादों की ढुलाई के लिए स्वीकार न करें।

(ii) रेल मंत्रालय ने वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 और पशुओं की ढुलाई (संशोधित) नियम, 2001 के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सभी आंचलिक कार्यालयों को अनुदेश दिए हैं।

(iii) राज्य वन्यजीव स्कंध और पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ-साथ पुलिस और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों

द्वारा रेलवे स्टेशनों सहित संवेदनशील स्थलों पर; वन्यजीव और उसके उत्पादों के अवैध व्यापार के विरुद्ध सख्त सतर्कता रखी जाती है।

विमानन परियोजना का ठेका देना

2900. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 100 करोड़ रुपए और इससे अधिक रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का परियोजना-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनका ठेका पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न विमानन संबंधी कार्यकलापों हेतु दिया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन ठेकों और परियोजनाओं को देने में नियम और विनियमों का सख्ती से अनुपालन किया है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित परियोजनाओं का ठेका देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) पिछले दो वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक लागत की कोई परियोजना अवार्ड नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

अलसी के समर्थन मूल्य की घोषणा

2901. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार से अलसी के समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए आज तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और प्रस्ताव-वार किन-किन तारीखों में ये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अलसी के समर्थन मूल्य की घोषणा न करने के क्या कारण हैं और अलसी उत्पादक कृषकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से विस्तृत प्रस्ताव मांगा था और क्या यह प्रस्ताव आयोग को प्राप्त हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) अलसी के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से जुलाई, 1999 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि अलसी का उत्पादन स्थानीकृत स्वरूप का है और क्षेत्र एवं उत्पादन के अनुसार अखिल भारत के महत्व वाली जिंसों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, इसे योजना के तहत कवर नहीं किया जा सकता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

चारे की कमी

2902. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप राज्यवार कितने पशु मर गए;

(ग) क्या सरकार ने इस समय देश में चारे की आवश्यकता का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण देव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रभावित राज्यों से इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) जी, हां।

(घ) देश में चारे की आवश्यकता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सरकार सी आर एफ/एन सी सी एफ से निधियों की निर्मुक्ति, रेलवे द्वारा चारा की मुफ्त ढुलाई, गोपशु शिविरों, को राहत, चारे की उपलब्धता तथा आवश्यकता पर सूचना का संग्रह तथा प्रसार, चारा बीज मिनिकिटों का वितरण, गोपशु आहार निर्माताओं, एन डी डी बी, राज्य सरकारों के साथ संपर्क इत्यादि जैसे उपचारात्मक उपाय करती है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने पुरानी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता, चारा बैंकों, की स्थापना तथा भूसा/सेल्लूलोसिक अपशिष्ट का संवर्धन नामक दो घटकों को चारा अभाव से निपटने के लिए राज्य सरकार को निधि निर्मुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए पुन: शुरू किया है। विभागीय फार्मों को अधिक चारा उत्पादन करने तथा लागत आधार पर किसानों को आपूर्ति करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

विवरण

देश में राज्यवार चारे की आवश्यकता

राज्य	आवश्यकता (000 टन में)	
	सूखा चारा	हरा चारा
1	2	3
आंध्र प्रदेश	38042	16521
असम	12920	6461
बिहार	55831	27916
गुजरात	21849	10924
हरियाणा	10441	5221
हिमाचल प्रदेश	5900	2950
जम्मू-कश्मीर	7784	3892
कर्नाटक	27118	13559
केरल	8248	4124
मध्य प्रदेश	57561	28781
महाराष्ट्र	38051	19025
मणिपुर	2756	1378
मेघालय	1629	815
नागालैंड	577	288
उड़ीसा	19137	24569
पंजाब	23235	12345
राजस्थान	25838	12919
सिक्किम	403	201
तमिलनाडु	16055	8028
त्रिपुरा	1104	552
उत्तर प्रदेश	93604	46802
पश्चिमी बंगाल	29082	14541

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

2903. **श्री गुथा सुकेन्द्र रेड्डी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कामगारों की छंटनी अथवा किसी औद्योगिक इकाई के अंद हो जाने के मामले में कामगारों को दिए जाने वाले मुआवजे से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परिवर्तन कब तक किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन प्रस्ताव सरकार

के विचाराधीन है। तथापि, इसकी जो प्रक्रिया है उसे देखते हुए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बेरोजगार विकलांग व्यक्ति

2904. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण के बावजूद रोजगार नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में आज की तारीख के अनुसार कितने बेरोजगार विंकलाग व्यक्ति विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं;

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने विकलांग व्यक्तियों का राज्यवार, वर्षवार रोजगार प्रदान कराया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में निहित आरक्षण के उपबंधों को केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एक सतत प्रक्रिया के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पदों का आरक्षण सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित है, जहां रोजगार वृद्धि की गुंजाइश सीमित है।

(ग) और (घ) 31.12.2001 की स्थिति (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार महाराष्ट्र में एवं देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर विकलांग रोजगार चाहने वाले, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, क्रमशः 39 हजार तथा 5 लाख थे। वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान रोजगार कार्यालयों से जिन विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सांविधिक प्रावधानों के अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए:-

- विकलांग व्यक्तियों के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान; तथा
- विकलांग व्यक्तियों के लिए और अधिक उपयुक्त पदों का निर्धारण।

विवरण

वर्ष 1999-2001 के दौरान प्रतिवर्ष रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजित विकलांग व्यक्तियों की संख्या

नियोजितों की संख्या (वास्तविक संख्या)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1999	2000	2001
1	2	3	4	5
(क)	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	90	39	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	8	4	18
4.	बिहार**	1	1	7
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–
6.	दिल्ली	19	9	5
7.	गोवा	8	1	3
8.	गुजरात	380	399	473
9.	हरियाणा	28	10	11
10.	हिमाचल प्रदेश	23	49	52
11.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–
12.	झारखंड	–	–	1

1	2	3	4	5
13.	कर्नाटक	376	260	89
14.	केरल	1542	1030	1223
15.	मध्य प्रदेश$	43	20	7
16.	महाराष्ट्र	183	175	158
17.	मणिपुर	1	—	—
18.	मेघालय	2	4	1
19.	मिजोरम	—	—	—
20.	नागालैंड	—	—	—
21.	उड़ीसा	66	19	25
22.	पंजाब	47	62	41
23.	राजस्थान	138	99	149
24.	सिक्किम*	—	—	—
25.	तमिलनाडु	1051	911	1057
26.	त्रिपुरा	55	28	7
27.	उत्तरांचल	—	—	1
28.	उत्तर प्रदेश@	22	32	15
29	प० बंगाल	128	110	110
(ख)	संघ शासित प्रदेश			
30.	अंडमान और निकोबार-द्वीप समूह	—	—	—
31.	चंडीगढ़	4	6	13
32.	दादरा व नागर हवेली	—	—	—
33.	दमन व दीव	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—
35.	पांडिचेरी	—	—	—
	योग	4205	3268	3491

टिप्पणी:**झारखंड संबंधी सूचना भी सम्मिलित है।

$ छत्तीसगढ़ संबंधी सूचना भी सम्मिलित है।

@ उत्तरांचल संबंधी सूचना भी सम्मिलित है।

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2905. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं को अभी अनेक राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1995 में शुरू किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में विफल रहने वाली राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा और कार्यान्वयन की स्थिति विवरण में दी गई है। इन सभी परियोजनाओं को दिसम्बर, 2005 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

राज्यवार पूर्ण/स्वीकृत योजनाएं

क्र.सं.	योजना/राज्य	<-अव व दि.परि->		<-सी.शो.सं.->		<-अ.ला.शौ.->		<-शवदाहगृह->		<-न. त. वि.->		<-अन्य->		<-कुल->	
		स्वी.	पूरी	स्वी.	पूरी	स्वी.	पूरी	स्वी.	पूरी	स्वी.	पूरी	स्वी.	पूरी	स्वी.	पूरी
1.	आंध्र पदेश	4	0	5	0	4	1	2	1	4	4	0	0	19	6
2.	झारखण्ड	0	0	0	0	7	0	3	0	3	0	0	0	13	0
3.	गुजरात	5	3	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	9	4
4.	कर्नाटक	7	1	8	0	8	2	5	1	2	1	0	0	30	5
5.	महाराष्ट्र	4	0	6	0	2	1	1	1	2	1	6	1	21	4
6.	मध्य प्रदेश	10	1	7	2	11	9	9	8	11	9	7	5	55	34
7.	उड़ीसा	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0
8.	पंजाब	18	7	6	0	4	0	3	3	0	0	8	0	39	10
9.	राजस्थान	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	7	0
10.	तमिलनाडु	26	2	8	0	5	5	5	3	5	4	1	0	50	14
11.	गोवा	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0
12.	दिल्ली	0	0	2	2	2	1	2	2	0	0	1	0	7	5
13.	उत्तर प्रदेश	69	45	17	14	25	16	13	10	4	3	29	17	157	105
14.	हरियाणा	30	26	17	12	12	11	7	6	1	1	13	4	80	60
15.	बिहार	0	0	0	0	8	0	2	0	11	0	0	0	21	0
16.	पश्चिम बंगाल	33	0	10	0	4	0	7	0	19	0	1	0	74	0
17.	उत्तरांचल	8	2	2	0	10	0	0	0	6	4	0	0	26	6
	उप योग	217	87	94	30	107	46	62	36	70	27	66	27	616	253

अव व दि.परि—अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन

सी.शो.सं.—सीवेज शोधन

अ.ला.शौ.—अल्पलागत शौचालय

न. त. वि.—नदी तटाग्र विकरण

नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

2906. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम :**
श्री सुरेश कुरूप :
श्री के० मुरलीधरन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नारियल संबंधी प्रस्तावित प्रौद्योगिकी मिशन को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना में रोगग्रस्त वृक्षों को रोग प्रतिरोधी नए वृक्षों से बदलने की बात शामिल नहीं है;

(घ) क्या सरकार को उपर्युक्त मामले पर केरल सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्ष 2001-02 की अवधि के दौरान केरल राज्य को नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यान्वयन हेतु नारियल बोर्ड को जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने नौवीं योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम नारियल प्रौद्योगिकी मिशन को स्वीकृति दी। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी विकास, कीट/कृमि एवं रोग नियंत्रण के क्षेत्र में प्रदर्शन एवं अभिग्रहण, प्रसंस्करण एवं उत्पाद विविधीकरण तथा बाजार अनुसंधान एवं प्रोत्साहन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया है। इस स्कीम में उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पाद विविधीकरण आदि की सभी श्रृंखलाओं पर पर्याप्त समुचित यथासमय तथा एक साथ ध्यान देना सुनिश्चित करने की दृष्टि से नारियल विकास के क्षेत्र में कार्यान्वित कार्यक्रमों में सभी दृष्टियों से समानता लाने के लिए सर्माभरूपता एवं एकरूपता स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस मिशन के कायक्रमों के माध्यम से नारियल उत्पादों की विपणन क्षमता में वृद्धि की गई है, जिससे नारियल के मूल्य में सुधार लाने में मदद मिली है।

(ग) नारियल प्रौद्योगिकी मिशन का एक प्रमुख घटक कीट/कृमि तथा रोग प्रबंध हेतु प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन एवं इसे अपनाना है जिसमें जड़ मुरझान रोग के प्रबंध के लिए प्रौद्योगिकी भी शामिल है। जड़ मुरझान से प्रभावित पामों को हटाकर उनके स्थान पर रोग प्रतिरोधी पौधों का रोपण करना शामिल है।

(घ) और (ङ) केरल सरकार ने तिरूवनन्तपुरम एवं त्रिचूर के सीमावर्ती जिलों में जड़ मुरझान रोग से निपटने के लिए 103.52 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक परियोजना नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत विचारार्थ नारियल विकास बोर्ड को प्रस्तुत की है। इसमें रोगग्रस्त 15.31 लाख पामों को काटकर हटाने के लिए 38.27 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। नारियल विकास बोर्ड की परियोजना अनुमोदन समिति ने अपनी दिनांक 25.10.2002 को आयोजित बैठक में इस परियोजना पर विचार किया और इसमें संशोधन हेतु अपने सुझावों के साथ इसे सिद्धान्ततः मंजूरी दे दी। केरल सरकार से संशोधित परियोजनाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(च) भारत सरकार ने देश में नारियल की खेती वाले सभी राज्यों में नारियल प्रौद्योगिकी मिशन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान नारियल विकास बोर्ड को 400.00 लाख रुपये की धनराशि निर्गत की है।

केरल में मछुवाही बंदरगाहों की स्थापना

2907. **श्री एन०एन० कृष्णदास :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास लंबित मछुवाही बंदरगाहों की स्थापना करने हेतु केरल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) केरल सरकार ने केरल तट पर थलाई, कोयीलांडी तथा बेपोर चरण-2 पर मात्स्यिकी बंदरगाह स्थापित करने के लिए तीन परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने चौदह अन्य स्थानों पर भी मात्स्यिकी बंदरगाह बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। प्रस्तावित मात्स्यिकी बंदरगाहों के स्थान तथा

राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक बंदरगाह की अनुमानित लागत का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को तीन परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, आवश्यक भूमि की उपलब्धता, राज्य के बजट में पर्याप्त बजट प्रावधान तथा पर्यावरण स्वीकृति की अभी पुष्टि करनी है। शेष बंदरगाहों के बारे में राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं।

विवरण

क्र० सं०	प्रस्तावित मात्स्यिकी बंदरगाह का स्थान	जिला	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
1.	थोट्टाप्पल्ली	अलप्पुझा	16.30
2.	कोयिलांडी	कोझिकोड	23.00
3.	थलाई	कन्नूर	19.70
4.	केसरगोडे	केसरगोडे	20.00
5.	अर्थुंगल	अलप्पुझा	15.00
6.	चेतुवेई	थ्रिस्सुर	15.00
7.	चेरुवथूर-नीलेस्वरम	केसरगोड	20.00
8.	वरकला चिलाक्कुर	तिरुवनन्तपुरम	5.00
9.	चेथी	अलाप्पुझा	5.00
10.	अंडाकारनाझी	अलाप्पुझा	5.00
11.	चेल्लानम	एर्नाकुलम	5.00
12.	पाराप्पानांगडी	मालाप्पुरम	5.00
13.	वडाकारा	कोझिकोड	5.00
14.	कोरापुझा	कोझिकोड	5.00
15.	थनूर	मालाप्रम	5.00
16.	मांजेस्वरम	केसरगोडे	5.00
17.	बेपोर चरण-2	कोझिकोड	4.71

विमानपत्तनों के प्रबंधन हेतु समिति

2908. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों के प्रबंधन संबंधी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या समिति की सिफारिशें पूर्णतया लागू हो गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समिति की सभी सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई एस्केलेटर दुर्घटना की जांच करने के लिए दिसम्बर, 1999 में श्री आर०सी० जैन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। इस समिति से हवाई अड्डा प्रबंध से संबंधित पहलुओं की भी जांच करने के लिए भी कहा गया था। समिति ने 14.7.2000 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निगमित मामलों, विमानन संरक्षा एवं सुरक्षा, कस्टम, कार्गो, आप्रवासन तथा हवाई अड्डा सुविधाओं, समन्वय आदि समेत विभिन्न मुद्दों पर कई टिप्पणी/सिफारिशें की गई हैं। इस रिपोर्ट को सिफारिशों को लागू, जहां तक साध्य हो, करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, महानिदेशक नागर विमानन, सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), गृह मंत्रालय, कस्टम तथा आप्रवासन विभाग को भेजा गया। जहां तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जुड़े मामलों का संबंध है, प्रमुख सिफारिशों की जांच करने तथा उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय में भी समय-समय पर सिफारिशों के कार्यान्वियन की समीक्षा की है।

[हिन्दी]

ठेका श्रम

2909. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और केन्द्रीय नियम, 1971 के प्रकाश में अनेक वर्षों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों और आकस्मिक श्रमिकों और कर्मचारियों को विनियमित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या देश के प्रत्येक राज्य में, विशेषकर झारखंड और बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले ठेका और आकस्मिक श्रमिकों और कर्मचारियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रशासन से उत्पन्न मामले संदर्भित किए जाने पर केन्द्र/राज्य सरकारों को सलाह देने तथा अधिनियम के तहत सौंपे गए अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त अधिनियम के तहत केन्द्रीय तथा राज्य सलाहकार बोर्ड गठित किए जाते हैं।

(घ) से (च) देश के प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत ठेका एवं नैमित्तिक श्रमिकों तथा कर्मचारियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 2001-02 के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्र के तहत ठेकेदारों को जारी लाइसेंसों के द्वारा 7,09,030 ठेका श्रमिकों को कवर किया गया।

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटन का संवर्धन

2910. श्री दिलीप संघाणी :
श्री सवशीभाई मकवाना :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान गुजरात में पर्यटन के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर गुजरात की पर्यटन सम्भाव्यताओं पर ध्यानाकर्षण कराने हेतु क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) उक्तावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है/जारी की गई है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटक रुचि के स्थानों का विकास और संवर्धन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की होती है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरारन गुजरात में 11.00 करोड़ रुपये की 42 परियोजनायें स्वीकृत की गई थी।

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार विदेश एवं स्वदेश में स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देकर, मेलों और प्रदर्शिनियों में भागीदारी करके, ब्रोशरों, सीडी रोमों के द्वारा सूचना का प्रचार-प्रसार करके, आतिथ्य सत्कार कार्यक्रम के अन्तर्गत मीडिया से जुड़ी हस्तियों को आमंत्रित करके, वेब मार्केटिंग, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि का आयोजन करके गुजरात राज्य सहित भारत के पर्यटक रुचि के स्थलों का संवर्धन कर रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई 11.00 करोड़ रुपये की राशि में से 3.99 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी।

(घ) परियोजना के कार्यान्वयन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। गुजरात सरकार ने यह सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्होंने 2.25 करोड़ रुपये का उपयोग किया है।

हैदराबाद-लंदन उड़ान

2911. श्री बी० वेंकटेस्वरलु :
श्री के० येरननायडू :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरवेज निकट भविष्य में हैदराबाद से लंदन तक की सीधी उड़ाने शुरू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) ब्रिटिश एयरवेज के विमान इस समय भारत से कितनी उड़ानें भर रहे हैं और किस-किस स्थान से भर रहे हैं;

(ग) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने हैदाबाद से खाड़ी क्षेत्र में विभिन्न गंतव्य स्थलों तक उड़ानें शुरू करने/बहाल करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अनुरोधों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) ब्रिटिश एयरवेज इस समय कुल 5898 सीटें लगाकर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई से लंदन के लिए कुल 18 सेवाएं/सप्ताह प्रचालित कर रही है। हैदराबाद इस समय ब्रिटिश एयरवेज के लिए अवतरण-स्थल के बतौर उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) समय-समय पर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध-पत्र प्राप्त होते रहे हैं जिनमें हैदराबाद से खाड़ी में विभिन्न स्थानों यथा दुबई, रियाद, दम्माम, मस्कट, बहरीन, कुवैत आदि के लिए उड़ानों की शुरूआत/बहाली से संबंधित अनुरोध शामिल हैं।

जैव संवर्धित बीजों हेतु अनुमति

2912. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री सुनील खां :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के प्रयोग हेतु विभिन्न फसलों के जैव संवर्धित बीजों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैव संवर्धित कृषि उत्पाद भारत में आ रहे हैं जबकि विकसित देशों में उन पर प्रतिबंध है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे आगमन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) कृषि उत्पादों सहित आनुवांशिक रूप से तैयार किये गये उत्पादों का आयात पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक माइक्रो आर्गेनिज्म/आनुवांशिक रूप से तैयार आर्गेनिज्म अथवा कोशिका के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण हेतु नियमावली, 1989 के नियम 11 के अधीन विनियमित किया जाता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी ने 26.3.2002 को हुई अपनी बैठक में महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड कंपनी द्वारा विकसित तीन ट्रांसजेनिक बी०टी० कपास संकर किस्मों के पर्यावरण में निर्मुक्ति हेतु अनुमोदन किया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी ने देश में आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य उत्पादों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी है।

कृषि क्षेत्र में दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजे का भुगतान

2913. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र में दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजे का भुगतान या बीमा देने के लिए केन्द्र या राज्य सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में इस तरह के कितने पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है उसका वर्षवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि कृषि क्षेत्र में दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को बीमा एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उनके पास कोई स्कीम नहीं है। केन्द्रीय अधिनियम खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 में प्रावधान है कि पावर थ्रेसर चलाते समय दुर्घटना के शिकार लोगों को नियोक्ता क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

(ग) इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में पावर थ्रेसर पर दुर्घटना की कोई सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

नदियों के जल का संरक्षण

2914. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदी के जल के संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संग्रहण जल के इष्टतम उपयोग हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) और (ख) नदियों के जल संरक्षण के लिए कोई नई स्कीम तैयार नहीं की गई

है। तथापि, नदियों के जल संरक्षण के लिए बांधों का निर्माण कर 177 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी सी एम) जल के भंडारण को क्षमता सृजित की गयी है। निर्माणाधीन/विचाराधीन स्कीमों के माध्यम से 207 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी सी एम) अतिरिक्त जल के भंडारण की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी यात्राएं

2915. **श्री सईदुज्जमा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के कौन-कौन से अधिकारियों ने आज तक वर्ष-वार सरकारी प्रयोजनों से विदेशी यात्राएं की हैं;

(ख) उक्त अधिकारियों द्वारा की गई विदेशी यात्राओं का उद्देश्य क्या था और ऐसी यात्राओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) ऐसे अधिकारियों का यात्रावार चयन करने हेतु क्या मानदंड हैं;

(घ) क्या विदेशी यात्राओं के लिए अधिकारियों का चयन करने में उचित मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पारदर्शी प्रणाली अपनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विदेश प्रतिनियुक्ति के मामलों पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

मानव चूक के कारण विमान दुर्घटना

2916. **श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विमानचालकों की चूक के कारण कितनी विमान दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा चूककर्ता विमानचालकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या लाइसेंसधारी निजी विमानचालकों और लाइसेंसधारी व्यावसायिक विमानचालकों को सिद्धदोष ठहराने के लिए पृथक दांडिक प्रक्रियाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी औचित्य क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इंडियन सिविल रजिस्टर्ड एयराक्राफ्ट विमानों की बारह दुर्घटनाओं में पायलट की गलती दुर्घटना का एक प्रमुख कारण थी। इनमें से 9 दुर्घटनाओं में इनके पायलट की मृत्यु हो गयी। बाकी बचे तीन पायलटों में से एक को सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया गया, दूसरे का एयरलाइंस ट्रांसपोर्टर पायलट लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया जबकि तीसरे पायलट का लाइसेंस 6 हफ्तों के लए निलंबित किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भू-तल पर खानपान ठेका देना

2917. **श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर हाल ही में भू-तल पर खान-पान ठेका प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना एकाधिकार के आधार पर एक ही पार्टी को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप अनेक पार्टियों के साथ उचित बातचीत न होने के कारण एयर इंडिया लिमिटेड को भारी नुकसान हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त मामले में लीज किराये के बारे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरसों का उत्पादन

2918. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में ''लोगों को जबरन तम्बाकू खिलाने का इन्तजाम कर रही है सरकार'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) भारत सरकार द्वारा भारत में विदेशों से आयातित सरसों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में जैव संवर्धित सरसों के वाणिज्यिक उत्पादन, जब तक इनका परीक्षण न हो और उसके परिणाम प्राप्त न हो, तब तक उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। इस तरह की एक समाचार मद का पता लगा है।

(ख) और (ग) जैसाकि इस समाचार मद में दर्शाया गया है कि इस प्रकार की किसी सामग्री के पर्यावरणीय रिलीज की न तो सिफारिश की गई है और न ही इसका अभी तक कोई प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार के क्लीयरेन्स के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति इसकी नोडल एजेन्सी है। पराजीनी सरसों तथा इसके बीज उत्पादन के व्यावसायिक रिलीज एवं विपणन के लिए अनुमति का प्रस्ताव आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने अभी तक क्लीयर नहीं किया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

2919. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई ''बंजर भूमि विकास और वानिकी संबंधी योजनाओं'' के तहत उनके मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी गतिविधियों/योजनाओं/कार्यक्रमों और इसके तहत सरकार द्वारा ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के फार्मूले और इस संबंध में राज्य सरकारों के योगदानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1998 से गत चार वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा या अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सीधे राजस्थान में चलाई जाने वाली बंजर भूमि विकास और वानिकी संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं और सरकार द्वारा ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में दी गई धनराशि का वर्षवार, योजनावार और एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग अवक्रमित भूमि/बंजर भूमि के विकास के लिए देश में निम्नलिखित भू-आधारित कार्यक्रम चला रहा है:-

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (कार्य योजनाओं के जरिए कार्यान्वयन की वृहत् प्रबंधन प्रणाली के अधीन शामिल किया गया।)

2. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण (कार्य योजनाओं के जरिए क्रियान्वयन की वृहत् प्रबंधन प्रणाली के अधीन शामिल किया गया।)

3. झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय भी राजस्थान सहित देश के बंजर

भूमि/वन क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ स्कीम क्रियान्वित करते रहे हैं। ये हैं:-

1. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
2. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
3. मरुभूमि विकास कार्यक्रम
4. समेकित वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीम
5. क्षेत्रोन्मुख ईंधन और चारा परियोजना
6. गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद
7. गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।

उपर्युक्त स्कीमों में शुरू किए गए मुख्य कार्यकलाप वनरोपण, कृषि वानिकी, बागवानी, चारागाह विकास, वन चारागाह, मृदा और जल संरक्षण निर्माण जैसे ड्रेनेज लाईन ट्रीटमेंट उपायों तथा तलछट मानीटरन केन्द्रों की उपयुक्त सहायता से रोक बांधों और जल संचय संरचनाओं के निर्माण शामिल हैं।

ये कार्यक्रलाप किसानों की छोटी लकड़ियों, ईंधन, चारा, फल और घास आदि देने के अलावा उनके लिए रोजगार का भी सृजन करते हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राजस्थान में अवक्रमित भूमि/बंजर भूमि/वन के विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही स्कीमों तथा वित्तपोषण प्रतिमान सहित 1998 से अब तक इन स्कीमों के अंतर्गत निर्गत स्कीम-वार और वर्ष-वार वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राजस्थान में अवक्रमित भूमि/बंजर भूमि/वन के विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही स्कीमों तथा 1998 से अब तक इन स्कीमों के अंतर्गत निर्गत स्कीम-वार और वर्ष-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रु. में)

मंत्रालय/विभाग	स्कीम का नाम	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	वित्तीय प्रतिमान (केन्द्रीय राज्य का अंश)
1	2	3	4	5	6	7
(क) कृषि एवं सहकारिता विभाग	1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	3829.510	3932.710	3895.820	3692.540	91:10
	2. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण	1287.20	1695.72	1558.13	1324.67	90:10
(ख) भूमि संसाधन विभाग	3. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	74.47	432.85	831.28	1040.72	90:10
	4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	173.00	386.00	981.00	1195.00	75:25

1		2	3	4	5	6	7
	5.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	5064.00	3901.00	7854.00	8164.00	75:25
(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	6.	समेकित वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीम	253.39	376.57	432.67	291.34	100:00
	7.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन और चारा परियोजना	263.35	160.00	7.18	61.79	50:00
	8.	गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद	130.40	116.21	139.40	234.40	50:00
	9.	गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	—	—	2.50	7.00	100:00

[अनुवाद]

उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में फसलों का नुकसान

2920. **श्री के.पी. सिंह देव :**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मानसून के देर से आने से उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को अनाया है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त योजना को न अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय टीम ने आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में भयंकर सूखे की स्थिति की पुष्टि की है;

(ङ) यदि हां, तो जीविका, पशुओं आदि की क्षति के लिए सहायता प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कौन से दीर्घावधि उपायों की तलाश की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (च) अनुमान है कि वर्तमान सूखे के कारण खरीफ के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में 18.72% नुकसान हुआ है। सूखा प्रभावित राज्यों में से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए अब तक सहमति नहीं दी है।

स्थिति का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दलों ने अनन्तपुर सहित आंध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दलों ने पूरे राज्य का समग्र रूप से जायजा लिया न कि अलग-अलग जिलों का जोकि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की 81.885 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त अग्रिम तौर पर निर्गत करने के अतिरिक्त राहत कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश को 3 लाख मी. टन चावल भी आबंटित किया गया है।

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

2921. **श्री परसुराम मांझी :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विशेषकर उड़ीसा के केबीके जिलों में पर्यटन के विकास हेतु वर्तमान/प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो चालू और लागू की जा रही परियोजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) नौवीं योजना के दौरान, उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना के अधीन 62 पर्यटन परियोजनायें स्वीकृत की गई थीं। इन योजना के अंतर्गत राज्य को एक यूनिट के रूप में माना जाता है और इसलिए पर्यटन विभाग में जिले-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा में पूरी कर ली गयीं, छोड़ दी गयीं और कार्यान्वियनाधीन परियोजनायें निम्नानुसार हैं :-

स्वीकृत परियोजनायें	पूरी कर ली गई परियोजनायें	छोड़ दी गई परियोजनायें	कार्यान्वयनाधीन परियोजनायें
62	13	07	42

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय संस्कृति कोष को दान

2922. **श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 में राष्ट्रीय संस्कृति कोष के स्थापना काल से इसे समूचे विश्व से कुल कितना दान प्राप्त हुआ और सरकार द्वारा इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) वर्ष 1996 से एनसीएफ द्वारा व्यय की गई राशि तथा इसके द्वारा अपनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2001 में एनसीएफ, इंडियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के बाद आगरा के ताजमहल के संरक्षण और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कोई संकल्पनात्मक योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) 1996 में स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2002 तक राष्ट्रीय संस्कृति कोष को कुल 1,90,98,483.72 रुपये का दान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च तक कार्पस फंड के लिए सरकार ने 6.01 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की है।

(ख) 1996 से अपनाई गई स्कीमों, 31 मार्च, 2002 तक प्राप्त दान, खर्च की गई राशि और बकाया राशि को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) ताज महल के प्रांगण के पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर कोने में आगंतुक सुविधा केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए एक संकल्पनात्मक योजना तैयार की गई है। स्मारक की अपेक्षित मरम्मत शुरू करने के लिए एक विस्तृत संरक्षण योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिन अन्य कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है उनमें उपयुक्त संकेत सामग्री आगंतुक आवागमन योजना, संग्रहालय को सजाना, विकलांग-अनुकूल पहुंच मार्ग और पर्यटक सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, काफी शाप आदि उपलब्ध कराना शामिल है।

विवरण

क्रमांक	परियोजना	31.3.2002 तक दान (रुपये)	31.3.2002 तक खर्च (रुपये)	31.3.2002 को बकाया राशि (रुपये)
1	2	3	4	5
1.	चिल्ड्रन अकादमी, दुर्गापुर	2,18,168.00	26,570.00	1,91,598.00
2.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली	30,45,940.00	9,97,803.00	20,48,137.00
3.	इंडियन आयल कारपोरेशन	26,00,00,000.00	26,00,00,000.00 (कार्पस फंड के लिए इंडियन आयल फाउंडेशन को अंतरित)	—
4.	जंतर मंतर, दिल्ली	1016.65	—	1016.65

1	2	3	4	5
5.	ज्ञान प्रवाह, वाराणसी	79,72,000.00	79,34,465.00	37,535.00
6.	कर्नाटक चित्रकला परिषद, बंगलौर	1,000.00	—	1,000.00
7.	किंष्किधा ट्रस्ट, अनेगुंडी, कर्नाटक	80,069.00	76,418.00	3,651.00
8.	परदेशी सिनगॉग क्लाक टावर, कोचीन	8,75,557.00	—	8,75,557.00
9.	राम कृष्ण मिशन, कोलकाता	2,37,001.00	—	2,37,001.00
10.	रमण महर्षि सेंटर फॉर लर्निंग, बंगलौर	81,974.00	75,000.00	6,974.00
11.	शनिवारवाडा, पुणे	48,20,715.38	36,15,389.76	12,05,325.60

अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे

2923. श्री पी.सी. थामस :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दो तरह के हवाई अड्डे अर्थात एक अंतरराष्ट्रीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दो तरह के हवाई अड्डे के बीच क्या अंतर है;

(ग) क्या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर कितना खर्च आया है;

(ङ) क्या सरकार आधुनिकीकरण के लिए एक अलग विभाग बनाए जाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और समुचित रख-रखाव हेतु श्रम-शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य-योजना का क्रियान्वयन

2924. डा. डी.वी.जी. शंकर राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाएं देश में पर्यावरण-विदों और संरक्षणविदों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में मुम्बई में आयोजित कार्यशाला में वन्यजीव विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को लागू करने का सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) लागू करने के प्रति वचनबद्ध है।

कावेरी बेसिन में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता

2925. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने यह आकलन किया है कि कावेरी बेसिन में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 1820 घनमीटर के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 1000 घनमीटर से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कावेरी बेसिन को जल अभाव क्षेत्र के रूप में मानती है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संरक्षण और प्रबंधन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है। भारत सरकार, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत तथा सिंचाई जल के उपयोग में कुशलता में वृद्धि करने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता मुहैया करके राज्य सरकारों की सहायता करती है।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के तहत नेत्रावती-हेमावती संपर्क के अतिरिक्त महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगाई को परस्पर जोड़ने तथा इस योजना के हिमालयी घटक के तहत ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को फरक्का में गंगा और महानदी से जोड़ने की योजना है।

राष्ट्रीय जल नीति

2926. श्री के. येरननायडू :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बार-बार होने वाले सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय जल नीति में प्रमुख नदियों के लिए ग्रिड प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति में इस बात की व्यवस्था है कि क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल की कमी वाले क्षेत्रों को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन को जल हस्तांतरित करने सहित अन्य क्षेत्रों से हस्तांतरित करके जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना के समय सूखा प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा अत्यधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जलाशय विनियमन नीति में बाढ़ नियन्त्रण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए भले ही इसके लिए सिचाई और विद्युत संबंधी कुछ लाभों को छोड़ना पड़े।

विमान को उपचालन रोधी बनाना

2927. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.एस. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने विश्व के सभी विमान वाहकों को यह दिशानिर्देश जारी किया है कि वे अपने विमानों के कॉकपिट दरवाजे को इतनी मजबूती प्रदान करें जिससे कि इसे विमान यात्रियों द्वारा खोला जाना असंभव हो सके और इस तरह विमानों को हाइजैक-प्रूफ विमान बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस के विमानों को हाइजैक-प्रूफ बनाने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) महानिदेशक, नागर विमानन (डीजीसीए) ने एफ.ए.ए. द्वारा जारी की अपेक्षाओं को अनिवार्य कर दिया है। ये अपेक्षाएं यात्री तथा पायलट कंपार्टमेंट के बीच दरवाजे वाले तथा अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं (यात्री) या यात्री ले जाने वाली सुविधा से युक्त सभी कार्गो प्रचसलन वाली विमानों पर लागू होगी।

(ग) डीजीसीए ने इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया से 9 अप्रैल, 2003 तक प्रभावित विमानों में अपेक्षानुसार रूपान्तरण करने का निदेश दिया है।

जूट मोनोपॉली

2928. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विशेषकर आंध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार से खाद्यान्नों और चीनी की पैकिंग के लिए वर्तमान शत-प्रतिशत जूट मोनोपॉली को वर्ष 1987 से लागू करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कपड़ा मंत्रालय (जो इस विषय का संचालन करता है) द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल और असम राज्य सरकारों ने जूट पैकेज सामग्री अभिनियम, 1987 के अधीन खाद्यान्न और चीनी को अनिवार्य रूप से जूट के थैलों में पैक करने के 100% प्रतिमान को आगे बढ़ाने का अभ्यावेदन किया था। किन्तु आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जूट पैकेज सामग्री अधिनियम, 1987 के अधीन अनिवार्य रूप से पैकेजिंग करने के प्रतिमान के तनुकरण/निरसन के लिए अभ्यावेदन किया था।

राज्य वनसेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति

2929. श्री राजकुमार वंग्चा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वन सेवा के अधिकारियों को वरीयता सह योग्यता के आधार पर बनी सूची में इन अधिकारियों की कुल संख्या के 33 प्रतिशत के अनुपात में इन्हें अखिल भारतीय वन सेवा के एजीएमयू संयुक्त कैडर अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और दादरनागरा हवेली कैडर में प्रोन्नति किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एसएफएस के कुछ अधिकारियों को वर्ष 2000 से भारतीय वन सेवा का एजीएमयू कैडर देने के कारण अन्य राज्यों के इतनी ही सेवा कर चुके वन अधिकारियों के इस प्रोन्नति से वंचित होने और भविष्य की योग्यता सूची पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से इन अधिकारियों के बीच भारी असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के अंतर्गत पदों को राज्य वन सेवा से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है जिनकी संख्या किसी भी समय वरिष्ठ ड्यूटी पदों, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व और प्रशिक्षण रिजर्व के लिए प्राधिकृत पदों की संख्या के $33^1/_3$ प्रतिशत से अधिक नहीं चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग में 46 पद पदोन्नति कोटे के हैं। इन पदों पर नियुक्तियां घटक यूनिटों में राज्य वन सेवा के स्थायी सदस्यों के बीच चयन के आधार पर की जाती हैं जो असम, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के संयुक्त संवर्ग प्राधिकारी को सांकेतिक रूप से आवंटित आधार पर होती हैं।

(ख) से (घ) संघ शासित क्षेत्र भाग के 16 पदों में से 14 पद प्रोन्नति कोटे के हैं जिन्हें संयुक्त संवर्ग प्राधिकारी ने सांकेतिक रूप से आवंटित किया है, इन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वन सेवा के अधिकारियों को शामिल कर भर लिया गया है क्योंकि इस भाग की केवल यही राज्य वन सेवा है।

नैफेड द्वारा कोपरा की खरीद

2930. श्री एस. अजय कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002 के लिए कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नैफेड ने इस मौसम में नए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोपरा की खरीद शुरू कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2002 मौसम हेतु अच्छी औसत गुणवत्ता वाले मिलिंग व बाल कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसएसपी) प्रति क्विंटल क्रमशः 3300/- रु० तथा 2550/- रु० निर्धारित किया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा गोवा में मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कोपरा की खरीद शुरू कर दी है और 27.11.2002 तक कुल 6209 क्विंटल कोपरा की खरीद कर ली है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

2931. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 से हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल), भिलाई में कितने कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं;

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अवकाश ग्रहण के बाद वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1998-2002 के दौरान इसके पुनरूत्थान के लिए एचएससीएल को कोई सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान एचएससीएल को कितनी सहायता दी गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा एचएससीएल को दिए गए क्रय आदेशों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) 01.04.1998 और 01.04.1999 की स्थिति के अनुसार हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. (एच एस सी एल) की भिलाई स्थित इकाई की जनशक्ति की स्थिति निम्नानुसार हैं:-

	01.04.1998	01.04.1999
कार्यपालक	254	235
अन्य	3550	3516
योग	3804	3751

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद इस समय एच एस सी एल की भिलाई स्थित इकाई में 986 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने एच एस सी एल को दो पुनरूद्धार पैकेज मंजूर किए हैं। पहली जुलाई, 1999 में और दूसरा मार्च, 2002 में।

जुलाई, 1999 में अनुमोदित वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज की प्रमुख बातें:-

(i) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार योजना ऋण का साम्या में परिवर्तन : 97.10 करोड़ रुपए।

(ii) 31.3.1999 तक के सभी ऋणों (भारत सरकार) की अदायगी के संबंध में 10 वर्ष के लिए ऋण स्थगन और ब्याज संबंधी छूट।

(iii) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार 975.17 करोड़ रुपए भारत सरकार के सभी ऋणों पर प्रोद्भूत और बकाया ब्याज माफ करना।

(iv) 1999-2000 के दौरान ऋण अदायगी के संबंध में 5 वर्ष के लिए ऋण स्थगन और ब्याज संबंधी छूट सहित 79.33 करोड़ रुपए का गैर-योजना ऋण।

(v) 1999-2000 ऋणों पर ब्याज को माफ करने से हुए अप्रत्याशित लाभ कारण निगमित कर माफ करना।

(vi) 1% गारंटी कमीशन को माफ करने सहित 12 करोड़ रुपए की नकद साख और 80 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी सुविधाओं के लिए सरकारी गारंटी को जारी रखना।

(vii) पुनर्संरचना पैकेज में 1999-2000 से शुरू करके 2000 कर्मचारी प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में 6000 कर्मचारी पृथक करने की बात भी कही गई है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने एच एस सी एल को बैंक से 318 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूरी ब्याज इमदाद सहित गारंटी उपलब्ध करवाई है।

सरकार ने मार्च, 2002 में निम्नलिखित प्रस्तावों सहित दूसरा पुनरूद्धार पैकेज मंजूर किया :-

(क) एच एस सी एल को अपने कर्मचारियों की बकाया धनराशियों का भुगतान करने के लिए 89.44 करोड़ रुपए के गैर-योजना ऋण की मंजूरी।

(ख) ब्याज इमदाद के प्रावधान सहित भारत सरकार की गारंटी में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि करना ताकि एच एस सी एल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत लगभग 5000 कर्मचारियों को पृथक करने के लिए बैंकों से और ऋण जुटा सके।

(ङ) 1998 से 2002 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा एच एस सी एल को दिए गए ऑर्डरों का मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	करोड़ रुपए
1998-99	21.10
1999-00	18.93
2000-01	17.39
2001-02	25.10
2002-03	19.74 (नवंबर, 02 तक)
योग	102.26

[अनुवाद]

डब्ल्यू.टी.ओ. सम्मेलन

2932. श्री सुरेश कुरुप :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराकश समझौते के पुनरीक्षण के लिए वर्ष 2003 में मैक्सिकों के कैंकुन में डब्ल्यूटीओ के 5वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समझौते में आवश्यक संशोधन पर राज्यों का दृष्टिकोण जानने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वार्ताओं में हुई प्रगति का जायजा लेने, यथा आवश्यक राजनैतिक दिशा-निर्देश देने तथा अपेक्षित निर्णय लेने के लिए वर्ष 2003 में मैक्सिकों के कैंकुन में विश्व व्यापार संगठन का 5वां मंत्रालयी सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। वार्ताओं का उद्देश्य है – व्यापार नीतियों के उदारीकरण की प्रक्रिया को बरकरार रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि मराकश समझौता द्वारा स्थापित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली वसूली, वृद्धि और विकास संवर्धन में अपनी पूरी भूमिका अदा करती है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श एक सतत प्रक्रिया है और सरकार इसमें निरन्तर लगी हुई है।

[हिन्दी]

सूखे से निपटने के लिए आई०सी०ए०आर० की योजना

2933. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने सूखे से निपटने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रबी फसल के लिए आई.सी.ए.आर. द्वारा क्या आपातकालीन योजना तैयार की गई है; और

(घ) इसकी किस तिथि तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सूखे से निपटने के लिए तीन प्रकार की रणनीतियां तैयार की गई हैं। वर्तमान सूखे के प्रभाव को (i) सितम्बर, 2002 से जून 2003 की अवधि के लिए पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने; (ii) पीने तथा सिंचाई के प्रयोजन से सतही तथा भूमिगत जल के मितव्ययतापूर्ण उपयोग; (iii) गोपशु कैम्पों की स्थापना के लिए पशुधन प्रबन्ध; (iv) सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए फसल प्रणाली क्रम तथा सस्य वैज्ञानिक प्रक्रियाएं; और (v) सहायक आय तथा रोजगार उत्पादन के कार्यकलापों जैसे खुम्भी की खेती, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, बागवानी प्रजातियों के लिए नर्सरी तथा सूखा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सदाबहार वानस्पतिक उत्पादों के फसल कटाई के बाद के रख-रखाव को बढ़ावा दने जैसी लघु अवधि रणनीतियों के माध्यम से कम करने का प्रस्ताव है।

भविष्य में इस प्रकार के सूखों को अप्रभावी बनाने के लिए लघु अवधि रणनीतियां भी तैयार की गई हैं। इस रणनीति के प्रमुख पहलू हैं: (i) अन्तर्नदी, अन्तर्घाटी तथा अन्तर्झील संयोजनों के माध्यम से सूखा संभावित क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तायुक्त जल की उपलब्धता बढ़ाना, (ii) सभी प्रकार की ऊसर/परित्यक्त भूमियों पर बारहमासी चारा संसाधनों के उत्पादन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना, (iii) पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां विशेषकर चावल के अपशिष्ट पदार्थों को जलाया जाता है, चावल, गेहूं, मक्का, सरसों इत्यादि फसलों के अपशिष्ट पदार्थों के गट्ठर बनाकर, उन्हें सघनित करके तथा पौष्टिक बनाकर उन्हें स्थानांतरित करके चारा बैंकों की स्थापना करना, (iv) देसी पशुधन नस्लों में सुधार लाने, गोपशु कैम्पों के लिए स्थायी स्थलों की स्थापना, सूखे से संबंधित पशु स्वास्थ्य समस्याओं के उपयुक्त निदान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पशुधन रणनीति, (v) अल्पदोहित/अल्प उपयोग में लाए गए पादप संसाधनों जैसे खाने योग्य कैक्टस, वलायती बबूल इत्यादि का पूर्ण दोहन, और (vi) सूखा संभावित क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक साधनों तथा रोजगार उत्पादन के अवसरों का सृजन।

उपरोक्त सूखा प्रबन्ध ढांचे को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत मुद्दे प्रस्तावित किए गए हैं :-

(i) प्रभावी फसल क्षेत्र परिकल्पना पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भूमि उपयोग नीति का कार्यान्वयन, (ii) जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करना तथा घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग के लिए इसके अधिक तथा अवैज्ञानिक दोहन के लिए वैधानिक प्रावधान, (iii) सूखा संभावित क्षेत्रों में चारा तथा बीज बैंकों की स्थापना, (iv) पशुधन वितरण, प्रबन्ध तथा सुधार के लिए राज्य स्तरीय नीति, और (v) अनुसंधान-विकास गैर-सरकारी संगठनों उद्योग-कृषक के मध्य प्रभावी और कार्यकारी सम्पर्क स्थापित करने के लिए नीतिगत ढांचा।

(ग) रबी की फसलों के लिए विशिष्ट योजना भी तैयार की गई है। रबी आपातकालीन योजना की रूपरेखा इस प्रकार है:-

1. **आपातकालीन फसल/फसल प्रणाली/ सस्य वैज्ञानिक प्रक्रियाएं**

- सितम्बर के अन्त में होने वाली वर्षा के उपरान्त 'कैच' फसलों के रूप में सरसों की तोरिया, तरमीरा और/या अग्रणी किस्मों की खेती।
- गेहूं तथा चना, जौ तथा चना की मिश्रित खेती और 4:4:4 की पंक्तियों के अनुपात में गेहूं सरसों तथा चने की पट्टीदार बुआई।
- पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर गेहूं की शून्य जुताई खेती। सीमित सिंचाई जल को बचाने के लिए क्यारी पर बुवाई करके नालियों में सिंचाई करने की क्रियाएं अपनाना।
- विभिन्न राज्यों की आपातकालीन योजनाओं के अनुसार कम जल की आवश्यकता वाली फसलों तथा फसल क्रमों की खेती। उदाहरण के तौर पर, गेहूं की किस्मों डब्ल्यू. एच. 157, डब्ल्यू. एच. 283 तथा कुन्दन की खेती सीमित जल से की जा सकती है।
- बारानी क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध घास-पात का अपयोग।

2. **सितम्बर 2002 से जून 2003 की अवधि के दौरान पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना**

- लघु अवधि तथा कम जल लेने वाली चारा फसलों जैसे दोहरे उद्देश्य वाले जौ तथा जई की खेती। सूखा संभावित क्षेत्रों के सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में बरसीम, ल्यूकर्न, चाइनीज पत्ता गोभी, गोभी सरसों इत्यादि का चारा फसलों के रूप में खेती।
- पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान के अपशिष्ट पदार्थों को जलाने की प्रक्रिया को समाप्त करना तथा इन्हें पूलियों में बांधकर, सघनित करके और पौष्टिक बनाकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान में भेजना।
- गन्ने के पौधे के ऊपरी भाग तथा इसके उप-उत्पादों जैसे खोई, शीरा, प्रेस मड इत्यादि के उत्तरजीविता चारे के रूप में उपयोग को बढ़ावा देना।
- यूरिया शीरा के खनिज ब्लॉक तैयार करना और पूरक चारे के स्रोत के रूप में वृक्षों के पत्तों तथा फलियों का उपयोग।

3. **सतही तथा भूमिगत जल का मितव्ययी उपयोग**

- जहां संभव तथा लाभप्रद हो, सिंचाई की ड्रिप तथा छिड़काव विधियों को अपनाना।

– मिश्रित/वैकल्पिक उपयोग के माध्यम से कम गुणवत्तापूर्ण भूमिगत जल का कारगर उपयोग, लवण की सहिष्णु किस्मों जैसे सी एस 52 (सरसों) तथा सी एस जी 8962 (चना) की खेती, जिप्सम का उपयोग, लवण की सहिष्णु फसलों जैसे 'ईसबगोल' की खेती।

4. पशुधन रणनीति

– सूखा संभावित क्षेत्रों के निश्चित सिंचाई वाले भागों में गोपशु कैम्पों की स्थापना।

– ऊंट, भेड़ तथा बकरियों को एक दिन छोड़कर पानी देना तथा लम्बी दूरी पर चारा करने के लिए भेजने से बचना।

– गोपशु कैम्पों में पशु स्वास्थ्य जांच तथा संस्तुत टीकाकरण सूची के अनुसार उनका टीकाकरण कराना।

(घ) सितम्बर, 2002 के दौरान विज्ञान भवन में आयोजित रबी की बैठक में 'रबी' के लिए आपातकालीन योजना की घोषणा की गई। भा.कृ.अ.पं. प्रकाशन "सूखा प्रबन्ध रणनीतियां" की पांच सौ प्रतियां कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों तथा सभी राज्यों और संघीय प्रदेशों के प्रतिनिधियों में वितरित की गईं। स्थानीय अवस्थाओं तथा वर्तमान सूखा परिस्थितियों के अनुसार सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने विस्तृत आपातकालीन योजनाएं तैयार की हैं। इनकी घोषणा प्रेस/मीडिया के माध्यम से तथा देश के सभी संभावित क्षेत्रों में कृषक बैठकें आयोजित करके की जा रही है।

कृषि उत्पाद की उत्पादन लागत

2934. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में गेहूं, चावल, गन्ने और कपास की उत्पादन लागत के आकलन का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इनमें से प्रत्येक उत्पाद की औसत उत्पादन लागत क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दोदान उक्त उत्पादों की राज्यवार न्यूनतम और अधिकतम उत्पादन लागत क्या रही?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) भारत में प्रधान फसलों की खेती/उत्पादन लागत के अध्ययन हेतु वृहत् स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार 16 प्रमुख राज्यों से 29 फसलों के संबंध में खेती/उत्पादन लागत के आंकड़े एकत्रित करती है। इस स्कीम के अंतर्गत आकलित लागत अनुमान कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को नियमित आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 हेतु प्रमुख राज्यों के संबंध में गेहूं, धान गन्ना एवं कपास फसलों की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत का विवरण संलग्न हैं।

विवरण

भारत के प्रमुख राज्यों के संबंध में वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 की अवधि के धान, कपास, गेहूं एवं गन्ना की उत्पादन लागत

फसल	राज्य	उत्पादन लागत (रु./क्विंटल)	
		2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
धान	आंध्र प्रदेश	471.08	490.86
	असम	469.97	486.62
	बिहार	448.46	450.7
	हरियाणा	517.19	553.51
	केरल	705.08	746.69
	मध्य प्रदेश	456.08	506.29
	पंजाब	384.64	421.12
	तमिलनाडु	उ०न०	505.57
	उत्तर प्रदेश	387.47	406.5
	पश्चिम बंगाल	452.01	500.21
कपास	गुजरात	1620.09	1579.56
	हरियाणा	1800.7	2157.75

1	2	3	4
	पंजाब	1812.36	2287.6
	तमिलनाडु	उ०न०	2116.23
गेहूं	बिहार	503.49	530.84
	हरियाणा	417.52	441.01
	हिमाचल प्रदेश	580.75	726.76
	मध्य प्रदेश	536.4	568.3
	पंजाब	423.34	453.97
	राजस्थान	454.09	509.12
	उत्तर प्रदेश	427.23	453.28
गन्ना	उत्तर प्रदेश	50.19	53.54
	महाराष्ट्र	49.54	55.02
	हरियाणा	56.52	58.93
	कर्नाटक	43.75	42.35
	आंध्र प्रदेश	57.57	62.55
	तमिलनाडु	41.74	47.14

उ०न० : उपलब्ध नहीं

नोट:- आंकड़े अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा कृषि एवं मूल्य आयोग को प्रस्तुत खेती/उत्पादन लागत के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित सी-2 लागत से संबंधित हैं। सी-2 लागत स्वामी द्वारा उत्पादन में नकद एवं वस्तु के रूप में किए गए सभी वास्तविक व्ययों, धारित पूंजी संपत्ति (भूमि को छोड़कर) के मूल्य पर ब्याज, धारित भूमि का किराया मूल्य (निवल भू-राजस्व), पट्टे पर ली गई भूमि हेतु प्रदत्त किराया तथा पारिवारिक श्रम के आरोपित मूल्य को कवर करती है।

[अनुवाद]

पशु-पक्षियों का कल्याण

2935. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से पशुओं के कल्याणार्थ संसाधन जुटाने के लिए एक विशेष न्यास का गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या प्राणी उद्यानों का प्रबंधन और पशुओं की देखरेख विषय पर कोई पाठ्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। जीव-जन्तु कार्यकलापों में लगाए जाने हेतु दान, चन्दा और वसीयतों के माध्यम से संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए यह उपाय प्रस्तावित है। न्यास गठित करने की प्रक्रिया जारी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने चिड़ियाघर प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में मानक निर्धारित किए हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश के जीव-जन्तुओं और चिड़ियाघरों के प्रबन्धन के सबंध में चिड़ियाघर के वरिष्ठ और मध्यम स्तर प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम तैयार किया है। अब तक वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए 6-6 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें इस संस्थान द्वारा वरिष्ठ स्तर के 103 और मध्यम स्तर के 111 प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त जीव-जन्तुओं के प्रबन्धन और कल्याण में चिड़ियाघर के रक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी विकसित किया गया है। अब तक चिड़ियाघर के 437 रक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

[हिन्दी]

बागवानी को बढ़ावा

2936. श्री पी.आर. खूंटे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागवानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए

निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है :-

(1) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कार्यक्रम।

(2) नारियल उद्योग के समेकित विकास के लिए नारियल विकास बोर्ड कार्यक्रम।

(3) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन।

(4) जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी का समेकित विकास।

इसके अलावा कृषि में वृहत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना—कार्य योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों के अनुपूरण/सम्पूरण के अधीन बागवानी विकास सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता मुहैया की जा रही है।

[अनुवाद]

युवाओं को रोजगार देने संबंधी शिखर सम्मेलन

2937. **श्री डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003 में भारत में युवाओं को रोजगार देने संबंधी किसी विश्वव्यापी शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) युवाओं के बीच रोजगार सृजन के लिए सरकार की क्या कारगर योजनाएं और कार्यक्रम हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) वर्तमान में 2003 में भारत में युवा रोजगार के विश्वव्यापी शिखर सम्मेलन के आयोजन का कोई प्रस्ताव श्रम मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) रोजगार सृजन पंचवर्षीय योजना का भाग है। 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण, पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सूखे के लिए दी जाने वाली सहायता में भेदभाव

2938. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कतिपय राज्यों से सूखे के लिए दी जाने वाली सहायता में भेदभाव बरते जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) किन-किन राज्यों ने ऐसे भेदभाव की शिकायतें की हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) (क) से (ग) आपदा राहत कोष से केन्द्रीय अंश की धनराशि निर्गत करने के अलावा गम्भीर किस्म की प्राकृतिक आपदाओं (सूखे सहित) के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता देने पर विचार किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान सूखे के लिए राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता के निर्धारण में इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। सूखा प्रभावित राज्यों से इस संबंध में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मवेशियों का आवागमन

2939. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मवेशियों का बड़े पैमाने पर उड़ीसा से पश्चिम बंगाल में आवागमन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस आवागमन से किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तथापि, ऐसे परिवहन नियम हैं जिनमें रास्ते में पशुओं की उचित देखभाल का सुनिश्चय किया गया है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित किया जाना

2940. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन सा राज्य फलों और सब्जियों का अधिकतम उत्पादन करता है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान फलों और सब्जियों का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ग) देश में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फलों और सब्जियों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने फलों और सब्जियों विशेषकर आलू और प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निधारित किया है;

(च) कौन से राज्य ने फलों और सब्जियों के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(छ) सरकार द्वारा फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश में महाराष्ट्र फलों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा पश्चिम बंगाल सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान फलों तथा सब्जियों के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में फलों एवं सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमशः 85 ग्राम/दिवस तथा 175 ग्राम/दिवस आंकी गई है।

(घ) और (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान महानगरों/मण्डियों में फलों एवं सब्जियों के मूल्यों के रुख से फलों व सब्जियों के मूल्य में कोई भारी वृद्धि होने का संकेत नहीं मिलता। सरकार ने फलों तथा आलू व प्याज सहित सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किए हैं।

(च) और (छ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम—"कृषि का वृहद प्रबंध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में अनुपूरण/सम्पूरण" के अन्तर्गत फलों एवं सब्जियों के विकास सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। इस स्कीम का कार्यान्वियन सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। इस स्कीम में राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी गतिविधियों को अग्रता क्रम देने की सुविधा प्रदान की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत नर्सरियों के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति, बीज ग्रामों की स्थापना, उन्नत किस्मों से क्षेत्र कवरेज, किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार, रोग पूर्वानुमान यूनिटों, पौध स्वास्थ्य क्लीनिकों, पत्ती/ऊत्तक विश्लेषण प्रयोगशालाओं जैसी आधारभूत सुविधाओं, खेतों पर उत्पाद के रखरखाव तथा यंत्रीकरण जैसी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

देश में फलों तथा सब्जियों का राज्य-वार उत्पादन

(उत्पादन : 000' मी.टन)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	फल			सब्जियां		
		1998-99	1999-2000	2000-01	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4589.6	5175.4	5003.4	3541.2	2839.1	3147.7

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	91.6	93.1	123.1	80.9	80.9	83.7
3.	असम	1249.4	1247.1	1293.8	2834.8	3089.4	2693.1
4.	बिहार	3797.2	3870.7	3237.5	9418.4	9548.8	10219.7
5.	झारखण्ड	—	—	265.1	—	--	2109.5
6.	गोवा	98.9	99.0	71.5	70.0	70.0	76.0
7.	गुजरात	2293.5	2376.0	2268.2	3255.0	2647.0	3070.8
8.	हरियाणा	192.4	212.0	232.0	1850.0	2094.5	2191.5
9.	हिमाचल प्रदेश	448.1	87.5	438.3	606.4	660.9	734.2
10.	जम्मू और कश्मीर	881.1	1021.0	837.3	606.9	584.4	757.9
11.	कनार्टक	5446.3	5456.1	4819.5	4944.9	6796.9	5763.0
12.	केरल	1621.2	1184.4	1772.6	2857.2	2857.1	2530.9
13.	मध्य प्रदेश	1374.4	1536.1	1740.4	3276.2	3632.0	3501.9
14.	छत्तीसगढ़	—	—	154.3	—	—	1146.3
15.	महाराष्ट्र	7521.7	8688.5	8680.8	4479.5	4828.6	5142.0
16.	मणिपुर	115.3	118.1	118.7	45.0	53.1	67.4
17.	मेघालय	186.4	223.3	186.9	308.7	252.9	303.6
18.	मिजोरम	76.8	40.7	66.7	62.4	56.3	47.3
19.	नागालैंड	152.0	232.3	290.4	313.3	235.7	253.6
20.	उड़ीसा	1718.4	1202.9	1284.4	10087.1	9096.0	8089.1
21.	पंजाब	844.7	418.6	479.7	1906.3	2285.0	2310.0
22.	राजस्थान	310.3	339.3	339.3	396.1	472.6	386.4
23.	सिक्किम	8.3	8.6	10.0	42.2	43.0	59.7
24.	तमिलनाडु	5447.6	5939.6	6237.7	5704.8	5660.3	6011.0

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	372.1	372.1	450.8	232.8	232.8	328.1
26.	उत्तर प्रदेश	3097.8	3210.5	2713.0	12680.6	13842.4	13030.4
27.	उत्तरांचल	520.4	475.5	541.0	840.7	733.2	1138.1
28.	पश्चिम बंगाल	1536.0	1816.1	1656.5	16367.4	17413.8	17779.4
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.7	16.7	16.7	15.8	15.8	15.8
30.	चण्डीगढ़	1.2	1.9	1.1	11.5	1.2	1.7
31.	दादरा व नागर हवेली	7.1	7.1	7.1	13.5	13.5	13.5
32.	दमन और दीव	3.4	3.4	3.4	1.0	1.1	1.1
33.	दिल्ली	1.0	0.1	1.0	651.9	651.9	862.7
34.	लक्षद्वीप	0.7	1.3	1.1	—	0.2	0.2
35.	पांडिचेरी	20.8	20.1	26.7	33.5	32.6	54.2
	कुल	44042.4	45495.9	45370.0	87536.0	90823.0	93921.5

[अनुवाद]

बागडोगरा विमानपत्तन का विकास

2941. श्री अमर राय प्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा विमानपत्तन जो सिक्किम और उत्तरी बंगाल के पिछड़े जिलों तथा उत्तरी बिहार के पांच जिलों का भ्रमण करने वाले पर्यटकों को आवागमन की सुविधा प्रदान करता है, अन्य घरेलू विमानपत्तनों के विकास की तुलना में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका पूरी तरह से विकास करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यैसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) बागडोगरा हवाई अड्डा रक्षा मंत्रालय से संबंधित है जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) एक सिविल एन्क्लेव का रख-रखाव करता है। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 12.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक बार में 500 यात्रियों को संभालने के लिए अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण किया है। सीमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संभालने के लिए कस्टम तथा आप्रवासन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। 3.89 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नये पहुंच मार्ग तथा एक बार में 200 कारों को पार्क करने के लिए कार पार्क क्षेत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मत्स्य उद्योग का बढ़ावा

2942. **श्री जी.जे. जावीया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण गैर-झींगा मत्स्य संसाधनों के नये क्षेत्रों का पता लगाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मत्स्य उद्योग और मछुआरों को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण की और जलयान खरीदने की योजना है तथा इन जलयानों की खरीद के बाद यह गहन समुद्रीय डिमरसल फिन मछली संसाधनों, तट से दूर वेलापवर्ती मछलियों तथा नाइट्रिक टूना तथा ओसेनिक टूना और टूना जैसी मछलियों जैसे गैर श्रिम्प संसाधनों के लिए अन्वेषक सर्वेक्षण कर सकेगा।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी ढांचा तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशनों के विकास नामक माइक्रो प्रबंधन योजना के तहत निम्नलिखित उप योजनाएं कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित की गई हैं जो मात्स्यिकी उद्योग तथा मछुआरों को प्रोत्साहन देंगी:-

1. उन्नत डिजाइन के इंटरमीडिएट नौका की शुरूआत
2. संसाधन विशिष्ट गहन समुद्री मत्स्यन जलयान
3. पारंपरिक नौकाओं का मोटरीकरण
4. मिट्टी के तेल पर राजसहायता तथा एच एस डी पर मछुआरा विकास छूट
5. समुद्री में मछुआरों की सुरक्षा
6. मत्स्यन बंदरगाहों का विकास
7. पोस्ट हार्वेस्ट ढांचे का सुदृढ़ीकरण

खाद्यान्नों का भारी मात्रा में इकट्ठा होना

2943. **श्री खारबेल स्वाइं** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए खाद्यान्नों को भारी मात्रा में इकट्ठा करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में "अदल-बदल कर फसल बोना" आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सरकार राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत फसल विविधिकरण पर जोर दे रही है, जिसमें अनाज की फसल के बाद पुन: उसी अनाज की खेती करने से उत्पन्न समस्याओं के कारण मृदा स्वास्थ्य को देखते हुए समुचित फसल भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य कृषि में सततता को कायम रखने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।

उपर्युक्त के अलावा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। ये निम्नवत हैं :-

(i) चावल, गेहूं तथा गेहूं उत्पादों से मात्रात्मक प्रतिबंध इस शर्त पर हटा लिए गए हैं कि केन्द्रीय पूल में किसी भी समय अनाज का भण्डार 243 लाख मी. टन (गेहूं का 143 लाख मी. टन और चावल का 100 लाख मी. टन) से कम नहीं होगा।

(ii) गेहूं, गेहूं उत्पादों तथा गैर-बासमती चावल के निर्यात कि मामले में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण से पंजीकरण जैसे कोई प्रक्रियात्मक प्रतिबंध नहीं होंगे।

(iii) निर्यातकों को अपनी पसन्द के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से स्टॉक उठाने की अनुमति दे दी गई है।

(iv) अनाज के निर्यात संबंधी मामलों पर नियमित रूप से त्वरित निर्णय लेने के लिए निर्यात संबंधी अधिकार प्राप्त स्थायी समिति गठित की गई है।

(v) एक स्थायी मूल्य तंत्र की स्थापना के लिए सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात हेतु पेशकश मूल्य तीन माह की अवधि के लिए निर्धारित करके स्टॉक

उठाने के लिए एक माह का समय अतिरिक्त देने एवं संबंधित तिमाही शुरू होने से 45 दिन पूर्व मूल्यों की घोषणा करने का निर्णय लिया है।

(vi) निर्यातकों को माल देने के बाद डब्ल्यू.टी.ओ. के अनुरूप व्यय एवं अन्य संबंधित व्यय करने की अनुमति प्रदान की जा रही है।

अमृतसर से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि

2944. श्री भान सिंह भौरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमृतसर से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस तथा उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस अमृतसर से अपने-अपने देशों के लिए क्रमशः छह और सात प्रचालन सेवाएं प्रति सप्ताह प्रचालित कर रही हैं। इसके अलावा, इंडियन एयरलाइंस की सप्ताह में दो बार अमृतसर से शारजाह के लिए सेवा प्रचालित कर रही है। इस समय, अमृतसर से अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन सेवाओं में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जल संसाधनों के पारंपरिक तरीके

2945. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पानी की कमी को दूर करने के लिए पारंपरिक तरीकों को अपनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। एकीकृत तरीकों से क्रियान्वयन के लिए वर्षा जल संचयन के पारंपरिक तरीकों पर जोर दिया जा रहा है। टैंक, तालाब एवं छत के वर्षा जल के संग्रहण की पद्धति, वर्षा जल संचयन के कुछ उपाय हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी तथा राजस्थान राज्यों में बने हुए टैंकों के पुनर्स्थापन का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पूरे देश में इन तरीकों को अपनाए जाने से जल की कमी को पूरा करने में काफी सहायता मिलने की संभावना है। जल राज्य का विषय होने के कारण, वर्षा जल संचयन के पारंपरिक तरीकों के क्रियान्वयन सहित जल संसाधन परियोजनाओं को तैयार करना उनकी आयोजना, क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी प्राथमिकता से किया जाता है।

[अनुवाद]

आर्थिक मंदी का ट्रैवल एजेंसियों पर प्रभाव

2946. श्री विनय कुमार सोराके : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा व्यापार के क्षेत्र में जारी आर्थिक मंदी अंततः लघु और मध्य ट्रैवल एजेंटों को समाप्त कर देगी;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु और मध्यम ट्रैवल एजेंसियां विमान टिकटों पर मिलने वाले कमीशन, विमान कम्पनियों द्वारा ''कौन्सोलिडेटरों'' को अधिमानता देना, बैंक प्रतिभूति में बढ़ोतरी और टी.डी.एस. समस्या जैसी समस्याओं से जूझ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय ट्रैवल एजेन्ट्स संघ की हाल ही में कोच्चि में बैठक हुई थी और क्या उन्होंने सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटक आगमनों में कमी के कारण यात्रा व्यापार में आर्थिक मंदी से उद्योग वैश्विक रूप से, प्रभावित हुआ। तथापि, भारत के मामले में, इस वर्ष अक्तूबर और नवम्बर के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटक आगमन में 16% से अधिक की वृद्धि से स्थिति में बदलाव आया और यह स्थिति इस क्षेत्र के छोटे और मध्यम संगठनों सहित भारतीय पर्यटन उद्योग के लिए अच्छी रही है। 32% तक स्वदेशी पर्यटन में भी वृद्धि हुई है जो यात्रा उद्योग क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखने में मददगार साबित हुई है।

(ग) और (घ) भारतीय ट्रैवल एजेंट्स संघ (टी ए ए आई) का वार्षिक सम्मेलन 20 से 23 सितम्बर, 2002 को कोच्चि में हुआ था। तथापि, भारतीय ट्रैवल एजेंट्स संघ (टी ए ए आई) से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम निगम (ई.एस.आई.) में बीमा करा चुके व्यक्ति

2947. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री वी. वेत्रिसेल्वम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.) के अंतर्गत बीमा करा चुके व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) देश में विशेषकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बीमा करा चुके व्यक्तियों के लिए अस्पतालों का अनुपात क्या है;

(ग) क्या अस्पतालों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बीमा करा चुके व्यक्तियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अस्पतालों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में है।

(ख) वर्तमान में 80,03,800 बीमित व्यक्तियों के लिए देश में 140 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं। तमिलनाडु में 9 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं जिनमें 11,41,850 बीमित व्यक्तियों के लिए 1955 बिस्तर हैं जबकि महाराष्ट्र में 13 क.रा.बी. अस्पताल हैं जिनमें 11,67,150 बीमित व्यक्तियों के लिए 3600 बिस्तर हैं।

(ग) से (ङ) क.रा.बी. निगम की नीति के अनुसार 1000 बीमित व्यक्ति परिवार इकाइयों के लिए 4 बिस्तर का प्रावधान है तथा जहां भी न्यूनतम 25000 बीमित व्यक्ति परिवार इकाइयां उपलब्ध हैं वहां कम से कम 50 बिस्तर वाला एक अस्पताल स्थापित किया जाता है। निगम की नीति के अनुसार जहां कोई भी क.रा.बी. अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं वहां लाभार्थियों के अंतरंग (इनडोर) उपचार के लिए अन्य सरकारी/निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध किए जाते हैं।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों की संख्या

राज्य/क्षेत्र	बीमित व्यक्तियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश और यनम	552100
असम और मेघालय	36300
बिहार	37100
चंडीगढ़	32100
छत्तीसगढ़	35750
दिल्ली	565950
गोवा	80950
गुजरात	
(1) अहमदाबाद	277450
(2) सूरत	108250
(3) बड़ौदा	130850
हरियाणा	390500
हिमाचल प्रदेश	45600
जम्मू और कश्मीर	17400
झारखंड	69200
कर्नाटक	
(1) बंगलौर	629150
(2) हुबली क्षेत्र	91400
केरल और माहे	381900
मध्य प्रदेश	255400

1	2
महाराष्ट्र	
(1) लोअर पारेल	280300
(2) थाणे	226750
(3) मरोल	238650
(4) नागपुर क्षेत्र	86260
(5) पुणे क्षेत्र	335200
उड़ीसा	129900
पांडिचेरी	53800
पंजाब	402750
राजस्थान	276800
तमिलनाडु	-
(1) चैन्नई क्षेत्र	673550
(2) कोयम्बटूर क्षेत्र	213800
(3) मदुरई क्षेत्र	254500
उत्तर प्रदेश	458300
उत्तरांचल	19000
पश्चिमी बंगाल	617900
अखिल भारत	8003800

शहरीकरण का प्रभाव

2948. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते शहरीकरण के कारण वनों की कटाई, जैव विविधता को क्षति और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वनों की कटाई रोकने, जैव विविधता को बनाए रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और क्या योजनाएं आरंभ की गयी हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) शहरीकरण द्वारा निरपवाद रूप से भूमि प्रयोग में परिवर्तन होता है और इस प्रक्रिया में कुछ वृक्षों का काटा जाना भी आवश्यक हो सकता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत जैव विविधता में कुछ विभिन्नताएं आवश्यक हो सकती है। राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकाय ग्रीन बेल्टों के निर्माण और एवेन्यु प्लांटेशन्स आदि जैसे विभिन्न उपाय पहले ही कर रही है। इसके अलावा केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं जिनके आधार पर पर्यावरणीय समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाता है।

मत्स्य पालन का विकास

2949. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तटवर्ती राज्यों को मत्स्य पालन के विकास हेतु विभिन्न प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : तटवर्ती राज्यों सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी के विकास के लिए समुद्री मात्स्यिकी का विकास, बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह, ताजा जल जलकृषि का विकास, एकीकृत तटवर्ती जलकृषि, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। दसवीं योजना के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए तटवर्ती राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन सितम्बर, 2002 को हुआ था।

आर्मी वोर्म (सैनिक हुलु) का मूंग दाल की फसल पर दुष्प्रभाव

2950. श्री जी. पुट्टस्वामी गौड़ा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक में मूंग दाल की पूरी की पूरी फसल आर्मी वोर्म (सैनिक हुलु) द्वारा संक्रमित हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राज्य में चार वर्ष पहले भी इस फसल को उक्त कीट ने अपनी चपेट में ले लिया था;

(ग) क्या सरकार राज्य को इस कीड़े के हमले के बचाव के लिए कोई सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कर्नाटक में कहीं भी "मूंग दाल" पर आर्मी वोर्म संक्रमण की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

आदि ग्रंथ की खोज

2951. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश ग्रंथालय के संग्रह में हाल ही में 17वीं शताब्दी के सिक्ख धार्मिक पुरावशेष 'आदि ग्रंथ' की खोज की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पांडुलिपि को लंदन से भारत वापस लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नारियल वृक्ष को प्रभावित करने वाले रोग

2952. श्री ई० अहमद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल वृक्ष को प्रभावित करने वाले रोगों पर किये गये वैज्ञानिक अध्ययन का ब्यौरा क्या है और उसके नवीनतम निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) इस हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है और अब तक ऐसे अध्ययन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) किसानों को अब तक नारियल फल और नारियल वृक्ष का कितना नुकसान हुआ है;

(घ) क्या किसी स्थायी उपचार का पता लगा लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई) द्वारा नारियल के रोगों जैसे जड़-गलन, तना रिसाव, पत्ता-गलन आदि पर वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। इसके कारणात्मक जीवों की पहचान कर ली गई है तथा प्रबंध क्रियाएं कार्यान्वित कर दी गई है, जिसमें किसानों के खेत भी शामिल हैं।

(ख) आबंटित की गई 9.55 करोड़ रु. की राशि में 9.54 करोड़ रु. इस अध्ययन पर व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) सर्वेक्षण के अनुसार इन रोगों से 900 मिलियन नारियल फलों तथा 50,000 वृक्षों को क्षति हुई है।

(घ) इन रोगों के लिए प्रबंध क्रियाओं का पता लगा लिया गया है।

(ङ) किसानों के 210 खेतों पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया। परिणामों से पता चला है कि नारियल रोपण में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।

निर्माण मजदूर

2953. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माण मजदूरों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास इन मजदूरों के कल्याण के लिए कोई व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 1991 की जनगणना से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार देश में निर्माण कर्मकारों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के रोजगार एवं सेवा शर्तों के विनियमन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,

1996 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में सुरक्षा, स्वास्थ्य और दुर्घटना के मामले में लाभभोगी को तत्काल सहायता, पेंशन लाभ, समूह बीमा योजना हेतु प्रीमियम, मकान निर्माण के लिए ऋण एवं अग्रिम राशि, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता, चिकित्सा व्यय, महिला लाभभोगियों को प्रसूति लाभ जैसे कल्याण उपायों का प्रावधान है।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार निर्माण कर्मकारों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्माण कर्मकारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	470,668
2.	अरुणाचल प्रदेश	23,392
3.	असम	109,607
4.	बिहार (झारखंड सहित)	162,230
5.	गोवा	25,037
6.	गुजरात	282,822
7.	हरियाणा	123,476
8.	हिमाचल प्रदेश	86,246
9.	जम्मू-कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	427,970
11.	केरल	332,340
12.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	388,425
13.	महाराष्ट्र	801,735
14.	मणिपुर	10,971
15.	मेघालय	11,349
16.	नागालैंड	9,032
17.	उड़ीसा	90,315
18.	पंजाब	156,045
19.	राजस्थान	337,033
20.	सिक्किम	11,655
21.	तमिलनाडु	489,270
22.	त्रिपुरा	11,752
23.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	510,520
24.	पश्चिमी बंगाल	381,317
25.	अंदमान और निकोबार	12,449
26.	चंडीगढ़	22,098
27.	दादरा और नागर हवेली	1,736
28.	दिल्ली	231,571
29.	दमन और दीव	1,960
30.	लक्षद्वीप	1,916
31.	मिजोरम	7,158
32.	पांडिचेरी	11,108

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की योजनाओं का कार्यान्वयन

2954. डा. बलिराम : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अभी तक सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए हैं। अतिरिक्त रोजगार सृजन करने की अत्यन्त आवश्यकता तथा कार्यक्रम के सफल अनुभव को देखते हुए कार्यक्रम को 10वीं योजना अवधि अर्थात् 31.3.2007 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 10वीं योजना का निर्धारित लक्ष्य 1250 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से 2.0 मिलियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करना है। 31.3.2002 तक देश में स्वीकृत परियोजनाओं एवं सृजित रोजगार के संबंध में आरईजीपी का राज्यवार निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

31.3.2002 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार वित्तपोषित परियोजनाएं और रोजगार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तपोषित परियोजनाएं	रोजगार (व्यक्ति लाखों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9955	1.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	317	0.03
3.	असम	425	0.07
4.	बिहार	529	0.04
5.	गोवा	1931	0.15
6.	गुजरात	682	0.04
7.	हरियाणा	3509	0.54
8.	हिमाचल प्रदेश	1068	0.19
9.	जम्मू-कश्मीर	5754	0.41
10.	कर्नाटक	10326	0.85
11.	केरल	5592	0.62
12.	मध्य प्रदेश	16779	1.44
13.	महाराष्ट्र	16805	1.42
14.	मणिपुर	623	0.11
15.	मेघालय	2784	0.20
16.	मिजोरम	732	0.08
17.	नागालैंड	4665	0.94
18.	उड़ीसा	1467	0.14
19.	पंजाब	7363	0.72
20.	राजस्थान	20365	1.87
21.	सिक्किम	18	#
22.	तमिलनाडु	3484	0.31
23.	त्रिपुरा	48	0.05
24.	उत्तर प्रदेश	11704	1.70
25.	पश्चिम बंगाल	11416	0.83
26.	अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	162	#
27.	चंडीगढ़	139	0.01
28.	दादरा एवं नागर हवेली	8	#
29.	दिल्ली	203	0.03
30.	लक्षद्वीप	01	#

1	2	3	4
31.	पांडिचेरी	899	0.11
32.	छत्तीसगढ़	197	0.08
33.	झारखंड	218	0.01
34.	उत्तरांचल	313	0.06
	कुल	140481	14.42

#500 से कम

गंगा पंप नहर परियोजना

2955. **श्री सुबोध राय :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार-झारखंड सीमा पर भागलपुर में बटेश्वर में गंगा पंप नहर परियोजना के कार्य को पूरा करने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना को पूरा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी) : (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, क्रियान्वयन एवं रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। बिहार-झारखंड सीमा पर भागलपुर में बटेश्वर पर गंगा पंप नहर परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार को सितम्बर, 2002 में बिहार सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बोधिवृक्ष का संरक्षण

2956. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया में महान "बोधिवृक्ष" जर्जरावस्था के कारण गिरने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे कीटों के हमले से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल

2957. **श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.) के उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के मानदंड क्या हैं;

(ख) देश में विशेषकर केरल में फिलहाल राज्यवार कितने उक्त कार्यालय कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.) अस्पताल के दर्जे को उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल के रूप में उन्नयन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं:-

(i) क्षेत्रीय कार्यालय के लिए बीमित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 5 लाख होनी चाहिए;

(ii) बीमित व्यक्तियों की संख्या 5 लाख से अधिक होने पर क्षेत्र के विभाजन पर विचार किया जाना चाहिए बशर्ते विभाजित इकाई अर्थक्षम बनी रह सके; और

(iii) किसी क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए किसी केन्द्र/क्षेत्र विशेष में न्यूनतम 1 लाख बीमित व्यक्ति होने चाहिए।

(ख) फिलहाल निम्नांकित केन्द्रों/क्षेत्रों में उप क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं:-

(i)	महाराष्ट्र क्षेत्र	पुणे, नागपुर, मारोल (अंधेरी) तथा थाणे
(ii)	तमिलनाडु क्षेत्र	कोयंबटूर तथा मदुरै
(iii)	कर्नाटक क्षेत्र	हुबली
(iv)	गुजरात क्षेत्र	सूरत तथा बड़ौदा
(v)	पश्चिम बंगाल क्षेत्र	बैरकपुर (उप-क्षेत्रीय कार्यालय के लिए स्थान की तलाश की जा रही है)

वर्तमान में केरल में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) आदर्श अस्पतालों में हृदय रोग विभाग तथा डायलसिस यूनिट होंगे। प्रस्तावित मॉडल अस्पतालों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्तमान अस्पताल जिन्हें आदर्श अस्पताल में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है

क्र. सं.	राज्य	कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित अस्पताल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	नाचरम, 200 बिस्तर
2.	असम	बेलटोला, 50 बिस्तर
3.	झारखंड	रांची, 50 बिस्तर
4.	गोवा	मारगावो, 50 बिस्तर
5.	गुजरात	बापूनगर, 600 बिस्तर
6.	हरियाणा	गुड़गांव, 100 बिस्तर (नया निर्माण किया जाएगा)
7.	हिमाचल प्रदेश	परवानू, 50 बिस्तर
8.	कर्नाटक	इंदिरा नगर, 300 बिस्तर
9.	केरल	आसरमम, 200 बिस्तर
10.	उड़ीसा	राउरकेला, 50 बिस्तर
11.	पांडिचेरी	पांडिचेरी, 75 बिस्तर
12.	पंजाब	जालंधर, 100 बिस्तर + 90 बिस्तर (नया ब्लाक)
13.	राजस्थान	जयपुर, 236 बिस्तर
14.	उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद, 100 बिस्तर
15.	बिहार	फुलवारी शरीफ, 50 बिस्तर
16.	चंडीगढ़	50 बिस्तर

टिप्पणी : तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चलाए जा रहे अस्पताल-सह-व्यावसायिक रोग केन्द्रों को ही राज्य सरकार के परामर्श से स्तरोन्नत किया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) की सूची में नये स्मारक

2958. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ और स्थलों को संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस. आई.) ने इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान इन स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गयी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। केन्द्रीय संरक्षण के लिए प्रस्तावित स्मारकों/स्थलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण पर व्यय स्मारकों/स्थलों के केन्द्रीय संरक्षण में लिए जाने के बाद किया जाता है।

विवरण

उन स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा जहां संरक्षण प्रक्रिया 2000-2002 के दौरान विचाराधीन है।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (सं.रा. क्षेत्र)

1. ओल्ड बिल्डिंग, रास द्वीप

असम

2. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिल्चर

बिहार

3. ऋषि राजनारायण बसु का घर, देवघर, बिहार
4. एल.एस. कॉलेज, मुजफ्फरपुर, बिहार
5. बोधगया मंदिर, बिहार

दिल्ली

6. सीरी फोर्ट दीवार एवं इससे लगा ऐतिहासिक टीला
7. स्वामी श्रद्धानंद बलिदान भवन, दिल्ली
8. रोशनआरा रोड स्थित भवन जहां स्वामी विवेकानंद ठहरे थे, दिल्ली
9. कुली खान का मकबरा, महरौली, नई दिल्ली
10. किला राय पिथौरा एवं सीरी फोर्ट दीवार, दिल्ली

गोवा

11. महादेव मंदिर, तामदीसुरला, गोवा

गुजरात

12. भाउ ताम्बेकरवाला, वडोदरा

हरियाणा

13. मकबरा समूह, झज्जर
14. प्राचीन स्मारक, बोरशाम करनाल
15. पृथ्वीराज चौहान का नीमराना महल, हरियाणा
16. तौरु के मकबरे, जिला गुड़गांव, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

17. बौद्ध मठ, लंहालंग, जिला लाहुल स्पीती
18. हितेश्वरी देवी मंदिर, शिव मंदिर तथा चार लघु मंदिर, हाटकोटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश
19. बालकेश्वर महादेव मंदिर, शिमला, हिमाचल प्रदेश
20. नाडंग स्थित बौद्ध मंदिर, लाहुल-स्पीती
21. बौद्ध मठ नाका, जिला किन्नौर, हि.प्र.
22. दुर्गा मंदिर, जिला कांगड़ा, हि.प्र.
23. शिव मंदिर, जुब्बल, शिमला, हि.प्र.
24. चन्द्रशेखर मंदिर, चंबा, हि.प्र.
25. खज्जी नागा मंदिर, खज्जर, जिला चंबा, हि.प्र.
26. लक्ष्मी नारायण मंदिर, उदयपुर, चंबा, हि.प्र.
27. शिव शक्ति देवी मंदिर, चम्बा, हि.प्र.
28. धुंग्यार गुम्फा, कार्ला, जिला किन्नौर, हि.प्र.
29. शिव मंदिर, महाकाल मंदिर एवं भूतनाथ मंदिर, मंडी, हि.प्र.

30. स्मारक, पंगी घाटी चंबा, हि.प्र.

31. शिव मंदिर, जोगिन्दर नगर, मंडी, हि.प्र.

32. बारसेला स्मारक, जिला मंडी, हि.प्र.

जम्मू-कश्मीर

33. प्राचीन न्यारमा मठ, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर

34. हरी परभात श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू-कश्मीर

35. चिकतन तथा अन्य गुफाएं एवं मठ, जिला कारगिल, जम्मू-कश्मीर

कर्नाटक

36. स्मारक टीपू सुल्तान, श्रीरंगपतनम

37. अनेगुंडी पुल तथा अन्य संबंधित प्राचीन स्मारक, हम्पी

38. माता मणिकेश्वरी पहाड़ी मानिकगिरी, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक

39. श्री सोमेश्वर तथा चन्द्रशेखर का मंदिर, हसन, कर्नाटक

40. मुलतगी ग्राम के चालुक्य राजवंश काल के स्मारक, कर्नाटक

41. चित्तूर ग्राम स्थित रामनाथेश्वर तथा अन्य मंदिर, जिला शिमोगा, कर्नाटक

42. प्राचीन चालुक्य मंदिर, बादामी, बागलकोट जिला, कर्नाटक

43. विरूपक्ष मंदिर, कर्नाटक

केरल

44. श्री तिरूवंकीडम महाक्षीषु मंदिर, चोडिस्सरी, जिला त्रिचुर, केरल

45. श्री वडकुन्नाथा मंदिर, थुंपोमोन, जला पथनामथिला, केरल

46. श्री रामा स्वामी, मंदिर, वल्लारकेड, त्रिसूर

मध्य प्रदेश

47. प्रागैतिहासिक शैकाश्रय, भीमबेटका, जिला रायसेन

48. गोहर महल, भोपाल, म०प्र०

49. मार्शल का घर, सांची, रायसेन, म०प्र०

50. टाउन हाल बिल्डिंग, शिवपुरी, म०प्र०

महाराष्ट्र

51. अंबरनाथ शिव मंदिर, मुम्बई के निकट

52. हरीश्वरा मंदिर, कुडाल, संगम, जिला सोलापुर

53. सपोरा ग्राम का बौद्ध स्तूप, जिला थाणे

54. अहमदनगर किला

55. गांधी आश्रम, सोलापुर

56. आगा खां महल, पुणे

उड़ीसा

57. खंडगिरि एवं उदयगिरि की प्राचीन गुफाएं, कटक के निकट

58. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान अर्थात कटक स्थित जानकी नाथ भवन

पंजाब

59. माता जयंती देवी मंदिर, रोपड़, पंजाब

60. रणजीत सिंह किला, फिल्लौर, पंजाब

61. दुर्गीयाना मंदिर, अमृतसर, पंजाब

राजस्थान

62. प्रिमोडिअल बेदी के शैल अवशेष, अल्वर, (राजस्थान)

63. महाराणा प्रताप की समाधि, राजस्थान

64. प्राचीन स्थल ओझियाना, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

65. रक्त तलई, चेतक समाधि, हल्दी घाटी, बादशाही गेट, राजस्थान

66. बादशाही बाग, राजसमंद, राजस्थान

67. रनकपुर जैन मंदिर परिसर

तमिलनाडु

68. तिरूमंगेश्वर मंदिर, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु

69. कैलाशनाथ मंदिर, तिरूचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु

70. उत्खनित अवशेष, बौद्ध बिहार और मंदिर, पल्लवेनेश्वरम धाम जिला, तमिलनाडु

71. कन्या कुमारी जिला में स्मारक, तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

72. उत्खनित स्तूपों के आस-पास भूमि क्षेत्र तथा चौखडी स्तूप, सारनाथ, उत्तर प्रदेश

73. उरई के टीले, सदर बस्ती, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश

74. स्मारकें कसना, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

75. पन्त सदन, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का घर

76. अष्ठ सखी कुण्ड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, जिला मथुरा

पश्चिम बंगाल

77. क्लाइव हाउस, उमडम

78. शिव मंदिर परिसर, श्री बबनीपाड़ा, कोलकाता

79. मुख्य द्वार नौबत खाना, हंगेश्वरी व बासुदेव मंदिर, हुगली

80. हेस्टिंग्स हाउस, बारासात

81. ख्वाजा अनवर बर्थ (नवाब बाड़ी महल) बर्दमान

82. इमामबाड़ा, पीली मस्जिद, त्रिपौलिया गेट, दक्षिण गेट, हजारदुआरी परिसर

83. कविगुरू रवीन्द्रनाथ ठाकुर का एस्टेट, कोलकाता

बिहार में जल भराव

2959. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जल भराव के कारण दस लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गंडक, कोसी, घाघरा नदियों और मोकामा ताल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कतिपय क्षेत्र जल भराव प्रवण क्षेत्र हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार की ओर से जल भराव की समस्या का समाधान करने हेतु कोई कार्यक्रम/योजना तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने सूचित सूचित किया है कि राज्य में कुल जल भराव क्षेत्र 9.41 लाख हेक्टेयर है जिसमें अन्य के साथ-साथ गंडक, कोसी, घाघरा नदियों और मोकामा ताल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।

(ग) से (ङ) बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय होने के कारण, जल भराव सहित बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन और प्रचालन का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का होता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की होती है।

केन्द्रीय जल आयोग को मुख्यत: मोकामा ताल क्षेत्र के लिए बिहार में जल निकास संबंधी तीन स्कीमें राज्य सरकार से प्राप्त हुई हैं जिसकी जांच की जा रही है ताकि उसे 10वीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम ''मोकामा ताल क्षेत्र सहित देश में जल निकास का सुधार'' में शामिल किया जा सके।

[अनुवाद]

सहकारी कृषि समितियां

2960. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 में सहकारी कृषि समितियों के बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन उनमें अब भी नये जाली सदस्य बनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में सहकारी कृषि समितियों की राज्यवार संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक समिति ने अलग-अलग कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है;

(ग) क्या इन समितियों के सदस्यों के पूर्व वृत्तान्तों के सत्यापन और जाली सदस्यों के नामों को हटाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) इन समितियों के लिए अंतिम चुनाव कब कराए गए थे और क्या इनके लिए नये चुनाव कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) सहकारी समितियां राज्य का विषय है। प्रश्न में मांगी गई सूचना इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सहकारी कृषि समितियों, ऐसी निष्क्रिय समितियों की संख्या तथा शासित क्षेत्र और उनकी कवरेज पर राज्य-वार सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

कृषि समितियां—संयुक्त कृषि

मार्च 1999 के अंत में संख्या, सदस्यता कवरेज, देयताएं और परिसम्पत्तियां तथा 1998-99 के दौरान कार्य

(राशि हजार रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	समितियों की संख्या			सदस्यता			
		कुल	कालम 01 की		कुल	कालम 04		
			निष्क्रिय	बंजर भूमि में स्थिति		अनु. जाति	अनु.ज.जाति	महिलाएं
		01	02	03	04	05	06	07
	भूतपूर्व सैनिक							
1.	असम	128	2	3	7,070	1,140	3,141	297
2.	गुजरात	10	—	—	149	18	—	—
3.	हरियाणा	16	4	—	363	250	10	9
4.	महाराष्ट्र@	1	—	—	19	—	—	6
	1998-99 का योग	155	6	3	7,601	1,408	3,151	312
	1997-98 का योग	1	—	—	19	—	—	6
	अन्य							
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह@@@	20	3	—	756	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	1,940	879	805	1,25,901	85,652	18,442	4,031

	01	02	03	04	05	06	07
3. बिहार	309	309	—	8,226	434	1,399	—
4. दिल्ली@@@	2	2	—	43	—	—	—
5. गुजरात	159	40	63	4,988	2,153	499	493
6. हरियाणा@@	72	39	—	1,239	64	—	15
7. हिमाचल प्रदेश	3	1	—	44	—	13	—
8. जम्मू-कश्मीर@@@	4	4	—	109	—	—	—
9. कर्नाटक	119	42	20	6,570	2,022	408	466
10. केरल	79	25	7	11,957	1,285	1,441	3,596
11. मध्य प्रदेश@@@	26	17	2	483	122	46	—
12. महाराष्ट्र	33	2	8	5,907	592	136	157
13. मणिपुर	148	76	—	5,729	—	486	—
14. मेघालय	35	8	—	1,530	—	1,530	—
15. उड़ीसा	13	8	—	1,479	218	167	5
16. पंजाब@@	162	138	—	4,006	739	2	117
17. राजस्थान	166	160	11	3,527	482	340	128
18. तमिलनाडु	6	1	—	1950	605	31	160
19. त्रिपुरा	1	1	—	164	—	—	—
20. उत्तर प्रदेश@@@	1,336	369	39	27,367	—	—	—
21. पश्चिम बंगाल@	189	—	—	15,876	—	—	—
1998-99 की कुल	4,822	2,124	755	2,27,851	74,368	22,940	9,168
1997-98 की कुल	4,863	2,183	728	2,31,330	72,295	21,297	8,707
1998-99 का कुल योग	4,977	2,130	758	2,35,452	75,776	26,081	9,480
1997-98 का कुल योग	4,864	2,183	726	2,31,349	72,295	21,297	8,713

@1997-98 से संबंधित आंकड़े, @@1996-97 से संबंधित आंकड़े, @@@1996-97 से पूर्व के आंकड़े।

कृषि समितियां—संयुक्त कृषि

मार्च 1999 के अंत में संख्या, सदस्यता कवरेज, देयताएं और परिसम्पत्तियां तथा 1998-99 के दौरान कार्य

(राशि हजार रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कवरेज हैक्टे० में				कार्य पूंजी/कुल परि-सम्पत्तियां	प्रदत्त पूंजी		
		शासित क्षेत्र	कृष्य भूमि				कुल	सरकारी एवं सीएफए की	वैयक्तिक एवं अन्य
			कुल	सिंचित	असिंचित				
		08	09	10	11	12	13	14	15
					भू.पू. सैनिक				
1.	असम	4,566	1,441	656	785	1,31,98,275	5,28,500	1,02,500	4,24,000
2.	गुजरात	131	120	69	61	95	11	—	11
3.	हरियाणा	932	932	711	221	345	120	1	119
4.	महाराष्ट्र	49	49	20	29	179	34	—	34
	1998-99 का योग	5,678	2,542	1,446	1,096	1,31,98,894	5,26,665	1,02,501	4,24,184
	1997-98 का योग	49	49	20	29	179	34	—	34
					अन्य				
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	1,588	1,124	464	3953	214	—	214
2.	आंध्र प्रदेश	93,666	88,411	34,372	54,039	2,27,711	9,479	4,968	4511
3.	बिहार	26,994	18,372	17,521	851	5,870	1,428	—	1428
4.	दिल्ली	—	1,139	1,095	44	87	12	4	8
5.	गुजरात	8,657	6,632	2,109	4,523	29,425	1,487	43	1,444
6.	हरियाणा	505	3,134	2,259	875	4,991	527	16	511
7.	हिमाचल प्रदेश	18	3	2	1	748	33	—	33
8.	जम्मू-कश्मीर	8	8	6	2	178	68	40	28
9.	कर्नाटक	6,845	35,151	8,215	28,936	11,731	60,046	9,644	50,402
10.	केरल	10,594	10,381	5,199	5,182	92,974	2,908	745	2,161

	08	09	10	11	12	13	14	15
11. मध्य प्रदेश	1,517	1,169	639	530	1,737	139	24	115
12. महाराष्ट्र	6,693	7,105	3,530	3,575	28,523	7,224	46	7,178
13. मणिपुर	200	200	120	80	398	183	80	103
14. मेघालय	378	8	1	7	2,825	898	254	644
15. उड़ीसा	867	275	98	177	3,814	79	18	81
16. पंजाब	7,638	7,646	6,356	1,290	8,382	1,716	35	1,881
17. राजस्थान	15,028	4,241	1,915	2,326	4,328	862	85	776
18. तमिलनाडु	24,000	24,000	24,000	—	4,863	75	—	76
19. त्रिपुरा	—	—	—	—	5	2	—	2
20. उत्तर प्रदेश	1,24,189	1,08,141	68,086	40,055	77,833	5,273	791	4,482
21. पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	5,691	1,270	290	980
1998-99 की कुल	3,27,794	3,17,604	1,74,647	1,42,957	5,16,057	93,921	17,084	76,837
1997-98 की कुल	3,21,618	3,07,676	1,68,669	1,39,007	4,76,998	28,184	8,444	19,740
1998-99 की कुल योग	3,33,472	3,20,148	1,76,093	1,44,053	1,37,14,951	6,20,586	1,19,585	5,01,001
1997-98 की कुल योग	3,21,667	3,07,725	1,68,689	1,39,036	4,77,177	28,218	8,444	19,774

कृषि समितियां—संयुक्त कृषि

मार्च 1999 के अंत में संख्या, सदस्यता कवरेज, देयताएं और परिसम्पत्तियां तथा 1998-99 के दौरान कार्य

(राशि हजार रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	समितियों की संख्या			सदस्यता			
		कुल	कालम 01 की		कुल	कालम 04		
			निष्क्रिय	बंजर भूमि में स्थिति		अनु. जाति	अनु.ज.जाति	महिलाएं
		01	02	03	04	05	06	07
	भूतपूर्व सैनिक							
1.	असम	133	5	19	2,979	936	2,564	96

	01	02	03	04	05	06	07
2. हरियाणा	60	43	—	882	159	—	22
3. केरल	—	—	—	—	—	—	—
4. मध्य प्रदेश	90	57	—	5,797	110	165	15
5. महाराष्ट्र	2	—	1	206	—	8	15
6. मिजोरम	252	39	—	9,945	—	9,945	—
7. नागालैण्ड	187	—	—	187	—	7,480	—
8. पंजाब@	146	122	—	2,942	294	2	112
1998-99 का योग	870	265	20	22,938	1,499	20,164	260
1997-98 का योग	2	—	1	196	—	6	12
अन्य							
1. आंध्र प्रदेश	432	133	174	24,479	10,188	2,058	3,867
2. अरुणाचल प्रदेश@@	1	—	—	13	—	13	—
3. असम@@@	428	197	—	15,571	3,313	5,059	—
4. चण्डीगढ़@@	1	1	—	11	5	—	—
5. दमन और दीव@	1	—	1	11	—	—	—
6. दिल्ली@@@	23	23	—	1,009	—	—	—
7. गोवा	4	4	—	64	—	—	2
8. गुजरात	525	90	149	22,849	9,957	3,590	533
9. हरियाणा@@	16	6	34	327	97	—	9
10. हिमाचल प्रदेश@@	1	—	—	13	—	13	—
11. जम्मू-कश्मीर@@@	4	4	—	75	—	—	—
12. कर्नाटक	14	4	8	2,853	287	41	26
13. केरल	13	5	8	2,045	188	157	63
14. मध्य प्रदेश@@@	143	97	—	3,914	347	271	—
15. महाराष्ट्र	102	16	16	9,578	2,085	583	257
16. मणिपुर	51	28	—	3,293	—	404	—

	01	02	03	04	05	06	07
17. मेघालय	14	1	1	559	—	539	15
18. मिजोरम@	199	22	—	10,718	—	10,718	—
19. नागालैण्ड@	186	—	186	7,740	—	7,740	—
20. उड़ीसा	1	1	—	112	26	5	—
21. पंजाब@@@	78	—	—	6,834	1,173	—	—
22. राजस्थान@@@	9	—	—	—	—	—	—
23. तमिलनाडु	14	2	—	2,955	850	70	117
24. त्रिपुरा	2	1	—	58	4	5	—
25. उत्तर प्रदेश@@@	188	49	26	6,545	—	—	—
1998-99 की कुल	2,430	684	603	1,21,626	28,518	31,366	4,679
1997-98 की कुल	2,421	683	680	1,17,746	29,404	31,445	4,754
1998-99 का कुल योग	3,300	950	623	1,44,584	30,017	51,530	4,939
1997-98 का कुल योग	2,423	683	681	1,17,942	29,404	31,451	4,768
समग्र कृषि योग 1998-99	8,277	3,080	1,381	3,80,016	1,05,793	77,621	14,419
समग्र कृषि योग 1997-98	7,287	2,866	1,407	3,49,291	1,01,699	52,748	13,479

@1997-98 से संबंधित आंकड़े, @@1996-97 से संबंधित आंकड़े, @@@1996-97 से पूर्व के आंकड़े।

कृषि समितियां—संयुक्त कृषि

मार्च 1999 के अंत में संख्या, सदस्यता कवरेज, देयताएं और परिसम्पत्तियां तथा 1998-99 के दौरान कार्य

(राशि हजार रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कवरेज हैक्टे० में				कार्य पूंजी/कुल परि-सम्पत्तियां	प्रदत्त पूंजी		
		शासित क्षेत्र	कृष्य भूमि				कुल	सरकारी एवं सीएफए की	वैयक्तिक एवं अन्य
			कुल	सिंचित	असिंचित				
		08	09	10	11	12	13	14	15
	भू.पू. सैनिक								
1.	असम	1,498	1,080	502	578	76,45,224	4,86,798	1,11,661	3,75,135

	08	09	10	11	12	13	14	15
2. हरियाणा	1,390	2,068	936	1,132	3,501	588	17	571
3. केरल	—	—	—	—	—	—	—	—
4. मध्य प्रदेश	12,444	6,009	1,055	4,954	17,204	8,859	633	7,926
5. महाराष्ट्र	252	143	128	17	759	57	15	42
6. मिजोरम	—	—	—	—	31,54,366	9,82,687	5,41,373	4,41,314
7. नागालैण्ड	—	—	—	—	9,008	9,008	9,008	—
8. पंजाब	5,371	5,371	4,230	1,141	6,806	1,306	47	1,259
1998-99 का योग	20,955	14,671	8,849	7,822	1,07,36,868	14,89,001	6,62,754	8,26,247
1997-98 का योग	252	143	103	40	783	45	—	45
अन्य								
1. आंध्र प्रदेश	30,544	29,123	12,134	16,989	47,360	1451	800	651
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	71	14	6	8
3. असम	18,623	18,623	18,623	—	5,031	1,115	599	516
4. चंडीगढ़	107	107	107	—	1	—	—	—
5. दमन और दीव	—	—	—	—	439	1	—	1
6. दिल्ली	—	1,700	1,360	340	766	196	14	182
7. गोवा	60	60	45	15	33	22	7	15
8. गुजरात	37,251	30,865	9,213	21,652	30,858	3,430	241	3,189
9. हरियाणा	199	918	627	291	419	153	2	151
10. हिमाचल प्रदेश	2	2	2	—	554	32	—	32
11. जम्मू-कश्मीर	50	50	30	20	242	140	—	140
12. कर्नाटक	1,055	33,362	5,473	27,889	954	108	18	90
13. केरल	872	1,425	181	1,244	8,602	118	45	73

	08	09	10	11	12	13	14	15
14. मध्य प्रदेश	3,741	2,674	1,044	1,630	2,836	353	103	250
15. महाराष्ट्र	15,283	13,632	3,939	9,693	29,738	1,997	29	1,968
16. मणिपुर	9	9	9	—	709	208	180	48
17. मेघालय	150	51	20	31	308	136	104	32
18. मिजोरम	—	—	—	—	21,980	4,606	2,398	2,208
19. नागालैण्ड	—	—	—	—	8	8	8	—
20. उड़ीसा	—	—	—	—	13	16	18	—
21. पंजाब	27,414	27,414	23,732	3,682	12,400	2,839	119	2,720
22. राजस्थान	—	1,281	125	1,156	814	240	9	231
23. तमिलनाडु	2,47,680	2,47,680	1,73,900	73,780	12,784	2,846	290	2,556
24. त्रिपुरा	—	—	—	—	21	5	—	5
25. उत्तर प्रदेश	15,047	13,268	6,648	6,620	44,097	871	52	819
1998-99 की कुल	3,98,087	4,22,244	2,57,212	1,65,032	2,19,018	20,905	5,020	15,885
1997-98 की कुल	3,31,707	3,23,437	1,86,631	1,36,796	2,27,527	28,648	5,144	23,504
1998-99 का कुल योग	4,19,042	7,36,915	2,64,061	1,72,854	1,09,55,886	15,09,906	6,87,774	8,42,132
1997-98 का कुल योग	3,31,959	3,23,570	1,86,734	1,36,836	2,28,310	28,593	5,144	23,549
समग्र कृषि योग 1998-99	7,52,514	7,57,061	4,40,154	3,16,907	2,46,70,837	21,30,492	7,87,359	13,43,133
समग्र कृषि योग 1997-98	6,53,626	6,31,295	3,55,423	2,75,872	7,05,487	56,911	13,588	43,323

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किये गये कर्मचारी

2961. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2001-02 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारी शामिल किये गये; और

(ख) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किये गये क्षेत्र को बढ़ाने हेतु उठाये गये/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 31.3.2001 और 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा

स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 77.54 लाख और 71.59 लाख है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए नए क्षेत्रों में क.रा.बी. स्कीम को चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य 44 क्षेत्रों में लगभग 1,10,390 कर्मचारियों को शामिल करना है।

[हिन्दी]

जबलपुर-दिल्ली उड़ान

2962. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-दिल्ली विमान सेवा बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2000 से अगस्त 2002 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में कितने यात्रियों ने यात्रा की;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त सेवा को पुनः शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने विमान क्षमता की कमी तथा अपर्याप्त भार के कारण दिल्ली-जबलपुर के मध्य प्रचालन बंद कर दिया है।

(ग) अप्रैल, 2000 से अगस्त 2002 की अवधि के दौरान दिल्ली-जबलपुर के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या निम्नानुसार है:-

सेक्टर	यात्रियों की संख्या
दिल्ली-जबलपुर	2990
जबलपुर-दिल्ली	2651

(घ) से (ङ) वर्तमान में, विमान क्षमता की कमी तथा व्यावसायिक कारणों की वजह से इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दिल्ली-जबलपुर के मध्य विमान सेवा आरंभ नहीं की जा रही।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण के लिए परिव्यय

2963. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में बाढ़ नियंत्रण हेतु केन्द्र और राज्य स्तर पर कितने परिव्यय को मंजूरी दी गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितना व्यय किया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण के वास्ते केन्द्र और राज्य योजना परिव्यय क्रमशः 716.13 करोड़ रुपये और 2012.12 करोड़ रुपये था।

(ख) नौवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में केन्द्र तथा राज्य योजना आबंटनों से किए गए प्रत्याशित व्यय क्रमशः 17.89 करोड़ रुपये और 1097.34 करोड़ रुपये हैं।

केन्द्रीय भंडार में अनियमितताएं

2964. श्री रामजी मांझी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सेंट्रल रजिस्ट्रार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय भंडार में भंडार कमी के संबंध में अनियमितताओं की जांच कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। भण्डारों की कमी से संबंधित कोई विशिष्ट जांच केन्द्रीय पंजीकार के नोटिस में नहीं आई है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

जल संसाधनों के संरक्षण हेतु विदेशी सहायता

2965. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों के संरक्षण हेतु विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के अनुसार जल की धारण क्षमता बढ़ाकर, प्रदूषण खत्म करके और जल हानियों को कम से कम करके जल संसाधनों को संरक्षित किया जाना है। तदनुसार, विश्व बैंक और अन्य विदेशी अभिकरणों सहित राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों तथा बाह्य वित्त पोषण के द्वारा टैंकों और तालाबों सहित संवाहक प्रणाली को पक्का करके और मौजूदा प्रणाली के आधुनिकीकरण और सुधार के द्वारा विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन किया जाता है। जल क्षेत्र में बाह्य सहायता प्राप्त निर्माणाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	वित्त पोषण अभिकरण	समझौता/पूरा होने की तारीख	मिलियन डीसी में सहायता की राशि	अक्टूबर, 2002 तक उपयोग/संवितरण	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III सी आर 2952-आईएन एल एन-4166-आईएन	विश्व बैंक	03.06.1997 31.01.2003	325 अमरीकी डालर क्रेडिट 150.00 अमरीकी डालर ऋण 175.00 अमरीकी	142.51 अमरीकी डालर	यह परियोजना निर्माणाधीन है और इसे 31.3.2003 के बाद दो वर्ष के लिए आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
		आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक) एल एन-4360-आई एन	विश्व बैंक	30.011999 31.03.2004	142 अमरीकी डालर	63.00 अमरीकी डालर	आई आर डी बी के ऋण से निर्माणाधीन
		आंध्र प्रदेश कूप सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड्स	14.11.1994 31.30.2003	26.847 एन एल जी	5.88 ई यू आर	निर्माणाधीन
		के सी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	जे बी आई सी, जापान	25.01.1996 26.3.2003	16049.00 येन	7443.13 जे वाई	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	विश्व बैंक	06.06.2002 31.1.2009	80 एस डी आर	2.00 अमरीकी डालर	निर्माणाधीन
3.	मध्य प्रदेश	राजघाट नहर परियोजना	जे बी आई सी, जापान	25.02.1997 31.03.2004	13222.00 येन	5807.09 जे वाई	निर्माणाधीन
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	21.12.1998 31.12.2006	45.00 डी एम	1.37 ई यू आर	निर्माणाधीन
		क्षारीय भूमि सुधार परियोजना चरण-II	ई ई सी	11.7.1995 31.12.2005	15.50 ई सी यू	1.229* ई यू आर	निर्माणाधीन
5.	उड़ीसा	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना सी आर-2801-आई एन	विश्व बैंक	05.01.1996 31.3.2004	290.90 एस डी आर	193.86 अमरीकी डालर	निर्माणाधीन
		उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	ई ई सी	3.7.1995 31.12.2004	10.70 ई सी यू	1.108* ई यू आर	निर्माणाधीन
		रेंगाली सिंचाई परियोजना	जे बी आई सी, जापान	12.12.1997 05.2.2003	7760.00 येन	4332.26 जे वाई	निर्माणाधीन
		लिफ्ट सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	19.02.1993 30.6.2003	55.00 डी एम	21.78 ई यू आर	निर्माणाधीन
6.	पांडिचेरी	टैंक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	ई ई सी	21.2.1997 21.2.2003	6.65 ई सी यू	1.305*ई आर	निर्माणाधीन
7.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना सी आर-3603-आई एन	विश्व बैंक	15.3.2002 31.3.2008	110 एस डी आर	5.008 अमरीकी डालर	निर्माणाधीन 27.3.2002 से प्रभावी क्रेडिट
8.	तमिलनाडु	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना सी आर-2745-आई एन	विश्व बैंक	22.09.1995 31.03.2003	यूएस $ 282.90 अमरीकी डालर	171.203 अमरीकी डालर	20 मिलियन एस डी आर रद्द कर दिया गया है
9.	उत्तर प्रदेश	यू पी जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना सी-आर-3603-आई एन	विश्व बैंक	08.3.2002 31.10.2007	117 एस डी आर	5.004 अमरीकी डालर	निर्माणाधीन 22.3.2002 से प्रभावी क्रेडिट

टिप्पणी:*अगस्त, 2002 तक

[हिन्दी]

बिहार में डेयरी विकास

2966. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन पर्वतीय भूमि वाले पिछड़े क्षेत्रों में डेयरी विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिहार हेतु वर्ष 2001-2002 के दौरान स्वीकृत 279.78 लाख रुपए की धनराशि के मुकाबले 64 लाख और 47 हजार की राशि जारी की है जिसमें लोग बाढ़ परियोजना कार्यक्रम न चलाए जाने के कारण इससे वंचित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना पर कार्य शुरू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग ने बिहार राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए बिहार के मधेपुरा, सहरसा तथा सुपाल जिलों के गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत एक परियोजना स्वीकृत की है। परियोजना 2001-2002 के दौरान 279.78 लाख रुपए के परिव्यय से पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित की गयी थी और प्रथम किश्त के रूप में 64 लाख तथा 47 हजार रुपए की राशि 2001-2002 के दौरान जारी की गई थी। तथापि, राज्य सरकार 2001-2002 के दौरान निधियों का उपयोग नहीं कर पाई और चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त राशि के पुनर्वैधीकरण के लिए अनुरोध किया था जो किया जा चुका है।

[अनुवाद]

इस्पात स्क्रैप

2967. **श्री अशोक अर्गल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2000 से 2001 के बीच इस्पात स्क्रैप की कितनी मात्रा में बिक्री की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस्पात स्क्रैप की खरीद करने वाले प्रमुख खरीदकर्ताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सेल के निदेशक (वाणिज्य) पद पर आसीन व्यक्ति का नाम क्या था?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 7,07,000 टन इस्पात स्क्रैप की बिक्री की गई।

(ख) 2000-2001 के दौरान इस्पात स्क्रैप के प्रमुख क्रेताओं के संयंत्रवार नाम निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	संयंत्र	2000-2001
1	2	3
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1. श्री सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज
		2. ओमप्रकाश ट्रेडिंग कंपनी
		3. छत्तीसगढ़ स्टील प्रोड्.
		4. बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज
		5. द रायपुर इंडस्ट्रियल स्टे.
2.	दुर्गापुर इस्पात संयत्र	1. अमित स्टील ट्रेडर
		2. आधुनिक स्टील्स् लि.
		3. एएचडब्ल्यू स्टील्स् लि.
		4. पंचशील कॉमर्शियल लि.
		5. मातारा आयरन एंड स्टील कं.
		6. जयश्री इंडस्ट्री
		7. गौरी आयरन एंड स्टील कं.
		8. तुलसी इंटरप्राइज
		9. रीजेंट स्टील इंडस्ट्रीज
		10. कालिका इंटरप्राइज
3.	राउकेला इस्पात संयंत्र	1. गोपाल एंड कंपनी

1	2	3
		2. राशि स्टील्स
		3. उत्कल स्टील्स् लि.
		4. उत्कल एलॉय प्रा. लि.
		5. जय् जगन्नाथ स्टील इंडस्ट्रीज
		6. अशोका रि-रोलिंग मिल्स
		7. अशोका इस्पात उद्योग
		8. आर एम स्टील मैटल इंडस्ट्रीज
		9. पारिक फैरो प्रा.
		10 विभा स्टील्स प्रा. लि.
4.	बोकारो इस्पात संयंत्र	1. आहुनिक स्टील लि.
		2. नार्दर्न इंड. कारपोरेशन
		3. एम पी ए स्टील
		4. नूपुर इंटरप्राइजेज
		5. आधुनिक फैरो एलॉयज
		6. शिव शंकर आयरन एंड स्टील कं.
		7. मॉडल फ्यूल
		8. ओम इंटरप्राइजेज
		9. डबवाली इंड. कार.
		10. मारुति इस्पात
5.	अलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	शून्य
6.	सेलम इस्पात संयंत्र	1. आर के स्टील एंड एलॉय, ट्रिची
		2. सरावाना मैटल्स एंड एलॉयज, कोयम्बटूर
		3. विराज एलॉय लि., महाराष्ट्र
		4. जेसन्स फाउण्ड्री प्रा. लि., संगली
		5. एम्पायर मैटल्स इंडिया, मुम्बई
		6. अलॉय स्टील्स् प्लांट, दुर्गापुर
7.	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि., भद्रावती	1. इंडियन सीमलैस इजाल
		2. भूवालका स्टील इंड.
		3. एसआरएम स्टील ट्रेडर्स
		4. सुनील स्टील्स
		5. नवकर्नाटका स्टी. लि.
		6. एस बी रिसेलर्स लि.
		7. कल्याणी कारपेंटर
		8. श्री सीताराम कं.
		9. माहेश्वरी ब्रादर्श
		10. एस एम एस इंटरप्राइजेज

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान सेल के निदेशक (वाणिज्य के नाम सर्वश्री एम.के. मोइत्रा (24.4.2000 तक) तथा ए.के. सिंह (25.4.2000 से) हैं।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान और विकास हेतु धनराशि

2968. श्री सुरेश चन्देल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में कृषि विकास और विस्तार हेतु अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों पर प्रति वर्ष सकल कृषि उत्पादन की कुल राशि की कितनी न्यूनतम प्रतिशतता खर्च की जाती है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न समितियों ने उक्त उद्देश्य हेतु कम से कम एक प्रतिशत धनराशि व्यय करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इन समितियों के नाम क्या हैं और उक्त सिफाशिों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विभाग द्वारा कृषि सकल घरेलू उत्पाद के रूप में खर्च की गई कुल राशि का प्रतिशत और योजना एवं गैर-योजना सहित वार्षिक व्यय की राशि निम्नवत है :-

वर्ष	खर्च की गई कृषि सकल घरेलू उत्पाद की राशि का प्रतिशत	व्यय (रु. करोड़ में)	
		योजना	गैर-योजना
1998-99	0.214	436.92	516.54
1999-2000	0.245	498.47	790.62
2000-01	0.294	549.48	703.64

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विषय पर गठित कार्यदल ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1 प्रतिशत खर्च करने की संस्तुति की है। कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इस सिफारिश को पुनः दोहराया है।

[अनुवाद]

मुंबई विमानपत्तन का विकास

2969. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई विमानपत्तन की पुनर्संरचना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की यात्री और कार्गो सुविधाओं संबंधी क्षमताओं में और वृद्धि के विकास करने की एक सतत प्रक्रिया है।

केरल में एयर इंडिया की कार्य न करने वाली 'बे'

2970. श्री टी. गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल की नेदुम्बसेरी स्थित 'एयर इंडिया मेंटीनेंस बें' इस समय काम नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) स्टेशन से प्रचालित एयर इंडिया के सभी विमानों की ट्रांजिट जांच तथा टर्मिनल ट्रांजिट जांच केरल के कोच्चि में की जाती है। सुविधाओ को अपग्रेड किया गया है तथा इस समय यह सुविधा पूरी तरह से दी जा रही है।

हाथियों हेतु आरक्षित वनों का सृजन

2971. श्री सुनील खां : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाथी पश्चिम बंगाल में फसलों विशेषकर धान की फसल को नष्ट कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाथियों हेतु आरक्षित वनों के सृजन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन ग्रामीणों को क्या सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है जिनकी धान की फसल पहले ही हाथियों द्वारा नष्ट की जा चुकी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में जंगली हाथियों द्वारा कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने संबंधी घटनाएं होती रही हैं।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य में पहले ही दो हाथी आरक्षित क्षेत्र अर्थात इस्टर्न डूअर्स एलीफेंट रिजर्व (उत्तरी क्षेत्र में) और मयूरझरना एलीफेंट रिजर्व (दक्षिण क्षेत्र में) अधिसूचित

कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोई अन्य हाथी आरक्षित क्षेत्र सृजित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) भारत सरकार राज्य सरकारों को हाथी परियोजना के तहत जंगली हाथियों द्वारा किए जाने वाले विनाश को रोकने संबंधी उपाय करने और मानव जीवन तथा फसलों को हानि के बदले ग्रामीणों को अनुग्रह सहायता की अदायगी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हाथी परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के लिए 90.5 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 25 लाख रु. विनाश रोधी उपायों के लिए तथा 15 लाख रु. अनुग्रहपूर्वक राहत प्रदान करने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी अपने बजट में से ग्रामीणों को राहत प्रदान करती है।

[हिन्दी]

झारखंड की सिंचाई परियोजनायें

2972. श्री राम टहल चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में अनेक सिचाई परियोजनायें चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और स्थान सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजनाओं के पूरा होने में निर्धारित समय से ज्यादा समय लग रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के पूरा होने में परियोजनावार कितना समय लगेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क), (ख) और (घ) झारखंड में 8 वृहद और 21 मध्यम परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन है। उनके नाम और स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है इसलिए बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकार का है।

विवरण

क्रम सं०	निर्माणाधीन परियोजनाओं के नाम	स्थिति	किस योजना में शुरू की गई	नवीनतम अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)	पूरा होने का लक्ष्य (दसवीं योजना अथवा उससे आगे)
1	2	3	4	5	6
(क). वृहद परियोजनाएं					
1.	अजोय बराज	देवघर, संथाल	V	208.69	दसवीं योजना से आगे
2.	सुवर्णरेखा (आई एस)	सिंहभूम	V	2660.00	दसवीं योजना
3.	औरंगा	पलामू	VII	903.00	दसवीं योजना से आगे
4.	कोनार	हजारीबाग, गिरिडीह	V	348.38	दसवीं योजना से आगे
5.	उत्तर कोईल (आई एस)	पलामू, औरंगाबाद	V	814.72	दसवीं योजना से आगे
6.	पुनासी	संथाल परगना	VII	185.82	दसवीं योजना से आगे
7.	तिलैया (आई एस)	नवादा, हजारीबाग	V	301.79	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
8.	गुमानी	संथाल परगना	V	83.72	दसवीं योजना से आगे
(ख)	मध्यम परियोजनाएं				
1.	बताने (आई एस)	पलामू	V	40.06	दसवीं योजना से आगे
2.	भिरवा	हजारीबाग	VII	56.52	दसवीं योजना से आगे
3.	बासुकी	रांची	VIII	43.52	दसवीं योजना से आगे
4.	धनसिंहताल	गुमला	VII	29.52	दसवीं योजना से आगे
5.	झरझरा	सिंहभूम	V	62.28	दसवीं योजना से आगे
6.	कतरी	गुमला	VII	47.97	दसवीं योजना से आगे
7.	कंसजोर	गुमला	VII	52.97	दसवीं योजना से आगे
8.	कंस	रांची	V	44.18	दसवीं योजना से आगे
9.	केसो	हजारीबाग	VII	27.75	दसवीं योजना से आगे
10.	लतरातु	रांची	VII	42.17	दसवीं योजना
11.	नाकटी	सिंहभूम	VII	43.97	दसवीं योजना से आगे
12.	पंचखेर	हजारीबाग	VII	31.28	दसवीं यौजना से आगे
13.	रामरेखा	गुमला	VII	43.88	दसवीं योजना से आगे
14.	साकरीगली	संथाल परगना	V	11.89	पूर्ण
15	सुरंगी	सिंहभूम, रांची	VII	41.17	दसवीं योजना
16.	सोनुआ	सिंहभूम	VI	59.27	दसवीं योजना से आगे
17.	सुरू	सिंहभूम	VI	37.44	दसवीं योजना से आगे
18.	सलल्या	हजारीबाग	VII	36.56	दसवीं योजना से आगे
19.	सतपोटका	सिंहभूम	VII	43.00	दसवीं योजना से आगे
20.	तोरई	संथाल परगना	V	62.57	दसवीं योजना
21.	अपर शंख	गुमला	VII	73.92	दसवीं योजना से आगे

[अनुवाद]

कृषक कृषि सेवा केन्द्र

2973. श्री ए. नरेन्द्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां आज की तिथि तक कृषक कृषि सेवा केन्द्रों/कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है;

(ख) इन केन्द्रों के कार्य क्या हैं; और

(ग) आज की तिथि तक उनके कार्य निष्पादन के आकलन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रैयता कयाक केरि योजना

2974. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक रैयता कयाक केरि कायक केरे योजना के अंतर्गत पहले चरण में 2,000 टैंक गाद निकालने हेतु 670 करोड़ रुपये जारी करने पर सहमत हो गया था;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या विश्व बैंक दूसरे चरण हेतु सहायता में वृद्धि करने पर भी सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) 80 मिलियन एस डी आर (530.19 करोड़ रुपए के बराबर) की विश्व बैंक सहायता के लिए कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबन्धन परियोजना के वास्ते इस समझौते पर 04.06.2002 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 670.59 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को जनवरी, 2009 तक पूरा किया जाना है। अक्तूबर, 2002 तक राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के तहत 2 मिलियन अमेरिकी डालर (9.730 करोड़ रुपये के बराबर) की राशि उपयोग/प्रतिपूर्ति की गई है। जहां तक इस परियोजना के दूसरे चरण का प्रश्न है तो यह मौजूदा चरण के संतोषजनक रूप से पूरा होने और कर्नाटक सरकार द्वारा विश्व बैंक की और सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने पर निर्भर करता है।

खाद्यान्न की कमी

2975. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में पुरानी फसलों के बदले नकदी-फसल, फूल सब्जियों की खेती के कारण खाद्यान्न का कम उत्पादन हुआ जिससे आने वाले वर्षों में खाद्यान्न की कमी हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त स्थिति से उबरने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय नीति के एक भाग के रूप में सरकार एक के बाद एक अनाज जैसी उर्वरता समाप्त करने वाली फसलों को उगाने से सामना की जा रही मृदा उर्वरता संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फसल विविधिकरण पर जोर देती रही है। वर्ष 2001-02 के दौरान खाद्यान्न का 211.32 मिलियन मीटरी टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। खाद्यान्न के बदले में नकदी फसल, पुष्प एवं सब्जियां उगाने से क्षेत्र में जो कमी आएगी उसकी भरपाई उत्पादकता बढ़ाकर की जाएगी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के अतिथि गृह

2976. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सभी स्तरों के कर्मचारियों हेतु देश भर में बड़ी संख्या में अतिथि गृहों की व्यवस्था करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न स्थानों पर अतिथि गृहों पर होने वाले व्यय को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) खादी ग्रामोद्योग आयोग के इस तरह के व्यय को कम करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुम्बई, पुणे, नासिक, दहानु (महाराष्ट्र), दिल्ली तथा बंगलौर में किसी गेस्ट हाउसों का अनुरक्षण करता है।

(ग) जी, हां। गेस्ट हाउसों के संबंध में व्यय की वसूली प्राय: गेस्टों/अधिभोगियों से रूम टैरिफ/सर्विस चार्जिस के माध्यम से की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) रूम टैरिफ/अन्य सर्विस चार्जिज़ की प्राप्ति समय-समय पर बढ़े हुए व्यय को ध्यान में रख कर की जाती है। सरकार ने भी के.वी.आई.सी. को निदेश दिया है कि वह नीति बाग, दिल्ली में स्थित अपने गेस्ट हाउस को बन्द कर दें क्योंकि गेस्ट हाउस की उपयोगिता न्यायोचित महसूस नहीं की गई थी। तदनुसार, के.वी.आई.सी. ने गेस्ट हाउस को बन्द कर दिया है। सरकार ने भी के.वी.आई.सी. को निदेश दिया है कि वे ऐसे सभी गेस्ट हाउसों को जोकि वित्तीय तौर पर न्यायोचित नहीं है तथा जिनकी इष्टतम उपयोगिता नहीं है, उन्हें बन्द करने के संबंध में उपयुक्त कदम उठाएं।

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम

2977. श्री जी.एस. बसवराज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम को लागू करने हेतु कोई विशेष प्रकोप्ठ गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वन्य परिक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम को लागू करने की प्रक्रिया में हैं; और

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान वनरोपण कार्यक्रम पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जुटे वन-मंडलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रमुख वनीकरण कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 126.77 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई थी।

विवरण

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

क्र. सं.	वन मंडल का नाम	2002-2003 के दौरान जारी की गई धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3
	हरियाणा	
1.	गुडगांव	268.09
2.	कैथल	144.66
3.	सिरसा	118.17
4.	मोरनी	84.98
5.	यमुनानगर	81.66
6.	महेन्द्रगढ़	88.14
7.	झज्जर	86.34
	राजस्थान	
1.	जयपुर	80.00
2.	प्रतापगढ़	99.72
3.	डूंगरपुर	46.51
4.	झालावार	65.00
	उत्तर प्रदेश	
1.	फिरोजाबाद	37.46
2.	हरदोई	120.95

1	2	3
3.	मिर्जापुर	73.68
4.	झांसी	114.87
5.	चित्रकूट	46.78
6.	गोंडा	76.70
7.	महोबा	63.84
8.	गोरखपुर	28.67
9.	हमीरपुर	95.80
10.	फतेहपुर	61.50
11.	श्रावस्ती	92.72
12.	शाहजहांपुर	95.20
13.	उत्तर खेरी	100.03
14.	सीतापुर	113.81
15.	ललितपुर	94.88
16.	रायबरेली	62.00
17.	बदायूं	28.67
18.	अवध	137.08
	महाराष्ट्र	
1.	नांदेड	50.02
	कर्नाटक	
1.	होनावर	48.00
2.	कोप्पा	45.00
3.	हासन	42.00
4.	धरवार	40.00
5.	चित्रदुर्ग	23.00
6.	गुलबग	42.00
7.	शिमोगा	60.00
8.	कारवार	59.00
9.	दावनगेरे	67.14
10.	हलिया	69.65
11.	येल्लापुर	72.50
12.	बंगलौर (ग्रामीण)	84.00
13.	कोलार	67.00
14.	मंगलौर	69.00
15.	मैसूर	67.00
16.	बागलकोटे	24.00
17.	बेलगाम	60.50
18.	रायचूर	41.00
19.	भद्रावती	67.00
	हिमाचल प्रदेश	
1.	चम्बा	60.17
	झारखंड	
1.	धनबाद	39.68
	पंजाब	
1.	मुक्तसर	25.00
	उत्तरांचल	
1.	चम्पावत	80.53

1	2	3
2.	नैनीताल	107.50
3.	लैंसडाऊन	23.28
	मध्य प्रदेश	
1.	होशंगाबाद	71.12
2.	उत्तर सिवनी	55.00
3.	दक्षिण सिवनी	116.00
4.	मांडला	83.00
5.	सतना	86.29
6.	उत्तर बेतूल	56.68
7.	बरवानी	101.30
8.	झबुआ	87.31
9.	दक्षिण पन्ना	102.00
10.	दमोह	97.31
11.	खरगौन	41.00
12.	रायसेन	97.85
13.	शिवपुरी	68.00
14.	दक्षिण बेतूल	41.00
15.	सागर	46.00
	मिजोरम	
1.	कोलासिब	147.31
2.	चम्पाई	39.00
3.	ममित	65.00
4.	लई ए	40.00

1	2	3
5.	चकमा ऐ सी	24.00
6.	ऐजवाल	55.00
7.	डरलॉन	45.05
8.	कर्ब्वाह	50.85
9.	थेनजवाल	59.17
10.	मारा ए डी सी	26.00
11.	एन वी एनलिलफी	68.27
12.	लुंगलेई	73.60
13.	टूलाबंग	46.30
	तमिलनाडु	
1.	मदुरै	194.86
2.	नागापटनम	45.00
3.	कृष्णगिरि	70.00
4.	श्रीविल्पथी	33.90
5.	थेनी	95.93
6.	डिंडीगुल	19.98
7.	अटूर	37.21
8.	कोइम्बटूर	48.82
9.	वैलोर	59.00
	नागालैंड	
1.	मोकोकचुंग	230.48
2.	जेबोटो	33.56
3.	पेरेन	82.00

1	2	3
4.	टेयूनसेंगा	14.10
5.	कोहिमा	66.00
6.	मोन	57.00
7.	फेक	50.00
	त्रिपुरा	
1.	उदयपुर	47.00
2.	कैलाशहर	47.00
	अरुणाचल प्रदेश	
1.	हपोली	46.00
2.	खोंसा	68.45
3.	अलोंग	80.50
4.	शेरगांव	45.00
	आंध्र प्रदेश	
1.	कुरनूल	103.00
2.	अनन्तपुर	96.00
3.	नलगोंडा	89.00
4.	गुंटूर	58.00
5.	गुडललूर	103.00
6.	रंगारेड्डी	70.50
7.	एलुरू	82.00
8.	कृष्णा	51.00
	सिक्किम	
1.	वेस्ट डिवीजन	91.61

1	2	3
2.	नार्थ डिवीजन	104.66
3.	नार्थ ईस्ट वाइल्डलाइफ डिवीजन	86.70
4.	ईस्ट डिवीजन	93.34
5.	साऊथ डिवीजन	101.60
	जम्मू व कश्मीर	
1.	केहमिल	60.00
2.	कामराज	66.07
3.	बांदीपुरा	92.08
4.	लिद्दर	68.00
5.	बडगांव	51.97
	उड़ीसा	
1.	धेनकनाल	63.71
2.	क्योंझर	81.86
3.	नयागढ़	71.24
4.	रायागढ़	106.62
5.	बारीपाड़ा	76.21
6.	अंगुल	68.06
7.	बमारा	33.12
8.	बालीगुडा	61.11
9.	करनजिया	52.73
10.	कालाहांडी	41.27
11.	धुमसुर साऊथ	25.30
12.	अथामल्लिक	63.27

1	2	3
13.	अथागढ़	62.94
14.	बौध	79.80
	गुजरात	
1.	बन्सकन्था	75.00
2.	साबरकन्था	58.52
	पश्चिम बंगाल	
1.	बंकुरा नोर्थ	59.63
2.	मिदनापुर	36.71

उड़ीसा में संग्रहालय

2978. **श्री अनन्त नायक** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के दण्डकारण्य में एक संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कल्पासर परियोजना

2979. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में कल्पासर परियोजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव से जोड़ा जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) कल्पासर परियोजना गुजरात सरकार के विचाराधीन है तथा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते पूर्व संभाव्यता परियोज़ना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) में प्रस्तुत कर दी गई थी। राज्य सरकार ने अभी तक विस्तृत परियेजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना तैयार किया है तथा इस योजना के आधार पर संभाव्यता रिपोर्ट को तैयार करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी इन प्रस्तावों का अध्ययन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन डब्ल्यू डी ए) के द्वारा किया जा रहा है। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में कल्पासर परियोजना को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीज फसल बीमा योजना

2980. **डा. एन. वेंकटस्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बीज उद्योग के विकास हेतु एक व्यापक बीज फसल बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित/चयनित फसलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके अन्तर्गत राज्य-वार कितने किसानों को शामिल किया गया है;

(ङ) किसानों द्वारा प्रत्येक बीज फसल हेतु कितनी धनराशि दिये जाने की जरूरत है; और

(च) 31 मार्च, 2002 की तिथि के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और कितनी व्यय की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : जी, हां।

(ख) बीज फसल न होने की स्थिति में बीज उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा और आय स्थायीत्व प्रदान करने; नवनिर्मुक्त संकर/उन्नत किसमों का बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू करने के लिए बीज प्रजनकों/उत्पादकों में आत्मविश्वास मजबूत करने तथा नए प्रजनकों/उत्पादकों को बढ़ावा देने; राज्य के स्वामित्व वाले बीज निगमों/राज्य फार्मों द्वारा स्थापित अवसंरचना को स्थायीत्व प्रदान करने और आधुनिक बीज उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन के अधीन लाने के लिए रबी 1999-2000 से बीज फसल बीमा पर एक पायलट स्कीम शुरू की गई है।

यह स्कीम भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) इस स्कीम के तहत धान, गेहूं बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, चना, मूगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी एवं कपास की बीज फसल कवर की जाती है।

(घ) इस स्कीम के तहत अब तक 392 किसानों को बीमित किया गया है (हरियाणा 13, कर्नाटक 17, उड़ीसा 103, गुजरात 17 तथा उत्तर प्रदेश 242)।

(ङ) किसानों द्वारा धान हेतु 3%, गेहूं हेतु 2%, ज्वार हेतु 2.5%, बाजरा हेतु 5%, मक्का हेतु 5%, सोयाबीन हेतु 5%, सूरजमुखी हेतु 2.5%, मूंगफली हेतु 2%, चना हेतु 5%, तुर हेतु 5% तथा कपास हेतु 5% की दर पर प्रीमियम चुकाया जाना अपेक्षित है।

(च) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अधीन राज्य-वार संस्वीकृत एवं व्ययित धनराशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

बीज फसल बीमा पर पायलट स्कीम के अंतर्गत 31.3.02 तक संस्वीकृत एवं व्ययित धनराशि

(रु० लाख में)

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	संस्वीकृत निधियां			21.03.02 तक व्ययित कुल धनराशि
		1999-2000	2000-01	2001-02	
1	2	3	4	5	6
	राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण				
1.	आंध्र प्रदेश	7.50	—	—	7.50
2.	गुजरात	4.00	—	—	4.00
3.	हरियाणा	3.00	5.00	—	8.00
4.	कर्नाटक	5.00	2.50	5.00	7.50
5.	मध्य प्रदेश	5.00	2.50	—	7.05
6.	उड़ीसा	2.00	5.00	—	1.02
7.	पंजाब	1.50	2.50	—	0.31
8.	राजस्थान	4.50	7.50	—	4.75

1	2	3	4	5	6
9.	महाराष्ट्र	7.50	—	—	0.65
10.	उत्तर प्रदेश	10.00	10.00	10.00	20.00
	कुल	50.00	35.00	15.00	61.23
राज्य बीज निगम					
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.50	2.50	—	—
2.	गुजरात	0.80	2.50	—	—
3.	हरियाणा	0.60	2.50	—	2.50
4.	कर्नाटक	1.00	2.50	2.50	2.50
5.	महाराष्ट्र	1.50	2.50	2.50	2.50
6.	मध्य प्रदेश	1.00	2.50	—	—
7.	उड़ीसा	0.40	2.50	—	—
8.	पंजाब	0.30	2.50	—	1.20
9.	राजस्थान	0.90	2.50	—	1.40
10.	उत्तर प्रदेश	2.00	5.00	—	5.00
11.	राष्ट्रीय बीज निगम	—	5.00	—	—
12.	भारतीय राज्य फार्म निगम	—	2.50	—	—
	कुल	10.00	35.00	5.00	15.10
	भारतीय साधारण बीमा निगम	26.50	—	—	6.33
	सकल योग	86.50	70.00	20.00	82.66

सिंगापुर एअरलाइन्स की बंगलौर के लिए उड़ान सेवा

2981. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राममोहन गाड्डे :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 नवम्बर, 2002 के

दि हिन्दू में *एस.आई.ए. सिंकिंग फ्लाइट्स टू बंगलौर* शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सिंगापुर की सरकार के साथ कोई बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो बैठक का क्या परिणाम निकला;

(घ) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) एस.आई.ए. की नई उड़ान सेवायें कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिनांक 6-7 जून, 2002 को भारत तथा सिंगापुर के बीच हुए द्विपक्षीय नागर विमानन विचार-विनिमय के दौरान, सिंगापुर की नामित विमानकंपनियों के लिए अलग फेज्ड हकदारी के साथ बंगलौर और हैदराबाद को अतिरिक्त अवतरण-स्थलों के बतौर स्वीकृति दी गई है। बंगलौर के लिए प्रचालन करने संबंधी हकदारी ग्रीष्म, 2003 से सिंगापुर की नामित विमानकंपनी को उपलब्ध होगी।

ओजोन परत का क्षीण होना

2982. श्री अम्बरीश : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे रासायनिकों, जो ओजोन परत को क्षीण करने के लिए जिम्मेदार हैं, को हटाने के लिए बहुराष्ट्रीय कोष से 180 करोड़ रुपये का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या योजना तैयार की गई है; और

(घ) योजना के कब तक लागू किये जाने और पूरा होने की संभावना है?

पर्यावरण और नव मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) 19 जनू, 1991 को ओजोन परत संरक्षण के लिए वियाना कन्वेंशन और 17 सितम्बर, 1992 को ओजोन परत ह्रास करने वाले पदार्थों पर मान्ट्रीयल प्रोटोकॉल का भारत पक्षकार बनने के बाद ओजोन परत का ह्रास करने वाले सभी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए 1993 में एक देश व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया था। क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सी एफ सी) कार्बन टैटरा क्लोराइड (सी टी सी), हालोन-1211, हालोन 1302 और मिथाइल क्लोरोफार्म ओजोन परत को ह्रास करने वाले पदार्थ हैं। सी एफ सी, सी टी सी और हालोन को वर्ष 2010 तक और मिथाइल क्लोरोफोर्म को वर्ष 2015 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना है। भारत ने 354 परियोजनाएं और कार्य तैयार करके बहुपक्षीय कोष को प्रस्तुत किए हैं जिसमें से 352 परियोजनाएं और कार्यों को अब तक 132,643,379 अमरीकी डालर के कुल वित्त पोषण से अनुमोदित किया गया है ताकि 12800 (ओजोन ह्रास क्षमता) टन को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा सके। ये परियोजनाएं कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में है और चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की तारीख से पहले पूरी हो जाएगी।

घटिया उर्वरकों की बिक्री

2983. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश में घटिया उर्वरकों की बिक्री के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कॉपरेटिव्स (इफको) द्वारा उत्पादित कुछ लोकप्रिय कंपनियों के नाम पर घटिया उर्वरकों की बिक्री की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऐसे घटिया उर्वरकों की बिक्री रोकने और इस राज्य में किसानों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सरकार के ध्यान में आया है कि मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में नकली इफको बैगों में अप्रामाणिक डी.ए.पी. की बिक्री होती देखी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल कार्यवाही की है तथा ऐसे गैर-मानक उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी है और अपराधियों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही की है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों की रक्षार्थ इस संबंध में निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:-

(1) उर्वरक निरीक्षकों को राज्य में उपलब्ध पूरे स्टाक की जांच करने का निदेश दिया गया है।

(2) डीलरों और उनके गोदामों का अचानक निरीक्षण किया जा रहा है और इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं।

(3) ई.सी.ए./एफ.सी.ओ. के प्रावधानों के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

पशुओं के बंध्याकरण में लगे संगठन

2984. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
डा. बलिराम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पशुओं पर अत्याचार निवारण संबंधी कार्य में लगे संगठनों की संख्या कितनी है और कितनी सहायता प्रदान की गई है और उन्हें राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या पशुओं के बंध्याकरण में लगे गैर-सरकारी संगठनों को कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने पशुओं की नसबंदी/नलबंदी की गई है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों की निगरानी की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 231 संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता की राशि का ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ख) जी, हां। "आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण और प्रतिरक्षण" योजना के अंतर्गत आवारा कुत्तों के बन्ध्यीकरण और प्रतिरक्षण के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि आबंटित की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान "आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण और प्रतिरक्षण" नामक योजना के अंतर्गत ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित राशि का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष	कुत्तों की संख्या जिनकी नसबन्दी-नलबन्दी और प्रतिरक्षण किया गया
1999-2000	20,058
2000-2001	31,455
2001-2002	55,539
कुल	1,09,052

(ङ) और (च) जी, हां। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों की नामोदिष्ट निरीक्षण अधिकारियों व राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फिजीकल निरीक्षणों द्वारा मानीटरी की जाती है। वित्तीय सहायता स्वीकृत करने और उसे जारी करने से पूर्व चार्टर्ड आकाउंटेंटों द्वारा विविधवत रूप से प्रमाणित उपयोग प्रमाणपत्र व लेखा परीक्षित लेखे भी सम्बन्धित संगठनों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त; नगर प्राधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोगात्मक प्रबन्धों के माध्यम से आवारा कुत्तों के बन्ध्यीकरण के सबूत के रूम में उनसे (नगर प्राधिकारियों) प्रमाण पत्र भी लिए जाते हैं।

विवरण-I

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत वित्तीय सहायता की राज्यवार सूची

आन्ध्र प्रदेश

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम का नाम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	ब्लू क्रास ऑफ हैदराबाद	एबीसी	5,00,000.00

1	2	3	4
2.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापतनम	एबीसी	2,00,000.00
3.	ब्लू क्रास ऑफ हैदराबाद	एबीसी	5,00,000.00
4.	दी गोसंरक्षण पुन्य आश्रम, गुंटूर	आश्रय	4,70,250.00
5.	फ्रैन्ड्स ऑफ स्नेक्स क्लब, सिकंद्राबाद	एम्बुलैंस	4,50,000.00
6.	विशाखा एस पी सी ए, विशाखापतनम	एम्बुलैंस	90,000,00
7.	इंटरनेशनल एनिमल एंड बर्ड सोसायटी, गुंटूर	एम्बुलैंस	3,50,000.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापतनम	एबीसी स्कीम	4,81,740/-
2.	एसपीसीए, काकीनाड़ा	आश्रय योजना	1,46,250/-
3.	ब्लू क्रास ऑफ हैदराबाद	आश्रय योजना	7,29,000/-
4.	विशाखा एसपीसीए, विशाखापतनम	आश्रय योजना	11,25,000/-
5.	रॉयल यूनिट फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स, उरानाकनाडा, अनंन्तपुर	आश्रय योजना	9,77,267/-
6.	श्री गोसंरक्षण पुन्य आश्रम, सट्टरप्पोल्ली, गुंटूर	आश्रय योजना	4,70,250/-

वर्ष 2000-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	विशाखा एस पी सी ए, विशाखापतनम	एबीसी स्कीम	93,880/-
2.	विशाखा एस पी सी ए, विशाखापतनम	एबीसी स्कीम	5,75,620/-
3.	एनिमल केयर लैण्ड, तिरूपति	एबीसी स्कीम	85,000/-
4.	पीएफए, सिकंदराबाद	एबीसी स्कीम	2,50,000/-
5.	श्री रघुवेबद्रा संरक्षण संगम, कुड्डापह	एबीसी स्कीम	85,000/-
6.	विशाखा एस पी सी ए, विशाखापतनम	एबीसी स्कीम	5,75,620/-

1	2	3	4
7.	विशाखा एस पी सी ए, विशाखापतनम	एबीसी स्कीम	10,20,000/-
8.	विशाखा एस पी सी ए, विशाखापतनम	आश्रय योजना	11,25,000/-
9.	एसपीसीए, काकीनाडा	आश्रय योजना	1,46,250/-
10.	केयर फॉर एनिमल्स, सिकंद्राबाद	आश्रय योजना	9,48,201/-
11.	श्री रघुवेबद्रा संरक्षण संगम, कुड्डापह	एम्बुलैंस स्कीम	3,99,600/-
12.	विशाखा एस पी सी ए, विशाखापतनम	एम्बुलैंस स्कीम	3,86,000/-
13.	एनिमल केयर लैण्ड, तिरूपति	एम्बुलैंस स्कीम	4,08,060/-
14.	ग्रीन मर्सी, विशाखापतनम	एम्बुलैंस स्कीम	3,61,631/-

अरुणाचल प्रदेश

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट	आश्रय योजना	10,46,250/-

असम

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पी एफ ए, असम	आश्रय	11,25,000.00

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, काजीरंगा	आश्रय योजना	10,68,750/-
2.	पी एफ ए, असम	आश्रय योजना	1,90,600/-
3.	श्री गुवाहाटी गौशाला ट्रस्ट, गुवाहाटी	आश्रय योजना	10,68,750/-
4.	पी एफ ए, असम	एम्बुलैंस स्कीम	2,16,391/-
5.	भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट	एम्बुलैंस स्कीम	14,78,508/-

चण्डीगढ़

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	एस पी सी ए, चंडीगढ़	एबीसी स्कीम	57,000/-
2.	पीएफए, चंडीगढ़	एबीसी स्कीम	1,63,200/-
3.	चंडीगढ़ एनिमल वेलफेयर एण्ड इको-डेवलपमेंट सोसायटी (सीएडब्ल्यूइडीएस)	आश्रय योजना	9,15,750/-
4.	पीएफए, चंडीगढ़	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-

दिल्ली

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	फ्रैन्डीकोस एसईसीए, नई दिल्ली	एबीसी	2,00,000.00
2.	सर्कल फॉर एनिमल लवर्स, नई दिल्ली	एबीसी	2,00,000.00
3.	रूथ कोवेल फाउण्डेशन, नई दिल्ली	आश्रय	5,81,850.00
4.	रूथ कोवेल फाउण्डेशन, (पीएफए गौशाला), नई दिल्ली	आश्रय	11,25,000.00
5.	एनिमल फार्मज, महारानी बाग, नई दिल्ली	आश्रय	11,25,000.00
6.	पीएफए (एनिमल हास्पीटल, गुरगांव) महारानी बाग, नई दिल्ली	आश्रय	5,31,900.00
7.	सर्कल ऑफ एनिमल लोअरस, नई दिल्ली	आश्रय	8,60,400.00
8.	रूथ कोवेल फाउण्डेशन, (पीएफए गौशाला, बवाना) नई दिल्ली	आश्रय	11,25,000.00
9.	सर्कल ऑफ एनिमल लवर्स, नई दिल्ली	आश्रय	5,04,000.00
10.	आचार्य काकसाहेब कालेलकर लोक सेवा, दिल्ली	आश्रय	11,25,000.00
11.	सोसायटी फॉर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली	आश्रय	2,47,500.00
12.	एनिमल फार्म, नई दिल्ली	एम्बुलैंस	11,25,000.00

1	2	3	4
13.	भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, दिल्ली	एम्बुलैंस	10,68,750.00
14.	आचार्य सुशील गौसदन, दिल्ली	एम्बुलैंस	5,00,000.00
15.	एनिमल फार्म, नई दिल्ली	एम्बुलैंस	3,14,000.00
16.	पीएफए, अशोक विहार, नई दिल्ली	एम्बुलैंस	3,50,000.00
17.	सोसायटी फॉर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली	एम्बुलैंस	3,94,000.00
18.	भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, दिल्ली	एम्बुलैंस	3,38,350.00
19.	फ्रैन्डीकोस एसइसीए, नई दिल्ली	एम्बुलैंस	4,14,000.00
20.	पेट एनिमल वेल्फेयर सोसायटी, बसंतकुंज, नई दिल्ली	एम्बुलैंस	3,66,740.00
21.	सोनदी चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली	एम्बुलैंस	4,01,893.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	सर्कल फॉर एनिमल लवर्स, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,00,000/-
2.	पेट एनिमल वेल्फेयर सोसायटी, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	85,000/-
3.	रूथ कोवेल फाउण्डेशन, (संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर) नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,00,000/-
4.	रूथ कोवेल फाउण्डेशन, (संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर) नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,47,500/-
5.	फ्रैन्डीकोस-एसईसीए, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	5,44,000/-
6.	सर्कल फॉर एनिमल लवर्स, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,00,000/-
7.	वर्ड वाईड फण्ड फॉर नेचर इंडिया, नई दिल्ली	आश्रय योजना	2,79,000/-
8.	फ्रैन्डीकोस-एसईसीए, नई दिल्ली	आश्रय योजना	11,25,000/-
9.	मानव गौ सदन, दिल्ली	आश्रय योजना	11,25,000/-
10.	वाईल्ड लाइफ एस आ एस, नई दिल्ली	आश्रय योजना	7,74,900/-
11.	सोसायटी फॉर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली	आश्रय योजना	2,47,500/-

1	2	3	4
12.	सर्कल फॉर एनिमल लवर्स, नई दिल्ली	आश्रय योजना	11,25,000/-
13.	मानव गौ सदन, दिल्ली	आश्रय योजना	11,25,000/-
14.	सोनदी चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली	आश्रय योजना	11,20,500/-
15.	रूथ कोवेल फाउण्डेशन, (संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर) नई दिल्ली	आश्रय योजना	7,76,250/-
16.	डाबर हरे कृष्ण गौशाला, नजफगढ़	आश्रय योजना	10,68,750/-
17.	जीव आश्रम फाऊण्डेशन, नई दिल्ली	एम्बुलैंस स्कीम	4,49,000/-
18.	मानव गौ सदन, दिल्ली	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-
19.	सर्कल फॉर एनिमल लवर्स, नई दिल्ली	एम्बुलैंस स्कीम	3,50,000/-
20.	रूथ कोवेल फाउण्डेशन, (संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर) नई दिल्ली	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-
21.	सर्कल फॉर एनिमल लवर्स, नई दिल्ली	एम्बुलैंस स्कीम	81,518/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	रूथ कोवेल फाउण्डेशन, (संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर) नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,47,500/-
2.	सर्कल फॉर एनिमल लवर्स, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,00,000/-
3.	सर्कल फॉर एनिमल लवर्स, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	2,00,000/-
4.	फ्रैन्डीकोस-एसईसीए, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	5,44,000/-
5.	पेट एनिमल वेल्फेयर सोसायटी, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	85,000/-
6.	संजय गांधी एनिमल केयर, राजा गार्डन, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	4,08,000/-
7.	सोनदी चैरिटेबल ट्रस्ट, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली	एबीसी स्कीम	1,02,000/-
8.	सोनदी चैरिटेबल ट्रस्ट, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली	आश्रय योजना	11,20,500/-
9.	सर्कल फॉर एनिमल लवर्स	आश्रय योजना	11,25,000/-

1	2	3	4
10.	पीएफए, अशोक विहार, नई दिल्ली	आश्रय योजना	11,25,000/-
11.	डाबर हरे कृष्णा गौशाला, नई दिल्ली	आश्रय योजना	10,68,750/-
12.	पीएफए, अशोक विहार, नई दिल्ली	आश्रय योजना	11,25,000/-
13.	संजय गांधी एनिमल केयर, रूथ कोवेल फाउण्डेशन, नई दिल्ली	आश्रय योजना	7,76,250/-
14.	वाइल्ड लाईफ एस आ एस, नई दिल्ली	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-
15.	एनिमल हेल्प फाउण्डेशन, नई दिल्ली	एम्बुलैंस स्कीम	3,50,000/-

गोवा

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	इंटरनैशनल एनिमल रेस्क्यू, गोवा	एबीसी	2,88,000.00
2.	गोवा एनिमल वेल्फेयर ट्रस्ट, मारगाओ, गोवा	एबीसी	1,53,000.00
3.	पीएफए, गोवा, पणजी	एबीसी	98,079.00
4.	इंटरनैशनल एनिमल रेस्क्यू, गोवा	एबीसी	7,87,500.00
5.	पीएफए, गोवा,	एबीसी	2,84,849.00
6.	पीएफए, गोवा,	एम्बुलैंस	3,07,000.00
7.	इंटरनेशनल एनिमल रेस्क्यू, गोवा	एम्बुलैंस	4,50,000.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पीएफए, गोवा,	एबीसी स्कीम	2,00,000/-
2.	इंटरनैशनल एनिमल रेस्क्यू, गोवा	एबीसी स्कीम	2,88,000/-
3.	पीएफए, पणजी	एबीसी स्कीम	4,08,000/-
4.	गोवा एनिमल वेल्फेयर ट्रस्ट, मारगाओ	एबीसी स्कीम	1,53,000/-

1	2	3	4
5.	पीएफए, गोवा,	आश्रय स्कीम	3,82,928/-
6.	ग्रीन क्रास, मोपूसा	एम्बुलैंस	3,50,000/-
7.	ग्रीन क्रास, गोवा	एम्बुलैंस	90,000/-
8.	पीएफए, गोवा, पणजी	एम्बुलैंस	1,65,024/-
9.	गोवा एनिमल वेल्फेयर ट्रस्ट, मारगाओ	एम्बुलैंस	4,00,500/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पीएफए, गोवा,	एबीसी स्कीम	4,08,000/-
2.	इंटरनैशनल एनिमल रेस्क्यू, गोवा	एबीसी स्कीम	3,17,910/-
3.	एसपीसीए, गोवा	आश्रय योजना	10,41,750/-
4.	इंटरनैशनल एनिमल रेस्क्यू, गोवा	आश्रय योजना	7,87,500/-
5.	एसपीसीए, गोवा	आश्रय योजना	10,41,750/-

गुजरात

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	वडोदरा एसपीसीए, बड़ौदा	एबीसी	1,70,000.00
2.	श्री कच्छ मुंद्रा पन्जरापोल एवं गौशाला मुन्द्रा	आश्रय	6,21,000.00
3.	श्री वृन्दावन गौशाला जीवदया ट्रस्ट, राजकोट	आश्रय	5,76,000.00
4.	श्री गौ सेवा पन्जरापोल ट्रस्ट, राजकोट	आश्रय	6,42,157.00
5.	श्री गौधादा महाजन पन्जरापोल एवं गौशाला ट्रस्ट, भावनगर	आश्रय	5,85,000.00
6.	श्री बोटड महाजन पन्जरापोल	आश्रय	5,85,000.00
7.	श्री धरंगधरा पंजरापोल	आश्रय	9,61,200.00

1	2	3	4
8.	श्री भावनगर पन्जरापोल, भावनगर	आश्रय	2,74,500.00
9.	राजकोट महाजन्स पंजरापोल, राजकोट	आश्रय	5,85,000.00
10.	भावनगर पन्जरापोल, भावनगर	एम्बुलैंस	3,50,000.00
11.	गौ सेवा पन्जरापोल ट्रस्ट, राजकोट	एम्बुलैंस	3,01,000.00
12.	एसपीसीए, भुज	एम्बुलैंस	3,50,000.00
13.	वडोदरा एसपीसीए, वडोदरा	एम्बुलैंस	3,94,800.00
14.	श्री कच्छ मुन्द्रा पन्जरापोल एण्ड गौशाला, कच्छ	एम्बुलैंस	3,50,000.00
15.	राजकोट महाजन्स पंजरापोल, राजकोट	एम्बुलैंस	4,33,810,00
16.	श्री जीवदया जनकल्याण परिवार, अहमदाबाद	एम्बुलैंस	3,59,000.0

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	स्वर्गीय सुभाष बतरा, जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	एबीसी स्कीम	4,59,000/-
2.	एसपीसीए, अहमदाबाद	एबीसी स्कीम	2,25,000/-
3.	श्री जीवदया जनकल्याण परिवार, अहमदाबाद	एबीसी स्कीम	6,20,500/-
4.	स्वर्गीय सुभाष बतरा, जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	एबीसी स्कीम	4,59,000/-
5.	अंध अपंग गौ आश्रम ट्रस्ट, वनाकनेर	आश्रय योजना	9,90,000/-
6.	अंध अपंग गौ आश्रम ट्रस्ट, वनाकनेर	आश्रय योजना	9,90,000/-
7.	श्री वृन्दावन गौशाला जीवदया ट्रस्ट, राजकोट	आश्रय योजना	5,76,000/-
8.	श्री राम रोटी अन्नाक्षेत्र आश्रम, वधवान, सुन्दर नगर	आश्रय योजना	9,33,750/-
9.	श्री गौ सेवा पंजरापोल ट्रस्ट, राजकोट	आश्रय योजना	6,42,157/-
10.	श्री कच्छ मुंद्रा पंजरापोल एण्ड गौशाला, मुंद्रा, कच्छ	आश्रय योजना	6,21,000/-
11.	श्री टेरा पंजरापोल, टेरा, कच्छ	आश्रय योजना	7,06,500/-
12.	स्वर्गीय सुभाष बतरा, जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	स्वर्गीय सुभाष बतरा, जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	एबीसी स्कीम	1,70,000/-
2.	स्वर्गीय सुभाष बतरा, जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	एबीसी स्कीम	6,20,000/-
3.	एनिमल हेल्प फाऊण्डेशन	एबीसी स्कीम	10,20,000/-
4.	वडोदरा एस पी सी ए	एबीसी स्कीम	1,70,000/-
5.	श्री जीवदया जनकल्याण परिवार, अहमदाबाद	एबीसी स्कीम	6,20,500/-
6.	स्वर्गीय सुभाष बतरा, जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	एबीसी स्कीम	5,10,000/-
7.	श्री मोर्बी पंजरापोल, मोर्बी	आश्रय स्कीम	7,96,050/-
8.	श्री धनगधरा पंजरापोल	आश्रय स्कीम	9,61,200/-
9.	श्री गौवंश पंजरापोल एवं गौशाला, जूनागढ़	आश्रय स्कीम	3,85,650/-
10.	वनाकामेर पंजरापोल गौशाला	आश्रय स्कीम	9,33,750/-
11.	एनिमल सेविंग ग्रुप, वल्साड	एम्बुलैंस स्कीम	3,95,000/-
12.	गुजरात एसपीसीए, वडोदरा	एम्बुलैंस स्कीम	3,58,000/-

हरियाणा

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	वाइल्ड लाइफ एस ओ एस, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली फॉर रिस्क्यू सैंटर, गुड़गांव	आश्रय	7,74,900.00
2.	राष्ट्रीय गौशाला, धरोली, जींद	आश्रय	6,75,000.00
3.	श्री गौशाला साला डेयरी, हिसार	आश्रय	4,46,400.00
4.	श्री कृष्ण गौशाला, फतेहाल	आश्रय	7,37,000.00
5.	अर्श महाविद्यालय गुरूकुल गौशाला, जींद	आश्रय	5,40,000.00

1	2	3	4
6.	अखिल भारतीय गौशाला, रोहतक	एम्बुलैंस	8,68,500.00
7.	राष्ट्रीय गौशाला, जींद	एम्बुलैंस	90,000.00
8.	अर्श महाविद्यालय गुरूकुल गौशाला, जींद	एम्बुलैंस	89,000.00
9.	श्री गौशाला साला डेयरी, हिसार	एम्बुलैंस	3,50,000.00
10.	पीएफए, रोहतक	एम्बुलैंस	3,49,057.00
11.	श्री कृष्ण गौशाला, टोहाना	एम्बुलैंस	3,10,500.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	श्री कृष्ण गौशाला समिति, अम्बाला	आश्रय योजना	4,55,850/-
2.	श्री गौशाला बाबा फुल्लु, जींद	आश्रय योजना	5,34,346/-
3.	श्री सोमनाथ गौशाला, जींद	आश्रय योजना	4,38,750/-
4.	श्री गौशाला साला डेयरी, हिसार	आश्रय योजना	4,46,400/-
5.	श्री बाला जी गौशाला, जींद	आश्रय योजना	5,20,200/-
6.	श्री स्वामी गौरक्षानन्द गौशाला, जुलाना, जींद	आश्रय योजना	6,28,110/-
7.	आदर्श गौशाला इलाका सतनाली, महेन्द्रगढ़	आश्रय योजना	6,39,000/-
8.	अखिल भारतीय गौशाला, रोहतक	आश्रय योजना	8,68,500/-
9.	श्री गोपाल गौशाला, नारनौल	आश्रय योजना	4,96,710/-
10.	अखिल भारतीय गौशाला, रोहतक	एम्बुलैंस स्कीम	91,667/-
11.	श्री गौशाला साला डेयरी, हिसार	एम्बुलैंस स्कीम	1,00,000/-
12.	श्री श्री 1008 बाबा निहाल गिरी गौशाला, करनाल	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-
13.	श्री गौशाला सोसायटी, पानीपत	एम्बुलैंस स्कीम	85,500/-
14.	आदर्श गौशाला इलाका सतनाली, महेन्द्रगढ़	एम्बुलैंस स्कीम	3,50,000/-
15.	आदर्श गौशाला इलाका सतनाली, महेन्द्रगढ़	एम्बुलैंस स्कीम	1,00,000/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	श्री सोमनाथ गौशाला, जींद	आश्रय योजना	4,38,750/-
2.	अखिल भारतीय गौशाला, रोहतक	आश्रय योजना	3,37,500/-
3.	आदर्श गौशाला इलाका साथनाली	आश्रय योजना	6,39,000/-
4.	राष्ट्रीय गौशाला, धरौली	आश्रय योजना	9,00,000/-
5.	श्री लादवा गौशाला, लादवा, हिसार	आश्रय योजना	10,94,490/-
6.	श्री स्वामी गौरक्षानंद गौशाला, जींद	आश्रय योजना	6,28,110/-
7.	श्री गौशाला बाबा फुलु साध, जींद	आश्रय योजना	5,34,346/-
8.	श्री गौशाला, खिदवाली	आश्रय योजना	6,50,250/-
9.	अखिल भारतीय महर्षि दयानंद गौशाला, रोहतक	आश्रय योजना	7,98,750/-
10.	पी एफ ए, सधराना, गुड़गांव (एनिमल हॉस्पीटल)	आश्रय योजना	9,33,750/-
11.	श्री गौशाला, खिदवाली	आश्रय योजना	6,50,250/-
12.	श्री लाडवा गौशाला, लाडवा, हिसार	आश्रय योजना	10,94,490/-
13.	श्री गौशाला, खिदवली, रोहतक	एम्बुलैंस स्कीम	3,99,500/-
14.	पीएफए, रोहतक	एम्बुलैंस स्कीम	3,87,500/-

जम्मू और कश्मीर

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	एस पी सी ए, जम्मू	आश्रय	8,51,400.00
2.	एस पी सी ए, जम्मू	आश्रय	4,50,000.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	वन्यजीव सुरक्षा विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, डीयर पार्क मांडा, अशोका होटल के पास, जम्मू	आश्रय योजना	9,87,750/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	वन्यजीव सुरक्षा विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, डीयर पार्क मांडा, अशोका होटल के पास, जम्मू	आश्रय योजना	9,87,750/-

झारखण्ड

वर्ष 1999-2000

क.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	महर्षि विश्वमित्र गौशाला परिषद न्यास, बक्सर	आश्रय	11,25,000.00
2.	टाटा नगर गौशाला, जमशेदपुर	आश्रय	5,26,500.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	महर्षि विश्वमित्र गौशाला परिषद न्यास, बक्सर	आश्रय योजना	11,25,000/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पी एफ ए, रांची	एबीसी स्कीम	85,000/-

कर्नाटक

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	बंगलौर एसपीसीए, बंगलौर	एबीसी	1,36,000.00
2.	एनिमल राइट्स फंड, बंगलौर	एबीसी	59,000.00
3.	कम्पैसन अनलिमिटिड प्लस एक्शन, बंगलौर	एबीसी	2,00,000.00
4.	मैसूर पंजरापोल सोसायटी, मैसूर	आश्रय	11,25,000.00
5.	कम्पैसन अनलिमिटिड प्लस एक्शन, बंगलौर	आश्रय	11,25,000.00

1	2	3	4
6.	एसपीसीए, बंगलौर	आश्रय	1,77,300.00
7.	पीएफए, बंगलौर	आश्रय	10,51,155.00
8.	पीएफए, मैसूर	एम्बुलैंस	3,50,000.00
9.	पीएफए, बंगलौर	एम्बुलैंस	4,50,000.00
10.	पीएफए, मैसूर	एम्बुलैंस	1,00,000.00
11.	एनिमल राइट्स फंड, बंगलौर	एम्बुलैंस	3,50,000.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	एनिमल राइट्स फंड, बंगलौर	एबीसी स्कीम	59,000/-
2.	वन्यजीव बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र, बंगलौर	आश्रय योजना	10,22,175/-
3.	कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण, बंगलौर	आश्रय योजना	11,25,000/-
4.	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, कोलार	आश्रय योजना	5,19,750/-
5.	भारतीय वन्यजीव सुरक्षा समूह, बंगलौर	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-
6.	एनीमल राइट्स फंड्स, बंगलौर	एम्बुलैंस स्कीम	90,000/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	डू इट योरसेल्फ एक्टीविटीज (दीया), बंगलौर	एबीसी स्कीम	1,70,000/-
2.	डीआईवाईए, बंगलौर	एबीसी स्कीम	1,70,000/-
3.	पीएफए, मैसूर	एबीसी स्कीम	2,04,000/-
4.	पीएफए, बंगलौर	आश्रय योजना	10,51,155/-
5.	कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण, बंगलौर	आश्रय योजना	11,25,000/-
6.	सेव अवर वाइल्ड लाइफ (एसओडब्ल्यू एल), बंगलौर	आश्रय योजना	10,09,800/-
7.	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, कोलार	आश्रय योजना	5,19,750/-

1	2	3	4
8.	वन्यजीव बचाव एवं पुनर्वास केन्द, बंगलौर	आश्रय योजना	10,22,175/-
9.	डीआईवाईए, बंगलौर	एम्बुलैंस स्कीम	4,44,500/-
10.	क्रूसेड फॉर दी राइट्स ऑफ एनीमल्स, बंगलौर	एम्बुलैंस स्कीम	2,94,650/-
11.	एसओडब्ल्यूएल, बंगलौर	एम्बुलैंस स्कीम	3,28,024/-

केरल

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पीएफए, तिरूवन्नतपुरम	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-

मध्य प्रदेश

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पीएफए, ग्वालियर	एबीसी	1,70,000.00
2.	पीएफए, ग्वालियर	एबीसी	1,70,000.00
3.	पीएफए, ग्वालियर	आश्रय	5,00,000.00
4.	श्री गोपाल कृष्ण गौशाला विदिशी सेवा न्यास, विदिशा	आश्रय	4,50,000.00
5.	पीएफए, ग्वालियर	आश्रय	6,25,000.00
6.	बृजमोहन रामकली गऊ संरक्षण, भोपाल	एम्बुलैंस	4,05,000.00
7.	जीव जन्तु कल्याण संस्थान, भोपाल	एम्बुलैंस	4,05,000.00
8.	पीएफए, भिलाई	एम्बुलैंस	4,50,000.00
9.	गऊ संरक्षण सेवा समिति, भोपाल	एम्बुलैंस	3,60,000.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पीएफए, ग्वालियर	एबीसी स्कीम	1,70,000/-

1	2	3	4
2.	श्री गोपाल इफ्तिखार गौशाला, मंदसौर	आश्रय योजना	1,12,500/-
3.	संत श्री रोटीराम जी गौशाला, मंदसौर	आश्रय योजना	3,48,300/-
4.	बृजमोहन रामकली गऊ संरक्षण केन्द्र, भोपाल	आश्रय योजना	3,37,500/-
5.	अचार्य विद्या सागर गऊ संवर्धन केन्द्र, सागर	आश्रय योजना	7,20,000/-
6.	श्री गोपाल कृष्ण गौशाला, विदिशा सेवा न्यास, विदिशा	आश्रय योजना	4,50,000/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पीएफए, ग्वालियर	एबीसी स्कीम	1,70,000/-
2.	दयोदया गौसेवा जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान, सागर	आश्रय योजना	7,20,000/-
3.	संत श्री रोटीराम जी गौशाला	आश्रय योजना	3,48,300/-
4.	पी एफ ए, ग्वालियर	आश्रय योजना	3,17,000/-
5.	पी एफ ए, मुरैना	एम्बुलैंस स्कीम	3,65,500/-
6.	पी एफ ए, उज्जैन	एम्बुलैंस स्कीम	4,14,900/-

महाराष्ट्र

वर्ष 1999-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	बलू क्रास सोसायटी ऑफ पुणे, पुणे	एबीसी	2,00,000.00
2.	अहिम्सा, मुम्बई	एबीसी	2,50,000.00
3.	पीएफए, मुम्बई	एबीसी	1,63,200.00
4.	बंबई एसपीसीए, मुम्बई	एबीसी	2,00,000.00
5.	इन डिफेंस ऑफ एनीमल्स, मुम्बई	एबीसी	1,20,700.00

1	2	3	4
6.	ब्लू क्रास, पुणे	एबीसी	4,00,000.00
7.	ब्लू क्रास, पुणे	आश्रय	7,90,425.00
8.	इंडियन हरफेटोलोनिक सोसायटी, पुणे	आश्रय	11,25,000.00
9.	पीएफए, चन्द्रपुर	आश्रय	7,50,000.00
10.	नागपुर एसपीसीए	आश्रय	9,28,755.00
11.	उज्जवल गऊ रक्षण ट्रस्ट, नागपुर	आश्रय	11,25,000.00
12.	इंडियन हरफेटोलोनिकल सोसायटी, पुणे	एम्बुलैंस	3,50,000.00
13.	पीएफए, चन्द्रपुर	एम्बुलैंस	4,50,000.00
14.	ऑल इंडिया एनीमल वैल्फेयर एसोसिएशन, मुम्बई	एम्बुलैंस	94,087.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	ऑल इंडिया एनीमल वैल्फेयर एसोसिएशन, मुम्बई	एबीसी स्कीम	2,00,000/-
2.	दी वेल्फेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स, मुम्बई	एबीसी स्कीम	2,00,000/-
3.	ब्लू क्रॉस ऑफ सोसायटी ऑफ पुणे, पुणे	एबीसी स्कीम	4,00,000/-
4.	ऑल इंडिया एनीमल वैल्फेयर एसोसिएशन, मुम्बई	एबीसी स्कीम	4,25,000/-
5.	बंबई एसपीसीए, मुम्बई	एबीसी स्कीम	2,55,000/-
6.	इन डिफेंस ऑफ एनीमल, मुम्बई	एबीसी स्कीम	3,06,000/-
7.	ब्लू क्रास सोसायटी ऑफ पुण, पुणे	आश्रय योजना	4,000/-
8.	इंडियन हरफेटोलोनिकल सोसायटी, पुणे	आश्रय योजना	11,25,000/-
9.	पीएफए, चन्द्रपुर	आश्रय योजना	7,50,000/-
10.	बम्बई एसपीसीए	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-
11.	जालना एसपीसीए, जालना	एम्बुलैंस स्कीम	4,46,000/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	एनीमल वेल्फेयर एसोसिएशन, नवी, मुम्बई	एबीसी स्कीम	2,44,800/-
2.	ऑल इंडिया एनीमल वेल्फेयर एसोसिएशन, मुम्बई	एबीसी स्कीम	4,25,000/-
3.	ब्लू क्रास सोसायटी ऑफ पुणे, पुणे	एबीसी स्कीम	3,15,360/-
4.	अहिम्सा, मुम्बई	एबीसी स्कीम	2,50,000/-
5.	बलू क्रास सोसायटी ऑफ पुणे, पुणे	एबीसी स्कीम	4,00,000/-
6.	इन डिफेंस ऑफ एनीमल, मुम्बई	एबीसी स्कीम	3,06,000/-
7.	एसपीसीए, पुणे	एबीसी स्कीम	1,02,000/-
8.	द बंबई एसपीसीए, बंबई	एबीसी स्कीम	2,55,000/-
9.	वॉयस ऑफ एनीमल इन डिस्ट्रेस, नवी, मुम्बई	एबीसी स्कीम	3,40,000/-
10.	द जालना एसपीसीए, जालना	एबीसी स्कीम	1,72,800/-
11.	द वेल्फेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स, कोलाबा, मुम्बई	एबीसी स्कीम	2,00,000/-
12.	एआईएडब्ल्यूओ, मुम्बई	एबीसी स्कीम	4,25,000/-
13.	द बम्बई एसपीसीए, बंबई	आश्रय योजना	2,98,350/-
14.	इंडियन हरफेटोलोनिकल सोसायटी, पुणे	आश्रय योजना	9,45,225/-
15.	इंडियन हरफेटोलोनिकल सोसायटी, पुणे	आश्रय योजना	5,85,000/-
16.	द बम्बई हरफेटोलोनिकल लेगू, मुम्बई	आश्रय योजना	5,85,000/-
17.	श्री रामरोटी अन्नक्षेत्र आश्रम, मुम्बई	आश्रय योजना	9,33,750/-
18.	इंडियन हरफेटोलोनिकल सोसायटी, पुणे	आश्रय योजना	5,85,000/-
19.	इंडियन हरफेटोलोनिकल सोसायटी, पुणे	आश्रय योजना	9,45,225/-
20.	बम्बई एसपीसीए, बम्बई	आश्रय योजना	2,98,350/-

1	2	3	4
21.	बलू क्रास सोसायटी ऑफ, पुणे	आश्रय योजना	3,90,425/-
22.	एसपीएएन, थाणे	एम्बुलैंस स्कीम	3,37,498/-
23.	ब्लू क्रॉस पुणे	एम्बुलैंस स्कीम	3,50,000/-
24.	द प्लांट एण्ड एनीमल वेल्फेयर सोसायटी (पीएडब्ल्यूएस)	एम्बुलैंस स्कीम	3,50,000/-
25.	अखिल भारत कृषि गोसेवा संघ, मुम्बई	नेचर कलामिटीज स्कीम	10,00,000/-

मणिपुर

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	नौदाखांग यूथ स्पोर्टिंग एंड कल्चरल एसोसिएशन, बिशनपुर	आश्रय	3,91,000.00
2.	मणिपुर स्टेट एनीमल वैल्फेयर सोसायटी, इम्फाल	आश्रय	3,55,050.00
3.	वोल्युएंटरी एनीमल वैल्फेयर आर्गेनाइजेशन, थोबाल	एम्बुलैंस	1,84,000.00
4.	मणिपुर स्टेट एनीमल वैल्फेयर सोसायटी, इम्फाल	एम्बुलैंस	4,06,000.00
5.	कोम्यूनिटी डिवलेपमेंट आर्गेनाइजेशन, बिशनपुर	एम्बुलैंस	3,92,441.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवलपमेंट रूरल सर्विसिज आर्गेनाइजेशन, नानजिंग	आश्रय स्कीम	1,57,500/-
2.	वोल्युएंटरी एनीमल वैल्फेयर आर्गेनाइजेशन, थोबाल	आश्रय स्कीम	4,95,000/-
3.	नाओदखांग यूथ स्पोर्टिंग एंड कल्चरल ऐसोसिएशन, बिशनपुर	आश्रय स्कीम	3,91,000/-
4.	मणिपुर स्टेट एनीमल वैल्फेयर सोसायटी, इम्फाल	आश्रय स्कीम	3,55,050/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवलपमेंट रूरल सर्विसिज आर्गेनाइजेशन, नानजिंग	आश्रय स्कीम	1,57,500/-
2.	पीएफए, इम्फाल	आश्रय स्कीम	9,57,575/-
3.	पीएफए, थौंबल	आश्रय स्कीम	10,42,921/-
4.	पीएफए, इम्फाल	एम्बुलैंस स्कीम	2,18,226/-
5.	पीएफए, चंदेल	एम्बुलैंस स्कीम	3,15,000/-
6.	पीएफए, थौंबल	एम्बुलैंस स्कीम	3,94,100/-

नागालैंड

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	नागा, एसपीसीए, कोहिमा	आश्रय योजना	9,67,500/-
2.	नागा, एसपीसीए, कोहिमा	एम्बुलैंस स्कीम	3,80,870/-

उड़ीसा

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पीएफए, भुवनेश्वर	एबीसी	4,00,000.00
2.	पीएफए, भुवनेश्वर	आश्रय	11,25,000.00
3.	कलिंगा एनीमल केयर, भुवनेश्वर	एम्बुलैंस	3,70,000.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	असुरेश्वर गऊ मंगल समिति, कटक	आश्रय योजना	5,00,000/-

1	2	3	4
2.	कलिंगा एनीमल केयर एंड शेल्टर, भुवनेश्वर	आश्रय योजना	6,96,465/-
3.	उड़ीसा स्टेट कॉसिल फॉर एनीमल वेलफेयर, भुवनेश्वर	एम्बुलैंस स्कीम	3,50,000/-
4.	पीएफए, बेरहमपुर	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पीएफए, गंजन	आश्रय योजना	8,77,500/-
2.	पीएफए, राउरकेला	एम्बुलैंस स्कीम	4,23,000/-
3.	पीएफए, भुवनेश्वर	नेचुरल कलामिटी स्कीम	4,00,000/-

पाण्डिचेरी

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पांडिचेरी पीसीए एंड वेल्फेयर ऐसासिऐशन, पांडिचेरी	आश्रय	3,15,000.00
2.	पांडिचेरी पीसीए एंड वेल्फेयर ऐसासिऐशन, पांडिचेरी	एम्बुलैंस	4,50,000.00

पंजाब

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	एसपीसीए, अमृतसर	एबीसी	1,02,000.00
2.	एसपीसीए, अमृतसर	आश्रय	8,67,150.00
3.	श्री गऊशाला प्रबंधक कमेटी, संगरूर	आश्रय	6,14,250.00
4.	महावीर गऊशाला, मलौट	आश्रय	8,77,500.00
5.	बाबा भौरीवाला गऊशाला सेवा समिति, अमृतसर	आश्रय	6,37,380.00
6.	पीएफए, जलंधर	एम्बुलैंस	4,50,000.00
7.	एसपीसीए, अमृतसर	एम्बुलैंस	4,40,000.00
8.	एसपीसीए, जालंधर	एम्बुलैंस	4,05,000.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	अनाथ गौशाला रामपुर, फुल, भठिन्डा	शैल्टर स्कीम	2,72,250/-
2.	महावीर गौशाला	शैल्टर स्कीम	8,77,500/-
3.	अनाथ गौशाला रामपुर, फुल, भटिन्डा	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पी एफ ए, लुधियाना	एबीसी स्कीम	51,000/-
2.	पी एफ ए, लुधियाना	शैल्टर स्कीम	11,25,000/-
3.	श्री गौशाला प्रबन्धक समिति संगठन, संगरूर	शैल्टर स्कीम	6,14,250/-
4.	श्री गोपाल गौशाला, पटियाला	शैल्टर स्कीम	8,55,950/-
5.	अपाहज गौ सेवा असम, बरनाला	शैल्टर स्कीम	8,04,290/-
6.	पी एफ ए, लुधियाना	शैल्टर स्कीम	11,25,000/-

राजस्थान

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	हैल्पर-इन सफरिंग, जयपुर	एबीसी	2,00,000.00
2.	श्री कल्याण भूमि गौ सेवा सदन, पदमपुर	शैल्टर	2,29,815.00
3.	श्री गोपाल गौशाला बारमेर	शैल्टर	10,00,000.00
4.	श्री भगवान महावीर जैन गौशाला ट्रस्ट पाली	शैल्टर	5,13,000.00
5.	श्री राम गौशाला सेवा समिति, जोधपुर	शैल्टर	4,46,400.00
6.	श्री राम गौशाला ट्रस्ट, उम्मेदनगर	शैल्टर	6,54,210.00
7.	श्री ब्रहमचारी रामकुमारजी पन्नालालजी गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट, जोधपुर	शैल्टर	8,34,750.00

1	2	3	4
8.	श्री कृष्ण गौशाला, पाली	शैल्टर	5,85,000.00
9.	गोरीशंकर गौशाला सेवा समिति, जोधपुर	शैल्टर	4,46,400.00
10.	पी एफ ए, भीलवाड़ा	एम्बुलैंस	3,98,000.00
11.	सिवांचिगेट गौशाला, जोधपुर	एम्बुलैंस	4,04,000.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	श्री जनकल्याण गोपाल गौशाला, नागपुर	शैल्टर स्कीम	4,71,330/-
2.	श्री कृष्ण गोपाल गौसदन समिति, नागपुर	शैल्टर स्कीम	5,48,910/-
3.	श्री गुलाब गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट, जोधपुर	शैल्टर स्कीम	7,53,750/-
4.	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, जयपुर	शैल्टर स्कीम	10,09,485/-
5.	श्री कृष्ण गोपाल गौसदन समिति, नागपुर	शैल्टर स्कीम	5,48,910/-
6.	श्री राम गौशाला सेवा समिति, जोधपुर	शैल्टर स्कीम	4,48,400/-
7.	श्री कल्याण भूमि गौ सेवा सदन, श्रीगंगानगर	शैल्टर स्कीम	2,29,815/-
8.	श्री राम गौशाला सेवा समिति, जोधपुर	एम्बुलैंस स्कीम	3,28,177/-
9.	श्री कृष्ण गोपाल गौसदन समिति, नागपुर	एम्बुलैंस स्कीम	4,38,580/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	हैल्पइन सफरिंग, जयपुर	एबीसी स्कीम	6,12,000/-
2.	श्री कपिल कृष्णा गौशाला, बीकानेर	शैल्टर स्कीम	6,44,400/-
3.	श्री ब्रमचारी रामकुमार जी पन्ना लाल जी गौशाला धर्मार्थ, जोधपुर	शैल्टर स्कीम	8,34,750/-
4.	पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी गौशाला समिति, टांक	शैल्टर स्कीम	11,25,000/-
5.	दुष्कल गौ सेवा समिति	शैल्टर स्कीम	7,20,000/-

1	2	3	4
6.	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, जयपुर	शैल्टर स्कीम	10,9,485/-
7.	श्री आदिनाथ पशु रक्षा संस्था गौशाला, उदयपुर	शैल्टर स्कीम	3,40,050/-
8.	श्री कृष्ण गोपाल गौसदन समिति, जशवंतगढ़	शैल्टर स्कीम	4,50,000/-
9.	श्री गोपाल गौशाला, बारमेर	शैल्टर स्कीम	10,00,000/-
10.	संत श्री आसारामजी समिति, जयपुर	शैल्टर स्कीम	11,25,000/-
11.	श्री गिरधर गोसेवा समिति, कोटा	शैल्टर स्कीम	6,91,690/-
12.	श्री गोपाल गौशाला समिति, जोधपुर	एम्बुलैंस स्कीम	4,40,000/-
13.	संत श्री आसारामजी गौशाला, जयपुर	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-

सिक्किम

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	सिक्किम सपीसीए, गंगटोक	ए बी सी स्कीम	34,000/-
2.	सिक्किम सपीसीए	शैल्टर स्कीम	11,25,000/-

तमिलनाडु

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पी एफ ए, चेन्नई	एबीसी	2,50,000.00
2.	एनीमल वैल्फेयर एंड प्रोटैक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी	2,00,000.00
3.	ब्ल्यू क्रोस, चेन्नई	एबीसी	2,00,000.00
4.	पी एफ ए (चेन्नई) चैरीटेबल ट्रस्ट	एबीसी	2,50,000.00
5.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी	5,00,000.00
6.	पी एफ ए चेन्नई, चैरीटेबल ट्रस्ट	शैल्टर -	11,25,000.00
7.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	शैल्टर	6,00,000.00

1	2	3	4
8.	श्री मरूधर केसरी जैन गौशाला, चेन्नई	शैल्टर	6,75,000.00
9.	एनीमल वैल्फेयर एण्ड प्रोट्क्शन ट्रस्ट चेन्नई	एम्बुलैंस	2,32,000.00
10.	पी एफ ए, वैल्लोर	एम्बुलैंस	3,43,000.00
11.	पी एफ ए, कोयम्बटूर	एम्बुलैंस	1,00,000.00
12.	बुल्लोककार्ट वर्कस डेवलपमैंट एसोसिएशन विल्लिपुरम	एम्बुलैंस	4,50,000.00
13.	सैंक्चुअरी फॉर एनीमल वैटरिनरी एक्सीलैंस, चेन्नई	एम्बुलैंस	4,50,000.00
14.	भारतीय प्राणिमात्र संघ, चेन्नई	एम्बुलैंस	3,51,000.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	5,00,000/-
2.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	7,50,000/-
3.	एनीमल वैल्फेयर एण्ड प्रोट्क्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	2,25,000/-
4.	पी एफ ए (चेन्नई) चैरीटेबल ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	4,00,000/-
5.	एनीमल वैल्फेयर एण्ड प्रोट्क्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	2,25,000/-
6.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	7,50,000/-
7.	पी एफ ए (चेन्नई) चैरीटेबल ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	4,00,000/-
8.	गोस्वामी मैडम, टी नगर, चेन्नई	शैल्टर स्कीम	3,17,236/-
9.	श्री सत्यसांई प्राणि सेवा शेल्टर, चेन्नई	शैल्टर स्कीम	2,40,098/-
10.	ब्ल्यू क्रोस आफ इंड़िया, चेन्नई	शैल्टर स्कीम	11,25,000/-
11.	गोस्वामी मैडम, टी नगर, चेन्नई	शैल्टर स्कीम	3,17,236/-
12.	श्री सत्यसांई प्राणि सेवा शेल्टर, चेन्नई	शैल्टर स्कीम	2,40,098/-
13.	श्री राघव शैल्टर कॉर एनीमल, चेन्नई	शैल्टर स्कीम	11,25,000/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	एनीमल वैल्फेयर प्रोडक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	3,00,000/-
2.	एस पी सी ए, चेन्नई	एबीसी स्कीम	1,70,000/-
3.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	6,12,000/-
4.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	10,20,000/-
5.	पी एफ ए, चेन्नई	एबीसी स्कीम	6,00,000/-
6.	एस पी सी ए, कान्चीपुरम	एबीसी स्कीम	85,000/-
7.	एनीमल वैल्फेयर प्रोडक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	एबीसी स्कीम	3,00,000/-
8.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एबीसी स्कीम	10,20,000/-
9.	पी एफ ए, चेन्नई	एबीसी स्कीम	6,00,000/-
10.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	शैल्टर स्कीम	9,45,000/-
11.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	शैल्टर स्कीम	9,45,000/-
12.	पी एफ ए चेन्नई चैरीटेबल ट्रस्ट	शैल्टर स्कीम	2,73,800/-
13.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एम्बुलैंस स्कीम	3,50,000/-
14.	श्री सत्यसांई प्राणिसेवा शेल्टर, चेन्नई	एम्बुलैंस स्कीम	3,03,209/-
15.	ब्ल्यू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	एम्बुलैंस स्कीम	1,00,000/-
16.	एनीमल वैल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई	नेचुरल कैलिमिटीज स्कीम	50,00,000/-

त्रिपुरा

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	पी एफ ए अगरतला	शैल्टर	3,24,900.00
2.	पी एफ ए अगरतला	एम्बुलैंस	3,81,000.00

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	एनीमल रिस्क्यू डेवलपमैंट त्रिपुरा	शैल्टर स्कीम	11,25,000/-

उत्तरांचल

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	पी एफ ए, देहरादून	एम्बुलैंस स्कीम	3,07,895/-
2.	पी एफ ए, देहरादून	एम्बुलैंस स्कीम	1,00,000/-

उत्तर प्रदेश

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	श्री पंजोरापोल गौशाला पिलीभीत	शैल्टर	7,30,750.00
2.	करूणा गौशाला समिति, घोण्डा	शैल्टर	5,00,000.00
3.	पी एफ ए, लखनऊ	शैल्टर	9,45,000.00
4.	जय श्री कृष्णा गौशाला समिति, झांसी	शैल्टर	5,76,900.00
5.	विनोबा सेवा आश्रम शाहजहांपुर	शैल्टर	7,42,410.00
6.	गौरखपुर एस पी सी ए	एम्बुलैंस	90,000.00
7.	पी एफ ए, मेरठ	एम्बुलैंस	3,32,000.00
8.	पी एफ ए, फिरोजाबाद	एम्बुलैंस	4,50,000.00
9.	दयोदया पशु गौरक्षा केन्द्र, ललितपुर	एम्बुलैंस	3,50,000.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	श्री गौशाला कथार जंगल, बस्ती	शैल्टर स्कीम	8,56,035/-

1	2	3	4
2.	आदर्श गौशाला समिति, भाजियाबाल	शैल्टर स्कीम	7,23,600/-
3.	श्री कृष्णा गौशाला, कुशीनगर	शैल्टर स्कीम	8,46,900/-
4.	श्री पंजोरापोल गौशाला, पिलीभीत	शैल्टर स्कीम	7,30,350/-
5.	विनोबा सेवा आश्रम, शाहजहांपुर	शैल्टर स्कीम	7,42,410/-
6.	पी एफ ए, फिरोजाबाद	शैल्टर स्कीम	7,29,000/-
7.	पी एफ ए ज्योतिबा फूले नगर	शैल्टर स्कीम	10,36,057/-
8.	पी एफ ए, फिरोजाबाद	शैल्टर स्कीम	3,93,750/-
9.	एस पी सी ए, पिलीभीत	शैल्टर स्कीम	6,30,000/-
10.	पी एफ ए, जे पी नगर	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-
11.	पी एफ ए, गाजियाबाद	एम्बुलैंस स्कीम	3,52,500/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	डॉक्टर्स पैटस क्रैश एनीमल वैल्फेयर ट्रस्ट, लखनऊ	एबीसी स्कीम	17,000/-
2.	एस पी सी ए, गोरखपुर	एबीसी स्कीम	61,200/-
3.	श्री गौशाला केथर जंगल, बस्ती	शैल्टर स्कीम	8,56,035/-
4.	पी एफ ए, आगरा	शैल्टर स्कीम	11,16,000/-
5.	कवि पाती राम शिक्षा एवं विकास समिति, आगरा	शैल्टर स्कीम	8,32,500/-
6.	पी एफ ए, जे पी नगर	शैल्टर स्कीम	10,36,058/-
7.	एनीमल केयर आर्गेनाइजेशन, लखनऊ	शैल्टर स्कीम	5,31,000/-
8.	दयोदया पशु सनरक्षा केन्द्र (गौशाला), ललितपुर	शैल्टर स्कीम	7,20,000/-
9.	पी एफ ए, देहरादून	शैल्टर स्कीम	9,19,165/-
10.	एस पी सी ए, नोएडा	शैल्टर स्कीम	11,25,000/-
11.	विनोबा सेवा आश्रम, शाहजहांपुर	शैल्टर स्कीम	5,13,180/-

1	2	3	4
12.	पी एफ ए, फिरोजाबाद	शैल्टर स्कीम	11,22,750/-
13.	पी एफ ए, गाजियाबाद	शैल्टर स्कीम	11,25,000/-
14.	श्री कृष्णा गौशाला, कौशीनगर	शैल्टर स्कीम	8,46,900/-
15.	पी एफ पी, आगरा	एम्बुलैंस स्कीम	3,95,000/-
16.	डाक्टर्स पैटस एनीमल वैल्फेयर ट्रस्ट, लखनऊ	एम्बुलैंस स्कीम	3,85,573/-
17.	विनोबा सेवा आश्रम, शाहजहांपुर	एम्बुलैंस स्कीम	4,50,000/-

वेस्ट बंगाल

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	एस पी सी ए, कलकत्ता (वेस्ट बंगाल)	एबीसी	2,20,000.00
2.	लव एंड केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एबीसी	45,000.00
3.	एनीमल एंड बर्ड वैल्फेयर सोसाइटी, हावड़ा	एबीसी	4,00,000.00
4.	कम्पैशोनेट क्रूसेडर्स ट्रस्ट, कलकत्ता	एबीसी	2,00,000.00
5.	पी एफ ए, कलकत्ता	एबीसी	2,00,000.00
6.	बर्धमान सोसाइटी फोर एनीमल वैल्फेयर	एबीसी	8,100.00
7.	लव एंड केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एबीसी	45,000.00
8.	एनीमल एंड बर्ड वैल्फेयर सोसाइटी, हावड़ा	शैल्टर	8,28,450.00
9.	एनीमल एंड बर्ड वैल्फेयर सोसाइटी, हावड़ा	शैल्टर	8,28,450.00
10.	कम्पैशोनेट क्रूसेडर्स ट्रस्ट, कलकत्ता	शैल्टर	1,46,250.00
11.	पी एफ ए, कलकत्ता	शैल्टर	8,55,000.00
12.	लव एंड केयर फॉर एनीमल कलकत्ता	शैल्टर	8,18,100.00
13.	एनीमल एंड बर्ड वेल्फेयर सोसाइटी, हावड़ा	शैल्टर	8,28,450.00

1	2	3	4
14.	कम्पैशोनेट क्रूसेडर्स ट्रस्ट, कलकत्ता	शैल्टर	11,29,694.00
15.	हेटालीजोर किशोरीबाल दाताविया ची किटशाल्य, मिडनापोर, कलकत्ता	शैल्टर	90,774.00
16	कलकत्ता एस पी सी ए, कलकत्ता	एम्बुलैंस	3,50,000.00
17.	हावड़ा एनीमल वैल्फेयर ओर्गेनाइजेशन, हावड़ा	एम्बुलैंस	4,44,000.00
18.	साऊथ कलकत्ता एनीमल सोसाइटी, कलकत्ता	एम्बुलैंस	3,76,000.00
19.	लव एंड केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एम्बुलैंस	1,00,000.00
20.	कलकत्ता एस पी सी ए, कलकत्ता	एम्बुलैंस	1,00,000.00
21.	एनीमल एंड बर्ड वैल्फेयर सोसायटी, हावड़ा	एम्बुलैंस	95,310.00
22.	भाव नगर सोसल सर्विस वेल्फेयर, कलकत्ता	एम्बुलैंस	1,98,077.00

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	लव एंड केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,02,000/-
2.	कलकत्ता एस पी सी ए, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	2,20,000/-
3.	दार्जिलिंग गुडविल एनीमल शेल्टर, दार्जिलिंग	एबीसी स्कीम	1,63,200/-
4.	वर्धवान सोसाइटी फॉर एनीमल वैल्फेयर	एबीसी स्कीम	71,900/-
5.	लव एंड केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,02,000/-
6.	पी एफ ए, कलकत्ता	शैल्टर स्कीम	5,40,000/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	स्कीम	प्रदत्त धनराशि (रुपए)
1.	आल लवर्स ऑफ एनीमल सोसाइटी, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,00,000/-
2.	लव एंड केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,44,500/-
3.	हावड़ा एनीमल वैल्फेयर आर्गेनाइजेशन, हावड़ा	एबीसी स्कीम	85,000/-

1	2	3	4
4.	पी एफ ए, हुगली	एबीसी स्कीम	4,000/-
5.	पी एफ ए, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	2,00,000/-
6.	आल लवर्स ऑफ एनीमल सोसाइटी, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,00,000/-
7.	कम्पनसोनैट कर्सर्डस ट्रस्ट, कोलकत्ता	एबीसी स्कीम	2,53,000/-
8.	लव एंड केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एबीसी स्कीम	1,44,500/-
9.	पी एफ ए, हुगली	एबीसी स्कीम	4,000/-
10.	हावड़ा एनीमल वैल्फेयर आर्गेनाइजेशन, हावड़ा	एबीसी स्कीम	85,000/-
11.	लव एंड केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	शैल्टर स्कीम	8,18,100/-
12.	विवेकानन्द आदर्श सेवा आश्रम	शैल्टर स्कीम	9,55,094/-
13.	आल लवर्स ऑफ एनीमल सोसाइटी, कलकत्ता	शैल्टर स्कीम	6,35,745/-
14.	लव एंड केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	एम्बुलैंस स्कीम	4,40,900/-

विवरण-II

आवारा कुत्तों के संतति निरोध और टीकाकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की सूची

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	प्रदत्त राशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	पी एफ ए, भुवनेशवर	उड़ीसा	2,00,000/-
2.	पी एफ ए, चेन्नई	तमिलनाडु	2,50,000/-
3.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	तमिलनाडु	1,00,000/-
4.	पी एफ ए, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	1,70,000/-
5.	ब्लू क्रोस ऑफ हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	5,00,000/-
6.	इंटरनेशनल एनीमल रेस्क्यू, गोवा	गोवा	2,88,000/-
7.	एस पी सी ए, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2,20,000/-

1	2	3	4
8.	ब्लू क्रोस सोसाइटी आफ पुणे, पुणे	महाराष्ट्र	2,00,000/-
9.	ब्लू क्रोस आफ इंडिया, चेन्नई	तमिलनाडु	2,00,000/-
10.	पी एफ ए, भुवनेश्वर	उड़ीसा	2,00,000/-
11.	लव "एन" केयर फार एनीमल्स, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	45,000/-
12.	एस पी सी ए, अमृतसर	पंजाब	1,02,000/-
13.	बंगलौर एस पी सी ए, बंगलौर	कर्नाटक	1,36,000/-
14.	बडोदरा एस पी सी ए, बड़ौदा	गुजरात	1,70,000/-
15.	फ्रेंन्डीकोस एस ई सी ए, नई दिल्ली	एन सी टी, लई दिल्ली	2,00,000/-
16.	गोवा एनीमल वेलफेयर ट्रस्ट, मारगाव, गोवा	गोवा	1,53,000/-
17.	एनीमल राइट्स फंड, बंगलौर	कर्नाटक	59,000/-
18.	एनीमल एंड बर्ड वेलफेयर सोसाइटी, हावड़ा	पश्चिम बंगाल	4,00,000/-
19.	विसाखा एस पी सी ए, विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश	2,00,000/-
20.	अहिंसा, मुम्बई	महाराष्ट्र	2,50,000/-
21.	सर्कल फार एनीमन लवर्स, नई दिल्ली	एन सी टी, दिल्ली	2,00,000/-
22.	कम्पैशनेट क्रूसेडर्स ट्रस्ट, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2,00,000/-
23.	कम्पैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन, बंगलौर	कर्नाटक	2,00,000/-
24.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	तमिलनाडु	1,00,000/-
25.	पी एफ ए, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	1,70,000/-
26.	पी एफ ए, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2,00,000/-
27.	पी एफ ए (चेन्नई), चेरीटेबल ट्रस्ट चेन्नई	तमिलनाडु	2,50,000/-
28.	ब्लू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	तमिलनाडु	5,00,000/-
29.	लव "एन" केयर फॉर एनीमल, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	45,000/-
30.	पी एफ ए, मुम्बई	महाराष्ट्र	1,63,200/-

1	2	3	4
31.	ब्लू क्रोस ऑफ हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	5,00,000/-
32.	हेल्प इन सफ्फरिंग, जयपुर	राजस्थान	2,00,000/-
33.	बॉम्बे एस पी सी ए, मुम्बई	महाराष्ट्र	2,00,000/-
34.	इन डिफेन्स आफ एनीमल, मुम्बई	महाराष्ट्र	1,20,700/-
35.	ब्लू क्रोस सोसायटी ऑफ पुणे, पुणे	महाराष्ट्र	4,00,000/-
36.	बर्डवान सोसायटी फॉर एनीमल वेलफेयर	पश्चिमी बंगाल	8,100/-
		कुल	75,00,000/- रुपये

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	प्रदत्त राशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	ब्लू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	तमिलनाडु	5,00,000/-
2.	पी एफ ए गोवा	गोवा	2,00,000/-
3.	स्वर्गीय सुभाष बत्रा जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	गुजरात	4,59,000/-
4.	एस पी सी ए, अहमदाबाद	गुजरात	2,25,000/-
5.	श्री जीवदया जन कल्याण परिवार, अहमदाबाद	गुजरात	6,20,500/-
6.	आल इंडिया एनीमल वेलफेयर एसोसिएशन, मुम्बई	महाराष्ट्र	2,00,000/-
7.	ब्लू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	तमिलनाडु	7,50,000/-
8.	दि वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डाग्स, मुम्बई	महाराष्ट्र	2,00,000/-
9.	लव "एन" केयर फार एनीमल्स, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	1,02,000/-
10.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	तमिलनाडु	2,25,000/-
11.	पी एफ ए (चेन्नई) चेरीटेबल ट्रस्ट, चेन्नई	तमिलनाडु	4,00,000/-
12.	सर्कल फार एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एन सी टी, दिल्ली	2,00,000/-
13.	पेट्स एनीमल वेलफेयर सोसाइटी (पी.ए.डब्लू.एस.) नई दिल्ली	एन सी टी, दिल्ली	85,000/-

1	2	3	4
14.	रूथ कॉवल फाउन्डेशन (संजय गाधी एनीमल केयर सेंटर, नई दिल्ली)	एन सी टी, दिल्ली	2,00,000/-
15.	इंटरनेशनल एनीमल रेस्क्यू, गोवा	गोवा	2,88,000/-
16.	एनीमल राइट्स फंड, बंगलौर	कर्नाटक	59,000/-
17.	ब्लू क्रोस सोसाइटी ऑफ पुणे, पुणे	महाराष्ट्र	4,00,000/-
18.	कलकत्ता एस पी सी ए, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2,20,000/-
19.	आल इंडिया एनीमल वेलफेयर एसोसियेशन, मुंबई	महाराष्ट्र	4,25,000/-
20.	दार्जिलिंग गुडविल एनीमल शेल्टर, दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	1,63,200/-
21.	पी एफ ए, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	1,70,000/-
22.	रूथ कॉवल फाउंडेशन (संजय गांधी एनीमल केयर सेंटर), नई दिल्ली	एन सी टी, दिल्ली	2,47,500/-
23.	बाम्बे एस पी सी ए, मुम्बई	महाराष्ट्र	2,55,000/-
24.	बर्डवान सोसायटी फार एनीमल वेलफेयर	पश्चिम बंगाल	71,900/-
25.	पी एफ ए, पनाजी	गोवा	4,08,000/-
26.	इन डिफेंस ऑफ एनीमल्स, मुम्बई	महाराष्ट्र	3,06,000/
27.	विसाखा एस पी सी ए, विसाखापट्नम	आन्ध्र प्रदेश	4,81,740/-
28.	फ्रेन्डीकोस एस ई सी ए, नई दिल्ली	एन सी टी, दिल्ली	5,44,000/-
29.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	तमिलनाडु	2,25,000/-
30.	ब्लू क्रोस ऑफ इंडिया, चेन्नई	तमिलनाडु	7,50,000/-
31.	स्वर्गीय सुभाष बत्रा जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	गुजरात	4,59,000/-
32.	पी एफ ए (चेन्नई) चेरीटेबल ट्रस्ट, चेन्नई	तमिलनाडु	4,00,000/-
33.	लव "एन" केयर फॉर एनीमल्स, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	1,02,000/-
34.	सर्किल फार एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एन सी टी, दिल्ली	2,00,000/-
35.	गोवा एनीमल वेलफेयर ट्रस्ट, मारगाव, गोवा	गोवा	1,53,000/-
		कुल	1,06,94,840/-

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	प्रदत्त राशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	एनीमल वेलफेयर एसोसिएशन, नवी मुम्बई	महाराष्ट्र	2,44,800/-
2.	डू इट योरसेल्फ एक्टीविटीस, बंगलौर	कर्नाटक	1,70,000/-
3.	रूथ कॉवल फाउंडेशन (संजय गांधी एनीमल केयर सेंटर), नई दिल्ली	एन सी टी, दिल्ली	2,47,500/-
4.	विसाखा सोसाइटी फार प्रिवेंशन आफ क्रूऐल्टी टू एनीमल्स (एस पी सी ए), विशाखपट्टनम	आंध्र प्रदेश	93,800/-
5.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	तमिलनाडु	3,00,000/-
6.	आल लवर्स आफ एनीमल सोसाइटी, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	1,00,000/-
7.	लव "एन" केयर फार एनीमल्स, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	1,44,500/-
8.	लेट सुभाष बत्रा जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	गुजरात	1,70,000/-
9.	सर्किल ऑफ एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एन सी टी, दिल्ली	2,00,000/-
10.	हावड़ा एनीमल वेलफेयर आरगनाईजेशन, हावड़ा	पश्चिम बंगाल	85,000/-
11.	एस पी सी ए, चंडीगढ़	एन सी टी, चंडीगढ़	57,000/-
12.	एस पी सी ए, चेन्नई	तमिलनाडु	1,70,000/-
13.	आल इंडिया ऐनिमल वेलफेयर एसोसिएशन, मुम्बई	महाराष्ट्र	4,25,000/-
14.	डाक्टर पेटस कैस एनीमल वेलफेयर ट्रस्ट, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	17,000/-
15.	ब्लू क्रोस आफ इंडिया, चेन्नई	तमिलनाडु	6,12,000/-
16.	विशाखा एस पी सी ए, विशाखापट्नम	आंध्र प्रदेश	5,75,620/-
17.	ब्लू क्रोस आफ सोसाइटी आफ पुणे	महाराष्ट्र	3,15,360/-
18.	ब्लू क्रोस आफ इंडिया, चेन्नई	तमिलनाडु	10,20,000/-
19.	एनीमल केयर लेंड, तिरुपति	आंध्र प्रदेश	85,000/-
20.	पीपुल फॉर एनीमल (पी एफ ए) चेन्नई	तमिलनाडु	6,00,000/-

1	2	3	4
21.	सुभाष बत्रा जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	गुजरात	6,20,000/-
22.	अहिंसा, मुम्बई	महाराष्ट्र	2,50,000/-
23.	पी एफ ए, गोवा	गोवा	4,08,000/-
24.	ब्लू क्रोस सोसाइटी आफ पुणे, पुणे	महाराष्ट्र	4,00,000/-
25.	डी आई वाई ए, बंगलौर	कर्नाटक	1,70,000/-
26.	इन डिफेंस आफ एनीमल, मुम्बई	महाराष्ट्र	3,06,000/-
27.	हैल्प इन सफरिंग, जयपुर	राजस्थान	6,12,000/-
28.	पी एफ ए, मैसूर	कर्नाटक	2,04,000/-
29.	पी एफ ए, सकुन्द्राबाद	आंध्र प्रदेश	2,50,000/-
30.	पी एफ ए, हुगली	पश्चिम बंगाल	4,000/-
31.	एस पी सी ए, पुणे	महाराष्ट्र	1,02,000/-
32.	दि बोम्बे एस पी सी ए, मुम्बई	महाराष्ट्र	2,55,000/-
33.	वाइस आफ एनीमल्स इन डिस्ट्रीस, नवी मुम्बई	महाराष्ट्र	3,40,000/-
34.	श्री रघुवींद्रा समरक्षा संगम, कुड्डापाह	आंध्र प्रदेश	85,000/-
35.	एस पी सी ए, कांचीपुरम	तमिलनाडु	85,000/-
36.	पी एफ ए, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2,00,000/-
37.	आल लवर्स आफ एनीमल वेलफेयर, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	1,00,000/-
38.	पी एफ ए, लुधियाना	लुधियाना	51,000/-
39.	कोमपासिओनेट क्रूसेडर ट्रस्ट	पश्चिम बंगाल	2,53,000/-
40.	विशाखा एस पी सी ए	आंध्र प्रदेश	5,75,620/
41.	एनीमल हैल्प फाऊंडेशन, गुजरात	गुजरात	10,20,000/-
42.	दि जालना सोसाइटी फार प्रिवेंशन आफ क्रूल्टी आफ एनीमल्स, जालना (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र	1,72,800/-
43.	बड़ौदरा एस पी सी ए, गुजरात	गुजरात	1,70,000/-

1	2	3	4
44.	सर्किल आफ एनीमल लवर्स, नई दिल्ली	एन सी टी, दिल्ली	2,00,000/-
45.	श्री जीवदया जनकल्याण परिवार, अहमदाबाद	गुजरात	6,20,500/-
46.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट, चेन्नई	तमिलनाडु	3,00,000/-
47.	ब्लू क्रोस आफ चेन्नई	तमिलनाडु	10,20,000/-
48.	लेट सुभाष बत्रा जीवदया ट्रस्ट, अहमदाबाद	गुजरात	5,10,000/-
49.	लव "एन" केयर फोर एनीमल्स, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	1,44,500/-
50.	फ्रेंडीकोज़-एसईसीए, नई दिल्ली	एन टी सी, दिल्ली	5,44,000/-
51.	पेट एनीमल वेलफेयर सोसाइटी, नई दिल्ली	एन टी सी, दिल्ली	85,000/-
52.	दि वेल्फेयर आफ स्ट्रे डागस, कोलाबा, मुम्बाई	महाराष्ट्र	2,00,000/-
53.	संजय गांधी एनीमल केयर, राजा गार्डन, नई दिल्ली	एन टी सी, दिल्ली	4,08,000/-
54.	पी एफ ए, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	1,70,000/-
55.	पी एफ ए, चंडीगढ़	एन सी टी, चंडीगढ़	1,63,200/-
56.	विशाखा एस पी सी ए, विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	10,20,000/-
57.	इंटरनेशनल एनीमल रिसेस सेंटर, गोवा	गोवा	3,17,910/-
58.	सोमादी चेरीटेबल ट्रस्ट, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली	एन सी टी, दिल्ली	1,02,000/-
59.	पी एफ ए, चेन्नई	तमिलनाडु	6,00,000/-
60.	एस पी सी ए, गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	61,200/-
61.	पी एफ ए, हुगली	पश्चिम बंगाल	4,000/-
62.	ए आई ए डब्ल्यू ओ, मुम्बई	महाराष्ट्र	4,25,000/-
63.	पी एफ ए, रांची	झारखंड	85,000/-
64.	हावड़ा एनीमल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	85,000/-
		कुल	1,88,83,390/-

टिप्पणी :- कुछ संगठनों का उल्लेख एक से अधिक बार आया है। यह इस कारण हुआ है कि अनुदान सामान्यत: दो किस्तों में जारी किया जाता है।

इस्पात क्षेत्र हेतु नई नीति तैयार करना

2985. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार इस्पात क्षेत्र हेतु एक नई नीति तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) 1999-2000 से 2001-2002 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान लोहा और इस्पात उद्योग ने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं। अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में 12% से अधिक की वृद्धि हुई है और क्षमता उपयोगिता 76% से बढ़कर 82% हो गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्पंज लोहे के उत्पादन में भी अच्छी वृद्धि हुई है और आज भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। विभिन्न देशों द्वारा व्यापार गतिरोधों के बावजूद व्यापार के क्षेत्र में भारत अपने निवल निर्यातक की स्थिति को बनाए हुए है। निर्यात मूल्य वर्धित सामान की तरफ बढ़ गया है। इस अवधि के दौरान परिसज्जित इस्पात की प्रत्यक्ष खपत 9% से अधिक हो गई है। नीति के क्षेत्र में दोयम/दोषपूर्ण के आयात को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं और सामान्य रूप से इस्पात उद्योग में लाभ के लिए कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। दूसरी पीढ़ी के सुधारों, पुनर्सरचना और वैश्वीकरण के संदर्भ में लोहा और इस्पात उद्योग के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु सरकार ने एक राष्ट्रीय इस्पात नीति बनाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई गई है। समिति ने प्रथम प्रारूप तैयार कर लिया है और प्रमुख इस्पात उत्पादकों और एशोसिएशनों के परामर्श से प्रारूप की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

विज्ञापन अधिकार संबंधी घोटाला

2986. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या नागर विमानन मंत्री दिनांक 13.5.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6850 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापन अधिकार घोटाले से संबंधित सीबीआई से ब्यौरों का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घोटाले की कार्य-प्रणाली क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों को क्या सजा दी गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) दिनांक 26.3.02 को केंद्रीयय जांच ब्यूरो ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों तथा मैसर्स टीडीआई इंटरनेशनल प्रा.लि. के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी इस मामले की जांच की जा रही है।

मार्कण्ड मंदिर का रख-रखाव

2987. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री महाराष्ट्र स्थित मार्कण्ड मंदिर के बारे में 4.8.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2032 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र के गड चिरोली जिले में मार्कण्ड क्षेत्र मंदिर, मार्कण्ड के रख-रखाव हेतु आवंटित की गई 20,000 रुपये की धनराशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि से मंदिर में किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में इस मंदिर के रख-रखाव हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उक्त वर्षों के दौरान मंदिर में क्या सरंक्षण कार्य किये जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) इस मंदिर के लिए किए गए आवंटन को मंदिर की सफाई के लिए अंशत: ही इस्तेमाल किया जा सका।

(ग) और (घ) 2001-2002 के दौरान 20,000/- रुपए के आवंटन के प्रति वार्षिक रखरखाव किया गया व्यय 16,764/- रुपये हैं।

चालू वर्ष के दौरान, आवंटन अर्थात इस मंदिर पर व्यय निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	व्यय
1.	उपकरण तथा संयंत्र	5,00,000/-	4,67,035/-
2.	संरचनात्मक मरम्मतें	3,00,000/-	50,000/-
3.	वार्षिक रखरखाव	40,000/-	25,000/-

मंदिर के लिए वार्षिक रखरखाव और उपकरणों तथा संयन्त्रों की खरीद करने के अलावा, भीमा शंकर के लघु मंदिर को विखन्डित करने और पुनर्निर्माण करने का कार्य शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जलचर पालन को बढ़ावा

2988. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान मध्य प्रदेश में स्वच्छ जल में जलचर पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु केन्द्र के हिस्से की धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) एकीकृत अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी संसाधनों का विकास (जलाशय मात्स्यिकी का विकास) पर पायलट योजना के तहत 100 प्रतिशत अनुदान के लिए एकमुश्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 19.97 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को 21.8.2001 को जारी की जा चुकी है। 2001-2002 के दौरान ताजा जल जलकृषि का विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकार को कोई निधि जारी नहीं की गई है क्योंकि राज्य के पास 99.96 लाख रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी की खर्च न की गई बकाया राशि है।

[अनुवाद]

विदेशों में पर्यटन को बढ़ावा

2989. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा भारत को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किये गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और इसके बाद विदेशों में खोले गए स्थानवार पर्यटक कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन कार्यालयों का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने पर्यटन भारत आए और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(च) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों के रख-रखाव पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(छ) इन कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय पर्यटन का सवंर्धन एक सतत प्रक्रिया है एवं बाजार रणनीति द्वारा प्रमुख बाजारों में देश के पर्यटन उत्पादों का सवंर्धन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देकर, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करके ब्रोशरों, सीडी रोम्स आदि के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार करके आतिथ्य सत्कार कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया से जुड़ी हस्तियों को आमंत्रित करके, वेब मार्केटिंग, कार्यशालाओं एवं सेमीनारों आदि का आयोजन करके किया जाता है।

(ख) से (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान विदेश में कोई भी पर्यटक कार्यालय नहीं खोला गया है। अतः उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल पर्यटक आगमन अर्जित विदेशी मुद्रा आय निम्न अनुसार हैं :-

वर्ष	पर्यटक आगमन	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपयों में)
1999	2481928	12150.00
2000	2649378	14238.60
2001	2537282	14006.45

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश स्थित कार्यालयों के रख-रखाव पर किए गए खर्च निम्न अनुसार हैं :-

वर्ष	गैर-योजना व्यय (रुपये लाखों में)
1999-2000	1307.60
2000-2001	1505.62
2001-2002	1665.57

(छ) विदेश स्थित, भारत पर्यटन कार्यालयों के कार्यकलापों का नियमित रूप से मानीटर किया जाता है और कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर रणनीतिक निर्देश/मार्गदर्शन दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

अल्पकालिक नौकरियों में कार्यरत श्रमिक

2990. श्री नवल किशोर राय :
डा. सुशील कुमार इंदौरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में सीजनल श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्य-वार ऐसे कितने श्रमिक लगे हुए है;

(ग) ऐसी नौकरियों के माध्यम से इन श्रमिकों द्वारा अर्जित की जा रही वार्षिक आय के संबंध में क्या मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) ऐसे अल्पकालिक नौकरियों से अधिकतम/न्यूनतम वार्षिक कितने कार्य दिवस सृजित किए गए?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, देश में कुल 397 मिलियन कार्य बल का लगभग 60% कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था जहां अधिकांश आर्थिक गतिविधियां मौसमी प्रकार की हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000 के प्रमुख राज्यों से संबंधित कुल अनुमानित रोजगार संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान नैमित्तिक कामगार के रूप में लगे कामगारों की क्रमशः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रति कामगार अर्जित वार्षिक औसत आय लगभग 7704 रु. एवं 11,748 रु. थी।

(घ) सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

क्रमांक	प्रमुख राज्य	1999-2000 के दौरान रोजगार (हजार में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	36148
2.	असम	9357
3.	बिहार	36437
4.	गुजरात	22931
5.	हरियाणा	7159
6.	कर्नाटक	23599
7.	केरल	12444
8.	मध्य प्रदेश	34424
9.	महाराष्ट्र	41241
10.	उड़ीसा	14981
11.	पंजाब	9885
12.	राजस्थान	23212
13.	तमिलनाडु	28895

1	2	3
14.	उत्तर प्रदेश	58924
15.	प. बंगाल	28237
	अखिल भारत	397000

निजी विमान कंपनियां

2991. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवैसी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उड़ानों के परिचालन हेतु अनुमति दी गई निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन कंपनियों को उड़ानों के परिचालन हेतु अनुमति नहीं दी गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में निजी क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति देने के लिए कोई विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विभिन्न नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत घरेलू उड़ान सेवा आरंभ करने के लिए आवेदनों पर कार्यवाही चल रही है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण तथा गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा संबंधी क्लीयरेंस प्राप्त आवेदनों पर हवाई उड़ान प्रचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए विचार किया जाता है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने पर आवेदकों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है ताकि एक निर्धारित अवधि के भीतर वे वायु यातायात प्रचालक परमिट के लिए पात्र हो जाए।

वर्ष 2000-2001 तथा 2002 (नवम्बर तक) के दौरान 27 आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। मैसर्स क्राउन एक्सप्रेस, मैसर्स न्यूट्रल इंजीनियर्स, मैसर्स एरोबले एयरवेज, मैसर्स थॉमस कुक तथा लीला एविएशन के आवेदनों को सुरक्षा क्लीयरेंस न मिलने और/अथवा अन्य त्रुटियों के कारण रद्द/आस्थगित कर दिया गया।

आवश्यक/अपेक्षित शर्तों का पूरा करने वाले निम्नलिखित 8 निजी कंपनियों को प्रचालन परमिट (नॉन-शिड्यूल्ड) प्रदान किया गया:-

1. मैसर्स जे.के. कोर्प
2. मैसर्स एस्कॉर्टस लिमिटेड
3. मैसर्स रिलायंस ट्रांसपोर्ट ट्रैवल्स लिमिटेड
4. मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड
5. मैसर्स हिमालयन हेली सर्विसेज प्रा.लि.
6. मैसर्स बिलाखिया होल्डिंग प्रा.लि.
7. मैसर्स एनबी एविएशन लिमिटेड
8. मैसर्स आर.सी. एविएशन इंडिया प्रा.लि.

बोकारो इस्पात संयंत्र के विमान की दुर्घटना

2992. श्री रामदास आठवले : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक तारीख-वार बोकारो इस्पात संयंत्र के स्वामित्व वाले कितने विमानों की दुर्घटना हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक दुर्घटना के पीछे क्या कारण हैं और इसके फलस्वरूप कितना नुकसान हुआ है;

(ग) इस संबंध में कराई गई जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक बोकारो इस्पात संयंत्र का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैन बसादियों का जीर्णोद्धार

2993. श्री कोलूर बसवनगौड : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी जैन बसादियों का जीर्णोद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने जैन बसादियों को जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिले में मूडबिरदी में हजारों पिलर बसादियों का जीर्णोद्धार करने संबंधी परियोजनाओं को पहले ही शुरू किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है; और

(ङ) शेष धनराशि के कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) देश में सभी जैन बसादियों का जीर्णोद्धार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि भारत सरकार ने देश में केन्द्र द्वारा संरक्षित 59 जैन स्मारकों के संरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास के लिए तीर्थंकर महावीर जन्म कल्याण के 2600वें वर्ष के समारोह के भाग के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निधियां प्रदान की हैं। कर्नाटक में गौरू बसादी टेम्पल, मूडबिदरी सहित 63 असंरक्षित जैन स्मारकों में और उनके आप-पास विकास कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) को भी निधियां प्रदान की गई हैं और इस कार्य हेतु 29,78,900/- रु. का एक बारगी अनुदान आबंटित और जारी कर दिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और आविष्कार

2994. श्री सुशील कुमार इंदौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और आविष्कार संबंधी ढांचा विश्व का एक सबसे बड़ा ढांचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान इस सेवा में कितने वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता प्रशासक और अन्य व्यक्ति लगे हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उनके वेतन, भत्ते इत्यादि पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान अनुसंधान कार्य हेतु आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली जिसमें भा. कृ.अ.प. के संस्थान, राज्य तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली है। विभाग भ.कृ.अ.प. के संस्थानों (47), राष्ट्रीय ब्यूरो (5), राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों (29), परियोजना निदेशालयों (11) तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं (82) के जरिए किसानों को अग्रपंक्ति की प्रौद्योगिकी प्रदान करने के अलावा 72 प्रमुख अनुसंधान योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें खाद्य फसलों, व्यावसायिक फसलों, बागवानी फसलों, पशु विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध, कृषि अभियांत्रिकी, मात्स्यिकी, कृषि शिक्षा पर अनुसंधान भी शामिल है।

(ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

1.	वैज्ञानिक	4796
2.	तकनीकी पद	7759
3.	प्रशासनिक पद	5161
4.	सहायक स्टाफ	10719
5.	सहायक पद	122

(घ) उक्त अवधि के दौरान उनके वेतन, भत्तों आदि पर योजना के तहत खर्च की गई राशि 12.23 करोड़ रुपये थी तथा गैर योजना के तहत 380.21 करोड़ रुपये थी।

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान अनुसंधान कार्य के लिए आबंटित की गई 684 करोड़ रुपये की राशि आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रदान की गई है।

रोजगार के अवसर

2995. श्री शिवाजी माने :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु लक्ष्य को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) योजना आयोग के सदस्य डा. एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित विशेष समूह ने मई, 2002 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कार्यनीतियों एवं कार्यक्रमों की सिफारिश की है ताकि 10वीं योजनावधि के दौरान 50 मिलियन रोजगार अवसर सृजित किये जा सकें। इनमें से, लगभग 20 मिलियन श्रम सघन सेक्टरों के पक्ष में वृद्धि के परिवर्तित ढांचे की ओर ले जाने वाले चुनिंदा नए कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित किए जाएंगे तथा शेष 30 मिलियन अर्थव्यवस्था वृद्धि की सामान्य प्रक्रिया से सृजित होंगे।

[अनुवाद]

गुजरात में सूखे की स्थिति

2996. श्री मान सिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री सवशीभाई मकवाना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम वर्षा के कारण चालू वर्ष में गुजरात में विशेषकर कच्छ जिले में 90 प्रतिशत फसल और पशुधन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य में विशेषकर कच्छ जिले में वर्षा और सूखे से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.एफ.सी.आर) और आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता मांगी गई है और वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) गुजरात सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार कच्छ में 39.34% औसत वर्षा हुई और राज्य सरकार ने कच्छ के 793 गांवों सहित 13 जिलों के 2747 गांवों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। वर्तमान वर्ष के सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता हेतु राज्य सरकार से अब तक कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात को आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से निर्गत राशि का ब्यौरा निम्नवत है :-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता (सूखे के लिए)
1999-2000	121.05	54.58
2000-2001	131.14	85.00
2001-2002	117.01	27.00

[हिन्दी]

राजस्थान में जल संसाधनों की कमी

2997. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में बार-बार अकाल पड़ने के कारण जल संसाधनों की कमी के संकट पर काबू पाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंचित क्षेत्र में जल संकट पारंपरिक स्रोतों के सूखने, कुओं, तालाबों और जलाशयों के जल-स्तर में कमी होने और नहरों में जल की आपूर्ति नहीं होने से लगातार बढ़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों की कमी से

निपटने से संबंधित स्कीमों सहित जल संसाधन स्कीमों की तैयारी, आयोजना, निष्पादन और वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से जल का उपयोग करने संबंधी राज्य सरकार के प्रयासों और निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्रता से पूरा करके सिंचाई क्षमता के त्वरित सृजन करने के लिए उनकी सहायता करने के आशय से भारत सरकार ने केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराने के वास्ते वर्ष 1996-97 के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया है। तदनुसार, वर्ष 2001-02 के अंत तक ए.आई.बी.पी. के तहत राजस्थान सरकार को 466.17 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई गई है और वर्ष 2002-03 के दौरान अब तक 63.30 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन द्वारा वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने प्रायोगिक आधार पर "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की है। इसके अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में 174 स्कीमों का अनुमोदन किया है। इस स्कीम को 150.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से दसवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

दीर्घकालिक उपाय के रूप में, जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है इसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों/क्षेत्रों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करते हुए नदियों को परस्पर जोड़े जाने की योजना है। इस योजना के हिमालयी घटक के तहत, राजस्थान को सारदा-यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती संपर्क नहरों से सिंचाई, पेयजल आदि लाभ प्रदान किए जाने की योजना है।

भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड की विभिन्न अंतर्राज्यीय समझौतों और बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिशतता के आधार पर भाखड़ा और पौंग बांधों से राजस्थान को उसके हिस्से का जल प्राप्त हो रहा है। राजस्थान को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आपदा राहत निधि के तहत 171.16 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का पूरा हिस्सा जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के तहत राजस्थान को 11.66 करोड़ रुपये की सहायता भी मुहैया कराई गई है।

अमेरिका के लिए उड़ान

2998. श्री चिन्मयानंद स्वामी :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन अमेरिकी शहरों के लिए एअर इंडिया की उड़ानें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) एअर इंडिया इस समय अपने स्वयं के विमान से न्यूयार्क, न्यू जर्सी तथा शिकागो के लिए उड़ाने प्रचालित कर रही हैं। एअर इंडिया सिंगापुर एयरलाइन्स तथा मलेशिया एयरलाइन्स के साथ एक कोड शेयर प्रबंध के माध्यम से लांज ऐंजल्स के लिए भी विमान-सेवा प्रचालित करती है। इसके अतिरिक्त, यू.एस.ए. में सभी प्रमुख शहरों के लिए न्यूयार्क, न्यू जर्सी और शिकागो से अंतर्लाइन भागीदारो के साथ विमान सेवा संपर्क उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960

2999. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत नियम और विनियम ऐसी स्थितियों से निपटने में पर्याप्त हैं जिनसे पशुओं के प्रजनन, खरीद-बिक्री और वध होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु विचार किये जा रहे विधान और अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) उल्लेख की गई परिस्थितियों की तात्कालिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत वर्तमान नियम और विनियम पर्याप्त समझे गए हैं।

(ख) सतत आधार पर चल रही एक प्रवर्तन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के माध्यम से स्थिति में सुधार लाए जाने की अपेक्षा की गई है।

पर्यावरण संरक्षण में संलग्न स्वैच्छिक संगठन

3000. श्री पी.एस. गढ़वी :
कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की अनुज्ञान सहायता से कौन-कौन से स्वैच्छिक संगठनों पर्यावरण के संरक्षण में लगे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे संगठनों को प्रदान किये गए अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त सहायता से शुरू किये गये क्रिया-कलापों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके व्यय और कार्य की कोई निगरानी की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य में लगी निगरानी एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास, पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली, सेमिनारों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि जैसी अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्य करने के लिए अनेक स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देता है। ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों को देखने और उनकी निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा परामर्शदात्री और निगरानी समितियां गठित की गई हैं। इनके अलावा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पयार्वरणीय जागरूकता अभियान के कार्य की निगरानी के लिए 28 क्षेत्रीय संसाधन एजेंसियां भी गठित की गई हैं। (राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।)

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों (1999-2002) के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	एजेंसी का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	अनंतपुर	भारती एडुकेशन सोसाइटी	0.00	1.52	1.00
2.	अनंतपुर	सेन्टर फार रूरल इन्टीगरेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी	0.69	0.00	0.00
3.	अनंतपुर	चित्तरावती रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	3.14	1.12	4.00
4.	अनंतपुर	गाज लक्ष्मी रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.48	0.00	0.00
5.	अनंतपुर	इन्टीगरेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.60	6.77	1.00
6.	अनंतपुर	गोरनतला सोसल वेलफेयर एशोसिएशन	5.00	2.53	0.84
7.	अनंतपुर	ग्रामअभ्युदय सेवक संघ	0.38	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
8.	अनंतपुर	चैतन्य रूरल एजूकेशन एण्ड डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	4.33
9.	अनंतपुर	न्यू मित्र सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट	4.20	0.00	0.00
10.	अनंतपुर	पटेल यूथ क्लब	4.25	0.00	0.00
11.	अनंतपुर	रूपा एजूकेशनल सोसाइटी	4.25	0.00	0.00
12.	अनंतपुर	रूरल हेल्थ एजूकेशनल अवेयरनेस डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	1.01	0.00
13.	अनंतपुर	रूरल इन्टीगरेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	1.00	0.00
14.	अनंतपुर	संगमेशवरा एजूकेशनल सोसाइटी	0.25	0.00	0.00
15.	अनंतपुर	सरस्वती महिला मण्डली	2.20	2.00	0.00
16.	अनंतपुर	व्हाईट फील्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	2.90	1.30	0.00
17.	अनंतपुर	वूमन रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	4.25	3.12	1.00
18.	चित्तूर	बसावा तराकम एजूकेशन सोसाइटी	2.00	0.00	0.00
19.	चित्तूर	वेन्चर्स सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट	0.00	0.00	3.50
20.	चित्तूर	श्री साईं हेल्थ एजूकेशनल एण्ड सीड्स सप्लाई वेलफेयर एसोसिएशन	0.00	0.00	3.50
21.	चित्तूर	कावेरी रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
22.	चित्तूर	सेन्टर फार रूरल डेवलपमेंट	0.00	4.20	3.17
23.	चित्तूर	ग्राम ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन	0.00	4.20	4.17
24.	चित्तूर	ग्रीन फील्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	3.17
25.	चित्तूर	इन्टीगरेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	2.35	0.00	0.00
26.	चित्तूर	ज्योति रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
27.	चित्तूर	नवीन रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	3.17
28.	कुड्डप्पा	पीपुल सर्विस सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
29.	कुड्डप्पा	प्रजा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	2.09	2.11

1	2	3	4	5	6
30.	कुड्डप्पा	एस के एजूकेशनल सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
31.	कुड्डप्पा	दि सोशल सर्विस सोसाइटी	0.00	0.00	3.50
32.	पूर्वी गोदावरी	डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन फार पूअर चिल्ड्रेन एण्ड रूरल विलेजेज	0.00	0.00	4.00
33.	हैदराबाद	दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी	19.31	18.68	21.62
34.	हैदराबाद	श्री साईं एजूकेशनल सोसाइटी	0.00	0.00	4.00
35.	हमामकुण्डा	सर्वोदय यूथ आर्गनाइजेशन	0.00	0.00	0.32
36.	कुरनूल	चैतन्य एजूकेशनल सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
37.	कुरनूल	किसान डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
38.	कुरनूल	रूरल वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट सोसाइटी	3.00	1.60	0.00
39.	कुरनूल	अरुणोदय महिला मण्डली	0.00	0.00	4.00
40.	कुरनूल	रूरल इन्टीगरेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	3.50
43.	कुरनूल	करूशी डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	3.65
42.	कुरनूल	श्री वेंकटेश्वर महिला मण्डली	0.00	0.90	0.00
43.	कुरनूल	स्त्री चैतन्य वूमन वेलफेयर एसोसिएशन	3.00	0.00	1.15
44.	कुरनूल	हेल्थ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	3.50
45.	कुरनूल	प्रसाद एजूकेशनल सोसाइटी	0.00	0.00	3.50
46.	महबूबनगर	आदर्श रूरल एण्ड एजूकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
47.	महबूबनगर	किसान रूरल इन्टीगरेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
48.	महबूबनगर	नवोदय रूरल इन्टीगरेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
49.	महबूबनगर	सरिता समाज सेवा संगम	0.00	4.20	0.00
50.	महबूबनगर	श्री शिरडी रूरल एजूकेशनल एण्ड इन्टीगरेटेड वेलफेयर आर्गनाइजेशन	0.00	0.00	4.00
51.	मेडक	रूरल एजूकेशन एण्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	1.22

1	2	3	4	5	6
52.	नेल्लोर	यूथ सर्विस एसोसिएशन	0.00	4.20	3.17
53.	नेल्लोर	कस्तूरी भाई महिला मण्डली	0.00	0.00	4.00
54.	नेल्लोर	रूरल डेवलपमेंट सोशल सर्विस सोसाइटी	0.00	0.00	4.00
55.	प्रकाशम	ग्रीन लैण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	4.00
56.	रंगारेड्डी	रूरल हेल्थ एजूकेशनल अवेयरनेस डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	4.20
57.	वारंगल	सनराईज सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट	0.00	0.00	4.00
	अरुणाचल प्रदेश				
58.	पूर्वी सियांग	कुगली कुमांग वेलफेयर सोसाइटी	0.00	0.00	2.00
59.	पूर्वी सियांग	मोंगू पदम एम पी सी एस लिमिटेड	0.00	0.00	4.00
60	कुआंग कुमे	ग्रोअर एण्ड प्रोड्यूसर कोप. सोसाइटी लि.	0.00	0.00	3.00
61.	लोअर सुबानसिरी	लोअर सुबानसिरी हैण्डलूम कोप. सोसाइटी	0.00	4.25	0.00
62.	लोअर सुबानसिरी	शैल्य वेली एम पी सी एस लि.	0.00	2.95	1.30
63.	लोअर सुबानसिरी	पेयंग वेली एम पी सी एस लि.	0.00	0.00	4.00
64.	लोअर सुबानसिरी	हैण्डलूम एंड हैन्डीक्राफ्ट्स कोप. सोसाइटी	0.00	0.00	1.73
65.	पापम्पारा	ग्रामीण विकास केन्द्र	0.00	2.95	1.30
66.	पापम्पारा	हिमगिरी हैण्डलूम कम हैण्डीक्राफ्ट कोप. सोसाइटी लि.	0.00	2.95	1.30
67.	पापम्पारा	जीत एनी सोसाइटी	0.00	0.00	2.50
68.	पापम्पारा	किमीन कुध एम पी सी एस	0.00	0.00	1.73
69.	पापम्पारा	दि बट्ट एम पी सी एस लि.	4.25	0.00	3.22
70.	पापम्पारा	दि फार्मर्स एम पी सी एस लि.	4.25	0.00	0.00
71.	पापम्पारा	द पप्पु नाला एम पी सी एस लि.	0.00	4.25	0.00
72.	पापम्पारा	ओंकार मिशन	0.00	0.00	3.00
73.	त्वांग	यूथ एक्शन फार सोशल वेलफेयर	0.00	0.00	4.25

1	2	3	4	5	6
74.	पश्चिम सियांग	ट्राइबल डेवलपमेंट फाउन्डेशन	0.00	2.95	1.30
75.	पश्चिम सियांग	ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी	0.00	2.95	1.30
76.	पश्चिम कामांग	स्क्रीन वीवर्स कोप-सोसाइटी लि.	0.00	0.00	4.25
	असम				
77.	गुवाहाटी	असम साइन्स सोसाइटी	7.60	0.00	0.00
	बिहार				
78.	भोजपुर	जनसेवा यतीम केन्द्र	0.00	0.00	4.20
79.	बक्सर	नम्रता एजूकेशन ट्रस्ट	0.00	4.20	0.00
80.	देवघर	ग्रामीण विकास परिषद	3.50	3.69	0.00
81.	डाल्टनगंज	भारत विज्ञान परिषद	0.00	2.50	0.00
82.	पूर्वी सिंहभूम	आमलागोड़ा सेवा फाऊन्डेशन	1.00	0.00	0.00
83.	गुमला	विकास भारती	4.73	0.00	0.00
84.	हजारीबाग	जन जागरण केन्द्र	1.47	0.00	0.00
85.	हजारीबाग	धरती सोशल एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	0.00
86.	हजारीबाग	जे ओ एच ए आर	0.00	2.50	0.00
87	जमशेदपुर	ग्राम विकास केन्द्र	18.88	24.68	26.68
88.	खगड़िया	लक्ष्मी महिला विकास संस्थान	0.00	0.00	4.00
89.	मधुबनी	विनोबा भावे सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	4.20	0.00	0.00
90.	पलामू	सेन्ट्रल रूरल एण्ड अरबन डेवलपमेंट काउंसिल	3.00	0.00	0.00
91.	पलामू	ग्रामीण विकास समिति	1.38	0.00	0.00
92.	पलामू	मां दुर्गा विकास समिति	1.50	0.00	0.00
93.	पटना	आदर्श सेवा संस्थाम	1.24	0.00	0.00
94.	पटना	एग्रो-टेक कन्सलटेन्ट विश्व शिखा	2.00	2.20	0.00

1	2	3	4	5	6
95.	पटना	रूरल यूथ कोर्डिनेशन सेन्टर	10.12	12.47	13.87
96.	पटना	अम्बेडकर सोशल वेलफेयर एण्ड डेव्रलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	0.32
97.	रांची	सेन्टर फार इन्टरप्रीनरशिप डेवलपमेंट	0.84	0.00	0.00
98.	रांची	विश्व मानव सेवा संस्थान	0.00	2.50	0.00
99.	सारन	राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विद्यापीठ	0.00	0.35	0.00
100.	सीतामढ़ी	राजेन्द्र इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर	2.60	1.27	0.00
101.	सिवान	बिहार जन सहयोग एवं कल्याण प्रतिष्ठान	0.00	0.00	3.00
102.	सिवान	इन्टरनेशनल ह्यूमेन फाउन्डेशन	0.00	0.00	4.00
103.	पश्चिम चंपारन	लोक सेवा संस्थान	0.00	0.00	4.20
	दिल्ली				
104.	दिल्ली	इण्डियन एन्वायरमेंटल सोसाइटी	24.61	37.32	46.12
105.	नई दिल्ली	उत्थान सेंटर फार सैनीटेबल डेव. एण्ड पोवर्टी एलीवेशन	0.00	8.50	0.00
106.	नई दिल्ली	इण्डियन नेशनल साईंस एकेडमी	0.00	0.00	0.64
107.	नई दिल्ली	टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट	7.20	6.30	6.50
108.	नई दिल्ली	डेवलपमेंट अल्टरनेटिव	6.62	5.80	6.65
109.	नई दिल्ली	डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इण्डिया	4.70	0.00	8.85
110.	नई दिल्ली	सेन्टर फार मिडिया स्टडीज	0.00	3.15	3.45
111.	नई दिल्ली	सेन्टर फार मेडीसन स्टडीज	0.00	3.20	0.00
112.	नई दिल्ली	सोसाइटी फार सिविक राईट	0.00	0.00	0.40
113.	नई दिल्ली	वर्ल्ड एनवारमेंट फाउन्डेशन	0.00	0.00	0.32
114.	नई दिल्ली	मस्टर्ड रिसर्च प्रोमोशन कन्सोर्टियम	0.00	0.00	0.40
115.	नई दिल्ली	फेडेरेशन ऑफ इण्डियन मिनिरल	0.00	0.00	0.35
116.	नई दिल्ली	हिमालय एन्वायरमेंट ट्रस्ट	0.00	0.00	0.60
117.	नई दिल्ली	इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स	0.00	0.00	0.50

1	2	3	4	5	6
	गुजरात				
118.	अहमदाबाद	सेन्टर फार एनवायरमेंट एजूकेशन	4.50	1.85	3.19
119.	अहमदाबाद	विक्रम साराभाई सेन्टर फार डेवलपमेंट इन्टरएक्शन	7.25	7.95	9.33
120.	गांधी नगर	गुजरात इकोलोजिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च फाउन्डेशन	0.00	0.00	36.77
	हिमाचल प्रदेश				
121.	कुल्लू	हिम एडुकेशन सोसाइटी	5.30	0.00	0.00
122.	मंडी	जन जागरण ग्राम कल्याण समिति	0.00	2.50	0.00
123.	सोलन	मैना मेमोरियल सोसाइटी	4.25	0.00	0.00
	जम्मू-कश्मीर				
124.	बड़गाम	दि कंवल एम्ब्राइडरी वर्कर्स इन्डस्ट्रीयल कोप-सोसाइटी लिमिटेड	0.00	4.55	3.22
125.	बड़गाम	दि कश्मीर गिफ्ट एम्ब्राइडरी वर्कर्स इन्डस्ट्रीयल कोप-सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	4.00
126.	बड़गाम	वूमन एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर सोसाइटी	0.00	0.00	4.00
127.	जम्मू	वर्ल्ड वाइड फण्ड फार नेचर	6.25	4.96	3.82
128.	पुंछ	पीर पंचाल एनवायरमेंट एण्ड इको-डेवलपमेंट सोसाइटी			4.25
129.	श्रीनगर	द कश्मीर आर्ट्स एम्ब्राइडरी वर्कर्स इन्डस्ट्रीयल कोप-सोसाइटी लिमिटेड	3.11	0.00	0.00
	झारखण्ड				
130.	दुमका	अखिल भारतीय आदिम जनजाति उत्थान समिति	0.00	2.50	0.00
	कर्नाटक				
131.	बंगलौर	कार्टमेन, बंगलौर	6.14	3.11	0.00
132.	बंगलौर	कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद	5.24	6.02	0.00
133.	बेलगांव	किट्टूर चन्नम्मा महिला मण्डली	0.00	0.00	4.20

1	2	3	4	5	6
134.	बेल्लारी	न्यू मित्र रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
135.	चित्रदुर्ग	श्री साईं कृपा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
136.	चित्रदुर्ग	श्रावन्ती एसोसिएशन फार रूरल डेवलपमेंट	0.00	0.00	4.00
137.	चित्रदुर्ग	पीपल्स डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
138.	गौरीबिदानुर	एक्शन फार सोसल एण्ड एजूकेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन	0.00	1.43	0.00
139.	कोलार	साऊथ इण्डिया रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	4.20	0.00	3.17
140.	कोलार	रूरल एजूकेशनल एण्ड डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	4.20
141.	कोलार	वसावी सौशल सर्विस सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
142.	कोलार	जेमिनी रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
143.	कोलार	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	4.20	0.00	0.00
144.	कोलार	सर्वोदय महिला मण्डली	0.00	4.20	0.00
145.	कोलार	सोशल रूरल एण्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन	0.00	2.00	0.00
146.	कोलार	सोसाइटी फार हेल्थ एण्ड एजूकेशनल डेवलपमेंट	0.00	4.20	0.00
147.	कोलार	पिपल्स रूरल इन्टीगरेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	3.17
148.	कोलार	कमल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	3.50
149.	टुमकुर	जयमंगली रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
150.	टुमकुर	एम.के. एजूकेशन ट्रस्ट	0.00	4.20	0.00
151.	टुमकुर	अरुणोदय रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	1.13	0.00	0.00
152.	टुमकुर	रूरल सोशल सर्विस सोसाइटी	0.00	4.20	0.00
153.	टुमकुर	सोसायटी फार ट्राइबल एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट	4.20	0.00	3.17
154.	टुमकुर	त्रिवेणी एजूकेशन्स रूरल डेवलेपमेंट सोसाइटी	4.20	0.00	3.17
155.	टुमकुर	मदर टैरेसा रूरल डेवलपमेंट एण्ड एँजूकेशन सोसाइटी	0.00	0.00	4.00
156.	टुमकुर	सोसाइटी फार इंटीग्रेटीड रूरल डेवलपमेंट	0.00	0.00	1.68

1	2	3	4	5	6
	केरल				
157.	कालीकट	ओ आई एस इ ए इन्टरनेशनल	0.00	0.00	0.12
158.	कोचीन	सोसाइटी फार फिस्सीस टेक्नोलॉजी	0.00	0.00	0.40
159.	पालघाट	कौपूड डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	3.50
160	कोट्टायम	कोट्टायम रूरल एण्ड एजुकेशन इंवायरमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	4.20
161.	पट्टनमटिट्टा	पट्टनमटिट्टा यूथ प्रेसोसिएशन	0.00	0.00	4.20
162.	मालापुरम्	सोसाइटी फार हैल्थ एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट	0.00	0.00	4.20
163.	अल्लेप्पी	सोसाइटी फार पिपल डेवलपमेंट	0.00	0.00	4.20
	मध्य प्रदेश				
164.	बैतुल	दयानन्द सेवाश्रम संघ	0.00	4.25	0.00
165.	बिलासपुर	प्रसाद सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं ग्राम विकास समिति	0.38	0.00	0.00
166.	छिंदवाड़ा	द इंवायरमेंटल सर्विस ग्रुप	0.00	4.20	0.00
167.	मुरैना	अखिल भारतीय सेवा संस्थान	0.00	0.00	4.00
	मणिपुर				
168.	बिशनुपुर	द इंवायरमेंटल सोशल रिफारमेशन एण्ड संघाई प्रोटेक्शन फोरम	4.25	0.00	0.00
169	चुरचादपुर	द गिर्लोग सहरीकल्चर कम हार्टीकल्चर फारमिंग कोआपरेटिव सोसाइटी	0.00	4.25	0.00
170.	चंदेल	द इंवायरमेंटल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.25	0.00
171.	चंदेल	हिल एरिया कॉम्परिहेंसिव डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.25	3.22
172.	चंदेल	यंगखेल चिंग खुथा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज	0.00	4.25	0.00
173.	चंदेल	नंगपुरा विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	4.00
174.	इम्फाल	द रूरल एरिया डेवलपमेंट सेंटर	3.72	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
175.	इम्फाल	ऑल मणिपुर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर	0.00	1.84	0.00
176.	इम्फाल	कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी	4.10	3.10	0.00
177.	इम्फाल	हैल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर पावरटी एडवांसमेंट एण्ड रूरल डेवलपमेंट	0.00	4.00	0.00
178.	इम्फाल	मणिपुर शड्यूलकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन	0.00	1.00	1.15
179.	इम्फाल	सोशल एनवायरमेंट एण्ड रूरल विलेज एजूकेशन सर्विस	3.50	3.13	1.00
180.	इम्फाल ईस्ट	ऑर्गेनाइजेशन फार रूरल डेवलपमेंट एण्ड इकनोमिक कानशियसनेस	4.25	0.00	0.00
181.	सेनापति	होदू अकाऊ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	0.00	3.00
182.	सेनापति	सोशल एक्शन फार ट्राइबल एण्ड बैकवर्ड क्लासिस	0.00	0.00	1.72
182.	सेनापति	चिल चिल एशियन मिशन	0.00	4.25	3.22
184.	सेनापति	इंटिग्रेटिड ट्राइबल वैलफेयर एसोसिएशन	0.00	4.25	2.28
185.	सेनापति	द एन हेकन यूथ क्लब	0.00	6.32	0.00
186.	सेनापति	द ट्राइबल हैण्डलूम को-आपरेटिव वीवरस सोसायटी लि.	0.00	4.25	0.00
187.	सेनापति	ट्राइबल रूरल इकोलोजिकल एण्ड कल्चरल अपलिफमेंट कम वूमन डेवलपमेंट ऐसोसिएशन	0.00	4.25	0.00
188.	सेनापति	यूनाइटेड हिल पिपलस डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.25	0.00
189.	सेनापति	ओनूरी मिशन सोसाइटी	0.00	0.00	4.25
190.	सेनापति	द समरिटन मिशन सोसाइटी	0.00	0.00	4.00
191.	तैमांगलौंग	ओरिएंटल रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	0.00	4.25	0.00
192.	उखरूल	इको डेवलपमेंट सोसाइटी	4.25	0.00	0.00
193.	उखरूल	रूरल मल्टीपरपज डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	4.25	0.00
194.	उखरूल	एजेंसी फार रूरल एरिया डेवलपमेंट	0.00	0.00	4.00
195.	उखरूल	फारेस्ट रिप्लेनिशिंग सोसाइटी	0.00	0.00	4.00

1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र				
196.	कराद	माइक्रो बायोलोजिस्ट सोसाइटी	0.00	0.00	0.12
197.	मुम्बई	बोम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी	4.70	4.84	4.98
198.	मुम्बई	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च	0.00	0.00	0.48
199.	पुणे	भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउण्डेशन	12.13	16.24	2.49
	मिजोरम				
200.	ऐजवाल	सिर्न्स फ्रैण्डस सोसाइटी	0.00	0.00	1.73
	नागालैंड				
201.	दीमापुर	बैकवर्ड क्लासिस डेवलपमेंट सोसाइटी लिमि.	4.25	1.60	1.62
202.	दीमापुर	एलिलांग एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	1.34	0.00
203.	दीमापुर	अनार सोसाइटी	1.80	2.40	0.00
204.	दीमापुर	चाई एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	2.95	1.30
205.	दीमापुर	ग्रेजियर्स एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	1.34	0.00
206.	दीमापुर	इमलीमोक एम.पी.सी.एस. लिमि.	1.80	2.45	3.22
207.	दीमापुर	जेमतोसु एम.पी.सी.एस. लिमि.	4.25	0.00	3.22
208.	दीमापुर	एकुम एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	3.50
209.	दीमापुर	मोआरेन एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	3.00
210	दीमापुर	खोक-खा एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	1.34	0.00
211.	दीमापुर	कोटालियो फारेस्ट्री एण्ड प्लानटेशन को-आपरेटिव सोसाइटी लि.	1.00	3.25	0.00
212.	दीमापुर	योंगपांग एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25
213.	दीमापुर	नॉवल्टी एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	2.95	1.30
214.	दीमापुर	ओजूकम एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	4.25	0.00
215.	दीमापुर	तमेजा वुमन वेलफेयर सोसाइटी	0.00	1.95	2.30

1	2	3	4	5	6
216.	दीमापुर	यंग नागा वुमन सोसाइटी	4.20	0.00	2.27
217.	दीमापुर	अनैचर एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	3.50
218.	कोहिमा	कुशीखा एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	1.00	0.00
219.	कोहिमा	इकनोमिक रूरल एरिया डेवलपमेंट सर्विस	0.00	0.00	4.25
220.	कोहिमा	यूरा वूमन वेलफेयर सोसाइटी	0.00	0.00	4.25
221.	कोहिमा	कवीची केमेहाई जाई	0.00	2.95	3.80
222.	कोहिमा	लिरिक एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	2.95	1.30
223.	कोहिमा	मेशादी एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.65	0.69	0.00
224.	कोहिमा	नर्दीग फारमिंग को-आपरेटिव सोसाइटी	0.00	1.90	2.35
225.	कोहिमा	जोगलोंग एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	2.95	1.30
226.	कोहिमा	वूमन को-आपरेटिव सोसाइटी	0.00	2.95	4.52
227.	कोहिमा	विमाई एम.पी.सी.एस. लिमि.	1.00	3.25	0.00
228.	कोहिमा	रूरल वूमन डेवलपमेंट ट्रस्ट	1.00	3.25	0.00
229.	कोहिमा	रंगकाऊ एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	1.90	2.35
230.	कोहिमा	रूजाई खोऊजाऊ एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25
231.	कोहिमा	रेत्सी एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	2.95	1.30
232.	कोहिमा	रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट	0.00	2.95	1.30
233.	कोहिमा	नूरहेवी सोसाइटी	0.00	0.00	2.50
234.	कोहिमा	पेंटी एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25
235.	कोहिमा	येरजाऊ एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	2.50
236.	कोहिमा	झुमोहा एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	3.50
237.	मुकोकचुंग	खूबलार एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	1.34	0.00
238.	मुकोकचुंग	रूडीफुलारे एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25

1	2	3	4	5	6
239.	मुकोकचुंग	सुर्मगलेनडेन एम.पी.सी.एस. लिमि.	3.25	0.00	0.00
240.	मुकोकचुंग	संगटोपांगनेंन एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	1.34	0.00
241.	मुकोकचुंग	लोपोंगलु एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25
242.	मोन	ग्रेस माउंट वुमन सोसाइटी	1.80	2.40	3.27
243.	मोन	तुमसुंम एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	2.50
244.	फेक	जूरी एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	1.34
245.	फेक	संगते एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	1.34
246.	फेक	रेगुरी विलेज एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25
247.	फेक	निक एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25
248.	फेक	फेक टाउन बापटिस्ट चर्च वुमन वेलफेयर एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	2.50
249.	टुएनसंग	चेमकुंग एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	2.95	1.30
250.	टुएनसंग	सेमदोक एंटरप्राइजेज एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25
251.	टुएनसंग	न्यूयांग एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	2.95	1.30
252.	टुएनसंग	ईस्टन कल्चरल आर्गेनाईजेशन	0.00	0.00	2.50
253.	वोखा	खमुंगी वेलफेयर क्लब	0.00	1.04	0.00
254.	वोखा	शाइनिंग एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25
255.	वोखा	एथेल एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25
256.	वोखा	वामहो विलेज वुमन सोसाइटी	0.00	0.00	2.50
257.	जुनहेबातो	नमुनी एम.पी.सी.एस. लिमि.	0.00	0.00	4.25
	उड़ीसा				
258.	भुवनेश्वर	गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नीकल एडवांसमैंट	4.50	1.25	0.00
259.	भुवनेश्वर	सोसाइटी आफ जियो-साइंटिस्ट एण्ड एलाइड टेक्नोलॉजिस्ट	0.00	0.00	0.40
260	भुवनेश्वर	सेंटर फार इंवायरमैंटल स्टडीज	0.00	0.00	44.12

1	2	3	4	5	6
261.	ढेंकनाल	मां भगवती महिला समिति	0.00	0.00	4.20
262.	कालाहांडी	न्यू आपरच्यूनिटीज फार विमन	0.00	0.00	4.20
263.	पुरी	ग्राम उन्नयन समिति	1.00	0.00	0.00
264.	पुरी	जीवरामजी क्लब	0.00	0.00	2.50
265.	संबलपुर	जीवन ज्योति रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन	0.00	0.00	3.00
	राजस्थान				
266.	जयपुर	ग्राम भारती समिति	0.00	2.50	0.00
267.	जयपुर	सोशल पोलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.60
268.	जोधपुर	द स्कूल आफ डेजर्ट साइंसिस	3.36	6.05	0.00
269.	पुष्कर	कंसोंटियम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट फार सस्टेनेबल सोसाइटी	0.00	0.00	3.00
270.	राजासामद	रूरल डेवलपमेंट एण्ड टेक्नीकल एजूकेशन सोसाइटी	0.00	0.00	4.00
271.	उदयपुर	सेवा मंदिर	77.23	13.30	10.33
	सिक्किम				
272.	वेस्ट सिक्किम (जियालसिंग)	लामपट्टे सोसाइटी	0.00	0.00	3.00
	तमिलनाडु				
273.	चेन्नई	मद्रास साइंस फाउंडेशन	1.04	0.77	0.00
274.	चेन्नई	सी.पी. रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन	15.93	22.16	22.54
275.	दिंदीगुल अन्ना	सेंटर फार पीस एण्ड रूरल डेवलपमेंट	0.00	2.50	0.00
276.	दिंदीगुल अन्ना	ग्राम रिकंसट्रेक्शन एण्ड एक्सटेंसिव एक्शन ट्रस्ट	0.00	0.75	0.00
277.	दिंदीगुल	सेंटर फार रूरल एक्शन डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च	0.00	2.50	0.00
278.	दिंदीगुल	यूथ सेंटर फार रिहेबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेंट	0.90	0.00	0.00
279.	करूर	रूरल स्टीवर्ड इन इंडिया	0.00	2.50	0.00

1	2	3	4	5	6
280.	मद्रास	कमेटी एक्शन फार फूड एण्ड रूरल डिव.	0.84	0.00	0.00
281.	मदुराई	कम्युनिटी डिव. सेंटर	0.64	0.00	0.00
282.	मद्रास	सेंट जोसफ एजूकेशन ट्रस्ट	0.12	0.00	0.00
283.	तिरुनवेल्ली	ऑल राऊंड डिव. सर्विस एण्ड अपलिफटमेंट	0.00	0.00	3.00
284.	तिरुनवेल्ली	सेंटर फार रूरल इकनामिक डिव. एण्ड इंस्ट्रीयल ट्रेनिंग	0.00	0.00	3.35
285.	तिरुनवेल्ली	आर.वी.एस. एजूकेशनल ट्रस्ट	0.00	0.00	3.50
286.	वी.वी.ए.	फारेस्ट प्रोटेक्शन एवेयरनेश एण्ड रूरल डिव. ऐसो.	0:00	0.00	2.15
	त्रिपुरा				
287.	साउथ त्रिपुरा	दिशाहारी	0.00	0.00	3.00
	उत्तरांचल				
288.	अल्मोड़ा	पर्यावरण एवं जनजागरण समिति	0.00	0.00	3.50
289.	अल्मोड़ा	सहयोगी ग्रामोद्योग विकास समिति	0.00	0.00	4.25
290.	देहरादून	उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद	0.00	0.00	11.71
291.	देहरादून	सेंटर फार रिसर्च एण्ड इकोलॉजी एण्ड एंवायरमेंट एपलीकेशन एण्ड ट्रेनिंग एण्ड एजूकेशन	0.00	0.00	0.12
292.	रुद्रप्रयाग	पदमावती जन कल्याण समिति	0.00	0.00	3.50
	उत्तर प्रदेश				
293.	आगरा	गीतम ग्रामोद्योग एवं विकास संस्थान	0.00	4.20	0.00
294.	आगरा	किसान वृक्षारोपण समिति	8.00	8.93	3.00
295.	आगरा	सुन्दर सिंह बघेल लोक कल्याण समिति	4.20	0.00	0.00
296.	इलाहाबाद	जयकरण बिंद ग्राम विकास संस्थान	0.00	0.00	1.00
297.	अल्मोड़ा	कुमाऊ एडवेंचर एण्ड एंवायरमेंट फेलोसिप सोसाइटी	2.98	1.50	0.38
298.	अल्मोड़ा	महिला ग्रामोद्योग जन चेतना संस्थान	4.19	3.00	0.00

1	2	3	4	5	6
299.	अल्मोड़ा	पिपल्स इंस्टीट्यूट फार रूरल एक्शन	0.00	4.25	0.00
300.	अल्मोड़ा	महादेव ग्राम एवं पर्यावरण विकास समिति	0.00	0.00	1.32
301.	देहरादून	द हिमालया ट्रस्ट	0.00	0.50	0.00
302.	फिरोजाबाद	ग्रामीण विकास समिति	1.09	0.00	0.00
303.	फिरोजाबाद	संजीवनी समाज सेवा समिति	0.00	0.00	4.00
304.	कानपुर	इको फ्रैण्डस	0.00	1.00	0.00
305.	मैनपुरी	श्री नारायण ग्राम विकास परिषद	0.00	4.20	0.00
306.	मुज्जफरपुर	नेचर कंजरवेशन	0.00	0.00	0.40
307.	नैनीताल	सेंट्रल हिमालयन रूरल एक्शन ग्रुप	0.00	1.48	0.00
308.	पौड़ी गढ़वाल	जन चेतना महिला संस्थान	2.00	0.00	0.00
309.	सिद्धार्थ नगर	शोहरतगढ़ इंवायरमेंट सोसाइटी	11.24	3.50	21.47
310.	सुल्तानपुर	समाज कल्याण सेवा समिति	0.78	0.00	0.00
311.	उन्नाव	चौहान ग्राम विकास सेवा समिति	0.00	0.00	3.00
	पश्चिम बंगाल				
312.	बांकुरा	गाना उन्नयन परिषद प्रताप बागान	2.92	0.00	0.00
313.	बांकुरा	सोनामुखी आदीवासी उन्नयन समिति	2.50	0.00	0.00
314.	बीरभूम	धरानीराय मेमोरियल सेल्फ एंपलाइमेंट स्कूल	0.00	1.00	0.00
315.	कलकत्ता	लिबरल ऐसोसिएशन फार मूवमेंट आफ पीपल	1.50	1.43	0.00
316.	कलकत्ता	स्कूल आफ फंडामेंटल रिसर्च	13.17	14.11	13.91
317.	कलकत्ता	इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन	0.00	0.00	0.20
318.	मिदनापुर	इंटीग्रेटीड रूरल वेलफेयर इंस्टीट्यूट	2.29	1.50	3.00
319.	मिदनापुर	चिंगूदानिया विवेकानन्द समाज सेवा संघ	0.00	0.00	1.59
320.	मिदनापुर	समाज सेवा संघ	0.00	2.60	0.00

1	2	3	4	5	6
321.	मिदनापुर	बरोनी सहसन ग्राम	0.00	0.00	0.03
322.	मिदनापुर	मिदनापुर विद्यानगर रूरल वेलफेयर एसोसिएशन	0.00	0.00	0.15
323.	पुरुलिया	पुरुलिया पाली सेवा संघ	0.00	0.45	0.00
324.	24 परगना	एस.डी. मेरीन बायोलोजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	2.24	2.78	0.00
325.	24 परगना	दक्षिण लक्ष्मी नारायणपुर युवा संघ	0.00	0.00	1.25

विवरण-II

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों के व्यय और कार्य की निगरानी के लिए जिम्मेवार राज्यवार क्षेत्रीय संसाधन एजेंसियां

क्र.सं.	क्षेत्रीय संसाधन एजेंसी	अधिकार क्षेत्र
1	2	3
1.	निदेशक, सी.पी. रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन, सं. 1-ए, एलडमस रोड, चेन्नई 600018	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह
2.	निदेशक, विक्रम साराभाई सेंटर फार डिवेलपमेंट इन्ट्रेक्शन, नेहरू फाउंडेशन फार डिवलपमेंट थलतेज टीकरा, वस्त्रपुर रोड, अहमदाबाद-380054	गुजरात, दमन और दीव
3.	अध्यक्ष, भारतीय पर्यावरण सोसायटी करुणा सदन, सेक्टर-11-बी, चण्डीगढ़-160011	हरियाणा, चण्डीगढ़
4.	अध्यक्ष, सेवा मंदिर पुरानी फतेहपुरी, उदयपुर-313001	राजस्थान
5.	निदेशक (पर्यावरण) पंजाब स्टेट काउंसिल फार साइंस एंड टेक्नालाजी, एम जी एस आई पी ए काम्पलैक्स सैक्रड हार्ट स्कूल के पास, सैक्टर 26, चण्डीगढ़	पंजाब
6.	अध्यक्ष, इंडियन एनवायरमेंटल सोसायटी, यू-112 विधाता हाउस, शक्करपुर, विकास मार्ग, नई दिल्ली	दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश
7.	सचिव, शोहरतगढ़, एन्वायरमेंटल सोसायटी, 9 आदर्श कालोनी, शोहरतगढ़, सिद्धार्थ नगर जिला 272205 (उ.प्र.)	पूर्वी उत्तर प्रदेश
8.	आनरेरी सचिव, उत्तराखंड सैवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, जाखन देवी माल रोड, अल्मोड़ा 263601 (उ.प्र.)	उत्तरांचल
9.	निदेशक, डक्कन डिवेलपमेंट सोसायटी, ए-6 मीरा अपार्टमैंट, बशेशर बाग, हैदराबाद 500029 (आ.प्र.)	आंध्र प्रदेश

1	2	3
10.	निदेशक आयोजक, स्कूल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 29 प्रतापादित्य रोड कलकत्ता-700026	पश्चिम बंगाल
11.	सचिव, ग्राम विकास केन्द्र के-3/57, हंस सतोहर रोड, टेल्को टाउन, जमशेदपुर-831004	झारखण्ड और उत्तरी बिहार को छोड़कर बिहार के सभी जिले
12.	सचिव, रूरल यूथ कोआर्डिनेशन सेंटर उजाला कैम्पस, बहुरिया कोठी, चन्द्रिका सिंह पथ, कटरा, पो.ऑ. छपरा, जिला छपरा-841301	उत्तरी बिहार के सभी जिले
13.	सचिव, राज्य वन एवं पर्यावरण विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर-751001	उड़ीसा
14.	अध्यक्ष, स्टेट कमेटी ऑन साइंस टैक्नालॉजी एण्ड एन्वायरमेंट, शास्र्था भवन, पोटम, तिरुवनंतपुरम-695	केरल, लक्षद्वीप और मिनी कार्य द्वीप समूह
15.	मैनेजिंग ट्रस्टी और अध्यक्ष, भारतीय एग्रो-इण्डस्ट्रीज फाउंडेशन, बी ए आई एफ भवन, डा० मनीभाई देसाई नगर, नेशनल हाईवे नं. 4 वर्जे पुणे 411029	गोवा, दादर और नगर हवेली, महाराष्ट्र
16.	कार्यकार निदेशक, पर्यावरण योजना एवं समन्वय संगठन "कचनार" पर्यावरण परिसर ई 5 अरेश कालोनी, भोपाल 462016	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
17.	जनरल सेक्रेटरी, असम साईंस सोसायटी लेम्ब रोड, लतासिल, गुवाहाटी-781001	असम
18.	निदेशक, वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर-इंडिया जम्मू-कश्मीर स्टेट ऑफिस, पर्यावरण विज्ञान विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (तवी)-180004	जम्मू-कश्मीर का जम्मू क्षेत्र
19.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विंग, पर्यावरण एवं वन विभाग, मणिपुर सरकार, पोरमपाट, डी.सी. कार्यालय के निकट, इम्फाल ईस्ट-795001	मणिपुर
20.	सचिव, राज्य पर्यावरण विभाग, नागालैंड सरकार, कोहिमा, नागालैंड-797001	नागालैंड
21.	सदस्य सचिव, त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केर चुहमोहानी, अगरतला-799001	त्रिपुरा
22.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग, वन विस्तार डिवीजन, मिजोरम सरकार, आइजवाल-796001	मिजोरम
23.	सचिव, पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार गंगटोक-737103	सिक्किम
24.	सचिव, राज्य पर्यावरण विभाग, मेघालय सरकार शिलांग-793001	मेघालय
25.	सचिव, राज्य पर्यावरण विभाग, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार, इटानगर-791111	अरुणाचल प्रदेश
26	सदस्य सचिव, स्टेट काउंसिल फार साइंस, टैक्नालाजी एण्ड एन्वायरमेंट, एचपी-34, एस डी ए कॉम्पलैक्स, कासुम्पटी, शिमला-171001	हिमाचल प्रदेश

1	2	3
27.	कार्यकारी सचिव, कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैम्पस, बंगलौर-560012	कर्नाटक
28.	निदेशक, पर्यावरण एवं रिमोट सैंसिंग विभाग, जम्मू	जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के कश्मीर और लद्दाख

वन विकास परियोजना

3001. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी समेकित वानिकी विकास परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में कतिपय राज्यों को कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद सरकार को उनके संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत वन विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव/अनुरोध/योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उन पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) दसवीं योजना अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) देश में विदेशी सहायता से क्रियान्वित की जा रही समेकित वानिकी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ही शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्राप्त व स्वीकृत हुए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ज) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के लिए अनुमोदित परिव्यय 1025.00 करोड़ रुपए है। राज्य-वार निधियों का कोई आबंटन नहीं किया गया है।

विवरण-I

विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं की सूची

परियोजना का नाम	निधिकरण एजेंसी	परियोजना की अवधि	परियोजना की लागत
1	2	3	4
तमिलनाडु वनीकरण	जे बी आई सी, जापान	1996-02	499.20

1	2	3	4
पूर्वी कर्नाटक	जे बी आई सी, जापान	1996-02	565.54
उत्तर प्रदेश वानिकी (उत्तरांचल सहित)	विश्व बैंक	1997-02	272.00
पंजाब वनीकरण	जे बी आई सी, जापान	1997-05	442.00
केरल वानिकी	विश्व बैंक	1998-02	183.00
आन्ध्र प्रदेश समुदाय	विश्व बैंक		653.00
पारि-विकास	विश्व बैंक		294.93
भारत-जर्मन पारि-विकास चेन्जर हिमाचल प्रदेश चरण-II	जी टी जेड, जर्मनी	2002-06	30.00

विवरण-II

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

क्र. सं.	वन मंडल का नाम	2002-2003 के दौरान जारी की गई धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3
	हरियाणा	
1.	गुड़गांव	268.09
2.	कैथल	144.66
3.	सिरसा	118.17
4.	मोरनी	84.98
5.	यमुनानगर	81.66
6.	महेन्द्रगढ़	88.14
7.	झज्जर	86.34
	राजस्थान	
1.	जयपुर	80.00
2.	प्रतापगढ़	99.72
3.	डूंगरपुर	46.51
4.	झालावार	65.00
	उत्तर प्रदेश	
1.	फिरोजाबाद	37.46
2.	हरदोई	120.95
3.	मिर्जापुर	73.68
4.	झांसी	114.87
5.	चित्रकूट	46.78
6.	गोंडा	76.70
7.	महोबा	63.84
8.	गोरखपुर	28.67
9.	हमीरपुर	95.80

1	2	3
10.	फतेहपुर	61.50
11.	श्रावस्ती	92.72
12.	शाहजहांपुर	95.20
13.	उत्तर खेरी	100.03
14.	सीतापुर	113.81
15.	ललितपुर	94.88
16.	रायबरेली	62.00
17.	बदायुं	28.67
18.	अवध	137.08
	महाराष्ट्र	
1.	नांदेड	50.02
	कर्नाटक	
1.	होनावर	48.00
2.	कोप्पा	45.00
3.	हासन	42.00
4.	धरवाड़	40.00
5.	चित्रदुर्ग	23.00
6.	गुलबर्ग	42.00
7.	शिमोगा	60.00
8.	कारवार	59.00
9.	दावनगेरे	67.14
10.	हलियाल	69.65
11.	येल्लापुर	72.50
12.	बंगलौर (ग्रामीण)	84.00
13.	कोलार	67.00
14.	मंगलौर	69.00
15.	मैसूर	67.00
16.	बागलकोटे	24.00
17.	बेलगाम	60.50
18.	रायचूर	41.00
19.	भद्रावती	67.00
	हिमाचल प्रदेश	
1.	चम्बा	60.17
	झारखंड	
1.	धनबाद	39.68
	पंजाब	
1.	मुक्तसर	25.00
	उत्तरांचल	
1.	चम्पावत	80.53
2.	नैनीताल	107.50
3.	लैंसडाऊन	23.28
	मध्य प्रदेश	
1.	होशंगाबाद	71.12
2.	उत्तर सिवनी	55.00
3.	दक्षिण सिवनी	116.00
4.	मंडला	83.00

1	2	3
5.	सतना	86.29
6.	उत्तर बेतूल	56.68
7.	बरवानी	101.30
8.	झबुआ	87.31
9.	दक्षिण पन्ना	102.00
10.	दमोह	97.31
11.	खरगौन	41.00
12.	रायसेन	97.85
13.	शिवपुरी	68.00
14.	दक्षिण बेतूल	41.00
15.	सागर	46.00
	मिजोरम	
1.	कोलासिब	147.31
2.	चम्पाई	39.00
3.	ममित	65.00
4.	लई ए	40.00
5.	चकमा ऐ सी	24.00
6.	ऐजवाल	55.00
7.	डरलॉन	45.05
8.	कर्व्याह	50.85
9.	थेनजवाल	59.17
10.	मारा ए डी सी	26.00
11.	एन वी एनलिलफी	68.27

1	2	3
12.	लुंगलेई	73.60
13.	टूलाबंग	46.30
	तमिलनाडु	
1.	मदुरै	194.86
2.	नागापटनम	45.00
3.	कृष्णागिरि	70.00
4.	श्रीविल्पथी	33.90
5.	थेनी	95.93
6.	डिंडीगुल	19.98
7.	अटूर	37.21
8.	कोइम्बटूर	48.82
9.	वैलोर	59.00
	नागालैंड	
1.	मोकोकचुंग	230.48
2.	जेबोटो	33.56
3.	पेरेन	82.00
4.	टेयूनसंगा	14.10
5.	कोहिमा	66.00
6.	मोन	57.00
7.	फेक	50.00
	त्रिपुरा	
1.	उदयपुर	47.00
2.	कैलाशहर	47.00

1	2	3
	अरुणाचल प्रदेश	
1.	हपोली	46.00
2.	खोंसा	68.45
3.	अलोंग	80.50
4.	शेरगांव	45.00
	आंध्र प्रदेश	
1.	कुरनूल	103.00
2.	अनन्तपुर	96.00
3.	नलगोंडा	89.00
4.	गुंटूर	58.00
5.	गुडललूर	103.00
6.	रंगारेड्डी	70.50
7.	एलुरू	82.00
8.	कृष्णा	51.00
	सिक्किम	
1.	वेस्ट डिवीजन	91.61
2.	नार्थ डिवीजन	104.66
3.	नार्थ ईस्ट वाइल्डलाइफ डिवीजन	86.70
4.	ईस्ट डिवीजन	93.34
5.	साऊथ डिवीजन	101.60
	जम्मू व कश्मीर	
1.	केहमिल	60.00
2.	कामराज	66.07

1	2	3
3.	बांदीपुरा	92.08
4.	लिद्दर	68.00
5.	बडगांव	51.97
	उड़ीसा	
1.	धेनकनाल	63.71
2.	केउनजार	81.86
3.	नयागढ़	71.24
4.	रायागढ़	106.62
5.	बारीपाड़ा	76.21
6.	अंगुल	68.06
7.	बमारा	33.12
8.	बालीगुडा	61.11
9.	करनजिया	52.73
10.	कालाहांडी	41.27
11.	धुमसुर साऊथ	25.30
12.	अथामल्लिक	63.27
13.	अथागढ़	62.94
14.	बौध	79.80
	गुजरात	
1.	बनसकन्था	75.00
2.	साबरकन्था	58.52
	पश्चिम बंगाल	
1.	बंकुरा नोर्थ	59.63
2.	मिदनापुर	36.71

खाद्य पार्क

3002. **श्री टी०एम० सेल्वागणपति :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान कुल कितने खाद्य पार्कों को मंजूरी दी गई है;

(ख) इस समय देश में राज्य-वार और स्थान-वार कुल कितने खाद्य पार्क कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार खाद्य पार्कों की पूरा होने की अवधि कम करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) 9वीं योजना अवधि के दौरान कुल 27 खाद्य पार्कों को मंजूरी दी गई थी।. अधिकांश परियोजनाओं को 9वीं योजना के अंतिम 2 वर्षों में मंजूरी दी गई थी और खाद्य पार्कों के 3 मामले, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), मदुरै (तमिलनाडु) और मलप्पुरम (केरल) में अधिकांश सिविल कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी खाद्य पार्क की स्थापना नहीं करता। मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के तहत खाद्य पार्कों में विशेष सामान्य सुविधाओं के सृजन के वास्ते सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र/गैर सरकारी संगठनों/सहाकारिताओं को केवल सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। परिपक्वता की अवधि अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना से संबंधित प्रबंधकीय, वित्तीय और निपुणता से जुड़े मुद्दों पर निर्भर करती है। अपने स्तर पर मंत्रालय ने समय-समय पर खाद्य पार्क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है।

[हिन्दी]

महिलाओं हेतु रोजगार योजना

3003. **श्री रामशकल :** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं की अधिकतम सीमा तक रोजगार प्रदान करने हेतु अनन्य रूप से महिलाओं के लिए बनी कोई योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बीच और स्वत: रोजगार के सृजन के लिए समाज के कमजोर वर्गों के साथ-साथ महिला उद्यमियों को आयु में छूट दी जाती है तथा उन्हें प्राथमिकता भी दी जाती है। तीन वर्षों से विवाहित महिला आवेदकों को योजना के अंतर्गत उनके रेजिडेंसी मानदण्ड के लिए भी छूट दी जाती है।

केवल महिला कॅयर कामगारों को ही रोजगार प्रदान करने के लिए, कॅयर बोर्ड एक योजना "महिला कॅयर योजना" कार्यान्वित कर रहा है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कारीगरों को उपकरण पर स्पिनिंग कॅयर यार्न में प्रशिक्षण दिए जाने के बाद मोटराइजड रैटस/मोटराइजड पारम्परिक रैटिस प्रदान किए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत महिला कॅयर कामगारों को मोटराइजड रैटस के लिए अधिकतम 7,500/-रुपये तक तथा मोटराइजड पारम्परिक रैटस के लिए 2625/-रुपये तक की शर्त के साथ 75 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत उपकरण पर स्पिनिंग कॅयर यार्न में प्रशिक्षण एन०जी०ओज, सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॅयर सहकारी विपणन संघों तथा स्थानीय निकायों आदि के माध्यम से दिया जाता है।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) योजना के अंतर्गत के०वी०आई०सी० अन्य व्यक्तियों को कुल परियोजना लागत का 25% अनुदान देता है, जबकि महिलाओं को 30 प्रतिशत अनुदान देता है। योजना के अन्तर्गत महिलाओं को स्वयं के अंशदान के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान करना होता है, जबकि अन्य व्यक्तियों के लिए यह 10 प्रतिशत होता है।

बोकारो इस्पात संयंत्र

3004. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र को लगभग 900 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था लेकिन उक्त संयंत्र के प्रबंधन ने तथ्यों को छिपाते हुए मात्र 3000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त संयंत्र को हुए वास्तविक घाटे का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अप्रैल, 2002 के दौरान इस्पात उद्योग के उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण उक्त संयंत्र के उत्पाद में 5000 रुपये से 6000 रुपये तक की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं। वर्ष 2001-02 के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र (बी०एस०एल०) को 459 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बी०एस०एल० के उत्पादों के मूल्य में श्रेणी पर निर्भर करते हुए और बेहतर बाजार परिस्थितियों के चलते 700 रुपए से 2500 रुपए प्रति टन की वृद्धि हुई है। मूल्य में हुई इस वृद्धि से संयंत्र की हानि में कमी होने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

दुर्घटनाओं हेतु आपदा कार्रवाई दल

3005. **श्री बी० वेंकटेस्वरलु :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्घटनाओं की शीघ्र जांच करने और मुआवजे के भुगतान के समय विधिक जटिलताओं से बचने के लिए पीड़ितों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपदा कार्रवाई दल का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कार्रवाई दल का गठन कब तक कर लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं। विमान दुर्घटनाओं की जांच एयरक्राफ्ट नियम 1937 के संगत उपबंधों के तहत की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरण की स्थापना

3006. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :**
प्रो० दुखा भगत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना के मुख्य बाधा न्यायाधिकरण की अध्यक्षता हेतु उचित पदधारक की अनुपलब्धता रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी अध्यक्षता हेतु उचित पदधारक का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) न्यायाधिकरण की अध्यक्षता के लिए उपयुक्त पदधारी का उपलब्ध न होना राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण के गठन में मुख्य बाधा रही है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम मे निर्धारित प्रावधानों की पूर्ति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर विचार किया है।

विदेशी क्षेत्र में घरेलू विमान कंपनियां

3007. **श्रीमती प्रभा राव :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया-इंडियन एयरलाइंस को इंग्लैंड, अमरीका, कनाडा और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में संचालन की अनुमति देने और दिसम्बर, 2002 से फरवरी, 2003 तक उनके द्विपक्षीय समझौतों से आगे जाकर उनकी क्षमता और बारम्बरता को बढ़ाने को निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में संचालित होने वाली उड़ानों में वृद्धि करने का भी है ताकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियो से प्रतिस्पर्द्धा की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान उड़ानों के स्थान पर कितनी उड़ानें बढ़ाने जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) यद्यपि भारत सरकार ने एयर इंडिया के साथ किए गए वाणिज्यिक करार के अनुसार अन्य देशों की नामजद एयरलाइंस को दिसम्बर, 2002 से मार्च, 2003 तक की अवधि के लिए द्विपक्षीय करार से बाहर अतिरिक्त उड़ान प्रचालित करने की अनुमति दी है। किसी भी विदेशी सरकार ने ऐसी परस्प सुविधा भारतीय वाहकों को नहीं दी है। वर्तमान में यू०के०, कनाडा, दक्षणि-पूर्व एशिया सैक्टर पर भारत को प्राप्त द्विपक्षीय यातायात अधिकारों का भारतीय वाहक पूरी तरह उपयोग करने में समर्थ नहीं है। तथापि उन्होंने न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट, पेरिस तथा बैंकाक के लिए अतिरिक्त/नई उड़ानें या तो आरंभ की है या आरंभ करने की योजना बना रहे हैं।

केरल में विरासती भवन

3008. श्री रमेश चेन्नितला : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में स्थित लेकिन केरल सरकार के नियंत्रणाधीन पदमनाभपुरम नामक प्राचीन महल एक केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक है;

(ख) यदि हां, तो इस प्राचीन महल के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उठाए गए कदम राष्ट्रीय मानक के अनुसार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तमिलनाडु ने कन्याकुमारी जिला में स्थित पद्मनाभपुरम् पैलेस का संरक्षण तथा रखरखाव केरल राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां।

जल मिशन

3009. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने सूखे की समस्या के स्थायी समाधान और साल भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक जल मिशन का उल्लेख किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) भारत ने माननीय राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस, 2002 की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के लिए गए अपने संबोधन में जल मिशन का उल्लेख किया था, जो पूरे वर्ष भर खेतों, गांवों, नगरों और उद्योगों को जल उपलब्ध करायेगी, यहां तक कि पर्यावरणीय शुद्धता का रखरखाव भी होगा। राष्ट्रपति ने उल्लेख किया था कि इस जल मिशन का एक मुख्य भाग हमारी नदी का नेटवर्क होगा।

(ख) और (ग) दक्षिण की अनेक प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ कर एकीकृत जल संसाधन विकास के लिए जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) ने वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी। इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल का संभव हस्तांतरण करने के वास्ते इस समय जल की अधिकता वाले बेसिनों का आकलन करना है। इसके लिए प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के वास्ते भारत सरकार ने वर्ष 1982 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की। इस सोसाइटी के प्रमुख केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री/राज्यों के सिंचाई मंत्री भी इसके सदस्य हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में की गई प्रगति की समीक्षा करने और आगे की कार्रवाई का निर्णय करने के लिए इस सोसाइटी की नियमित रूप से बैठक होती है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत 30 संपर्कों की पहचान की है और 6 संपर्कों की व्यावहारिकता रिपोर्ट पूरी की है। जल हस्तांतरण संपर्कों का क्रियान्वयन केवल तभी संभव हो पायेगा जब संबंधित सह बेसिन राज्य जल संपर्क प्रस्ताव पर सहमत हों और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अन्य यथोचित सहायता और निधि उपलब्ध हो। अधिशेष जल की उपलब्धता और बंटवारे के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय पर पहुंचने तथा विभिन्न संपर्क स्कीमों के संबंध में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारी तथा संबंधित राज्यों के अधिकारी, सदस्यों के रूप में शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा

3010. श्री जे०एस० बराड़ : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में चुनाव संपन्न होने और सुरक्षा बलों की वापसी के बाद घरेलू/विदेशी पर्यटकों के आगमन में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शीतकालीन खेलों के लिए, किसी पैकेज का प्रस्ताव किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर से नवम्बर, 2001 तथा 2002 की अवधि के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पर्यटक आगमन निम्न प्रकार हैं :-

स्थान	पर्यटक आगमन					
	सितम्बर-नवम्बर 2001			सितम्बर-नवम्बर 2002		
	स्वदेशी	विदेशी	कुल	स्वदेशी	विदेशी	कुल
कश्मीर घाटी	2690	978	3668	5809	813	6622
वैष्णो देवी जी	1103340	—	1103340	1189649	—	1189649
लद्दाख	943	1926	2869	568	866	1434

(ग) जी, हां।

(घ) जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने गुलमर्ग के लिए एक विशेष स्कीइंग पैकेज की पेशकश की है, जिसमें इकोनमी श्रेणी में दिल्ली से श्रीनगर तक का वापिसी वायु किराया, चुनिन्दा होटलों/हाउस वोटों में 5 रातों 6 दिनों का स्टे, ट्रांसफर एवं सैर सपाटा सम्मिलित है।

कर्मचारी भविष्य निधि हेतु केन्द्रीकृत सूचना ग्रिड

3011. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि ने अपने सदस्यों के लाभार्थ केन्द्रीयकृत सूचना ग्रिड का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा नम्बर दिए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को एक विशेष्ट सामाजिक सुरक्षा संख्या आबंटित करने हेतु कार्रवाई कर रहा है। सामाजिक सुरखा संख्या कर्मकार के विशिष्ट लक्षणों पर आधारित होगी और उसमें उसका बायोमैट्रिक विवरण होगा। प्रत्येक सदस्य की सामाजिक सुरक्षा संख्या विशिष्ट और स्थायी होगी। नियोक्ता पर निर्भर रहे बिना इससे पहचान, दावों के निपटान आदि में सुविधा होगी। सामाजिक सुरक्षा संख्या में 14 अंक रखे जाएंगे जिसके आधार पर डेटाबेस में सदस्यों के पूर्ण ब्यौरा जैसे नाम, आयु, पैतृक, ब्यौरे, फोटो और उंगलियों के निशान रखे जा सकेंगे।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय पादप जीन संसाधन संधि

3012. **श्री पुन्नू लाल मोहले :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाद ग्रस्त पादप जीन संसाधनों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय संधि/समझौते पर हस्ताक्षर करना भारतीय कृषि और खाद्य संगठन के लिए लाभदायक होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अन्तरराष्ट्रीय संधि का अनुसमर्थन एवं उस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण एवं सतत् उपयोग में तथा कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के सतत् विकास हेतु उनके उपयोग से मिलने वाले लाभों के उचित एवं समान भागीदारी में सहायक होगी।

मत्स्यन क्षेत्र और कृषि विपणन योजना में राजसहायता

3013. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत मत्स्यन क्षेत्र और कृषि विपणन योजना में राजसहायता हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता/ऋण देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) पिछले चार वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्थात् 1 अप्रैल, 1998 से आज तक इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उनके मंत्रालय/राज्य सरकारों विशेषकर राजस्थान सरकार/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं के योजनावार नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) मात्स्यिकी क्षेत्र में राजसहायता के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और कार्यक्रम तथा राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए मानदंडों के सहित कृषि विपणन योजना विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए जो मानदंड हैं उनमें व्यवहार्य प्रस्ताव, उपयोगिता प्रमाण पत्र, पूर्व जारी की गई राशियों की प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करना शामिल है।

(ग) विगत 4 वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता की राज्यवार और वर्षवार कुल राशि का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) ये योजनाएं और कार्यक्रम राजस्थान और संघ शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों के लिए हैं। तथापि, राजस्थान सरकार ने इस अवधि के दौरान ताजा जल जलकृषि का विकास और राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के लिए योजना को क्रियान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है।

विवरण-I

कार्यान्वित कार्यक्रमों तथा मात्ति की क्षेत्र तथा कृषि विपणन में राजसहायता के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा

(क) मात्स्यिकी क्षेत्र : मास्यिकी क्षेत्र के विकास तथा मछुआरों के कल्याण के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजना के पास राजसहायता घटक हैं।

(1) **तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास :** (क) इन बोर्ड/आउट बोर्ड मोटर की खरीद तथा गीयर की खरीद के लिए सहायता देकर पारंपरिक नौकाओं के मोटरीकरण (ख) 20 मीटर से कम लंबाई वाले यांत्रीकृत मत्स्यन यानों को आपूर्तित एच०एस०डी० तेल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(2) **ताजा जल जलकृषि का विकास :** इस योजना के तहत मछुआरों को तालाबों के नवीकरण/पुनरूद्धार, आदानों की लागत, नये तालाबों के निर्माण, आहार मिलों की स्थापना आदि के लिए प्रति हैक्टेयर क्रमशः 12,000/- रुपए, 6000/- रुपए, 4000/- रुपए तथा प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(3) **एकीकृत तटवर्ती जलकृषि :** इसमें प्रथम वर्ष के लिए खारा जल मछली फार्म के नवीकरण/निर्माण, आदानों की लागत की पूंजीगत लागत के लिए कुल लागत की 25 प्रतिशत की दर से प्रति हैक्टेयर 30,000/- रुपए की अधिकतम सीमा के साथ तथा 2-5 मिलियन क्षमता की प्रॉन हैचरी की स्थापना के लिए प्रति हैचरी 1.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ लागत के 10 प्रतिशत की दर से राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(4) **मछुआरों के कल्याण की योजना :** भवन निर्माण के लिए प्रति एकक 20,000/- रुपए की दर से, समुद्री मछुआरों के लिए बचत सह राहत के मद में 300 रुपए प्रति वर्ष तथा अंतर्देशीय मछुआरों के मामले में 225 रुपए और सक्रिय मछुआरों की सामूहिक दुर्घटना बीमा के लिए प्रति लाभार्थी 7 रुपए की दर से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) कृषि विपणन : प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय तथा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अनुसंधान अध्ययन तथा सर्वेक्षण करवाकर तथा विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित करके तथा विपणन में कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर देश में कृषि विपणन प्रणाली का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

विवरण-II

मत्स्यन क्षेत्र तथा कृषि विपणन के लिए विगत चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत केन्द्रीय सहायता की राज्यवार निर्मुक्ति

लाख रुपए में

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1998-99	99-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15.00	100.00	39.40	20.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	8.00	25.00	35.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	6.60
4.	बिहार	0.00	80.11	0.00	47.54
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	35.00	21.48
6.	हरियाणा	20.00	38.06	0.00	61.55
7.	हिमाचल प्रदेश	15.00	5.00	22.73	9.81
8.	गोवा	23.41	24.09	44.22	17.95
9.	गुजरात	539.87	594.04	552.22	403.39
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	26.25	0.00	38.75
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	82.97
12.	कर्नाटक	253.87	356.55	158.76	399.85
13.	केरल	390.60	431.90	573.92	128.40
14.	मध्य प्रदेश	200.00	192.64	87.00	18.45
15.	महाराष्ट्र	414.36	296.86	579.67	182.12
16.	मणिपुर	14.85	0.00	43.47	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	45.00
18.	मिजोरम	10.00	10.00	30.00	35.00
19.	नागालैंड	60.00	39.16	134.39	184.58
20.	उड़ीसा	28.96	123.55	93.75	125.43
21.	पंजाब	34.00	0.00	50.00	0.00

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	0.00	0.00	1.50	53.36
23.	सिक्किम	0.00	3.50	5.86	3.64
24.	तमिलनाडु	525.79	857.47	856.60	951.79
25.	त्रिपुरा	16.05	41.57	56.12	81.28
26.	उत्तर प्रदेश	135.00	403.34	483.50	441.77
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	27.07	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	258.81	327.13	559.19	586.64
	संघ शासित प्रदेश				
1.	अंडमान एवं निकोबार	0.90	23.39	17.91	15.69
2.	दमन एवं दीव	7.50	31.75	14.80	62.25
3.	लक्षद्वीप	0.50	1.05	1.75	2.50
4.	पांडिचेरी	36.00	159.19	214.32	112.99
	जोड़ :	2999.87	4174.60	4708.15	4175.78

टिप्पणी : यह केवल मात्स्यिकी क्षेत्र में राजसहायता से संबंधित है।

[अनुवाद]

नारियल रेशा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना

3014. श्री पी०सी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल उत्पादकों के सामने उनके उत्पादों के कम मूल्य, रूग्ण नारियल फल और उसके पेड़ तथा अन्य वित्तीय कठिनाइयों के कारण गम्भीर समस्यायें आ रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई की है;

(ग) क्या केरल सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा किसी अन्य एजेन्सी द्वारा केरल में एक नारियल रेशा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) नारियल में विभिन्न नाशीजीवों तथा रोगों के फैलने के कारण देश के नारियल कृषकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक नारियल उत्पादों की कीमत का संबंध है, पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें गिरावट आई है। परन्तु वर्ष 2002 के दौरान नारियल उत्पादों की कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है।

(ख) रोग/नाशीजीव प्रभावित नारियल के बागों के प्रबन्ध के लिए किसानों की सहायता हेतु नारियल विकास मंडल कई विकास योजनाएं लागू कर रहा है। रोग तथा नाशीजीव नियन्त्रण के लिए उपयुक्त रणनीतियां विकसित करने हेतु अनुसंधान संस्थानों को नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केरल में नारियल रेशा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

संविधान की संघ सूची में नदी विषय को शामिल किया जाना

3015. श्री राम सिंह कस्वां :
श्रीमती जसकौर मीणा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नदी जल बंटवारे की समस्या को हल करने की दृष्टि से नदियों से संबंधित विषय को संविधान की संघ सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार के पास इस समय संविधान में जल संबंधी किसी प्रावधान को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

घरेलू इस्पात के विकास को बढ़ावा

3016. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात का उत्पादन और उसकी मांग कितनी थी;

(ख) क्या देश में इस्पात का उत्पादन इसकी मांग की पूर्ति हेतु काफी है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया;

(घ) क्या देश में इस्पात की मांग और पूर्ति के बीच भारी अंतर रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस्पात उद्योग में मंदी आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या घरेलू इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए "बाई अमेरिकन एक्ट" की तरह से "बाई इंडिया एक्ट" नामक कानून बनाए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस प्रस्तावित अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात का उत्पादन और मांग निम्नानुसार है :—

(मात्रा: दस लाख टन)

वर्ष	उत्पादन	मांग
1999-2000	28.46	24.59
2000-2001	30.32	26.63
2001-2002	31.62	28.92

(ख) और (ग) उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि देश में मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन पर्याप्त है। तथापि, उच्च ग्रेड के इस्पात जिसका देश में उत्पादन नहीं किया जाता, की कुछ मात्रा का आयात किया जा रहा है। अन्य आयात मुख्य रूप से मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए आयातित स्क्रैप सहित आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(हजार टन)

1999-2000	2000-01	2001-02
3486	36136	3689

(घ) और (ङ) जी, हां। विद्यमान क्षमता की तुलना में कम मांग, इस्पात के गिरते मूल्य, उच्च उत्पादन लागत, कई आयातक देशों द्वारा शुरू किए गए संरक्षण उपायों के कारण भारतीय इस्पात के लिए महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों के बंद होने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी तथा अंतर्राष्ट्रीय इस्पात बाजार में मंदी के रुख के कारण देश में इस्पात की मांग और पूर्ति के बीच थोड़ा सा अंतर है।

(च) और (छ) "बाई अमेरिकन एक्ट" के अनुरूप सरकारी खरीद में स्वदेशी इस्पात उत्पादकों को तरजीह देकर स्वदेशी इस्पात उद्योग की वृद्धि की विकास को प्रोत्साहित करने के लिए "बाई इंडियन एक्ट" कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

एयर इंडिया द्वारा अव्यवहार्य उड़ानों को रद्द करना

3017. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने सभी अव्यवहार्य उड़ानों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) इस समय, एयर इंडिया की प्रचालनरत अपने किन्हीं मार्ग से विमान सेवा हटाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानन किराये में कमी

3018. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए सिल्चर और गुवाहाटी के बीच इंडियन एयलाइंस के किराये को कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संशोधित किराये को कब तक लागू किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) इंडियन एयरलाइंस का, सिल्चर एवं गुवाहाटी के मध्य हवाई यात्रा किराया कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र पर प्रतिबंध

3019. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि पर से प्रतिबंध हटा लिया है और किसानों और व्यापारियों को निर्यात सुविधा प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसानों को कृषि उत्पादों पर भूमण्डलीय ताप, बदलते मानसून, बढ़ते तापमान और हवाओं की अनिश्चितता के प्रभाव के संबंध में सीधी सूचना प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियमित आधार पर ऐसी सूचनाएं प्रदान करने हेतु एक अलग-कृषि चैनल आरम्भ करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक आरम्भ किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार ने मार्च, 2002 से गेहूं एवं गेहूं उत्पादों, अनाजों तथा जौ, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार (खरीफ की फसल के रूप में उगाई गई संकर ज्वार को छोड़कर) का आटा, मक्खन तथा सभी प्रकार की दालें, मसूर, चना तथा इनसे बने आटे के निर्यात के लिए फार्म क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है। गैर-बासमती चावल तथा 5 कि०ग्रा० के पैकेज में दालों के निर्यात के लिए भी पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, खस को काजू, 5 कि०ग्रा० तथा इससे अधिक के पैक में मूंगफली के तेल और काजू, पटसन एवं प्याज को छोड़कर कृषि बीजों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को भी 31.03.2002 से हटा लिया गया है। मक्खन और गेहूं एवं गेहूं उत्पादों पर पंजीकरण की आवश्यकता को भी 31.03.2002 से समाप्त कर दिया गया है।

(ग) से (च) कृषि तथा कृषि उत्पादों पर भूमण्डलीय ताप, बदलते मानसून, बढ़ते तापमान और हवाओं की अनिश्चितता सहित सम्बद्ध विषयों पर किसानों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग कृषि चैनल शुरू करने का अभी कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। कृषि मंत्रालय ने कृषि एवं सहकारिता विभाग में सूचीबद्ध निजी फिल्म प्रक्रियाओं के माध्यम से कृषि संबंधी विषयों पर बहुत सी वीडियो फिल्में तैयार की हैं। इन फिल्मों को दूरदर्शन के माध्यम से कृषि दर्शन एवं अन्य प्रायोजित कृषि कार्यक्रमों में दिखाया जा रहा है।

[अनुवाद]

चारे की आवश्यकता की पूर्ति हेतु खाद्यान्नों की आपूर्ति

3020. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को चारे की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव उपयोग के अनुपयुक्त खाद्यान्नों की निशुल्क आपूर्ति करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को विशेषकर कर्नाटक को ऐसे खाद्यान्न की राज्यवार कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। सरकार ने निर्णय लिया है कि वह सूखे से प्रभावित राज्यों को मुफ्त गोपशु आहार के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध आहार श्रेणी युक्त क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की आपूर्ति करेगी।

(ख) राजस्थान सरकार को अभी तक 30,000 मी० टन आहार श्रेणी के खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं। क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की आहार श्रेणी के लिए कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

ड्रिप सिंचाई

3021. श्री जी०जे० जावीया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ड्रिप सिंचाई योजना को बढ़ावा दे रही है और इस प्रयोजनार्थ अधिकतम राजसहायता भी दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान विशेषकर गुजरात को इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि की राजसहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि में वृहत् प्रबंधन – कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों में अनुपूरण/सम्पूरण नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत सरकार ड्रिप सिंचाई सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अधीन राज्य सरकारों को अनुभूत जरूरतों एवं आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम शुरू करने का लचीलापन प्राप्त है। वर्ष 2002-03 के दौरान ड्रिप सिंचाई हेतु किसानों को प्रणाली की लागत का 25% की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) वृहत् प्रबंधन स्कीम के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान आबंटित एवं निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान स्कीम के अधीन 32.00 करोड़ रुपये के निर्धारित परिव्यय में से गुजरात सरकार को 16.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान वृहत प्रबंधन स्कीम के तहत परिव्यय एवं निर्मुक्ति का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष 2002-03 के दौरान परिव्यय एवं निर्मुक्ति (लाख रुपये में)	
		परिव्यय	नवम्बर, 2002 तक निर्मुक्ति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3800.00	1900.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	440.00	220.00
3.	असम	700.00	350.00
4.	बिहार	2500.00	1250.00
5.	झारखण्ड	1200.00	600.00
6.	गोआ	200.00	100.00
7.	गुजरात	3200.00	1600.00
8.	हरियाणा	1600.00	800.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	800.00
10.	जम्मू और कश्मीर	1600.00	800.00
11.	कर्नाटक	5800.00	2900.00
12.	केरल	3000.00	1500.00
13.	मध्य प्रदेश	4500.00	4350.00
14.	छत्तीसगढ़	1400.00	700.00
15.	महाराष्ट्र	8200.00	4100.00
16.	मणिपुर	600.00	300.00
17.	मेघालय	600.00	300.00
18.	मिजोरम	800.00	400.00
19.	नागालैण्ड	1000.00	500.00
20.	उड़ीसा	2500.00	1250.00
21.	पंजाब	1700.00	850.00
22.	राजस्थान	6700.00	3350.00
23.	तमिलनाडु	4200.00	2100.00
24.	त्रिपुरा	800.00	400.00
25.	उत्तर प्रदेश	6885.00	3442.00
26.	उत्तरांचल	1400.00	700.00
27.	पश्चिम बंगाल	2400.00	1200.00
28.	सिक्किम	500.00	250.00
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	200.00	100.00
30.	चंडीगढ़	100.00	0.00
31.	दादरा और नागर हवेली	200.00	100.00
32.	दमन और दीव	100.00	0.00
33.	दिल्ली	160.00	80.00
34.	लक्षद्वीप	200.00	100.00
35.	पांडिचेरी	200.00	100.00
	कुल	70985.00	37492.00

कुतुब परिसर में प्रदीपन न किया जाना

3022. श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 सितम्बर, 2002 के "दि स्टेट्समैन" में "कुतुब मिनार इन द डार्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के क्या तथ्य हैं;

(ग) इस स्मारक में बिजली की आपूर्ति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्मारक के रखरखाव पर कितना वार्षिक व्यय किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) जी, हां। कुतुब मीनार पर प्रकाश व्यवस्था दिल्ली पर्यटन तथा यातायात विकास निगम द्वारा शुरू की गई है। परिप्रदीप्ति व्यवस्था को चालू करने के लिए तथा प्रकाश व्यवस्था के निधियन के लिए प्रायोजक की पहचान करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क किया है।

(घ) कुतुबमीनार के रखरखाव पर, पिछले तीन वर्षों में, किया गया व्यय इस प्रकार है :—

1999-2000	22.71 लाख रुपए
2000-2001	07.98 लाख रुपए
2001-2002	19.87 लाख रुपए

सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा हेतु समिति

3023. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने गत वर्ष के दौरान चालू सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु विभिन्न राज्यों का कितनी बार दौरा किया है;

(ख) इन परियोजनाओं की प्रगति पर समिति की टिप्पणियां क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा गठित किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने पिछले एक वर्ष के दौरान राज्यों का दौरा नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय प्रायोजित पर्यटन योजनाएं

3024. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्यटन योजनाएं विभिन्न राज्यों में लागू करने के विभिन्न चरणों में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक निष्पादित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की हैं :—

(i) पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास (केन्द्रीय क्षेत्र)

(ii) उत्पाद/अवसंरचना एवं गन्तव्य विकास (केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना)

(iii) अधिक राजस्व सर्जक परियोजनाएं (केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना)

(iv) सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (केन्द्रीय क्षेत्र)

दसवीं योजना के दौरान वार्षिक रूप से 6 एकीकृत परिपथ परियोजनाएं ली जाएंगी। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में गतव्य विकास परियोजना भी कार्यान्वयन के लिए ली जाएगी।

ईंधन की उच्च लागत के कारण किराये में वृद्धि

3025. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन ईंधन की कीमत में वृद्धि और उच्च अन्य बिक्री कर के परिणामस्वरूप घरेलू विमान सेवाएं यात्री किराये बढ़ाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किराये में कितने प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है; और

(ग) यह वृद्धि कब से प्रभावी होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) घरेलू सेक्टरों के किराये नियंत्रित नहीं हैं। सभी एयरलाइंस प्रचालक, अपनी लागत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बाजार परिदृश्य के अनुसार कितना भी किराया लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

इंडियन एयरलाइंस ने 10 नवम्बर 2002 से पूरे घरेलू सेक्टरों के किराये 10% तक बढ़ाए हैं। जेट एयरवेज तथा सहारा एयरलाइंस ने भी नवम्बर 2002 में अपने किराये लगभग 10% तक बढ़ा दिए हैं।

सिलाई का काम करने वालों हेतु कल्याण बोर्ड

3026. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलरिंग वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेताओं से सिलाई का काम करने वालों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कल्याण बोर्ड गठित करने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) "टेलरिंग कर्मकारों हेतु राष्ट्रीय स्तर का कल्याण बोर्ड" गठित करने का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक में हम्पी का विकास

3027. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से हम्पी (कर्नाटक) हेतु अल्पावधि पर्यटन विकास योजना को मंजूरी देने और विशेष पर्यटन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 16.96 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अंश स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक अपने हिस्से की निधियां जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) उत्पाद/अवसंरचना एवं गन्तव्य विकास योजना के अन्तर्गत, जैसा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया है, वर्ष 2002-2003 के दौरान कर्नाटक में गन्तव्य विकास परियोजना के रूप में हम्पी को अभिनिर्धारित किया गया है। उपरोक्त परियोजना का मास्टर प्लान तैयार करने के कार्य में आवास एवं शहरी विकास निगम को लगा दिया गया है। कर्नाटक सरकार के परामर्श से इस परियोजना की योजना बनाई जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन

3028. श्री के० येरननायडू : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से भूमिहीन तथा सहकारी समितियों को कर्मचारी भविष्य निधि कोष में प्रेषण से छूट देने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के एक बड़े भाग के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने हेतु पेंशन लाभों अथवा एक या अधिक योजनाओं के लाभ का दायरा बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

ओलावृष्टि के कारण धान की फसल को क्षति

3029. श्री सुबोध राय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओलावृष्टि की वजह से धान की फसल की क्षति के कारण बिहार, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रभावित राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या भूख तथा अकाल के कारण होने वाली मृत्यु की जानकारी सरकार के ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्याज का बेहतर मूल्य

3030. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को उत्पादन की लागत के आधार पर प्याज का बेहतर मूल्य मुहैया कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सूची में प्याज को शामिल कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में प्याज उत्पादन का प्रतिशत क्या है और देश में कितने भू-क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्याज का कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ है;

(छ) सरकार द्वारा प्याज के अतिरिक्त उत्पादन हेतु लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ज) सरकार द्वारा प्याज के अतिरिक्त उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(झ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ञ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया; और

(ट) इस पर कुल कितना व्यय हुआ और उससे कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) प्याज के मूल्य, मांग और आपूर्ति सम्बन्धी मण्डी की शक्तियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, अधिकता की स्थिति में किसानों के हितों की रक्षार्थ, सरकार मण्डी हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित करती है जिसके अंतर्गत प्रचलित मण्डी मूल्यों तथा उत्पादन की लागत को ध्यान में रखकर तय किए गए मूल्य पर निर्धारित मात्रा की खरीद की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 29.6.1999 के आदेश संख्या 15-3/99-इ०सी०ए०आर० एवं इ० के अनुसार प्याज को एक अनिवार्य जिंस के रूप में शामिल किया है।

(ङ) वर्ष 2000-01 में 4.49 लाख हैक्टेयर क्षेत्र से 47.21 लाख टन प्याज का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में यह 3.5 प्रतिशत की कमी का द्योतक है।

(च) जबकि अतिरिक्त उत्पादन सम्बन्धी कोई अनुमान नहीं रखे जाते, सरकार ने घरेलू आपूर्ति को प्रभावित किए बिना प्याज का निर्यात किया है।

(छ) प्याज उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मण्डी हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित की है जिसके तहत राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोधों पर और इसके 50 प्रतिशत नुकसान, यदि कोई है, को वहन करने की इच्छा शक्ति पर, इस जिंस को योजना के तहत कवर किया जा सकता है।

(ज) और (झ) वाणिज्य विभाग में स्थापित प्याज की मौसमी उपलब्धता सम्बन्धी एक अन्तः मंत्रालयी समीक्षा समिति (आई०एम० आर०सी०), उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी नियमित रूप से निर्यात हेतु प्याज की उपलब्धता की समीक्षा करती है। वर्ष 2002-2003 के लिए पदनामित अभिकरणों के जरिए 9.00 लाख टन प्याज का निर्यात कोटा निर्धारित किया गया है।

(ञ) और (ट) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्याज के निर्यात की मात्रा तथा इसकी कीमत नीचे दर्शायी गई है:—

मात्रा : लाख टन में
कीमत : लाख रुपये में

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा	कीमत
1999-2000	3.18	26704
2000-2001	3.30	32362
2001-2002	5.07	41140

चावल का उत्पादन

3031. डा० जयसवंत सिंह यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या प्रभावी उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में चावल का उत्पादन बढ़ा है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल के उत्पादन में वर्ष-वार/राज्य-वार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में चावल का उत्पादन और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए सरकार चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०-चावल) कार्यान्वित कर रही है। अक्तूबर, 2000 से, यह योजना वृहत प्रबन्ध योजना के तहत समाहित कर ली गई है जिससे राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं तथा कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर उनके समक्ष आ रही विशेष समस्याओं पर ध्यान देने में लचीलापन मिलता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई क्षेत्रीय रूप से भिन्न इस कार्यनीति को दसवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जाएगा। नई पहल के रूप में, वर्ष 2001-02 तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मार्च, 2002 में ''पूर्वी भारत में फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फार्म पर जल प्रबन्ध'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इनके अलावा, सरकार ने नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने तथा इनके संवर्धन पर बल देने, कृषि ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने के उपायों, मण्डी आसूचना तन्त्र, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि जैसी विभिन्न अन्य पहलें शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार मूल्य नीति के जरिए उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वयन, सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा खरीद आदि शामिल हैं।

विवरण

*नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल के उत्पादन के राज्य-वार वर्षवार अनुमान**

(हजार टन में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	8510.0	11878.0	10637.8	11448.1
अरुणाचल प्रदेश	129.5	114.1	134.8	126.1
असम	3382.9	3254.8	3861.0	3998.5
बिहार	7133.2	6769.4	7251.9	5416.6
झारखण्ड#				1644.7
गोवा	147.5	151.2	208.9	145.2
गुजरात	1042.3	1015.8	984.9	1014.3
हरियाणा	2556.0	2425.0	2583.0	2684.0
हिमाचल प्रदेश	120.4	117.8	120.4	124.9
जम्मू और कश्मीर	549.3	589.1	391.1	414.9
कर्नाटक	3212.7	3656.9	3716.7	3734.0
केरल	764.6	726.7	770.8	751.3
मध्य प्रदेश	4528.2	5060.6	6376.5	960.4

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़#				3237.80
महाराष्ट्र	2394.6	2467.6	2558.9	1945.2
मणिपुर	351.7	382.2	365.0	366.3
मेघालय	150.1	149.7	170.7	165.9
मिजोरम	110.3	109.2	88.4	103.7
नागालैण्ड	187.3	209.6	132.4	205.6
उड़ीसा	6204.6	5391.5	5187.0	4613.5
पंजाब	7904.0	7940.0	8716.0	9154.0
राजस्थान	190.3	205.5	252.6	155.7
सिक्किम	21.4	22.0	23.4	21.4
तमिलनाडु	6893.7	8141.4	7532.1	7217.9
त्रिपुरा	535.8	491.5	505.7	513.4
उत्तर प्रदेश	12165.4	11386.6	13231.9	11540.1
उत्तरांचल#				621.5
पश्चिम बंगाल	13236.6	13316.5	13759.7	12428.1
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	30.0	26.2	28.4	30.0
दादरा और नागर हवेली	22.4	17.0	22.1	18.8
दिल्ली	5.3	6.0	6.7	5.0
दमन और दीव	2.9	3.3	5.6	3.2
पांडिचेरी	51.5	51.5	59.4	61.1
अखिल भारत	82534.5	86076.7	89682.9	84871.2

*वर्ष 2001-02 के लिए राज्यवार अनुमान अभी निर्धारित किए जाने हैं।

#नए बनाए गए राज्यों के लिए अलग अनुमान केवल वर्ष 2000-01 से उपलब्ध हैं।

ट्रैवल सर्किटों का विकास

3032. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2002-03 के दौरान विकास हेतु देश में कौन से ट्रैवल सर्किटों की पहचान की गई है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या पूर्वी राज्यों में विशेषकर उड़ीसा में ऐसे किसी ट्रैवल सर्किट की पहचान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2002-03 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवसंरचना के विकास के लिए निम्नलिखित 6 परिपथों का

प्रस्ताव किया है। इस उद्देश्य के लिए 41.50 करोड़ रु० चिन्हित किए गए हैं :—

(i) पूर्वी क्षेत्र (बौद्ध परिपथ)-
बोधगया-राजगीर-नालंदा-वाराणसी।

(ii) उत्तरी क्षेत्र (हिमालयी परिपथ)-
मार्ग-I-चंडीगढ़-बिलासपुर-कुल्लू-मनाली-रोहतांगला-केलौंग-सर्चु-उप्सी-लेह।
मार्ग-II-शिमला-सांग्ला-काजा-चात्रू-केलांग-सर्चु-यशी-लेह।

(iii) मध्य परिपथ (हैरिटेज, प्रकृति और वन्य जीव परिपथ)-
ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी-ओरछा-खजुराहो-झांसी-भोपाल-सांची और बौद्ध क्षेत्रों के आस-पास-भीमबेटका-पंचमढ़ि-कान्हा-जबलपुर (भेड़ाघाट)।

(iv) पश्चिमी परिपथ (कोंकण-रिवेरा-परिपथ)-
बम्बई-अलीबाग (मांडवा)-मुरूडजंजीरा-गणपतिपुले-विजयदुर्ग-मीठीबाद-कंकेश्वर-मोचेतमाड-सिधुंदुर्ग-तारकरली-शिरोडा-सावंतवाड़ी-अम्बोली-गोवा-कोस्टल कर्नाटक-बेकल

(v) दक्षिणी परिपथ (पश्चजल और समुद्रतट परिपथ)-
कोचीन-कुमारकोम (पश्चजल)!
कोट्टायम-क्वेलन-त्रिवेंद्रम (कोवलम)।

(vi) पूर्वोत्तर परिपथ - (परिस्थिति की पर्यटन परिपथ)-
शिलांग-गुवाहाटी-काजीरंगा-तेजपुर-भालकपुंग-तवांग-(अरुणाचल प्रदेश)-मजुली-शिवसागर-कोहिमा।

त्रिवेन्द्रम-शारजाह उड़ान

3033. **श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव त्रिवेन्द्रम और शरजाह के बीच भारी मांग के मद्देनजर इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने ए-320 विमानों से जनवरी, 2002 में त्रिवेन्द्रम/शारजाह सेक्टर पर विमान सेवाओं का शुभारंभ किया। उसके बाद ग्रीष्म, 2002 में आवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर प्रति सप्ताह चार कर दी गई। चूंकि ऑकुपेंसी 62 प्रतिशत ही है, इसलिए इस समय क्षमता में और वृद्धि करने की कोई योजना नहीं है।

संकर चावल का उत्पादन

3034. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान कर्नाटक में संकर चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेतों पर प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को संकर चावल की प्रौद्योगिकी के अन्तरण एवं किसानों को प्रशिक्षण और बीज उत्पादन के लिए कर्नाटक को सहायता प्रदान की है।

कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2001-02 के दौरान प्रदर्शन आयोजित किए और किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर संकर चावल के बीजों की आपूर्ति की।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नौवीं योजना के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ 95.46 लाख रुपये प्रदान किए हैं। इसके अलावा वृहत प्रबंध पद्धति स्कीम की कार्य योजना के अंतर्गत संकर चावल विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान 25.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योगों को सहायता

3035. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में बिहार के कुटीर उद्योगों का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान अखिल भारतीय के०वी०आई० उत्पादन 7551.52 करोड़ रुपये का था जिसमें बिहार का 182.00 करोड़ रुपये का शेयर था।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान बिहार राज्य को उपलब्ध कराए गए फण्ड्स निम्नोक्त हैं :—

(लाख रुपये में)

	अनुदान
खादी	338.27
ग्रामोद्योग	18.42
कुल	356.69

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पटना में पल्लेदारों का नियमितीकरण

3036. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना विमानपत्तन पर कितने कैजुअल पल्लेदार अस्थाई आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) कैजुअल/अस्थाई आधार पर कार्य करने हेतु उन्होंने कितना सेवाकाल पूरा किया है;

(ग) क्या अन्य विमानपत्तनों के कम सेवा वाले कैजुअल/अस्थायी पल्लेदारों को पटना विमानपत्तन पर नियमित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने पल्लेदार हैं; और

(ङ) सरकार का पटना विमानपत्तन पर कार्यरत कैजुअल पल्लेदारों को कब तक नियमित करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास पटना हवाई अड्डे पर पोर्टरों का कोई काडर नहीं है। इंडियन एयरलाइंस से सूचना एकत्र की जा रही और जिसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वेतन में अनधिकृत संशोधन

3037. श्री सुरेश चंदेल : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) ने सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न श्रेणियों के अपात्र अधिकारियों को अनधिकृत रूप से वेतन का ऊर्ध्व संशोधन लाभ प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने दिनांक 18.12.1998 के पत्र द्वारा पदों की केवल पांच श्रेणियों नामशः सहायक निदेशक, उप निदेशक, निदेशक, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वेतनमान के संशोधन का अनुमोदन किया था।

तथापि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) ने स्वयं संशोधित वेतन के लाभों को पदों की अन्य श्रेणियों तक विस्तारित किया है। इन तथ्यों का पता चलते ही सरकार ने इस मामले पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के साथ, विचार किया जिनका दृष्टिकोण था कि लागू वेतनमान संबंधी उनका अनुमोदन, पदों की मात्र पांच श्रेणियों के लिए ही था। वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार, के०वी० आई०सी० को अन्य पदों के लिए विस्तारित वेतन के बराबर वापस लेने का निदेश दिया गया था और तदनुसार के०वी०आई०सी० ने दिनांक 31.10.2001 के पत्र संख्या एडमिन/1/ओ०आर०क्यू०/7(79) पी०आर०आर० के द्वारा पदों की अन्य श्रेणियों हेतु विस्तारित वेतन के बराबर वापस ले लिया है।

[अनुवाद]

मुम्बई विमानपत्तन पर नया शटल लांज

3038. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने मुम्बई विमानपत्तन पर नया शटल लांज शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फर्नीचर और अन्य सुविधाएं संतोषजनक न होने के बारे में संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इनका ठेका लेने वाले ठेकेदारों के नाम क्या हैं और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) टर्मिनल 1ए के प्रस्थान पर एक नया शटल लाउन्ज

इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के लिए मैसर्स ऑबेराय एयरपोर्ट सर्विसेज द्वारा प्रचालित किया गया है। शटल लाउन्ज 27 अक्टूबर, 2002 से प्रचालित हुआ।

(ग) और (घ) जी, हां। शटल लाउन्ज में रखी गई कुर्सियों तथा सोफाओं की स्थिति के बारे में कुछ संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) मैसर्स ऑबेराय एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ मामला उठाया गया था उससे शटल लाउन्ज में रखी गई कुर्सियों तथा सोफाओं को तुरंत ठीक करने के लिए कहा गया। इन कुर्सियों तथा सोफाओं को ठीक कर दिया गया है।

(च) टर्मिनल 1ए पर शटल लाउन्ज सेवाएं मैसर्स ऑबेराय एयरपोर्ट सर्विसेज द्वारा प्रदान की जा रही है। निबंधन एवं शर्तें निम्नांकित हैं :—

(i) टर्मिनल 1ए पर मैसर्स ऑबेराय एयरपोर्ट सर्विसेज के शटल लाउंज पर इंडियन एयरलाइंस अपने एक्जिक्यूटिव क्लास यात्रियों के लिए लगातार सुविधाएं प्रदान कराएगा।

(ii) शटल लाउंज केवल इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के लिए खान-पान की व्यवस्था करेगा। किन्हीं दूसरे यात्रियों या अन्य कार्ड धारकों का शटल लाउन्ज में सत्कार नहीं किया जाएगा।

(iii) भुगतान यात्रियों की संख्या के आधार पर मासिक रूप से इंडियन एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा।

(iv) इंडियन एयरलाइंस द्वारा एक महीने की सूचना देने पर करार को समाप्त किया जा सकता है।

(v) मैसर्स ऑबेराय एयरपोर्ट सर्विसेज को इस शटल लाउन्ज में यात्रियों की सहायता के लिए प्रत्येक शिफ्ट में दो स्टाफ लगाना होगा।

(vi) उपरोक्त शर्तों का कोई उल्लंघन सेवा में कमी माना जाएगा जिसमें सजा के रूप में पूरे दिन के बिल का भुगतान न करना लागू होगा।

एअर इंडिया हैंगर

3039. श्री टी० गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में विशेषकर केरल राज्य में विभिन्न विमानपत्तनों पर एअर इंडिया के हैंगर बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

3040. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र का एस०एम०एस० दो अपनी स्थापना के छः वर्ष पूरा करने के पश्चात भी अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिचालन और अनुरक्षण में बड़ी समस्याएं हैं; और

(घ) सरकार द्वारा समस्या से निपटने और क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर०एस०पी०) की एस०एम० एस०-II की क्षमता उपयोगिता निम्नानुसार है :

इकाई : हजार टन

वर्ष	वार्षिक क्षमता	उत्पादन	%क्षमता उपयोगिता
1996-97	1355	45	—
1997-98	1355	508	37
1998-99	1355	864	64
1999-00	1355	998	74
2000-01	1355	1066	79
2001-02	1355	1179	87

(ग) और (घ) प्रचालन और अनुरक्षण में कोई प्रमुख समस्या नहीं है। दबावयुक्त बाजार परिस्थितियों के कारण 1999-2000 से 2001-2002 तक उत्पादन विनियमित किया गया। बेहतर बाजार रुख के चलते आर०एस०पी० की एस०एम०एस०-II के उत्पादन में वृद्धि करने और क्षमता उपयोगिता हासिल करने की योजना है।

पौधों में विषाणु की पहचान करने और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एजेंसियां

3041. श्री ए० नरेन्द्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषक समुदाय के लाभ के लिए पौधों में विषाणु की पहचान करने और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कोई एजेंसी स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि, बागवानी, पुष्प कृषि की पौध संबंधी सामग्री की प्रति वर्ष संभावित मांग कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा विश्वस्तर पर टिश्यू कल्चर के वाणिज्यकरण करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विषाणु निदान हेतु राष्ट्रीय सुविधा और ऊतक संवर्धन से तैयार रोपण सामग्री गुणवत्ता नियंत्रण की स्थापना की है। यह सुविधा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर; हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे, एस०पी०आई०सी० विज्ञान फाउन्डेशन, चेन्नई; टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली जैसे पांच सेटेलाइट केन्द्र हैं। यह सुविधा गुणवत्ता परीक्षण के लिए निदान और मोलेकुलर मार्करों के लिए जैव प्रौद्योगिकीय विधियों के प्रयोग पर आधारित ऊतक संवर्धन से तैयार पौधों के लिए विषाणु परीक्षण तथा गुणवत्ता परीक्षण समर्थन के उद्देश्य पर आधारित है।

(ग) और (घ) देश में विभिन्न फसलों और वस्तुओं में रोगरहित रोपण सामग्रियों की काफी क्षमता है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने टेरी (टी०ई०आर०आई०), नई दिल्ली और एन०सी०एल०, पुणे में स्थापित सूक्ष्मप्रवर्धन प्रौद्योगिकी पार्कों (एम०टी०पीज) के माध्यम से अनुसंधान और विकास संस्थानों और उद्योग के बीच एक अन्तरापृष्ट प्रदान करके पादप ऊतक संवर्धन के वाणिज्यीकरण को प्रोन्नत कर रहा है। विभाग ने अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विशाल संजाल (नेटवर्क) का समर्थन किया है जिसका लक्ष्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोपण प्रजातियों के सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए पूर्ण प्रोटोकोल विकसित करना है। दो एम०टी०पी० का इन प्रोटोकोलों को बढ़ाने और उद्योगों को पूर्ण प्रौद्योगिकी पैकेज हस्तान्तरित करने के लिए परिष्करण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में हरित गृह/कम लागत वाले पोलीगृहों के निर्माण/स्थापित करने के लिए पूर्ण जानकारी भी प्रदान करते हैं। कुशल मानवीय संसाधन का प्रशिक्षण एम०टी०पी० की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि उद्योग को समर्थन प्रदान करती है। विषाणु निदान और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय सुविधा भी उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में रिक्त पद

3042. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए०एस०आई०) में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ए०एस०आई० के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

स्मारकों में अतिक्रमण

3043. डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 2002 के "दि हिंदू" में "ए०एस०आई० फेल्स टु स्टाप एंक्रोचमेंट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन भवनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सीरी फोर्ट दीवार और अन्य संरक्षित स्मारकों के आसपास 300 मीटर के भीतर अवैध रूप से निर्मित किया गया है;

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के पालन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में अतिक्रमण को रोकने तथा वर्तमान अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, आवश्यक कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है।

(घ) स्मारक के आस-पास अवैध कब्जों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ चारदीवारी तथा एम०एस० ग्रिल की बाड़ लगा कर आवश्यक कदम पहले ही उठाए गए हैं तथा निगरानी भी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार के नागरिक निकायों को कहा गया है कि स्मारकों की संरक्षित सीमाओं से 300 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी भवन निर्माण के नक्शों पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के औपचारिक अनुमोदन के बिना, विचार न करें। दिल्ली में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के आस-पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए जिला प्राधिकारियों तथा पुलिस से सहायता मांगी गई है।

महाराष्ट्र में पशु और भैंस नस्ल हेतु राष्ट्रीय परियोजना

3044. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से पशु और भैंस नस्ल के प्रजनन की राष्ट्रीय परियोजना को लागू करने के लिए धन जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) अपेक्षित धन कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने "राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केन्द्रीय प्रायोजित योजना में योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को ही अनुदान राशि जारी करने का उल्लेख है। चूंकि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी तक कोई राज्य क्रियान्वयन एजेंसी नामित नहीं की है, अत: राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत राज्य को अनुदान जारी नहीं किया जा सका।

स्मारकों के निकट अतिक्रमण

3045. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए०एस०आई० के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्मारकों की कुल संख्या और इन स्मारकों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या कुछ स्मारकों में अतिक्रमण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्राइवेट और सरकारी एजेंसियों दोनों ने कुल कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रखा है;

(घ) इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) अतिक्रमण से मुक्त कराए गए स्मारकों की संख्या और कुल क्षेत्रफल कितना है;

(च) क्या स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण में कमी का प्रमुख कारण पुरातत्व विभाग को उसके गठन के 20 वर्षों बाद तक भी कोई सांविधिक कानूनी अधिकार नहीं देना है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एनीमल बर्थ कंट्रोल सोसाइटी फार डाग्स

3046. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "एनीमल बर्थ कंट्रोल सोसाइटी फार डाग्स" की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सोसाइटी में कितने पदाधिकारी और सदस्य हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली नगर निगम के आयुक्त की अध्यक्षता में आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय किया है। उक्त समिति के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। इस समिति का इरादा संसाधनों में वृद्धि करना तथा मानवोचित तरीके से आवार कुत्तों के बन्ध्यीकरण और प्रतिरक्षण के कार्य में विभिन्न अभिकरणों की भागीदारी के स्तर को बढ़ाना है।

(ग) इस समिति में चार पदधारी हैं अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और कोषाध्यक्ष। इन पदधारियों सहित इसमें कुल 13 सदस्य हैं।

विमानपत्तनों का विस्तार और उन्नयन

3047. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन विमानपत्तनों का उन्नयन या विस्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने बड़े विमानपत्तनों विशेषकर जोधुपर में बड़े विस्तार और उन्नयन का कार्य शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो जोधपुर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेषकर बिलासपुर से और अधिक घरेलू उड़ानें शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) ने दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, तिरूवनन्तपुरम, अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, गया, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कांगड़ा, लखनऊ, नागरपुर, वाराणसी तथा विशाखापटनम स्थित हवाईअड्डों पर बड़े पैमाने पर उन्नयन तथा विस्तार कार्य किया है। इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पठानकोट में एक नये सिविल एन्कलेव तथा कारगिल में एक नये सिविल हवाईअड्डे का निर्माण किया है।

(ख) हवाईअड्डों का विस्तार तथा उन्नयन, विशेषकर प्रमुख हवाईअड्डों का उन्नयन एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जोधपुर हवाईअड्डा रक्षा मंत्रालय से संबंधित है जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल एन्कलेव का रख-रखाव करता है। 6 करोड़ रुपए की लागत से एक बार में 400 यात्रियों को संभालने के लिए टर्मिनल भवन के विस्तार तथा रूपान्तरण का कार्य दिसम्बर, 1998 में पूरा किया जा चुका है। डिपार्चर होल्ड एरिया पूर्णतया वातानुकूलित है तथा पहली मंजिल पर दर्शक दीर्घा तथा रेस्टोरेंट का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एबी320 किस्म के विमानों के प्रचालन को सुगम बनाने के लिए सिविल एप्रन को बढ़ाने तथा टैक्सी ट्रैक को चौड़ा करने की भी योजना तैयार की है।

(ग) से (ङ) नई उड़ानों को शुरू करने का निर्णय एयरलाइंस द्वारा लिया जाता है जोकि वाणिज्यिक निर्णय तथा प्रचालनात्मक व्यवहार्यता पर आधारित होता है।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना

3048. श्री नरेश पुगलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी स्थायी समिति ने अपनी अनुदानों की मांगें (2002-2003) के बत्तीसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि दिल्ली दुग्ध योजना को सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने बताया कि उदारीकरण, कम्प्यूटरीकरण, स्वचालित व्यवस्था, स्वच्छता जागरूकता तथा कटौती के कारण बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली दुग्ध योजना को सरकारी नियंत्रण के शिकंजे से मुक्त करना और इसका अपना आधार ढूंढना उचित होगा।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के निगमीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

एयर इंडिया द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत

3049. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स की तर्ज पर वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह छूट रियायत सीमा तक दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इसे किस तारीख से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) एयर इंडिया ने 16 जनवरी, 2002 से वरिष्ठ नागरिकों को अन्तर्देशीय सैक्टरों पर सामान्य इकानामी श्रेणी के मूल किरायों पर 55 प्रतिशत रियायत देना आरम्भ किया है।

[अनुवाद]

निजी ऑपरेटरों की सुरक्षा संबंधी जांच

3050. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी०जी०सी०ए०) द्वारा निजी विमान ऑपरेटरों की सुरक्षा जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान डी०जी०सी०ए० द्वारा कुल कितनी बार जांच की गई;

(ग) क्या अनेक निजी ऑपरेटर सुरक्षा के स्थापित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी जांच के दौरान इस प्रकार के कितने मामले डी०जी०सी०ए० के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) निजी एयरलाइन्स द्वारा सुरक्षा के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। सेफ्टी आडिट करते समय, इंजीनियरिंग, प्रचालन क्वालिटी कंट्रोल विभाग आदि से संबंधित सभी जरूरी-जरूरी विभागों को शामिल किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नागर विमानन माहनिदेशालय द्वारा निजी विमान प्रचालकों को कुल 25 बार सेफ्टी आडित की गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विमान प्रचालकों द्वारा उपलब्ध सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। सेफ्टी ऑडिट में पाई गई कमियों को आंतरिक स्तर पर सुधारने के लिए तत्काल प्रचालकों को अवगत कराया जाता है।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सेफ्टी आडिट करके सभी एयर प्रचालकों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन लगातार सख्ती से कराया जाता है इसमें प्राइवेट एयरलाइन्स भी शामिल हैं। इसके साथ-साथ अनुरक्षण क्रियाकलापों का भी स्पोट चैक नगर विमानन महानिदेशालय द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान

3051. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 1970 में 72% की तुलना में 1993-94 में घटकर 57% रह गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और क्या यह प्रतिशतता अभी भी घट रही है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 में प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) कृषि क्षेत्र के योगदान में नियमित गिरावट के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान मूल्यों पर निवल घरेलू उत्पादन (एन०डी०पी०) में कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्यन क्षेत्रों का योगदान वर्ष 1970-71 तथा 1993-94 में क्रमश: 72.4 प्रतिशत तथा 56.1 प्रतिशत रहा। चूंकि ये अनुमान राष्ट्रीय लेखा ऋंखला के आधार वर्षों के लिए ही तैयार किए जाते हैं तथा वर्तमान ऋंखला का आधार वर्ष 1993-94 है। अत: वर्ष 2000-01 के लिए इस क्षेत्र की इसी प्रतिशतता का योगदान उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान में कमी, गैर-कृषि क्षेत्रों में अधिक वृद्धि दर के परिणामस्वरूप हुई है।

[अनुवाद]

सिंचाई क्षेत्र में जल का उपयोग

3052. **श्री राम टहल चौधरी :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले जल की अधिकांश मात्रा सिंचाई क्षेत्र में उपयोग की जाती है;

(ख) यदि हां, तो सिंचाई के लिए कितनी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है;

(ग) वर्तमान में सिंचाई के लिए कितने भू-जल का उपयोग किया जाता है;

(घ) क्या अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सिंचाई के लिए 501 बिलियन घन मीटर जल इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) सतही और भूजल संसाधनों के 501 बिलियन घन मीटर का उपयोग करके सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग 85.41 मिलियन हेक्टेयर (अनंतिम) है। इसमें से लगभग 46 मिलियन हेक्टेयर (अनंतिम) की प्रयुक्त क्षमता सतही जल संसाधनों की है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी०जी०डब्ल्यू०बी०) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में भूजल में गिरावट पाई गई है। जिन राज्यों/जिलों में वर्ष 1982 से 2001 के दौरान जल स्तर में हुए गिरावट वाले स्थान हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले 20 वर्षों (1982-2001) में जल स्तर में गिरावट वाले क्षेत्रों वाले राज्यों/जिलों के नाम (मानसून पूर्व अवधि)

क्रम सं०	राज्य	जल स्तर में गिरावट	
		4-6 मीटर	6 मीटर से अधिक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, अनंतपुर, चितूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्री काकुलम, वारंगल, विजयामगरम, विशाखापटनम	अदिलाबाद, अनंतगुर, पूर्व गोदावरी, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, प्रकाशम, विजयानगरम, वारंगल, विशाखापटनम, पश्चिम गोदावरी
2.	बिहार	गया, गिरीडीह, लोहारडागा, पलामू	
3.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, जंजगीर, चम्पा, कांकेर	बस्तर, दांतीवाड़ा, दुर्ग, रायगढ़
4.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बड़ौदा, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वलसाद	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बड़ौदा, भरूच, भावनगर, डांग्स, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर
5.	हरियाणा	फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहबाद, गुड़गांव, कैथल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, यमुना नगर
6.	दिल्ली	दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य	दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली
7.	कर्नाटक	बंगलौर, बेलगाम, बीदर, बीजापुर, धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, कोलार, कौपाला, सिमौगा, तुमकुर, उत्तर कन्नड	बंगलौर, बेलारी, बेलगाम, बीदर, बीजापुर, चमराजनगर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, गदग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, मांडेया, मैसूर, रायचूर, सिमौगा, तुमकुर, उत्तर कन्नड़
8.	केरल	अरनाकुलग, इदुकी, कन्नूर, कसरगोड, कौलग, कोटायम, कोजीकोड	इदुकी, कन्नूर, कौलग, कोटायग, तिरूअनन्तपुरम
9.	मध्य प्रदेश	बेतूल, भिण्ड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दामोगौन, दतिया, देवास, धार, गुना, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, खरगांव, मोरेना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहौर, साजापुर, शिवपुर, शिवपुरी	बरौनी, बेतूल, भिण्ड, छतरपुर, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, खरगौन, मन्दसौर, मौरेना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रीवा, साजापुर, विदिशा

1	2	3	4
10.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भण्डारा, बुल्दाना, चन्द्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नान्देड, नासिक, परभनी, सांग्ली, सतारा, शोलापुर, थाने, वर्धा, यवतमल	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भण्डारा, चन्द्रपुर, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, नान्देड, पुणे, शोलापुर
11.	पूर्वोत्तर राज्य	जोरहाट, कामरूप, कारबी-अंगलोग, दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा	मोरीगांव
12.	उड़ीसा	बालासोर, बोलंगीर, बोध, कटक, देवगढ़, धेनकनाल, गजपति, गंजम, कालाहांडी, क्योंझर, खुरदा, कोरापुट, मयूरभंज, नयागढ़, नौरंगपुर, फुलबनी, सम्बलपुर, सुवर्णपुर	अंगुल, बालासोर, बोलंगीर, धेनकनाल, गजपति, गंजाम, खुरदा, कोरापुट, मल्कानगिरी, फुलबनी, सुन्दरगढ़, सुवर्णपुर
13.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालन्धर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, पटियाला, संगरूर	अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, जालन्धर, लुधियाना, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर
14.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, बूंदी, चितौड़गढ़, चुरू, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चितौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, कोटा, नागोर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
15.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, डिंडीगुल, कांचीपुरम, मद्रास, थेमी, तिरूवन्नामलाई, तूतीकोरीन	कोयम्बटूर, कडालोर, धर्मपुरी, एरोड, कन्याकुमारी, नमक्कल, पेरमबुलुर, पुदुकोट्टई, शिवगंगा, तंजावूर, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लुर, तिरूवरूर
16.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहगढ़, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव
17.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा, बीरभूम, कूचबिहार, पुरूलिया	बांकुरा, बर्द्धमान, बीरभूम, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुडी, पुरूलिया

[हिन्दी]

पर्यटक स्थलों के लिए विदेशी सहायता

3053. **श्री रामदास आठवले :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता के लिए पहचान किए गए पर्यटक स्थलों हेतु क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन स्थलों के विकास हेतु किन-किन राज्यों ने विदेशी सहायता प्राप्त की है; और

(ग) इस संबंध में अब तक राज्य-वार कितनी सहायता प्राप्त की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) विदेशी सहायता के लिए पर्यटक स्थलों के अभिनिर्धारण एवं विकास की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त विर्निदिष्ट परियोजना प्रस्ताव की जांच करता है एवं विदेशी सहायता की सम्भावना का पता लगाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेजने की सिफारिश करता है। विदेशी सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति, विदेशी धन उपलब्ध कराने वाले एजेंसी पर, निर्भर करती है।

(ख) (अजंता-एलौरा) महाराष्ट्र।

(ग) महाराष्ट्र — 3745 मिलियन जापानी येन।

[अनुवाद]

मंगलौर विमानपत्तन का विस्तार

3054. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर विमानपत्तन विस्तार परियोजना को शुरू करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) को कितनी भूमि की आवश्यकता है;

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा ए०ए०आई० को बिना ऋणभार के कितनी भूमि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) उक्त विमानपत्तन विस्तार परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) मंगलौर विमानपत्तन विस्तार परियोजना के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मंगलौर हवाई अड्डे पर नए रनवे के निर्माण के लिए लगभग 200 एकड़ भूमि की जरूरत है। कर्नाटक राज्य सरकार से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपेक्षित भूमि, जो हर तरह से कानूनी अड़चनों से मुक्त हो, निःशुल्क सौंपे जाने का अनुरोध किया गया है। फिर भी, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) मंगलौर हवाई अड्डे पर नए रनवे के निर्माण पर आने वाली अनुमानित लागत लगभग 70 करोड़ रु० होगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण की बाबत राज्य सरकार को प्रारंभिक डिपोजिट के बतौर 0.50 करोड़ रु० दिए हैं। टर्मिनल भवन के मौजूदा प्रस्थान ब्लाक के विस्तार और मोडिफिकेशन कार्यों पर 1.48 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं। पूरा कार्य, काम शुरू होने की तारीख से तीन वर्ष में ही पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के बीमा दावों को मंजूरी

3055. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की रबी की फसल 2000-01 के लिए कपास और 'तुड' से संबंधित बीमा दावों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन०ए०आई०एस०) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन दावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने दावों को अविलम्ब मंजूरी दिए जाने के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी को अपना शेयर उपलब्ध करा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में रबी 2000-2001 मौसम में कपास व तुअर की फसल से संबंधित बीमा दावे भुगतान योग्य नहीं थे। बहरहाल, मध्य प्रदेश में खरीफ, 2000 मौसम में कपास व तुअर की फसलों से संबंधित बीमा दावे भुगतान योग्य थे, जिनका निपटान कर दिया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

[अनुवाद]

राज्य पशु कल्याण बोर्ड

3056. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में राज्य पशु कल्याण बोर्ड हैं और उक्त बोर्डों के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ख) उनकी बैठकें कितनी हुई और उनका एजेन्डा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू०) : (क) भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 19 राज्यों और 5 संघ शासित प्रदेशों में राज्य जीव-जन्तु कल्याण सलाहकार बोर्डों की स्थापना की गई है। जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने बोर्डों की स्थापना की है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन बोर्डों की संरचना भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। आमतौर पर, कृषि, पर्यावरण एवं वन, पशु-पालन और मत्स्यकी विभागों के सचिव और जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण समिति रक्षित जीव-जन्तु कल्याण के कार्यकलापों में लगे स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, इन बोर्डों के सदस्य हैं।

(ख) अपने-अपने राज्यों में जीव-जन्तु कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार इन राज्य जीव-जन्तु कल्याण सलाहकार बोर्डों की समयान्तराल पर बैठकें अपेक्षित हैं।

विवरण

जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड गठित किए गए हैं, उनके नाम

क्रमांक	राज्य का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	गुजरात
3.	महाराष्ट्र
4.	उड़ीसा
5.	राजस्थान
6.	तमिलनाडु
7.	मणिपुर
8.	मिजोरम
9.	अण्डमान और निकोबार दीपसमूह
10.	हिमाचल प्रदेश
11.	अरुणाचल प्रदेश
12.	गोवा
13.	सिक्किम
14.	उत्तर प्रदेश
15.	चण्डीगढ़
16.	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव
17.	दिल्ली
18.	पश्चिम बंगाल
19.	हरियाणा
20.	लक्षद्वीप
21.	पाण्डिचेरी
22.	असम
23.	त्रिपुरा
24.	केरल

किसानों के पुनर्वास और कल्याण हेतु योजनाएं

3057. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं जैसे ''किसानों का पुनर्वास असौर कल्याण'' के लिए आवंटित निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित निधियों और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आवंटित की गई निधियों के कम उपयोग किए जाने का क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी का कोई तंत्र है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा निधियों के उपयोग के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग ''किसानों का पुनर्वास एवं कल्याण'' जैसी किसी स्कीम का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है, तथापि विभाग द्वारा कृषि उत्पादन एवं फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एवं अनेक प्रकार की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन स्कीमों का लाभ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से किसानों को मिल रहा है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्य-निष्पादन की मानिटरिंग आवधिक विवरणियों, क्षेत्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों में विचार-विमर्श के अलावा उपयोग प्रमाण पत्रों एवं प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से भी की जाती है।

(च) जब राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों अथवा निजी संस्थाओं के माध्यम से व्यय किया जाता है जब उन्हें उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। जहां राज्य सरकारों द्वारा धनराशि प्रत्यक्ष रूप से व्यय की जाती है, वहां निर्गत राशि, समायोजन तथा धनराशि के उपयोग के बारे में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०

3058. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) को अपनी विभिन्न इकाइयों हेतु अंतिम बोली प्राप्त करने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० अपनी उर्वरक इकाइयों को भी अन्यत्र ले जाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) इस समय अपनी वित्तीय और कारोबार पुनर्संरचना के भाग के रूप में अपनी गैर-महत्वपूर्ण इकाइयों का स्वत्वहरण कर रहा है।

भिलाई इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०) के ऑक्सीजन संयंत्र-II, राउरकेला उर्वरक संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र (एस०एस०पी०) के स्वत्वहरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एस०एस०पी० और ऑक्सीजन संयंत्र-II के लिए बोलियां जनवरी, 2003 में प्राप्त होने की उम्मीद है जबकि राउरकेला उर्वरक संयंत्र के लिए प्राप्त बोली का विश्लेषण किया जा रहा है। इन सभी इकाइयों के संबंध में अंतिम निर्णय बोलियां प्राप्त होने और सेल बोर्ड द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद लिया जाएगा।

इस समय बाजार द्वारा प्रतिक्रिया के अभाव में मिश्र इस्पात संयंत्र (ए०एस०पी०), दुर्गापुर और विश्वैश्वरय्या आयरन एंड स्टील प्लांट (वी०आई०एस०पी०) के स्वत्वहरण की प्रक्रिया रोक दी गई है।

[हिन्दी]

श्रम संबंधी स्थायी समिति

3059. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2001 में सम्पन्न हुए श्रम संबंधी स्थायी समिति के 37वें सत्र के एजेन्डे में स्वास्थ्य परिचर्या एवं सुरक्षा आदि सहित किसानों के हितों के साथ-साथ भारतीय उद्योगों, श्रम क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले वैश्वीकरण के प्रभावों संबंधी बातें सम्मिलित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) स्थायी श्रम सम्मेलन के दिनांक 14.02.2001 को आयोजित 37वें में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर समुचित रूप में अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस बनाम निजी एयरलाइंस

3060. श्रीमती प्रभा राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू क्षेत्र में चल रही इंडियन एयरलाइंस और अन्य निजी एयरलाइनों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों से और अधिक लोगों को विमान द्वारा यात्रा करने का अवसर मिला है;

(ख) यदि हां, तो छूट की योजनाओं द्वारा इंडियन एयरलाइंस को अन्य निजी एयरलाइनों की तुलना में किस सीमा तक लाभ हुआ है;

(ग) क्या घरेलू बाजार को बहुत बड़ा हिस्सा सहारा एयरलाइंस और जेट एयरवेज के पास चला गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। बाजार अपेक्षाओं के प्रत्युत्तर में, इंडियन एयरलाइंस समय-समय पर अपने घरेलू नेटवर्क पर प्रोमोशनल किराये लागू करती है। प्रोमोशनल किरायों से पिछले वर्ष में सितम्बर तथा अक्तूबर महीनों की तुलना में वर्ष 2002 के इन्हीं महीनों के दौरान क्रमशः 2% तथा 6% तक इंडियन एयरलाइंस की सीट फैक्टर में वृद्धि करने में सहायता मिली है। प्राइवेट एयरलाइनें अर्थात जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस ने भी इसी तरह के प्रोमोशनल किरायों की पेशकश की है जिससे उनकी सीट फैक्टर में हाल ही के महीनों में सुधार हुआ है।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 2001-02 के दौरान इंडियन एयरलाइंस का अनुमानित मार्किट शेयर 47% था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

किराए में कमी

3061. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न लोकप्रिय विमान मार्गों द्वारा विमान यात्रा के किराये में छूट देने की गलाकाट स्पर्धा शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई से अक्तूबर, 2002 के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा विभिन्न निजी एयरलाइनों द्वारा कम किए गए किराये को दर्शाने हेतु कितना प्रतिशत किराया कम किया गया है; और

(ग) इससे खाली सीटों से हो रहे नुकसान को पूरा करने में कितनी सहायता मिलेगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, नहीं। बाजार अपेक्षाओं के प्रत्युत्तर में, इंडियन एयरलाइंस समय-समय पर अपने घरेलू नेटवर्क पर प्रोमोशनल किराये लागू करती है। किराया कम करने का स्तर विभिन्न बाजार कारकों पर आधारित होता है और प्रत्येक सेक्टर और सीजन में भिन्न-भिन्न होता है। इंडियन एयरलाइंस ने 1 अगस्त से 31 अक्तूबर 2002 तक *एप्रेक्स किराये की* योजना शुरू की है जिसे 31 मार्च 2003 तक बढ़ा दिया गया है। एपेक्स किरायों में किराया संघटक को सामान्य किराया संघटक की तुलना में 12% से 64% तक कम किया गया है। जेट एयरवेज भी एपेक्स किराये की पेशकश करती है और उनके किराये भी उसी रेंज में हैं। प्रोमोशनल किरायों से पिछले वर्ष में सितम्बर तथा अक्तूबर महीनों की तुलना में वर्ष 2002 के सितम्बर तथा अक्तूबर महीनों के दौरान क्रमशः 2% तथा 6% तक इंडियन एयरलाइंस की सीट फैक्टर में वृद्धि करने में सहायता मिली है। जुलाई से अक्तूबर 2002 की समयावधि के दौरान एअर इंडिया ने किन्हीं फाइल्ड फेयरज में कटौती नहीं की है।

कृषि उत्पादों के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य

3062. श्री जे०एस० बराड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि उत्पादों के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्यान्नों का अन्तर्राज्यीय सरकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को बन्द करना

3063. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइंस की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) इस समय इंडियन एयरलाइंस द्वारा कितनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें परिचालित की जा रही है;

(ग) क्या ये सभी उड़ानें लाभ दे रही है;

(घ) क्या उनके होने वाले लाभ संबंधी कोई आवधिक समीक्षा की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय चलाई जा रही इंडियन एयरलाइंस की अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) इंडियन एयरलाइंस के अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालन विशेष नकद लाभ उत्पन्न करते हैं। आगे, ये प्रचालन आर्थिक मानदण्डों, भार, द्विपक्षीय अधिकारों/हकदारियों, वाणिज्यिक/कोड शेयर समझौतों आदि के संदर्भ में आवधिक समीक्षा पर निर्भर करते हैं।

विवरण

इंडियन एयरलाइंस की अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं की सूची 27 अक्टूबर, 2002 से प्रभावी शीतकालीन समयावली 2002 (18 नवम्बर, 2002 को अद्यतन)

क्रम सं०	रूट	विमान	आवृति/ साप्ताहिक
1	2	3	4
1.	चेन्नई-कोलम्बो-चेन्नई	ए300	7
2.	चेन्नई-सिंगापुर-चेन्नई	ए300	7
3.	दिल्ली-काठमान्डू-दिल्ली	ए300	7
4.	कोलकाता-बैंकोक-कोलकाता	ए300	2

1	2	3	4
5.	कोलकाता-काठमान्डू-कोलकाता	ए300	2
6.	मुम्बई कालीकट-कोचिन-शारजाह और वापसी	ए300	4
7.	मुम्बई-गोवा-कालीकट-शारजाह और वापसी	ए300	3
1.	बेंगलौर-सिंगापुर-बैंगलौर	ए320	7
2.	चेन्नई-बैंकाक-चेन्नई वापसी	ए320	1
3.	चेन्नई-कालीकट-दुबई और वापसी	ए320	2
4.	चेन्नई-कालीकट-मस्कट और वापसी	ए320	4
5.	चेन्नई-कोचीन-गोवा-कुवैत और वापसी	ए320	2
6.	चेन्नई-कोचीन-मस्कट और वापसी	ए320	3
7.	चेन्नई-कोयम्बटूर-कोचीन-शारजाह और वापसी	ए320	3
8.	चेन्नई-हैदराबाद-दुबई और वापसी	ए320	7
9.	चेन्नई-कुआलालम्पुर-चेन्नई	ए320	7
10.	चेन्नई-त्रिची-कालीकट-फुजैरा-कुवैत और वापसी	ए320	1
11.	चेन्नई-त्रिची-कालीकट-रस एल खैमाह-कुवैत और वापसी	ए320	1
12.	चेन्नई-त्रिची-त्रिवेन्द्रम-शारजाह और वापसी	ए320	4
13.	कोचीन-कालीकट-दोहा-बहरीन और वापसी	ए320	7
14.	दिल्ली-अहमदाबाद-मस्कट और वापसी	ए320	3
15.	दिल्ली-अमृतसर-शारजाह और वापसी	ए320	2
16.	दिल्ली-बैंकाक-शारजाह और वापसी	ए320	7
17.	दिल्ली-लखनऊ-शारजाह और वापसी	ए320	2
18.	हैदराबाद-अहमदाबाद-कुवैत और वापसी	ए320	2
19.	हैदराबाद-अहमदाबाद-शारजाह और वापसी	ए320	3
20.	हैदराबाद-बंगलौर-चेन्नई-बैंकाक और वापसी	ए320	2
21.	हैदराबाद-बंगलौर-मस्कट और वापसी	ए320	2
22.	हैदराबाद-बंगलौर-शारजाह और वापसी	ए320	4
23.	जयपुर-दिल्ली-दुबई और वापसी	ए320	7
24.	कोलकाता-बैंकाक-कोलकाता	ए320	2
25.	कोलकाता-ढाका-कोलकाता	ए320	3
26.	कोलकाता-काठमांडू-कोलकाता	ए320	1
27.	कोलकाता-यंगून-बैंकाक-कोलकाता	ए320	2
28.	त्रिवेन्द्रम-माले-त्रिवेन्द्रम	ए320	7
29.	वाराणसी-काठमांडू-वाराणसी	ए320	3

कॉयर, जूट और रबड़ के लिए बंधा हुआ शुल्क

3064. **श्री पी०सी० थामस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन को परिवचन देने के कारण कॉयर, जूट और रबड के लिए बंधे हुए शुल्क को बढ़ाया नहीं जा सकता;

(ख) उन वस्तुओं के निर्यात के लिए उसे बंधे हुए शुल्क पर सहमत होने की क्या आवश्यकता है जो किसानों के हित में प्रतिकूल हैं;

(ग) इन कृषि उत्पादों की बंधे हुए इन दरों से मुक्ति पाने की क्या तरीका है;

(घ) क्या भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के साथ यह मामला उठाया है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गैर-कानूनी प्राणी उद्यान

3065. **श्री अम्बरीश :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बहुत अधिक गैर-कानूनी प्राणी उद्यान है जहां वन्यजीव अत्यन्त दयनीय स्थिति में रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा पहचान किए गए इस प्रकार के प्राणी उद्यानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन प्राणी उद्यानों से मुक्त किए गए पशुओं की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(घ) सरकार का सभी मामलों में कठोर सजा के प्रावधान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार, कोई भी चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मान्यता प्राप्त किए बगैर कार्य नहीं कर सकता। 1995 से प्राधिकरण ने 180 चिड़ियाघरों की मान्यता समाप्त की है जिनमें से 49 चिड़ियाघर निजी तौर पर प्रचालित होते हैं। निजी तौर पर प्रचालित होने वाले 49 चिड़ियाघरों में से 32 चिड़ियाघर पहले ही बन्द हो चुके हैं और उनके जीवों को पुनर्वासित किया जा चुका है। राज्यों के मुख्य वन्यजीव वाडनों से अनुरोध किया गया है कि वे शेष चिड़ियाघरों को भी बन्द कराएं और उनके जीवों को उपयुक्त ढंग से पुनर्वासित कराएं। चूंकि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पास दोषी चिड़ियाघरों की मान्यता समाप्त करने की शक्तियां पहले से मौजूद हैं, इसलिए सजा के बारे में मौजूदा प्रावधानों में कोई और संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नारियल उद्योग के विकास के लिए आबंटन

3066. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में नारियल उद्योग समेकित विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए केवल 174 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल में लगने वाले कीड़ों ने तमिलाडु में नारियल के बहुत से वृक्षों को नष्ट कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अनुसंधान और कीट नियंत्रण के लिए आबंटित की गयी अपर्याप्त धनराशि देश में नारियल में लगने वाले कीड़ों का मुख्य कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कीड़ों के नियंत्रण के लिए और अधिक धन के लिए आबंटन का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारत में नारियल उद्योग के समेकित विकास पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत, आठवीं योजना के दौरान 79.29 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में नौवीं योजना के दौरान 174.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

(ख) और (ग) वर्ष 2001 के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 27 जिलों में नारियल माइट द्वारा, लगभग 212 लाख नारियल पाम प्रभावित हुए हैं।

(घ) भारत सरकार ने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में विशेष रूप से नारियल माइट के नियंत्रण हेतु नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से 5800.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत माइट पर अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 141.95 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई। भारत सरकार ने विभिन्न स्तरों पर स्थिति का मूल्यांकन करने तथा समय पर कार्यवाही करने और माइट एवं इसके आगे फैलाव के प्रभावकारी नियंत्रण हेतु भविष्य में कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए जांच समिति भी गठित की है। नारियल विकास बोर्ड ने माइट के लिए नियंत्रण उपायों को अपनाने हेतु वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान तमिलनाडु सरकार को कुल 1054.52 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की थी। वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त की गई 950.00 लाख रुपये की राशि, राज्य सरकार द्वारा 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान उपयोग में नहीं लाई गई। इस राशि का वर्तमान वर्ष में उपयोग हेतु पुनर्वैधीकरण किया गया था।

(ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान, नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के तहत 2000.00 लाख रुपये का आबंटन किया गया जिसमें नारियल के इरियोफाइड का प्रबंध भी शामिल है।

शुल्क मुक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए रॉयल्टी में कमी

3067. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने प्रमुख विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों को दी जाने वाली रायल्टी में कमी किये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पर्यटन विकास निगम के नियंत्रण के बाहर अनेक कारकों से ड्यूटी फ्री शॉप की कुल कारोबारी बिक्री में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, भारत पर्यटन विकास निगम ने ड्यूटी फ्री दुकानों हेतु भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी में छूट चाही है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, ग्लोबल टैंडरों के माध्यम से प्रदान किए गए कांट्रेक्ट में समीक्षा/छूट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इस आधार पर भारत पर्यटन विकास निगम के अनुरोध पर सहमति व्यक्त नहीं की है।

उड़ीसा में पर्यावरणीय पर्यटन

3068. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने की भारी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन से स्थानों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा के भीतर कनीका और हाकीतोका पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदर्श स्थान हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन स्थानों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्यों में पर्यावरणीय/पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन का संवर्धन एवं विकास मुख्यतया सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा भीतर कनिका एवं चिल्का लेक को पारिस्थितिकी-पर्यटन के संवर्धन हेतु अभिनिर्धारित किया गया है।

कीमतों में वृद्धि के कारण प्रभावित होने वाले किसान

3069. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी राज्यों के किसान विभिन्न कृषि उपकरणों, उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि तथा उनके उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों को इस स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा अन्य तत्संबंधित कारकों जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिशें करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उनके कारकों का ध्यान रखता है जैसे उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में हुए परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य समानता, किसानों द्वारा प्रदत्त मूल्यों एवं प्राप्त मूल्यों में समानता। खेती/उत्पादन लागत में समस्त प्रदत्त लागत शामिल है जैसे बीजों, उर्वरकों, खाद आदि पर किया गया नकद तथा वस्तुरूप में किया गया व्यय। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय विभिन्न कृषि उपस्करों, उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि का भी समुचित ध्यान रखा जाता है।

सरकार प्रत्येक मौसम में महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है और राज्य सरकार द्वारा नामित अभिकरणों के अलावा सार्वजनिक एवं सहकारी अभिकरणों जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) एवं तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से खरीद प्रचालन आयोजित करती है। पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई है। देश में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले ही 2002-03 मौसम की खरीफ फसलों के लिए 5 रुपये से 20 रुपये प्रति क्विंटल तक विशेष सूखा राहत मूल्यों की अदायगी की घोषणा की है। हाल ही में वर्षों में प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

मण्डी में प्रमुख कृषि जिन्सों के मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिर जाने पर नामित नोडल अभिकरणों से मण्डी में हस्तक्षेप करके मूल्य सहायता प्रचालन आयोजित करने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम सं०	जिन्स	किस्म	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	विशेष सूखा राहत मूल्य	2001-02 की तुलना में 2002-03 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धान	सामान्य	440	490	510	530	530	20	—
		ग्रेड 'ए'	470	520	540	560	560	20	—
2.	ज्वार		390	415	445	485	485	5	—
3.	बाजरा		390	415	445	485	485	10	—
4.	मक्का		390	415	445	485	485	5	—
5.	रागी		390	415	445	485	485	5	—
6.	गेहूं		550	580	610	620			
7.	जौ		385	430	500	500			
8.	चना		895	1105	1100	1200			
9.	अरहर (तुअर)		960	1105	1200	1320	1320	5	—
10.	मूंग		960	1105	1200	1320	1330	5	10(0.8)
11.	उड़द		960	11015	1200	1320	1330	5	10(0.8)
12.	मसूर		—	—	1200	1300			
13.	गन्ना@		52.70	56.10	59.50	62.05			
14.	कपास	एफ-414/एच-777/जे-34	1440	1575	1625	1675	1675	20	—
		एच-4	1650	1775	1825	1875	1875	20	—
15.	छिलके सहित मूंगफली		1040	1155	1220	1340	1355	20	15(1.1)
16.	पटसन		650	750	785	810	850		40(4.9)
17.	तोरिया/सरसों		1000	1100	1200	1300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	सूरजमुखी बीज		1060	1155	1170	1185	1195	15	10(0.8)
19.	सोयाबीन	काली	705	755	7 5	795	795	10	—
		पीली	795	845	865	885	885	10	—
20.	कुसुम		990	1100	1200	1300			
21.	तोरिया		965	1065	1165	1265			
22.	तम्बाकू (वी०एफ०सी०)	काली मृदा (एफ 2 ग्रेड)	22.50	25.00	26.00	27.00			
	(रुपये/कि०ग्रा०)	हल्की मृदा (एफ 2 ग्रेड)	22.50	27.00	28.00	29.00			
23.	खोपरा	मिलिंग	2900	3100	3250	3300	3300		—
	कैलेण्डर वर्ष	बॉल	3125	3325	3500	3550	3550		—
24.	तिल		1060	1205	1300	1400	1450	5	50(3.6)
25.	रामतिल		850	915	1025	1100	1120		20(1.8)

@न्यूनतम सांविधिक मूल्य वसूली में प्रत्येक 0.1% वृद्धि के लिए अनुपातिक प्रीमियम सहित उस स्तर के ऊपर 8.5% की मूलभूत वसूली से सम्बद्ध है।

मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2000-01 से निर्धारित किये गये हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

त्रिवेन्द्रम में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल

3070. श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री वी०एस० शिवकुमार :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से त्रिवेन्द्रम के द्वितीय टर्मिनल को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नये टर्मिनल का काम काफी समय से लंबित है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) मंत्रालय के पास लंबित त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन पर कार्यात्मक अधिकारों की मांग करने वाली विदेशी कंपनियों के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर एक नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्पलेक्स के निर्माण की योजनाएं हैं बशर्ते की इस संबंध में अपेक्षित भूमि मिल जाए और राज्य सरकार द्वारा यह भूमि मुफ्त में प्राप्त हो साथ ही सभी प्रकार की कानूनी अड़चनों से मुक्त हो।

(घ) किन्हीं विदेशी एयरलाइनों की ओर से त्रिवेन्द्रम के लिए अवतरण-स्थल संबंधी कोई अनुरोध-पत्र लंबित नहीं है।

कर्नाटक में विमान सेवाएं

3071. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सप्ताह में इंडियन एयरलाइंस की मध्यपूर्व की केवल छह उड़ानों तथा इंडियन एयरलाइंस तथा मलेशियाई एयरलाइंस की सुदूर पूर्व की केवल ग्यारह उड़ानों से जुड़ा हुआ है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार केन्द्र सरकार से विमान सेवाओं की संख्या बढ़ाने की वकालत कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने मध्य-पूर्व तथा सुदूर पूर्व से एयरलिंक में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(ग) विदेशी विमानकंपनियों को देश में विभिन्न हवाईअड्डों के लिए प्रचालन तथा देशी विमान-वाहकों को देश से बाहर स्थित हवाईअड्डों के लिए प्रचालन के संबंध में दी जाने वाली अनुमति के बारे में समय-समय पर होने वाली द्विपक्षीय विमान सेवा वार्ताओं में निर्णय लिए जाते हैं। इस तरह होने वाले द्विपक्षीय वार्ताओं में कर्नाटक सरकार के अनुरोध के संबंध में विचार किया जाएगा।

खतरनाक पेशों के लिए अधिसूचना

3072. श्री के० येरननायडू : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरी के संदर्भ में खतरनाक पेशों/प्रक्रियाओं की सूची के विस्तार के संबंध में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन के लिए केन्द्र सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं और अधिसूचना के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों को सहायता

3073. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज तक कृषि क्षेत्र में राज्य सरकारों विशेष रूप से महाराष्ट्र को राज्यवार कुल कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या महाराष्ट्र को प्रदान की गई उक्त सहायता राशि अन्य राज्यों को प्रदान की गई सहायता राशि की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों को प्रदान की गई धनराशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त उपयोग में न लायी गई धनराशि का राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि के विकास के लिए कार्यान्वित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों को प्रदत्त एवं उनके द्वारा उपयोगिता केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। महाराष्ट्र को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है।

(ङ) दिनांक 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार राज्यों के पास व्यय न की गयी धनराशि तथा चालू वर्ष 2002-03 के दौरान दिनांक 30.9.2002 तक राज्यों को निर्गत एवं उनके द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत निर्मुक्त/व्यय धनराशि

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6175.51	5312.24	3914.84	5260.57	4235.45	4901.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	475.05	243.63	761.31	794.35	1216.81	1398.70
3.	असम	386.91	456.97	1099.27	192.67	1798.80	1853.57

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	240.7	179.27	419.59	17.61	18.44	970.8
5.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	1175.49	675.00
6.	गोवा	202.06	60.46	49.12	156.13	222.15	215.38
7.	गुजरात	4789.31	4575.21	4713.47	3692.61	3108.33	1079.16
8.	हरियाणा	1648.8	1611.23	1833.74	2023.1	1988.36	2142.13
9.	हिमाचल प्रदेश	1116.09	1326.06	1338.17	1269.07	1896.97	1865.82
10.	जम्मू और कश्मीर	1060.35	1018.9	917.87	434.45	916.43	1154.49
11.	कर्नाटक	8159.30	6514.77	7180.52	5705.63	7039.95	7140.20
12.	केरल	2571.59	2058.06	3724.72	538.71	2698.61	2658.96
13.	मध्य प्रदेश	7696.70	8900.25	5506.69	6440.38	6813.06	4612.06
14.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	963.00	0.00	1610.05	1483.00
15.	महाराष्ट्र	8324.33	8841.11	10633.31	8352.73	10598.78	10884.66
16.	मणिपुर	984.03	686.41	935.68	716.32	938.27	1241.08
17.	मिजोरम	894.94	740.23	1083.69	1010.77	1766.82	1928.22
18.	मेघालय	601.02	56.22	724.74	293.75	969.27	1431.49
19.	नागालैण्ड	1223.07	990.76	1489.72	1416.60	1717.66	1588.19
20.	उड़ीसा	4594.78	2562.7	1680.81	2664.25	2073.05	2397.03
21.	पंजाब	1206.84	329.45	849.49	437.53	1033.00	403.86
22.	राजस्थान	8470.36	7346.15	8133.23	8037.73	6763.15	8240.4
23.	सिक्किम	541.89	330.36	825.29	755.17	1292.44	1495.59
24.	तमिलनाडु	5513.83	4430.36	5665.59	4323.58	5416.38	6068.56
25.	त्रिपुरा	951.07	779.39	817.25	1002.11	1609.10	1438.10
26.	उत्तर प्रदेश	7603.00	10122.21	7068.83	7436.80	7938.75	7422.45
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	882.00	440.08	1515.35	1424.42
28.	पश्चिम बंगाल	1544.25	1278.56	1595.47	1936.77	2913.80	2082.00
	कुल	76975.78	70750.96	74812.71	65349.47	83140.28	80196.78

विवरण-II

वर्ष 2002-2003 के दौरान 30.9.2002 तक निर्मुक्त धनराशि तथा व्यय एवं दिनांक 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार व्यय न की गयी शेष राशि

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1.4.2002 को व्यय न की गई शेष राशि	30.9.2002 तक निर्मुक्ति	30.9.2002 तक व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2099.8C	2702.52	844.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	155.30	330.46	92.25
3.	असम	716.15	566.00	45.00
4.	बिहार	2367.49	1219.50	3.25
5.	झारखण्ड	786.00	633.00	7.00
6.	गोवा	39.12	109.50	7.29
7.	गुजरात	2438.85	2321.58	524.88
8.	हरियाणा	346.60	1791.65	930.87
9.	हिमाचल प्रदेश	281.37	913.21	53.02
10.	जम्मू और कश्मीर	296.01	821.00	11.46
11.	कर्नाटक	1376.95	3714.51	695.09
12.	केरल	51.64	1803.00	186.78
13.	मध्य प्रदेश	2541.00	3067.43	4061.62
14.	छत्तीसगढ़	563.40	801.06	68.65
15.	महाराष्ट्र	2834.22	5015.70	825.42
16.	मणिपुर	570.83	424.09	91.34
17.	मिजोरम	210.97	606.5	199.5
18.	मेघालय	148.43	453.5	9.00
19.	नागालैण्ड	34.02	558	72.99
20.	उड़ीसा	2251.43	1335.5	164.51
21.	पंजाब	2911.75	890	51.95
22.	राजस्थान	1012.77	4013.67	965.29
23.	सिक्किम	69.86	278.1	42.00
24.	तमिलनाडु	755.55	3228.56	1014.881
25.	त्रिपुरा	65.71	554	33.41
26.	उत्तर प्रदेश	2470.34	3637.9	391.88
27.	उत्तरांचल	184.49	745.914	46.45
28.	पश्चिम बंगाल	670.84	1367.04	78.24
	कुल	28250.97	43902.89	11518.98

पवन हंस के वरिष्ठ प्रबंधक के खिलाफ मामला

3074. श्री सुबोध राय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवंबर 2002 के *राष्ट्रीय सहारा* में *पवन हंस के वरिष्ठ प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज* शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 31.10.2002 को सी०बी०आई० ने पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि० (पी०एच०एच०एल०) के वरिष्ठ प्रबंधक (सामग्री), मैसर्स फ्लाई जैक फारवर्डर्स तथा अन्य अज्ञातों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है जिससे कि परिवहन ठेका के जोड़-तोड़ करके निविदा आमंत्रित कराने में कथित अनियमितताओं की जांच की जा सके। सी०बी०आई० मामले की छानबीन कर रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विदेशी निवेश

3075. श्री रामशकल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किए गए विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस निवेश में योगदान देने वाले देशों का देशवार ब्यौरा क्या है और इसमें कितने देशों ने निवेश किया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) और (ख) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के वास्ते समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास और सुधार, इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देना, विदेशी निवेश के मामले में शतप्रतिशत तक स्वत: अनुमोदन शामिल है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 की अवधि के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में लगभग 903 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। अनुमोदित विदेशी निवेश के देशवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के वास्ते अनुमोदनों का देशवार सार

(1/4/1999 — 31/3/2002)

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	देश	विदेशी निवेश
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	1077.25
2.	बेल्जियम	5.00
3.	कनाडा	10.00
4.	डेनमार्क	2200.00
5.	फ्रांस	17812.00
6.	जर्मनी	5118.00
7.	जापान	8610.98
8.	मलेशिया	105.84
9.	मॉरिशस	2600.03
10.	नीदरलैंड	9331.57
11.	न्यूजीलैंड	10488.00
12.	एन०आर०आई० (अनिवासी भारतीय)	9671.34
13.	ओमान	23.50
14.	रूस	1.73
15.	सिंगापुर	2334.39
16.	स्पेन	91.07
17.	स्वीडन	30.34
18.	स्विट्जरलैंड	315.00
19.	संयुक्त अरब अमीरात	47.00
20.	ब्रिटेन	437.68
21.	संयुक्त राज्य अमेरिका	20050.21
	कुल	90360.93

[अनुवाद]

मत्स्य उत्पादन में गिरावट

3076. श्री के०पी० सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगाल की खाड़ी के उड़ीसा तट पर मत्स्य उत्पादन में आई तीव्र गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। प्रत्येक वर्ष जनवरी से मई के दौरान समुद्र तक फैले हुए गाहीरमाथा, मैरीन नील लाइफ सैंचुरी (1435 वर्ग कि०मी०), जटाधर से देवी नदी मुहाने तक (20 कि०मी०), चिल्का मुहाने से रसीकुलिया मुहाने तक (20 कि०मी०), जैसे निर्धारित स्थानों में ओलाइव रिडली समुद्री कछुआ का संरक्षण करने के लिए तट रेखा के पर्याप्त क्षेत्र में कमी के कारण इन क्षेत्रों में मछली उतारने में गिरावट आई है।

(ग) मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) आउट बोर्ड मोटर इंजिन तथा इनबोर्ड मोटर इंजिन प्रदान करने के लिए परंपरागत यानों के मोटरीकरण के लिए राजसहायता;

(2) 20 मी० से कम लम्बाई वाले यांत्रीकृत जलयानों को आपूर्तित किए गए एच०एस०डी० आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति;

(3) जी०पी०एस० फिश फिंगर आदि जैसे आधुनिक मत्स्यन उपकरणों को प्रदान करके मौजूदा मत्स्यन नौकाओं का आधुनिकीकरण;

(4) मत्स्यन गियरों की मेश साइज को विनियमित करना;

(5) 30 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों की स्थापना करना; और

(6) सात खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से तटवर्ती जलकृषि को बढ़ावा देना।

कर्नाटक में मत्स्य उत्पादन

3077. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में मत्स्य उत्पादन की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक की अनुमानित समुद्री मात्स्यिकी क्षमता 4.25 लाख टन है जिसमें से 2.25 लाख टन 70 मीटर की गहराई वाले तट के भीतर के जल से है तथा शेष 2.00 लाख टन तट से दूर/गहरे समुद्र से है। राज्य के पास 5.03 लाख हेक्टेयर ताजे जल के संसाधन हैं जिनमें 2.93 लाख हेक्टेयर के तालाब एवं पोखर, 2.10 लाख हेक्टेयर के जलाशय शामिल हैं। राज्य की अनुमानित अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षमता 3.00 लाख टन प्रति वर्ष है। इस समय समुद्री तथा अंतर्देशीय क्षेत्रों से 2.50 लाख टन का उत्पादन होता है।

(ग) राज्य में नौवीं योजना के दौरान मछली उत्पादन के सुधार के लिए निम्नलिखित किदम उठाए गए हैं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा यांत्रीकृत नौकाओं द्वारा प्रयुक्त एच०एस०डी० के लिए राज्य बिक्री कर की छूट;

(2) पारंपरिक नौकाओं के मोटरीकरण के लिए राजसहायता तथा मछली का पता लगाने एवं नौचालन संबंधी उपकरणों के प्रावधान;

(3) समेकित समुद्री मात्स्यिकी विकास तथा समेकित जलाशय मात्स्यिकी विकास में क्रमशः 23.24 करोड़ रुपए तथा 4.28 करोड़ रुपए की ब्लाक लागत से एन०सी०डी०सी० सहायता प्राप्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन;

(4) 13 मत्स्य किसान विकास एजेंसियों (एफ०एफ०डी०ए०) का गठन; और

(5) मत्स्य बीज उत्पादन के लिए विस्तारित राजसहायता तथा जलभराव क्षेत्रों का विकास।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिए टेक्नालॉजी मिशन

3078. **श्री पी०आर० किन्डिया :**
श्री के०ए० सांगतम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक योजना अर्थात् "टेक्नालॉजी मिशन" की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना से विपणन, परिवहन, वित्तपोषण की प्रक्रिया किस तरह चुस्त-दुरुस्त होगी तथा किसान की जमीन पर शीतागार की सुविधा किस तरह से प्रदान की जायेगी;

(घ) किसानों के हितों के लिए उक्त योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ङ) क्या पूर्वोक्त क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी के अंदर लाए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ज) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(झ) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग वर्ष 2001-02 से ''सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन'' पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस मिशन में चार मिनी मिशनों की एक संरचना है। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए मिनी मिशन-I भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा समन्वित तथा कार्यान्वित; उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए मिनी मिशन-II, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा समन्वित तथा कार्यान्वित; कटाई पश्चात प्रबंध एवं विपणन के लिए मिनी मिशन-III कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा समन्वित तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं मण्डी आसूचना निदेशालय द्वारा कार्यान्वित और प्रसंस्करण के लिए मिनी मिशन-IV, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा समन्वित एवं कार्यान्वित।

चार मिनी मिशनों के जरिए मिशन प्रणाली सम्बन्धी दृष्टिकोण, उत्पादन, कटाई पश्चात प्रबंधन, भण्डारणों, मूल्य वृद्धि, प्रसंस्करण और विपणन के सभी मामलों पर ध्यान देने के लिए समेकित तरीके से आद्योपात दृष्टिकोण (एन्ड टू एन्ड एप्रोच) सहित क्षेत्र में बागवानी के विकास को सुनिश्चित करना है।

(ङ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बागवानी के विकास के लिए पूर्वोक्त प्रौद्योगिकी मिशन क्षेत्र में बागवानी के विकास के सभी पहलुओं पर वृहत रूप से ध्यान दे रहा है और इसलिए इस समय सरकार के पास कोई नई योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) से (झ) सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन वर्ष 2001-02 से कार्यान्वयनाधीन है। संबंधित राज्यों की कार्य योजनाओं के आधार पर, वर्ष 2001-02 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 11592 हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी फसलों के तहत कवर किया गया है। इस अवधि के दौरान 67.25 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2002-03 के लिए, इस मिशन के लिए 120.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इस वर्ष के दौरान, कार्यान्वित किए जाने वाले कायक्रमों में बागवानी फसलों के तहत 25000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करना भी शामिल है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की धीमी प्रगति

3079. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की धीमी प्रगति से अवगत है जैसा कि इस संस्थान ने अपने 402 के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर 1995-2001 के दौरान केवल 180 घरेलू परियोजनाओं को पूरा किया है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अकादमिक उत्कृष्टता के केन्द्र के तौर पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है हालांकि उक्त अवधि के दौरान संकाय सदस्यों की संख्या विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल किए गये छात्रों की संख्या से तीन गुना थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रतिष्ठित संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) 1995-2000 के दौरान 402 आंतरिक परियोजनाएं चल रही थी। इसमें से 210 परियोजनाएं 1994 में प्रारंभ की गई थी जिनमें से 205 परियोजनाएं 1999 में पूरी हो गई।

अप्रैल, 1999 में, अन्य 192 नई परियोजनाएं शुरू की गई थीं। ये संतोषजनक रूप से प्रगति पर हैं। कुछ परियोजनाओं की अवधि 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाई गई, जिससे इन परियोजनाओं से प्राप्त परिणामों को ध्यान में रखकर नए अग्रणी अनुसंधानों को पूरा किया जा सके।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक समतुल्य विश्वविद्यालय है और अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 1958 से इसी रूप में कार्यरत हैं, अत: शिक्षा तो इसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों का केवल एक अंग है। 524 वैज्ञानिक स्टाफ में से केवल 430 एम०एम०सी० और पी०एच०डी० छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए पात्र हैं और दिल्ली में रहते हैं। भा०कृ०अ०सं० एम०एस०सी० और पी०एच०डी० के लिए विभिन्न विषयों में प्रतिवर्ष लगभग 200 छात्रों को प्रवेश देता है और मानदंडों के अनुसार एक गाइड दिए गए समय में अधिक से अधिक केवल 3 छात्रों को गाइड कर सकता है। अत: संकाय का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भा०कृ०अ०सं० में अनेक समितियों का गठन किया गया है जो अनुसंधान कार्यक्रमों की मानीटरिंग करती हैं। इसमें प्रभागीय बजट और अनुसंधान समिति, स्टाफ अनुसंधान परिषद और अनुसंधान सलाहकार समिति सम्मिलित हैं जो नई अनुसंधान गतिविधियों पर मार्गदर्शन और आवश्यक नीति निदेश भी देती है। इनके अलावा, परिषद सावधिक पंचवर्षीय समीक्षा दल की नियुक्ति करती है जो संस्थान के कार्यक्रमों के कार्यकलाप की मानीटरिंग करती है।

उत्तरांचल में पर्यटन विकास

3080. **श्री अधीर चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और उत्तरांचल सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में पर्यटन के स्थलों/सस्ते होटलों की स्थापना करने के लिए कोई राहत/वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित की गई समय सीमा, यदि कोई हो, क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में पर्यटन का विकास मुख्यतया सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग उनके परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन परिपथों एवं गन्तव्यों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तरांचल की कुछ परियोजनाओं को भी इस योजना के अंतर्गत अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) हरिद्वार-ऋषिकेश को गन्तव्य के रूप में विकास हेतु अभिनिर्धारित किया गया है और जगेश्वर को ग्रामीण पर्यटन परियोजना हेतु अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) जगेश्वर में प्रस्तावित ग्रामीण पर्यटन परियोजना में, विद्यमान पर्यटक आवास इकाई के विस्तार तथा कम आय वर्ग के पर्यटकों हेतु, कैम्पिक स्थल के विकास को सम्मिलित किया गया है।

(घ) राज्य सरकार से, जगेश्वर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए, विस्तृत लागत अनुमान आदि भेजने का अनुरोध किया गया है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में पंजीकृत संस्थानों को धनराशि

3081. **श्री सुरेश चंदेल :** क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चर्मकार्य के प्रयोजन हेतु सीधे खादी बोर्डों के माध्यम से खादी ग्रामोद्योग आयोग पंजीकृत संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान और बाद में इन संस्थानों को राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या जारी की गई धनराशि अनिवार्यतः मंजूरी के नियमों के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) जिम्मेदारी निर्धारित करने और दोषी को दंडित करने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई हो, क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के यहां 9 संस्थान पंजीकृत हैं जैसे कि हरियाणा-3, महाराष्ट्र-3, तमिलाडु-2 तथा आन्ध्र प्रदेश-1 जो कि टैनेरी क्रियाकलाप को प्रत्यक्षतः अपने हाथ में लेते हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान के०वी०आई०सी० द्वारा इन संस्थानों को फण्ड रिलीज नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई

3082. **श्री किरीट सोमैया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुम्बई की सीमा को दोबारा से मापा जाना है और इसका सर्वेक्षण किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त पार्क पर अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के समक्ष कठिनाइयां आ रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बंजर भूमि

3083. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों विशेष रूप से मध्य प्रदेश को बंजर भूमि की स्थायी कृषि उपयोग हेतु विकसित करने

के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता, राज्यवार दी गई है; और

(ख) उपर्युक्त खर्च के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को राज्य वार रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) बंजर भूमि, खड़ी पहाड़ी ढलानों, बर्फ से ढके तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों से संबंधित है जिसे किफायती लागत पर कृषि के तहत नहीं लाया जा सकता, इसलिए ऐसे क्षेत्रों के विकास की कोई स्कीम नहीं है।

हालांकि, भारत सरकार बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि के विकास के लिए देश में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :–

(क) कृषि मंत्रालय

(i) वर्षासिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०)।

(ii) नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों (आर०वी० पी० तथा एफ०पी०आर०) के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण।

(iii) क्षारीय मृदा का सुधार (आर०ए०एस०)।

(iv) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू०डी० पी०एस०सी०ए०)।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय

(i) समेकित पनधारा विकास परियोजना (आई०डब्ल्यू०डी०पी०)

(ii) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)

(iii) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०)

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत की गई राज्य-वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों (1999-2002) के दौरान बंजर भूमि तथा अवक्रमित भूमि के सुधार के तहत कवर की गई राज्य-वार तथा योजना-वार भूमि

क्षेत्र 000' हे० में

क्रम सं०	राज्य	आईडब्ल्यूडीपी	डीडीपी	डीपीएपी	आरएएस	डब्ल्यूडीपी एससीए	एनडब्ल्यूडी पीआरए	आरवीपी एण्ड एफपीआर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	195.46	118.00	533.50			48.34	32.53	927.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.30				10.05	1.67		20.02
3.	असम	193.13				8.91	0.00	0.54	202.58
4.	बिहार	8.00		37.00			1.94	0.00	46.94
5.	छत्तीसगढ़	88.01		151.50			40.02	5.22	284.75
6.	गुजरात	110.48	477.00	334.50	2.00		170.29	21.04	1115.31
7.	हरियाणा	30.28	160.00		22.00		13.60	13.25	239.13
8.	हिमाचल प्रदेश	193.83	109.00	67.00			17.91	16.00	403.74
9.	झारखण्ड	24.68		196.00			0.00	0.00	220.68
10.	जम्मू व कश्मीर	30.57	140.00	88.00			0.17	16.44	275.18
11.	कर्नाटक	116.23	218.50	379.50			132.16	91.66	938.05
12.	केरल	19.47					66.65	1.83	87.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मध्य प्रदेश	254.49		580.00			194.27	94.36	1123.12
14.	महाराष्ट्र	169.46		546.50			151.80	53.46	921.22
15.	मणीपुर	20.50				8.01	14.58		43.09
16.	मेघालय	34.72				7.46	13.65		55.83
17.	मिजोरम	113.12				20.93	30.40	0.83	165.28
18.	नागालैंड	127.18				86.82	30.91		174.91
19.	उड़ीसा	112.19		166.00			39.87	6.56	324.62
20.	पंजाब	14.18			11.00		2.87	0.00	27.96
21.	राजस्थान	205.30	1036.50	192.50	2.00		323.86	73.51	1833.67
22.	सिक्किम	42.94					13.57	0.00	56.51
23.	तमिलनाडु	157.61		180.00			150.93	13.90	502.44
24.	त्रिपुरा	19.42				10.02	21.92	1.77	53.13
25.	उत्तर प्रदेश	166.70		235.50			151.67	161.19	715.06
26.	उत्तरांचल	79.16		119.00			30.94	19.53	248.63
27.	पश्चिम बंगाल	5.46		44.00			34.53	29.55	113.54
28.	गोवा						2.80		2.80
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह						2.29		2.29
30.	चण्डीगढ़								0.00
31.	दादरा व नागर हवेली						0.00		0.00
32.	दिल्ली								0.00
33.	दमन और दीव								0.00
34.	लक्षद्वीप								0.00
35.	पाण्डिचेरी								0.00
36.	डीवीसी (झारखण्ड)							43.39	43.39
	योग	2540.89	2259.00	3850.50	37.00	82.20	1703.52	696.56	11169.67

आईडब्ल्यूडीपी – समेकित पनधारा विकास परियोजना

डीडीपी – मरुस्थल विकास कार्यक्रम

डीपीएपी – सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

आरएएस – क्षारीय मृदा का सुधार

डब्ल्यूडीपीएससीए – झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना

एनडब्ल्यूडीपीआरए – वर्षासिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

आरवीपी एण्ड एफपीआर – नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदियां

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों (1999-2002) के दौरान बंजर भूमि तथा अवक्रमित भूमि के सुधार पर खर्च की गई राज्य-वार तथा योजना-वार भूमि

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	राज्य	आईडब्ल्यूडीपी	डीडीपी	डीपीएपी	आरएएस	डब्ल्यूडीपी एससीए	एनडब्ल्यूडी पीआरए	आरवीपी एण्ड एफपीआर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4276.90	2087.00	11497.00			981.73	1935.63	20778.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.85				321.77	80.00		487.62
3.	असम	2337.63				387.00	134.88	17.91	2877.42
4.	बिहार	66.00		572.00			77.17	0.00	715.17
5.	छत्तीसगढ़	697.90		1381.00			1399.89	259.15	3737.94
6.	गुजरात	2382.79	7454.00	3471.00	173.62		4087.63	1277.76	18846.17
7.	हरियाणा	309.44	2748.00		291.83		320.39	421.59	4091.25
8.	हिमाचल प्रदेश	2538.79	1220.00	654.00			828.49	1536.65	6777.93
9.	झारखण्ड	189.49		1569.00			49.32	0.00	1807.81
10.	जम्मू व कश्मीर	693.13	1845.00	886.00			35.40	1383.91	4843.44
11.	कर्नाटक	1933.12	1713.00	4322.00			5236.56	3544.47	16749.25
12.	केरल	241.03					2374.36	268.42	2883.81
13.	मध्य प्रदेश	3982.29		8258.00			5242.81	3745.95	21229.05
14.	महाराष्ट्र	1439.96		4553.00			5109.80	2825.28	13928.04
15.	मणिपुर	825.11				462.00	895.00		1982.11
16.	मेघालय	260.74				602.00	533.01		1395.75
17.	मिजोरम	933.23				1385.00	1511.00	107.03	3936.26
18.	नागालैंड	2419.11				1256.00	1595.00		5270.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	उड़ीसा	1905.94		1698.00			1529.94	302.30	5436.18
20.	पंजाब	288.92			322.50		127.50	0.00	718.92
21.	राजस्थान	2499.75	19919.00	2562.00	96.31		11465.41	4580.02	41122.49
22.	सिक्किम	836.44					678.42	0.00	1514.86
23.	तमिलनाडु	1997.80		2600.00			4887.43	1505.20	10990.43
24.	त्रिपुरा	160.23				602.44	950.92	102.10	1815.69
25.	उत्तर प्रदेश	4169.27		3837.00	10.00		4873.34	5605.38	18494.99
26.	उत्तरांचल	632.33		835.00			1196.03	1631.93	4295.29
27.	पश्चिम बंगाल	45.00		662.00			970.03	196.23	1873.75
28.	गोवा						81.39		81.39
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह						91.57		91.57
30.	चण्डीगढ़								0.00
31.	दादरा व नागर हवेली						0.00		0.00
32.	दिल्ली								0.00
33.	दमन और दीव								0.00
34.	लक्षद्वीप								0.00
35.	पाण्डिचेरी								0.00
36.	डीबीसी (झारखण्ड)							3036.10	3036.10
37.	एचक्यू/अन्य		15.00	52.00				127:00	194.00
	योग	38127.66	37001.00	49409.00	894.26	5016.21	57144.91	34410.01	222003.05

आईडब्ल्यूडीपी – समेकित पनधारा विकास परियोजना

डीडीपी – मरूस्थल विकास कार्यक्रम

डीपीएपी – सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

आरएएस – क्षारीय मृदा का सुधार

डब्ल्यूडीपीआरए – झूम खेती क्षेत्रों

एनडब्ल्यूडीपीआरए – वर्षासिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

आरबीपी एण्ड एफपीआर – नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदियां

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफ्रीकी हाथीदांत की बिक्री

3084. डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री अनादि साहू :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 नवम्बर, 2002 के "द पायनीर" में "ए फेलयर, एलीफेन्टानि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संकटापन्न पादपों और पशुओं को अफ्रीका के व्यापार संबंधी सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अफ्रीकी हाथीदांत की समिति बिक्री किए जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप अब भारतीय हाथी पर भी खतरा मंडरा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बैठक में उपस्थित सरकारी अधिकारी पहले से ऐसा निर्णय लेने में विफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) हाथीदांत के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने और इस उद्देश्य के लिए हाथियों का शिकार रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। साईट्स (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डैंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाईल्ड फाउना एंड फ्लोरा) के पक्षकारों की कान्फ्रैंस की बारहवीं बैठक 3 नवम्बर से 15 नवम्बर 2002 तक सान्तीएगो (चाईल) में आयोजित हुई थी। पक्षकारों की कान्फ्रैंस ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन बोट्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से हाथी दांत की एक बार बिक्री करने की अनुमति देने का निर्णय किया है :—

1. यह सेल बोट्सवाना (20,000 कि०ग्रा०) नामीबिया (10,000 कि०ग्रा०) और दक्षिण अफ्रीका (30,000 कि०ग्रा०) की सरकारों के पास मौजूदा कानूनी आधार पर खरीदे गए हाथीदांत के मौजूदा संचय तक ही सीमित होगी।

2. हाथी दांत का निर्यात केवल ऐसे देशों को किया जाएगा जिनके पास पर्याप्त हाथी दांत व्यापार नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध होगी और इसे पुन: निर्यात नहीं किया जाएगा।

3. यह व्यापार मई, 2004 से पूर्व और किसी भी स्थिति में साईट्स सचिवालय द्वारा भावी आयातक देशों के संबंध में प्रमाणित किए जाने तथा माईक (मानीटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलीफैंट्थ-साइट्स द्वारा अनुमोदित एक मानीटरी तंत्र) द्वारा सचिवालय को बेस लाइन सूचना (उदाहरणार्थ हाथियों की संख्या, अवैध हत्या की घटनाएं) उपलब्ध कराए जाने से पूर्व तक शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. यह व्यापार तभी आरंभ होगा जब साईट्स की स्थायी समिति ने यह मान लिया हो कि उपर्युक्त शर्तें पूरी की गई है।

5. प्रस्तावित बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग केवल हाथी संरक्षण और संबंधित निर्यातक देशों के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए ही किया जाएगा।

(ग) पक्षकारों की कान्फ्रैंस ने प्रस्तावित बिक्री से अफ्रिकी और एशियाई हाथियों की उन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से रक्षा करने के उद्देश्य से निर्यातक और आयातक देशों पर उपर्युक्त अनेक शर्तें लागू की हैं। इसके अलावा, नियमित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की बजाय केवल एक बार बिक्री की अनुमति दी गई है और निर्यातक देशों को पक्षकारों की दिसंबर 2004 को आयोजित होने वाली अगली कांफ्रैंस से नए सिरे से अनुमति लेनी होगी। इस तरह से भारतीय हाथी को किसी बड़े खतरे की कोई संभावना नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। पक्षकारों की कान्फ्रैंस के निर्णय गुप्त मतदान द्वारा दो तिहाई बहुमत से लिए गए थे। भारत ने विचाराधीन प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था।

(च) भारत सरकार ने हाथी दांत के अवैध व्यापार तथा हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

1. भारत सरकार ने हाथियों और उनके वासस्थलों की सुरक्षा के लिए हाथी रखने वाले प्रमुख राज्यों वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु "हाथी परियोजना" नाम से एक विशेष स्कीम आरंभ की है। 31.3.2002 तक केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 52.42 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी थी। इस योजना के तहत चालू वर्ष के दौरान 9 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

2. भारत सरकार ने हाथियों की उनके समस्त क्षेत्र में व्यावहारिक संख्या के व्यवस्थित और केन्द्रीभूत संरक्षण के लिए देश में 25 हाथी रिजर्वों की पहचान की है। इसके बाद से इनमें से 14 हाथी रिजर्व राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जा चुके हैं।

3. भारत सरकार ने देश के भीतर हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने हाथी दांत के निर्यात-आयात पर भी रोक लगा दी है।

4. भारत सरकार ने हाथी दांत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भारतीय हाथियों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए माईक (साईट्स द्वारा विनिर्धारित मानीटरिंग तंत्र) को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं।

5. वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके पर्यावरण एवं वन सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति का गठन किया गया है।

6. वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए केन्द्र सरकार ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सी०बी०आई० को शक्तियां प्रदान की है।

7. गृह मंत्रालय ने वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन विभागों के फील्ड फार्मेशन्स को सहायता पहुंचाने हेतु सभी राज्य सरकारों को लिखा है।

8. भारत के प्रधान मंत्री ने भी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिसमें उनको वन्यजीवों के सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

विदेशों में पदस्थापित अधिकारियों का कार्य-निष्पादन

3085. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चौधरी :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 2002 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में ''विदेशों में तैनाती को लेकर पर्यटन मंत्रालय के अफसरों में ठनी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विदेशों में तैनाती के लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ग) विदेशों में कितने समय अवधि के लिये अधिकारियों की तैनाती की जाती है और विदेशों में पदस्थापित अधिकारियों का कार्य-निष्पादन किस स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है; और

(घ) सरकार द्वारा मानदंडों का उल्लंघन कर रहे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विदेशी कार्यालयों में तैनाती, निर्धारित एवं पारदर्शी मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित होती है। चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करती है तथा उनके निष्पादन का मूल्यांकन करती है। चयन समिति अन्य बातों के साथ, वैश्विक पर्यटन बाजार की प्रति-स्पर्धात्मक प्रकृति संज्ञान एवं प्रबन्धात्मक योग्यता को वरीयता देने, मौखिक एवं लिखित सम्प्रेषण कौशल, भारतीय पर्यटन उत्पादों का ज्ञान, वैश्विक पर्यटन परिदृश्य का ज्ञान, प्रशासन का ज्ञान, वित्तीय कौशल एवं कम्प्यूटर का ज्ञान इत्यादि का ध्यान रखती है। विदेशों में तैनाती की अवधि 3 वर्ष है। विदेशी कार्यालयों के निष्पादन की मानीटरिंग सचिव (पर्यटन) सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है। प्रचलित नियमों एवं मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए, विदेशों में तैनाती के लिए किसी का भी चयन नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

जल क्षमता

3086. श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नदियों और वर्षा के उपलब्ध जल क्षमता का 15% से भी कम उपयोग होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वर्षा और नदियों में जल क्षमता को बढ़ाने के लिये कोई दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) देश में हिमपात रहित औसत 4000 बिलियन घन मीटर वर्षा होती है। इसमें से देश की नदी प्रणालियों में वार्षिक औसत प्रवाह 1869 बिलियन घनमीटर है। स्थलाकृतिक, जलवैज्ञानिक तथा अन्य बाधाओं के कारण उपयोज्य सतही जल संसाधन 690 बिलियन घनमीटर और वार्षिक पुनर्भरणीय जल संसाधन लगभग 432 बिलियन घनमीटर आंके गए हैं जो कि कुल 1122 बिलियन घनमीटर बैठते हैं। इस समय इसमें से 605 बिलियन घनमीटर जल सतही और भूजल संसाधनों के माध्यम से प्रयोग किया जा रहा है।

जल क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनकीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी प्रायोगिक आधार पर "भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधन विकास के लिए एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल को जल की कमी वाले बेसिनों में हस्तांतरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है जिससे जल क्षमता में और अधिक वृद्धि होगी।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 632(अ) जो 13 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 27 जनवरी, 1994 की अधिसूचना संख्या का०आ० 60(अ) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 754(अ) जो 17 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 27 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का०आ० 25(अ) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 1010(अ) जो 18 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का०आ० 884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का०आ० 1211(अ) जो 18 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का०आ० 884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6248/2002]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) ललिता कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललिता कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6249/2002]

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6250/2002]

(4) निम्नलिखित संस्थानों से संबंधित वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे :—

(क) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6251/2002]

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बंगलौर।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6252/2002]

(तीन) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6253/2002]

(चार) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6254/2002]

(पांच) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6255/2002]

(छह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6256/2002]

(सात) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6257/2002]

(आठ) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6258/2002]

(नौ) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, गुरदासपुर।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6259/2002]

(दस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6260/2002]

(ग्यारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6261/2002]

(बारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6262/2002]

(तेरह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6263/2002]

(चौदह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, लखनऊ।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6264/2002]

(पन्द्रह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुम्बई।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6265/2002]

(सोहल) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6266/2002]

(सत्रह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, पटना।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6267/2002]

(अठारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6268/2002]

(उन्नीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, शिमला।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6269/2002]

(बीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 6270/2002]

[श्री जगमोहन]

(इक्कीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नॉलॉजी, तिरूवनन्तपुरम।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6271/2002]

(बाईस) नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नॉलॉजी, नई दिल्ली।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 6272/2002]

(ख) उपर्युक्त संस्थानों के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, *देखिये* संख्या एल०टी० 6273/2002]

(5) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6274/2002]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा इन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6275/2002]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) वेस्ट बंगाल एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेस्ट बंगाल एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-1998 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6276/2002]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6277/2002]

(ग) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 6278/2002]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम तथा कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिये संख्या एल०टी० 6279/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :–

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है :

कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(ii) "मुझे आपको सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 5 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति में आकस्मिक रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :–

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति से श्री बिक्रम वर्मा के त्यागपत्र देने तथा श्री अमर सिंह के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा से दो सदस्य नियुक्त करे और यह संकल्प किया कि उक्त समिति में रिक्त हुए पदों को भरने के लिए सर्वश्री ललित भाई मेहता और अमर सिंह को नियुक्त करें।"

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) हरियाणा, बिहार और देश के अन्य भागों में दलितों पर अत्याचार

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, श्री राम विलास पासवान और अन्य माननीय संसद सदस्यों ने, हरियाणा के झज्जर जिले में दुलीना में अनुसूचित जाति के 5 सदस्यों की हत्या के बारे में 4 दिसम्बर, 2002 को मामला उठाया था। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस और कुछ साम्प्रदायिक तत्वों ने इन व्यक्तियों की हत्या की है।

हरियाणा सरकार द्वारा सूचित मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दशहरा के दिन 15 अक्तूबर, 2002 को 5 व्यक्ति फारूख नगर, जिला गुड़गांव से आ रहे थे और करनाल जा रहे थे। झज्जर जिला रास्ते में पड़ता है। वे, टाटा 407 वाहन में 228 खालें (गाय की 34 खालें, भेड़ की 2 खालें और भैंस की 192 खालें) और एक मरी हुई गाय ले जा रहे थे। मरी हुई गाय फारूख नगर के एक खाल विक्रेता से 200 रु० में खरीदी गई थी। यह एक आवारा पशु था और 15.10.2002 की सुबह मर गया था।

फारूख नगर से करनाल जाते हुए वे पुलिस चौकी दुलीना से गुजरे और दुलीना और झज्जर के बीच में रूके। उन्होंने सड़क के किनारे मरी हुई गाय की खाल उतारनी शुरू की। यह लगभग 6.30 बजे अपराह्न का समय था और आस-पास के गांवों के लोग झज्जर शहर में दशहरा देखकर अपने घरों को वापस लौट रहे थे। मृतकों को गाय की खाल निकालते देख, लोगों ने सोचा कि खुलेआम गोवध किया जा रहा है। वहां पर लगभग 50-60 व्यक्ति एकत्रित हो गए और सभी पांचों मृतकों को बुरी तरह से पीटा। लोग मृतकों को पुलिस चौकी ले गए और कहा कि मृतक गो हत्या कर रहे थे जिस पर सहायक उप निरीक्षक ने पंजाब गो हत्या निषेध अधिनियम, 1955 की धारा 3/8 के अंतर्गत एक मामला सं० 469 दर्ज किया। तथापि, सहायक उप निरीक्षक ने प्राथमिक जांच पड़ताल करने के बाद लोगों को बताया कि यह गोहत्या का मामला नहीं है, बल्कि मृतकों ने फारूख नगर से मरी हुई गाय खरीदी थी और उसकी खाल उतार रहे थे। लेकिन गांव वालों ने सहायक उप निरीक्षक के साथ जबरदस्त बहस की और यह निर्णय लिया कि फारूख नगर में यह तहकीकात की जाय कि गाय को जिन्दा खरीदा गया था या मृत। एक हैड-कान्सटेबल, टाटा 407 वाहन का ड्राईवर और जनता में से एक व्यक्ति की टीम बना कर फारूख नगर भेजी गयी। तहकीकात करने पर यह सिद्ध हो गया कि मृतकों ने मरी हुई गाय खरीदी थी। तहकीकात करने वाली पार्टी लगभग रात्रि 8.00 बजे वापस लौटी, तब तक वहां से

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

गुजरने वाले अनेक व्यक्ति आधी खाल निकली गाय को देख चुके थे और झज्जर शहर और आस-पास के गांवों में गो हत्या की अफवाह फैल गयी थी। लाठियों, जैलियों इत्यादि से लैस हजारों लोग वहां पर एकत्र हो गए और उन्होंने मुख्य सड़क को अवरूद्ध कर दिया। यह सुनने पर, पुलिस उप अधीक्षक, झज्जर, अपने बल के साथ थाना प्रभारी, झज्जर, नायब तहसीलदार, झज्जर और शहर-मजिस्ट्रेट, झज्जर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। तथापि भीड़ बढ़ती गई और हिंसक हो गई। उन्होंने पुलिस कार्मिकों पर पथराव शुरू कर दिया। बहुत से पुलिस और सिविल अधिकारी जख्मी हुए। उन्होंने उन्हें शांत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। पुलिस ने लाठी चार्ज किया लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। भीड़ ने टाटा 407 वाहन और पुलिस चौकी के नजदीक एक झोंपड़ी को आग लगा दी। उन्होंने पुलिस चौकी को भी आग लगाने की कोशिश की। उन्होंने मृतकों को पकड़ने के लिए पुलिस चौकी की खिड़की की ग्रिल को भी तोड़ने की कोशिश की।

भीड़, पुलिस से अधिक हो गई थी और अन्धेरा हो चुका था। घटनास्थल पर उपस्थित मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों ने गोली न चलाने का निर्णय लिया क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती थी क्योंकि पुलिस और भीड़ के बीच कोई फासला नहीं रह गया था और भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। लोहे की छड़ों और अन्य हथियारों से लैस हुडदंगियों का एक हिंसक ग्रुप अचानक वहां पहुंचा और पुलिस कार्मिकों और मजिस्ट्रेट को एक तरफ धकेल कर पुलिस चौकी का दरवाजा तोड़ डाला। उन्होंने तथाकथित पांचों गो हत्यारों पर लोहे की छड़ों, लाठियों, पत्थरों और इंटों इत्यादि से हमला बोल दिया और उन्हें बाहर मुख्य सड़क पर ले आए। वहां उन्होंने उन्हें पीट-पीट कर मार डाला। उन्होंने दो शवों को उस झुग्गी में डाल दिया जिसमें पहले से ही आग लगी हुई थी।

इस घटना के संबंध में भा०दं०सं० की धारा 148/149/302/435/332/353/452 के तहत 15.10.2002 को एक मामला सं० 470 दर्ज किया गया। जांच पड़ताल करने के लिए, उप पुलिस अधीक्षक झज्जर, निरीक्षक, बहादुरगढ़, उप निरीक्षक और थाना प्रभारी, झज्जर और पुलिस चौकी दुलीना के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक को लेकर एक विशेष जांच-पड़ताल टीम गठित की गई। शवों की जांच, डाक्टरों के एक बोर्ड द्वारा की गई और शवों को मृतकों के रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। गाय की भी शव-परीक्षा की गई जिसमें यह सिद्ध हो गया कि गाय, घटना से कम से कम 24 घंटे पहले मर गई थी। जांच पड़ताल के दौरान, अभी तक 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2) भी जोड़ दी गई है।

मृतकों पर प्रारम्भिक हमला करने के लिए भा०दं०सं० की धारा 148/149/323, 506 और गोहत्या अधिनियम, 1955 की धारा 3/8 के तहत दिनांक 15.10.2002 का दूसरा मामला सं० 469 को दर्ज किया गया और 9 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आगे जांच-पड़ताल जारी है।

हरियाणा सरकार ने भी, पूरी घटना की जांच करने के लिए डिवीजनल कमीशनर, रोहतक की अध्यक्षता में एक जांच का आदेश दिया है। जांच की रिपोर्ट शीघ्र ही आने की सम्भावना है। हरियाणा सरकार ने मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के नजदीकी रिस्तेदार को 5 लाख रु० की अनुग्रह राशि की घोषणा की है और इस राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। सरकार ने, मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया है।

हरियाणा का युगों से साम्प्रदायिक सदभाव का इतिहास रहा है। सभी वर्गों के लोग शांति और सदभावना से रहते हैं। अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचारों को गम्भीरता से लिया जाता है और उनकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना इस गलतफहमी के कारण हुई कि गोहत्या खुल्ले-आम की जा रही है, जिससे लोगों की भावनाएं भड़क गई और इसे अनुसूचित जाति के सदस्यों पर जानबूझकर किया गया अत्याचार नहीं समझा जाना चाहिए। तथापि, डिवीजनल कमिश्नर, रोहतक की जांच रिपोर्ट में यदि किसी को दोषी पाया जाता है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगी।

जहां तक बिहार और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के प्रति अत्याचार का संबंध है, हाल में, कोई बड़ी घटना सूचित नहीं की गई है। वास्तव में, पिछले 5 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति भा०दं०सं० अपराधों में प्रत्यक्ष कमी आई है। 1997 में 18,658 भा०दं०सं० अपराध हुए, ये संख्या 2000 में घटकर 17,397 हो गई जो 6.8% की गिरावट को दिखाती है। जहां तक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अपराधों की घटनाओं का संबंध है, 1990 में 3683 घटनाएं हुई जो 2000 में घटकर 810 रह गई इसमें 78% की गिरावट आयी। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों की घटनाओं में 13.4% की कमी हुई है जो, 1995 में हुई 17,511 घटनाओं की तुलना में 2000 में घटकर 15,157 रह गई।

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचारों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर अधिक ध्यान देने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार

निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन में पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाना, उनके प्रति अत्याचार के मामलों से निपटते हुए अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने हेतु पुलिस को अनुदेश जारी करना, ऐसे अपराधों की जांच-पड़ताल करने वाले पुलिस कार्मिकों का कार्यक्षेत्र तथा दायित्व निर्धारित करना, पुलिस कार्मिकों के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों से संबंधित लोगों की पर्याप्त संख्या में भर्ती, विशेष तौर पर कार्य-निष्पादन के स्तर पर, ऐसे अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करना, समाज के कमजोर वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम तथा उन्हें उपलब्ध कानूनी सहायता, विशेष न्यायालयों के कार्यकरण का मूल्यांकन, अपराध रोकने के लिए अत्याचार बहुल क्षेत्रों की पहचान तथा अत्याचार के शिकार व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए कदम उठाना शामिल है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह असत्य का पुलिंदा है। ... *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, जो बयान आया है यह नितांत असंतोषजनक है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि इस प्रकार के विवरण में स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्नों की अनुमति नहीं है। यही प्रक्रिया है और मैं नियमों का उल्लेख कर रहा हूं और आप को भी इसकी जानकारी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट सुनिये। जब यह विषय यहां उठाया गया था तब मैंने कहा था कि मैं इस विषय को बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में रखूंगा और यदि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी मान लेगी तो इस विषय पर चर्चा भी हो सकती है। लेकिन अभी जो निवेदन किया गया है, मैंने आदेश दिया था कि यह निवेदन भी पहले आना चाहिए था और मैं इस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में लेकर जाऊंगा। इसलिए यह बात हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे हर निवेदन पर यहां बाद में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

[अनुवाद]

यदि इसपर सूचना दी गई हो तो चर्चा हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं तो केवल शीघ्र चर्चा कराए जाने, यदि संभव हो सके तो, का अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसपर शीघ्रातिशीघ्र चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.13 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) विधेयक* — पुर:स्थापित

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत भूमि, मार्गाधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात का नियंत्रण तथा उन पर अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने का भी उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत भूमि, मार्गाधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात का नियंत्रण तथा उन पर अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने का भी उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री राधाकृष्णन, आपने कहा था कि आप विधेयक का विरोध करना चाहेंगे। नियमों के अनुसार आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके द्वारा दी गई सूचना कालातीत थी। लेकिन आप अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं आपके बहुमूल्य सुझाव को स्वीकार करता हूं। मुझे उस मुख्य और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति दी जाए और मैं इसे तीन-चार वाक्य में समाप्त कर दूंगा।

वर्तमान विधेयक में निहित सिद्धांतों का स्वागत करते हुए मैं इसका एक बुनियादी कारण से विरोध करने पर विवश हूं। जिस प्रकार बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है उसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है ... *(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खंड 2, दिनांक 9.12.2002 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : यह राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण विधेयक है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, प्रश्न तो नेशनल हाइवे के बारे में था। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : बलात्कार की तरह ही सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। अब यदि हम समाचारपत्र देखें प्रतिदिन बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें छप रही हैं। कल भी, किसी ग्राम पंचायत के प्रेसीडेंट की दुर्घटना हो गई। कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका कारण राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव नहीं किया जाना है। जब हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं हमें इनकी जर्जर स्थिति का पता चलता है। इन सभी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यही है। इसमें वृद्धि हो रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर चर्चा होगी, उस समय आप अपना प्रश्न उठा सकते हैं। अब कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : नहीं, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। विधेयक में विभाग अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की त्रुटि हेतु उन्हें दंडित किए जाने का कोई उपबंध नहीं किया गया है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब बिल पर चर्चा होगी, आप उस समय इस विषय पर बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

जब हम विधेयक पर चर्चा करेंगें तब आप इसके बारे में बोल सकते हैं, अभी नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : उन्हें निश्चितरूप से जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। इस विधेयक में यह उपबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं। सामान्यतः किसी विधेयक का विरोध इसे पुरःस्थापित किए जाने के चरण में इस सभा में इसके विधायी योग्यता के आधार पर किया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सचिवालय इसके विधायी योग्यता, जिसपर माननीय सदस्य का हक है और इसे उठा सकते हैं, से संबंधित कतिपय बातों की जांच करे। लेकिन प्रत्येक बार हम इस सूचना के द्वारा यह देखते हैं कि विधेयक के गुण-दोष पर शुरू में ही चर्चा की जाती है।

इस सभा के नियमों और परंपराओं के उचित अनुपालन हेतु मैं अनुरोध करूंगा कि इसके विधायी योग्यता का पता लगाया जाए, सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है और वे इसे उठा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बार यह होता है कि पुरःस्थापना के चरण पर ही विधेयक के गुण-दोष पर चर्चा की जाती है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं विधायी क्षमता पर चर्चा कर रहा हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जब विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है तो सिद्धांत रूप से इसकी विधायी क्षमता होगी। लेकिन इसमें विधायी क्षमता का अभाव है।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब बातों के लिए यह बिल लाया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत भूमि, मार्गाधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात का नियंत्रण तथा उन पर अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने का भी उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 12.18 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) कर्नाटक के अपहृत भूतपूर्व मंत्री की कथित हत्या के बारे में

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं नागप्पा साहब की हत्या का मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : देवगौड़ा जी इसी विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने भी इस बारे में आपको नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आपका भी नोटिस है।

[अनुवाद]

श्री एच०डी० देवगौड़ा (कनकपुर) : आपकी अनुमति से मैं कर्नाटक के भूतपूर्व मंत्री श्री नागप्पा के संबंध में हुई दुखद घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। उनका वीरप्पन के गिरोह द्वारा लगभग 110 दिन पूर्व अपहरण कर लिया गया था। दो दिन पूर्व, उसने एक रिकार्ड किए गए मैसेज में कहा कि नागप्पा की मृत्यु किसी अन्य राज्य द्वारा किए गए मुठभेड़ के कारण हो गई है। मैं इस रिकार्ड की सत्यता पर बात नहीं करना चाहता हूं। हमारे समक्ष यह मुद्दा नहीं है ... *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, उन्होंने किसी अन्य राज्य का उल्लेख किया है। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने इससे पूरी तरह इंकार किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री एच०डी० देवगौड़ा : मैं इस रिकार्ड की सच्चाई की बात नहीं करा हूं। मैंने यही कहा है।

महोदय, यह मुद्दा दोनों राज्यों के लिए आतंक है। विगत में इसके कारण कई महत्वपूर्ण जिंदगी गई हैं। राज्य सरकारों द्वारा इस आतंक को समाप्त करने हेतु विगत में भी स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके व्यापक उपाय किए गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सफल नहीं हो सके हैं।

भारत सरकार ने कई अवसरों पर बी०एस०एफ० और स्पेशल फोर्स को भेजकर इन्हें राज्य सरकारों के टास्क फोर्स के साथ मिलकर सहयोग करने हेतु भेजा है।

दुर्भाग्यवश प्रत्येक राज्य में कई बार हुए सत्ता परिवर्तन से कुछ मतभेद उभरे हैं और वे इस मुद्दे पर उचित और समन्वित रूप से कार्यवाही करने में असफल रहे हैं। इन सभी बातों के पीछे यही कारण है।

मैं भी कर्नाटक का लगभग डेढ़ वर्ष तक मुख्य मंत्री रहा था। मैंने सभी संभव प्रयास किए थे। उस समय, हमने कुछ प्रगति की थी। उस समय डा० जयललिता, तमिलनाडु की मुख्य मंत्री थी। वीरप्पन के भाई अर्जुन को उसी अवधि के दौरान मारा गया। हमने हरसंभव प्रयास किए थे। उसके साथ शायद तीन व्यक्ति ही बचे थे। यही स्थिति थी। दुर्भाग्यवश, इसके बाद की हुई घटनाओं से स्थिति खराब हुई है। मैं राजनैतिक लाभ की प्राप्ति हेतु कोई राजनीतिक भाषणा नहीं देना चाहता हूं। इस घटना से कर्नाटक में अत्यधिक तनाव व्याप्त है।

वीरप्पन के संदेश से चाहे वह सत्य अथवा असत्य हो कर्नाटक के लोगों में अत्यधिक तनाव व्याप्त हो गया है। वर्ष 1992 में हुई घटनाएं किसी कीमत पर दुहराई नहीं जाएं। केंद्र को अब बगैर समय गंवाए कार्यवाही करनी चाहिए। गोधरा में जो हुआ मैं उसे नहीं उठाना चाहता हूं। इस रिकार्ड से कर्नाटक राज्य में तनाव व्याप्त हो गया है। मुझे मुख्य चिंता इसकी है। एक अमूल्य जीवन खो दिया गया है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूं कि कौन सही अथवा गलत हैं अथवा राज्य सरकार की विफलता किस चरण पर हुई। मैं इन सभी बातों को अभी नहीं उठाना चाहता हूं क्योंकि इससे स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि पूरा मामला किसी प्रकार समाप्त हो जाए। इसमें भारत सरकार को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

श्री नागप्पा के परिवार के सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री और डा० जयललिता सहित अन्य सभी नेताओं से भेंट की थी। उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर सहयोग करने और नागप्पा को इस गिरोह से मुक्त कराने का अनुरोध किया था। सभी प्रयास विफल रहे और यह घटना तीन दिन पूर्व ही घटित हुई है।

मुख्य मंत्री के रूप में मेरा अपना अनुभव है कि इस मामले पर कैसे कार्यवाही की गई थी। सहयोग और उचित समन्वय नहीं है। मैं किसी पक्ष को दोष नहीं देना चाहता हूं। भारत सरकार को विशेष कार्यबल की अगुवाई का जिम्मा लेना चाहिए और दोनों राज्यों को उस समय के राजनैतिक मतभेदों को दूर करके सहयोग करना चाहिए। अब यह सभी चीजें असंगत हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु को अब इस संकट से मुक्त करवाया जाना चाहिए।

अनेक बहुमूल्य जीवन नष्ट हो चुके हैं। अनेक अधिकारी मारे गए और कत्ल किए गए इसके अतिरिक्त अनेक हाथी मारे गए। मैं इस सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। भारत सरकार को आज स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

[श्री एच०डी० देवगौड़ा]

मैं यह बता सकता हूं कि भारत सरकार ने विभिन्न स्तरों पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है। दोनों सरकारों को आपसी समझबूझ के साथ सामंजस्य और शान्ति से रहना चाहिए। इस प्रकार के संकट को जारी रहने देने से दोनों राज्यों के बीच ओर अधिक तनाव होगा। माननीय उपप्रधान मंत्री को सदन में आना चाहिए और यह घोषणा करनी चाहिए कि वे इस संकट को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेने वाले हैं। इसकी बजाय कि राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करने दे, केन्द्र सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

कतिपय खामियां हैं। मैं कुछ जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि कुछ लोग उस आदमी को संदेश दे रहे हैं, जिन्होंने इन गंभीर घटनाओं को किया है। विगत 20 से 25 वर्षों के दौरान, उत्तरवर्ती सरकारों चाहे यह करूणानिधि सरकार अथवा जयललिता सरकार या देवगौड़ा सरकार अथवा कृष्णा सरकार हो, ने भरसक प्रयास किया। मुद्दा यह नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि उस लुटेरे को सूचना दे रहे हैं क्योंकि उसने उन्हें पाला है। उसकी अपनी एजेंसी अथवा संगठन हैं जो कि सूचना एकत्र करती हैं कि कार्यबल किस ओर चल रहा है।

अत: यह सभी चीजें बाधा बनने वाली हैं। अत: भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भारत सरकार को सभी चीजों की निगरानी करनी चाहिए। दोनों राज्य सरकारों को अपना सहयोग देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वीरप्पन का आतंक समाप्त हो। मैं समझता हूं कि यह ही स्वर्गीय नागप्पा को वास्तविक श्रद्धांजली होगी। मैं उनकी चिंता से अवगत हूं। मैं जानता हूं कि इस परिवार ने इस अपहरण से कितना कष्ट झेला है। आज सारा परिवार शोकाकुल है। हमें उस परिवार की चिंता है। अत: इस प्रभावित परिवार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि इस आतंक को समाप्त किया जाये। कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों को शांतिपूर्वक रहना चाहिए और सौहार्द बनाए रखना चाहिए।

मैं माननीय उपप्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सदन में आएं और बताएं कि क्या भारत सरकार दोनों राज्य सरकारों के सहयोग से इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है या नहीं। भारत सरकार के नेतृत्व में एक संयुक्त ऑपरेशन हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह इस समस्या का उत्तर है। मैं यह ही कहना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जनता दल यू के नेता श्री एच० नागप्पा की 106 दिन अपहरण में रहने के बाद नृशंस हत्या हुई है और सारा सदन इस पर अपना शोक प्रकट करता है और उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है।

यहां पर अभी देवेगौडा जी ने कहा और यह बात भी रखी गई कि इसमें कोई राजनैतिक बात नहीं है, परंतु यह प्रश्न हमारे सामने उभरकर आता है कि इन 106 दिनों में कर्नाटक के मुख्य मंत्री और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री एक बार भी क्यों नहीं मिले? 106 दिनों तक वे लगातार अपहरण में रहे। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभी कृपया बैठ जाइये। कृपया उन्हें सुने।

(व्यवधान)

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : यह दोनों राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : भारत सरकार ने क्या किया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : पांच दिन पहले हमने सवाल उठाया था कि इन दोनों राज्यों के बीच में तनाव है परंतु भारत सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। ... *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : आप हमारी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : यह कितनी दुखदायी बात है कि ऐसे में दो राज्यों का सवाल उठ रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी सरकार का जवाब आएगा। आप बैठिये।

(व्यवधान)

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, देवेगौडा जी बोले तो हममें से कोई भी बीच में नहीं बोला। मैं कहना चाहता हूं कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री इसकी जिम्मेदारी लें और उनको इस बात पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें अभी त्यागपत्र दे देना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आप सभी जानते हैं कि यह राजनीति का विषय नहीं है और मल्होत्रा जी अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। आपके नेता शिवराज पाटील जी भी इस पर अपना मत व्यक्त करने

वाले हैं। मल्होत्रा जी को अपने विचार रखने का अधिकार है और उन्हें कहने दें।

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उडुपी) : गृह मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी शिवराज जी भी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : राजनीति करने के अलावा, आरोप-प्रत्यारोप के अलावा इनका कोई काम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : माननीय अध्यक्ष जी, आप इनको रोकिये। ये कभी किसी को बोलने नहीं देते। आप इनको यहां से बाहर निकालिये। जब कोई बोलता है तो ये खड़े हो जाते हैं। अपनी बारी पर बोलियेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैंने उन्हें बोलने की इजाज़त दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि उन्हें अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं तो आप अपने तर्क रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : ये हर बार खड़े हो जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, केन्द्र ने स्पैशल टास्क फोर्स भेजी और उसे पांच दिन के बाद वापस भेज दिया गया तथा ऐसा कहा गया कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। हमें स्पैशल टास्क फोर्स की आवश्यकता नहीं है। उसे वहां की सरकार ने पांच दिन के बाद वापस भेज दिया।

आज 106 दिन हो गए हैं। वीरप्पन ने 12 दिन का नोटिस दिया कि 12 दिन के बाद श्री नागप्पा की हत्या कर देंगे। कर्नाटक सरकार ने क्या किया ? कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको तो चिन्ता हो रही है गुजरात चुनाव की। आप लोग तो गुजरात चुनाव में घूम रहे हैं और श्री नागप्पा की रक्षा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के०एच० मुनियप्पा : महोदय, गुजरात इससे कैसे जुड़ा है ? ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : वे ऐसा कैसे कह सकते हैं ? ...*(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ : महोदय, माननीय सदस्य इसे गुजरात से जोड़ रहे हैं। यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, 106 दिन हो गए। दो राज्यों का मसला है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य श्री देवगौड़ा जी बोल रहे थे तो उन्हें बोलने दिया गया। माननीय सदस्य डा० विजय कुमार मल्होत्रा को भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटिल को बोलने की अनुमति देने जा रहा हूं। वह भी बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, स्पैशल टास्क फोर्स को पांच दिन के बाद वापस कर दिया और कर्नाटक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरा सवाल मैं यह उठाना चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने दबाव डाला और यह कहा कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से बात क्यों नहीं की जा रही है, तब जाकर 90

[डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा]

दिन के बाद गृह मंत्री को भेज दिया कि आप जाकर बातचीत करिए।

अध्यक्ष महोदय, पहले राजकुमार जी का अपहरण हुआ था, उस समय वहां के जो सिने स्टार थे जिन्हें प्रयत्न करना चाहिए था, उन्होंने तो अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया, लेकिन कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से 10 बार बात की और 10 बार उनकी मीटिंग्स बुलाकर सभी बिन्दुओं पर बातचीत की ... *(व्यवधान)**

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष जी, कर्नाटक के डी०जी० पुलिस ने यह बात कही है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) महोदय, यह सही नहीं है ... *(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय क्या वह कुछ भी गैर जिम्मेदाराना बात कह सकते हैं ? इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटील को अपने सुझावों पर बोलने के लिये कहा है। अगले वक्ता श्री शिवराज पाटील हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मुझे इस प्रकार के वक्तव्य पर आपत्ति है। ... *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यहां यह लिखा हुआ है। मैं आपको यह पुस्तक दे सकता हूं। इसका शीर्षक है 'वीरप्पनस् प्राईज कैच : राजकुमार जो कि श्री सी० दिनकर द्वारा लिखी गई है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया श्री शिवराज पाटील की बात सुनें।

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, वह एक राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध वक्तव्य दे रहे हैं, जोकि सदन में उपस्थित नहीं है। यदि उन्हें इस प्रकार के आरोप लगाने हैं ... *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : यहां क्या आरोप है ? *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : यदि उन्हें इस प्रकार के आरोप किसी गैर-सदस्य पर लगाने हैं तो उन्हें न केवल उन दलों को जिनके

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

विरुद्ध वे बोल रहे हैं बल्कि सरकार को भी नोटिस देना होगा और सरकार के विचार भी जानने होंगे ... *(व्यवधान)* उन्हें सरकार से उसकी जांच करनी होगी और इस पर सरकार का उत्तर जानना होगा ... *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, ये हर बार यही मामला उठाते हैं। वहां के डायरैक्टर जनरल पुलिस की किताब है। यह उनकी किताब में लिखा है। यदि आप कहें, तो मैं इस किताब को सदन के पटल पर रख देता हूं। उन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है। ... *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। माननीय सदस्य डा० विजय कुमार मल्होत्रा उसका उत्तर दे सकते हैं जो कुछ भी मैं सदन में कह रहा हूं। यदि वह कोई आरोप लगाते हैं, तो यह आवश्यक है कि वह माननीय गृह मंत्री को नोटिस दें और सूचना प्राप्त करें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने माननीय गृह मंत्री को नोटिस दिया है और क्या सूचना प्राप्त की है या नहीं।

दूसरी बात यह है कि यदि वे किसी अन्य दल के किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें भी नोटिस देना होगा ... *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह पुस्तक श्री सी० दिनकर द्वारा लिखी गई है ... *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : तीसरी बात यह है कि यदि वह व्यक्ति सदन में नहीं बैठा है तो माननीय सदस्य उसके विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकते। यदि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य सदन में देने की अनुमति दी जाती है तो सदन का उपयोग एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के लिए किया जाएगा ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : सर, यह किताब मेरे हाथ में है। मैं इसे आर्थेटीकेट कर के टेबल पर रख देता हूं ... *(व्यवधान)** यह पुस्तक पूर्व पुलिस प्रमुख ने लिखी है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ... *(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इस पुस्तक में वहां के पुलिस के चीफ ने लिखा है कि मुख्य मंत्री महोदय ने किस प्रकार से पैसे दिए और कितनी किस्तों में दिए। मैं इसे यहां रख देता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, पुनः मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं यह अनुरोध करूंगा कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि 'शून्यकाल' में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न एक पुस्तक के उद्धरण से संबंधित है। सदन में किसी भी पुस्तक, समाचारपत्र अथवा किसी पत्रिका का उद्धरण, दस्तावेजों की प्रमाणिकता के बिना नहीं दिया जा सकता। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं इस प्रमाणित करता हूं और इसे सभापटल पर रखता हूं *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : उन्हें अपने निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। और यदि वे अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं तो वह किसी भी कागज के टुकड़े को उठाकर पढ़ने लगें और यही कहें कि चूंकि यह एक कागज पर लिखा हुआ है, अतः यह विश्वसनीय होना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप ऐलीगेशन वाली स्टेटमैंट कोट न करें तो ठीक होगा। आप ऐसे स्टेटमैंट मत कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 'शून्यकाल' में सिर्फ दो मिनट के वक्तव्य की अनुमति है।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, देवेगौड़ा जी 45 मिनट बोले हैं। उससे पहले वाले सदस्य 15 मिनट बोले। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी आपसे यह रिक्वैस्ट है कि आप ऐलीगेटरी स्टेटमैंट मत कीजिए। इसके अलावा आपको जो कुछ कहना है, वह कहिये।

(व्यवधान)

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह कह रहा हूं कि अगर जितना प्रयास श्री राजकुमार जी को छुड़ाने के लिए किया गया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड की जांच करूंगा और इसे निकाल दिया जाएगा। मैं आपसे सहमत हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जे०एस० बराड़ : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो ऐलीगेटरी बोला है, उसका क्या होगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी आरोप लगाने वाली बातें कही गई हैं, उन्हें निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जितनी कोशिश श्री राजकुमार जी को छुड़ाने के लिए की गई, अगर उसका सौवां हिस्सा या दसवां हिस्सा भी कोशिश करते और गुजरात के चक्कर न लगाते रहते तो आज नागप्पा साहब की हत्या न होती, वे बच जाते। आज उनको बचाया जा सकता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र ने बार-बार कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स भेजिये। क्या सारे देश के लिए यह शर्म की बात नहीं है कि एक आदमी जिसने 120 आदमियों की हत्या कर दी, हजारों हाथियों की हत्या कर दी और वह लगातार तस्करी करता रहे, बजाए इसके कि सब उसे पकड़ने या मारने की कोशिश करें, वहां पर कर्नाटक के अंदर यह आम चर्चा है कि सरकार की मिलीभगत है ? उसको रुपया दिया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। वहां पर उसे मारने के लिए कोई उत्सुक नहीं है। केन्द्र सरकार ने बार-बार कहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स लें, हैलीकॉप्टर लें या जिस किसी चीज की जरूरत है, वह लीजिए। ईश्वर के लिए ऐसे तस्कर को, ऐसे हत्यारे को पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए पूरी ताकत लगाइये। उनको मिलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां न सेकें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कृपया मुझे भी बोलने के लिए दो मिनट दीजिए ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पूरी चर्चा ओपन नहीं कर सकता। मिनिस्टर साहब का स्टेटमैंट आने के बाद ही इस पर चर्चा हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील : मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री नागप्पा जी की हत्या हुई है। उनकी इस दुखद मृत्यु पर हम अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी के नेता की तरफ से उनके कुटुम्ब के सदस्यों को सम्वेदना देना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील : इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने वहां के विरोधी पक्ष के नेता से बातचीत करके कि इस मामले में किस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए, के बारे में सोचा और उसे करने की कोशिश की। तरीके से जो कुछ निकला, उसकी उन्होंने कोशिश की। जहां तक मुझे मालूमात है, इस बारे में तमिलनाडु की गवर्नमैंट और केन्द्र सरकार से भी थोड़े-बहुत पैमाने पर चर्चा हुई। उसके बाद यहां रूलिंग पार्टी की ओर से जो कहा जा रहा है, वह बहुत ही दुखद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी की मृत्यु हो गई, उसकी चिता जल रही है और कोई आकर उस चिता पर अपनी रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहा है। ... *(व्यवधान)* अगर हमें गुजरात में इलैक्शन के लिए इसका उपयोग करना होता तो अक्षरधाम मंदिर में जो कुछ हुआ है, हम उसका उपयोग करते। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब चुप रहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : हमने या हमारे नेता ने इस सदन में और बाहर किस प्रकार का वक्तव्य दिया और किस प्रकार का हमने बर्ताव किया, यह सारे लोगों के सामने है। इस प्रकार की बात करना केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में झगड़ा पैदा करना है। इस प्रकार की बात करना तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक की सरकार में झगड़ा पैदा करना है। श्री देवेगौड़ा जी ने जो कुछ कहा, वह बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी हो सकता है, वह कहना चाहिए। सरकार की ओर से तो नहीं बोला जाता मगर रूलिंग पार्टी की ओर से बड़ी गैर-जिम्मेदारी से इस प्रकार के वक्तव्य दिये जाते हैं जो हमारे देश की एकता के लिए अच्छे नहीं हैं।

इस दुखद समय पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इसके बारे में पूरी तरह से मालूमात आने के बाद अगर चर्चा की जरूरत है तो यहां जरूर चर्चा की जा सकती है। असल में इसकी चर्चा लैजिस्लेटिव असैम्बली में होनी चाहिए। यदि चर्चा यहां होनी है तो पूरी मालूमात आने के बाद चर्चा करेंगे और जो भी सदस्य यहां बोलना चाहते हैं या किसी किताब का हवाला लेकर बोलना चाहते हैं, वे पूरी जिम्मेदारी से बोलें। अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसा वक्तव्य करने के बाद कानूनन इस हाउस में जो होता है, वह होना चाहिए ताकि इस सदन का उपयोग किसी के खिलाफ न हो। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री एच०डी० देवगौड़ा : कृपया मुझे एक बात कहने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है और मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एच०डी० देवगौड़ा : महोदय, मैं करबद्ध होकर कहता हूं कि मेरा स्थगन प्रस्ताव किसी राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं है। कृपया ... *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : आप क्या कह रहे हैं ? जब आप बोल सकते हैं तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं ? ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह भारतीय संसद के कार्यकरण की अत्यन्त ही खराब स्थिति है कि एक मौत को इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है। हम कहां जा रहे हैं? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर आपकी भावनाओं को समझता हूं। सभा ने आपकी मांग को उठाया है – और मैं इस सभा का अध्यक्ष हूं – सरकार को इस मुद्दे पर विस्तृत वक्तव्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रसन्न होऊंगा यदि इस मुद्दे को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा लिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री एच०डी० देवगौड़ा : सत्तारूढ़ कार्य के मेरे मित्र कुछ क्षण के लिए मेरा साथ दें। यह राजनीति करने का प्रश्न नहीं है। शुरूआत में ही, मैंने कहा कि हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मैंने डा० जयललिता द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ा है। मैंने कहा कि रिकार्ड किए गए संदेश को मैं विश्वसनीय नहीं मान सकता। यही कारण है कि मैंने कहा कि मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मुझे खेद है कि मैं आपको आगे अनुमति नहीं दे सकूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री से पहले ही अनुरोध कर चुके हैं। मंत्री को वक्तव्य देने दीजिए। इसे मुद्दे पर सभी नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इस सभा में सभी पक्षों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकूंगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री देवगौड़ा, आप अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप बैठिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रमोद महाजन भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप अभी ही सारे मुद्दों को पूरा कर लेना चाहते हैं? मंत्री के द्वारा वक्तव्य देने के बाद ही, इन बातों पर चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री वी० धनन्जय कुमार (मंगलोर) : वह कैसे इस तरह वक्तव्य दे सकते हैं। इसका आधार क्या है?

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड नहीं किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं श्री देवगौड़ा द्वारा जो कहा गया है मैं उससे सहमत हूं। यह अत्यन्त ही दु:खद है। हम शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। श्री देवगौड़ा ने ठीक ही कहा कि यह एक ऐसा विषय है कि सबको किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे से ऊपर उठना चाहिए और सबको इसके खतरे से निकलने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे में गलती निकालने का प्रयास करने की बजाए एक साथ मिल कर प्रयास करना चाहिए। यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय संसद का इन संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। यह अत्यन्त ही शर्मनाक बात है।

श्री पी०एच० पांडियन : श्री देवेगौड़ा ने मेरा नेता और तमिलनाडु की मुख्य मंत्री डा० जे० जयललिता द्वारा जारी वक्तव्य का हवाला दिया। उन्होंने कल यह कहते हुए कि सिर्फ कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर ही संयुक्त कार्यवाही स्थगित की गई थी, और यह घटना कर्नाटक की सीमा से लगभग 40 कि०मी० अंदर हुआ था, वक्तव्य दिया था। यह सच है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष जी, नागप्पा जी की निर्मम हत्या के संबंध में सदन ने जो उसकी भर्त्सना की है, मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से अपने आपको इससे सम्बद्ध कर सकता हूं।

वीरप्पन द्वारा फैलाया गया आतंकवाद हम सब के लिए एक चुनौती है। नागप्पा जी की हत्या इसकी अन्तिम कड़ी होगी। पहली कड़ी,

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रमोद महाजन]

बहुत पहले इसमें शुरू हुई थी। मैं आशा करता हूं कि नागप्पा जी जैसे एक वरिष्ठ नेता की हत्या के बाद यह वीरप्पन के आतंकवाद की अन्तिम कड़ी होगी। मैं देवगौड़ा जी से सहमत हूं कि नागप्पा जी तथा अन्य हत्याओं के सिलसिले में वीरप्पन को कानून के शिकंजे में पकड़कर उसको उचित सजा दिलवाना, यही नागप्पा जी के लिए असली श्रद्धांजलि होगी।

भारत सरकार की ओर से मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारत सरकार को, कर्नाटक सरकार को और तमिलनाडु सरकार को मिलकर वीरप्पन के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। जितना हम समझते हैं, अगर उसे पकड़ना इतना आसान होता तो वह बहुत पहले ही पकड़ा गया होता। उसमें मुश्किलें हैं, सरकारें आई हैं, गई हैं, दोनों प्रान्तों में बदली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वीरप्पन जहां है, वहीं है। उसका आतंकवाद जितना है, उतना है। मैं केन्द्र सरकार की ओर से उप-प्रधान मंत्री गृह मंत्री की ओर से आश्वस्त करता हूं कि हम जरूर इसमें पहल करेंगे। हम कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार से भी बात करेंगे और किसी प्रकार का उन दोनों का या तीनों का कोई संयुक्त मोर्चा बन सकता है तो उस संयुक्त मोर्चा बनाने की भी कोशिश करेंगे। इन दोनों सरकारों को अगर पुलिस की आवश्यकता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की आवश्यकता है या सेना की आवश्यकता है तो सब विचार-विमर्श होने के बाद वीरप्पन को पकड़ने के लिए जिस किसी की भी आवश्यकता हो, उसमें केन्द्र सरकार अपने संवैधानिक दायरे के अन्तर्गत हरसम्भव कोशिश करेगी, हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे।

मैं समझता हूं और मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार, कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार मिलाकर ऐसा कोई मुहेम चलाएंगे, जिसमें नागप्पा की हत्या वीरप्पन का अन्तिम शिकार साबित होगी। इसके बाद अगला शिकार वीरप्पन ही हो, इसमें हम दोनों सरकारों का समर्थन करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम श्री प्रमोद महाजन द्वारा किए गए वक्तव्य की सराहना करते हैं। उनसे इसी की उम्मीद थी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : मान्यवर, आपने कहा था कि शून्यकाल में अवसर देंगे तो क्या शून्यकाल समूचा खत्म हो जायेगा, तब अवसर देंगे ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : समय खत्म नहीं होगा। समय खत्म होगा, तो भी जब तक आप अपनी बात पूरी नहीं करेंगे, तब तक मैं बैठूंगा। आपकी बात पूरी होने तक मैं यहां बैठूंगा। मैं शून्य प्रहर चलाऊंगा और आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो विषय उठाया है, इसी विषय पर चर्चा भी सदन में चल रही है। चार बजे इस विषय पर चर्चा है, तब आप भाषण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने विषय उठाया है, इसलिए मैं आपको इजाजत दूंगा।

श्री रघुनाथ झा : मैं आपके सचिवालय में नोटिस देने वाला सबसे पहला आदमी हूं।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं, अपनी पार्टी की तरफ से, जो भी प्रमोद महाजन ने कहा है उससे सहमत हूं। हम शोक संतप्त परिवार को अपनी हार्दिक संवेदना प्रेषित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और हम श्री प्रमोद महाजन द्वारा दिए गए वक्तव्य से सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब यह विषय समाप्त होता है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सूचना के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, और सरकार से मांग भी कर रहा हूं। देश में दो वर्ग हैं, एक आरक्षित है और एक अनारक्षित है।

जब से देश आजाद हुआ, देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। भारत में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। उन्होंने गरीबों के बारे में विचार करके इस देश में आरक्षण दिया। मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि वह आरक्षण जारी रहे। मेरा एक निवेदन यह है कि इस देश के अंदर एक वर्ग अनारक्षित है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है और गरीब है। लम्बे समय से वह गरीब है। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। अनारक्षित वर्ग से मेरा मतलब यह है कि वह हिन्दू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ऊंची जाति का भी हो सकता है। वह वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण धीरे-धीरे सामाजिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी कमजोर होता जा रहा है और नीचे जा रहा है। एक तरफ हमारी सरकार की नीति आम आदमी के सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने की है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की विषमता पैदा हो रही है। धीरे-धीरे हमारे समाज में यह एक नया वर्ग तैयार होगा, जो आर्थिक रूप

से कमजोर है। धीरे-धीरे उसका शैक्षणिक और सामाजिक स्तर भी नीचे जाता जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अनारक्षित वर्ग के हित के लिए, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार विशेष सुविधा देगी और उनको भी आरक्षण देगी। इस पर समूचा सदन भी सहमत होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : मैं इससे इत्तिफाक करता हूं। जवाहर लाल नेहरू जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन उन्होंने आरक्षण नहीं दिया था। मंडल कमीशन की संस्तुतियों को सबसे पहले जनता दल की सरकार ने इस देश में स्वीकार करके आरक्षण दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा का विषय नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह : इस देश में 52 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : ये किसी व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना भी नहीं जानते। मेरी मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए। मुझे विश्वास है कि समूचा सदन, हर पार्टी के लोग इससे सहमत होंगे। विभिन्न प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था है, तो मेरा यह कहना है कि केन्द्र इसको क्यों नहीं स्वीकार करती।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार से बाढ़ मुक्ति आंदोलन के तत्वावधान में 8 दिसम्बर, 2002 को लाखों किसान बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या के स्थाई समाधान हेतु संसद पर मार्च कर रहे हैं। नेपाल से आने वाली नदियों से प्रति वर्ष बिहार में बाढ़, जल जमाव, नदियों से हो रहे कटाव, कोसी, गंडक, बागमती आदि नदियों के तटबंधों के क्षत-विक्षत होने से आधारभूत संरचनाओं का प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। खासकर दक्षिण बिहार का हिस्सा सूखे से प्रभावित रहता है। किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिलता। गन्ना किसानों की समस्या चिंता का विषय बनी हुई है। बाढ़ एवम् सुखाड़ से स्थाई मुक्ति दिलाने हेतु किसानों की उपर्युक्त समस्याओं के स्थाई समाधान के उद्देश्य से लाखों किसान आज संसद के द्वार पर धरना दे रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह अविलम्ब इस पर ध्यान दे और किसानों को इन समस्याओं का स्थाई समाधान निकालने का काम करे और उनके प्रतिनिधियों से जाकर मिले। ...*(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, आज संसद के बाहर बड़ा भारी प्रदर्शन बिहार से आए बाढ़ मुक्ति आंदोलन के किसान कर रहे हैं। किसान हर साल बाढ़, सुखाड़, जल जमाव, कटाव से पीड़ित होता है। इसलिए वहां के किसानों का यहां बड़ा भारी मार्च हो रहा है। भारत सरकार इस पर ध्यान दे। रघुनाथ झा जी ने जो प्रश्न उठाया है, उस पर सरकार तुरंत विचार करे। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : हम बिहार से आए लाखों किसानों के दुख-दर्द को सुनने के लिए उनके पास जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : बाढ़ मुक्ति आंदोलन की मांगों पर सरकार ध्यान दे। सरकार इस पर स्पष्ट जवाब दे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है, और आज मैं सभी को अपना विचार रखने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह आप लोग क्या कर रहे हैं ? ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपका विषय भी सामने नहीं आएगा और उस विषय पर चर्चा भी नहीं होगी। ऐसी कोई बात मत करिए। यह आपके लिए अच्छा नहीं है। पी० राजेन्द्रन जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दोनों तरफ के लोग बैठेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठिए। क्या आप दूसरे सदस्यों को बोलने देना नहीं चाहते ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : केवल पी० राजेन्द्रन जी की बात रिकार्ड पर जाएगी। राजेन्द्रन जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० राजेन्द्रन (क्विलोन) : मुझे यह अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं निम्नलिखित विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

केन्द्रीय अर्धसैनिक बल हमारी सीमाओं पर सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जब सेना का जवान सेवा के दौरान मारा जाता है तो उसका शव उसके गृह नगर ले जाया जाता है और उसकी राजकीय अंत्येष्टी की जाती है। उसके शोकाकुल परिवार पर ध्यान दिया जाता है तथा नकद सहायता भी प्रदान की जाती है। किन्तु सीमा पर ड्यूटी करते समय मारे जाने वाले बी०एस०एफ०, असम राइफल्स, आई०टी०बी०पी० अथवा सी०आर०पी०एफ० के जवान के प्रति यह उदारता नहीं दिखाई जाती है।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी० राजेन्द्रन]

उपद्रवियों, आतंकवादियों और विध्वंसकारी शक्तियों की चुनौतियों का खतरनाक और जोखिमपूर्ण दशाओं में सामना करने वाले अर्धसैनिक बलों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतएव, मैं केन्द्र सरकार से उनकी आवश्यकताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उन्हें, जब वे सीमाओं पर ड्यूटी करते हैं, सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के समान लाभ प्रदान करने का विनम्र अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने फिर एक बार ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों के नोटिसेस लेने के लिए तैयार हूं। हाथ भी मत उठाइए। सभी के नोटिसेस आएंगे, लेकिन यदि आप सहयोग करेंगे तब नहीं तो नहीं आएंगे।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, हम सहयोग कर रहे हैं। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, लास्ट वीक मुम्बई शहर में फिर एक बार बम विस्फोट हुआ। घाटकोपर मे बम विस्फोट हुआ। ···*(व्यवधान)* अभी मुम्बई सैन्ट्रल में बम विस्फोट हुआ। ···*(व्यवधान)* हम इसमें राजनीति नहीं लाना चाहते लेकिन कांग्रेस सरकार के गृह राज्य मंत्री जो वहां हैं, उन्होंने क्यों ऐसी बात कही कि यह क्रूड बम नहीं था। सर, हमारी जानकारी के मुताबिक जो आज पेपर में भी आया है कि जिन्होंने बम विस्फोट किया, मैं खुद वहां गया था। हमारे महापौर श्री महादेव देबले जी भी गये थे। कृपा शंकर जी भी वहां आए थे। सबने देखा। सर, नीचे से क्रूड ऑयल का धुंआ नीचे से ऊपर आया हुआ था और जख्मी लोगों को खिलें लगी हुई थीं और कृपा शंकर जी ने स्टेटमेंट दिया कि यह बम विस्फोट नहीं था। सर, "उसमें सिमी" के लोग शामिल हैं, यह आज पेपर में आया हुआ है। वहां की सरकार की उनको छुपाने की कहीं कोई यह साजिश तो नहीं है ? इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह कितने दिन और चलेगा ? ···*(व्यवधान)* रशिया के प्रेसीडेंट पुतिन जी आए थे। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान को वेपन्स दिये जा रहे हैं, वे टैरिरिस्ट्स के हाथों में जा रहे हैं, उन्होंने ऐसी शंका व्यक्त की थी। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मोहन रावले जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : सर, पाकिस्तान की जनता तो सुखी है। पाकिस्तान में बम-विस्फोट नहीं हो रहा है, बम-विस्फोट तो हमारे यहां हो रहा है। हमारे यहां के लोग डरे हुए हैं। आई०डी० स्वामी साहब यहां बैठे हुए हैं। वह स्टेटमेंट दें। लोगों के दिल में डर है, उसको दूर करने की कोशिश की जाए। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, कम से कम आसन की आवाज तो सुनिए।

श्री मोहन रावले : जी सर, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। *(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : आप तो सरकार में बैठे हुए हैं। फिर किस सरकार से पूछ रहे हैं ? ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्टेट गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : मैं सरकार से विनती करता हूं कि आतंक को खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया जाए लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। ···*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल सुबह जी-टीवी के संवाददाता, श्री नवीन कुमार के निवास स्थान, जो शकरपुर क्षेत्र के लक्ष्मी नगर इलाके में है, पर प्राण घातक हमला हुआ है। श्री नवीन कुमार 13 दिसम्बर को जो संसद पर हमला हुआ था, उस सिलसिले में डाक्युमेन्ट्री फिल्म तैयार कर रहे हैं। दो वर्षों से बराबर उनको धमकियां मिल रहीं थीं कि उनके साथ अप्रिय घटना संभव है। चार लोगों ने हथगोले फैंके और जो रिपोर्ट अब तक प्रकाश में आई है, उससे लगता है कि जो हथगोले संसद भवन पर फैंके गए थे, उसी से मिलते जुलते टुकड़े वहां पर मिले हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है और लगता है कि देश में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कोई पत्रकार काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह बहुत गम्भीर घटना है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि भारत सरकार का खुफिया तन्त्र पूरी तरह से असफल रहा है और लोगों की जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं है। पत्रकार काम नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्होंने बार-बार गुहार की कि उनकी जान को खतरा है, तब उनको समुचित सुरक्षा मुहैया कराई गई और उसके बावजूद उन पर हमला हुआ।

महोदय, यह बहुत गम्भीर घटना है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर गम्भीरता से विचार करे और समस्या को देखे।

अध्यक्ष महोदय : श्री ब्रह्मानन्द मंडल जी, आपने एक प्रिवलेज नोटिस दिया है। इस विषय पर आप जीरो आवर में बोल सकते हैं।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : महोदय, मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। मैं उसी विषय पर बोल रहा हूं। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं 18.09.2002 को उड़ान से नई दिल्ली से पटना पहुंचा और जमालपुर जाने के लिए ब्रह्मपुत्र मेल में सवार हुआ। जब गाड़ी किउल जंक्शन पर पहुंची, तब पुलिस बल, रेल मैजिस्ट्रेट और बहुत से टिकट निरीक्षकों के साथ श्री हेमंत कुमार, एडिशनल डी०आर०एम० मालदाह टिकट चैक करने के लिए मेरे सैकेन्ड-ए०सी० डिब्बले में सवार हुए। डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। वे मेरे पास आकर बोले – ''ये सब लोग कौन हैं ? तुम इन लोगों का टिकट दो।'' मैं उनके व्यवहार से अवाक हो गया। उन्होंने 'तुम' कह कर सम्बोधित किया। 'तुम' शब्द अनादर और अशिष्ट एवं अभद्र सम्बोधन है। हम लोग सम्मानसूचक शब्द 'आप' का प्रयोग करते हैं। मैंने जवाब दिया – ''मैं नहीं जानता, ये कौन हैं। आप सक्षम अधिकारी हैं, जो कानून कहता है, उसके अंतर्गत यात्रियों से निपटिए।'' इस पर वे भड़क कर बोले – ''तुम अपने को क्या समझता है। तुम एम०पी० है, तो क्या ? मैं चाहूं, तो तुम्हें यहां और अभी ठीक कर दूंगा।'' मैंने कहा – ''आप अधिकारी हैं, जो आप उचित समझते हैं, अभी कर लीजिए। आप भी अपने को कानून से ऊपर मत समझिए।'' इस पर वे और भड़क उठे और गरजकर बोले – ''तुम धमकी देता है। अभी तुमको मजा चखाता हूं। अपने बिना टिकट के चलता है और सैंकड़ों आदमियों को बिना टिकट चलाता है।'' इस पर मैंने खामोश रहना ही उचित समझा, क्योंकि उनके रुख से मालूम पड़ रहा था कि मैं कुछ और बोलता तो वे मेरी पिटाई कर देते। इस तरह श्री हेमंत कुमार ने मुझ पर लांछन लगाया कि मैं बिना टिकट के चलता हूं और बिना टिकट यात्रियों को गाड़ी पर ले जाता हूं। इससे मेरी प्रतिष्ठा तथा प्रतिभा धूल में मिल गई। साथ-साथ अभद्र और अशिष्ट शब्द उन्होंने कहे। इससे मैं अपमानित भी हुआ हूं।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि श्री हेमंत कुमार के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू कर उन्हें उचित सजा दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहना था, वह कह दिया है। मैंने रेल मंत्रालय से पहले ही तथ्यात्मक टिप्पण मंगवाया है। रेलवे से तथात्मक टिप्पण प्राप्त होने के पश्चात् मैं निर्णय लूंगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। मामला इतना ही नहीं है, मैंने टैलीग्राफ की छायाप्रति लगाई है, जिसमें हैडिंग है – ''विदाउट टिकट चल रहे थे।'' कोई भी एमपी विदाउट टिकट नहीं चलता है, उसके पास पहचान पत्र होता है। मेरा रिजर्वेशन था और उस टिकट की फोटोकॉपी भी मैंने उसके साथ लगाई है। मुझसे वह पहचान-पत्र मांग सकता था कि आप दिखाइए, आप ब्रह्मानंद मंडल हैं या नहीं। मेरा टिकट मुझ से नहीं मांगा और किसी दूसरे का टिकट मुझ से मांग रहा है। वह अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, यह सुनियोजित बात लगती है। मैं नहीं पहचानता था, लेकिन वह मुझे पहचानता था, ऐसा मुझे लगा। आप रेलवे मंत्रालय से इस पर क्या पूछेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ? क्योंकि उन्होंने मेरे संसदीय कार्य के लिए की जा रही यात्रा में विघ्न डाला है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय को हम देख रहे हैं। रेलवे से मेरे पास पूरी इन्फोरमेशन आएगी तो फिर आपसे मेरी बात हो सकती है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज ही सूचना मिली है कि डिसइनवेस्टमेंट पर मंत्री जी बयान देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि गया में आई०टी०डी०सी० के अशोक होटल, जहां बुद्धिस्ट जाते थे, वहां सात एकड़ जमीन राज्य सरकार की है। राज्य सरकार से बिना पूछे हुए दो करोड़ एक लाख, ओने-पौने दाम में उस होटल को बेचने का फैसला हो गया। राज्य सरकार से भी इसके लिए परामर्श नहीं किया गया। इसी तरह सेंटूर होटल का हुआ। बुद्धिस्ठ सर्किट मशहूर है, वहां अशोक होटल लाभ में चल रहा था। वहां 200 करोड़ की केवल जमीन होगी और डेढ़-दो सौ करोड़ का भवन होगा। 300-400 करोड़ की सम्पत्ति को दो करोड़ एक लाख में बेचने का फैसला हुआ। इस तरह से सरकार की सम्पत्ति बेची जा रही है। राज्य सरकार को भी धोखे में रखने का काम हुआ। आई०टी०डी०सी० के चेयरमैन, श्री लोहानी थे, उन्हें हटाने का फैसला हुआ है, जो इसे लाभ में चला रहे थे। श्री जगमोहन ने इस लाभ कमाने वाले अधिकारी को अचानक हटा दिया, इसलिए कि वह डिसइनवेस्टमेंट के खिलाफ थे। सरकार की सम्पत्ति औने-पौने दाम में न बिके, लाभ कमाने वाली सम्पत्ति न बिके, देश न बिके, वे उसके खिलाफ थे, लेकिन उन्हें सरकार ने तुरंत हटा दिया।

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये स्पष्ट करें। मंत्री जी जब इस पर बयान देंगे तो इस बारे में भी बताएं कि कैसे 400 करोड़ की सम्पत्ति को दो करोड़ एक लाख में बेचने का फैसला किया गया। यह राज्य सरकार की जमीन है, उसे बेचने वाले ये कौन हैं ? ... *(व्यवधान)* जमीन किसी की है और बेच ये रहे हैं। यह अंधेर एनडीए की सरकार में ही हो सकता है, दूसरी किसी सरकार में आज तक नहीं हुआ। सरकार इस पर बयान दे, बिहार की जनता में बड़ा भारी रोष है। हम लोग इस पर हंगामा खड़ा करेंगे और फिर लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाएगा। ... *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.07 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन — जारी

(दो) बेईमान ट्रैवल एजेंटों द्वारा विशेष रूप से पंजाब के युवाओं को अवैध रूप से विदेशों में भेजे जाने के बारे में

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के अनेक नगरों में, विशेषकर पंजाब में एक बहुत बड़ा रेकेट है, ट्रेवल एजेंट्स के थ्रू यह काम होता है। नौजवानों के लिए एम्प्लायमेंट के रास्ते बिल्कुल कम हो गए हैं। उनमें से किसी से पांच लाख और दस लाख लेकर, विदेशों का झांसा देकर उनके साथ अन्याय हो रहा है। इससे भी ज्यादा संवेदनशील बात यह है कि इन नौजवानों को यहां से ग्रीस, ग्रीस से लेबनान, लेबनान से तुर्की और फिर वहां से ईरान, उसके बाद जेलों में रखने के बाद, उनके पासपोर्ट फाड़ने के बाद उन्हें पाकिस्तान की क्वेटा जेल में कई नौजवानों को बंदी बना कर रखा हुआ है। मेरे पास उनकी तरफ से एक लिस्ट आई है, मैं आपकी इजाजत से उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इन तमाम परिवारों के जो सदस्य हैं, उनके नाम बताना चाहता हूं।

1. सतनाम सिंह, पिता बलविन्दर सिंह ग्रा०पो० सोहल जिला गुरदासपुर (पंजाब)
2. सुरजीत सिंह, ग्राम ताली जिला पेहोवा, (हरियाणा)
3. राकेश सिंह, ग्रा० कश्मीर गढ़ जिला यमुना नगर (हरियाणा)
4. सुरजीत सिंह, ग्रा० बाखली, जिला पेहोवा, (हरियाणा)
5. बलविन्दर सिंह, ग्रा० नरवारसी, कुरूक्षेत्र (हरियाणा)
6. इन्दरजीत सिंह, ग्रा० बारा गुरदेव, जिला अम्बाला (हरियाणा)
7. राजविन्दर सिंह, ग्रा० अजरावार, जिला पटियाला (पंजाब)
8. सुखविन्दर सिंह, ग्रा० मिल्क शेखा, जिला अम्बाला (हरियाणा)
9. हरमेश सिंह, ग्रा० जन्डेल खुर्द, जिला नवां शहर (पंजाब)
10. सुरिन्दर सिंह, ग्रा० मल्लन वाली, जिला यमुना नगर (हरियाणा)
11. बचित्तर सिंह, पेहोवा (हरियाणा)
12. सुरजित लाल, ग्रा० कटारिया, नएवानशहर (पंजाब)

साधू सिंह ने भी शिकायत भेजी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं, यहां स्वामी जी विराजमान हैं। आप इस महकमे के वजीर नहीं हैं लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। इसमें हरियाणा के कम से कम आठ, नौ नौजवान हैं। इस तरह से नौजवानों को धोखा देकर उन्हें बाहर ले जाया जाता है। आज एक रिपोर्ट आई है कि कुल्लू में जो नागरिक बाहर के थे, उनके ऊपर स्मगलिंग का कुछ इल्जाम था।

उनको ब्रिटिश सरकार ने रिहा करवा लिया कि वे वहां के समाजसेवी हैं या लेखक हैं। मेरा कहना है कि नाजायज तरीके से जो क्वेटा जेल में 15 के करीब नौजवान हैं जिनके ऊपर न टैरेरिज्म, न गलत काम न स्मगिंलग को कोई आरोप है, उनको वहां से रिहा करवाने के लिए क्या आप कोई कदम उठाएंगे। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं। आप कुछ इस पर कहेंगे तो मेहरबानी होगी। स्पीकर सर, यह महत्वपूर्ण मामला है। अगर माननीय मिनिस्टर साहब इस बारे में कुछ कह दें तो उनको बचाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान देने के लिए आप मंत्री जी को, होम-मिनिस्टर साहब को कहें। मैं पहले ही ध्यान से सुन रहा हूं।

श्री जे०एस० बराड़ : आप तो ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन अगर आप एक्सटरनल अफेअर्स मिनिस्टर साहब को कह दें तो जो लोग जेलों में बंद हैं उनको छुड़ाया जा सकता है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : यहां जो भी बात माननीय सदस्य कहते हैं उस पर पूरी तरह से विभाग और मिनिस्टरी ध्यान देती है। आपने जो बात अभी कही है उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा।

श्री जे०एस० बराड़ : धन्यवाद सर, आई एम ग्रेटफुल।

अपराह्न 1.10 बजे

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्यान्वयन के बारे में

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक हजार की आबादी के गांव को प्रथम चरण में तथा पांच सौ की आबादी वाले गांव को द्वितीय चरण में पिट-मार्गों से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इस बारे में केन्द्र सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किये हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। अभी भारत सरकार ने एक दिशा-निर्देश जारी किया है कि माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्ताव लिये जाएं और उसके लोकार्पण या

शुभारम्भ कार्यक्रम में माननीय सांसदों को आमंत्रित किया जाए। लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में निर्देश दें कि भारत सरकार ने इस विषय में जो दिशा-निर्देश दिये हैं उनका अनुपालन करें। अगर आप अपने दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करवा सकते हैं तो सारे दिशा-निर्देश वापस ले लें।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : मंत्री जी, वे कहते हैं कि हमारे पास इसके लिए कोई बजट नहीं है और वे ऐसा कोई इनोग्रेशन या लोकार्पण कार्यक्रम नहीं करवा सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष जी, अगर भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य सरकार को कोई दिशा-निर्देश दिये हैं तो जरूर उनका पालन होना चाहिए। जैसा कि माननीय सांसद ने कहा, अगर उनका पालन नहीं हो रहा है तो मैं प्रधान मंत्री कार्यालय में जो इसके क्रियान्वयन को देखते हैं उन माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा और आगे इसको सुधारने का प्रयास होगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष जी, 7 दिसम्बर, शनिवार शाम सवा छ: बजे पाकिस्तान का चालक रहित विमान पुंछ-डिस्ट्रिक्ट में 15 मिनट तक घूम रहा था – हो सकता है कि वह खुफिया जानकारी निकालने के लिए आया हो। भारतीय जवानों ने एंटी-एयरक्राफ्ट गनों से उस पर फायरिंग की और वह पीओके में चला गया। दो-तीन बार पहले भी वह विमान आया था। हम लोग कब तक चुप रहेंगे। मुम्बई में या हिंदुस्तान के किसी भी भाग में जो बम-विस्फोट हो रहे हैं वह पाकिस्तान के माध्यम से हो रहे हैं। वे आई०एस०आई० के माध्यम से खुफिया इंफोर्मेशन लेते हैं और वारदात करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। *(व्यवधान)* यहां से ऐसा संदेश जाना चाहिए कि आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। अगर सरकार ने ऐसा कुछ बोला तो आगे सब ठीक हो जाएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, इस अवसर का नारियल जटा कामगार से संबंधित मुद्दे को भारत सरकार की जानकारी में लाने हेतु उपयोग कर रहा हूं। केरल में लगभग पांच लाख महिला नारियल जटा कामगार हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई निर्यात नीति के कारण उत्पादकों द्वारा उत्पादन जारी नहीं रखने से वे बेरोजगार हो गए हैं। हम सभी महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं किन्तु दुर्भाग्यवश ये पांच छ: लाख महिला कामगार बिना अपनी गलती के बेरोजगार हो गए हैं। भारत सरकार ने कतिपय स्कीमों का प्रस्ताव किया है और उन स्कीमों को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया था। केन्द्र सरकार ने आधा धन देने का वचन दिया था। केन्द्र सरकार ने कहा कि यह 50:50 आधार पर होगा। किन्तु केन्द्र सरकार ने इस स्कीम के कार्यान्वियन के लिए एक भी पैसा वितरित नहीं किया। केन्द्र सरकार ने स्कीम का सुझाव दिया और राज्य सरकार ने इसे कार्यान्वित किया। यह अत्यन्त पुराना पारम्परिक उद्योग है। कर्मकार भूखे मर रहे हैं। हमें जल्द ही भूख से मरने की खबर मिलेगी। जब तक केन्द्र सरकार तत्काल उपचारात्मक उपाय नहीं करती है, यह स्थिति और खराब हो जाएगी। अतएव, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर अत्यन्त ही गंभीरता से विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.16 **बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 **बजे**

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष **महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मैंने बिहार के बारे में एक प्रश्न उठाया था। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्यकाल नहीं है।

श्री रघुनाथ झा : एक मिनट सुनने की कृपा करें। बिहार के लोग आज संसद पर मार्च कर रहे थे और उनका नेतृत्व हमारे सांसद देवेन्द्र प्रसाद यादव जी कर रहे थे। संसद के बाहर उन पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ है। वे घायल हुए हैं और बिहार के सैकड़ों लोग घायल हुए हैं जो बिहार के बाढ़ और सुखाड़ के स्थायी समाधान के लिए अपनी फरियाद लेकर आए थे। देश के प्रधान मंत्री के यहां पहले से उन्होंने नोटिस सर्व कराया था कि वह मांग समर्पित करेंगे और इसके लिए वे आ रहे थे तो पुलिस ने उनको बुरी तरह से पीटा और दूसरे लोगों को भी पीटा। अभी मैं वहां पर गया था। सांसद श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री राजो सिंह भी गए थे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने शून्यकाल में भी यह विषय उठाया था, इसलिए दोबारा उठाने की कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : उन पर लाठीचार्ज हुआ और पानी की फुहार मारी गई है। बुरी तरह से हजारों लोगों को पीटा गया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह जीरो आवर नहीं है।

श्री रघुनाथ झा : उनको अपनी फरियाद कहने का भी अधिकार नहीं है ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

अपराह्न 2.10 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के बिल्हौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के उचित रखरखाव को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : महोदय, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 91 मेरे संसदीय क्षेत्र बिल्हौर एवं कानपुर महानगर के बीच से निकलता है। इस मार्ग से हजारों भारी वाहन प्रतिदिन निकलते हैं जिससे बिल्हौर नगर, शिवराजपुर, चौबेपुर, एवं कानपुर महानगर में यातायात की असुविधा, जाम एवं दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्हौर नगर के अंदर की सड़क लगभग ढाई वर्ष से खराब है। प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क से उड़ने वाली धूल से सैकड़ों नागरिक बीमार हो चुके हैं। अतः माननीय भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध है :—

1. बिल्हौर नगरपालिका में बीच की दो किलोमीटर सड़क शीघ्र बनवाई जाए। प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आ चुका है।

2. बिल्हौर, उत्तरी पूरा, शिवराजपुर, चौबेपुर में राष्ट्रीय मार्ग 91 पर बाईपास बनाया जाए।

3. मन्धना से रामादेवी चौराहे तक कानपुर महानगर में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 91 पर छः लेन की सड़क बनाई जाए।

4. कानपुर महानगर में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 91 पर पड़ने वाली रेलवे लाइन पर जरीब चौकी क्रासिंग, कोकोकोला क्रासिंग तथा सी०ओ०डी० क्रासिंग पर रेलवे के सहयोग से ओवरब्रिज बनाया जाए, रेलवे विभाग स्वीकृति दे चुका है।

5. राष्ट्रीय मार्ग संख्या 91 पर मन्धना से मौती तक बाईपास बनाकर मुख्य राष्ट्रीय मार्ग से मिलाया जाए।

(दो) मध्य प्रदेश में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की नयागांव इकाई के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया की विभिन्न इकाइयों के निरंतर घाटे में चलने के कारण कतिपय इकाइयों को निजी क्षेत्र में देने या बेचने के सरकार के निश्चय के फलस्वरूप कुछ ऐसी इकाइयों को भी बेचने का प्रयास है जो लाभप्रद स्थिति में थीं, किन्तु उनके कुप्रबन्ध के कारण वे अलाभकर होती चली गईं और फलतः उन्हें बेचने का निर्णय हुआ है। ऐसी इकाइयों में मध्य प्रदेश के नीमच जिले की "नयागांव" की इकाइयां भी हैं। विगत वर्षों में श्रमिकों द्वारा निरन्तर मांग की जाती रही है कि वे इन सीमेंट इकाइयों को लाभप्रद स्थिति में ला सकते हैं। आज श्रमिकों का पर्याप्त वेतन बाकी है। सैकड़ों परिवारों के बालकों का भविष्य अन्धकारमय है क्योंकि वहां पर केन्द्रीय विद्यालय को बन्द करने का फैसला किया गया है। बिजली व पानी के अभाव में मजदूर परेशान हैं। अतः मेरा भारी उद्योग मंत्री से आग्रह है कि वे इस बारे में गंभीरता से विचार करें और किसी भी ऐसे निर्णय को शीर्ष क्रियान्वित करें जिससे सैकड़ों मजदूरों और उनके आश्रित परिवारों को दर-दर की ठोकरें खाने को बाध्य न होना पड़े।

(तीन) रांची और मुम्बई के बीच हाल ही में शुरू की गई सुपर फास्ट ट्रेन को बरास्ता हटिया और राउरकेला चलाये जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड के लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि रांची मुम्बई के बीच इस सरकार ने झारखंड के लोगों की मांग को मानते हुए सुपरफास्ट रेल सेवा की शुरूआत की है जो गया हटिया इलाहाबाद होकर जाती है। झारखंड के लोगों को मुम्बई पहुंचने में 12 से 14 घंटे ज्यादा लगेंगे एवं इस मार्ग पर पहले से कई रेल सेवा कार्यरत हैं जिसके कारण इस रेल सेवा के अलोकप्रिय होने की संभावना अधिक है। अगर यह रेल सेवा रांची से हटिया, राऊरकेला होकर मुम्बई जाए, तो रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा तथा इन मार्गों पर रहने वालों को रांची तथा मुम्बई जाने में सुविधा मिलेगी। वर्तमान समय में इस मार्ग पर मुम्बई तथा रांची के बीच कोई सेवा नहीं है। अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि घोषित रांची-मुम्बई सुपरफास्ट का निर्धारित मार्ग बदलकर रांची हटिया-राऊरकेला-मुम्बई मार्ग किया जाए।

[अनुवाद]

(चार) बंगलौर और नई दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में देश में कई शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू की गई हैं। राजधानी नई दिल्ली से मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, भटिंडा और अन्य स्थानों जैसे विभिन्न शहरों के लिए शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की सुविधा है। माननीय रेल मंत्री और भारत के माननीय प्रधान मंत्री को हमारे द्वारा लगातार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद बंगलौर और नई दिल्ली के बीच कोई शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलाई गई है।

वास्तव में कर्नाटक और दिल्ली के बीच रोज चलने वाली केवल एक ही गाड़ी है जबकि राज्यों की अन्य राजधानियों के बीच दिल्ली से रोज चलने वाली तीन से चार गाड़ियां हैं। बंगलौर से दिल्ली और दिल्ली से बंगलौर जाने वाली गाड़ियों के टिकटों की प्रतीक्षा सूची हमेशा तीन सौ से अधिक होती है।

शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी आंध्र प्रदेश के लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकती है क्योंकि इस गाड़ी को हैदराबाद से होकर गुजरना होता है। इससे इन तीनों शहरों अर्थात् बंगलौर, दिल्ली और हैदराबाद — में तेजी से बढ़ते हुए साफ्टवेयर उद्योग को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। यह कर्नाटक के लोगों की काफी समय से चल रही लंबित मांग है।

मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि बंगलौर और नई दिल्ली के बीच बरास्ता हैदराबाद अविलंब शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जाये।

(पांच) कर्नाटक में विशेषकर उडुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वन क्षेत्रों से जनजातीय समुदायों सहित गरीब और सीमांत किसानों के हटाए जाने को रोके जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उडुपी) : कर्नाटक राज्य वन विभाग अधिकारियों और राजस्व विभाग अधिकारियों द्वारा वन क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों सहित गरीब और छोटे किसानों से उनकी बसावटें खाली करवाने के लिए लगातार की गई कार्रवाइयों की खबरें मिली हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र उडुपी, दक्षिण कन्नड़ का एक भाग है, जिस में ऐसी बसावटों की काफी संख्या है जो 1.25 लाख से अधिक है जिसमें कोडागु जिला शामिल है। ऐसा लगता है कि यह काम वन भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में हो रहा है।

इनमें से अधिकांश बाशिंदों ने वहां के छोटे-छोटे भूखंडों पर 35 से अधिक वर्षों से कब्जा किया हुआ है। उनके द्वारा कब्जा की गई ऐसी भूमि लगभग 90000 एकड़ है और उन लोगों की संख्या 1.25 लाख से अधिक है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति भूमिधारिता लगभग 0.6 या उससे कम एकड़ के आसपास है। यहां के बाशिंदों ने काफी प्रयास और मेहनत करके इस जमीन को उपजाऊ बनाया है और यहां सब्जियां और सुपारी, काजू, रबर, टैप्योका जैसी फसलें उगाई हैं और वातावरण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कड़ी मेहनत करके जीवन-यापन करते हैं। गरीब और अनपढ़ होने के कारण उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपने मालिकाना अधिकार साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं। अत: मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि इस मामले में मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करे और उन्हें हटाने के इस अभियान को त्याग दे।

(छह) केरल में परम्परागत उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी० राजेन्द्रन (क्विलोन) : केरल में लगभग एक करोड़ लोगों, जो अपनी जीविका के लिए परम्परागत उद्योगों पर आश्रित हैं, की दशा बहुत दयनीय है। कृषि और आनुषंगिक क्षेत्रों में संकट के कारण हथकरघा, पटसन, काजू उद्योग, मत्स्य पालन और निर्माण क्षेत्र के इन श्रमिकों का जीवन डांवाडोल स्थिति में है। इन श्रमिकों में से लगभग दो मिलियन श्रमिक या तो पूरी तरह से बेरोजगार हैं या आंशिक रूप से रोजगार में हैं।

काजू के मूल्य में गिरावट के कारण काजू उद्योग पर आए संकट से वास्तव में हमारी विदेशी मुद्रा आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के अलावा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। निर्यात में गिरावट की प्रकृति के कारण गोदामों में काफी समय से करोड़ों रुपये मूल्य का पटसन उत्पाद जमा हो गया है तथा कामगार पिछले एक वर्ष से रोजगार से वंचित हैं।

आधुनिक प्रौद्योगिकी आरम्भ करने, पूंजीनिवेश करने और आधुनिक विपणन का प्रयोग करना इन परम्परागत उद्योगों की अत्यन्त आवश्यकता है।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल राज्य को सभी संभव सहायता प्रदान की जाए ताकि लाखों लोगों को भुखमरी से बचाया जा सके।

(सात) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री के०ई० कृष्णमूर्ति (कुरनूल) : महोदय, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल उद्योग तरक्की कर रहा है। मुख्य मंत्री के साथ बैठक में आंध्र प्रदेश राज्य के फार्मास्युटिकल निर्माताओं के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना की इच्छा

[श्री के०ई० कृष्णमूर्ति]

व्यक्त की है। राज्य सरकार भी इसकी स्थापना के लिए तैयार है तथा भूमि, अवसंरचना इत्यादि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तथा नई निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित करने के लिए भी तैयार होगी। इस संबंध में परिषद की स्थापना के लिए उपाय करने के लिए माननीय मंत्री को राज्य सरकार द्वारा एक औपचारिक अनुरोध भी भेजा गया है।

उपर्युक्त को देखते हुए, मेरा माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले पर उचित ध्यान दें और हैदराबाद स्थित निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना के लिए संबंधित अधिकारियों को हिदायतें दें।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उन किसानों को, जिनकी भूमि "बाईपास" के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई है, पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो, जो वाराणसी से कानपुर वाया फूलपुर इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। मेरे फुलपूर संसदीय क्षेत्र में हंडिया से लेकर कौडिहार तक बाईपास बनाया जा रहा है। इस बाईपास से मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों किसानों के खेत सड़कों में चले जा रहे हैं। इसी सड़क में गोपीगंज, हंडिया आदि बाजार भी पड़ते हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में सड़कों के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राधिकरण बाजारों में मकानों को गिराने के लिए योजना बनाई जा रही है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि प्रभावित किसानों को अधिक मुआवजा दिया जाये जिससे किसान अन्यत्र जमीन खरीद सकें। आस-पास की जमीनों में मार्केट बनवा कर किसानों को उपलब्ध कराया जाये। बाजारों में सड़कों की चौड़ाई कम रखी जाए। गिराए गए मकानों को पुनः बनाने के लिए मुआवजा उपलब्ध कराया जाये।

(नौ) बिहार में विकास प्रखंड स्तर पर "खरीद केन्द्र" स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में कृषि उत्पादों की क्रय संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है, जिसके फलस्वरूप बिहार के किसानों को भारत सरकार द्वारा घोषित उनकी उपज का समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर प्रोक्योरमैंट सैंटर की व्यवस्था कराई जाये तथा एफ०सी०आई० द्वारा किसानों के उत्पाद के खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा की जाये।

अपराह्न 2.21 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

चौवालीसवां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौवालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.22 बजे

[अनुवाद]

भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक* — पारित

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा विधायी कार्य पर चर्चा करेगी। अगली मद भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक पर विचार करना तथा पारित करना है। आबंटित समय दो घंटे है।

(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री (श्री के० जना कृष्णामूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह एक छोटा संशोधन है परन्तु यह हमारी महिलाओं को न्याय दिलाने में दूरगामी प्रभाव वाला साबित होगा। हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहे हैं कि बलात्कार के मामले दिन दुगुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। जब किसी महिला का बलात्कार होता है वह मानसिक रूप से सदमे की स्थिति में होती है। वह काफी अपमानित महसूस करती है। उसे कचहरी में खड़ा किया जाता है। पूछ-ताछ के दौरान आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिवक्ता उससे इस बलात्कार से पूर्व उसके व्यक्तिगत चरित्र के बारे में प्रश्न पूछना आरम्भ करता है इसकी साक्ष्य अधिनियम में अनुमति है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि अभियोगी का, अभियोजिकता से पूछताछ करने का

*भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 9.12.2002 में प्रकाशित।

चाहे कोई भी अधिकार हो, फिर भी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि उससे उसके पूर्व चरित्र के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह आपमानित महसूस करेगी।

यह सर्वविदित है कि दोषी व्यक्ति ने बलात्कार किया है। सवाल उस महिला के चरित्र के बारे में नहीं है बल्कि सवाल दोषी के कृत्य के बारे में है। जब दोषी के कृत्य पर प्रश्न उठा है तो मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि दोषी को उस महिला के चरित्र के बारे में उससे प्रश्न पूछने का क्या अधिकार है जिसका उसने बलात्कार किया है। यह बात उस महिला के लिए और भी अपमानजनक हो जाती है जिसका बलात्कार किया गया होता है।

साक्ष्य अधिनियम में एक दूसरी असंगति है। साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान है कि आरोपित के अपराध करने से पूर्व के चरित्र, पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ऐसा प्रश्न करना प्रतिबंधित है कि किसी अपराध को करने से पूर्व व्यक्ति का चरित्र संदिग्ध था या उसका आचरण कैसा था। दूसरी ओर इसी साक्ष्य अधिनियम में कहा गया है कि यदि किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है और वह अभियोगी के रूप में उपस्थित होती है तो बलात्कार से पूर्व के उसके चरित्र, के संबंध में प्रश्न किया जा सकता है। अतः हम एक संशोधन पेश कर रहे हैं जिससे कि बलात्कार का शिकार हुई महिला को ऐसे अपमान का सामना न करना पड़े जो कि एक तरह से उसका दूसरी बार अपमान है। इसीलिए हम यह कह रहे हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 146(3) के बाद एक चौथी उपधारा है :

"परन्तु यह कि बलात्संग या बलात्संग करने के प्रयत्न के लिए अभियोजन में अभियोक्ती की प्रतिपरीक्षा में यह अनुरोध नहीं होगा कि उसके साधारण व्यभिचार के बारे में प्रश्न पूछे जाएं।"

मैं यहां एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। यदि कोई महिला संदिग्ध चरित्र की है और वह व्यभिचारी है और किसी पुरुष को उसके व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करने देती तो क्या आरोपित व्यक्ति अपने आप ही यह मान सकता है कि उसकी सहमति है? अतः इन परिस्थितियों में संशोधन उपयुक्त है और इससे हमारी महिलाओं की रक्षा होगी। धारा 146 के संशोधन के परिणामस्वरूप प्रावधान कर रहे हैं कि मूल साक्ष्य अधिनियम की धारा 155(4) का लोप कर दिया जाएगा। इन दोनों संशोधनों से बलात्कार पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय हो सकेगा। जब इस मामले पर कैबिनेट द्वारा विचार किया गया और इस विधेयक को मंजूरी दी गई तो प्रेस ने इसका समर्थन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : पहले महिला सदस्यों को वरीयता दी जाएगी। अब मैं, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा को बोलने के लिए बुलाता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करती हूं। वास्तव में बहुत पहले से राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य इस प्रकार की मांग करते रहे हैं। महिला सशक्तिकरण समिति की सभापति होने के नाते भी मैं इस संशोधन की समर्थन करती हूं। मुझे विश्वास है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारी बहुमत के साथ संसद सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि यह एक बहु-प्रतीक्षित संशोधन है।

किसी महिला के मानसिक आघात को आसानी से समझा जा सकता है। हाल ही में उप प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि यह तो उस महिला की हत्या से भी बदतर है क्योंकि उसे इस कलंक के साथ जीना पड़ता है। दुर्भाग्य से सदियों से समाज बलात्कारी के बजाए पीड़ित के ऊपर दोषारोपण करता रहा है। हर बार, प्रश्न किया जाता है : कि उसी के साथ बलात्कार क्यों किया गया? उसकी जरूर कोई गलती होगी। वह बाहर क्यों गई? वह बाहर गई इसीलिए उसके साथ बलात्कार हुआ। अतः यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी हमेशा महिला की होती है कि उसका कोई दोष नहीं है।

दूसरा अत्यंत निन्दनीय पहलू यह है कि बलात्कार के मुकदमें के समय महिला के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। उसे साक्ष्य में दर्शाना होता है कि वह दुश्चरित्र नहीं है या उसका चरित्र खराब नहीं है। प्रश्न है कि उसे यह प्रमाण पत्र कौन देगा? क्या पुलिस देगी या जनता देगी? क्या उसे न्यायालय से सुरक्षा और न्याय हेतु गुहार करने से पूर्व जनता की अदालत में लोग उसे सच्चरित्र या दुश्चरित्र प्रमाणित करेंगे?

महोदय, मुझे यह कहने के लिए क्षमा कीजिए, कि ये कानून पुरुषों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए। महिलाएं कभी भी इन कानूनों को बनाने वाली समितियों में शामिल नहीं रहीं और न ही उनसे परामर्श किया गया। ये पुराने कानून हैं जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। हम लोग इतने वर्षों तक सरकार में रहे और मुझे इस बात पर अपराध बोध होता है कि विभिन्न संगठनों और जनता की इस मांग कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, के बावजूद इस प्रकार की धाराएं कानून में बनी रहीं।

महोदय, मैंने न्यायालय में आने वाली पीड़ित महिलाओं की पीड़ा के बारे में महिलाओं से सुना है। यह सच है कि बलात्कार के बहुत अधिक मामलों में कभी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, शिकायत नहीं की जाती है क्योंकि ऐसे मामलों में बदनामी हमेशा महिला की ही

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

होती है। अत: वह शिकायत न करना ही बेहतर समझती है। लेकिन जन जागरुकता, मीडिया और अन्य सहायक साधनों के सहयोग से महिलाओं ने प्राथिमीकी दर्ज कराना शुरू किया है, उनका परिवार इसके बारे में शिकायत करता है और आजकल लोगों को तथ्य और आंकड़ों की जानकारी है। यह त्रासदी है कि बलात्कार के इतने मामले जानकारी में आ रहे हैं – मैं इसे त्रासदी कह रही हूं – लेकिन आज जो आंकड़ा सामने आ रहा है उससे यह पता चलता है कि ये मामले जानकारी में आ रहे हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है लेकिन किसी ने इसकी सूचना नहीं दी, किसी ने इसे दर्ज नहीं किया और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज बस, स्कूल, मेडिकल कालेज, मुम्बई की ट्रेन और हर किसी स्थान की घटना की रिपोर्ट की जा रही है।

अभी हाल ही में दिल्ली में एक 40 वर्षीय महिला के साथ उसके घर में बलात्कार हुआ। मुझे विचार से उसे न्यायालय जाना चाहिए और यह सिद्ध करना चाहिए कि : "वह सच्चरित्र है और यह बताना चाहिए कि वे उसके घर आए और उससे बलात्कार किया। इससे भी आश्चर्य की बात है कि बलात्कार के इन मामलों में 14 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष के लड़के संलिप्त हैं। एक केस अभी चल रहा है। वे विद्यालय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि लड़का नाबालिग है अत: उसे दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि वह नाबालिग है तो उसे और कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था में उसने महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न और शील भंग करना शुरू कर दिया है। पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि एक व्यक्ति और राष्ट्र के रूप में हम क्या गलती कर रहे हैं।

महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधन का स्वागत करती हूं। मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि हमने पहले ही संशोधन में इस बात का समावेश कर दिया है कि यदि बलात्कार से संबंधित मुकदमा चले तो उसकी सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए और यह मुकदमा बंद कमरे में चलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है। वकीलों की बातें बहुत लोग सुनते हैं। मैंने परामर्शदाताओं और महिला कार्यकर्ताओं से सुना है कि अत्यंत अपमानजनक एवं परेशान करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। महिला से बार-बार पूरी कहानी को फिर से बताने को कहा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ, किस स्थान पर हुआ, कैसे हुआ और ऐसा किसने किया। यह अत्यंत अपमानजनक स्थिति होती है और मुकदमे के दौरान महिला बुरी तरह टूट जाती है। पोस्टपोनमेंट होते हैं, फिर बुलाते हैं। उसे बार-बार न्यायालय आना जाना पड़ता है मानो वह कोई दुश्चरित्र महिला हो जिसका न्यायालय में अपमान किया जाना हो। इन मुदकमों की कार्यवाई बंद कमरे में की जानी चाहिए और वह भी इस तरह से कि उसे कोई पीड़ा न पहुंचे। मेरा कहना है कि महिला न्यायाधीश अधिक संवेदनशील न्यायाधिकारी को इस प्रकार के अपराध का मामला देखना चाहिए।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि ये अभियोग समयबद्ध होने चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके, उसकी पोस्टिंग, सुनवाई और अन्तिम निर्णय दिए जाने की एक समय सीमा होनी चाहिए अन्यथा बलात्कार के मामलों को दो या तीन वर्षों तक लटका कर रखने का कोई औचित्य नहीं होगा और बार-बार मामले का स्थगन करने और महिलाओं का न्यायालय आना जाना, को रोकना होगा।

बलात्कार के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात पीड़ित महिला का चिकित्सकीय परीक्षण होता है। डाक्टर, पुलिस और अभियुक्त की मिलीभगत से ऐसे मुकदमों का कोई हल नहीं निकलता है और न तो सही परीक्षण किया जाता है और न ही कपड़े सुरक्षित रखने जैसे अन्य कार्य किए जाते हैं जिससे आरोपी को दोषसिद्ध करने की एकदम गुंजाईश नहीं रह जाती। मेरा विचार है कि जहां तक बलात्कार के मुकदमे का संबंध है हमें साक्ष्य अधिनियम पर थोड़ा और विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है।

अंत में सवाल यह है कि *(व्यवधान)* मैं आपके विचारों से सहमत हूं। हत्या के मामले में भी आप उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में नहीं पूछते जिसकी हत्या हुई है। इसे शीघ्र ही धारा 302 के अंतर्गत ले लिया जाता है और यदि उसे दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि बलात्कार के मामले में मृत्यु दण्ड का विधान करने मात्र से समस्या हल हो जाएगी – जबकि कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं। मेरी समझ में महत्वपूर्ण बात यह है कि मुकदमा शीघ्रता से चले और दोषी को दण्ड दिया जाए। यदि आप चाहते हैं तो दण्ड बढ़ा दें। मेरे विचार से वर्तमान परिस्थिति में बलात्कार संबंधी कानून की किसी वरिष्ठ मंत्री की देखरेख में समीक्षा की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि बलात्कार के इन मुकदमों की समीक्षा की जाएगी और निश्चय ही आप इन मुकदमों को अर्थपूर्ण बनाएंगे और इनमें शीघ्र निर्णय लेंगे जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा।

कुछ दिन पहले किसी को 2000 रुपये की क्षतिपूर्ति दी गयी थी। क्या 2000 रुपये या 3000 रुपये की क्षतिपूर्ति देकर किसी महिला का सम्मान लौटाया जा सकता है ? यह पागलपन है। हमारा कहना है कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि प्रत्येक परिवार में लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहने हैं और अपने भी परिवार में महिलाएं हैं जिनकी सुरक्षा की आपको चिंता होती है अत: हमें महिलाओं के प्रति इसी प्रकार सम्मान एवं सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में अलग कानून और अपने परिवारों के बारे में अलग कानून के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

यदि आप चाहते हैं कि आप की लड़कियां और पौत्रियां सुरक्षित रहें तो संसद के लिए हर उपाय करने का उपयुक्त समय आ गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बलात्कार के मुकदमों में शीघ्रता निर्णय किया जाए और बलात्कार के आरोपियों को कड़ी भर्त्सना की जाए और उन्हें शीघ्र ही दण्ड मिले।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य — *जारी*

(दो) विनिवेश नीति

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, श्री अरुण शौरी अब अपना वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं इस मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसे केवल अनुपूरक कार्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे और इतने महत्वपूर्ण विषय को अनुपूरक सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इससे संसद के प्रति उनके रवैये का पता चलता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे देशवासियों को उद्वेलित कर रहा है। वे अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में आ रहे हैं ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय स्वत: एक वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री रूपचंदपाल : वे यूनाइटेड किंगडम में भी एजेंट नहीं बन सकते हैं ... *(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, संपूर्ण राष्ट्र बेचैन है। यह एक गंभीर मामला है। इस पर आज ही चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। हम चर्चा करवाये जाने की मांग कर रहे हैं न कि वक्तव्य ... *(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : महोदय, हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष इस बात पर पहले ही सहमत हो चुके हैं कि माननीय मंत्री अपराह्न 2.30 बजे तक वक्तव्य देंगे।

श्री रूपचंद पाल : नहीं, महोदय ... *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : महोदय, यह नीति संबंधी मामला है और चर्चा के बिना सभा में स्वत: वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है। इससे समाज के कतिपय वर्गों के अधिकारों का अतिक्रमण होता है ... *(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही इस बात से सहमत हो चुके हैं। आपकी सूचना अस्वीकृत कर दी गई है।

(व्यवधान)

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, अमरीका और अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में ऐसा हो रहा है। हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए पहले ही सूचना दे चुके हैं। आपने अनुमति नहीं दी। इस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आजकल हमें समाचार-पत्रों से सूचनायें प्राप्त हो रही हैं जबकि संसद का सत्र चल रहा है। हमें अनेक मामलों के बारे में समाचार-पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। यह एक मुद्दा है — मैं इस पर चर्चा करता हूं, क्योंकि यह तेल कम्पनियों के बारे में है, और इस संबंध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रहा है और यह महत्वपूर्ण भी है। हमें समाचार-पत्रों से मंत्रिमंडल और एन०डी०ए० में मतभेद के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। निश्चय ही अन्य स्थानों पर क्या हो रहा है, यह इस संसद के रिकार्ड का एक हिस्सा है।

क्या हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जब ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है तो सभा में सरकार के निर्णय को घोषणा से पहले, उन पर यहां चर्चा की जाए ? संसद के प्रति किसी तरह का सम्मान दर्शाया जाए और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले यहां चर्चा की जाए। क्या इसे केवल एक औपचारिकता समझ लिया जाए ? ... *(व्यवधान)* क्या इसे मात्र एक औपचारिकता ही समझा जाएगा ? मैं नहीं जानता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य देने की सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम यहां मृत्यु का वारंट सुनने के लिए नहीं आए हैं। यह क्या हो रहा है ? यह सरकार इस मुद्दे पर विभाजित हो गई है। मैं एन०डी०ए० के संघटकों से भी अनुरोध कर रहा हूं। माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह यहां बैठे हैं। शिवसेना के मित्र इसका विरोध कर रहे हैं ... *(व्यवधान)* अत: मैं कह रहा हूं कि निर्णय लेने से पहले, सभा में चर्चा की जानी चाहिए और सभी पक्षों के सदस्यों के विचारों को जानें और फिर निर्णय लें। यह क्या है ? यह संसद का स्पष्ट अपमान है ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति दी थी और यह यहां सूचीबद्ध भी है। ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन्हें एक स्वत: स्फूर्त वक्तव्य देना है।

(व्यवधान)

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : महोदय, पिछली बार *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : केवल वक्तव्य दिए जाने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, मैंने सूचना दी है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सेठ, उन्हें वक्तव्य देना है।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : क्या हम वक्तव्य के बाद कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं ? *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इस सभा के प्रति यही आचरण होना चाहिए ? *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : महोदय, पिछली बार जब इस सभा में विनिवेश पर चर्चा हुई थी तो सभा को स्थगित करना पड़ा था क्योंकि गणपूर्ति नहीं थी *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ : वह इस सभा में किसी चर्चा के बिना विनिवेश के मुद्दे पर वक्तव्य कैसे दे सकते हैं ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सेठ, कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, श्री बसु, कृपया एक क्षण के लिए मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अब व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : क्या यह एन०डी०ए० का कार्यक्रम है अथवा कोई अन्य कार्यक्रम है ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, उन्होंने अध्यक्षपीठ की अनुमति मांगी है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। उन्हें वक्तव्य देना है।

श्री लक्ष्मण सेठ : नहीं *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : क्या मैं आरम्भ करूं ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जारी रखिए। आप वक्तव्य पढ़िए।

श्री अरुण शौरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप और माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में विनिवेश के एक सोचे समझे, सुविचारित और सुपरिभाषित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रही है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य समाप्त होने के बाद देखते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें वक्तव्य देने दीजिए। आप उन्हें वक्तव्य देने से रोक नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री अरुण शौरी : सरकार को इस सभा के माननीय सदस्यों और विशेषज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं *(व्यवधान)*

आपकी अनुमति से और आपके माध्यम से मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि सरकार ने व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों और सुझावों पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद 6 दिसम्बर, 2002 को आयोजित एक बैठक में निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाते हुए विनिवेश नीति और कार्यक्रम को अनुकूल बनाने का निर्णय लिया है *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह संसद का स्पष्ट अपमान है। अत: हम वाक आऊट कर रहे हैं।

अपराह्न 2.44 बजे

(इस समय, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री अरूण शौरी : विनिवेश का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संसाधनों तथा परिसम्पत्तियों का ईष्टतम उपयोग करना तथा विशेषकर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अन्तर्निहित उत्पादक सम्भाव्यता को स्वतंत्रता प्रदान करना है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : विशेष रूप से विनिवेश नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन; नई परिसम्पत्तियों का सृजन; रोजगार जुटाना; तथा सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करना *(व्यवधान)* सरकार यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि विनिवेश के द्वारा राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण न हो अर्थात ये परिसम्पतियां विनिवेश के पश्चात् भी वहीं रहेंगी जहां वे इस समय स्थित हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से कहिए कि वे फिर से पढ़ें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री जी का स्टेटमेंट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : एक बात सुन लीजिए। इस मामले में हमारी पार्टी का रिजर्वेशन है। *(व्यवधान)* इस पर समता पार्टी का रिजर्वेशन है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आनरेबिल मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद मैं आपको सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : हम सुन नहीं सके हैं, शुरू से पढ़ने के लिए कह रहे हैं। *(व्यवधान)* क्या पता लगेगा कि क्या स्टेटमेंट है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अप सुनेंगे नहीं, तो पता कैसे लगेगा ?

श्री मोहन रावले : मंत्री जी को दोबारा पढ़ने के लिए कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी दोबारा पढ़ दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : माननीय महोदय, जैसा कि आप और माननीय सदस्यगणों को विदित है, सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश की एक सोची-समझी सुविचारित तथा सुपरिभाषित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करती आ रही है। जैसा कि आप यह भी जानते हैं, सरकार को इस सदन के माननीय सदस्यों से तथा साथ ही विशेषज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं।

आपकी अनुमति से और आपके माध्यम से, मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों तथा दिए गए सुझावों पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद, सरकार ने 6 दिसम्बर 2002 को आयोजित बैठक में, निम्नलिखित दृष्टिकोण को अपनाते हुए, विनिवेश नीति और कार्यक्रम को अनुकूल बनाने का निर्णय लिया है :–

विनिवेश का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संसाधनों तथा परिसम्पत्तियों का ईष्टतम उपयोग करना तथा विशेषकर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अन्तर्निहित उत्पादक सम्भावयता को उन्मुक्त करना है। विशेष रूप से विनिवेश नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

– सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन;

– नई परिसम्पत्तियों का सृजन;

– रोजगार जुटाना; तथा

– सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करना।

सरकार यह सुनिश्चित करती रहेगी कि विनिवेश के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण न हो और वे परिसम्पत्तियां वहीं बनी रहें जहां वे हैं। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि विनिवेश के परिणामस्वरूप निजी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न न हो।

विनिवेश द्वारा जुटाये गए धन का उपयोग सामाजिक तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में करने की सरकार की निरन्तर प्रतिबद्धता को पूर्ण प्रत्यक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार विनिवेश अर्थागम कोष की स्थापना करेगी। इस कोष का उपयोग नए रोजगार के अवसरों का वित्त-पोषण तथा निवेश और सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करने के लिए किया जाएगा।

प्राकृतिक परिसम्पत्ति कम्पनियों के विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय तथा विनिवेश मंत्रालय दिशा-निर्देश तैयार करेंगे।

वित्त मंत्रालय उन कम्पनियों में जिनमें सरकारी इक्विटी का विनिवेश अनुकूल साझीदार को किया गया है, सरकार की अवशेष धारिता को धारित करने, प्रबन्धित करने तथा उसके निपटान के लिए एक परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी स्थापित करने की व्यवहार्यता तथा रूपात्मकताओं पर विनिवेश संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के विचारार्थ एक लेख भी तैयार करेगा।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अरुण शौरी]

इन दिशानिर्देशी सिद्धान्तों और उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में, सरकार ने निम्नलिखित निर्णय भी लिए हैं :—

- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० में जन साधारण को शेयरों की बिक्री के माध्यम से विनिवेश करना;
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० में अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश करना; और
- बी०पी०सी०एल० तथा एच०पी०सी०एल० दोनों में, दोनों कम्पनियों के कर्मचारियों को, बाजार मूल्य के एक तिहाई दर पर शेयरों की एक निश्चित प्रतिशतता आवंटित करना ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर सदन में बहस होनी चाहिए ताकि हम लोग भी अपनी बातों को रख सकें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : महोदय, मुझे केवल एक ही बात कहनी है। पिछली बार, भी इस पर चर्चा हुई थी। इसे समाप्त करना पड़ा और गणपूर्ति के अभाव में चर्चा स्थगित करनी पड़ी थी। उस समय आप पीठासीन थे। मैं हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : आप पहले भी इसे रिलायंस को बेच चुके हैं। अब आप दे रहे हैं।

[हिन्दी]

महोदय, इन्होंने रिलायंस को कितने में बेचा है इसका भी हिसाब बताना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा, लेकिन आप इस तरह नहीं बोल सकते। मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : इन्होंने रिलायंस को बेच दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : बी०पी०सी०एल० महत्वपूर्ण सहयोगी को नहीं दिया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : आपने इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय ले लिया है और यह बात सामने आ जाएगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में विनिवेश पर तीन तरह की प्रक्रियाएं हैं। हमारे देश के इकोनोमिक्स के जो विद्वान हैं वे कहते हैं कि बिना बेचे हुए देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाएगी, जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है। *(व्यवधान)*

महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस देश में ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस विनिवेश प्रक्रिया से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता का सवाल ही नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के घरों में सारी सरकारी सम्पत्ति चली जाएगी।

तीसरे तबके के लोग वे हैं जो कहते हैं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : महोदय, इस पर एन०डी०ए० के सयोगियों के बीच भी मतभेद हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुनिये। हाउस में परम्परा है कि स्टेटमेंट के बाद उसके बारे में कुछ भी खुलासा करने की इजाजत नहीं है। अगर इस संबंध में कुछ भी चर्चा करनी हो, तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में टाइम मुकर्रर करके डिस्कस कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, तीसरा ऐसा तबका है जो चाहता है कि इसकी दोबारा समीक्षा हो और वह कार्रवाई नहीं चल रही है। इस पर विस्तार से सदन में चर्चा होनी चाहिए और सभी पक्षों की राय सुनी जानी चाहिए तथा सदन को विश्वास में लेकर इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस सदन में एक परम्परा है कि वक्तव्य के बाद सदस्य कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं। नियम इसकी अनुमति नहीं देता है। मैं सदन का सदस्य हूं और मैं सदन की भावना से वाकिफ हूं। श्री प्रभुनाथ सिंह ने यह मामला उठाया है। सभी इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। सदन को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। लेकिन अब वक्तव्य दिया जा चुका है मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इसपर किसी को स्पष्टीकरण करने की अनुमति दूं।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, वे पहले ही निर्णय ले चुके हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : महोदय, माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक जी, जो अभी यहां बैठे हैं, कल तक पेट्रोलियम क्षेत्र में विनिवेश का विरोध कर रहे थे ... *(व्यवधान)*

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, इस बार माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें स्पष्टीकरण के लिए अनुमति दी थी ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं तो अपवाद हो सकते हैं लेकिन वे अपवाद ही हैं, नियम नहीं।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मैं पूरी तरह आप के साथ सहमत हूं। अपवाद के रूप में, आप कृपया प्रत्येक दल से एक संदस्य को इस पर बोलने की अनुमति दे दीजिए ... *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : महोदय, माननीय पेट्रोलियम मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए ... *(व्यवधान)*

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, इस महीने की 20 तारीख को सदन की बैठक स्थगित हो जाएगी और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कोई अवसर नहीं होगा।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया है ... *(व्यवधान)* संसद का सत्र चल रहा है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : उपाध्यक्ष जी, कल विनिवेश प्रक्रिया पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में कहा कि विनिवेश नीति जारी रहेगी। यह सरकार देश की जनता को वर्तमान में भ्रमित कर रही है। माननीय रामनायक जी पीछे बैठे हैं। माननीय उमा भारती जी का भी इस बारे में बयान हुआ है और माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी इस बारे में बयान दिया है। सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि देश को ये क्या संदेश देना चाहते हैं — क्या गलत है और क्या सही है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, आप कार्य-मन्त्रणा समिति के सदस्य हैं। आप कार्य-मन्त्रणा समिति में यह मुद्दा उठा सकते हैं और यदि कार्य-मंत्रणा समिति में समय मिले तो आप इसपर चर्चा कर सकते हैं। इस पर इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत कठिन है। आप नियम 193 के अधीन सूचना दें। कार्य-मंत्रणा समिति में इसपर चर्चा कीजिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ समय निर्धारित करवा दीजिए। ऐसे ठीक रहेगा।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : मंत्री जी, आपके सहयोगी भी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। माननीय राम नायक जी पीछे बैठे हुए हैं ... *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष जी, आप हमें दो मिनट बोलने के लिए मौका दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, मैं ना तो नियम 184 और ना ही नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए सूचना नहीं दे सकता हूं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सूचना दें। यह मामला कार्य-मन्त्रणा समिति में उठाया जाएगा और यदि समय बचा तो चर्चा के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किया जाएगा। तभी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, हम नियम 194 के अधीन चर्चा के लिए श्री प्रभुनाथ सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री को यहां आकर बयान देना चाहिए। मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों ने अलग-अलग तरह के बयान विनिवेश के बारे में दिए हैं। आपके मंत्री आरोप लगाते हैं कि यह प्रक्रिया सही नहीं है और आपके सहयोगी दल भी आपके ऊपर ऐसे ही अरोप लगा रहे हैं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती बीट्रिक्स डिसूजा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, श्री राम नाईक जी इसका विरोध कर रहे हैं। श्री जार्ज फर्नांडीज विरोध कर रहे हैं शिवसेना विरोध कर रही है? और सभी इसका विरोध कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में यह क्या हो रहा है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल आप कार्य-मन्त्रणा समिति के सदस्य हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा की जाए तो आप सूचना दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, आज मजदूरों के ऊपर अन्याय हो रहा है और उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। *(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : आप पहले अपने मंत्रियों और सहयोगी दल को संतुष्ट करिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। कृपया अब व्यवधान मत डालिए। श्री मोहन रावले, कृपया अब आप व्यवधान मत डालिए। मैंने श्रीमती बीट्रिक्स डिसूजा को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पीठाध्यक्ष की अनुमति से वक्तव्य दिया है। यदि आप सभा का बहिष्कार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : श्री राम नाईक जवाब दें कि क्या वह तेल क्षेत्र को बेचने से प्रसन्न हैं। वह तो भाग गए हैं। आप इस बारे में बोलिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब पहले इस विषय पर चर्चा हो रही थी तो इनकी पार्टी का एक भी मैम्बर यहां नहीं था। हाउस में कोरम भी नहीं था और इनके सभी मैम्बर्स चले गए थे। *(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : मल्होत्रा जी, आप अपने मंत्रियों को समझाइए। भिन्न-भिन्न प्रकार के बयान आपके मंत्रियों के आ रहे हैं। इस बारे में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने क्या बयान दिया है और आपके सहयोगी दल क्या बयान दे रहे हैं, पहले इनका जवाब दीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : मैंने पहले ही सूचना दे दी है। महोदय *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : हमें भी इस पर बोलने का मौका दिया जाए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर झा, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मैम्बर हैं। क्या आप इस बारे में नोटिस नहीं दे सकते हैं ?

श्री रघुनाथ झा : हम भी इस हाउस के मैम्बर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर नोटिस दीजिए। इससे आपको कौन रोक रहा है ?

श्री सुन्दर लाल तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरा देश बेच देंगे, क्या फिर भी आप चुपचाप बैठेंगे ? आप भी इस मामले में कुछ बोलिए और निर्देश दीजिए।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : इस हाउस को चलाने का कोई नियम है, उस नियम के मुताबिक हाउस को चलाना है। आपको यहां पर कुछ बहस करनी है तो उसके लिए नियम फॉलो करना पड़ेगा। आप लिखित रूप से दे दीजिए कि फलां-फलां नियम के मुताबिक मुझे डिस्कस करना है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : मंत्री जी, आप अपने सहयोगियों को समझाइये। *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, वहां मजदूरों पर अन्याय हो रहा है, वहां मजदूरों को जबरदस्ती वी०आर०एस० दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुन्दर लाल तिवारी कृपया व्यवधान मत डालिए। कृपया उनकी बात सुनिए। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

अपराह्न 3.01 बजे

[अनुवाद]

भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक पारित — *जारी*

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक 2002 का

समर्थन करती हूं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 100 वर्षों के पश्चात् भी बलात्कार से सम्बन्धित कानून में संशोधन खंडों में किया जा रहा है। यद्यपि यह एक स्वागत योग्य संशोधन है लेकिन काफी कुछ किया जाना शेष है।

इस संशोधन के लिए 1980 में विधि आयोग के 84वें प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थी। इसमें यह कहा गया है कि महिला जिसका बलात्कार किया गया है को दोहरे उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है – पहला बलात्कार और फिर जांच। पीड़ित महिला का न्यायालय में जांच के दौरान का अनुभव नकारात्मक और बड़ा टीस से भरा होता है। नि:सन्देह न्यायालय की कार्यवाही दूसरी श्रेणी की फिल्म से मिलती जुलती होती है। पीड़ित महिला को पहले असंवेदनशील पुलिस तंत्र फिर न्यायापालिका के दुलमुल रवैये तथा बाद में संवेदनाहीन न्यायपालिका का भी सामना करना पड़ता है।

यहां मैं आपको संवेदनाहीन न्यायपालिका के दो उदाहरण दूंगा। पहला मामला मथुरा का है जिसमें (तुका राम बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1978) उच्चतम न्यायालय ने दो पुलिसकर्मियों जिन्होंने 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था, को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि उस लड़की के शरीर पर कोई घाव नहीं पाया गया और उसकी गवाही भी सन्देहपूर्ण है क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी।

दूसरे मामले में जो सुमन रानी का था (प्रेमचन्द बनाम हरियाणा, 1989) उच्चतम न्यायालय ने पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए सामूहिक बलात्कार के मामले में – यह भी पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया था। 10 वर्ष की अनिवार्य सजा को घटाकर यह कहते हुए 5 वर्ष कर दिया कि यह लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और उसका चरित्र सन्देहास्पद था।

महोदय, यदि बलात्कारी को दोषी ठहराना है तो इस अधिनियम में खण्डों में यह संशोधन करना पर्याप्त नहीं होगा। बलात्कार विधियों में जो स्वतन्त्र और प्रक्रियात्मक है पूरा बदलाव लाने की आवश्यकता है। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून, भारतीय दण्ड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धाराओं में संशोधन करने की आवश्यकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में गैर-अंतर्वेदी यौन उत्पीड़न को शामिल करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है। धारा 375 और धारा 376 के अन्तर्गत बलात्कार के कानूनी प्रावधानों में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है ताकि बाल यौन उत्पीड़न और किसी वस्तु द्वारा लैंगिक हमलों और जबरन मुख मैथुन को भी इसमें शामिल किया जा सके।

भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन श्रेणीबद्ध अपराधों को "यौन उत्पीड़न" नामक शीर्षक के अंतर्गत लाया जाए। धाराएं 374, 375, 376, 509 और 511 आदि बलात्कार, शील भंग और अभद्र व्यवहार से सम्बन्धित हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, माननीय मंत्री जी को उनकी बात सुननी चाहिए और उनको यह सब बातें नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी कृपा ध्यान दीजिए।

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : सहमति की आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष किया जाए और धारा 375 में वैवाहिक बलात्कार से सम्बन्धित अपवाद खण्ड को हटाया जाना चाहिए। यदि कोई बलात्कारी पीड़ित महिला को एड्स से संक्रमित कर देता है तो ऐसे मामले में दण्ड को बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जाना चाहिए।

अन्तत: पुलिस स्टेशनों में ही सहयोगप्रद वातावरण और पर्यावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। पीड़ित महिला में न केवल प्रतिरक्षा वकील को बल्कि पुलिस द्वारा भी पुलिस स्टेशनों में उसके पूर्व लैंगिक अनुभव आदि के बारे में प्रश्न नहीं पूछने चाहिएं।

जैसाकि श्रीमती आल्वा ने भी बताया है कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई बन्द कमरे में की जानी चाहिए और यदि असूचना हो तो उनका निपटारा त्वरित न्यायालयों में कराया जाना चाहिए। यह मांग की गई है कि बलात्कारी को मृत्युदण्ड दिया जाए और यह बात प्रेम में उठाई गयी है परन्तु यह और भी महत्वपूर्ण होगा यदि यह विशेष संशोधन इस कानून में लाए जाएं। जिन प्रस्तावों का मैंने वर्णन किया है उन्हें महिला संगठनों का समर्थन प्राप्त है और यह सुझाव बलात्कारी को अपराधी ठहराने और दण्डित करने के लिए पर्याप्त होंगे।

अपराह्न 3.06 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। इस विधान, जो अत्यन्त ही संक्षिप्त प्रतीत होता है, अत्यधिक स्वागत योग्य है।

मूल अधिनियम, अर्थात् भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में पारित हुआ था जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। यह संभवत: उनके सोचने का तरीका था जिसके कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 का खंड 4 रखा गया था। उसके बाद 55 वर्ष बीत चुके हैं। अब हम यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण संशोधन ला रहे हैं। वस्तुत: यह कई महिला संगठनों की अत्यन्त ही पुरानी मांग थी।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में जैसा कि दर्शाया गया है, भारतीय विधि आयोग ने अपने 84वें और 172वें प्रतिवेदन में यह टिप्पणी की थी कि इस विशेष खंड के कारण ऐसे मामलों में पीड़ित को भावनात्मक आघात पहुंचता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी टिप्पणी की है कि बचाव पत्र के वकील सामान्यत: पीड़ित के पूर्व यौन संबंधों का हवाला देते हैं और इस तरह से उसका जीवन अत्यन्त ही कठिन बना दिया

[प्रो० ए०के० प्रेमाजम]

जाता है। इस प्रकार, बलात्कार के भावनात्मक आघात के अतिरिक्त, उसे समाज के सामने अपमानित होना पड़ता है। न्यायालय कक्ष में चरित्र हनन होता है और प्रेस तथा दूसरे मीडिया में इसे अत्यधिक प्रचार-प्रसार मिलता है। उस पर लगा धब्बा उसके मरणोपरान्त ही मिटता है। इस कारण महिला समाज और स्वयं अपने परिवार से बहिष्कृत हो जाती है।

उस दृष्टि से यह अत्यन्त ही स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए हम सचमुच अत्यन्त ही आभारी हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा और यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं, जिसकी प्राय: हर दिन खबर होती है, के मद्देनजर यह संशोधन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले से हम नित्य बलात्कार के प्रयास और दूसरे प्रकार के आघातों और परेशान करने के मामले सुन रहे हैं।

हम सिर्फ इसी संशोधन से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। जब तक सर्वांगीण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है, अधिकांश महिलाओं को पूरा-पूरा न्याय नहीं मिलेगा और वे संविधान में दिए गए अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगी। इसलिए, इस संबंध में, इस संशोधन का समर्थन करते हुए, मैं कतिपय सुझाव देना चाहूंगी जिसे शीघ्रातिशीघ्र भावी विधायन में अंतर्विष्ट किया जाए।

पिछले सप्ताह, बलात्कार संबंधी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, माननीय उप प्रधान मंत्री ने कहा कि इसका उत्तर मृत्युदंड है। किन्तु हम उससे सहमत नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि अत्यन्त ही कठोर विधान अथवा निरोधक दंडों की कमी के कारण इन मामलों में वृद्धि हो रही है, किन्तु अन्य कारक भी हैं जो वास्तव में ऐसे मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने में बाधक बन रहे हैं। इनमें से एक कानूनी कार्यवाही की लंबी प्रक्रिया है। कभी-कभी किसी मामले का निर्णय होने में 10 वर्षों से भी अधिक लग जाता है। हम सब महिला के अनुभव की कल्पना कर सकते हैं जिसे लम्बी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और वह भी अत्यन्त ही प्रचारित होता है और फिर भी अंतत: न्याय नहीं मिलता है। इसलिए, कानूनी कार्यवाही की लंबी प्रक्रिया को छोटा करना चाहिए और जहां तक इन मामलों का संबंध है समय सीमा लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा द्वारा पहले ही उल्लेख किया गया है, इन मामलों की कार्यवाही गुप्त रूप से की जानी चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि न्यायपालिका, नौकरशाही और पुलिस अधिकारी महिलाओं के विरुद्ध पूर्वाग्रह और भेदभाव से ग्रसित होते हैं। ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। नि:संदेह; मैं जानती हूं कि थोड़े समय में यह नहीं किया जा सकता है। इसमें काफी समय लगेगा। किन्तु जहां तक समाज में महिलाओं का संबंध है इन पूर्वाग्रहों और भेदभाव को दूर करने का सच्चा और ईमानदार प्रयास हमें करना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक मामले में, दोषी को इस आधार पर छोड़ दिया गया कि उच्च वर्ग के पुरुष निम्न वर्ग की महिला के साथ बलात्कार नहीं करते। वास्तव में, यह सिर्फ भेदभाव है। हमारा अनुभव है कि निम्न वर्गीय महिलाएं नि:सहाय और स्वरक्षा योग्य नहीं हैं। वे उच्च वर्गीय पुरुषों की दया पर है। इसलिए, इस प्रकार की घटनाएं होती है। अन्य साक्ष्यों के बावजूद भी, दोषी को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वह उच्च वर्ग का पुरुष था तथा बलात्कार की गई महिला निम्न वर्ग की महिला थी। इसलिए, इस तरह के पूर्वाग्रह अभी भी न्यायपालिका, नौकरशाही और पुलिस अधिकारी पर हावी हैं। इस समस्या के प्रति समुचित संवेदनशीलता होनी चाहिए। जहां तक महिलाओं को न्याय देने का संबंध है, मैं नहीं समझती कि मृत्यु दंड से कोई अंतर पड़ेगा।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाया जाए और विद्यमान व्यवस्था में सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए विधान तत्काल लाया जाए।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : माननीय सभापति महोदया, भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, 2002 का मैं सम्मान करता हूं और समर्थन भी करता हूं। बड़े लम्बे अर्से से यह मांग महिला पक्ष की तरफ से उठाई जाती रही है कि उनके साथ अन्याय होता है।

महोदया, जब कोई रेप का मामला अदालत में जाता है। जब वे कठघरे में खड़ी होती हैं और जब उनसे प्रश्न किए जाते हैं, तो वकील उनसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिससे महिलाओं के सम्मान को चोट लगती है।

महोदया, रेप केसेस में यह भी देखा गया है — जैसा इसके आब्जैक्ट्स के बारे में बताया गया है कि महिलाओं का भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। निश्चित ही यह सम्मान-योग्य विधेयक आपके द्वारा लाया गया है। हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि जब इस पवित्र हाउस द्वारा कोई कानून बने, तो उसे बनाते समय पूरी तरह से केवल भावनाओं में ही बहकर कानून न बनाया जाए, बल्कि यथार्थ की दिशा में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।

महोदया, इंडियन एवीडेंस एक्ट का जो सैक्शन 155 बना है, उसके क्लॉज 4 को हम ओमिट करने जा रहे हैं। सब क्लाज 4 जो है वह केवल धारा 376, 366 और 363 के अंतर्गत केवल सैक्सुअल ऑफेंस से संबंधित है, वह जनरल क्लॉज नहीं है कि सभी आई०पी०सी० की धाराओं में सैक्शन 155 भी लागू होगा।

जब हम इसे ऑमिट कर रहे हैं तो इसमें विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारा तर्क यह है कि जैसा आपने कहा कि कोई

किसी को कत्ल कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है या मार रहा है तो मरने वाले का पहले का कैरेक्टर नहीं देखा जायेगा। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी किसी अपराधी को ऐसा बोलेगा कि तुम आकर मेरा कत्ल कर दो। जो धाराएं हैं, एक्ट हैं या जो अपराधी हैं, उनको हम एक श्रेणी में नहीं रख सकते। इसमें यह स्पेशल इनएक्टमैंट इसलिए हुआ था क्योंकि महिलाएं, बहुत बार देखा जाता है कि बाई जेस्चर या कुछ और परिस्थितियों में, दोनों पक्षों से सैक्सुअल रिलेशन को कई बार आमंत्रण भी मिलता है, लेकिन कत्ल में कोई यह नहीं कहता कि तुम आकर मेरा कत्ल कर दो। इसलिए उस नजरिये से न देखा जाये। इसे इस नजरिये से भी देखा जाये कि कभी-कभी महिला भी इसमें ऐकम्पलुरड रहती है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए कहीं किसी निर्दोष व्यक्ति को आजीवन कारावास या कोई गंभीर सजा न हो जाये, इस पर माननीय मंत्री जी को विचार करने की जरूरत है। हम सैक्शन 376, 363 की तुलना धारा 302 या 304 से नहीं कर सकते। इसकी तुलना धारा 320 या 324 से नहीं कर सकते।

जहां तक सम्मान की बात है, हम पूरी तरह से चाहते हैं कि हमारी माताओं और बहनों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसी भावना में न बहा जाये कि किसी भाई के साथ भी अत्याचार हो जाये। इसलिए इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मेरा यह भी कहना है कि जनरल इममोरल कैरेक्ट के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जायेगा प्रति परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान – उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जनरल इममोरल कैरेक्टर को हमने डिफाइन नहीं किया है – साधारण व्यभिचार क्या है ? जनरल शब्द हटा दिया जाये तो केवल इममोरल कैरेक्टर बचेगा। फिर क्या होगा ? उसे हम क्या मानेंगे ? इसलिए जनरल इममोरल कैरेक्टर शब्द को हम पूरी तरह से डिफाइन कर दें, कोडीफाई कर दें जिससे न्यायालय भी निर्णय लेते समय सजग रहे और दोनों पक्षों को यह लगे कि हमें यहां से न्याय मिला है।

अंत में मेरा कहना है कि व्यभिचारिणी महिलाओं की कमी तो नहीं हुई, उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। उनके साथ आप क्या दावा करेंगे ? एक साथ सारी महिलाओं को पूरी तरह से पवित्र मान लेंगे, यह कौन से कानून की बात हुई ? जब महिलाएं तो पवित्र नहीं हो गई हैं, न तो सारे पुरुष पवित्र हैं और न सारी महिलाएं पवित्र हो गई हैं। मेरा कहना है कि अगर कोई महिला वास्तविक व्यभिचारिणी है तो उसके लिए आपका कानून फिर क्या करेगा ? उस स्थिति में आप इस कानून को न्याय के तराजू में बराबर रखेंगे – यह कैसे संभव होगा ?

अंत में हम मान लें कि कोई कुंआरी है। किसी ने उसके साथ सैक्सुअल इंटरकोर्स कमिट कर दिया। मामला पुलिस स्टेशन गया और उसे डॉक्टर के पास भेजा गया। उसकी चिकित्सीय जांच की जाती है। यह मालूम है कि वह वर्जिन है, शादी नहीं हुई तो एक जनरल प्रिजम्पशन रहता है और मेडिकल एग्जामिनेशन में यह कहा गया कि वह यौन संबंध की अभ्यस्त है। इस तरह इममोरल कैरेक्टर के बारे में पूछने का, कॉस एग्जामिन करने का, जो हथियार हमारे हाथ में है, वह पूरी तरह से खत्म हो रहा है। इन तमाम बिन्दुओं में गहनता से विचार करने की जरूरत है। मैंने इन बिन्दुओं को रेज किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसके विरोध में हैं। हम पूरी तरह से इसके पक्ष में हैं। मैं अपनी बातें इसलिए कह रहा हूं कि कल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी विचार हमारे सामने आये जब निर्दोषों को सजा होने लगे और यह निर्णय उचित न लगे, लोगों को लगे कि न्याय नहीं हो रहा है बल्कि अन्याय हो गया है तब इस तरह की बातें आयेंगी। इसलिए मेरा कहना है कि बिना भावनाओं में बहे अगर आवश्यकता हो तो आप विचार कीजिए या जल्दी नया कानून लाइए जिसमें महिलाओं के सम्मान की रक्षा हो, उनको और सम्मान मिले तथा निर्दोष लोगों के साथ भी गलत न हो। धन्यवाद।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदया, मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार की घटनाएं काफी संख्या में बढ़ रही हैं। जैसा हमें अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है, मुम्बई के समाचार पत्रों में निकला था कि चलती रेलगाड़ी में किसी महिला के साथ बलात्कार की घटना घटी। ट्रेन में बैठे यात्री मूकदर्शक बन कर तमाशा देखते रहे। दिल्ली में मैडिकल की छात्रा के साथ घटना घटी। आज के जनसत्ता में हमने पढ़ा कि किसी पुलिस पदाधिकारी के साथ भी ऐसी घटना घटी। ये घटनाएं अब सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं रह गईं कि कमजोर या मजबूर तबके के साथ हों, बल्कि ये घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और हम समय-समय पर कानून भी मजबूत बनाते हैं। एक शोचनीय बिन्दु यह है कि हम दिन-प्रतिदिन कानून मजबूत बनाते जाते हैं, कठोर से कठोर सजा की व्यवस्था करते हैं, बावजूद इसके ऐसी घटनाएं बढ़ती जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है। क्या ऐसा नहीं है कि हम कानून बनाते हैं लेकिन उसका अनुपालन करने में काफी त्रुटि हो जाती है जिससे बलात्कार की घटना करने वाले लोग कानून से, न्यायालय से निर्दोष साबित हो जाते हैं जिससे उस वर्ग का मनोबल बढ़ता है और घटनाएं भी बढ़ती हैं।

तिवारी जी चले गए, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दोष एकपक्षीय नहीं होता। बहुत सी घटनाएं बनावटी होती हैं। आपको मालूम होगा, थोड़े दिन पहले आपकी पार्टी के विधान सभा के अध्यक्ष सदानंद बाबू पर न्यायालय में बलात्कार का मुकदमा हुआ था। कुछ दिनों बाद, जिसने मुकदमा किया, उसने न्यायालय में लिखित रूप से दे दिया कि लोगों ने हमको बहकावे में लाकर इन पर मुकदमा करवा दिया। मुझे कुछ ऐसी घटनाओं की सच्चाई के साथ जानकारी है कि मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और फिर दस हजार, बीस हजार

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

रुपये लेकर बयान बदल दिए जाते हैं कि मैंने इनको नहीं पहचाना। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : बयान बदलवाने के लिए भी प्रैशर डलवाते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदया, इसे सिर्फ प्रैशर मत कहिए। इतना मान कर चलिए कि कुछ पेशेवर महिलाएं इस तरह का पेशा करती हैं, जिनकी वजह से पूरी महिला समाज के चरित्र पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको और भी कठोर सजा देने का कानून बनाना हो तो बनाइए, हम आपके साथ हैं, सदन आपके साथ है लेकिन इसके साथ ही एक बात यह भी उसमें जरूर शामिल कीजिए कि यदि कोई महिला इस ढंग का मुकदमा करती है, क्योंकि मैडिकल रिपोर्ट की जो चर्चा चल रही है, वैसे देहाती इलाकों में डाक्टरों की गलत मैडिकल रिपोर्ट देने की फीस 32 रुपये हैं। कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड होकर मुकदमा कराता है तो उसकी फीस का रेट बढ़ जाता है। यह फीस 100, 200 या चार सौ रुपये भी हो जाती है और वहां महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता है, किसी विरोधी को, प्रतिद्वंदी को फंसाने में, दुश्मनी साधने में – चूंकि इस मुकदमे में जल्दी जमानत नहीं होती है – और जब मैडीकल रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो पुलिस कहती है कि अब तो साक्ष्य हो गया, हमारी मैडीकल रिपोर्ट तैयार हो गई – उसी समय पैसे का लेन-देन की बात शुरू हो जाती है। 50-50 हजार और एक-एक लाख रुपये लेकर फिर बयान बदल भी जाते हैं।

हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस कानून में आप एक बात जरूर शामिल कीजिए कि अगर इस तरह के मुकदमे किये जाते हैं और न्यायालय द्वारा अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि महिला ने किसी को फंसाने की नीयत से गलत मुकदमा किया, डाक्टर ने किसी को फंसाने की नीयत से गलत रिपोर्ट दी, इसमें गवाही देने वाले लोग किसी का चरित्र हनन करने की नीयत से गलत साक्ष्य दे रहे हैं तो जो बलात्कारी को सजा होती है, कम से कम उससे आधी सजा उसके गवाह को, मुकदमा करने वाले लोगों को भी हो। हम मानते हैं कि तभी इस तरह के गलत मुकदमे रुकेंगे। अगर आप इस ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपका कानून सिर्फ कहानी बनकर रह जायेगा। रोज तो आप कानून बनाते ही हैं, जब जानते हैं कि हत्या की सजा फांसी होती है, लेकिन हत्या की घटना नहीं रुकती है। इसलिए दोपक्षीय आप इसमें कार्रवाई करिये।

हमें लगता है कि कानून बनाने में थोड़ी कठिनाई भी होती है। मंत्री जी, आप इसे अदरवाइज मत लीजिए, चूंकि एक संयोग ऐसा होता है कि कानून का पालन करने वाले और कानून के अंतिम आदेश देने वाले जो न्यायपालिका के लोग होते हैं, वे सब लोग एयरकंडीशंड में पैदा होकर एयरकंडीशंड तक सीमित रह जाते हैं, व्यावहारिक जिंदगी वे नहीं जीते हैं और चूंकि व्यावहारिक जिंदगी नहीं जीते हैं, इसलिए व्यावहारिक बात का उन्हें ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए कानून बराबर गलत बनता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि बलात्कारी को ज्यादा से ज्यादा, कठोर से कठोर सजा हो, उसी तरह गलत मुकदमा करने वालों पर भी, जितनी बलात्कारी पर कठोर सजा हो, उससे कम से कम आधी सजा गलत मुकदमा करने वाले, गलत मैडीकल प्रतिवेदन देने वाले, गलत साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को मिले। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप चेयर को एड्रैस करिये, उधर मत देखिये।

श्री प्रभुनाथ : हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करेंगे। आप अपने भाषण के क्रम में कह रही थीं कि बलात्कार के मुकदमे को देखने के लिए न्यायपालिका में महिला जज की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसे आप एकपक्षीय नहीं मानतीं, कहीं एक महिला महिला का पक्ष लेकर एकपक्षीय निर्णय नहीं कर दे। हम तो चाहेंगे कि न महिला हो, न पुरुष हो, कोई हिजड़ा यदि नियुक्त किया जाये, जो ऐसे मामले में न्याय दे तो वहीं ज्यादा इंसाफ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

सभापति महोदया : आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, इसे मानना चाहिए।

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद) : सभापति महोदया, भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं।

लेकिन मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि 1872 के बाद समय दर समय इसमें कुछ परिवर्तन तो अवश्य होते रहे रहेंगे, लेकिन जो आवश्यक परिवर्तन है, उसमें आपने काम शुरू किया है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बात कही, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि आज देश में जो दूरदराज के इलाके हैं, जो निरीह और गरीब हैं, उनके 90 फीसदी केस रजिस्टर नहीं होते हैं। पुलिस प्रधान हमारा देश है और उसके तहत गांवों में दूरदराज इलाकों में महिलाएं अपनी इज्जत न चली जाये, उनके परिवार की बात रह जाये, वे केस रजिस्टर नहीं करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि अधिक से अधिक केस रजिस्टर हों और जो भी बलात्कारी है, उसे अधिक से अधिक सजा मिले। इसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए।

रही शहरी सभ्यता की बात, जहां तक मेरी जानकारी है और समझदारी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पाश्चात्य सभ्यता का जो बड़े शहरों में रीति-रिवाज चला है, उसका भी प्रभाव इन बलात्कार की घटनाओं पर पड़ा है। मेरा निवेदन है और यह मानना है कि इसे

रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि किसी के कपड़े कौन और कैसे पहने, इसे आप नहीं रोक सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इसका प्रभाव इन बलात्कार की घटनाओं पर पड़ता है।

जैसा अभी वक्ताओं ने कहा, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि रेप के केस की जांच के लिए यदि इंक्वायरी आफिसर जिला स्तर पर महिला विंग की एस०आई० या एस०एच०ओ० हो तो निश्चित तौर पर पीड़ित को न्याय मिल सकता है — ऐसी मेरी भावना है और ऐसी मेरी सोच है। जैसा अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा, मेरा भी मानना है कि शहरों में भले ही इस कानून का दुरुपयोग न होता हो, लेकिन गांव में पार्टीबंदी के आधार पर समय-समय पर देखने में आया है कि ऐसी महिलाओं को पैसा देकर राज़ी कर लिया जाता है और बलात्कार के मुकदमे लिखा दिए जाते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि यदि जांच रिपोर्ट में ऐसी बात सामने आए तो उस महिला को दंडित करने का भी प्रावधान होना चाहिए।

हिन्दुस्तान में कानूनों के होते हुए भी अपराधों की और बलात्कार के मामलों की संख्या बढ़ रही है उसका एक मुख्य कारण कानून का महंगा होना और जजमेंट में विलम्ब होना भी है। जजमेंट में जितनी देरी होगी, आदेश जितनी देर में मिलेगा, उतनी ही घटनाओं में वृद्धि होगी। इसलिए इसमें सरकार को बढ़कर आगे आना चाहिए, ताकि जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उसको कानून सस्ता मिले और जल्दी मिले।

जैसा सभी वक्ताओं ने कहा, मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि कानून बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना दो अलग-अलग बातें हैं। हमारे देश में पहले भी कानून बने हुए हैं, यदि उनको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हो सकता है कि सभी चीजों में इतनी अराजकता और खबरा स्थिति नहीं होती। आप अच्छा कानून बना रहे हैं, इसको बनाएं और मजबूत बनाएं। इसमें निश्चित ही हमारी सहभागिता होगी, लेकिन वह पूरी तरह से और नीचे तक लागू होगा, इसके लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : महोदया, मैं भी सामान्यतः माननीय मंत्री द्वारा पेश किए गए संशोधन का समर्थन करता हूं। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि स्वयं अधिनियम ही 1872 का है। सौ वर्ष पहले प्रचलित दशाओं को बदलना होगा। विधि आयोग और अन्य विचारकों ने इस पर विचार व्यक्त किया है और वे सभी ऐसे संशोधन के पक्ष में हैं।

मैं जो सुझाव देना चाहता हूं वह खंड 2 के संबंध में है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में संशोधन करता है। स्वयं माननीय मंत्री ने इस खंड में संशोधन लाया है। इस संशोधन में, उन्होंने ''साधारण व्यभिचार'' शब्दों का प्रयोग किया है। जैसा कि मेरे मित्र श्री तिवारी ने इसका उल्लेख किया, जब तक ''सदाचार'' की परिभाषा नहीं है, यह किस तरह से सहायक होगा ? क्या एक वकील महिला के नैतिक चरित्र पर प्रश्न कर सकता है ? ''व्यभिचार'' से आपका क्या अभिप्राय है ? इसलिए, एक चतुर वकील, यह कहते हुए कि वह उसके व्यभिचार पर प्रश्न नहीं कर रहा है और सिर्फ सदाचार पर ही प्रश्न कर रहा है, ऐसा पूछ सकता है। इसे सदाचार और व्यभिचार पर क्यों विचार करना चाहिए ? यदि आप सामान्य रूप से पीड़ित के चरित्र के बारे में कहते हैं, तो यह बेहतर होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक चतुर वकील कह सकता है कि वह व्यभिचार पर प्रश्न नहीं कर रहा है। अन्यथा, आपको कहीं न कहीं व्यभिचार की परिभाषा करनी होगी। व्यभिचार के बारे में परिभाषा होने पर भी, सदाचार के बारे में वकील अथवा पीड़ित से प्रतिपरीक्षा की जा सकती है जो परोक्ष रूप से उसके व्यभिचार के बारे में प्रतिपरीक्षा बन जाएगा। *(व्यवधान)* उसके साथ जिरह किया जा सकता है।

सभापति महोदया : यह अनुमत्य नहीं होगा।

श्री ए०सी० जोस : मैं खंड 2 पढ़ता हूं जिसमें कहा गया है :

''परंतु यह कि बलात्संग करने के प्रयत्न के लिए अभियोजन में अभियोगी की प्रतिपरीक्षा में यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि उसके साधारण व्यभिचार के बारे में प्रश्न पूछे जाएं।''

प्रतिपरीक्षा अनुमत्य है।

सभापति महोदया : किन्तु उस पर प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकता।

श्री ए०सी० जोस : पीड़ित के व्यभिचार पर प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकती है, किन्तु उसके सदाचार पर प्रतिपरीक्षा हो सकती है। अतएव, यह अधिक ठीक होता यदि सरकार ने संशोधन में यह लिखा हो जिसके अनुसार अभियोजिका प्रतिपरीक्षा में ऐसे प्रश्न करने की अनुमति नहीं होगी जो उसके सामान्य सदाचार से संबंधित है। अन्यथा एक चतुर वकील इस प्रावधान का दुरुपयोग करेगा और उसके सदाचार के बारे में प्रश्न करेगा।

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : महोदया, माननीय सदस्य बाल की खाल निकाल रहे हैं।

श्री ए०सी० जोस : कुछ वकील ऐसा कर सकते हैं। बाल की खाल निकालना वकीलों का काम है। कुछ चतुर वकील यह कर सकते हैं। यही कारण है कि मैंने इसे यहां रेखांकित किया है। अन्यथा, मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं तथा मैं इसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण और पूर्णतः अनिवार्य संशोधन है। अपितु, मैं तो यह कहूंगा कि यह अत्यन्त ही विलम्ब से लाया गया है।

[श्री ए०सी० जोस]

मैं एक अन्य मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा जिसे आप और अन्य माननीय साथी भी वाद-विवाद के दौरान उठा चुके हैं और वह यह है कि हमें बलात्कार कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि जैसे कि श्रीमती रॉड्रिग्ज ने पहले कहा है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यहां रॉड्रिग्ज कौन हैं ? वह बीट्रिक्स डीसूजा हैं।

श्री ए०सी० जोस : इसके लिए मुझे खेद है।

सभापति महोदया : आप कम से कम महिला सदस्यों का नाम ठीक से लीजिए।

श्री ए०सी० जोस : पिछले सप्ताह भी, उन्होंने अपने निवेदन में बलात्कार के तत्वों के बारे में कहा था, और क्या महिला के शरीर पर आघात को बलात्कार माना जाए या नहीं इत्यादि। इस पर विचार किया जाना है।

फिर, जहां तक दण्ड का संबंध है, यह सामान्यतया स्वीकार्य है कि बलात्कार के लिए दण्ड उतना कठोर नहीं है जितना की इसे होना चाहिए। हमारे देश में इस समय बलात्कारों की संख्या बढ़ रही है और यह हमारे देश के लिए शर्म की बात है। इसलिए, हमें एक बार फिर बलात्कार कानून पर अत्यधिक गंभीरता से विचार करना चाहिए। अतएव, मैं इस कानून में गंभीर और व्यापक संशोधन लाने के लिए माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदया, कानून मंत्री जी जो एवीडेंस एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाए हैं, अभी यह विषय बड़ा ही प्रासंगिक है। वर्ल्ड हैल्थ ऑरगेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान में प्रति 54 मिनट पर एक बलात्कार होता है। एक रिपोर्ट और है जिसमें कहा गया है कि प्रतिदिन 42 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जब यह आंकड़ा हम देखते हैं और यह भी जानते हैं कि बहुत सी बातें प्रकाश में भी नहीं आती — इस तरह की घटनाएं और महिलाओं के साथ जो वारदातें हो रही हैं, उस समाज को सभ्य समाज कहा जाए या न कहा जाए ? सभ्य समाज के लिए इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ा कलंक है जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि : 'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता का वास होता है — वह शास्त्र का वचन है। यह हमारी संस्कृति में पहले से ही है लेकिन ये लोग दावा भी करते हैं कि हम सभ्य हो रहे हैं लेकिन रोज-रोज की जो घटनाओं का जिक्र होता है, जानकारी दी जाती है, उससे तमाम समाज कलंकित होता है और जिस समाज में इस तरह की प्रवृत्ति मौजूद हो तो उस समाज के लिए सभ्य समाज का दावा कैसे किया जा सकता है कि हम सभ्य हो गये हैं।

अभी हाल ही में दिल्ली के एक मैडिकल कालेज की छात्रा के साथ एक सनसीखेज घटना घटी है, जिसके बारे में अखबारों में आया है। वास्तविकता यह है कि बहुत सी बातें तो दब जाती हैं और केस रजिस्टर भी नहीं होता है। इसलिए विधि आयोग और महिला आयोग तथा अन्य सभी ने अनुशंसा की है कि एविडेंस एक्ट जो सन् 1874 का अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, जिसमें क्लाज-4 के तहत महिला द्वारा दुष्कर्म साबित किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। समाज में बलात्कार होना हत्या से ज्यादा घिनौना अपराध है। हत्या से तत्काल जान चली जाती है, लेकिन जिस महिला के साथ हुआ है, वह समाज में छन-छन के मरती है और अपमान के कारण समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। वास्तविकता यह है कि कोर्ट में जब पीड़िता जाती है, तो वकील उससे तरह-तरह के सवाल पूछ कर डिमोरलाइज करने का काम करते हैं, ताकि बलात्कारी को बचाया जा सके। इस तरह से सवाल पूछने की प्रक्रिया को महिला के साथ दूसरे बलात्कार की संज्ञा दी गई है। एक तरफ महिला पहले से ही पीड़ित है और दूसरी तरफ इस तरह से सवाल पूछकर, डिमोरेलाइज करके उसे चरित्रहीन साबित करने का प्रयत्न किया ,जाता है। अब सरकार ने यह अच्छा प्रयत्न किया है कि इस बिल के पास होने से उस तरह के सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डाक्टर लोहिया हमेशा से नर-नारी समता और सप्त क्रान्ति के बड़े भारी पक्षधर थे। उनका कहना था कि महिलाओं के साथ छेड़खानी, विश्वासघात और बलात्कार — इन तीनों को किसी भी हालत में सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए इस बारे में सख्त कानून बनाना चाहिए और सख्त कानून है भी। यह भी कहा गया है कि बलात्कारी को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी मत, सम्मत और विमत के प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि यही अंतिम समाधान नहीं है। जिस तरह से शैड्युल्ड कास्ट्स के लिए थाने का प्रावधान है, उसी तरह से महिला के लिए भी थाने का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें महिला पुलिसकर्मी हो। इस सुविधा से महिलाओं को संरक्षण मिलेगा और अपराधियों को दंडित करने में सुविधा होगी। यह भी ठीक बात है, जहां-जहां कड़ा कानून बनाया जाता है, जैसे डाउरी मामले में जमानत ही नहीं होती है, वैसे ही बलात्कार के मामले में भी जमानत नहीं होती है और अनुसूचित जाति पर एट्रोसीटिज के मामले में भी कड़ा कानून है, जमानत नहीं होती है, लेकिन व्यवहार में देखने में आया है कि कड़ा कानून होने की वजह से दुरुपयोग होने की संभावना भी रहती है। इसलिए सरकार को सावधान रहना चाहिए। न्यायशास्त्र कानून की आंख है। एक कसूरवार छूट जाए, वह उतना खराब नहीं है, लेकिन एक बेकसूरवार को सजा नहीं होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद].

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह सैकड़ों व्यक्ति छूट जा सकते हैं। किसी को झूठे साक्ष्य के आधार पर दंड नहीं मिलना चाहिए।

सभापति महोदया : वे नहीं बचेंगे। चिन्ता नहीं कीजिए।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : हम लोग कानून नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन मोटा-मोटा कानून समझते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर अमल किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपना भाषण 5 मिनट में पूरा कर लूंगा।

मैं विधि मंत्री महोदय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लाए गए संशोधनों का पूरा समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है और जब तक बालिका शिशु हत्या और बालिका भ्रूण हत्या को रोका नहीं जाएगा और बालिका शिशु हत्या और बालिका भ्रूण हत्या को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के समकक्ष नहीं लाया जायेगा तब तक बलात्कार के मामलों की संख्या बढ़ती रहेगी।

मेरे योग्य सहकर्मी एवं संसद सदस्य श्रीमती डिसूज़ा ने पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अनेक अपराधों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट किया है। मैं कानून मंत्री से अनुरोध करता हूं कि महिलाओं का सतीत्व हनन के अपराध के लिए सुरक्षा बलों को राष्ट्रीय मानवा-धिकार आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाये क्योंकि सुरक्षा बलों और अर्द्ध सैन्य बलों को महिलाओं के साथ बलात्कार अथवा छेड़खानी करने जैसे अपराधों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं लाया जाता है।

मेरे विचार से यदि कोई सरकारी कर्मचारी छेड़छाड़ या बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे सेवा से बरखास्त कर दिया जाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि श्री के०पी०एस० गिल को गुजरात सरकार का सलाहकार क्यों बना दिया गया जहां व्यापक पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती रूपेन देओल बजाज के उत्पीड़न में दोषी भी ठहराया जा चुका है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सभा को बताए कि अपराधी को ही सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई।

इस सभा में अनेक पुलिस अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों द्वारा किए गए बलात्कार के अपराध का उल्लेख किया गया है – साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में स्पष्ट रूप से कहा गया है साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया वक्तव्य कानून के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पोटा और टाडा के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान को उतना ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए जितना साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दिए गए बयान को माना जाता है।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : मुझे केवल एक वाक्य बोलने की अनुमति दी जाए। मैं अधिनियम की बात नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदया : ठीक है, केवल एक वाक्य बोलिए।

श्री अनादि साहू : संशोधन के बाद भी इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे।

महोदया, धारा 155 की उपधारा (एक) में संशोधन नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है :

> "(1) उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा, जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्ष्य के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर, वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं।"

जब तक इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे।

सभापति महोदया : क्या आप इसे दोहरा सकते हैं ?

श्री अनादि साहू : मैं इसको पुनः पढ़ता हूं। धारा 155(1) में कहा गया है : "उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा, जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्ष्य के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर, वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं।" अभियोक्त्री इसमें साक्षी होगी। जब तक हम इस धारा विशेष में संशोधन नहीं करेंगे और उप धारा (चार) का लोप नहीं करेंगे इससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे तथा बचाव-पक्ष के वकील इसके आधार पर अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री के० जना कृष्णामूर्ति) : सभापति महोदया, मुझे बहुत खुशी है कि दलगत मतभेदों से हटकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लाए गए इस संशोधन का सभा ने सर्वसम्मति से समर्थन किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस चर्चा

[श्री के० जना कृष्णामूर्ति]

में भाग लेने वाले सदस्यों ने अपनी बात को इस संशोधन विशेष तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर किया। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि इस संबंध में जिन सदस्यों ने विचार व्यक्त किए गए उन विचारों से सभा भी अपनी सहमति जताती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, साक्ष्य अधिनियम आदि जैसे विभिन्नों कानूनों की विभिन्न धाराओं और प्रावधानों पर व्यापक दृष्टि में विचार किया जाना चाहिए जिससे कि आज कानून में जो भी खामियां हैं दूर की जा सकें और बलात्कार के मामले में न्याय शीघ्रता से दिया जा सके और दण्ड को कठोर बनाया जा सके। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि इसके लिए पृथक न्यायालय होना चाहिए; वहां महिला न्यायधीश होनी चाहिए, यथासंभव शीघ्र न्याय दिया जाना चाहिए और दण्ड इतना कठोर होना चाहिए कि अन्य व्यक्ति ऐसे कार्यों में संलिप्त होने का साहस न कर सकें। ये ऐसे स्वागत योग्य सुझाव हैं जिन्हें सरकार को अपने ध्यान में रखना चाहिए। मुझे सभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बातचीत करने में कोई संकोच नहीं है। मुझे आशा है कि सभा पहले की अपेक्षा शीघ्रता से इन कानूनों में व्यापक संशोधन करेगी जिससे बलात्कार के अपराध के लिए कड़ा दण्ड मिल सकेगा।

एक या दो अन्य सुझाव दिए गए हैं। एक सुझाव यह था कि इस कानून का जो संशोधन हम पेश कर रहे हैं उसका लाभ उठाते हुए कोई दुश्चरित्र व्यक्ति किसी व्यक्ति या किसी समूह से प्रति-शोध लेने का प्रयास कर सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह संभव नहीं है। कानून का मकसद नागरिकों की सुरक्षा करना होता है। चाकू शल्यचिकित्सक के लिए जीवन की रक्षा के लिए होता है और यदि कोई चाकू से किसी की जान लेने का प्रयास करे तो इसमें कानून का कोई दोष या गलती नहीं है। हमें ऐसे व्यक्तियों को रोकना होगा जो प्रतिशोध लेने के लिए कानून का प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए करते हैं। कानून में पर्याप्त सुरक्षोपाय हैं

(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया मंत्री महोदय जब बोल रहे हैं तो व्यवधान न डालें। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। बैठ जाइए। अपने ही दल के मंत्री महोदय को परेशान न करें।

श्री के० जना कृष्णामूर्ति : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

उस पर ध्यान दिया जाना है। उसका ध्यान रखा जाएगा। "व्यभिचार" शब्द के प्रयोग के विषय में आशंका व्यक्त की गई है। आप अनैतिक आचरण शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं ? जब आप कानून का निर्वचन करते हैं, जब कानून की किसी धारा में किसी शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है तो आपको उस शब्द का अर्थ उसी संदर्भ में समझना चाहिए। अनैतिक आचरण शब्दों का प्रयोग इस संशोधन विशेष में किया गया है क्योंकि हमने अपने अनुभव से पाया है कि प्रति परीक्षा के समय अभियोगी का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील इस अवसर का प्रयोग महिला के चरित्र हनन के लिए करने का प्रयास करता है।

इसीलिए मैंने पहले कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि कोई महिला व्यभिचारिणी है तो भी प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा सवाल नहीं किया जा सकता जिससे उसका चरित्रहनन हो और बलात्कार को उचित नहीं ठहराया जा सकता। मेरे पास उच्चतम न्यायालय का 1996 में दिया गया निर्णय है और इसको पढ़ने के लिए मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति चाहता हूं जो कि इस संदर्भ में अत्यंत संगत है :

> "भले ही चाहे पहले किसी मामले के अभियोजन में उसका यौन व्यवहार स्वच्छंद रहा हो, उसे हर किसी को यौन संसर्ग के लिए प्रस्तुत करने से इन्कार करने का अधिकार है क्योंकि वह कोई ऐसी सर्वसुलभ वस्तु नहीं है जिससे हर कोई यौन ज्यादती करे। इस प्रकार के गवाह के विरुद्ध कोई कलंक नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि अन्ततः मुकदमें की सुनवाई अभियुक्त के विरुद्ध चल रही है न कि अपराध पीड़ित के।"

अतः, इन परिस्थितियों में, 'अनैतिक चरित्र' शब्द उपयुक्त है। जब भी न्यायालय किसी कृत्य की व्याख्या करने का प्रयास करता है, तो वह हमेशा उस कृत्य के इरादे पर विचार करता है, जिस इरादे से वह किया गया है। अतः इसे सही तरीके से समझने की आवश्यकता है और वकील द्वारा उसकी गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि प्रति-परीक्षा द्वारा अनैतिक चरित्र साबित कर हम महिला का अपमान और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह केवल महिला वर्ग का अपमान अथवा उन्हें नीचा दिखाने का प्रश्न नहीं है। यदि समाज अपने महिला वर्ग का ध्यान नहीं रख सकता तो मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक माननीय सदस्य की यही राय होगी — यह केवल महिला वर्ग के प्रति ही अन्याय नहीं है बल्कि यह हमारे समाज के प्रति अन्याय है। समाज में उस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। मेरे विचार में हम सभी इस बात से सहमत होंगे; यह देखने के लिए कि महिलाओं का अपमान न हो, हम किसी को भी कानून का दुरुपयोग नहीं करने देंगे अथवा आज समाज में विद्यमान परिस्थितियों का दुरुपयोग करने का प्रयत्न नहीं करने देंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव दिए गए हैं। एक सुझाव दिया गया था कि कुछ अन्य धाराओं में भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता

है। उसे इस विधेयक में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सम्माननीय सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि अगला अवसर आने पर, संपूर्ण सभा के विचार जानने के बाद, हम एक व्यापक बलात्कार कानून बनाने का प्रयत्न करेंगे ताकि हमें संपूर्ण सभा का समर्थन प्राप्त हो और यह देखेंगे कि इस तरह की घटनायें जो हमारे समाज में होती हैं, जिससे विश्व में हमारे समाज का गलत आकलन होता है और हमारे समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, का प्रभावपूर्ण तरीके से और शीघ्रातिशीघ्र अन्त कर दिया जाए। मैं इस सभा को इतना आश्वासन दे सकता हूं।

सभापति महोदया : मैं आशा करती हूं कि बहुत शीघ्र ऐसा होगा।

श्री के० जना कृष्णामूर्ति : अगले सत्र में ही होगा।

अब, मेरा अनुरोध है कि इस सभा द्वारा यह विधेयक पारित किया जाए।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : अब, सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री के० जना कृष्णामूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं

सभापति महोदया : अब सभा नियम 193 के अधीन आगे चर्चा करेगी। श्री जसवंत सिंह बिश्नोई, श्री के०एस० सांगवान, डा० राम कृष्ण कुसमरिया।

[हिन्दी]

फारमर्स प्रॉब्लम पर हाउस में बहुत इंटरेस्ट है। श्री राम टहल चौधरी आप बोलिए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदया, आपने मुझे कृषि नीति पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज कृषि संबंधी किसानों की समस्याओं पर सदन में चर्चा चल रही है, यह अच्छी बात है। भारत एक कृषि प्रधान देश है1 यहां 70 प्रतिशत किसान रहते हैं।

अपराह्न 4.02 बजे

[**श्री पी०एच० पांडियन** *पीठासीन हुए*]

आजादी के 55 वर्ष के बाद भी किसानों की हालत में जितना सुधार होना चाहिए था, नहीं हो पाया है, बल्कि किसानों की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जब एन०डी०ए० की सरकार बनी तो किसानों की समस्याओं की तरफ विशेष ध्यान दिया गया और सरकार ने 58 प्रतिशत राशि ग्रामीण विकास के लिए देने का काम किया। लेकिन इतनी बड़ी राशि से भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। दुख की बात यह है कि आज किसानों के सामने जितनी समस्याएं हैं, यदि इन पर पहले से ध्यान दिया जाता तो धीरे-धीरे उनकी बहुत सी समस्याएं हल हो जातीं। कृषि नीति भी किसानों के हित में नहीं रही। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों की समस्याओं के बारे में यहां बार-बार चर्चा होती है, घोषणाएं होती हैं, मगर ईमानदारी से उनका पालन नहीं हो पाता है। आज जरूरत इस बात की है कि राजनीति से ऊपर उठकर ईमानदारी से किसानों की समस्याओं को हल करने की जरूरत है, तभी हमारा देश मजबूत हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। अगर इसी तरह से किसानों की उपेक्षा होती रही तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि बर्बादी की ओर जायेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं।

सभापति महोदय, आज पूरे देश में पैसा कमाने की होड़ मची हुई है। लेकिन लोग यह नहीं समझते कि कोई कितना ही पैसा कमा

[श्री राम टहल चौधरी]

ले, कितना ही पैसा बटोर ले, यदि किसान खेतों में अन्न पैदा नहीं करेगा तो बिना अन्न के कोई जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए किसानों के प्रति जो उपेक्षा का रवैया है, उसे समाप्त करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, किसानों की बहुत ही समस्याएं हैं, जिनमें सड़कों की समस्या, पुलों की समस्या आदि प्रमुख हैं। किसान जो खेत में पैदा करता है उसे उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। चूंकि आवागमन की उचित सुविधा नहीं है और सारी कमाई बिचौलिये खा जाते हैं। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि किसानों का पैसा बिचौलिये न खायें, इसके लिए हर जगह, हर प्रखंड स्तर पर आवश्यकता के अनुसार कोल्ड स्टोरेज बनाने की आवश्यकता है। तभी किसान अपनी उपज को वहां रखेगा और उचित मूल्य मिलने के समय बेचने पर उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं।

इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है और किसानों की जरूरत की जो चीजें हैं जैसे खाद, कीट-नाशक दवाएं, खेती का सामान औजार आदि महंगे होते जा रहे हैं। किसान की जरूरत की जो चीजें हैं, वे उन्हें सस्ती कीमत पर मिलनी चाहिए। किसानों को डीजल और मिट्टी का तेल महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है। किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलना तो दूर रहा उसे अपना सामान कभी-कभी फेंकना पड़ता है। इसलिए किसान द्वारा उत्पादित हर साल का जो समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है वह सख्ती से लागू होना चाहिए और किसान को दिलाना सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, यहां चर्चा की गई है और हम सभी जानते हैं कि देश में बड़े-बड़े लोगों पर अरबों-खरबों रुपए सरकार के कर्ज के रूप में बकाया हैं और उन्हें वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन अगर किसान खेती के लिए छोटा-मोटा कर्ज लेता है और यदि उसे समय पर नहीं चुका पाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। किसानों के साथ सरकार द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाना ठीक नहीं है। हम लोग बोलते कुछ और हैं और व्यावहारिक तौर पर हम कुछ और करते हैं। मेरा निवेदन है कि किसानों को परेशान करने का काम नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, सरकार ने किसानों के फायदे के लिए एक अच्छा काम किया है और वह यह है कि किसानों का फसल बीमा योजना लागू किया गया है और क्रेडिट कार्ड इश्यू किया गया है। इन दोनों योजनाओं से किसानों को बहुत लाभ पहुंचा है, लेकिन इन योजनाओं का कुछ ही किसानों को लाभ मिल रहा है, मेरा सरकार से निवेदन है कि इन योजनाओं का लाभ पूरे देश के छोटे-बड़े सभी किसानों को मिले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, आज किसान की हालत बहुत जर्जर है। देश में आज भी 90 प्रतिशत ऐसे किसान होंगे जो अपने बच्चों को न पढ़ा पाते हैं और न उनकी दवा-दारू कर पाते हैं और न ही अपने बच्चों की विवाह-शादी ठीक ढंग से कर सकते हैं। किसानों को उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए सबसे अच्छा काम जो करना चाहिए वह यह है कि किसानों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। इसके लिए देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ दिया जाए। गांवों में बिजली उपलब्ध करा दी जाए। किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल उपलब्ध करा दिए जाएं, चिकित्सा की व्यवस्था करा दी जाए और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो मैं समझता हूं कि किसानों का बहुत भला हो सकता है।

सभापति महोदय, अभी किसान जो उत्पन्न करता है उसे गांव के बाजार में ही एक-दो रुपए प्रति किलो के भाव पर बेच देता है क्योंकि गांव से शहर के बाजार तक सड़क नहीं होने के कारण वह अपना माल शहर के बाजार में बेचने नहीं जा सकता है। यदि सड़कें उपलब्ध करा दी जाएं, तो वह अपने माल को जिसे वह गांव के बजार में एक-दो रुपए किलो में बेच देता है उसे शहर के बाजार में 15-20 रुपए किलो बेचने जा सकता है। अभी तो क्या होता है कि गांव में ही बिचौलिया उसके माल को एक-दो रुपए किलो खरीद लेता है और बिचौलिया शहर में जाकर 15-20 रुपए किलो बेच देता है। किसान की कमाई को बिचौलिया खा रहे हैं। यह स्थिति किसानों के लिए अच्छी नहीं है। हम चाहेंगे कि गांवों में सड़कों, बिजली, आवागमन, स्कूलों और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर दें और वहां चिकित्सा व्यवस्था हो जाए तो हम समझते हैं कि किसानों का बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी गांव में या प्रखंड स्तर पर जो गांव हैं, उसमें कौन लोग रहते हैं ? हम किसानों की बात करते हैं। वहां सभी छोटे-बड़े वर्ग के किसान रहते हैं। उन किसानों को कहीं कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं मिलती। अगर वहां स्कूल है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था नहीं है या कहीं स्कूल भवन ही नहीं है। ऐसी वहां की स्थिति है। समाज में जो दबे और कुचले लोग हैं, उनको हम यहां उठाने की बात करते हैं। वहां उनके लिए ये सब व्यवस्थाएं नहीं हैं। प्रखंड में पांच-छह डाक्टरों का पदस्थापना है मगर आप देखेंगे कि वहां एक भी डाक्टर नहीं रहता। यह आज की व्यवस्था है।

इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जब हम उनकी समस्याओं के ऊपर यहां पर ईमानदारी से चर्चा करते हैं वैसे इस पर बार-बार चर्चा होती है। बाढ़ और सुखाड़ पर तो बराबर चर्चा होती है। हमारा कहना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब इस चर्चा से क्या लाभ होगा ? अगर सही मायने में किसानों की हालत सुधारने की जरूरत है या उनके लिए नीति बनाने की जरूरत है तो उसे आप बनाइये तभी सही मायने में किसान के हित में काम होगा। यह काम हमें ईमानदारी से करना चाहिए।

मैं प्रखंड क्षेत्र में आता हूं। हमारे यहां काफी जंगल है। वह एक तरह का कारखाना है जिससे लोगों को रोजी-रोटी मिलती है। वे जंगल आज उजड़ते चले जा रहे हैं। उस जंगल से लोग लकड़ी या पत्ता बीनकर अपना जीवनयापन करते हैं। साल का बीज खाकर जीवनयापन करते हैं। साल की लकड़ी मजबूत होती है, उसे बेचकर अपना जीवनयापन करते हैं। मेरा कहना है कि दिनोंदिन जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बरसात के दिनों में जब पेड़ों से पत्ते गिरकर खेतों में आते हैं तो उससे किसानों को लाभ होता है। आज वे जंगल उजाड़ने का काम हो रहा है। मैं जंगल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह सीधे किसान से जुड़ा हुआ है इसलिए जंगल को भी बचाने की जरूरत है। यदि आज ईमानदारी से जंगल को बचाना है तो उसे गांव को दे दीजिए। जो जंगल गांव के जिम्मे हैं, उसकी गांव वाले रक्षा कर रहे हैं लेकिन जहां सरकारी व्यवस्था है, वहां लोग जंगलों को काट कर उसे उजाड़ रहे हैं। यह स्थिति आज किसानों की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीचय सदस्यों, अभी 20 और सदस्य हैं, जो कि बोलना चाहते हैं।

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, अनेक सदस्य अनुपस्थित भी हैं। इसलिए आप अधिक समय दें।

सभापति महोदय : आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सदस्य उपस्थित हों। कोई भी किसानों के मुद्दे में रुचि नहीं ले रहा है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : महोदय, मैं सहमत हूं।

सभापति महोदय : मैंने मंत्री महोदय को यह देखने के लिए कहा था कि दोनों पक्षों की उपस्थिति पूरी हो।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे एशिया में जितना अनाज पैदा होता है, उतना भारत में सड़ जाता है। आज अनाज का भंडार भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों की भूख से मरने की चर्चा होती है। केन्द्र सरकार को दोष दिया जाता है मगर केन्द्र सरकार बार-बार कहती है कि जितना चाहे उतना ले जाओ। यदि राज्य सरकार न ले जाये या सही तरह से वितरण न करें तो उसमें केन्द्र सरकार का क्या दोष है ? इसमें कहीं-कहीं लगता है कि प्रक्रिया में गड़बड़ी है जिसकी वजह से वे अनाज नहीं ले जा पाते इसलिए इसमें भी सुधार होना चाहिए।

मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर किसान बचेगा तो देश बचेगा। यहां पर किसानों के संबंध में जो चर्चा होती है या बातें होती हैं, उसे हमें ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है।

श्रीमती प्रभा राव (वर्धा) : सभापति महोदय, श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा जो प्रस्ताव यहां लाया गया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। इसी के साथ आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देती हूं। अगर मेरी हिन्दी में कुछ कमी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। सबसे पहले मैं यह कहूंगी कि मैं एक किसान हूं और किसान होने के नाते मैंने किसान का जीवन बहुत नजदीक से देखा है। मैं उसे देखकर यह महसूस करती हूं कि दिन-ब-दिन हम लोग और नीचे स्तर पर जा रहे हैं। इसके क्या कारण हैं। ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि इसका कोई एक कारण है। जब तक हमारे पॉलिसी मेकर्स सर्वांगसम दृष्टिकोण नहीं लेंगे, हम लोग एक-एक विषय पर वाटर टाइट कम्पार्टमैंट की तरह अलग-अलग सोचेंगे तो स्थिति में ठीक ये सुधार नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमको कोई उपाय करना है तो उसके लिए हम जब तक किसानों का जीवन समृद्ध नहीं करेंगे तब तक किसी दूसरे क्षेत्र में समृद्धि नहीं ला सकेंगे। शायद यही कारण है कि अभी हमें इसे युद्धस्तर जैसे देखना पड़ेगा। हम हमेशा बोलते आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मतलब हमारे 70 प्रतिशत लोग आज भी ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं और कृषि पर निर्भर हैं। हम अपने बजट का कितना हिस्सा इसके लिए रखते हैं, यह भी देखने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगी कि बजट तैयार करते समय वे इस बात का ख्याल जरूर रखें।

हमारी आर्थिक व्यवस्था में आज ऐसा दृश्य है कि व्यापार करने वलो और ज्यादा ऊपर उठ गए हैं। दो प्रतिशत लोग जो व्यापार करने वाले हैं, जिस अर्थ नीति को शायद हम कार की अर्थ नीति समझेंगे, ये सब लोग पन्द्रह बड़े शहरों में बसते हैं, गांवों में नहीं बसते, मैंने ऐसी रिपोर्ट पढ़ी है। मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि पन्द्रह प्रतिशत लोग, बाइसिकल इकोनोमी, माध्यम वर्ग के आज भी मौजूद हैं और सबसे ज्यादा, जो सबसे कम आर्थिक व्यवस्था की एक मिसाल है, वे 83 प्रतिशत लोग हैं। इसमें भी जयादा से ज्यादा संख्या, यानी 65 से 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जरूर कहूंगी कि यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तरफ देखें तो श्रम करने वाले लोगों की जो संख्या आज है, दस साल में दस लक्ष श्रमिक खेती पर निर्भर करने वाले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सौ मिलियन लेबर के बारे में हम क्या सोचने जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे विश्वास है कि जब आपकी नीति बनेगी तब आप इस मुद्दे की ओर भी ध्यान देंगे। दुर्भाग्यवश हमारे खाद्यान्न के गोडाउन भरे हुए हैं लेकिन किसी कारणवश वितरण नहीं हो पाने से भुखमरी की रिपोर्ट भी हमारे पास आती हैं। इसे भी सुधारना होगा क्योंकि आज जो 208

[श्रीमती प्रभा राव]

मिलियन टन अनाज की जरूरत है, दस साल के बाद वह बढ़ कर 266 मिलियन टन होने जा रही है।

इसके अलावा हमारी जमीन को होल्डिंग्स जो सन् 1960 में 2.7 हैक्टेयर थी, 1990 में कम होकर 1.6 हैक्टेयर पर आ गई है। इस वजह से हम चाहें भी तो न स्मॉल स्केल इकोनौमी कर सकेंगे और न ही बिग स्केल इकोनौमी का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमारे सहकारी क्षेत्र, आजकल कारपोरेट और कार्पोरेशन क्षेत्र इकट्ठा मिलाकर चलने की चर्चा चल रही ही, उसकी ओर ध्यान देकर कृषि मंत्री इसमें सुधार लाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखती हूं।

इसके अलावा जब तक हमारा नाता हम अपने उद्योग क्षेत्र के लोगों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम कितनी भी अच्छी खेती करें या उद्योगों में कितना भी आगे बढ़ें, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए जैसा हमने देखा कि हमारा नाता नहीं जुड़ने से टैक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई, कपास का किसान रास्ते पर आ गये और गन्ने का किसान भी रास्ते पर आ गया है। इसके अलावा तेल, बीज, जूट आदि के सब कारखाने भी बीमार हो गये हैं। जब तक इंडस्ट्रियल बेस हमारे किसानों के साथ हम नहीं जोड़ेंगे, कितनी भी हम प्रगति करना चाहें तो वह करना हमारे लिए नामुमकिन है, मुश्किल है। इसका भी आप ख्याल रखेंगे, ऐसी मैं आपकी तरफ से अपेक्षा रखती हूं।

दूसरा हमारा एक और महत्व का क्षेत्र है, जो कृषि से जुड़ा है, वह इर्रीगेशन का क्षेत्र है। एक तरफ बाढ़ आने से हमारी क्राप्स बह जाती हैं, दूसरी तरफ सूखा होने से हमारी क्राप्स जल जाती हैं और तीसरी तरफ हमारी जो जमीन काश्त में आती है, उस जमीन का 40 प्रतिशत हिस्सा ही इर्रीगेटिड लैंड है। मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगी कि जिस जमीन पर पहले 1950 में 5400 क्यूबिक मीटर ताजा पानी मिलता था, अब उसी जमीन में 1300 क्यूबिक मीटर पानी मिल रहा है और वर्ष 2025 में कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, यह भगवान जाने। अगर हम लोग जान पाएंगे तो हम भी जानेंगे, इसलिए मैं आपसे यह विनती करना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्रीमती प्रभा राव : महोदय, मैं थोड़ा और बोलना चाहती हूं।

सभापति महोदय : आपके दल के चार अन्य वक्ता हैं।

श्रीमती प्रभा राव : महोदय, अन्यथा मैं अपनी मातृभाषा में बोलती और तब आधा समय लेती। लेकिन मैं हिन्दी में बोलना चाहती हूं। मैं अपने दल के अन्य वक्ताओं से निवेदन करूंगी कि वे कृपया मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

एक बात मैं कृषि मंत्री जी को यह बताना चाहूंगी कि हमारे देश का किसान खुद के बल पर आत्मनिर्भर हो, दूसरे देशों के किसानों के ऊपर हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। हमने डब्ल्यू०टी०ओ० की मैम्बरशिप ली, ठीक है, मगर उसके बाद हमने यह कायदा भी पास किया कि हमारे किसानों का कोई इण्टरैस्ट हार्म नहीं हो। वह बड़ा अच्छा कायदा हमने पास किया है, लेकिन वह लागू नहीं हुआ है। उसके लागू होने के पहले ही हमारी सरकार ने यू०पी०ओ०वी० (पौध की किस्मों के संरक्षण के लिए संघ) का सदस्य बनने का विचार कर लिया। यह विचार करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यह जो यूनियन बन रही है, वह सब जितने भी बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनमें सीड प्रोडक्शन करने वाले जितने भी बड़े-बड़े कारपोरेशंस हैं, यह बात उनके फायदे की है। यह किसी के लिए भी जरूरी नहीं है कि हमने अगर डब्ल्यू०टी०ओ० की सदस्यता ले ली है तो इसकी भी लें। मैं आपसे यह कहूंगी कि अगर आप अपने डिपार्टमेंट से चर्चा करेंगे तो वे लोग यह कहेंगे कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो अनुसंधान या दूसरे क्षेत्र में उसका फायदा उठाना जरूरी है, वह लगता है तो वह भी जरूरी नहीं है।

हमारा पावर का जो सैक्टर है, उसके बारे में बड़ी मुश्किलात हमारे सभी मंत्रीगण फेस कर रहे हैं और उसके बहुत सारे रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मैं बड़ी ही विनम्रता से यह कहूंगी कि प्रगति मैदान में हमारी जो एग्जीबिशन लगी थी, वहां हमने देखा कि चाइना का जो स्टाल लगा था, वहां उन्होंने हर गांव के लिए अपना पावर प्रोडैक्शन का प्लांट लगाने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन नहीं लगता। अगर इसका प्रयास आपने किया है तो क्यों न हम इसी तरीके से अपने देश में भी सोचें।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं, वह दुख की बात है। मैंने मंत्री जी को और इनके पहले वाले मंत्री जी को भी कहा है कि जब कभी पावर सेक्टर की बात होती है और उसमें पावर चोरी की बात होती है, तो उसका एक ही हैड रहता है, जिसका नाम कृषि है। क्या इस देश में सिर्फ किसान ही चोरी करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा बिजली की चोरी तो शहरों में होती है, उद्योग वाले करते हैं। इसलिए इस हैड को और इस सोच को शीघ्र ही बदलने की जरूरत है और जितनी जल्दी हम इसको बदलेंगे, उतना ही हमें सुकून मिलेगा।

रूरल व्यवस्था के बारे में भी हमें अपने नजरिए में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी बैंकों के अधिकारी हैं, रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनका

नजरिया किसानों के प्रति ठीक नहीं है, गलत है। ये सभी ऐसा समझते हैं कि किसान चोर हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि किसान ने न कभी चोरी की है औन न ही करेगा। उसकी चोरी की मन:स्थिति जन्म से ही नहीं है। उसके पास जो है, वह वापस करना चाहता है। उसके ऊपर जो भी ऋण है, वह चुकाना चाहता है। जिस तरह से उद्योगों को लोन दिया जाता है, वैसे किसानों को नहीं दिया जाता। जब कोई इंडस्ट्री सिक हो जाती है तो उसको खड़ा करने के लिए और लोन देकर बूस्ट अप किया जाता है। लेकिन किसान अगर दो-तीन साल मुश्किल में आ जाए और ऋण वापस न कर सके तो उसी जमीन नीलाम करके उसको इस तरह रास्ते पर लाया जाता है। यह नजरिया जब तक नहीं बदलेगा, तब तक किसान कभी सुखी नहीं हो सकता। क्रॉप लोन का बीमा का पैसा काटा जाता है, लेकिन हमें कभी बीमा नहीं मिलता। सहकारी संस्थाओं में भी ब्याज का पैसा काटा जाता है। कृषि उपज समिति है। उसके बारे में जो आज के नियम हैं, उनके बावजूद भी बिचौलिए, जिनको हम दलाल कहते हैं, वे रुमाल के नीचे हाथ डालकर किसान को फंसाते हैं। उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको रोका जाना चाहिए।

आज साइंटिफिक क्षेत्र बहुत विकसित हो गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी में बहुत डवलपमेंट हो गई है। ज्ञान का फैलाव हुआ है। हम चाहते हैं कि कृषि से संबंधित जो सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी है, वह गांवों तक जाए और सबको इसकी सूचना मिले। इसी तरह से कम्प्यूटर का लाभ भी किसान को मिलना चाहिए और उसको इसकी जानकारी देनी चाहिए। हमने इकोनॉमी के लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं। आज जो दुनिया में हो रहा है, उसकी जानकारी हमें उसी समय मिल जाती है। वह जानकारी भी किसान को तुरंत मिलनी चाहिए।

डेयरी, भेड़ पालन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन आदि जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धंधे हैं, इनसे काश्तकार को कैसे जोड़ा जाए और इन धंधों में उसकी कैसे आमदनी बढ़े, इस बारे में सरकार को प्रयास करना चाहिए।

आजकल कॉस्मेटिक का प्रचलन बहुत ज्यादा है। उसके लिए बहुत सारी वनस्पतियां हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका प्रचार-प्रसार नहीं है। सुगंधित द्रव्य, फूल आदि चीजें हैं, जिनसे मेडिसिन बन सकती हैं। अगर हम इनका प्रचार-प्रसार करेंगे, तो किसान की मदद होगी। किसानों के खेत में कई बार वाइल्ड एनिमल आ जाते हैं और खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं। हमें कहा जाता है कि उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, जबकि वे किसान की फसल खराब कर देते हैं। आप इस तरह की सीख इनसान को जरूर दें, लेकिन अगर इनसान की बर्बादी उनसे हो तो फिर उसकी सुरक्षा के लिए भी सरकार को आवश्यक प्रबंध करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

डा० रंजीत कुमार पांजा (बारासाट) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

मैं किसानों की दुर्दशा के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यत: ग्रामीण है जहां लगभग 70% से 75% ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या है। अत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सांसदों और विधायकों को 70% से 75% वोट ग्रामीण क्षेत्र से मिलते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसान फल, दालें, सब्जियां, मीट, मछली, अंडे और दूध का उत्पादन करते हैं। वे कपास और पटसन जैसे फाइबर का उत्पादन भी करते हैं। लेकिन हम पूर्णत: सहायता प्राप्त करने की स्थिति में हैं। अत: यह उचित समय है, जब हम किसानों को उनके जीवनयापन के लिए सभी मौलिक और न्यायसंगत सुविधायें प्रदान कर उनके जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए।

ये किसान हम मध्यम वर्ग और धनी वर्ग के लोगों को जिन्दा रखने के लिए अनाज उगाते हैं। लेकिन इसके विपरीत फिर भी विडम्बना यह है कि वे निर्धन रहते हैं क्योंकि उन्हें अपेक्षित जीवन स्तर अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। शायद ही कहीं विद्युत की सुविधा प्रदान की गई होगी। कहीं समुचित सड़कों, पीने के पानी, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद भी यह सब सुविधायें यहां नहीं हैं, और मेरे विचार में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही हमारी प्रणाली में कुछ कमी रही है।

महोदय, यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजनाएं आरम्भ की हैं जिससे अगले कुछ वर्षों में हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे जैसे इन निर्धन लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए सड़कों, विद्युत, प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

महोदय, अधिकतर ग्रामीण लोग किसान होते हैं, लेकिन उनके पास खेत नहीं होते हैं। उनके पास कोई भूमि भी नहीं होती है। वे खेत जोतते हैं परन्तु उन्हें समुचित समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। उनके पास अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त भंडार या शीत गृह नहीं होते हैं। उन्हें सहकारी समितियों की सहायता नहीं मिलती है। इन सुविधाओं की कमी तथा समुचित सड़क तथा परिवहन व्यवस्था की कमी के कारण वे अपनी उपज मजबूरी में बेचते हैं और बिचौलिये इसका लाभ उठाते हैं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा देखा है। वे पर्याप्त मात्रा में पटसन का उत्पादन कर रहे हैं। दो वर्ष पहले वह 400/- रु० प्रति क्विंटल की दर पर पटसन बेच रहे थे। चूंकि मैं डाक्टर हूं, मेरे कुछ मरीज पटसन के खेतों में काम करते हैं। इसलिए मैं जानता हूं। वे इसे 1200 रु० प्रति क्विंटल की दर पर जूट उद्योग से खरीद रहे थे किसान से जूट उत्पादन उद्योग तक 800 रु० का अन्तर था।

[डॉ० रंजीत कुमार पांजा]

अनेक उच्च स्तरीय वार्ताएं हुईं। हमने आज ही सुना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक गोष्ठी आयोजित की गयी थी। लेनिक इन वार्ताओं और निर्णयों से किसानों को कितना लाभ हुआ है, इस संबंध में कुछ शंका उत्पन्न होती हैं।

महोदय, मेरा सुझाव है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, बुआई के मौसम से पूर्व घोषित किया जाना चाहिए तथा इनमें सभी मानदण्डों, जैसे कि उत्पादन लागत, प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि यह देखा जाये कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पता है ताकि उन्हें अपनी फसल की समुचित मूल्य मिल सके।

उन्हें सभी उपयुक्त कृषकों को बैंक ऋण और बीमा की सुविधा देनी चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : वे भारतीय पटसन निगम को बेच रहे हैं।

डा० रंजीत कुमार पांजा : भारतीय पटसन निगम और भारतीय खाद्य निगम इत्यादि के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इन सभी चीजों को नियोजित करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होनी चाहिए ताकि कृषकों को लाभ मिल सके।

मेरे विचार से छोटी-छोटी सहकारी समितियां बहुत आवश्यक हैं। छोटे-छोटे गोदाम और शीत गृह पंचायतों द्वारा चलाये जाने चाहिए। उन्हें उत्पाद को बाजार में भेजने के लिए परिवहन के साधनों का प्रबंध भी करना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, पर्याप्त मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होता है। गरीब किसान उसे 1 रु० अथवा 2 रु० प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचते हैं। जबकि लगभग 50 किलोमीटर दूर वही उत्पाद 10 रु० अथवा 20 रु० प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचा जाता है। सहकारी समितियों और परिवहन की सुविधा की कमी के कारण वे अपना उत्पाद बिचौलिए को बेचते हैं जो कि पूरा लाभ कमाता है।

किसानों के लिए इस समर्थन मूल्य की प्रणाली के साथ-साथ, जागरुकता पैदा करने के लिए और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए समुचित प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए ताकि भविष्य में बेहतर जीवनयापन कर सकें। किसान, जो कि खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इन स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

***श्री रनेन बर्मन** (बलूरघाट) : सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देश में कृषि का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि क्षेत्र में सुधार के बगैर देश प्रगति नहीं कर सकता। यह बात अत्यंत स्पष्ट है। लेकिन दुर्भाग्य से, स्वतन्त्रता के 55 वर्षों बाद भी कृषि क्षेत्र का अपेक्षित स्तर तक विकास नहीं हुआ। स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया है – जय जवान, जय किसान – जवान हमें शत्रु के आक्रमण से बचाते हैं और किसान देश की रक्षा लोगों के लिए खाद्यान्न पैदा करके करते हैं। हम देख रहे हैं कि दुर्भाग्य से कृषि पर बल नहीं दिया गया जिससे किसान निराश हैं। उन्हें कृषि यंत्रों और अन्य कीटनाशकों में निवेश करने के बाद भी उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिलती। इसलिए उनकी कृषि में रुचि समाप्त हो रही है। विभिन्न समाचारपत्रों में किसानों की आत्महत्या के समाचार प्रकाशित होते हैं – इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वे पूर्णत: वर्षा पर निर्भर हैं जिससे उन्हें वर्षा का जल मिलता रहे। हर जगह सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा सकी है और धन की कमी के कारण तिस्ता सिंचाई परियोजना अधूरी पड़ी हुई है। यदि यह परियोजना पूरी हो जाती तो किसान एकल उत्पाद भूखण्डों पर कार्य करते और तदनुसार लाभ उठाते। मैं कृषि मंत्री से तिस्ता नहर परियोजना के शीघ्र पूरा करने का अनुरोध करता हूं। सरकार किसानों को उर्वरकों और कृषि संबंधी औजारों पर दी जाने वाली राजसहायता को लगातार घटाती रही है। इन दिनों किसान सूखा और बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इन दिनों देश के जिन 12 राज्यों में सूखा पड़ा है सरकार द्वारा उन्हें उचित सहायता नहीं दी गई है, और किसानों को उक्त सहायता नहीं दी गई। प्रधान मंत्री ने उन्हें राहत का आश्वासन दिया था लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं किया गया। उर्वरकों की खरीद और अन्य सामानों में निवेश करने के बाद किसानों को अपना उत्पाद बेचने पर कोई लाभ नहीं मिलता है जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। वे गेहूं, पटसन, गन्ना को अत्यंत कम कीमत पर बेचने को बाध्य हैं। यदि शीतगृह की उचित व्यवस्था होती तो अपनी उपज को बचा सकते थे। अधिकांश गांवों में शीतगृहों का निर्माण नहीं किया गया। इससे कृषि क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा का पता चलता है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है यदि किसानों को सहायता दी जाये और कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाए। मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बात का ध्यान रखें। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि किसानों द्वारा अपने व्यवसाय के लिए और सूखे के कारण लिया गया ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए और किसानों के समग्र विकास के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। यदि हमें अपने देश को बचाना है तो किसानों के मन में आई निराशा को दृष्टि में रखते हुए कृषि पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए और किसानों की रक्षा की जानी चाहिए। मेरा कहना है कि कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों की दुर्दशा को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। यदि यही स्थिति बनी रही तो देश के भविष्य को खतरा है। एक बार फिर मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि देश को बचाने के लिए हमें पहले किसानों और कृषि क्षेत्र की रक्षा करनी होगी। मेरा कृषि मंत्री से यही अनुरोध है।

---

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : सभापति महोदय, पिछले कई दिनों से कृषि एवं कृषकों की समस्याओं पर चर्चा चल रही है। मैंने अधिकांश सदस्यों के भाषणों को सुना, उन्होंने आज जो कृषि विभाग का प्रभारी होने के नाते महसूस करता हूं।

जिन बातों का उल्लेख किया गया — चाहे बिजली हो, पानी हो, ऋण की व्यवस्था हो या दूसरी तमाम चीजें हों, अधिकांश चीजें कृषकों के लिए जरूरी हैं लेकिन कृषि विभाग का अपना दायित्व नहीं है और कृषि विभाग उसमें कुछ नहीं कर सकता है। वह किसानों को न पानी, न बिजली, न ऋण दे सकता है, न भूमि सुधार कर सकता है और न ही खाद भंडारण की व्यवस्था कर सकता है। वह कृषकों के जीवन से जुड़ी समस्याओं का निदान नहीं कर सकता है।

कई माननीय सदस्यों ने इन समस्याओं के बारे में चर्चा की थी। मैं उन्हें दोहराना चाहता हूं और उस पर अपनी हामी भरता हूं। जब हम कृषि एवं कृषकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर इनसे जुड़े सभी विभागों के मंत्रियों को यहां पर रहना चाहिए। चर्चा हो जाती है और यह मान लिया जाता है कि यह मात्र कृषि विभाग से जुड़ा मामला है और कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री संबंधित मंत्रियों तक वह संदेश पहुंचा देंगे। इससे इनका कोई निदान नहीं हो सकता है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सिंचाई, खाद और प्रक्योरमैंट आदि चीजों को देखने वाले मंत्री कहां हैं ? आप उन मंत्रियों को बुलाइए। माननीय सदस्य ठीक सवाल उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह बेहतर होगा कि संबंधित सभी मंत्री यहां उपस्थित हों। अन्यथा बहस करने का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अनिल बसु : पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी वस्त्र मंत्री की है। एफ०सी०आई० की जिम्मेदारी कृषि मंत्री की है और कृषि मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, इसमें कृषि मंत्री को कुछ नहीं करना है। वह केवल उत्पादन पर ध्यान देते हैं।

सभापति महोदय : संबंधित मंत्री को सदस्यों की भावना से अवगत कराएं।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : मैं यह बात को अन्य मंत्रियों तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं सरकार की तरफ से उत्तर देने जा रहा हूं।

सभापति महोदय : मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों को यहां उपस्थित होना चाहिए। मामले की जानकारी केवल उन्हीं को है।

श्री अनिल बसु : कृषि मंत्री स्वयं अप्रसन्न हैं क्योंकि योजना आयोग ने उनके विभाग के आबंटन में कटौती कर दी है।

सभापति महोदय : उन्हें अन्य मंत्रियों से सहयोग मिलना चाहिए। यह लंबी चर्चा है। किसानों के मुद्दे पर बहस एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। आज बहस का दूसरा दिन है।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, देश में कृषि विभाग ने अपना पार्ट अदा किया और बहुत बड़ी भूमिका निभायी। जो देश खाद्यान्न के मामले में घाटे में था, उसने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा कर देश को आत्मनिर्भर बनाया। अब देश निर्यात करने की स्थिति में है। कुछ मित्रों ने चर्चा करते समय कहा कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर तो बन गया लेकिन किसान गरीब क्यों है ? जो मित्र चर्चा करते हैं कि किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था कर दो, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और हरियाणा में भी बिजली की व्यवस्था है। हरियाणा और पंजाब के कृषक जिन को हम मानते हैं कि वे प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा आगे हैं लेकिन वहां के कृषक भी कर्ज में डूबे रहते हैं और गरीब हैं। मुझे याद है कि हरियाणा में 1988 में चुनावों के दौरान स्वर्गीय देवीलाल जी ने कहा था कि कृषकों तुम हमें वोट दो, हमारी पार्टी अगर जीतती है तो दस हजार रुपए तक के कर्जे माफ कर देगी।

इतने ज्यादा कृषकों ने उन्हें वोट दिये कि उन्हें 85 परसेंट सीटें मिल गई। लेकिन हरियाणा का किसान भी कर्ज में डूबा रहता है, यह सोचने की बात है। आखिर इसमें कहां कमी है। आज तक कृषकों की समस्याओं का जो समाधान ढूंढा गया वह टुकड़ों-टुकड़ों में, पीसमिल में ढूंढा गया। यदि इसे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ नहीं जोड़ेंगे तो किसानों की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। सरकार पर दबाव पड़ता है, किसानों द्वारा मांग की जाती है कि हमारी उपज की कीमतें बढ़ा दो। हमारे आलू, प्याज, गन्ना और चीनी की कीमतें बढ़ा दो। लेकिन हकीकत यह है कि जब आलू, प्याज, गन्ना और चीनी की कीमतें बाजार में बढ़ती हैं तो सरकार बदल जाती है। चाहे लाखों मीटरिक टन आलू सड़ जाए, कहीं कोई आवाज नहीं उठती है। हजारों एकड़ में लगी हुई गन्ने की फसल जला दी जाए, कहीं कोई आवाज नहीं उठती है। यह व्यवस्था किसके लिए है। आलू और चीनी की कीमत बढ़ जाए तो सरकारें बदल जाती हैं और लाखों मीट्रिक टन आलू सड़ जाए, गन्ने को जलाना पड़े तो भी कहीं कोई आवाज नहीं उठती है, कोई सिहरन सरकार, मीडिया या अन्यत्र कहीं पैदा नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब यह चर्चा होती है कि किसानों की सब्सिडी बढ़ाओ, सपोर्ट प्राइस बढ़ाओ तो मैं कहता हूं कि सपोर्ट प्राइस घटाओ। लेकिन जो तय करो, उतना किसान को मिलना चाहिए।

[श्री रामजीवन सिंह]

इसे घटाने में कोई हर्ज नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है – "सरकार ने कीमत बढ़ा दी मंडी में धान की, फिर भी अनब्याही रह गई बेटी किसान की"। ऐसा क्यों होता है ? आप कीमत बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हमने इतना कर दिया, लेकिन जब कीमत बढ़ती है तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यह इससे जुड़ा हुआ मामला है।

सभापति महोदय, फिर से कोई वेतन आयोग बनेगा, जो एसेंशियल कोमोडिटीज के प्राइस इंडैक्स के आधार पर वेतन निर्धारित करता है, महंगाई तय करता है। वह कहेगा कि इतनी कीमत बढ़ गई, इसलिए इतनी महंगाई बढ़नी चाहिए, महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए, वेतन में इतनी बढ़ौतरी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप सब्सिडी पर बात करें तो सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को सामने रखकर सोचें। इसलिए मैं कहता हूं कि अब सब्सिडी बढ़ाने का सवाल नहीं उठता है, नहीं तो यह सिलसिला चलता रहेगा।

सभापति महोदय, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी की बात की जाती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको तीन मिनट का समय दिया गया था लेकिन मैंने आपको सात मिनट का समय दे दिया। अत: अपनी बात समाप्त कीजिये।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह : सर, मैं आपकी मजबूरी महसूस करता हूं। आज फर्टिलाइजर का सवाल है। फर्टिलाइजर पर जितनी सब्सिडी दी जाती है, उसमें से पचास परसेन्ट किसानों तक पहुंचती है और पचास परसेन्ट फर्टिलाइजर के उत्पादकों के पास चली जाती है या मिडिलमैन तक पहुंच जाती है। सब्सिडी का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप दो काम करें – प्रथम फर्टिलाइजर के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनायें जिससे वह डायरेक्टली किसानों को मिले। दूसरा कृषि जगत में एक दूसरा विचार आया है, क्योंकि कैमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। दुनिया में कई ऐसे कृषि उत्पादक देश हैं जो इसका इस्तेमाल कम करते चले जा रहे हैं। यह ठीक है कि कहीं-कहीं पर 255 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर तक इस्तेमाल होता है। हमारे देश में पंजाब में ज्यादा से ज्यादा 155 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेअर तक होता है और दूसरे प्रदेशों में कहीं इससे भी कम है। हालांकि दुनिया की तुलना में हमारे यहां बहुत कम है। लेकिन पंजाब में आज उत्पादन में स्टैगनेशन शुरू हो गया है। इसलिए अब एक दूसरा विचार आया है कि अब फर्टिलाइजर के यूज को कम करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य के खतरे को देखते हुए क्या आप कोई ऐसी योजना बनाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं या कृषि वैज्ञानिकों से कह रहे हैं कि पांच वर्षों के बाद फर्टिलाइजर के यूज को कंप्लीटली बंद कर दें। अब हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसके यूज की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1783 में जब ईस्ट कंपनी आई तो उसने आंध्र प्रदेश के आठ सौ जिलों का सर्वे कराया, और पाया कि उस समय बिना केमीकल फर्टीलाइजर के, क्यों कि तब तक केमीकल फर्टीलाइजर देश में आया नहीं था, 86 मन एक एकड़ में धान पैदा होती थी। उस समय हमारी जमीन में उर्वरा शक्ति थी और आज वह शक्ति नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले, 1947 से पहले, आजादी से पहले हमारी जमीन की यह स्थिति थी। हमारे देश में केमीकल फर्टीलाइजर का प्रयोग होता ही नहीं था। 1947 के बाद के 50 वर्षों में यह आया है और इसके सारे दुष्परिणाम निकल रहे हैं। उसी तरह से पैस्टीसाइड की स्थिति है। हमारे देश में तो इसका प्रचलन बढ़ रहा है। फिलीपीन्स में पैस्टीसाइड का प्रयोग जीरो रह गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इंटीग्रेटेड पैस्ट मैनेजमेंट को खत्म करें।

महोदय, उत्पादन बढ़ा, लेकिन हम फ्रूट्स, वैजीटेबल की प्रौसेसिंग और हारवेस्ट की टैक्नौलौजी नहीं अपना सके जिसके कारण हमारे देश का 50 करोड़ रुपए से अधिक का प्रति वर्ष लॉस हो रहा है। उसको पूरा करने के लिए क्या इस देश में कुछ सोचा जा रहा है ? इस बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है।

महोदय, अभी उधर से एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि इस देश में जोत अलाभकर होती जा रही है। अनइकनौमिक होल्डिंग्स हो गई हैं। उसको दूर करने के लिए आप किसानों को अपनी तरफ से कुछ बैनिफिट्स दीजिए कुछ इंसेंटिव की घोषणा कीजिए जिसके चलते छोटे-छोटे किसान अपने छोटे-छोटे टुकड़ों को मिला दें। मेरा तो यह कहना है कि आप भाई का बंटवारा करो, उपज का बंटवारा करो, धन का बंटवारा करो, लेकिन जमीन को टुकड़ों में मत बांटो क्योंकि यह बात देश की इकनौमी के साथ जुड़ी हुई है। आज स्थिति यह है कि अनइकनौमिक होल्डिंग्स होती जा रही हैं। इसे रोकने की दिशा में कृषि विभाग को चाहिए कि वह ऐसी घोषणा करे कि 5 एकड़ के टुकड़ों को यदि एक प्लाट में लेकर किसान आते हैं, तो उन्हें एक 4 इंच की बोरिंग मुफ्त दे दी जाएगी। अगर मान लो, 25 या 50 परसेंट भूमि को ही हम छोटी जोतों से बड़ी जोतों में ला सकें, तो उससे बहुत लाभ देश को होगा।

महोदय, आज हमारी खेती बिलकुल मैकेनाइज्ड होती जा रही है। बिहार में जो किसान हैं, जो लैंडलैस हैं, वे बड़े लोगों की जमीन

बंटाई पर लेकर खेती करते हैं, लेकिन पंजाब में बड़े किसान छोटे किसानों की जमीन को बंटाई पर लेकर खेती कर रहे हैं क्योंकि जो बड़े फार्मर हैं, उन्हें जमीन लाभकर नहीं हो रही है क्योंकि मैकेनाइज्ड खेती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो मैकेनाइज्ड खेती होती जा रही है, वह ठीक नहीं है। आज ट्रैक्टर 3-4 लाख रुपए का हो गया है। इसको लेकर छोटे किसान अपनी खेती नहीं कर सकते हैं। स्माल ट्रैक्टर्स बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छोटे किसान भी उसे खरीद कर अपनी खेती कर सकें।

महोदय, इसी प्रकार से वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। इरीगेशन की व्यवस्था से शायद ज्यादा इम्पौर्टेंट आज वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इस हेतु स्प्रिंकलर्स और ड्रीप इरीगेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। इन चीजों को आप कम से कम कीमत पर किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : सभापति महोदय, आज एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा को श्री बसुदेव आचार्य जी ने उठाया है। प्रति दिन सदन में जिन समस्याओं पर चर्चाएं होती हैं वे सारी समस्याएं ही महत्वपूर्ण और गंभीर कही जाती हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन मैं मानता हूं कि एक समस्या महत्वपूर्ण होती है और एक गंभीर होती है। महत्वपूर्ण समस्याएं उठाने के मामले में भी लोग कह देते हैं कि अत्यन्त गंभीर समस्या है। जब गंभीर समस्या को उठाया जाये तो माननीय कृषि मंत्री जी यह बतायें कि उस गंभीर समस्या को क्या कहा जाये क्योंकि दिन में छह बार यह कहा जाता है कि अत्यंत गंभीर समस्या है। इसे गंभीरतम समस्या कहा जायेगा। सारे देश के किसान चाहे वह गन्ने का किसान हो, गेहूं का किसान हो, चावल का किसान हो, नारियल की खेती करने वाला किसान हो या तिलहन की खेती करने वाला किसान हो, यानी देश के कोने-कोने में रहने वाला हरेक किसान आज परेशान है। उसकी परेशानी का सबसे बड़ा सबब एक ही है कि उसे उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, खाद की समस्या है, यानी बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन अगर समस्याओं की जड़ में देखा जाये और गंभीरता के साथ उसका अध्ययन किया जाये कि आज किसान की परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है तो उसका एक ही जवाब मिलेगा कि किसान की परेशानी का सबसे बड़ा सबब उसकी उपज का उचित मूल्य न मिलना है।

अपराह्न 5.10 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

वह जितनी लागत लगाता है, जितना इन्वेस्टमैंट करता है, आज से दस साल पहले तक इन्वेस्टमेंट का जितना हिस्सा या लाभ मिलता था, आज उसका न्यूनतम लाभ भी उसको नहीं मिल पा रहा है।

मैं आपके सामने अध्ययन की रिपोर्ट रखूंगा। स्ट्रेटेजिक फॉर साइड ग्रुप अध्ययन करने की एक कम्पनी है। उसके अध्यक्ष श्री संदीप वास्लेकर हैं। उन्होंने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में बताया है कि दस वर्ष तक वर्तमान कृषि नीति जारी रही तो भारतवर्ष का किसान भुखमरी पर पहुंच जायेगा। उन्होंने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आज 208 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता है तो अगले दस वर्षों के बाद यह आवश्यकता 266 मिलियन टन हो जायेगी। इसी तरह उन्होंने आगे लिखा है कि आज सब्जी की आवश्यकता 80 मिलियन टन है लेकिन अगले दस वर्षों में यह आवश्यकता बढ़कर 117 मिलियन टन हो जायेगी। इसी तरह आज दूध की आवश्यकता 84 मिलियन टन है, वह दस वर्षों में बढ़कर 163 मिलियन टन हो जायेगी यानी आवश्यकताएं बढ़ती चली जायेंगी और किसान खेती की ओर अपना रुझान नहीं करेगा क्योंकि उसे उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है।

जाहिर है कि दस-बारह वर्षों के बाद अगर यही स्थिति जारी रही तो भारत का किसान न सिर्फ भूखों मरेगा, न सिर्फ आत्महत्या करेगा बल्कि खेती की ओर से मुंह भी मोड़ लेगा। हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां आज भी 70 फीसदी लोग खेती करते हैं, जिसे कृषि प्रधान देश कहा गया है, अगर वहां किसान खेती की ओर से मुंह मोड़ लेगा तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति हमारे देश की कानून व्यवस्था की होगी ? क्या स्थिति हमारी देश की अर्थव्यवस्था की होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इसका मूल कारण यह है कि सारे छोटे-छोटे कारण, जैसे बिजली, पानी, खाद आदि संकटों को अलग कर दें या सूखे के संकट को अलग कर दें तो आज सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सारा अनाज, सारा दलहन, सारा तिलहन, शक्कर आदि विदेशों से आकर हमारे पास पड़े हुए हैं जो मूल्यों को बढ़ाने ही नहीं देते। जिस दर से महंगाई बढ़ती है, जिस दर से खाद की कीमतें बढ़ती हैं, जिस दर से बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, जिस दर से पानी की कीमतें बढ़ती हैं, उस दर से किसानों की उपज की कीमत बढ़ना तो दूर रहा, उसकी कीमतें या तो स्थिर रहती है और घटती चली जाती है, फिर कैसे किसान खेती की ओर अग्रसर होगा, खेती की तरफ आकर्षित होगा। उसका मूल कारण है कि डब्ल्यू०टी०ओ० से हमारा जो समझौता है, हम आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से एक बात जानना चाहते हैं, हमारी मजबूरी थी कि हमने विश्व व्यापार संगठन से समझौता किया लेकिन उन समझौतों में बहुत सी ऐसी शर्तें हैं जिनका अगर उपयोग किया जाए तो आज किसानों की जो स्थिति

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

बन रही है, कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं बन पाती। मैंने जिन्सों में देखा है कि पचास प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है और हमें तीन सौ प्रतिशत तक कस्टम ड्यूटी लगाने का अधिकार है, फिर जिन जिन्सों की कमी हमारे मुल्क में नहीं है, हम क्यों नहीं दो सौ प्रतिशत, ढाई सौ प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगा कर उन जिन्सों के आयात को रोकते हैं, क्यों हम उन जिन्सों के आयात को ऐलाऊ करते हैं। कहा जाता है कि डब्ल्यू०टी०ओ० से हमारा समझौता है। समझौते की सारी शर्तों का पालन क्या यह सरकार कर रही है ? अगर उन समझौतों की शर्तों का पालन करने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान न हो, तो हमें डब्ल्यू०टी०ओ० में अपील करनी चाहिए। यह कृषि प्रधान देश है जहां 70 प्रतिशत लोग किसानी करते हैं। अगर किसान का मुंह खेती की तरफ से मुड़ गया तो सारी पोलीटिक्स खत्म हो जाएगी, सारा देश भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा।

सभापति महोदय, यह कोई मामूली समस्या नहीं है। हो सकता है किसी दूसरे देश में परिस्थितियां दूसरी हों लेकिन भारत जैसे देश में जहां एक अरब से ऊपर की आबादी रहती है और यहां आबादी पर जितना अंकुश लगाया जाना चाहिए, अभी तक हम नहीं लगा सके हैं, वहां की परिस्थितियां बड़ी भिन्न हैं। इसलिए हमको सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि जो अधिकार, जो शर्तें हमें विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत मिली हैं, उन शर्तों का भरपूर उपयोग करके हम आयात पर अंकुश लगाएं जिससे जिन चीजों की हमारे यहां कमी हो, उन चीजों पर तो हम कस्टम ड्यूटी कम रखें लेकिन जिन चीजों की कमी नहीं हो, उन चीजों पर इतनी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दें ताकि वे चीजें हमारे देश में इकट्ठी न हो सकें।

दूसरी, गन्ना किसान की बात है। गन्ना किसान की स्थिति यह है कि आधी से ज्यादा चीनी मिलें आज भी कम से कम उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में रबी की बुआई कैसे होगी। किसान गन्ना काटता है, गन्ना बेचता है और उसी खेत में गेहूं बोता है। आज उसका सारा गन्ना खेत में पड़ा है। उसके पास दो ही विकल्प हैं – या तो वह गन्ना जला दे या इस बार वह गेहूं की बुवाई न करें। उत्तर प्रदेश में किसान का करोड़ों रुपया गन्ना मिलों पर बकाया है, कोई उसे देने को तैयार नहीं है। तिराई जो नवम्बर में शुरू हो जानी चाहिए, उत्तर प्रदेश में नवम्बर के प्रारंभ में गन्ने की तिराई शुरू हो जाती थी, आज तक गन्ने की तिराई शुरू नहीं हुई है। हमको ऐसा लगता है कि शायद यह किसी पॉलिसी के तहत हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने यह सोच लिया हो कि हमारे देश में चीनी उद्योग ही समाप्त कर दिया जाए और सारी चीनी विदेशों से आयात की जाए क्योंकि जिस तरह सरकार कान में अंगुली डाल कर, तेल डाल कर बैठी रहती है, न ही केन्द्र सरकार इस पर कोई खास इनीशिएटिव लेती है, न ही राज्य सरकारें लेती है। किसान चिल्ला रहा है, किसानों के प्रतिनिधि चिल्ला रहे हैं, कोई इनीशिएटिव लेने वाला नहीं है – सबके गले बंद हैं। उनका बकाया आज भी वैसे का वैसा पड़ा है। इसीलिए मुझे संदेह है और हो सकता है कि अन्य देशों के साथ मिल कर यह साजिश की जा रही हो कि हिन्दुस्तान से चीनी उद्योग ही समाप्त कर दिया जाए। ...*(व्यवधान)* मैं कभी-कभी बोलता हूं, थोड़ा बोलने दीजिए।

मेरा तीसरा बिन्दु है कि आज विशेष कर किसानों के मामले में बड़ा दर्द है। खाद की आज क्या हालत है। पिछले आठ वर्षों में खाद की कीमत ड्यौढ़ी से ज्यादा हो गई है। बिजली की कीमत, एक तिहाई बिजली मिलती है, आठ घंटे से ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में ज्यादा बिजली नहीं मिलती, मुन्नू बाबू, आपके यहां शायद ज्यादा मिलती हो और वह भी आठ सालों के अन्दर ड्यौढ़ी कीमत हो गई है। पानी कहां से मिलेगा, डीजल की कीमत ड्यौढ़ी हो गई है, कृषि यंत्रों की कीमत ड्यौढ़ी कीमत हो गई है और आप आठ वर्षों की मूल्य की तालिका उठाकर देख लीजिए या तो अनाज का वही भाव होगा या अनाज की कीमतें और गिरी होंगी। कैसे किसान खेती करेगा, जब उसे उसकी उपज का उचित मूल्य ही नहीं मिलेगा तो वह खेती कैसे करेगा। यही कारण है कि धीरे-धीरे करके किसान खेती की ओर से मुंह मोड़ता जा रहा है। कभी नौजवान बेरोजगारी की ओर जाते थे तो उनके दिमाग में यह बात आती थी कि हमारे बाप-दादा की खेती है, अगर हमें नौकरी नहीं मिली, हमें रोजगार नहीं मिला तो हम खेती करने लगेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि नौजवान जूते पर पालिश करने को तैयार हैं, लेकिन गांव जाने को तैयार नहीं हैं। इसका कारण है कि वे अपने बाप-दादा की स्थिति देख रहे हैं कि जब उनकी यह हालत हो रही है, उनकी यह दुर्गति हो रही है तो हमारी क्या दुर्गति होगी।

इसी तरह से सूखे के मामले में उत्तर प्रदेश में जो भी सूखे का कोष गया होगा, सारे के सारे सूखा राहत कोष का 80 फीसदी बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, किसी किसान को सूखे की राहत के नाम पर कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है।

स्थिति यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को धान की फसल आने के पहले, गेहूं की फसल आने के पहले सरकार घोषित कर दिया करती थी, लेकिन इसके लिए हमारे दो मुख्यमंत्रियों को अनशन करना पड़ा, तब कहीं जाकर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हुआ। समर्थन मूल्य तो घोषित हो गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में धान का एक भी खरीद केन्द्र अभी तक नहीं खुला। इसके पहले थोड़े बहुत गेहूं के खरीद केन्द्र खुले थे, उनमें भी क्या होता था कि कम से कम 100 रुपये क्विंटल का भ्रष्टाचार, बेईमानी की रकम किसानों को बिचौलियों को देनी पड़ती थी, तब उसका गेहूं खरीद जाता था। चाहे धान की खरीद

हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, जब भी फसल आती थी, जब खरीद केन्द्र खुलते थे तो खरीद केन्द्रों पर कोई न कोई बहाना करके किसानों को वापस कर देते थे और किसान जब बिचौलियों के पास जाता था तो उसका जो माल 550 रुपये में बिकना चाहिए, वह माल वह मजबूर होकर 400, 425 या 450 रुपये में बिचौलियों के हाथ बेचता था। इस वर्ष तो रिकार्ड ही टूट गया है, हमारे यहां खरीद केन्द्र ही नहीं खुले। धान का खरीद केन्द्र अभी तक नहीं खुला। इन परिस्थितियों में मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार कृषि को सबसे ज्यादा महत्ता दे।

आप विश्व व्यापार संगठन से आपके जो करार हैं, उन करारों को मेज पर सबसे ऊपर रखा करिये। हमारे पास अगर किसी जिंस की कमी है। तो हम उसकी कस्टम ड्यूटी तुरन्त घटा दें और जिस जिंस की बहुतायत हो, उसकी कस्टम ड्यूटी कम से कम 50, 75 और 300 परसेंट तक ले जायें और उसके बाद भी अगर हमारा काम न चले तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम विश्व व्यापार संगठन में इसकी अपील करें, लड़ाई लड़ें, धमकी दें कि हम आपका संगठन छोड़ देंगे। हमारा देश अमेरिका और ब्रिटेन के तरीके का देश नहीं है। वे हम पर दबाव डालते हैं कि सब्सिडी घटाई जाये और खुद चार गुना, छ: गुना, आठ गुना और 10 गुना सब्सिडी अपने किसानों को प्रति किसान देते हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे अमेरिका के दूसरे देश हों, हमसे 10-10 गुना तक ज्यादा सब्सिडी देते हैं और भारत जैसे गरीब देश के ऊपर यह दबाव डालते हैं कि आप सब्सिडी घटाइये। इन सारी चीजों पर गम्भीरता से चिन्तन किया जाये, सरकार कितनी गम्भीर है, यह मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि न ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठे हैं, न ही फूड एण्ड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर यहां बैठे हैं।

अपराह्न 5.15 बजे

[डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय *पीठासीन हुए*]

माननीय कृषि मंत्री जरूर बैठे हैं, इनको थोड़ा सा दर्द है, वह दर्द इनका संस्कारिक है, पैतृक है, मैं जानता हूं चौधरी साहब के पुत्र हैं इसलिए निश्चित रूप से आपके दिल में दर्द होगा। आप इस तरह की व्यवस्था करें कि पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में किसान इस बात से आश्वस्त हों कि आजीवन खेती करते रहें। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी खेती करती रहेंगी। जब तब किसान आश्वस्त नहीं होगा, तब तक हिन्दुस्तान की एक अरब जनता आश्वस्त नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, हम किसानों की समस्या पर बहस कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यगण किसानों की पीड़ा से चिंतित हैं। उन्हीं की पीड़ा और उनकी पीड़ा का हरण कैसे हो, उस पर सभी लोगों ने सुझाव दिए हैं। किसान पर तो बहस होती रहती है और होगी। लेकिन तात्कालिक विषय जो किसानों से सम्बन्धित है, वह गन्ना है। किसानों ने गन्ना पैदा किया, लेकिन अब उसको लेकर आंदोलन शुरू हो गया है, क्योंकि उसका भाव तय नहीं हो रहा है। पिछले पचास वर्षों से स्टेचुटरी मिनीमम प्राइस तय होता रहा है। यह प्राइस केन्द्र सरकार तय करती थी, बाद में राज्य सरकार मिल-मालिकों और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर नेगोशिएटिंग प्राइस यानी वार्ता मूल्य का निर्धारण करती थी। यह सभी की राजी-खुशी से तय होता था। हरियाणा भी करता था, पंजाब भी करता था और उत्तर प्रदेश में भी यह होता था। वहां पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक रुपए का अंतर पुराने जमाने से था। केन्द्र सरकार ने स्टेचुटरी मिनीमम प्राइस 64-65 रुपए प्रति क्विंटल तय किया, उसके पुराने हिसाब से जो पिछले पचास वर्षों की परिपाटी थी, नैगोशिएटिंग प्राइस 89 रुपए प्रति क्विंटल होता है। इसमें कुछ 1 प्रतिशत वगैरह की रिकवरी के हिसाब से यह तय होता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया और राज्य सरकार के नैगोशिएटिंग प्राइस निर्धारण करने पर रोक लगा दी। इस कारण अब वार्ता मूल्य तय नहीं होगा। मिल वाले कह रहे हैं कि हम स्टेचुटरी मिनीमम प्राइस देंगे। किसानों को जहां 89 रुपए प्रति क्विंटल के मिलते थे, अब 64 रुपए ही मिलने वाले हैं। इस पर किसानों में बड़ा भारी आक्रोश पैदा हो गया है। किसान अपना गन्ना नहीं दे रहे हैं। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के आसपास के क्षेत्र के किसानों ने अपने गन्ने को गन्ना क्रय सैंटर पर ले जाकर उसे जलाने का काम किया है। अभी कई चीनी मिलें शुरू नहीं हुई हैं। इस पर भारत सरकार को तुरंत मिल-मालिकों को बुलाकर हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानता कि केन्द्र सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी हुई है। यहां शरद यादव जी नहीं हैं, गन्ना किसान बहुत ज्यादा आंदोलित हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को भी हम चाहते हैं कि 89 रुपये प्रति क्विंटल मिलने चाहिए। हरियाणा में तो सुना है कि 110 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तय हुआ है। अब 110 रुपए तय हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश में 64-65 रुपए मिलेगा — अब कितना भारी अन्याय किसान के साथ हो रहा है। यहां सब लोग जय किसान कर रहे हैं लेकिन वास्तव में क्षय किसान हो रहा है। किसान मर रहा है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इससे ज्यादा तकलीफ और क्या हो सकती है ? इसलिए सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है ?

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : आप इतना अच्छा बोलते हैं लेकिन एकदम टेम्परेचर आपका बढ़ गया। बिहार में क्या भाव है ?
(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार क्या हिन्दुस्तान से बाहर है ? बिहार में भी तो एन०डी०ए० की सरकार है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं या गवर्नमेंट ऑफ एन०डी०ए० हैं ? यह सरकार गवर्नमेंट

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

ऑफ इंडिया की तरह काम नहीं कर रही है, बल्कि यह सरकार गवर्नमेंट ऑफ एन०डी०ए० की तरह काम कर रही है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप चेयर को एड्रेस करके कहें।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए इस सरकार को तुरंत निर्णय करने की जरूरत है। मिल मालिकों को इसी समय में कितना लाभ हो रहा है, यह बात भी सरकार बताए। यह भेद मैं खोल देता हूं कि चालीस फीसदी लेवी से घटाकर 15 प्रतिशत हुई और उसे भी समाप्त करने की बात हो रही है। मिल मालिकों को कितने करोड़ों का लाभ हो रहा है? कितने करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है?

यह बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक नार्म्स अनाज में होता है। अब चीनी का आयात होने लग गया है। चीनी का मूल्य नीचे जा रहा है तो यह हुआ कि बफर स्टॉक 5 लाख टन पहले किया गया था, अब उसे खत्म किया गया है। बीस लाख टन बफर स्टॉक चीनी लॉबी के दबाव में किया गया। इससे कितने करोड़ रुपये सरकार पर खर्च बढ़ेगा? सरकार यह बताए। एक तरफ ए०पी०एल० के पी०डी०एस० में कटौती की गई कि नहीं देंगे और दूसरी तरफ मिल मालिकों को, चीनी लॉबी को लगातार फायदा हो रहा है। किसान के सवाल पर निराशाजनक परिचय यह सरकार दे रही है। इसीलिए हम बराबर कहते हैं कि यह किसान विरोधी सरकार है। किसान के साथ अन्याय हो रहा है। राम जीवन बाबू ने भी यह सवाल उठाया था कि किसान का संबंध 14-16 विभागों से है। स्टैंडिंग कमेटी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की होनी चाहिए। हालांकि कृषि की तो स्टैंडिंग कमेटी है लेकिन उनका दायरा सीमित है। किसान का संबंध खाद, बिजली, सिंचाई, फूड और व्यापार विभाग से है। 16 विभागों से किसानों का संबंध है लेकिन किसान विरोधी सरकार ने सहमति दी थी कि हमें कोई एतराज नहीं है कि किसानों के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए लेकिन किसान विरोधी शक्तियां लगी हुई है और वे इसमें रुकावट पैदा कर रही है। लेकिन मैं खोज रहा हूं कि कौन सी शक्तियां हैं जो किसान से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी बनाने में अड़चन और रोक पैदा कर रही हैं। गन्ना उत्पादक किसानों का मामला है। उसके बाद पैडी का प्रोक्योरमेंट है। हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल फूड मिनिस्टर से मिला था। उन्होंने कहा था कि बिहार में सौ सेन्टर्स खुलेंगे। पिछले साल 40 थे। इस साल 60 सेन्टर्स बढ़ाए जाएंगे। सौ सेन्टर्स पैडी के खोले जाएंगे। उड़ीसा में 20 सेन्टर्स बढ़ाए जाएंगे। जायसवाल साहब ठीक कह रहे थे कि एक भी सेंटर नहीं खुला। कहीं-कहीं कपड़ा टांग देते हैं कि यह क्रय केन्द्र है। उसमें कैश क्रैडिट जाता है, उसका आदेश नहीं गया। तौल के लिए तराजू नहीं है। कहीं बोरे नहीं हैं। सौ सेन्टर्स जो खुलने थे, उसमें से कितने खुले और कितना धान खरीदा गया?

इस तरह से किसानों के साथ धोखाधड़ी और अन्याय हो रहा है। खेती के काम में आने वाली सभी चीजों के दामों में वृद्धि हो गई है, लेकिन कोई उपाय सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। किसान को न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इसके संबंध में श्री अजीतसैन गुप्त की रिपोर्ट को सरकार ने दबाया हुआ है। तीन राज्यों में प्रोक्योरमेंट अच्छा होता है, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं होता है और इन राज्यों में बिचौलिए प्रोक्योर करके ले जाते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह तात्कालिक विषय है और इसका समाधान नहीं किया गया तो कोलाहल होगा, संघर्ष होगा और संसद तक मार्च होगा। आज ही श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जो एक पार्टी के नेता हैं और सासंद हैं, उनके साथ किसानों ने संसद तक मार्च किया, लेकिन उनको लाठी से पीट कर खदेड़ा गया। इस मार्च में केसरी यादव जी भी थे, उनको भी चोटें आई हैं और अस्पताल में पड़े हुए हैं। कम से कम एक सौ प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं। किसानों पर लाठी बरसाने का काम इस सरकार ने किया है। इसी प्रकार साबरमती आश्रम, जहां से गांधी जी ने पैदल मार्च शुरू किया था, वहां से मुक्ति आन्दोलन शुरू किया गया था। हिन्दुस्तान में अन्तरराष्ट्रीय नदियों से भी हर साल तबाही होती है और किसान बरबाद होते हैं। बाढ़, सूखाड़, जल-जमाव और कटाव – इन चार समस्याओं से हर किसानों की 1200 से 1500 करोड़ रुपए की बरबादी होती है। किसानों की फसलें बरबाद हो जाती हैं और उनके घर बह जाते हैं। मवेशी मर जाते हैं और आदमियों की जानें भी जाती हैं। कंवरसैन गुप्ता जी की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल सरकार से केन्द्रीय सरकार बात कर सकती है, क्योंकि यह राज्य सरकारों के बस की बात नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय नदियों से जो बरबादी होती है, उसके लिए केन्द्रीय सरकर जिम्मेदार है, लेकिन इस दिशा में कदम उठाने के लिए भारत सरकार मौन है। पिछले 55 वर्षों से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पहले 159 करोड़ रुपए की लागत का एक प्रोजैक्ट बना था, लेकिन उसको बदल दिया गया और अब वह दूसरे राज्य में चला गया है। इसकी वजह से बिहार अभी तक बरबाद होता रहा है। किसानों के सवाल पर हम एकजुट हो गए हैं और अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो किसान विरोधी सरकार जाएगी। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं अंत में डब्ल्यू०टी०ओ० के बारे में कहना चाहता हूं। हमने माननीय श्री देवगौड़ा जी, हम्बल फार्मर, धरती पुत्र का भाषण सुना। डब्ल्यू०टी०ओ० के खतरे से किसानों को बचाने का काम नहीं हो रहा है। इसके माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में सामान ले जाने पर सोच रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में अनाज एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने

में कठिनाई हो रही है। हमारे देश में बैलों की खरीद के लिए मेले लगाए जाते हैं, जिनकी कीमत पांच हजार से लेकर 20 हजार तक होती है। राजस्थान के नागौड़ जिले से किसान बैल बनाने के लिए बछड़ा ले जाते हैं। बछड़ों को ले जाने पर रोक है, विभिन्न संस्थायें इस दिशा में काम कर रही हैं। श्रीमती मेनका गांधी जी की भी संस्था भी इसी काम में लगी हुई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार किसान विरोधी नीति को खत्म करे और किसान की प्रगति की नीति अपनाये, नहीं तो किसान विरोधी सरकार जाएगी और किसानों के अनुकूल सरकार आएगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति महोदय, काफी समय से किसानों की समस्याओं पर नियम 193 के अंतर्गत बहस चल रही है। हर वर्ष और हर सत्र में किसी न किसी रूप में किसानों की समस्याओं पर चर्चा होती रहती है। आजादी के बाद से लेकर आज तक पता नहीं कितनी बहस किसानों की समस्याओं पर हुई है, लेकिन जो स्थिति किसानों की आज है, लगभग सभी वक्ताओं ने अपने-अपने ढंग एवं तरीके से किसानों की बात को सदन में रखा है।

महोदय, सब को मालूम है और आप स्वयं भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है। खेती हमारा व्यवसाय ही नहीं, अपितु यह हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक दिशा को भी निर्देशित करता है। आजादी के बाद किसानों की और खेती की उपेक्षा होती रही है। आजादी के बाद उद्योग नीति सन् 1951 में बना दी गई, लेकिन कृषि नीति नहीं बनी। केवल दो साल पहले माननीय अटल जी की सरकार ने कृषि नीति बनाई। 1950-51 साल के बाद अगर उद्योग नीति की तरह कृषि नीति शुरू में ही आजादी के बाद बन जाती तो आज हम सब लोग, जो किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी इतनी नौबत नहीं आती और किसानों की इतनी दुर्दशा न होती। यह भी सभी को मालूम है कि हमारे देश की ज्योग्राफीकल स्थिति ऐसी है कि कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुद्र हैं और कहीं पथरीली या समतल जमीन है। हर जगह किसान हैं। हम यहां जितने प्रतिनिधि बैठे हैं, शायद ही कोई हम में से ऐसा प्रतिनिधि हो, जो किसानों की सहायता के बगैर यहां आया हो, क्योंकि 80 प्रतिशत वोटर आबादी इस देश की किसान हैं। किसानों का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व है, उनकी समस्याएं लगातार चर्चा में रहती हैं, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं होता, यह बड़े दुख की बात है।

महोदय, माननीय अटल जी ने चंद दिन पहले एक बयान दिया था। जैसे पानी की समस्या है, जगह-जगह प्रदेशों के झगड़े हैं। कावेरी का मुद्दा सुलझ भी गया था, लेकिन फिर उलझ गया। हमारा हरियाणा एवं पंजाब का झगड़ा 35-36 साल से चल रहा है। कोर्टों ने भी फैसला कर लिया, लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। पाकिस्तान में पानी जाना मंजूर है लेकिन हरियाणा को देना मंजूर नहीं है। इस तरह से कई समस्याएं उलझी हुई हैं, इन समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया, वह बड़ा स्वागत योग्य है कि सभी नदियों का पानी, नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, समान बंटवारा किया जाए, सभी नदियों को मिलाया जाए ताकि समान दृष्टि से पानी का बंटवारा हो सके, क्योंकि पानी पूरे राष्ट्र की धरोहर एवं संपत्ति है। अगर इस तरीके से शुरू से ही पानी, बिजली, किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दिया जाता तो आज किसानों की स्थिति दूसरी होती।

महोदय, हर व्यक्ति किसानों की समस्याओं को जानता है। किसान की आज सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि यह बहुत छोटा किसान रह गया है। आज देश में 22 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास केवल एक एकड़ जमीन है। 59.4 परसैंट किसान ऐसे हैं जिन के पास 2.5 एकड़ जमीन है। 18.6 परसैंट किसान ऐसे हैं जिन के पास केवल 5 एकड़ जमीन है। इतनी छोटी-छोटी लैंड होल्डिंग रह गई है। ऐसे में किसान का गुजारा कैसे होगा जबकि महंगाई इतनी अधिक हो गई है। इस बारे में रघुवंश प्रसाद जी और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने बताया। हर आदमी मानता है कि किसान की और खेती की आजादी के बाद से अब तक उपेक्षा हुई है। किसान कर्ज में इतना डूब गया है कि किसान ट्रैक्टर और खाद के लिए लोन लेता है तो उस पर इंटरस्ट इतना ज्यादा लिया जाता है कि वह देने लायक नहीं रहता। वह कर्ज भी थोड़े टर्म के लिए दिय जाता है और वह उसे 6 महीने में अदा करना पड़ता है जबकि 6 महीने में एक फसल आती है। अगर कुदरत की मार पड़ जाए और फसल खराब हो जाए तो उसे भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। अगली फसल फिर आ जाती है और पिछली फसल पर ब्याज पर ब्याज लगता है। वह इतना हो जाता है कि लाचार हो जाता है। आज एक ट्रैक्टर चार लाख रुपए में आता है लेकिन उसकी सालना ब्याज की किश्त पचास हजार रुपए होती है। जो 6-7 एकड़ की जमीन वाला किसान होगा, वह उस पर पचास हजार रुपए ब्याज देगा तो अपने बच्चों को कैसे पालेगा और दूसरे खर्चे कैसे निकालेगा ? इस प्रकार किसान से ब्याज ज्यादा लिया जा रहा है। कृषि मंत्री बैठे हैं। उनसे निवेदन है कि किसान की लौंग टर्म ऋण की किश्तें बनाई जाएं, उसका इंटरस्ट कम किया जाए ताकि वह इस मार से बच सके।

राम जीवन सिंह जी ने ठीक फरमाया कि आज देश में पंजाब और हरियाणा के किसानों को सबसे साधन सम्पन्न माना जाता है। हरियाणा के बारे में हम जानते हैं। ठीक बात है कि किसान मेहनती है और प्रोडक्शन बहुत करता है लेकिन हमारे आधे प्रदेश में सूखा और आधे में बाढ़ आती है। किसान इतना कर्ज में डूब चुका है कि वह लाचार हो चुका है। हरियाणा और पंजाब के किसानों के मैं आकड़े दे रहा हूं। पंजाब और हरियाणा के किसानों पर प्रति एकड़ 7600

[श्री किशन सिंह सांगवान]

रुपए का कर्ज है। कमर्शियल बैंकों के ये आंकड़े हैं। जब किसान पेमेंट नहीं करता है और रिकवरी की बात आती है तो चाहे पांच सौ या एक हजार रुपए का कर्जा हो किसान को जेल में डाल दिया जाता है। उसका रहने, खाने-पीने का खर्चा उसमें डाल दिया जाता है। कोई बड़ा सेठ पकड़ा नहीं जाता है और उसके ऊपर कोई फाइन भी नहीं होता है। मैं इंडस्ट्रियल फाइनैंशियल कारपोरेशन ऑफ इंडिया सैक्टर 27, चंडीगढ़ का उदाहरण देना चाहता हूं। अविनाश अरोड़ा और उनके भाई ने 50 करोड़ रुपए लोन लिया और भाग गए। उन्हें न पुलिस पकड़ पाई और न दूसरा कोई पकड़ पाया। उसके रिश्तेदारों में वह पैसा बंट कर व्यापार हो रहा है। 50 करोड़ रुपए वाले को कोई पकड़ता नहीं है लेकिन पांच सौ और हजार रुपए वाले किसान को जेल में बंद कर दिया जाता है। यह व्यवस्था किसान और देश के हित में नहीं है। सरकार को यह देखना पड़ेगा।

यहां सबसिडी की बात आई। हमारे देश में किसानों को सबसिडी विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम मिलती है। जब सबसिडी की बात आती है तो बहुत लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि किसानों की सबसिडी खत्म करो। किसान विरोधी लॉबी इसका विरोध करती है। रघुवंश बाबू ने सबसिडी के बारे में ठीक कहा। जो खाद की शक्ल में किसानों को सबसिडी दी जाती है, वह किसानों को नहीं दी जाती है। वह सीधे उद्योगपतियों को दी जा रही है। केवल नाम किसानों का है लेकिन वह उद्योगपतियों को जा रही है। एफ०आई० सी०सी० नाम की जो एजेंसी है, इस महकमे की जो कमेटी है, जो रिटैंशन प्राइस तय करती है *(व्यवधान)*

महोदय, प्राइवेट सैक्टर में वे 120 प्रतिशत प्रोडक्शन दिखाकर सरकार से सबसिडी ले लेते हैं और कोआपरेटिव सैक्टर के कारखाने, जैसे इफ्को, कृभको और एन०एफ०सी०एल० आदि में चूंकि प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए वे सबसिडी कम ले पाते हैं और प्राइवेट सैक्टर के खाद कारखाने कोआपरेटिव सैक्टर के खाद कारखानों से ज्यादा सबसिडी ले जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसिडी किसान को नहीं मिलती। अभी हमारे माननीय रामजीवन सिंह जी ने ठीक ही कहा कि आप बेशक सबसिडी कम कर दीजिए, लेकिन जितनी सबसिडी सरकार दे, वह किसान तक पहुंचनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी सबसिडी सरकार किसान को देती है वह उस तक नहीं पहुंचती है और बिचौलिए ही आधी सबसिडी खा जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो भी और जितनी भी सबसिडी सरकार किसान को दे, वह उस तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना चाहिए।

महोदय, अब मैं मिनीमम सपोर्ट प्राइस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज भी प्रश्न-काल में इस बारे में सवाल था और अब भी आप बार-बार बैठने के लिए कह रहे हैं तथा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि बाद में डिसकस कर लेंगे, लेकिन मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि आज नहीं, 50 सालों से किसानों की मांग रही है कि सपोर्ट प्राइस कास्त होने से पहले डिक्लेयर होनी चाहिए, लेकिन वह आज तक नहीं हो पाई और न इस पर आज तक इम्पलीमेंटेशन हो पाया है। अगर पहले यह पता लग जाए कि फलां फसल की न्यूनतम कीमत सरकार ने घोषित कर दी है, तो किसान अपना अपना नफा-नुकसान देखेगा कि उसे उसके बोने में दो पैसे बचते हैं, तो वह बोएगा, नहीं तो नहीं बोएगा। किसान इस हेतु अपने आपको मैंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। इसलिए यह सबसे जरूरी है कि फसल बोने से पहले उसकी मिनीमम सपोर्ट प्राइस घोषित कर दी जाए क्योंकि न तो राष्ट्रीय और न अंतर्राष्ट्रीय मार्केट किसान के हाथ में है। इसलिए यदि फसल बोने से पहले सरकार एम०एस०पी० घोषित कर दे, तो किसान को बहुत सुविधा होगी। कृषि मंत्री जी यहां उपस्थिति हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए, तो आप किसान का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा भला करने का काम करेंगे।

महोदय, बस अन्त में, मैं केलकर समिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि अखबारों में, मीडिया में बराबर आता रहता है कि केलकर समिति ने किसानों पर टैक्स लगाने की बात कही है। महोदय, यदि ऐसा होता है, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। आज भी किसानों की दुर्दशा पर यह सदन विचार कर रहा है और आज भी किसान भूख से मर रहा है। हमारे देश में अनाज के भंडार भरे हैं, फिर भी किसान मर रहा है, लेकिन केलकर समिति यह रिपोर्ट दे रही है कि किसानों पर टैक्स लगाया जाए। यदि किसानों पर टैक्स लगाया जाएगा, तो इस देश के लिए, इस सरकार के लिए और किसानों के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी।

महोदय, अन्त में, मैं वाटर लैवल के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। देश में आज वाटर लैवल नीचे जाने की विकट समस्या खड़ी हो गई है। पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि सारे देश के किसानों के ट्यूब वैल फेल हो चुके हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और किसानों का पैसा बर्बाद हो रहा है। आने वाले तीन-चार साल में यदि यही स्थिति रही, तो सारे देश का पानी इतना नीचे चला जाएगा कि सब जगह डैजर्ट ही डैजर्ट होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। शुरू में ही मुझे माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस मामले को बहस के लिए उठाया है। हाल के वर्षों में हमारे देश के किसानों जो कि संपूर्ण आबादी

का 80 प्रतिशत हैं, की समस्याओं में बहुत अधिक विस्तार हुआ है।

महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री दिवंगत श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया लेकिन किसान न जय प्राप्त कर सके न उन्नति कर सके। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी ने आवाज दी 'गरीबी हटाओ देश बचाओ' लेकिन अभी भी 'गरीबी' बनी हुई है और हमारा देश कष्ट में है। हमारी सरकार ने देश की गरीबी समाप्त करने हेतु कार्यक्रम की शुरूआत की है। अब उन्होंने गरीब को छोड़ दिया है और गरीबों में से भी गरीब की खोज कर रहे हैं।

महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 'किसानों' का मतलब है 'खेतों का स्वामी'। मैं मुख्यत: किसानों की बात कर रहा हूं और विशेषत: छोटे किसानों, सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों की बात कर रहा हूं।

उन्हें हमारे देश में गरीब समझा जाता है। वे कृषि उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, वे सफलता प्राप्त कर रहे हैं जिससे अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है; वे पूरे राष्ट्र को पाल रहे हैं फिर भी उन्हें गरीब समझा जाता है। मेरे विचार से इस शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। उन्हें 'गरीब' न कहें बल्कि उनके लिए लघु किसान, सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करें। टैगोर ने उन्हें 'सभ्यता का प्रकाश पुंज' कहा है। वे सभ्यता और राष्ट्र को प्रकाश देते हैं लेकिन स्वयं अंधेरे में रहते हैं। इसलिए उन्हें 'गरीब' न कहा जाए। उनके पास विपुल परम्परागत अनुभव है लेकिन वे परेशान हैं। यह शब्द उनके लिए अपमानजनक है। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। इस प्रकार का भेदभाव दुविधाजनक है; यह केवल अपमानजनक ही नहीं है बल्कि इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। प्रतिमाह 1500 रुपये से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे समझा जाता है। वह केवल 1500 रुपये प्रतिमाह कमा रहा है जिससे उसकी मूल आवश्यकताओं का पूरा होना कठिन है। इस प्रकार का मापदण्ड हटना चाहिए। उनके लिए छोटे किसान, सीमांत किसान आदि जैसे शब्दो ही प्रयोग में लाए जाने चाहिए।

गत शुक्रवार और आज भी अनेक माननीय सदस्यों ने किसानों और किसानों की परेशानियों से संबंधित समस्याएं उठायी। गत बजट सत्र में हमारे पूर्व वित्त मंत्री ने अहंकारपूर्वक घोषणा की कि उनका बजट 'किसान की आजादी' लाएगा जिसका मतलब है किसानों के लिए आजादी। हाल में हमारे देश में आत्महत्या की घटनाएं घटित हुई हैं। इसलिए, यह कुछ नहीं केवल आत्महत्या करने की आजादी है। आत्महत्या की घटनाएं महामारी की तरह बढ़ रही हैं। इससे संकट की झलक मिलती है। अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। भूख से होने वाली मौते, ऋण भार और न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रश्न मौजूद हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के मापदण्ड भी दोषपूर्ण हैं। इसलिए, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। हमारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल में एफ०सी०आई० का अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि वह कुछ भी खरीद नहीं रही है। मेरा अनुरोध है कि देश की खरीद नीति के संबंध में उचित विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। सवाल कृषि आदानों की सस्ती दरों पर उपलब्धता का भी है।

महोदय, यहां अनेक माननीय सदस्यों ने राजसहायता, सिंचाई, विपणन, भण्डारण सुविधाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण, परिवहन सुविधाओं, प्राकृतिक आपदाओं से तबाही, फसल बीमा और किसानों को क्रेडित कार्ड जारी करने जैसे मुद्दे उठाए हैं। वर्तमान फसल बीमा अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। उन्नत जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक इंजीनियरी, ऊतक संवर्धन इत्यादि की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। किसानों पर कर लगाने का मुद्दा भी उठाया गया है। यहां माननीय सदस्यों ने जिन मुद्दों को उठाया मैं उन सबका समर्थन करता हूं। मैं कुछ सवाल रखना चाहूंगा जिनके उत्तरों से संभवत: यहां उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देने में मदद मिलेगी।

पहली बात तो यह है कि क्या हमारा देश पूरी तरह से विश्व व्यापार संगठन, आई०एम०एफ० और विश्व बैंक के निर्देशों पर चलेगा अथवा क्या हम अपने बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे ? इस समय हमारे शासक यूरोप, यू०एस०ए० आए ऐसे ही अन्य देशों में बाजार की खोज कर रहे हैं। हमारे अपने बाजार के बारे में क्या विचार है ? हमारा अपना बाजार भी छोटा नहीं है। क्या सरकार हमारे अपने बाजार के बारे में सोच रही है ? सरकार प्रतिस्पर्धी बाजारों के बारे में तो सोच रही है किन्तु हमारे परेशान जनता के बारे में नहीं सोच रही है। सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए ? हमारी सरकार को विकसित देशों के दबाव का सामना करने के लिए विकासशील देशों का जनमत बनाने के लिए पहल करनी चाहिए।

हमारी सरकार जी-8 राष्ट्रों को सेवा प्रदान कर रही है। उन्होंने मात्रात्मक प्रतिबंध तब उठाया है जब वहां घरेलू उत्पाद अधिशेष है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार राजसहायता में कमी कर रही है जबकि विकसित देश कृषि को भारी राजसहायता' प्रदान कर रहे हैं। आज, हमारे पारंपरिक ज्ञान और प्रचुर अनुभव की बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की व्यवस्था के माध्यम से चोरी की जा रही है। अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर हमने अनेक बॉक्सों जैसे ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स इत्यादि के बारे में सुना है। किन्तु 'आजीविका बॉक्स' के बारे में क्या विचार है। खाद्य सुरक्षा के लिए एक बॉक्स होना चाहिए। हमारी सरकार को कम से कम डब्ल्यू०टी०ओ० के प्रभावक्षेत्र के अंदर इसके लिए लड़ने का प्रयास करना चाहिए।

[श्री प्रबोध पण्डा]

मैं यह जानना चहता हूं कि क्या हमारी सरकार हमारे संविधान के लोकतांत्रिक और संघीय मूलाधारों पर चलेगी अथवा नहीं। कृषि राज्य का विषय है। किन्तु सरकार बहुधा राज्य सरकारों के साथ समुचित परामर्श के बिना विधान ले आती है और वह सिंचाई तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि के मामलों में उत्तरदायित्व नहीं लेती है जिससे राज्यों पर अधिक वित्तीय बोझ लाद दिया जाता है जैसा कि फसल बीमा के मामले में हुआ है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के मामलों में बजट में सरकार का आवंटन मात्र 2.6 प्रतिशत है। इस क्षेत्र के प्रति सरकार का यही रवैय्या है। हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और हमारे निर्यात में इसका एक तिहाई हिस्सा है। किन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि क्षेत्र को ऋण अदायगी 18 प्रतिशत भी नहीं है।

भूमि सुधार नीति के प्रति सरकार का क्या रवैय्या रहा है?

अधिकांश राज्यों में यह अपेक्षित है। इस स्थिति के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। केन्द्र सरकार को इसके गठन के लिए उपाय करना चाहिए। अब तक, कृषि श्रमिकों के हितों की देखभाल के लिए कोई व्यापक विधान नहीं है।

अंत में, मैं राष्ट्रीय कृषि नीति का मुद्दा उठाता हूं। सरकार ने एक राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार की है किन्तु वह हमारे देश के खेतीहर किसानों के हित में नहीं है। यह मुख्यतया कारपोरेट क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में है।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि संसद के अगले बजट सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व उन्हें हमारे देश के खेतीहर संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना चाहिए और आम सहमति पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि इस समय किसानों के सम्मुख ज्वलन्त समस्याओं का सर्वसम्मति से समाधान किया जा सके।

***श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** (हासन) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए अवसर देने हेतु आपका धन्यवाद। वस्तुत: हमने अनेक अवसरों पर इस माननीय सभा में किसानों की समस्याओं को उठाया है। दुर्भाग्यवश, भारत सरकार ने किसानों की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कुछ नहीं किया है। माननीय मंत्री महोदय पूर्व प्रधान मंत्री और किसानों के महान नेता चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। वे हमारे देश में किसानों की समस्याओं को पूरी तरह से जानते हैं। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या माननीय मंत्री को किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार से अपेक्षित सहयोग मिल रहा है।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सरकार घड़ियाली आंसू तो बहा रही है किन्तु किसानों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करती है। किसानों के लिए भारत सरकार का कुल निवेश 2.6 प्रतिशत है। इस तथ्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि केन्द्र की किसानों के कल्याण में कोई रुचि नहीं है। यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो किसानों के लिए कोई भविष्य नहीं होगा और देश किसी भी क्षेत्र में प्रगति का स्वप्न नहीं देख सकता है।

सभापति महोदय : श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा, कृपया एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्यगण, अभी भी 10 वक्ताओं को बोलना है। यदि सभा की सहमति हो तो हम इस विषय पर चर्चा समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : जी हां, महोदय हम चाहते हैं कि समय बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : यह एक पूर्ण विषय है, जब तक सदस्य बोलना चाहें, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय समय बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय : अत: इस विषय पर चर्चा समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ाया जाता है।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

***श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** : सबसे दुखद समाचार किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों की संख्या में वृद्धि होना है। अनेक किसानों, विशेषकर कपास उत्पादकों, तम्बाकू उत्पादकों और अन्य द्वारा आत्म-हत्या की गई है। गन्ना उत्पादकों को अपनी पैदावार के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं और यदि सरकार इसे खरीदती है, तो कभी भी समय पर भुगतान नहीं करती है, जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 55 वर्ष के बाद भी हमारे किसानों की जीवन दशा में सुधार नहीं हुआ है। विकसित देशों में किसान आत्मनिर्भर हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में किसान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें किसानों को अपने उत्पादों जैसे गन्ना, कपास इत्यादि को जलाना पड़ा है क्योंकि उन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिला।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किसान अपने जीवन दशा में सुधार नहीं कर पाते हैं क्योंकि भारत सरकार उनके बारे में चिन्ता ही नहीं करती। यहां तक कि हमारे देश के दूरस्थ क्षेत्रों के अधिकांश गांवों में पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है और उर्वरकों तथा कीटनाशकों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। राजसहायता में भारी कमी हुई है। देश में सिर्फ 27 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। अतएव, किसानों को बचाने के लिए सरकार को बिल्कुल स्पष्ट और नई नीति लेकर आना चाहिए।

सायं 6.02 बजे

[**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू विपणन सुविधाओं के बारे में है जो हमारे किसानों को उपलब्ध हैं। मैं यहां तक कह सकता हूं कि हमारे देश में किसानों के लिए कोई विपणन सुविधा नहीं है। हमारे गांवों में एक नारियल 2 रुपए में बिकता है जबकि यही नारियल दिल्ली में 12 रु० में बिकता है। किस तरह से दलाल पैसा कमा रहे हैं और किसान (उत्पादक) को उसका उत्पादन मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इस प्रवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए और केन्द्र को किसानों को इस तरह से आधुनिक भण्डारण सुविधाएं तथा विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आगे आना चाहिए जिससे उन्हें उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिल सके। सभापति महोदय, आपने इस वाद-विवाद में हिस्सा लेते हुए ठीक ही कहा था कि हमारे देश के किसानों की हालत दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। जापान, अमेरिका, चीन इत्यादि जैसे देशों में दी जा रही सुविधाओं से उनके किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार पर कब्जा करने में समर्थ हो रहे हैं। भारत सरकार को भी अधिक राजसहायता प्रदान करनी चाहिए जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सकें। केन्द्र द्वारा कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। उद्योग, शिक्षा इत्यादि जैसे अन्य क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन मिला है। कृषि क्षेत्र के प्रति केन्द्र का सौतेला व्यवहार तुरन्त समाप्त होना चाहिए। हमारे किसानों के बेहतरी के लिए यही एकमात्र समाधान है।

कावेरी जल विवाद आज तक हल नहीं हुआ है। इस संबंध में केन्द्र द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है और इससे कर्नाटक में किसानों का अहित हो रहा है। कावेरी जल विवाद राजनीतिक खेल बन गया है। कर्नाटक के किसानों को कृष्णा नदी के अपने हिस्से के जल का प्रयोग करने की भी अनुमति नहीं दी जाती है। इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों का राजनीतिकरण रोकना अत्यन्त आवश्यक है। किसानों के नाम पर राजनीति किये जाने को रोकने की तत्काल आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष वर्षा के प्रतिशत में कमी हो रही है और भूमिगत जल का स्तर घट रहा है। अधिकांश राज्यों विशेषकर कर्नाटक में विद्युत की कमी है। इन परिस्थितियों में भारत सरकार को भूमि के विकास और इसे सूखा कृषि के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाने चाहिएं।

माननीय मंत्री जी के पिता और भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्व० चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के उत्थान के लिए काफी कुछ करना चाहते थे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री अपने पिता के सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए सभी प्रयत्न करेंगे।

महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, किसान को अन्नदाता, भूमि पुत्र, धरती पुत्र, किसान भगवान — ये सब तमाम विशेषताएं हमने दी हैं और उसने भी स्वीकार किया — पुत्रो अहम् प्रतिज्ञाम् — यानी मैं धरती माता का पुत्र हूं लेकिन उसके बाद बड़ा अजीब लगता है कि जब हम सुनते हैं कि फलां जगह, फलां प्रदेश में किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान को क्या चाहिए ? किसान की बहुत सीमित मांगें हैं। उसको फसल का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो जाए, सिंचाई की सुविधा मिल जाए, समय पर बिजली उपलब्ध होती रहे और प्राकृतिक प्रकोपों के द्वारा जब फसल नष्ट हो तो मुआवजा प्राप्त हो। इतनी व्यवस्था यदि कर दी जाए तो हमारा किसान कभी दुख में नहीं होगा।

चर्चाएं बहुत होती हैं। आज के विकास पर चर्चा होती है कि कब हुआ, कैसे हुआ ? लेकिन जिस मूल्य के ऊपर हमें काम करना चाहिए, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सरकार को ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है। फसल खड़ी है और पानी मांग रही है लेकिन बिजली नहीं है और खेत में पानी नहीं जा रहा है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की प्रगति के लिए जो व्यवस्थायें की हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। केन्द्रीय सरकार द्वारा फसल बीमा योजना लागू की गई है, लेकिन इस योजना को कई राज्यों ने लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश में इस योजना को लागू नहीं किया गया है। इस योजना में भी एक समस्या यह है कि रकबे को आधार माना जाता है, जिले को आधार माना जाता है और तहसील में देखा जाता है कि वास्तव में नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, इस आधार पर आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जबकि किसान बीमा का पैसा जमा कराता है। इस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार हमारी सरकार ने क्रैडिट कार्ड की सुविधा किसानों को दी है और इससे किसानों को लाभ हुआ है। मेरा सुझाव है कि क्रैडिट कार्ड के संबंध में कैम्प लगाए जायें और उनमें जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए। मेरे विचार से यह सुविधा अधिकारियों के सहारे नहीं छोड़नी चाहिए। बिजली राज्यों का विषय

[डा० रामकृष्ण कुसमरिया]

है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को सुविधा देने के लिए केन्द्रीय सरकार को नियंत्रित करना चाहिए। यदि हम किसानों को मूलभूत आवश्यकतायें उपलब्ध करा देंगे, तो किसान खुशहाल हो जाएगा।

मैं एक बात पशुधन के बारे में कहना चाहता हूं। पशुधन हमारी कृषि का आधार है। भगवान कृष्ण की लीलाओं में हम गऊ पालन और गऊ सेवा के बारे में देखते हैं। इस तरह से ही कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा लेकिन आज हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि अमरीका ने गोमूत्र पेटेंट करा लिया है।

कुंवर अखिलेश सिंह : यह सरकार बैठी रहेगी, तो अमरीका सब पेटेंट करा लेगा।

डा० रामकृष्ण कुसमरिया : यह उनकी गलती है, जिन्होंने डब्ल्यू०टी०ओ० में जाकर सब कुछ गिरवी रख दिया, लेकिन आज हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* जो गलतियां हुई हैं, पुराने पाप हैं, उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : कब तक भोगेंगे ?...*(व्यवधान)*

डा० रामकृष्ण कुसमरिया : हमारे माननीय मंत्री, श्री मुरासोली मारन जी ने दोहा में जाकर समस्या से बाहर निकलने का काम किया है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) **:** उसके बाद ही गोमूत्र को हो गया है।...*(व्यवधान)*

डा० रामकृष्ण कुसमरिया : महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में सन् 1952 में एक हजार आदमियों के पीछे 452 पशु थे और 1992 में एक हजार आदमियों के पीछे 232 पशुधन थे। इससे पता चलता है कि लगातार पशुधन की संख्या घट रही है। आज हम जैविक खाद की बात करते हैं। फर्टिलाइजर के उपयोग से जमीन ऊसर हो रही है। केंचुआ जमीन में नीचे चला गया है या मर गया है और उसे बाहर से आयात करने की बात कह रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें 25-30 सालों से लगातार फर्टिलाइजर के उपयोग से जमीन बरबाद हो रही है...*(व्यवधान)* इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपनी पुरानी पद्धति पर लौटना होगा और गौ पालन को प्रोत्साहन देना होगा। गोबर की खाद का उपयोग करेंगे, तो स्थिति को ठीक कर पायेंगे। गुजराल जी के समय में 40 हजार टन अनाज का आयात किया गया था। खाद और अनाज दोनों आयात किए थे, लेकिन आज हम उसे निर्यात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : 50 रुपए डी०ए०पी० पर अलग से सब्सिडी दी थी, आप रिकार्ड उठा कर देख लीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुसमारिया जी, आप इधर देख कर बोलिए, उधर देख कर मत बोलिए।

(व्यवधान)

डा० रामकृष्ण कुसमारिया : महोदय, आज हम निर्यात कर रहे हैं – 11000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया है। 17,000 करोड़ रुपए का चावल निर्यात किया है और 30 देशों को अनाज निर्यात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : फिर भी किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है।...*(व्यवधान)*

डा० रामकृष्ण कुसमारिया : महोदय, ये आज की हमारी उपलब्धियां हैं। सिंचाई की जो योजना है, हमारा पानी का लेवल नीचे जा रहा है अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू की है – ग्रामीण सड़क योजना, मैं चाहता हूं कि इसी तरह सिंचाई योजना भी लागू करें।

महोदय, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां बढ़ाएं ताकि हर खेत को पानी मिले और हर हाथ को काम मिले। आज गांव उजड़ रहे हैं, लोगों का पलायन हो रहा है, इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता है। मैंने जिन चीजों के बारे में निवेदन किया है – मुख्य रूप से बिजली, पानी और किसान को लाभकारी मूल्य मिले ताकि उसकी हालत सुधारी जा सकती है, इस तरफ आप ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर)* **:** सभापति महोदय, धन्यवाद।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) **:** किसान हिन्दी समझता है, अंग्रेजी नहीं समझता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : मैं हिन्दी नहीं बोलता हूं। मैं पंजाबी और अंग्रेजी बोलता हूं। अब मैं अंग्रेजी में बोलूंगा।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) **:** आप पंजाबी में बोलिए।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : पंजाबी में बोलने के लिए पहले बताना पड़ता है, हमने लिख कर नहीं दिया है। मैं तो पंजाबी में बोल दूंगा।

सभापति महोदय : आप अंग्रेजी में बोलिए।

*सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, मैं आज आपके प्रति आभारी हूं कि आज आपने मुझे किसानों की समस्याओं पर बोलने की अनुमति दी है। अस्सी प्रतिशत संसद सदस्य किसानों द्वारा चुने गए हैं किन्तु हम व्यापारियों और उद्योगपतियों के हितों की बात करते हैं। यही कारण है कि सिर्फ पर्यटन मंत्री ही आज यहां मौजूद हैं जबकि कृषि मंत्री यहां उपलब्ध नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, आज किसान अत्यन्त दयनीय अवस्था में हैं। पंजाब में सूखा पड़ा हुआ है। किसान ऋण में डूबे हुए हैं। यदि इस स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते हैं तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। किसानों के प्रति अन्याय हो रहा है। यदि प्रभावशाली व्यापारी ऋण चुका पाने में विफल हो जाता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। दूसरी ओर, यदि गरीब किसान ऋण चुकाने में विफल हो जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। महोदय, यह सुविदित तथ्य है कि यूरोपिय देश और अमेरिका अपने किसानों को पर्याप्त राजसहायता दे रहे हैं जबकि हम अपने किसानों के लिए राजसहायता समाप्त कर रहे हैं।

महोदय, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर खोलने की तत्काल आवश्यकताएं इससे हमारे किसानों को इस्लामिक देशों का बाजार सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सकेगा। हमारे किसान अपने उत्पाद ईरान, ईराक, खाड़ी देशों, सऊदी अरब और केन्द्रीय एशियाई देशों में बेच सकेंगे। इसके बदले, हम इन देशों से तेल, विद्युत और प्राकृतिक गैस प्राप्त कर सकेंगे। महोदय, पंजाब को स्वचालित पॉवर ग्रिड की आवश्यकता है और केन्द्र सरकार को पंजाब की इस मांग को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पुष्पकृषि पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

महोदय, अमृतसर, गुरूदासपुर और फिरोजपुर पंजाब के सीमान्त जिले हैं। महोदय, भारत-पाक तनाव के कारण, किसान वहां अपनी उर्बर भूमि पर खेती नहीं कर सकते हैं। सेना ने खेतों में बारूदी सुरंग बिछा दी है। किसानों को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। महोदय, मैं मांग करता हूं कि प्रभावित किसानों को रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए मुआवजा दिया जाए। सभापति महोदय, किसानों का समुचित मार्गदर्शन होना चाहिए जिससे कि वे सब्जियों और फलों तथा पुष्पकृषि के माध्यम से फसलों का विविधिकरण कर सकें। किसानों को विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिएं।

महोदय, अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यदि उपलब्ध आधारभूत संरचना को और अधिक विकसित किया जाए तो पंजाब के इन सभी कृषि उत्पादों की यूरोपीय बाजारों में पहुंच सुगम हो जाएगी। इस प्रकार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, के संपूर्ण क्षेत्र को लाभ मिलेगा। महोदय, यह सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करना चाहती है। सरकार किसानों पर आय कर भी लगाना चाहती है। किसानों के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। महोदय, आप भी किसान परिवार से हैं। मैं भी किसान के परिवार से हूं। महोदय, यदि सरकार अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है, तो किसानों की दशा और खराब हो जाएगी। मेरी पार्टी इस सरकार की किसान विरोधी नीति का पूरा विरोध करती है।

महोदय, मैं यह भी मांग करता हूं कि पंजाब में और अधिक कृषि-उद्योग लगाए जाएं। महोदय, प्रधान मंत्री ने हाल ही में देश की सभी बड़ी नदियों को जोड़ने की पेशकश की थी। हम इस अवधारणा का पूरी तरह से विरोध करते हैं। यह संविधान के विरुद्ध है। नदी जल मुद्दा राज्य विषय है। अनुच्छेद 246 के अनुसार, हम नदी जल को दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते। केन्द्र सरकार को खुश करने के लिए, हमारे विगत में मुख्य मंत्रियों ने हरियाणा और राजस्थान के साथ नदी जल के बंटवारे पर सहमति दी थी। इस संबंध में कार्यकारी आदेश जारी किए गए थे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम किसी अन्य राज्य को एक बूंद पानी नहीं देंगे। हरियाणा और राजस्थान को पानी की पूर्ति करने वाली नहर के बदले हमारा खून ले जा सकती हैं किन्तु हम किसी अन्य राज्य को एक बूंद पानी भी नहीं ले जाने देंगे। महोदय, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ रही है। सिन्धु जल संधि के अनुसार भारत और पंजाब को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का पानी उपयोग करने का हक है। हम चाहते हैं कि इन नदियों पर बांधों का निर्माण किया जाए ताकि सारा पानी पाकिस्तान नहीं जाए और हमारे क्षेत्र की सिंचाई के लिए पूरा पानी मिले। महोदय, चीनी मिलें बंद हो रही हैं। केन्द्र ने उनपर उत्पाद शुल्क लगाया है। पंजाब सरकार ने शीरे पर 24 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, आपने मुझे पंजाबी में बोलने की अनुमति दी। यदि मैं अंग्रेजी में बोलता तो अब तक अपना भाषण समाप्त कर देता।

महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है : 'सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए।' हमें देखना होगा कि चीनी मिल बंद नहीं हों। सरकार को भी इन चीनी मिलों से बहुत लाभ होता है। उत्पाद शुल्क में कमी की जानी चाहिए और गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए ताकि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले। महोदय, सिक्खों को हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह हमारे संविधान में अंतर्निहित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के विरुद्ध है। महोदय मैं केन्द्र सरकार से हमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सिक्खों के विरुद्ध इस भेदभाव को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। सिक्ख किसानों को जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जमीन

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[सरदार सिमरनजीत सिंह मान]

खरीदने की अनुमति मिलनी चाहिए। महोदय, मैं किसानों की दशा के प्रति अपनी चिन्ता प्रकट करने के लिए अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

डा० सी० कृष्णन (पोल्लाची) : सभापति महोदय, भारत में किसानों के मुद्दों पर बोलने के लिए यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पोल्लाची चुनाव क्षेत्र से हूं। जिसमें ईरोड और कोयम्बटूर सम्मिलित हैं।

मैं एम०डी०एम०के०, जिसके नेता तिरूवैको, संसद सदस्य हैं जो पोटा के दुरुपयोग के कारण इस समय, वेल्लोर जेल में हैं, की ओर से बोल रहा हूं। तिरूवैको, संसद सदस्य ने मेरे चुनाव क्षेत्र पोल्लाची में 28 जून, 2002 को नारियल उत्पादकों समेत किसानों की एक बहुत बड़ी रैली की थी। सभी किसान हमारे पीछे एकत्र हुए हैं और यह पोल्लाची में बहुत ही बड़ी रैली थी जिसके कारण तिरूवैको संसद सदस्य और उनके नेतृत्व वाली पार्टी मरूमालार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को शक से देखना शुरू कर दिया। एस०डी०एम०के० और तिरूवैको के पीछे किसानों की भीड़ को देखकर तमिलनाडु सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी तथा आतंकवाद निरोधक अधिनियम, पोटा का दुरुपयोग करके उन्हें गिरफ्तार करने का रास्ता निकाल लिया *(व्यवधान)*

किसानों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं—सर्वप्रथम किसान पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से अपने मुफ्त बिजली के लाभ को समाप्त करने के विरुद्ध हैं। अब तमिलनाडु सरकार ने किसानों से एक एच०पी० मोटर के लिए 600 रु० प्रभारित करने अथवा प्रति इकाई विद्युत के लिए 50 पैसे लेने की योजना बनाई है। किसान निश्चिततौर पर इसका वहन नहीं कर सकता है और अपने कृषि उत्पादों की बिक्री करते समय इस अतिरिक्त व्यय को नहीं जोड़ सकते हैं। किसानों द्वारा दिया जाने वाला विद्युत का यह बोझ किसानों को उनके गले में पत्थर बांधकर, विद्युत टैरिफ के रूप में, सूखे गहरे कुएं में फेंकने के समान है। पुनः यदि तमिलनाडु सरकार द्वारा यथा विहित किसानों द्वारा विद्युत टैरिफ का भुगतान करना पड़े तो अधिकांश किसानों को खेती-बाड़ी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उन्हें पहले ही नुकसान हो रहा है।

किसानों को खेती के कार्य में प्रोत्साहन, आसान बैंक ऋण, अच्छी किस्म के बीच, पर्याप्त जल सुविधाएं देकर और कृषि के क्षेत्र में तत्काल विकसित प्रौद्योगिकी सुधारों के बारे में नियमित सलाह देकर किया जाना चाहिए।

गंगा, कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों को देश के उन भागों जहां कि पानी की कमी है, के साथ जोड़ना एक अच्छी योजना है और इससे देश की जल समस्या को हमेशा के लिए हल करने में मदद मिलेगी।

उर्वरक की दर निर्धारित की जाती है और उसमें तत्काल वृद्धि हो जाती है जबकि कुली आम आदमी के रोजाना खर्च (प्रति व्यक्ति आय) में वृद्धि के साथ अपनी मजदूरी बढ़ा रहे हैं लेकिन किसान चिन्तित हैं क्योंकि उसके उत्पादों की कीमत कृषि से होने वाली आय के अनुरूप नहीं बढ़ती है। मानसून में कम वर्षा होने से भूजल का स्तर 1000 फीट नीचे चला गया है और अनेक बोर-वेल सूख गए हैं। इसके परिणामस्वरूप पीने और खेती के लिए पानी की कमी हो गई है। इसके परिणामस्वरूप किसानों के ऊपर बहुत अधिक बैंक ऋण और प्राइवेट ऋण हो गया है और नारियल के सूखे पेड़ों को काटना और उन्हें खेत से हटाना गरीब और मध्यवर्गीय किसानों के लिए बोझ हो गया है। इसलिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कोयम्बटूर और इरोड जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और कोआपरेटिव और बैंक के सारे ऋण माफ किये जाने चाहिए।

किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने पर रोक लगाने से स्थिति गंभीर होगी और उनके समक्ष वित्तीय संकट उत्पन्न होगा जिससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे तमिलनाडु में स्थिति खराब हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद) : माननीय सभापति जी, बड़ी मुश्किल से मुझे इस विषय पर बोलने का वक्त मिला, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वक्त तो मिला।

महोदय, सदन में श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा नियम 193 के अधीन प्रस्तुत किए गए किसानों की समस्याओं से संबंधित विषय पर चर्चा चल रही है। मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत प्रमुख विचार रखे हैं। उन्हीं के तहत मैं किन्हीं खास बिन्दुओं पर मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मेरा एक ही सवाल है कि विगत चार वर्षों से कंट्री के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में स्टैगनेशन क्यों है। विगत चार वर्षों से देश का कृषि उत्पादन लगभग एक सा ही चला आ रहा है, इसके क्या कारण हैं ?

मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को जो फर्टिलाइजर मिल रहा है उसमें मिलावट है, पैस्टीसाइड में मिलावट है, इंसैक्टीसाइड में मिलावट है और जो सीड किसानों को मिलता है उसमें भी मिलावट है। इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी विकट समस्या है मैं उसके बारे में बताते हुए कहना चाहता हूं कि जहां कैनाल और दूसरी सिंचाई की सुविधाएं हैं, वहां के लिए तो यह बात लागू नहीं होती है, लेकिन मैं ऐसे क्षेत्रों की बात कर रहा हूं जहां सिंचाई ट्यूबवैलों द्वारा की जाती है या जहां सिंचाई का एकमात्र साधन ट्यूबवैलों द्वारा की जाती है या जहां सिंचाई का एकमात्र साधन ट्यूबवैल ही हैं वहां

लगातार पानी का स्तर नीचे जाने की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। ट्यूबवैल के क्षेत्रों में पानी लगातार नीचे गिरता जा रहा है जिसकी वजह से किसान को पानी निकालना बहुत महंगी समस्या बन गई है। जहां पहले 5-10 हॉर्स पॉवर का इंजन काम करता था जो डीजल से चलता था वहां आज उस जगह 20 हॉर्स पॉवर का इंजन काम करता है जिसमें डीजल भी ज्यादा लगता है और किसानों की लागत भी बढ़ जाती है।

महोदय, हर प्रदेश की समस्या अलग-अलग हो सकती है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां किसानों को चार घंटे भी अनवरत बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है जबकि मिनीमम चार्ज के नाम पर उससे पूरी बिजली का चार्ज किया जाता है। मैं यह भी दुर्भाग्य मानता हूं कि इस देश की 60-70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर आधारित है और आज भी टोटल हिन्दुस्तान के मुनाफे का 32 फीसदी रुपया एग्रीकल्चर से आता है और सेंट्रल बजट में एग्रीकल्चर के नाम पर केवलमात्र कुछ प्रतिशत आबंटित होता है।

दुर्भाग्य इसके साथ और जुड़ा हुआ है। फर्टिलाइजर में मिली हुई कोई चीज आये, वहां तक तो ठीक है लेकिन हिन्दुस्तान में फर्टिलाइजर का दुरुपयोग हो रहा है। यहां फर्टिलाइजर इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल हुआ है जिसके कारण जमीनों की ऊपर जैसी स्थिति हो गई है। जो नयी पद्धति मैं पिछले पांच-छह साल से महसूस करता हूं कि आरगेनिक फर्टिलाइजर के नाम से बहुत से कम्पनियां आई हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शुगर मिलों का जो वेस्टेज होता है जिसको उठाने के लिए पैसा दिया जाता था यानी मिल वालों के पैसे लगते थे, उसी को आरगेनिक मैटर के नाम से उनमें कुछ छोटी मोटी अमोनियम सल्फेट जैसी फर्टिलाइजर मिलाकर आज किसानों को आरगेनिक मेन्योर के नाम से बेचा जा रहा है।

मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिवाय थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा उसमें ऐसी कोई रेजीड्यू नहीं हैं या कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में किसी किस्म का कोई इजाफा हो। अब समस्या इस बात की आती है कि हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी-बड़ी चीजें निकाली हैं, अनवरत् निकाले हैं, सीड निकाले हैं, सीड निकाले हैं, नये-नये इम्प्लीमेंट्स निकाले हैं लेकिन मैं रूट्स लेवल पर, माननीय मंत्री जी, मैं निश्चित तौर पर यह मानकर चलता हूं कि आप उस कृषक परिवार से आते हैं जिसने हिन्दुस्तान का नेतृत्व किया आज निश्चित ही उनकी पीड़ा आपके दिलो-दिमाग पर होगी लेकिन आप ऐसी सरकार से संबद्ध हैं कि उन योजनाओं के कार्यान्वियन में आपको परेशानी आ रही हो, इससे मैं मना नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

मैं आज भी दावे के साथ एक बात कहता हूं कि वैज्ञानिकों द्वारा नये-नये चीजें ईजाद की गई हैं, वे हमारे कृषकों तक नहीं पहुंचती। आज भी उनका सही तरीके से इस्तेमाल जिनको मिलना चाहिए, उन तक वे चीजें नहीं पहुंचती। जो सबसे बड़ी दिक्कत हिन्दुस्तान के आगे है, वह जमीन का फ्रेगमेंटेशन है। कुछ न कुछ इसके ऊपर गौर करना चाहिए। यदि इस पर आपने गौर नहीं किया तो जैसे मैं महसूस करता हूं कि इससे पर कैपिटा होल्डिंग अबाउट बन प्वाइंट समथींग हैक्टेयर रह गयी है। आपकी इकोनामिक तभी बढ़ सकती है जब तक होल्डिंग कुछ बेहतर स्थिति में हो। अगर यह फ्रेगमेंटेशन लैंड होती जायेगी, जमीन के ऊपर लगातार आदमी का दबाव बढ़ता जायेगा तो निश्चित तौर पर मानकर चलिये कि आपका प्रोडेक्शन जो स्टेगनेट हुआ है, जो आपका प्रोडेक्शन रुका है, उसके पीछे यह भी एक कारण है कि हमारी जमीन का लगातार विभाजन हो रहा है।

प्रधान मंत्री जी ने विगत वर्ष एक बात कही तो जो मुझे पूरी तरह से याद है कि हिन्दुस्तान के किसानों को गेहूं और चावल की खेती करना बंद करना चाहिए। यह ठीक बात है और आपका कहना भी ठीक है क्योंकि आपके पास स्टाक अभी इतना है कि आज कुछ भी पैदा न हो तब भी आपके पास ढाई लाख मीट्रिक टन का कन्जम्पशन है और साढ़े सात लाख मीट्रिक टन आलरेडी आपके पास स्टोर है। इसमें मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक प्लानिंग फॉर कल्टीवेसन ऑफ क्राप्स अगर कंट्री की नहीं होगी, इसके लिए कृषि नीति आवश्यक है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए चीज एलॉट की जाये कि इतना क्राप पैदा करना है, गेहूं पैदा करना है, आलू पैदा करना है या शुगर केन लगाना है तब तक हम प्राइस में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते।

आज स्थिति यह है कि आलू कभी साढ़े सात सौ रुपये क्विंटल बिकता है तो कभी ऐसा भी होता है कि 50 रुपये क्विंटल भी हिन्दुस्तान के बाजारों में नहीं बिकता। इसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब कृषि नीति हिन्दुस्तान में बने। राष्ट्रीय कृषि नीति का बनना परम आवश्यकीय है। छोटे-छोटे देशों ने बना ली है लेकिन हमारा इतना बड़ा कृषि प्रधान देश है, इसमें आज तक कृषि नीति नहीं बन पाई है। यह निश्चित ही हम सबके लिए एक दुखद स्थिति है। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि एक्सपोर्ट के लिए गुणवत्ता की आवश्यकता है। क्वालिटीवाइस वह चीज अच्छी होनी चाहिए। हमारा कंसाइनमैंट जैसे ही चैकिंग के लिए जाता है तो चैकिंग के दरम्यान कोई न कोई कंटामीनेशन हो जाता है वह चाहे वायरल कंटामीनेशन हो या बैक्टीरियल कंटामीनेशन हो। वह पूरा का पूरा कंसाइनमैंट वापिस आ जाता है।

आपकी चीज़ का खरीददार कौन है, वही अंडर-डैवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो पैसे देने की स्थिति में नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* मेरा यह भी निवेदन है कि आपका अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर है। अगर डब्ल्यू०टी०ओ० के तहत आपको विश्व व्यापार संगठन में कम्पीटीटिव बनाना है तो आपको क्वालिटी अच्छी करनी ही पड़ेगी और गुणवत्ता को संभालने के लिए प्रयास करने ही चाहिए।

[श्री चन्द्र भूषण सिंह]

बहुत दिनों से बात चल रही है कि कृषि को इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। सरकार के आगे ऐसी क्या परेशानी है जो उसे इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिलता। आज यदि उसे इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए तो हमारे कृषक अपाहिज नहीं रहें, आपके आगे झोली नहीं फैलाएं। जहां तक मेरी जानकारी है, कमेटी जरूर बनाई हुई है। उसका क्रियान्वयन हो, उसे जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री घोषित करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

प्राइस के बारे में बहुत बात होती है। यदि क्राप बोने से पहले प्राइस फिक्स हो जाए तो काश्तकार के दिमाग में भी यह बात रहेगी कि हमें कौन सी फसल में पैसा अच्छा मिल सकता है। अगर पहले से प्राइस डिक्लेयर करेंगे तो निश्चित ही आज आपके पास जो बहुत सारा बफरस्टॉक है, उसमें कमी आएगी। उस कमी को दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि उसके प्राइस पहले घोषित करें।

जहां तक डब्ल्यू०टी०ओ० की बात है, डब्ल्यू०टी०ओ० की तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं — क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी कास्ट कम होनी चाहिए। आज सबसिडी कम होने से लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि वे पुन: कृषि नीति पर विचार करें ताकि बहुत सारे झंझट अपने आप ही दूर हो जाएं।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : महोदय, हम किसानों की समस्याओं और उनकी दुर्दशा पर बहस कर रहे हैं। यह सच है कि कृषि में संकट बढ़ रहा है। खेती में लगा हुआ मध्यम और गरीब तबका बर्बाद हो रहा है। किसानों की ऋणग्रस्तता भी बढ़ रही है। कतिपय कृषि वस्तुओं के मूल्यों में आ रही भारी गिरावट से किसानों के सामने कठिन समस्याएं पैदा हो रही हैं। सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी किसानों के सामने कठिनाइयां आ रही हैं। इस प्रकार की आपदाओं से वे हर वर्ष प्रभावित होते हैं।

अनेक प्रकार के कीट किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। कृषि मजदूरों की मजदूरी भी कम हो रही है। कृषि क्षेत्र तथा सिंचाई के क्षेत्र में सरकारी निवेश में गिरावट आ रही है। कृषि उत्पादन में अनिश्चितता बरकरार है। इसलिए, वैश्विक कृषि बाजार के क्षेत्र में अपने देश के किसानों को विदेश के किसानों के साथ प्रति-स्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए, हमारे देश के किसानों को राजसहायता उसी प्रकार दी जानी चाहिए जैसे कि अन्य देशों में दी जा रही है।

अब कृषि व्यवसाय अलाभकारी हो गया है। सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए जिससे कि इसे लाभकारी बनाया जा सके। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। हर कोई इस मुद्दे पर बोला है। उन्हें प्रतिवर्ष सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। प्रतिवर्ष कृषि के योजना निवेश में गिरावट आ रही है।

इसलिए, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और फसल बीमा योजना के निर्देशों को संशोधित किया जाए जिससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सुविधाएं मिल सकें। मैं मंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि बैंक समेत कृषि और सिंचाई क्षेत्र में सरकारी निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। सरकार को किसानों के लिए क्रेडिट सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे उन्हें जब भी जरूरत हो, उसका लाभ उठा सकें।

***श्री मणि शंकर अय्यर** (मयिलादुतुराई) : सभापति महोदय, मैं देश के किसानों की समस्याओं पर चल रही बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। कृषि संबंधी मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए मुझे अनेक अवसर मिले हैं लेकिन आज मैं अपने पूरे भाषण में कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा।

विभिन्न राज्यों में किसान, कृषि संबंधी अपने कार्यों को पूरा करने में मानसून के समय पर न आने, सूखा, मौसम की अनियमितताओं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। परन्तु कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की समस्याएं मानव निर्मित हैं। मानव की निष्ठुरता के कारण यह बर्बादी हुई है। हमें इस पर विचार करना है। 1998 में हमारे प्रधान मंत्री ने कावेरी नदी जल प्राधिकरण का गठन किया था जिसमें सभी तटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री थे एवं जिसका उद्देश्य इस जटिल मुद्दे का स्थायी समाधान करना और नदी जल बंटवारा विवाद को हल करना था। जब इस प्राधिकरण का गठन किया गया तो उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले को वापस लेना या उसे स्थगित करना था। कावेरी नदी जल प्राधिकरण के कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु देश के सर्वोच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही को स्थगित रखना बेहतर समझा गया। मैं इस महत्वपूर्ण बात पर बल देना चाहता हूं। अप्रैल, 1997 तक, भारत के उच्चतम न्यायालय में तमिलनाडु सरकार के तर्कों को सुना गया। 1998 में, केन्द्र सरकार के महा सालिसिटर ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि न्यायालय इस मामले में और कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि केन्द्र सरकार इस मामले में सी०आर०ए० को बंद करना बेहतर समझेगी। इस आदिखण्ड के आधार पर कि कावेरी न्यायाधिकरण की स्थापना एक दशक पूर्व जून 1991 में की गई थी, केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि वे न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए एवार्ड को लागू करेंगी, अत: केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय से किए गए वादे

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के आधार पर कावेरी नदी जल प्राधिकरण की स्थापना की गई। इन चार वर्षों में केन्द्र सरकार ने न्यायाधिकरण के अवार्ड को लागू करने या देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए सत्याभाव से दिए गए आश्वासन के वायदे को लागू करने की जहमत नहीं उठाई। इन चार वर्षों में कभी कुछ नहीं किया गया। वर्तमान प्रधानमंत्री क्या करते रहे ? मेरी समझ में नहीं आता कि वर्तमान सरकार ने उच्चतम न्यायालय में झूठा वादा क्यों किया। प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्रत्येक वर्ष सतत रूप से एक ही प्रकार की समस्याओं की पुनरावृत्ति से सभी अवगत हैं। इस पर कोई दो राय नहीं है कि समस्या बनी रही और हमेशा संकट ही सामने आया। समस्या का मूल कारण क्या है ? 1974 तक प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु को कर्नाटक से 600 टी०एम०सी० पानी मिलता रहा जो कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में हमेशा जाता रहा। 1991 में जब यह कहा गया कि तमिलनाडु को 600 टी०एम०सी० पानी की बजाय 205 टी०एम०सी० पानी दिया जाएगा तो तमिलनाडु सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस 205 टी०एम०सी० में से 140 टी०एम०सी० पानी प्रत्येक वर्ष चार महीनों जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर में छोड़ा जाएगा। केवल इन चार महीनों में 140 टी०एम०टी० पानी छोड़ने के आश्वासन के कारण ही तमिलनाडु सरकार ने उस समय किए गए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हमें 600 टी०एम०सी० पानी और नहीं मिलना था। हमें वादा किए गए 205 टी०एम०सी० पानी की थी चिन्ता नहीं है लेकिन हमें चार महत्वपूर्ण महीनों में कुरूवै फसलों के कृषि कार्य हेतु पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उस समय बमुश्किल खेती का कार्य कर पाते हैं। केवल उक्त आश्वासन की गारंटी की वजह से ही हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। तमिलनाडु सरकार ने दोनों तरफ से किसानों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कर लिया। उसने विश्वास किया कि जितनी मात्रा में पानी छोड़ने का आश्वासन दिया गया है, छोड़ा जाएगा। केन्द्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने में एक दिन भी देर नहीं की गई। हमने विश्वास किया कि देश के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाला प्राधिकरण अपने आश्वासन पूरा करेगा और हमारे साथ न्याय करेगा। 'हमें बहुत आशा थी। लेकिन हमें बहुत निराशा हुई। हमने सोचा कि जब प्राधिकरण स्वयं प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है तो हमें न्याय मिलेगा। मैं अपनी जबर्दस्त नाराजगी दर्ज कराता हूं। गत चार वर्षों में हमें वह कुछ नहीं मिला जिसका आश्वासन दिया गया था। कभी भी आश्वासन के मुताबिक पानी नहीं छोड़ा गया।

हम किस प्रकार उनमें विश्वास रख सकते हैं ? प्रधानमंत्री महोदय ने तो कावेरी नदी जल प्राधिकरण की बैठक बुलाने की कोशिश नहीं की। नवम्बर, 1998 में जब प्राधिकरण की पहली बैठक बुलाई गई थी तो हमने एक प्रश्न उठाया था। यह प्राधिकरण सितम्बर 1998 में बनाया गया था। इसकी पहली बैठक नवम्बर 1998 में हुई थी। हम जानना चाहते हैं कि तमिलनाडु को कितना कावेरी जल छोड़ा गया था। हमने जल की मात्रा के बारे में पूछा था क्योंकि हम तमिलनाडु को कर्नाटक द्वारा छोड़े गए जल की सही मात्रा के बारे में जानना चाहते थे। कर्नाटक सरकार ने कहा कि जल की 16 टी०एम०सी० उस वर्ष सितम्बर में छोड़ी गई थी। लेकिन तमिलनाडु ने बताया कि उन्हें जबकी मात्र 8 टी०एम०सी० ही प्राप्त हुई है। यह बात सी०आर०ए० की पहली ही बैठक में उठाई गई थी। आज तक किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ था। केन्द्र को भी आज तक मालूम नहीं है कि कितना पानी छोड़ा गया और कितना प्राप्त किया गया। जल की 8 टी०एम०सी० मात्रा का क्या हुआ यह अभी भी पहेली है। माननीय सभापति महोदय, हम सभी को मालूम है यदि कितना जल वहां होगा यदि यह 8 टी०एम०सी० जल हैं टी का तात्पर्य है हजार, एम का मिलियन और सी का अर्थ क्यूबिक है। यह आठ हजार मिलियन क्यूबिक फीट है। अर्थात् 8 बिलियन क्यूबिक फीट है। इतना जल तमिलनाडु नहीं पहुंचा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कर्नाटक से छोड़ा गया जल तमिलनाडु नहीं पहुंचा है। तमिलनाडु में पहले गए जल की मात्रा होगनरबेल में मापी गई हैं। आज तक कोई उचित जवाब नहीं दिया गया कि उसका क्या हुआ। मैंने कई बार इस प्रश्न को उठाया है। मैंने लोक सभा में प्रश्न उठाया था इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं दिया गया क्या जल प्राप्त किया गया था अथवा नहीं किया गया था। उसके बाद यह सरकार क्यों बनी रहनी चाहिए ? कैबिनेट क्यों बनी रहनी चाहिए और फिर प्रधान मंत्री क्यों बना रहे ? जुलाई 1997 में हम प्राधिकरण की बैठक हुई। उस वर्ष मात्र एक बार बैठक हुई थी। जिस प्रकार भिखारियों में भीख बांटी जाती है उसी प्रकार बोर्ड से जल को स्वीकार करने की सलाह दी गई। जैसाकि कहावत है कि कुछ देकर मुंह बंद करना। वर्ष 2000 में प्राधिकरण की बैठक एक बार भी नहीं हुई। उस वर्ष एक बार भी नहीं हुई। क्या इसे न्याय कहते हैं ? क्या देश चलाने का यह तरीका है ? वर्ष 2000 में प्राधिकरण की बैठक एक बार भी बुलाने में असफल होने पर केन्द्र ने दिसम्बर 2001 में सी०आर०ए० की बैठक बुलाई जब भारी संकट था। इसी प्रकार इस वर्ष में भी, प्राधिकरण की बैठक बुलाने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया गया था जब समस्या ने विकट और भारी स्वरूप अख्तियार कर लिया था। जब कभी भी सी०आर०ए० की बैठक बुलाई जाती है तो वह मुख्य मुद्दे पर विचार नहीं करते न ही इस समस्या की जड़ पर बहस करते हैं और न ही सौहार्दपूर्ण हल निकालते हैं। वे टुकड़ों में इसका हल निकालते हैं।

आपके माध्यम से, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार पिछले चार वर्षों में इस समस्या का हल निकालने का उपाय क्यों नहीं तैयार कर पाई है। जब प्रकृति असफल रहती है तो सभी कावेरी बेसिन राज्यों के बीच जल बंटवारे का कुछ सक्षम फार्मूला उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्या आपने कभी भी इसके बारे में विचार किया है ? अब आप गंगा को कावेरी से जोड़ने के बारे में घोषणा कर रहे हैं।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

मूल समस्या का कोई हल निकाले बिना आप अर्थहीन बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रधान मंत्री महोदय ने जिन्होंने न्यायालय को बताया था कि वह बैठक बुलाएंगे लेकिन बैठक नहीं बुलाई गई और इसका समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने इन 4 वर्षों में क्या किया ? क्या प्रधान मंत्री ने कभी भी इस कठिन समस्या का हल निकालने के लिए इसके बारे में एक मिनट का भी समय दिया ? क्या इन चार वर्षों में कोई सफल हल निकालने के लिए कुछ किया ? जब कभी भी कोई विकट समस्या होती है तभी प्राधिकरण की बैठक बुलाई जाती है और उसमें भी दो टूक हल ही दिया जाता है यदि सी०आर०ए० की बैठक तब बुलाई जाती हो जब घोर समस्या ना हो और जब समस्या अपने चरम रूप में न हो तो आप शान्तिपूर्ण दीर्घकालिक रणनीति बना सकते हैं। अब तक तो कुछ हल निकाला जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह नहीं हुआ। बिना कुछ ऐसा किये हुए आप ने सभी को निराश किया है।

अब आप गंगा और कावेरी को जोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या यह बहुत आसान है ? क्या आप इसकी गम्भीरता को जानते है ? लगभग 35 वर्ष पूर्व, डा० के०एल० राव इसी प्रस्ताव को लाए थे। हमारे स्वतंत्र होने से पूर्व भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने भी इस बारे में सोचा था। स्वतंत्रता सैनानी जैसे महाकवि सुब्रहमण्यम भारती ने भी इसके सपने संजोए थे हमारे देश की विकासात्मक योजना के रूप में इसकी कल्पना की थी।

लेकिन आपने अचानक ही यह मुद्दा उठाया है। चूंकि आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो आप गंगा को कावेरी से जोड़ने के बारे में बात करने लगे। समय पर इसका कोई तत्काल हल नहीं किया जा रहा है। आप ऐसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं यह एक दिवास्वप्न होगा। आप कावेरी डेल्टा किसानों की समस्याओं का हल अभी नहीं निकाल पाए हैं। इसलिए इस प्रधान मंत्री में हमारा विश्वास नहीं रहा है।

मैं अपने दल कांग्रेस दल की ओर से नहीं बोल रहा हूं। मैं कावेरी डेल्टा किसान समुदाय की अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो बारहमासी नदी के सिंचाई जल के अभाव के कारण समस्या को हल करने में अत्यन्त कठिनाई महसूस कर रहे हैं। हमारे यहां के किसानों की संख्या अब कम होती जा रही है। मैं उनकी ओर से बोल रहा हूं।

हमारा इस प्रधान मंत्री पर से विश्वास उठ गया है। हमारा कावेरी नदी प्राधिकरण से विश्वास उठ गया है। न्याय पाने के लिए हमारे पास उच्चतम न्यायालय में जाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हमें न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए, में इतना साहस होना चाहिए कि वह उसी न्यायालय के समक्ष स्वीकार करें कि वह इस विवाद का कोई सौहार्दपूर्ण हल निकालने के अपने वायदे को नहीं निभा सके। क्या वह अभी भी आश्वासन देते हैं कि केन्द्र न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करेगा, क्या वह आगे आकर स्वीकार करेंगे कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं ? मैं उन्हें चुनौती देता हूं क्या वह अभी भी समस्या का हल करने के लिए सौहार्दपूर्ण तंत्र का आश्वासन देते हैं ? क्या वह ऐसा कर सकते हैं ?

205 टी०एम०सी० जल समय पर नहीं छोड़ा जा सका। जबकि उस क्षेत्र में भारी वर्षा हुई और जब वे जल संग्रहण न कर सके और जब उन्हें बाढ़ का खतरा होने लगता है तो कर्नाटक ऐसी बाढ़ का पानी नाली में जल छोड़ देता है। इसका क्या उपयोग है ? समय से जल के ना मिलने पर उसका कोई उपयोग नहीं होता है यदि आवश्यकता न होने पर जल छोड़ा जाता है तो वह बेकार है। हमारा नम्र निवेदन है कि आने वाले समय में साम्बा फसल और कुसवाई फसल के लिए समय से जल छोड़ा जाए पर कोई ध्यान नहीं किया गया। पानी की बूंद के लिए हमें अनुरोध करना पड़ता है अथवा उस राज्य के आगे झुकना पड़ता है ? उस समय हमारे प्रधान मंत्री से अथवा कृषि मंत्री से अथवा सिंचाई मंत्री की ओर से भी कोई पहल नहीं की जाती है। क्या कावेरी डेल्टा किसानों के लिए आपके मन से कोई सहानुभूति है ? आपके पास उनकी मुख्य समस्याओं को जिन्हें किसान झेल रहे हैं का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने के लिए समय नहीं है। कावेरी डेल्टा किसानों की समस्याओं की गम्भीरता को समझे बिना आप अपने तरीके से उनका हल ढूंढ रहे हैं।

मैंने कई बार अनुरोध किया है। श्री अजीत सिंह जी हमारे दल में थे जब वह हमारी सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना था लेकिन अब उन्होंने अपना दल बदल लिया है अब उनके पास हमारे कावेरी डेल्टा क्षेत्र में जाने के लिए समय नहीं है। उन्होंने हमारे क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। निःसंदेह उन्होंने केन्द्रीय दल भेजा था। लेकिन वह दल केवल नागापत्तिनम तक ही पहुंच पाया था। जब वह नागापत्तिनम तक पहुंच ही गए थे तो उन्हें कावेरी डेल्टा क्षेत्र में मयिलादुतुराई तक आगे आने पर किसने रोका था ? उन्होंने अधिक प्रभावित मेंयूरम का दौरा नहीं किया। उन्होंने कहीं और बैठकर अपनी रिपोर्ट लिखी। उन्होंने ऐसा कैसे किया ? कावेरी डेल्टा का अधिक भाग मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मयिलादुतुराई में है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किये बिना वे किसी अन्य जिला मुख्यालय में चले गए और वहां बैठकर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। क्या यह सब बेकार नहीं है ? प्रत्येक सत्र के दौरान मैंने कृषि मंत्री को अपने कावेरी डेल्टा क्षेत्र में आने का बारबार निमंत्रण दिया। उनके पास हमारे क्षेत्र में आने का समय नहीं है यद्यपि उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों का दौरा किया है। ऐसा क्यों है ? हम न्याय चाहते हैं। श्री अजीत सिंह जी तो हमे न्याय

दे नहीं सके। हमारे जल संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सेठी ने भी हमें न्याय नहीं दिया। यहां तक कि हमें प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी किसी प्रकार का न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस प्रकार हमारे पास केवल एक ही मौका है। हमें पुन: उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हम क्या अपना मामला फिर उठाएंगे और न्याय प्राप्त करेंगे। हमें आशा है कि हमें वहां न्याय मिलेगा। केन्द्र के हाथों तो हमें कुछ नहीं मिला है। इस सरकर से हमारा विश्वास उठ गया है। यह दर्शाने के लिए कि मेरा इस सरकार पर से विश्वास उठ गया है, मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं।

चूंकि यह सरकार कावेरी डेल्टा किसानों की ज्वलंत समस्याओं का स्थायी हल निकालने में असफल हुई है मैं सभा का बहिष्कार करता हूं।

सायं 7.00 बजे

(इस समय श्री मणि शंकर अय्यर सभा भवन से बाहर चले गए)

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : माननीय सभापति जी, किसानों की परिस्थति सोचनीय है। बुधवार और आज करीब 30 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। डब्ल्युटीओ, अपोन से लेकर गन्ना किसान, सैरी कल्चर और कोकोनट फार्मर्स से संबंधित, सभी समस्याओं को यहां पर रखा गया है। किसानों द्वारा आत्महत्या के प्रश्न को भी यहां उठाया गया है। आर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित जो समस्यायें हैं, उनको भी चर्चा के दौरान सदन में उठाया गया है। पार्टी के दायरे से बाहर निकल कर सभी माननीय सदस्यों ने किसानों के संबंध में अपने मन की व्यथा और चिन्ता को प्रकट किया है। खास तौर से सूखे की मार से जो किसान व्यथित हैं, उनके बारे में भी सदन में चर्चा हुई है। कुछ आंकड़े और सुझाव भी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि 65 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं। लेकिन मुझे दु:ख इस बात है कि हर एक सदस्य अपना भाषण देने के बाद सदन में उपस्थित नहीं है। सदन में एकजुटता दिखनी चाहिए तथा कम से कम जिन्होंने भाषण दिया है, वे सदन में मौजूद रहें। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं आपकी बात से सहमत होते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोग भी गम्भीर नहीं हैं।

श्री अजित सिंह : आपने सवाल पूछा था कि सब मंत्री मौजूद नहीं हैं। मैं यह कहा रहा हूं कि अगर इस प्रपोर्शन में देखा जाए कि जितनी जिस संख्या में मंत्री मौजूद हैं, उतने ही संख्या में सदस्य भी मौजूद हैं, तो शायद आप शिकायत नहीं करते। मुझे चिन्ता यह है कि इतने सदस्यों की चिन्ता के बावजूद और हर दल के सदस्यों की चिन्ता के बावजूद, यह भावना हर एक सदस्य के मन में क्यों पैदा हुई कि शायद कुछ नहीं हो रहा है, शायद कुछ करना संभव नहीं है। यह चिन्ता मुझे भी है और आप सब को चिन्ता होनी चाहिए तथा दो-तीन घंटे ज्यादा रुक कर 541 सदस्यों में से 500 सदस्य यहां उपस्थित होते, तो जरूर कहीं-न-कहीं अफसरशाही के मन में प्रभाव पड़ता कि हमारे देश के कर्ताधर्ताओं के मन में जरूर कहीं दबाव है कि यह समस्या वास्तव में सीरियस है और इसके समाधान के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। यह भी कारण हो सकता है कि सदस्य शायद भाषण देकर इसलिए चले गए कि सबको समस्याओं का पता है। समस्यायें सरकार को भी मालूम हैं। समस्यायें पिछली सरकार को भी मालूम थी और शायद वह महसूस करते हैं कि किसी दूसरे सदस्य को ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। हम सब को समस्यायें मालूम हैं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : पता नहीं था कि सदन 7 बजे तक चलेगा।

श्री अजित सिंह : सदन यदि आठ बजे तक भी चलता, तो यहां रहने की जरूरत थी, क्योंकि यह समस्या बहुत बड़ी है।

महोदय, मेरा कहना यह है कि कृषि का स्वरूप आज हमारे देश में बदल रहा है। जोत छोटी हो गई है। एवरेज जोत करीब 1.5 हैक्टेयर के करीब है और 80 प्रतिशत किसान छोटे या मार्जिनल दो हैक्टेयर से कम हैं। मेरा कहना यह है कि यदि हम आंकड़ों को देखें, तो राजस्थान में 5 हैक्टेयर के फार्मर्स स्माल या मार्जिनल ही गिने जायेंगे और इस दृष्टि से देखें, तो 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान छोटे और मार्जिनल हो गए हैं। दूसरे यह बात भी सही है कि कृषि के क्षेत्र में हमारी समस्या बदली हैं। हमारे यहां उत्पादन की कमी नहीं है, हमारे यहां समस्या यह है कि हमारे पास हर एक चीज ज्यादा है। पहले जो मार्केटिंग की समस्या नहीं थी, हमारे देश में अब मार्केटिंग की समस्या आ गई है।

अब कृषि में साइंस और टैक्नोलॉजी का योगदान बहुत ज्यादा हो गया है और बायो-टैक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा योगदान कृषि में ही होना है, क्योंकि अब जोत छोटी हो गई हैं। इनटेंसिव क्रोपिंग है, इसलिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी बढ़ा है। अब माइक्रो न्यूट्रीएंट का उपयोग खेती में हो रहा है और नये-नये तरह के बीज आ रहे हैं। पानी की कमी को वजह से ड्रिप इरीगेशन और स्प्रींकलर इरीगेशन की बात भी आ रही है। इन सब का नतीजा यह है कि किसानों की लागत बढ़ी है और जब किसानों की लागत बढ़ी है तो उसे ज्यादा कर्ज लेने की जरूरत भी पड़ी है। तीन क्षेत्रों में समस्याएं हैं — इनपुट में, क्योंकि लागत बढ़ी है। किसानों की नयी-नयी चीजें कम से कम ऐवेलेबल हैं। उसे जानकारी है या नहीं, वह प्राप्त कर सकता है या नहीं, यह भी एक समस्या है। इसके साथ ही जोत छोटी हैं, इनपुट्स कास्ट बढ़ी है, इसलिए उसे क्रेडिट की भी जरूरत है। आज भी किसानों को सिर्फ 60 प्रतिशत क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस से मिलता है

[श्री अजित सिंह]

और 40 प्रतिशत के लिए साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इन बातों की सब को जानकारी है।

मैं इस संबंध में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कृषि राज्यों का विषय है। कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है हम परिवर्तन कृषि में लाना चाहते हैं, जैसे मार्केटिंग की समस्या है। हम बहुत से कानूनों में परिवर्तन लाना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि जोतें छोटी हो गई हैं, उन्हें फ्रेगमेंटेशन से रोका जाए। हमारे देश की जो सामाजिक स्थिति है, उसमें यह संभव नहीं है। हमारा मानना है कि अगर उसके पास एक बीघा जमीन भी है तो उसको प्राइड ऑफ ऑनरशिप है। आपने उसे कहा कि तुम्हें हम डिसप्लेस कर देंगे, क्योंकि बड़ी जोत की जरूरत है तो सामाजिक परिस्थिति बहुत ही कठिन हो सकती है। अगर किसान को इस परिस्थिति में मार्केटिंग करनी है, उसे नये-नये ट्रेक्टर खरीदने हैं और नये-नये बीजों का इस्तेमाल करना है तो मेरा मानना है कि कोआपरेटिव्स को सुदृढ़ करें। आज हमारे गांव का हरेक किसान कोआपरेटिव्स से संबंधित है, लेकिन समस्या यह है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। इसमें कानून को बदलने की जरूरत है। आप बुरा न मानें तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से राज्यों में सहकारिता लोगों का मूवमेंट नहीं है, सरकार का एक विभाग है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : यह भ्रष्टचार का अड्डा बन गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : भ्रष्टाचार तो और भी बहुत सी चीजों में है, लेकिन यह एक सरकार का विभाग है। आज कोआपरेटिव्स की जरूरत है, क्योंकि मार्केटिंग के लिए, जैसा मैंने कहा कि अब एक-दो हैक्टेयर का किसान, खास तौर पर जब हम उसे कह रहे हैं कि गेहूं और चावल से अलग हटो, जिसकी मार्केटिंग में फर्क है तो उसके लिए किसान अपनी अलग मार्केटिंग नहीं कर सकता है। उसे किसी न किसी संस्था की मदद की जरूरत है। मेरा मानना है कि वह संस्था कोआपरेटिव के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकती। हमने केन्द्र में कानून बदल दिया है, इसमें हमने सरकार की हिस्सेदारी, भागीदारी और जो कंट्रोल है, वह एक तरीके से खत्म कर दिया है। हमारे देश में मल्टी स्टेट कोआपरेटिव्स सिर्फ 30-35 हैं। लाखों कोआपरेटिव्स प्रदेश के कब्जे में हैं और कोई भी प्रदेश उस कानून को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने कितनी ही मीटिंग बुलाई हैं और कहा है, वे हां कर देते हैं लेकिन उसे बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पावर देना बड़ा मुश्किल काम है, वह आसानी से नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं सभी पार्टी के माननीय सदस्यों और नेताओं के कहूंगा कि शायद हमें कोआपरेटिव्स के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़े, जैसे पंचायती राज के लिए किया गया था, जिससे इसमें एक समान कानून सारे देश में हो सके, कोआपरेटिव्स आगे बढ़ सकें वरना किसान बचने वाला नहीं है। खाली मार्केटिंग की बात नहीं है। आज भी बहुत से माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि अगर किसान 5000 रुपए भी वापिस न करें तो उसे जेल में डाल देते हैं। हमने स्टेट्स को कई बार लिखा कि इन कानूनों को बदलें। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : आदरणीय सभापति जी, प्रधान मंत्री जी की घोषणा के बाद आज भी उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित इलाकों में किसान के कर्जे की वसूली नहीं रोकी गई है और उनके लड़कों को जेलों में बंद किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : मैंने कहा कि मार्केटिंग और क्रेडिट की समस्या के लिए कोआपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसके कानून बदलने की जरूरत है।

इसी तरह के बहुत से कानून हैं। सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बात कही। किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)* इस मामले में उनकी भाषा आपसे फर्क नहीं है। आज देश में सभी लोग यह मानते हैं कि देश की आर्थिक रीढ़ कृषि है। मैं कुछ अलग हट कर कहना चाहूंगा कि जो 24 परसैंट जी०डी०पी० कृषि क्षेत्र से है उसमें चीनी, मक्खन जोड़ दें और कृषि आधारित इंडस्ट्री जैसे फर्टिलाइजर, कैमिकल्स, अल्कोहल, ब्यूटी इंडस्ट्री, ट्रैक्टर्स, फार्म इम्पीलीमैंट्स जोड़ दें तो दूसरी स्थिति सामने आएगी क्योंकि ये भी कृषि पर आधारित हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर टिकी है। इसमें कानून बदलने की बात है। यह भ्रष्टाचार की बात कई लोगों ने उठायी। किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? पहली बात यह है कि उसे क्रैडिट 60 परसैंट इंस्टीट्यूशन्स से मिलता है और 40 परसैंट साहूकारों से लेता है। जहां इंटरस्ट रेट 25 परसैंट से 100 परसैंट तक है। यदि उसकी एक फसल नष्ट हो गई या उसे फसल का उचित दाम नहीं मिला तो उसे बहुत घाटा होता है। एम०एस०पी० भी आज बड़ी चर्चा में है। उनसे किसान परेशान होकर आत्महत्या करते हैं चाहे वह कॉटन का किसान हो या अन्य किसान हो। कॉटन का किसान चूंकि वह सबसे गरीब है इसलिए आत्महत्या कर रहा है। हर प्रदेश में हर किसान चाहे किसी प्रकार की खेती करता हो उसने समस्या महसूस की है। वह कहीं न कहीं मजबूरी में आत्महत्या कर रहा है। मैं इसे भ्रष्टाचार से इसलिए जोड़ रहा था क्योंकि उसे स्पूरियस सीड्स, फर्टिलाइजर और पैस्टिसाइड्स मिलते हैं जो एक बहुत बड़ा कारण है। केन्द्र सरकार कानून बना सकती है लेकिन उसका कार्यान्वियन प्रदेश सरकार के हाथ में है। पैस्टिसाइड्स का लॉ हम चेंज करने जा रहे हैं। इस बारे में सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिए और कहा कि इसकी सजा बढ़ा दी जाए। मेरा मानना है कि यह खत्म होने वाला नहीं है। हमने कृषि विज्ञान केन्द्र बनाए हैं, तथा हम प्राइवेट इंटरप्राइसेज को एनक्रेज कर रहे हैं कि वे आएं और किसानों को जानकारी दें।

अगर वहां सुविधा दी जाए, सर्विस सैंटर बनाएं जाएं जहां किसान अपने पैस्टीसाइड्स को ले जाएं और कहें कि इसके असली या नकली की जांच की जाए चाहे इसके लिए 10 या 20 रुपए ले लीजिए, अगर यह पता लगता है कि यह नकली है तो वह उस दुकान पर कभी नहीं जाएगा। कानून यहां से बहुत बदल रहे हैं। हम फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर खत्म कर रहे हैं। उसमें डीलर्स के लिए भ्रष्टाचार था। सभी कानूनों का इम्पलीमैंटेशन प्रदेश सरकार के हाथ में है।

जो मार्किटिंग की समस्या है, उसमें कोआपरेटिव और कारपोरेट्स का आना जरूरी है लेकिन कारपोरेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनें, इसमें सावधान रहने की जरूरत है। इस बारे में एक कमेटी बनायी गई थी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट आ चुकी है। एक स्टैंडिंग कमेटी बनायी है जिस के एमओएस इंचार्ज हैं। स्टेट के मिनिस्टर्स सदस्य हैं। उस मार्किटिंग की रिपोर्ट को कैसे इम्पलीमेंट किया जाए ? समस्या यह है कि इसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटिंग लॉ है जो स्टेट्स के द्वारा बनाए गए हैं। उसे बदलने की जरूरत है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कहीं न कहीं एलाऊ किया जाए। साथ ही साथ मंडी समिति सिर्फ टैक्स वसूलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। ग्रेडिंग, पोस्ट हारवैस्टिंग मार्किटिंग मैनेजमैंट होना चाहिए। इसमें जो सुधार होना चाहिए, तथा क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। यह मंडी समिति का काम है। उसमें भी हम प्रयास करें कि वह कानून बदले और उसमें किसान सीधा किसी प्रोसैसर को बेचना चाहे तो बेचे। हम मंडी समिति को सुविधा दे रहे हैं, वित्तीय सहायता कर रहे हैं जिससे मार्किटिंग के लिए फैसिलिटी बढ़े, उससे वह ग्रेडिंग के सुधार का काम करे। इसी तरह भंडारण की समस्या है। उसमें भी एक कानून नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट्स का है। उसके बारे में भी हम प्रयासरत हैं जिससे कानून बदले। किसान अपना सीमेन भंडार में रख कर रसीद लेकर बैंक से 80 या 90 परसैंट जो गन्ना के किस्म पर निर्भर होगा, वह पैसा ले सकें। उस कानून को बदलने के लिए हम प्रयासरत हैं।

क्रेडिट के मामले में, मैं सही कहूंगा कि जहां आप सभी सदस्यों ने चिंता जताई है, आपकी चिंता उचित है। जब सब बैंक्स नैशनलाइज्ड हुए थे, तब सरकार ने कहा था कि कि 18 परसेन्ट आपको कृषि पर देना है। यह प्रायोरिटी सैक्टर है। लेकिन आज तक 18 परसेन्ट किसी बैंक ने नहीं किया है। हालांकि उससे जो पैसा बचता है, नाबार्ड के अंदर उसका एक अलग फंड आई०आर०डी०एफ० बनाया गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उसे खर्च करता है। लेकिन मेरी तथा आप सभी सदस्यों की चिंता उससे भी बड़ी है कि जब डिपॉजिट रेट्स कम हो रहे हैं और 70 परसेन्ट डिपॉजिट्स गांवों से आते हैं, उसे भी आप समझ लीजिए कि डिपाजिट रेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन किसानों पर जो ब्याज का रेट है, वह नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बारे में हमें फिर आप सबके सहयोग की जरूरत है। 11 तारीख को हमने कृषि मंत्रियों, कोऑपरेटिव मंत्रियों, नाबार्ड और आर०बी०आई० सबकी मीटिंग बुला रखी है कि किस तरह किसानों के ब्याज की दर कम की जाए यह दर कम से कम 12 परसेन्ट तक हो। मेरा मानना है कि ज्यादातर 14 परसेन्ट से लेकर 20 प्रतिशत तक दर है और इसमें भी कोऑपरेटिव ही 50 प्रतिशत क्रैडिट गांवों में देती है। अगर वह छः परसेन्ट नाबार्ड से ले भी लें, तीन परसेन्ट स्टेट लैवल, दो परसेन्ट डिस्ट्रिक्ट लैवल और दो परसेन्ट विलेज लैवल इस तरह वह 13-14 परसेंट तक हो ही जाती है। मेरा मानना है कि इसमें टीयर्स को कम करने की जरूरत है।

उसी तरह से किसान जो पैदा करता है और खरीददार जो पैसा खर्च करता है, उसमें बड़ा भारी अंतर है। जो किसान को मिलता है, जो खरीददार पैसा देता है उसमें पांच, छः और सात गुना तक अंतर है क्योंकि पांच, छः, सात इंटरमीडियरीज हैं। इसमें मंडी समिति में फिर यह चीज आती है। इसमें कई राज्यों ने बड़ा अच्छा काम किया है। क्यों नहीं हम नेबरहुड मंडी खोलें। कम से कम कस्बों में, बड़े गांवों में, जहां कम से कम फल-फूल वाले किसान, सब्जी वाले और सीधे कंजूमर्स आयें, इस तरह से बीच में से इंटरमीडिएरीज को हटाया जा सकता है और कृषि क्षेत्र में बहुत सुधार हो सकते हैं।

सभापति महोदय, हम अभी तक 12 साल से इंडस्ट्रीज में सुधारों की बात कर रहे हैं, फिस्कल सुधारों की बात कर रहे हैं जबकि कृषि क्षेत्र में सुधारों की बहुत जरूरत है। सुधार और उदारीकरण कोई खराब शब्द नहीं है, यह भी हम अपने मन में समझ लें। वरना बहुत लोगों की भावना है कि उदारीकरण का मतलब है कि हम बेच रहे हैं, कृषि में गड़बड़ कर रहे हैं, किसानों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जब हम कांट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो हमारा सुझाव है कि ए०पी०एम०सी० में जरूर कांट्रैक्ट को देखा जाए। क्योंकि गरीब किसान से किसी बड़े कारपोरेट ने कांट्रैक्ट कर लिया तो उसमें जो फाइन प्रिंट होगा, उसे हम और आप नहीं पढ़ते हैं, किसान क्या पढ़ेगा। इसलिए मार्केटिंग और कोऑपरेटिव में उदारीकरण की जरूरत है तथा जो नये तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, जो साइंस और टैक्नोलोजी आ रही है, उसके बारे में ऐसा कहें कि हम बॉयो-टैक्नोलोजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से जब भी कोई फ्रंटियर साइंस, नई तरह का साइंस आता है तो उसके बारे में कई सवाल उठते हैं। जब भाखड़ा नांगल डैम बना था, तब भी सवाल उठे थे कि क्या पानी से बिजली निकालने के बाद इसमें कोई दम रह गया है या नहीं। इसलिए जो बॉयो-टैक्नोलोजी और नई तरह की चीजें आ रही हैं, उनके बारे में पहले किसानों को जानकारी कैसे दी जाए और अगर जानकारी दी जाए तो किस तरह से उन्हें वह उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए सरकार हर जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की कोशिश कर रही है। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : आप घोषणा कर दीजिए कि हर जिले में खोला जायेगा।

श्री अजित सिंह : कुछ राज्य जिले बढ़ाते चले जाते हैं तो मुश्किल आ जाती है, वरना अभी तक यह हर जिले में हो गये होते। लेकिन उससे भी काम चलने वाला नहीं है। मेरा मानना है कि जो एक्सटैंशन का काम है इसमें जब तक प्राइवेट इनीशिएटिव नहीं होगा, जब तक प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं आयेंगी, हमारे देश में एग्रीकल्चर के इतने ग्रेजुएट्स बन रहे हैं और आजकल नौकरी किसी को मिलने वाली नहीं है। उनके लिए यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्र में रह सकते हैं और किसानों को बता सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, वे सब चीजें उपलब्ध करा सकते हैं तथा उसी से उनकी आजीविका भी चल सकती है। हमने एग्रो-क्लीनिक और एग्रो-बिजनेस सैन्टर्स की स्कीम भी खोली है। इसमें बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी आई हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि हम कृषि विज्ञान केन्द्र को एक सर्विस सैन्टर बनाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, जैसा सभी जानते हैं कि पहले एक बहुत पुरानी स्टडी हुई है कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र, गांव सड़क के ऊपर है तो वहां इंकम अपने आप 15 परसेन्ट बढ़ गई है। यह स्टडीज हुई है।

इसलिए खाली कृषि का मतलब यह नहीं है कि केवल यहीं तक सीमित रहे। अगर हम स्थिति सुधारना चाहते हैं, खाली यही नहीं है कि हम नए बीज दें, बल्कि यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर गांवों में बढ़ेगा, अगर किसान को पता होगा कि किस मंडी में क्या भाव है और वहां ले जाने के लिए उसे वह सुविधा उपलब्ध हो, तभी उसे उचित दाम मिल सकता है। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम सब मंडियों को इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी द्वारा जोड़ना चाहते हैं जिससे कि हर मंडी में क्या भाव है, किस चीज की कितनी बिक्री हो रही है, इस सबके बारे में भी जानकारी होने की जरूरत है।

महोदय, डब्ल्यू०टी०ओ० के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों को इसके बारे में चिन्ता है। 1, जनवरी, 1995 में डब्ल्यू०टी०ओ० शुरू हुआ। उससे जो आशाएं थीं कि एग्रीकल्चर में व्यापार बढ़ेगा और उसमें हिन्दुस्तान का हिस्सा बढ़ेगा, डॉमैस्टिक सबसिडीज डैपलप्ड कंट्रीज में कम होंगी, एक्सपोर्ट सबसिडीज कम होंगी, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का दाम बढ़ेगा और इससे भारत जैसा गरीब एवं डैवलपिंग कंट्रीज का व्यापार बढ़ेगा क्योंकि आज भी हमारा किसान, दुनिया के किसानों से मुकाबला कर रहा है, इन सारी कमियों के बावजूद, यहां के किसान का फायदा होगा, डब्ल्यू०टी०ओ० पर साइन करते समय भारत के लोगों की यह मंशा थी। जिन लोगों ने डब्ल्यू०टी०ओ० पर साइन किए उसके पीछे यही भावना थी, लेकिन साफ बात यह है कि जो फायदा सोच रहे थे कि मिलेगा, वह डब्ल्यू०टी०ओ० के साइन करने से नहीं हुआ है। डैवलप्ड कंट्रीज ने अपनी सबसिडी कम नहीं की हैं। मार्केट एक्सैस डैवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सही है कि जो चिन्ता माननीय सदस्यों को थी कि डब्ल्यू०टी०ओ० की वजह से नुकसान हो रहा है, वह चिन्ता भी सही नहीं है। क्या आप समझते हैं कि डब्ल्यू०टी०ओ० नहीं होता, तो क्या अमरीका अपने किसानों को सबसिडी नहीं देता, क्या यूरोपियन यूनियन सबसिडी नहीं देती। बायलैटरल एग्रीमेंट तब भी करते। अब कम से कम 144 देश एक जगह बैठकर आपस में बातचीत कर सकते हैं।

महोदय, अब जो नया राउंड शुरू हो रहा है उसके प्रति हम जागरुक हैं। हमने सब पार्टीज के किसान संगठनों की एक मीटिंग पिछले महीने बुलाई थी जिसमें हमने उन्हें बताया था कि अगले डब्ल्यू०टी०ओ० के राउंड में हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। हमने हर प्रदेश के कृषि मंत्री को भी बुलाया था और उनसे भी पूछा था कि हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। एक कंसैंसस हमने पैदा किया है। जो यह नया राउंड शुरू होने वाला है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमारे पास जो भी हथियार हैं, *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : मंत्री जी, इसमें मेरा एक सुझाव है कि इसके लिए एक जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो जाए, तो बेहतर होगा। जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी अपनी रिपोर्ट दे देगी।

श्री अजित सिंह : मेरे ख्याल से कामर्स मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, एक संसदीय सलाहकार समिति भी है। वहां पर इस विषय में जरूर डिसकशन हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है, तो मैं कामर्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वहां इस बारे में डिसकशन हो क्योंकि वहां सभी पार्टियों के माननीय सदस्य होंगे।

हमने सब पार्टियों और सब प्रदेश सरकारों से इस बारे में बातचीत की है और इसे हम जारी रखेंगे क्योंकि यह डिसकशन बहुत लम्बा है और इसमें ज्यादा समय लग सकता है। जो हथियार हमारे पास हैं – टैरिफ बाउंड रेट्स के कस्टम ड्यूटीज के, एस०पी०एस० के, इनको इस्तेमाल कर के हम किसानों को बचाए रखेंगे और अभी तक बचाया है।

महोदय, यह लोगों की धारणा है कि बहुत इम्पोर्ट होने लगा है। मेरे पास बिजनैस एग्रीकल्चर ट्रेड बैलेंस के आंकड़े हैं। 1990-1991 से 2001-2002 तक हर वर्ष वह हमारे पक्ष में रहा है। कभी 20 हजार करोड़ रुपए भी हो गया है और कभी 6 हजार करोड़ रुपए भी रहा है। कभी एग्रीकल्चर इम्पोर्ट बढ़े भी हैं और कभी घटे भी हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि डब्ल्यू०टी०ओ० पर हस्ताक्षर करने के बाद से हमारे इम्पोर्ट बढ़ते ही चले गए हैं क्योंकि 1995-96

में करीब-करीब 6 हजार करोड़ था, 1999 में 12 हजार करोड़ रुपए था और 2001-2002 में अनुमानित 16 हजार करोड़ रुपए है और अगले साल और बढ़ेगा। वर्ष 2001-2002 के अभी फायनल फिगर्स नहीं हैं, लेकिन हमें आशा है कि हमारा इम्पोर्ट 30 हजार करोड़ रुपए होगा। इस प्रकार से देखें तो बैलेंस आफ पेमेंट हमारे फेवर में है।

महोदय, बहुत लोगों को चिन्ता है कि सेब विदेश से बहुत आ रहा है। यहां दिल्ली में लोग देखते हैं कि बड़े-बड़े बाजारों में सेब आ रहा है, लेकिन उसको खरीदने वाले बहुत कम हैं। कुछ ही लोग उसे खरीदते हैं। कुछ लोग तो जब यहां नहीं मिलता तब बाहर से भी मंगाते हैं। आम लोग तो क्या आप और हम भी उसे नहीं खरीदते। जो पिछले साल के फीगर्स हैं, 2 जुलाई के फिगर्स से यदि हम उन्हें कंपेयर करें तो फ्रूट्स एंड नट्स का इम्पोर्ट कम हुआ है, बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। वह बहुत कम संख्या में आ रहा है। जितनी संख्या में हम सेब पैदा करते हैं, अगर आप इम्पोर्ट की क्वांटिटी देखें तो वह नेगलीजिबल है। मैं कहना चाहूंगा कि डब्ल्यू०टी०ओ० से हमें फायदे की जो संभावनाएं थीं, वे नहीं हुईं। लेकिन डब्ल्यू०टी०ओ० से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, यह चिंता माननीय सदस्यों को अपने दिल से निकाल देनी चाहिए। यह जरूर है कि अब नये राउंड में जो डिसकशन होने जा रही है, उसमें हमें सावधान रहना है कि हमने अपने किसानों को बचाने के लिए जो प्रावधान डब्ल्यू०टी०ओ० में किये हैं, उनको किस तरह से बरकरार रखें। यह चिंता हमको है। इसके लिए हमने आप सबके सुझाव भी मांगे हैं। जैसे-जैसे डिसकशन होगा, ये लंबे डिसकशन होंगे, वहां डिसीजन कन्सेन्सस से होते हैं, मैजोरिटी या माइनोरिटी नहीं होते हैं, हम इस संबंध में आपको अवगत कराते रहेंगे और आपसे सुझाव भी लेते रहेंगे।

अंत में मैं यही कहूंगा कि किसानों की समस्या आज पूरे देश में है। *(व्यवधान)* यह प्रस्ताव भी मिला है कि एक बाक्स फूड सिक्योरिटी का भी होना चाहिए। *(व्यवधान)* फसल बीमा योजना के बारे में कई सदस्यों ने सवाल उठाये हैं। आज फसल बीमा योजना 19 राज्यों और दो यूनियन टैरिटिरीज में लागू है। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सी राज्य सरकारों ने इसका फायदा उठाया है। अभी तक हमने जितना पैसा दिया है, जितना इंश्योरेंस का प्रीमियम मिला है, उससे कहीं ज्यादा पैसा राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार ने किसानों को देने का काम किया है, जहां यह इंश्योरेंस स्कीम लागू हुई है। लेकिन साथ ही मैं यह भी मानूंगा कि इसमें अभी बहुत कमी है, जैसे पूरा एरिया तालुका का है, उसमें वह प्रावधान है। *(व्यवधान)* मैं जानता हूं और उसमें प्रावधान है कि अगले दो-तीन साल में हम उसको पंचायत लैवल पर लायेंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ऐवेलेबल है कि हम उसे प्रति एकड़ भी ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेटेलाइट्स है, इमेजरी है, सब कुछ है।

कुंवर अखिलेश सिंह : अगर आप प्रति एकड़ ला दें तो किसान का भला हो जायेगा।

श्री अजित सिंह : हमारे पास टेक्नोलॉजी है। *(व्यवधान)* मैंने कहा कि इसकी टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसकी इकोनामिक्स का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। खरीफ फसल के लिए तो टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करने वाली है क्योंकि वहां बादल वगैरह बहुत रहते हैं। इंश्योरेंस स्कीम का फायदा बहुत से प्रदेशों, खासकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात जहां कई सालों से प्राकृतिक आपदायें आती रही हैं, ने भी उठाया है। इसमें इस समय जो कमियां हैं, उसको हम समझ रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : स्टेट का प्रीमियम पहले वन थर्ड था लेकिन अब फिफ्टी-फिफ्टी हो गया है। *(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : इंश्योरेंस स्कीम में अभी यह प्रावधान है कि 50 परसेंट किसान और 50 परसेंट में आधा-आधा केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार प्रीमियम दे लेकिन जो पैमेंट है, उसमें प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का बराबर हिस्सा है। प्रीमियम के पैमेंट में जैसा मैंने अभी कहा कि जो प्रावधान है, उसे हम धीरे-धीरे कमर्शियल लैवल पर लाना चाहते हैं जिससे कि जो इंश्योरेंस करा है, उसी को उसका भार उठाना पड़े। इसमें जितने सुधार की जरूरत है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जहां प्राकृतिक आपदायें आती रही हैं लेकिन वहां इसका फायदा किसानों ने उठाया है। कई प्रदेश, जैसे राजस्थान में सूखे की स्थिति है, अगर इसका वे इंश्योरेंस करें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे०एस० बराड़ : माननीय सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय का उत्तर समाप्त होने के बाद दो प्रश्न पूछना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां : पहले जैसे स्टेट का वन थर्ड शैयर था लेकिन अब फिफ्टी-फिफ्टी हुआ है। इससे स्टेट को *(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : आप प्रीमियम की बात कर रहे हैं या पैमेंट की बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : प्रीमियम में अब यह प्रावधान है। उसमें धीरे-धीरे बढ़ता जायेगा। इस साल 60 परसेंट जो इंश्योर कर रहा है, उसे देना होगा और बाकी के 40 परसेंट में फिफ्टी-फिफ्टी परसेंट का हिस्सा है। प्रदेश सरकारों की चिंता प्रीमियम को लेकर नहीं है।

[श्री अजित सिंह]

प्रदेश सरकारों की चिंता है कि जब किसानों को पे करना पड़ेगा, किसान की जब फसल नष्ट हो जायेगी तो उसमें जो पैसा देना पड़ेगा, उसमें बहुत से प्रदेश सरकार अपनी वित्तीय परिस्थितियों के चलते हुए चिंतित हैं। उन्हें प्रीमियम के बारे में ज्यादा चिंता नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूं कि कृषि प्रदेश का सब्जैक्ट है इसलिए आधी जिम्मेदारी उनको भी इसमें लेनी चाहिए।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : प्राकृतिक आपदा का संबंध है, उससे निपटने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। प्रांतों में जो राजस्व मैन्युअल है, उनमें बहुत भिन्नता है। क्या मंत्री महोदय इस बात का प्रयास करेंगे कि जितने भी कृषि मंत्री आते हैं, उनसे चर्चा करके आप इसमें समानता लाने की कोशिश करें। *(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, जैसे एक स्टेट को देते हैं, वैसे ही वैस्ट बंगाल को नहीं दिया। *(व्यवधान)* पिछले साल वहां इतनी क्षति हो गई कि नौ डिस्ट्रिक्ट बर्बाद हो गए। उसमें जैसे उसे चौदह सौ कुछ करोड़ रुपये मिलने थे, वे नहीं मिले। *(व्यवधान)* वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जहां तक दूसरे स्टेट्स की बात है, वे ज्यादा देते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए। *(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : ये आरोप पिछले छः महीने से काफी लग रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा में राजनीति हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदा के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं, वे इलैवन्थ फाईनैंस कमीशन द्वारा बनाए गए हैं, केन्द्र सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं और उसमें जो मापदंड हैं, उसकी सहमति प्रदेश सरकारों से लेने के बाद ही, निश्चित सलाह लेने के बाद ही की गई है। *(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : यह सही नहीं है।

श्री अजित सिंह : अगर आप मुझे अलग से आकर बताएं तो मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा। आप अपनी खबर दीजिए लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, यह प्रावधान इलैवन्थ फाइनैंस कमीशन ने बनाया था। स्टेट्स प्राकृतिक आपदा में जो डिमांड करते रहे हैं, उनमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उन मापदंडों के बाहर हैं। हम यहां से टीम भेजते हैं, वे मापदंड के अनुसार तय करते हैं और प्रदेश सरकारों को प्राकृतिक आपदा के लिए हर साल जो पैसा दिया जाता है, मैं कहना चाहूंगा, बहुत सी सरकारों ने अभी उस पैसे को खर्च नहीं किया है। यह भी हो सकता है कि उन्होंने खर्च कर दिया हो लेकिन वे हमारे पास रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। जब तक उसका यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं आ जाए, हम नेशनल कंटींजैंसी फंड से पैसा नहीं दे सकते। अभी हमने जो दो हजार करोड़ रुपये सूखे की वजह से प्रदेश सरकारों को दिया है, उसमें बहुत सा पैसा अभी कैलेमिटी रिलीफ फंड में प्रदेश सरकारों के पास है। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उसकी मौनीटरिंग भी करवाइए कि वह पैसा सही जगह पर खर्च हो रहा है या नहीं। राज्य सरकारें उस पैसे को सही जगह खर्च कर रही हैं या नहीं। *(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : हम नीतियों और किसानों की परिस्थितियों की बात कर रहे थे लेकिन वैस्ट बंगाल के माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है कि उनको मदद नहीं मिलती, पिछले दो सालों में उन्होंने प्राकृतिक आपदा के अंदर मदद की मांग ही नहीं की। इसलिए यह कहना कि हम उनको मदद नहीं दे रहे हैं, उचित नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : यह सही नहीं है।

श्री अजित सिंह : आप आइए, मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप कह रहे हैं कि सही नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, अगर स्टेट गवर्नमैंट कहती है कि हमने मांग की थी और हमें कोई मदद नहीं की गई तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। यह आपदा बहुत बड़ी है, इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे पास कोई इम्प्लीमैंटिंग एजैंसी या कोई मौनीटरिंग एजैंसी नहीं है। जो हमारा संविधान है, उसमें प्रदेश सरकारों का अधिकार है। यह हमने जरूर किया है कि इसके लिए अलग ऐकाउंट खोला जाए जिससे उस पैसे का दुरुपयोग न हो। जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं, की है लेकिन उसका खर्च किस तरह हो, यहां किस तरह रिपोर्ट भेजी जाए, उसका आकलन हम जरूर करते हैं। लेकिन जो प्रदेश सरकारों के अधिकार हैं, माननीय सदस्य यह न कहें कि हम यहां मौनीटरिंग करें या कौन कैसा काम कर रहा है, उसे देखने का काम करें। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : मैंने इसलिए कहा कि केन्द्र जिस मद में पैसे दे रही है *(व्यवधान)* मैं जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि राज्य उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनको सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : हम हरेक मुख्य मंत्री और कनसर्न्ड मिनिस्टर्स को बार-बार लिखते रहते हैं, बार-बार यहां मीटिंग बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि यह प्रावधान है, इसमें पैसा खर्च होना चाहिए। हम उनसे रिक्वैस्ट करते हैं। हमने यह भी लिखा था कि माननीय संसद सदस्यों की एक मौनीटरिंग कमेटी भी डिस्ट्रिक्टवाइज बनाइए। लेकिन इस सबको लागू करने का काम प्रदेश सरकारों का है। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ही लागू नहीं हो रहा है। *(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि जिन समस्याओं की आज चर्चा हुई है, इसमें हरेक पार्टी के सदस्यों ने समस्या बताई है, अपने तरीके से कहीं न कहीं समाधान भी बताया है लेकिन इस प्रश्न पर सब सहमत हैं कि यह समस्या बहुत बड़ी है। आगे पांच-दस सालों में क्या होगा, यह चिन्ता जताई है। कृषि की परिस्थितियां बदल रही हैं। इन बदलती परिस्थितियों में किस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं। मैं सब पार्टियों का सहयोग भी चाहता हूं। हरेक स्टेट में अलग पार्टी की सरकार भी है, इसलिए उनके सहयोग की भी जरूरत है। चेयरमैन साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुंवर अखिलेश सिंह : सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी ने गन्ना किसानों के सवाल पर कुछ नहीं कहा। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : गन्ना के किसानों की बहस लोक सभा और राज्य सभा दोनों में हो चुकी है। उनकी चर्चा हो चुकी है, सब बातें हो चुकी हैं। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : चूंकि कृषि मंत्री जी ने गन्ना किसानों की समस्या पर एक शब्द भी नहीं बोला, इसलिए हम और हमारी पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है।

सायं 7.35 बजे

(तत्पश्चात् कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री एच०डी० देवगौडा (कनकपुरा) : मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री जिस कठिनाई का सामना कर रहे हैं मैं उसके बारे में जानता हूं। एकमात्र मुद्दा यह है कि वित्त, वाणिज्य और कृषि मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय नहीं है। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। इन तीनों मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय नहीं है जो कि कृषकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

वाणिज्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को बदलने की सिफारिश की थी ताकि आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दिया जाए। वाणिज्य मंत्रालय, श्री मारन ने स्वयं यह कहा था लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी इसमें कोई रुचि नहीं है। मैंने आपका भाषण बहुत धैर्य से सुना। मैं यहां भाषण नहीं देना चाहता हूं। क्या सरकार कच्चे रेशम के आयात पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आगे आएगी? उन्होंने इसे कम क्यों किया? पिछले वर्ष आयात शुल्क की दर क्या थी? इसी सभा में वाणिज्य मंत्री ने बताया था कि इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा गया है। आप अभी इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। मैं यह कहूंगा कि इन तीनों मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय नहीं है।

मैं एक प्रतिनिधिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। सौभाग्य से आप कृषकों की समस्याओं के प्रति समान रूप से चिन्तित हैं। मैं सभा से बाहर नहीं जाऊंगा अथवा न ही आपको दोष दूंगा। जब मैंने चर्चा आरंभ की थी, तो मैंने बताया कि राजनीति को यहां नहीं लाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य, जिसने सभा में बोला है, ने कृषकों के प्रति चिन्ता व्यक्त की है। जब मैंने प्रधानमंत्री से मांग की कि चालू वर्ष के लिए सभी तरह के ऋणों पर दंड के रूप में जो ब्याज लिया जा रहा है, उसे माफ कर दे – चाहे वह बैंक द्वारा लिया गया ऋण हो अथवा सहकारी समिति द्वारा लिया गया ऋण हो चालू वर्ष के लिये माननीय कृषि मंत्री ने इस विचार का समर्थन किया और बताया कि मामला सरकार के विचाराधीन था। उन्होंने बताया था कि प्रस्ताव पहले से ही सरकार के समक्ष था और मंत्रिमंडल इस संबंध में निर्णय लेगा। मैं यहां राजनीति को नहीं लाना चाहता हूं। क्या सरकार सभी कृषकों के लिए कम से कम इस वर्ष, ब्याज और दंड के रूप में ब्याज को माफ करने का अन्तिम निर्णय लेगी ? इस अथवा उस फसल के चयन करने का प्रश्न नहीं है। लगभग सभी फसलें चाहे यह बागवानी, बागान अथवा परम्परागत फसल हो, जो प्रभावित होती हैं। सभी कृषक अनेक कारणों से भुगत रहे हैं। मैं उन कारणों का यहां उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। आपने स्वयं सुझाव दिया है। कृषकों के लिए एक शक्तिशाली समर्थक वर्ग होना चाहिए। सौभाग्य से, सभी सदस्यों ने इस संबंध में अपना सहयोग दिया। क्या मंत्री महोदय मामले पर विचार करेंगे और माननीय प्रधान मंत्री के साथ मुद्दा उठायेंगे ? वह यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं जानता हूं वह गुजरात गए हैं। क्या मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और वाणिजियक बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सहकारी समितियों से लिए गए ऋणों के लिए कृषकों को कम से कम एक बार इस वर्ष के लिए रियायत दी जाएगी ?

आखिरी मुद्दा तम्बाकू उत्पादकों के संबंध में है। कर्नाटक में उन्हें पहली बार दंड देना पड़ा है। मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं। यदि किसी फसल का अधिक उत्पादन हुआ है तो क्या उन्हें दंड देना पड़ेगा ? उन्होंने तम्बाकू के अधिक उत्पादन के लिए 15 करोड़ रुपए के दंड का भुगतान किया है। यह तम्बाकू की उत्तम किस्म है। मैंने आपके और माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष इसे माफ करने का निवेदन किया क्योंकि यह उचित नहीं हैं। इस मामले पर विचार किया जाना है। मैंने यह मुद्दा उठाया। इसलिए, मैंने कहा था कि अन्तर्मंत्रालीय समन्वय नहीं है। किसी पृथक समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी मांग नहीं कर रहा हूं। क्या इन तीनों मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय है ? क्यों वाणिज्य अथवा कपड़ा अथवा कृषि मंत्रालयों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।

[श्री एच०डी० देवगौडा]

मैं नहीं जानता कि क्या यह सरकार सामंजस्यपूर्ण तरीके और मंत्रालयों के बीच उचित समझ के साथ कार्य करती है। मैं इस बारे में नहीं जानता क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जैसे कोई विपक्ष न हो। यह भी विभाजित हो गए हैं। वे सब चले गए हैं। कोई भी रुचि नहीं ले रहा है। लोगों पर दोष लगाने का प्रश्न नहीं है। वे भुगत रहे हैं। आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप भी कृषक की संतान हैं और मैं भी कृषक की संतान हूं।

कृपया इन तीनों मुद्दों को स्पष्ट करें। एक बिना लाइसेंस की फसल पर जुर्माने के संबंध में है। उसे समाप्त किया जाना चाहिए। 16 लाख टन तम्बाकू – चाहे वह लाइसेंस प्राप्त हो अथवा बिना लाइसेंस के की खरीद इस वर्ष की जानी चाहिए। जैसा कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव किया गया है, आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। क्या वे इसे स्वीकृति प्रदान करेंगे? क्या आप सभी तरह के ऋण पर जुर्माने के रूप में दिए जाने वाले ब्याज को माफ करेंगे? यह सुझाव हैं। यह मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : जहां तक आपने कोआर्डिनेशन की बात उठाई है, उसके लिए कमेटी आफ सेक्रेट्रीज है, जिसके कामर्स सेक्रेट्री हैड होते हैं। उस कमेटी में एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के सेक्रेट्री और अदर्स भी होते हैं। जब भी कस्टम ड्यूटी की बात आती है, उसके सुझाव आते हैं, तो वह कमेटी उसको कंसिडर करती है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोआर्डिनेशन नहीं है। जहां तक सैरीकल्चर का सवाल है, वह टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। हो सकता है उन्होंने यह सवाल उठाया भी हो। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है, कामर्स मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है। जो कस्टम ड्यूटी का सवाल है, हम वाच कर रहे हैं, उसमें हरेक मंत्रालय के प्रपोजल आते हैं। कमेटी आफ सेक्रेट्रीज तय करती है और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके ऊपर भी उठाया जाता है।

श्री जे०एस० बराड़ : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। चौधरी अजित सिंह जी ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने इस डिबेट में इनीशिएट किया था, मैं संक्षेप में दो बातें पूछना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मंत्री जी ने राज्यों के काफी अहम मुद्दों पर पोजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट का जिक्र किया है। पंजाब ने 28,000 एकड़ डाइवर्शन का प्रोजेक्ट बनाया है। उसमें केन्द्र सरकार क्या कोई मदद देगी या नहीं? दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने अपनी स्पीच में भी 6000 करोड़ रुपए से ऊपर का मुद्दा उठाया था कि पंजाब को इतनी राशि का नुकसान ड्राउट से हुआ है। उसमें एक नया पैसा भी केन्द्र सरकार की तरफ से मदद के तौर पर नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के पास मेमोरंडम है और वहां सेंट्रल टीम ने भी दौरा किया है। क्या पंजाब को उसका हक मिलेगा या नहीं?

[अनुवाद]

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के रेशम और अन्य फसलों के उत्पादकों तथा ब्याज माफ करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। यह सभी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं आशा करता हूं कि वे उन पर विचार करेंगे।

मैं एक अन्य प्रश्न पूछना चाहूंगा। इस देश में अधिकतर राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं। केवल कर्नाटक, बिहार, आन्ध्र प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश ही सूखे का सामना नहीं कर रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए छः महीनों का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना होगा। कर्नाटक के अधिकतर गांवों में पीने के पानी की समस्या है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम वहां चल रहा है। इसका कारण यह है कि वह पूरे राज्य में 20 प्रतिशत बीजों की भी बुआई नहीं कर सके।

पूरे राज्य के लोग 'काम के लिए अनाज' न होने और पीने के पानी की समस्या के कारण दुखी हैं। इससे पहले मुख्य मंत्री ने आठ लाख टन अनाज के लिए अनुरोध किया था। माननीय मंत्री महोदय ने कर्नाटक का दौरा किया और स्वयं स्थिति को देखते हुए, उन्होंने दो लाख टन अनाज जारी किया। इतनी मात्रा का पहले ही उपयोग किया जा चुका है। तत्पश्चात् स्थिति का जायजा लेने के बाद, कर्नाटक सरकार ने बीस लाख टन अनाज देने का अनुरोध किया। लेकिन आज तक कुछ भी जारी नहीं किया गया है।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि कृषकों और श्रमिकों को बचाने के लिए आगामी छः महीने का देश के लिए क्या कार्यक्रम है? विशेष रूप से कर्नाटक के संबंध में आप अनाज कब जारी करेंगे? कृषकों की समस्या के संबंध में आपकी चिन्ता के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। अपने कृषकों के लिए कुछ करने का वचन दिया है। कृषकों के हित में समूचा कांग्रेस दल आपके साथ है। हमें इन मुद्दों से लड़ने और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए संसद में कृषकों के मंच का गठन करना है। मैं आशा करता हूं कि सभापति महोदय भी संसद में कृषक मंच गठित करने के लिए सहमत हैं। केवल तभी हम उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं।

श्री एस० मुरुगेसन (तेनकासी) : माननीय मंत्री महोदय ने तमिलनाडु कावेरी डेल्टा में कृषकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के संबंध में कुछ नहीं बोला है। वह भी काफी प्रभावित हुए हैं। हम इस मुद्दे पर मंत्री महोदय से उत्तर चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : सभापति महोदय, सूखे के बारे में अलग से बहस हो चुकी थी लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे पंजाब के हमारे माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि पंजाब को कोई मदद नहीं मिली है, जो बीस रुपये प्रति क्विंटल हमने पैडी का दाम बढ़ाया था, जहां प्रोक्योरमेंट होता है, उन स्टेट्स में क्योंकि किसानों की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी, इसीलिए बढ़ाया गया था। हो सकता है कि जितनी मदद आप ओवरऑल चाहते थे, वह नहीं हो पाई लेकिन यह न कहिए कि सूखे की वजह से इनपुट कॉस्ट किसान की बढ़ गई थी, जो पंजाब के किसान ने मेहनत करके सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल किया, इसलिए उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी। इसीलिए हमने सिर्फ एक साल के लिए सूखे की वजह से बीस रुपये प्रति क्विंटल दाम बढ़ाया है।

जहां तक डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, हम सब स्टेट्स को कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करो और भी लोगों से बातचीत हुई है तथा जल्दी हम बातचीत करेंगे। वित्तीय सहायता हम कितनी किस स्टेट को दे सकते हैं, यह अलग सवाल है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में बहुत सी योजनाएं यहां से चला रहे हैं। इसीलिए हमने पिछले कई सालों में मस्टर्ड का प्रोक्योरमेंट दाम काफी बढ़ाया है। इसीलिए हमने भंडारण की योजना चलाई हुई है। कोल्ड स्टोरेज में हम मदद कर रहे हैं जिससे वृद्धीकरण में मदद मिल सके।

जहां तक कावेरी की जो आपकी समस्या है, उसमें कावेरी का ट्राईब्यूनल भी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंवाल्व है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि तमिलाडु एक ऐसी स्टेट है जिसको सूखे में इंटर मिनिस्ट्रीयल ग्रुप ने ज्यादा पैसा दिया है। उस सिफारिश से ज्यादा पैसा दिया है जो वहां पर सेंट्रल टीम ने की थी। तमिलनाडु एक अकेली स्टेट है जिसमें सेंट्रल टीम ने जो रिकमेंडेशन की थी, इंटर मिनिस्ट्रीयल ग्रुप ने कहीं न कहीं उसको काटा है लेकिन तमिलनाडु को ज्यादा पैसा दिया गया है। ...*(व्यवधान)* कर्नाटक में जो अभी तक मदद हमने की है, वह 31 जनवरी तक है। उसके बाद हम विचार करेंगे और जहां तक अन्न की और जरूरत है, टास्क फोर्स की बात है, जैसे-जैसे और कोई रिक्वेस्ट आएगी, जैसे अभी उनकी आई थी, उतना हमने अन्न दे दिया है और कोई रिक्वेस्ट जिस किसी स्टेट से आएगी, टास्क फोर्स मिलेगी और उस पर विचार करेगी।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.48 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2002/19 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/29/14/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।